भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

का

सामान्य, सामाजिक व आर्थिक (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) क्षेत्रों

पर प्रतिवेदन

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए

छत्तीसगढ़ शासन

वर्ष 2013 का प्रतिवेदन क्रमांकः 3

विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	कंडिका क्र.	पृष्ठ
प्राक्कथन		vii
अध्याय 1		
परिचय		
इस प्रतिवेदन के संबंध में	1.1	1
लेखापरीक्षित इकाईयों का परिचय	1.2	1
लेखापरीक्षा के प्राधिकार	1.3	2
महालेखाकार (लेखापरीक्षा) छत्तीसगढ़ के कार्यालय के संगठनात्मक संरचना	1.4	2
योजना एवं लेखापरीक्षा का संचालन	1.5	3
निष्पादन लेखापरीक्षा तथा मुख्य नियंत्रण अधिकारी आधारित लेखापरीक्षाओं से उत्पन्न महत्वपूर्ण निष्कर्ष	1.6	3
अनुपालन लेखापरीक्षा की महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ	1.7	6
निष्पादन लेखापरीक्षा, मुख्य नियंत्रण अधिकारी आधारित लेखापरीक्षा तथा अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न कंडिकाओं पर विभागों की प्रतिक्रिया	1.8	9
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुवर्तन	1.9	9
लेखापरीक्षा के पश्चात सुधारात्मक कार्यवाही/वसूलियाँ	1.10	10
अध्याय 2		
निष्पादन लेखापरीक्षा		
आवास एवं पर्यावरण विभाग		
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की कार्यप्रणाली	2.1	11
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग		
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	2.2	36
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग		
छत्तीसगढ़ विपणन संघ (मार्कफेड) द्वारा धान का उपार्जन एवं वितरण	2.3	83
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग		
भू-अर्जन एवं आवंटन	2.4	95
अध्याय 3		
शासकीय विभाग का मुख्य नियंत्रण अधिकारी आधारित लेखापरीक्षा		
उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग	3.1	111
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	3.2	155

अध्याय 4		
लेन-देनों की लेखापरीक्षा		
नियमों और विनियमों का अनुपालन नहीं किया जाना	**4.1**	187
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग		
अतिरिक्त लागत	4.1.1	187
संदिग्ध व्यय	4.1.2	189
औचित्य लेखापरीक्षा तथा पर्याप्त न्याय संगत के बिना व्यय के प्रकरण	**4.2**	191
गृह (पुलिस) विभाग		
निष्क्रिय निवेश	4.2.1	191
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास विभाग		
निष्फल व्यय	4.2.2	192
जल संसाधन विभाग		
अतिरिक्त लागत	4.2.3	194
गलत मूल्यांकन	4.2.4	197
श्रम विभाग		
निष्फल व्यय	4.2.5	198
ग्रामोद्योग विभाग		
निरर्थक व्यय	4.2.6	200
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग		
अधिक भुगतान	4.2.7	202
दूरदर्शिता/प्रशासन की विफलता	**4.3**	203
स्कूल शिक्षा विभाग		
भारत सरकार की निधियों का अवरूद्ध रहना	4.3.1	204
जल संसाधन विभाग		
शासन को हानि	4.3.2	206
लोक निर्माण विभाग		
परिहार्य व्यय	4.3.3	208
स्कूल शिक्षा विभाग		
अदेय लाभ	4.3.4	209
निरंतर एवं व्यापक अनियमितताऐं	**4.4**	211
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग		
अवशेष दावों एवं अग्रिमों का असमायोजन	4.4.1	212

परिशिष्ट

परिशिष्ट क्र.	विवरण	संदर्भ	
		कंडिका क्र.	पृष्ठ
2.1.1	अनुसूची दर में अनुमानित ठेका प्रतिशत जोड़े जाने से अतिरिक्त लागत को दर्शाने वाला पत्रक	2.1.11.1	215
2.1.2	अतिरिक्त लागत की वसूली दोषी ठेकेदारो से नहीं किये जाने को दर्शाने वाला पत्रक	2.1.11.5	216
2.1.3	ठेकेदार को राशि ₹ 22.30 करोड़ के मोबिलाइजेशन अग्रिम की अनियमित स्वीकृति और ब्याज हानि ₹ 3.89 करोड़ दर्शाने वाला पत्रक	2.1.11.6 (2)	217
2.1.4	कार्य के निष्पादन में विलंब पर आरोपित शास्ति राशि को दर्शाने वाला पत्रक	2.1.11.7	218
2.1.5	अतिरिक्त नींव खुदाई तथा भराई के कारण अधिक भुगतान को दर्शाने वाला पत्रक	2.1.11.8	221
2.1.6	मूल्य वृद्धि भुगतान के लिए गलत सूत्र का अनुसरण करने के कारण अधिक भुगतान को दर्शाने वाला पत्रक	2.1.11.10	222
2.1.7	विभिन्न कार्य स्थलो पर ठेकेदारो द्वारा नियुक्त किए गए अभियंताओं का विवरण दर्शाने वाला पत्रक	2.1.12.1	223
2.1.8	कांक्रीट कार्य के परीक्षण मे कमी को दर्शाने वाला पत्रक	2.1.12.2	224
2.2.1	चयनित ग्राम पंचायतों के विवरणों को दर्शाने वाला पत्रक	2.2.5	225
2.2.2	राज्य अंश को विलम्ब से जारी करने वाली स्थिति को दर्शाने वाला पत्रक	2.2.8.3	227
2.4.1	उद्योगों को शासकीय भूमि के आबंटन पर प्रब्याजी एवं भू-भाटक की कम वसूली का विवरण पत्रक	2.4.4.4	228
2.4.2	मुआवजा राशि की कम वसूली की गणना का विवरण	2.4.6.1	229
2.4.3	भुगतान न किए गये मुआवजा का विवरण पत्रक	2.4.6.2	230
3.1.1	मॉडल नर्सरियों में स्थापित निष्क्रिय अधोसंरचना का विवरण (अप्रैल 2012 की स्थिति में)	3.1.6.4(ख)	235
3.1.2	लंबित अनुशासनात्मक प्रकरणों का विवरण	3.1.6.4(ग)	236
3.1.3	मसालों एवं गैर बारहमासी फलों के उत्पादन में अनियमित व्यय का विवरण	3.1.7.1(ख)	237

3.1.4	उद्यानिकी विभाग के विभिन्न डी.डी.ओ. के द्वारा मुख्य शीर्ष 8443 और मुख्य शीर्ष 0401 में जमा की गयी निधियों का विवरण	3.1.7.1(घ)	237
3.1.5	असमायोजित स्थाई अग्रिमो का वर्षवार विवरण (मार्च 2012 की स्थिति में)	3.1.7.1(ड.)	238
3.1.6	एस.आर. देयको द्वारा आहरित राशि का विवरण	3.1.7.1 (च)	238
3.1.7	छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी फसलों की उत्पादन क्षमता की तुलना में उत्पादकता का विवरण	3.1.8.3	239
3.1.8	जिलों द्वारा एन.एच.एम योजनांतर्गत उपयोग न की गयी निधियों का विवरण	3.1.9.1(क)	240
3.1.9	अवधि 2007-12 के दौरान सुगंधित एवं औषधीय पौधों पर किये गये व्यय का विवरण	3.1.9.1 (ग)	241
3.1.10	फसल, उसकी मृत्यु दर और निरर्थक व्यय का विवरण	3.1.9.1(घ)	242
3.1.11	प्याज उत्पादन पर किये गये व्यय का विवरण	3.1.9.1(ड.)	249
3.1.12	मॉडल नर्सरियों में स्थापित अधोसंरचना का विवरण	3.1.9.1(झ)	250
3.1.13	नलकूप खनन पर किये गये निष्फल व्यय का विवरण	3.1.9.1(ञ)	258
3.1.14	एच.डी.पी.ई. वर्मी बेड एवं शेड नेट के प्रदाय पर किये गये निष्फल व्यय का विवरण	3.1.9.1(ट)(i)	259
3.1.15	75 प्रतिशत धनत्व वाले शेड नेट के क्रय का विवरण	3.1.9.1(ट) (ii)	260
3.1.16	एकीकृत कटाई पश्च प्रबंधन धटक के संदर्भ में भौतिक लक्ष्यों की पूर्ति दर्शाने वाला विवरण पत्रक	3.1.9.1(ढ)	261
3.1.17	बाजार अधोसंरचना का सृजन धटक के अंतर्गत भौतिक प्रगति दर्शाने वाला विवरण पत्रक	3.1.9.1(ढ)	262
3.1.18	प्लग टाईप पादप उत्पादन इकाई से उत्पादित एवं वितरित पादपों का विवरण	3.1.9.2(क)	263
3.1.19	आम के पौधरोपण हेतु दी गई सहायता की पद्धति दर्शाने वाला विवरण पत्रक	3.1.9.4(अ)	264
3.2.1	योजनावार बजट आवंटन एवं व्यय (राज्य)	3.2.7.1 (अ) (i)	265
3.2.2	योजनावार बजट आवंटन एवं व्यय (केन्द्र)	3.2.7.1 (अ) (i)	266
3.2.3	नकद प्रेषण एवं धनादेश के मिलान की स्थिति	3.2.7.1 (स)	267
3.2.4	बकाया विविध लोक निर्माण अग्रिम का विवरण	3.2.7.1 (द)	268
3.2.5	शहरी जल प्रदाय योजनार्न्तगत कार्यो की प्रगति दर्शाने वाला पत्रक	3.2.8.2.(अ)	269

3.2.6	ठेकेदारों पर शास्ति आरोपित न करने को दर्शाने वाले पत्रक	3.2.8.2 (अ)	279
3.2.7	ठेकेदारो के देयको से टेस्टींग राशि की कटौती नहीं किये जाने को दर्शाने वाला पत्रक	3.2.8.2 (ब)	289
3.2.8	स्फितिपूर्ण प्राक्कलन बनाने के कारण ₹ 1.72 करोड़ के अधिक लागत को दशाने वाला विवरण पत्रक	3.2.8.2 (स)	298
3.2.9	अनुबंध की शर्तो के अनुसार ब्रेकअप शेडयूल तैयार नही किये जाने को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	3.2.8.2 (द)	299
3.2.10	पी.डब्लू.एस.एस. में ओ.एच.टी. के सम्मिलित करने से अतिरिक्त लागत दर्शाने वाला पत्रक	3.2.8.3 (अ)	304
3.2.11	अकार्यरत पी.डब्लू.एस.एस/ स्थल जल योजनाओं का विवरण	3.2.8.3 (ब)	306
3.2.12	प्रयोगशालाओं हेतु रीएजेन्टस नहीं क्रय किये जाने का विवरण	3.2.8.4 (स)	307
4.1	जी एस बी में अधिक मोटाई के निष्पादन पर अतिरिक्त लागत दर्शाने वाला विवरण पत्रक	4.1.1	308
4.2	सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमोदन के बिना मिट्टी कार्य एवं सीमेंट कंक्रीट का निष्पादन दर्शाने वाला विवरण पत्रक	4.1.1	309
4.3	कार्यों जिनमें जी एस बी, हार्ड शोल्डर, बी.टी. आदि अन्य कार्यों की पूर्णता पश्चात् मिट्टी कार्यों की पुनः माप की गयी का विवरण-पत्रक	4.1.2	311
4.4	सीमेंट कांक्रीट (सी सी), कोहेसिव नॉन स्वेलिंग (सी एन एस) में अतिरिक्त लागत को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	4.2.3	316
4.5	कि.मी.20 से 27 तक शेष मिट्टी कार्य के कार्य के लिए तुलनात्मक विवरण पत्रक	4.2.4	317
4.6	ठेकेदार को उच्च दरो पर भुगतान करने के कारण ₹ 35.25 लाख के अधिक भुगतान का विवरण पत्रक	4.2.7	318
4.7	आर्बिट्रेशन अवार्ड के विरूद्ध भुगतान की गई क्षतिपूर्ति का विवरण पत्रक	4.3.2	319
4.8	पेपर के समायोजन का विवरण पत्रक	4.3.4	320
4.9	सरपंचों से वसूली हेतु लंबित अवशेष दावों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	4.4.1	323

प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राज्य विधानसभा के पटल पर रखे जाने के प्रयोजनार्थ राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 की अवधि को कवर करते हुये सामान्य,सामाजिक व आर्थिक (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) क्षेत्रों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन के विभागों के अनुपालन लेखापरीक्षाओं तथा निष्पादन लेखापरीक्षाओं के सार्थक परिणामों को समावेशित करता है।

इस प्रतिवेदन मे उल्लेखित प्रकरण उन प्रकरणो मे से है जो वर्ष 2010-11 के दौरान लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा करते समय जानकारी में आये परंतु ऐसे भी मामले हैं जो पूर्व के वर्षों में जानकारी में आ चुके थे परंतु जिन्हें पूर्व के प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया गया था। वर्ष 2010-11 की अनुवर्ती अवधि से संबंधित मामले भी यथास्थान आवश्यकतानुसार सम्मिलित किये गये है।

सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं के अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लेखापरीक्षा मानकों पर आधारित भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक के द्वारा जारी किये गये लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा का निष्पादन किया गया है।

इस प्रतिवेदन का अध्याय 1 लेखापरीक्षा की योजना एवं परिमाण तथा प्रारूप कंडिकाओं एवं लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर विभागों के प्रत्युत्तर का वर्णन करता है और इस प्रतिवेदन में शामिल सार्थक लेखापरीक्षा अवलोकनों का सार प्रदान करता है। अध्याय 2 योजनाओं/परियोजनाओं के निष्पादन लेखापरीक्षाओं के निष्कर्षों से संबंधित है, वहीं अध्याय 3 में उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के मुख्य नियंत्रण अधिकारी आधारित लेखापरीक्षा के निष्कर्षों का समावेश है। अध्याय 4 विभिन्न विभागो के लेन-देनों की लेखापरीक्षा के निष्कर्षों से संबंधित है।

अध्याय 1

परिचय

अध्याय 1

परिचय

1.1 इस प्रतिवेदन के संबंध में

भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन छत्तीसगढ़ शासन के सिविल एवं कार्य विभागों के लेन-देंनों की अनुपालन लेखापरीक्षा, केन्द्र पोषित एवं राज्य आयोजना की योजनाओं तथा राज्य की स्वायत्त निकायों की लेखापरीक्षा के साथ-साथ चयनित योजनाओं तथा विभागों की निष्पादन लेखापरीक्षा से संबंधित मामलों से संबंधित है।

प्रतिवेदन का प्राथमिक उद्देश्य लेखापरीक्षा के महत्वपुर्ण परिणामों को राज्य विधानमंडल की जानकारी में लाना है। लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार रिपोर्टिंग का स्तर, लेन देनों की प्रकृति, घनत्व एवं मात्रा के अनुरूप होना चाहिए। लेखापरीक्षा परिणामों से यह आशा की जाती है कि यह कार्यपालिका को सुधारात्मक कार्यवाही कर संस्थान के बेहतर वित्तीय प्रबंधन के लिए नीति एवं निर्देश निर्धारण हेतु सक्षम बनाकर सुशासन में योगदान प्रदान करे।

अनुपालन लेखापरीक्षा के अंतर्गत यह पता लगाने के लिए जाँच की जाती है कि क्या लेखा परीक्षित इकाई के व्ययों, प्राप्तियों, परिसम्पत्तियों तथा दायित्वों से संबंधित लेन-देनों में भारत के संविधान के प्रावधानों, लागू कानूनों, नियमों एवं विनियमों तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विभिन्न आदेशों एवं निर्देशों का पालन किया गया है ।

निष्पादन लेखापरीक्षा किसी संगठन, कार्यक्रम या योजना की इस उद्देश्य से परीक्षा एवं स्वतंत्र मुल्यांकन है कि उसका संचालन किस सीमा तक मितव्ययी, दक्ष्य एवं प्रभावी है।

इस अध्याय में लेखा परीक्षित इकाईयों का परिचय, योजना और लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्तन प्रस्तुत किया गया है । इस प्रतिवेदन का अध्याय-दो निष्पादन लेखापरीक्षा के निष्कर्षों, अध्याय-तीन उद्यानिकी एवं कृषि वानिकी तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की मुख्य नियंत्रण अधिकारी आधारित लेखापरीक्षा तथा अध्याय-चार विभिन्न विभागों एवं स्वायत्त निकायों के अनुपालन लेखापरीक्षा को प्रदर्शित करता है।

1.2 लेखा परीक्षित इकाईयों का परिचय

विशेष सचिवों, उप सचिवों, निदेशकों और अधीनस्थ अधिकारियों की सहायता से संचालित अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों/सचिवों की अध्यक्षता में 36 विभागों के सचिवालय स्तर तथा 30 स्वायत्त निकाय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) छत्तीसगढ़ की लेखापरीक्षा के अधिकार क्षेत्र में है।

वर्ष 2011-12 तथा विगत दो वर्षों में सरकार के खर्चों की तुलनात्मक स्थिति तालिका-1 में प्रदर्शित की गई है।

तालिका 1: अवधि 2009-12 के लिए व्यय की तुलनात्मक स्थिति

(₹ करोड़ में)

विवरण	2009-10			2010-11			2011-12		
	आयोजनेत्तर	*आयोजना*	*कुल*	*आयोजनेत्तर*	*आयोजना*	*कुल*	*आयोजनेत्तर*	*आयोजना*	*कुल*
राजस्व व्यय									
सामान्य सेवाएं	4305	45	4350	5211	36	5247	5829	75	5904
सामाजिक सेवाएं	2875	5149	8024	2807	5503	8310	3381	7096	10477
आर्थिक सेवाएं	2824	1600	4423	2582	2509	5091	2727	2833	5560
सहायता अनुदान	444	25	469	686	21	708	687	0	687
योग (1)	10448	6818	17265	11286	8069	19356	12624	10004	22628
पूंजी परिव्यय(2)	0	2745	2745	01	2951	2952	01	4056	4056
वितरित ऋण एवं अग्रिम(3)	--	--	897	--	--	567	10	1259	1269
अंतर्राज्यीय निपटान(4)	--	--	03	--	--	02	--	--	04
लोक ऋण का भुगतान(5)	--	--	652	--	--	691	--	--	852
संचित निधि से कुल संवितरण (1+2+3+4+5+)	**10448**	**9563**	**21562**	**11287**	**11020**	**23567**	**12634**	**15319**	**28810**
आकस्मिकता निधि	--	--	--	--	--	--	--	--	--
लोक लेखा संवितरण	--	--	23879	--	--	26896	--	--	32940
योग	**10448**	**9563**	**45441**	**11287**	**11020**	**50464**	**12635**	**15318**	**61749**

1.3 लेखापरीक्षा के प्राधिकार

भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 एवं 151 तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 से लेखापरीक्षा के अधिकार लिए गये है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 13,14,15,19 एवं 20 के अंतर्गत, महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा सिविल एवं कार्य विभागों तथा स्वायत्त निकायों के व्ययों की लेखापरीक्षा की जाती है। अनुपालन लेखापरीक्षा के सिद्वांतों एवं कार्य पद्वति को नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी मैनुअल में उल्लेखित किया गया है।

1.4 महालेखाकार (लेखापरीक्षा) छत्तीसगढ़ के कार्यालय की संगठनात्मक संरचना

सामान्य, सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रों के अंतर्गत राज्य भर में फैले शासकीय विभागों/कार्यालयों स्वायत्त संस्थानो (गैर पी एस यू) की लेखापरीक्षा, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के निर्देशन में महालेखाकार (लेखापरीक्षा) छत्तीसगढ़ द्वारा निष्पादित की जाती है। दो समुह अधिकारियों द्वारा महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को सहायता प्रदान की जाती है।

1.5 योजना एवं लेखापरीक्षा का संचालन

व्ययों, गतिविधियों की क्लिष्ठता/जटिलता, प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन, आंतरिक नियंत्रण के मूल्यांकन तथा हितधारकों की सलाह से विभिन्न शासकीय विभागों/संगठनों/स्वायत्त निकायों एवं योजनाओं/परियोंजनाओं के जोखिम आकलन के साथ लेखापरीक्षा प्रक्रिया प्रारम्भ होती है। इस प्रक्रिया में विगत लेखापरीक्षा निष्कर्षों को भी ध्यान में रखा जाता है।

प्रत्येक इकाई की लेखापरीक्षा पूर्ण किये जाने के पश्चात इकाई के विभाग प्रमुख को लेखापरीक्षा निष्कर्षो को सम्मिलित कर निरीक्षण प्रतिवेदन जारी की जाती है। इकाईयों से लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्राप्ति के एक माह के भीतर लेखापरीक्षा निष्कर्षो पर उत्तर प्रस्तुत करने का आग्रह किया जाता है। उत्तर की प्राप्ति पर या तो लेखापरीक्षा आपत्तियों का निराकरण कर दिया जाता है या अनुपालन के लिए आगे की कार्यवाही की सलाह दी जाती है। उक्त निरीक्षण प्रतिवेदनों में प्राप्त महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित किये जाने हेतु कार्यवाही की जाती है।

वर्ष 2011-12 के दौरान विभिन्न विभागों/संगठनों की 3056 इकाईयों में से 212 इकाइयों की लेखापरीक्षा किये जाने हेतु 1481 पार्टी दिवसों का उपयोग किया गया। वर्ष के दौरान 40 लेखापरीक्षा दलों द्वारा राज्य शासन के विभिन्न सिविल एवं कार्य विभागों, स्वायत्त निकायों, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं आदि की 212 इकाईयों की अनुपालन लेखापरीक्षा किया गया।

1.6 निष्पादन लेखापरीक्षा तथा मुख्य नियंत्रण अधिकारी आधारित लेखापरीक्षाओं से उत्पन्न महत्वपूर्ण निष्कर्ष

शासकीय कार्यक्रमों में न्यूनतम लागत पर विनिर्दिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त किया गया है और लक्षित लाभ प्रदान किया है अथवा नहीं, यह सुनिश्चित करने के लिए निष्पादन लेखापरीक्षा की जाती है। विभागीय कार्यप्रणाली का व्यापक मूल्यांकन एवं प्रणाली गत मुद्दो जिन्हें उपयुक्त उच्च स्तरों पर निपटाया जाना चाहिए की पहचान करने, हेतु मुख्य नियंत्रण अधिकारी (सी सी ओ) आधारित लेखापरीक्षा की जाती है।

"छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड की कार्यप्रणाली" एवं "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना" की निष्पादन लेखापरीक्षा "छत्तीसगढ़ विपणन संघ द्वारा धान की खरीद एवं वितरण" एवं "भूमि का अधिग्रहण एवं आवंटन" की लेखापरीक्षा तथा "उद्यानिकी एवं कृषि वानिकी विभाग" एवं "लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग" की सीसीओ आधारित लेखापरीक्षा के परिणमों को सम्मिलित किया गया है।

इन लेखापरीक्षाओं के मुख्य निष्कर्षो की चर्चा नीचे की गई है:

1.6.1 'छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की कार्य प्रणाली' पर निष्पादन लेखापरीक्षा

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की कार्य प्रणाली पर निष्पादन लेखापरीक्षा से ज्ञात हुआ कि निर्माण गतिविधियों को सुनियोजित तरीके से करने हेतु बोर्ड ने कोई परिपेक्ष्य योजना और वार्षिक कार्य योजना तैयार नहीं की थी। उन्होने आवंटित निधि का समयबद्व ढंग से उपयोग नहीं किया था, परिणामतः सतत बचतें रहीं थी। आवास योजनाओं के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो (ई डब्ल्यू एस) को भूमि आवंटन के मापदण्डों का पालन नही किया गया था। ई डब्ल्यू एस को आवंटित भूमि का उपयोग व्यवसायिक परिसर तथा उच्च एवं मध्यम आय वर्ग समूहों के लिए मकान निर्माण हेतु कर लिया गया था। निर्धन परिवारों के लिए निर्मित आवासों को लाभार्थियों को सौपा नहीं जा सका था। स्फूर्तित प्राक्कलन तैयार किये जाने, अयोग्य अग्रिम का भुगतान, अतिरिक्त भुगतान आदि के कारण परियोजनाओं को मितव्ययी रूप से लागू नहीं किया जा सका था।

1.6.2 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना पर निष्पादन लेखापरीक्षा

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गॉरंटी (एम एन आर ई जी ए) अधिनियम को राज्य शासन द्वारा मार्च 2006 में अधिसूचित किया गया । योजना की निष्पादन लेखापरीक्षा में पाया गया कि जिला एवं जनपद पंचायत स्तर के मुख्यपदों पर काफी संख्या में रिक्तियाँ थी, जिसके कारण योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर विपरीत प्रभाव पड़ा था। यद्यपि वार्षिक कार्य योजनाएं बनाई गई थी किंतु लम्बी अवधि के रोजगार सृजन तथा सतत विकास को प्रदर्शित करती हुई परिपेक्ष्य योजना तैयार नहीं की गई थी। उपलब्ध निधि के उपयोग में सतत कमी पायी गई। पात्र लाभार्थियों का कवरेज सुनिश्चित करने के लिए द्वार से द्वार सर्वेक्षण नहीं किया गया था। केवल नौ प्रतिशत परिवारों को ही 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जा सका था। अतः योजना के 100 दिनों के रोजगार के उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सका था। 15 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर ग्राम पंचायतें, लाभार्थियों को रोजगार मुहैया कराने में विफल रहा था तथापि लाभार्थियो को बेरोजगारी भत्ता भुगतान नहीं किया गया था। समय पर मजदुरी भुगतान न किये जाने के बावजूद मजदूरी भूगतान अधिनियम के अंतर्गत अनुमत्य मुआवजों का भुगतान नहीं किया गया था।

कार्यो के निष्पादन में आयोग्य कार्यो का निष्पादन डब्ल्यू बी एम मार्गों को अनियमित स्वीकृति, एम आई एस कार्यो के लिए विक्रेताओं को भुगतान, ग्राम सभा की अनुमति के बगैर कार्यो की स्वीकृति, बिना माप लिए कार्यो का निष्पादन तथा कार्यो पर निरर्थक व्यय आदि जैसी कमियाँ पाई गई। मस्टर रोलों का समुचित संधारण नहीं किया गया था। राज्य में महिलाओं को प्रदाय किये गये रोजगार का प्रतिशत 47 से 49 प्रतिशत के बीच रहने के कारण, योजना के ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के उद्देश्य को पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया जा सका था।

निर्धारित पंजियों का समुचित संधारण नही किये जाने, योजनांतर्गत निरीक्षण एवं निगरानी के अभिलेखों का संधारण नही किये जाने तथा ऑनलाइन एम आई एस अपूर्ण रहने से स्पष्ट था कि निगरानी तंत्र कमजोर था। वर्ष 2007-12 के दौरान कोई आंतरिक लेखापरीक्षा निष्पादित नहीं की गई थी।

1.6.3 भूमि अधिग्रहण एवं आवंटन पर वृहद कंडिका

भूमि अधिग्रहण अधिनियम के कार्यान्वयन एवं इसके अंतर्गत की गई कार्यवाहियो में दोष एवं कमियाँ थी। शासन स्तर पर केन्द्रीकृत डाटाबेस के अभाव में अधिकृत एवं आबंटित भूमि की स्थिति पर निगरानी नहीं रखी जा रही थी। शासकीय भूमि को कम दरों पर आवंटित किये जाने के परिणामस्वरूप प्रीमियम, लीज रेंट एवं सेवा प्रभार के रूप में राशि ₹48.83 करोड़ की कम वसूली हुई थी। उद्योगों के लिए अधिकृत भूमि को विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए उपयोग नही किया गया था। भूस्वामियों को मुआवजे का समय पर भुगतान सुनिश्चित नही हो सका था। विस्थापित भूमि स्वामियों को निर्मित पुर्नवास नीति 2005 (यथा 2007 में संशोधित) के अनुसार पुर्नवासित नहीं किया गया था।

1.6.4 छत्तीसगढ़ विपणन संघ (मार्कफेड) द्वारा धान उपार्जन एवं वितरण पर वृहद कंडिका

मार्कफेड बैंकों से ब्याज पर ऋण लेकर अपना व्यवसाय चला रहा था तथा धान के उपार्जन एवं वितरण में नियमित रूप से हानि उठा रहा था। अतः यह आवश्यक था कि उच्च प्रबंधन को अपनाया जावे। लेखाओं को अंतिम रूप नही दिये जाने एवं राज्य शासन को हानि प्रकरण देर से प्रस्तुत किए जाने के कारण मार्कफेड द्वारा ब्याज के भार को कम करने के लिए उठाये गये कदम अपर्याप्त थे, परिणामतः सरकार द्वारा निधियों का देरी से निर्गमन किया गया था। हमने पाया कि फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (एफ सी आई) एवं नागरिक आपूर्ति निगम (नॉन) से प्राप्तियों, मिलरों के पास रह गये बारदानों के लिए निम्न दरों पर वसूलियों तथा एफ सी आई एवं महानिदेशक आपूर्ति एवं निपटान (डी.जी.एस.एण्ड डी.) के पास अवरूद्ध निधियों की प्राप्ति के लिए किये गये प्रयास अपर्याप्त थे। प्रासंगिक प्रभारों के दावे को भारत सरकार को देरी से भेजे गये थे तथा उक्त प्रभारों को स्वीकार्य सीमा से अधिक व्यय किये जाने के परिणाम स्वरूप अंतिम लागत पत्र को अंतिम रूप देने में देरी हो रही थी।

1.6.5 उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग की मुख्य नियंत्रण अधिकारी आधारित लेखापरीक्षा

उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग की स्थापना परंपरागत कृषि, उच्च गुणवता वाले बीजों एवं पौध सामग्री के वितरण, अद्यतन तकनीक अपनाने, किसानों को प्रशिक्षण देने आदि के स्थान पर किसानों को उद्यानिकी अपनाने के लिए प्रेरित कर उद्यानिकी को प्रोत्साहित करने तथा केन्द्र एवं राज्य की योजनाओं के क्रिर्यान्वयन की निगरानी के लिए की गई थी। यद्यपि राष्ट्रीय बागवानी मिशन के किर्यान्वयन के लिए वर्ष 2010-11 से वर्ष 2014-15 तक की अवधि के लिए रणनीतिक योजना तैयार की गई थी, किन्तु राज्य बागवानी मिशन ने वर्ष 2005-06 से 2009-10 तक की अवधि के लिए इस तरह की कोई योजना तैयार नही की थी। आंतरिक लेखापरीक्षा जो आंतरिक नियंत्रण तंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है, अनुपस्थित थी। औषधीय तथा सुगंधित पौधों एवं फूलों के अतिरिक्त अन्य उद्यानिकी फसलों के संबंध में क्षेत्र विस्तार के लक्ष्य की उपलब्धियाँ अच्छी रही थी। उचित विभागीय निरीक्षण के अभाव में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत उद्यानिकी फसलों की मृत्यु दर अत्याधिक थी। उद्यनिकी उत्पादों के मुल्यांकन के लिए विश्वसनीय

एवं वास्तविक आकड़ों के एकत्रिकरण हेतु तंत्र तैयार नहीं किया गया था। विभागीय प्राधिकारियों के द्वारा नियमों/ विनियमों/निर्देशों का पालन न किये जाने के परिणम स्वरूप अनियमित व्यय, निधियों का व्यपवर्तन, अस्थायी अग्रिमों का समायेजन न होने तथा सिम्पल रिसीट बिलों के माध्यम से आवश्यकता से अधिक आहरण तथा अनावश्यक क्रय के मामले हुए थे।

1.6.6 लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी विभाग का मुख्य नियंत्रण अधिकारी आधारित लेखापरीक्षा

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग राज्य की ग्रामीण/शहरी जनसंख्या को स्वच्छ पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न जल स्त्रोतो के निगरानी एवं प्रबंधन के लिए उत्तर दायी है। हमने योजनाओं के क्रियान्वयन की आयोजना में कमी पायी तथा ग्राम कार्य योजनाओं एवं जिला जल संरक्षण योजनाओं को तैयार न किये जाने के कारण वार्षिक कार्य योजना का भाग नही बनाया जा सका था। विभाग ने वर्ष 2003 से बसाहटों का विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया था। परियोजना अपूर्ण रहने के कारण राशि ₹ 133.39 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ था। एकीकृत अनुसूची एवं अनुबंध के प्रावधनों का विभाग द्वारा अनुपालन कराने में असफल रहने के कारण अतिरिक्त लागत एवं ठेकेदारों को अनुचित लाभ हुआ था। जल स्त्रोतों की गुणवत्ता परीक्षण के लिए विभाग ने राज्य एवं उप संभागीय स्तर पर प्रयोगशालाएं स्थापित नहीं की थी। फील्ड टेस्टिंग किट/रियेजेंट के अवितरित रहने एवं उनके कालातीत होने के कारण निरर्थक व्यय हुआ था।

1.7 अनुपालन लेखापरीक्षा की महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ

लेखापरीक्षा ने महत्वपूर्ण क्षेत्रो में कई बड़ी कमियाँ पाई थी जो कि राज्य शासन की प्रभावकारिता पर असर डालती है। अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्षो (14 कंडिकाएँ) को प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है। प्रमुख टिप्पणिओं में निम्नलिखित को सम्मिलित किया गया हैः

- नियमों और विनियमों का अनुपालन नही किया जाना
- औचित्य लेखापरीक्षा तथा पर्याप्त न्यायसंगत के बिना व्यय के प्रकरण
- दूरदर्शिता/प्रशासन की विफलताएं तथा
- निरंतर तथा व्यापक अनियमितताएं

1.7.1 नियमों एवं विनियमों का अनुपालन नही किया जाना

उच्च वित्तीय प्रशासन एवं नियंत्रण के लिए यह आवश्यक है कि किये गये व्ययों में वित्तीय नियमों तथा सक्षम प्राधिकरी द्वारा जारी आदेशों का पालन किया जावे, यह वित्तीय अनुशासन बनाये रखने तथा अनियमितताओं, अनुपयुक्त विनियोजन एवं गबनों को रोकने में सहायक होता है। नियमों एवं विनियमों के अनुपालन न करने से उत्पन्न राशि ₹5.99 करोड़ के निष्कर्षो को इस भाग में सम्मिलित किया गया है जिसकी चर्चा आगे की गई हैः

विभागीय निर्देशों का पालन न किये जाने के कारण राशि ₹ 1.65 करेड़ के ग्रेनुलर सबवेस (जी एस बी) का अनियमित निष्पादन तथा राशि ₹3.28 करोंड़ का अतिरिक्त व्यय।

(कंडिका 4.1.1)

ग्रेनुलर सब वेस (जी एस बी), वाटर बाउॅड मेंकाडम (डब्ल्यू बी एम), हार्ड शोल्डर (एच एस) तथा डामरीकरण (बी टी) कार्य के पूर्ण होने के पश्चात् मिट्टी कार्य का निष्पादन एवं भुगतान राशि ₹1.06 करोड़ के संदिग्ध व्यय की ओर इंगित कर रहा था।

(कंडिका 4.1.2)

1.7.2 औचित्य लेखापरीक्षा तथा पर्याप्त न्यायसंगत के बिना व्यय के प्रकरण

लोकधन से व्यय का प्राधिकरण, लोक व्यय के औचित्य एवं दक्षता के सिद्वांतो से निर्देशित होना चाहिए। व्यय के लिए अधिकृत प्राधिकारी से यह आशा की जाती है कि वह उसी तरह की सतर्कता रखे जैसा कि एक साधारण व्यक्ति अपने स्वंय के धन को व्यय करने में रखता है । लेखापरीक्षा के दौरान राशि ₹14.50 करोड़ के अनुचित एवं अतिरिक्त व्यय के मामले पाये गये। कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्ननानुसार हैः

विस्तृत सर्वेक्षण के बिना कार्य पारित किये जाने, उचित मूल्यांकन न किए जाने तथा अवास्तविक प्राक्कलन तैयार किये जाने के कारण राशि ₹ 1.34 करोड़ की अतिरिक्त लागत।

(कंडिका 4.2.4)

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी पी आर) तैयार किये जाने के पश्चात् भी राज्य शासन द्वारा योजना लागू न किये जाने के कारण राशि ₹83.14 लाख का निष्फल व्यय।

(कंडिका 4.2.6)

पुलिस कर्मचारियों के सुपर स्पेशिलियेटी हास्पिटल हेतु सेटअप स्वीकृत किये जाने में शासन की विफलता के परिणाम स्वरूप राशि ₹ 7.21 करोड़ का निष्क्रिय निवेश।

(कंडिका 4.2.1)

स्फीतिपूर्ण रूपांकन तथा फ्री बोर्ड में निधारित उँचाई से उपर सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग कार्य के परिणम स्वरूप राशि ₹ 1.48 करोड़ की अतिरिक्त लागत आई थी।

(कंडिका 4.2.3)

डब्ल्यू बी एम हेतु दरों के गलत निर्धारण के कारण राशि ₹35.24 लाख का ठेकेदार को अधिक भुगतान।

(कंडिका 4.2.7)

1.7.3 दूरदर्शिता/प्रशासन की विफलताएं

सरकार का यह दायित्व है कि वह स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी सुविधाओं का विकास एवं उन्नयन, सार्वजनिक सेवाओ आदि क्षेत्रों में लोगों के जीवन की गुण्वत्ता में सुधार लावे।

लेखापरीक्षा के दौरान, अनिर्णय, प्रशासनिक निरीक्षण की कमी तथा विभिन्न स्तरों पर आवश्यक कार्यवाही न हाने के कारण लोक परिसम्पतियों के निर्माण हेतु सरकार द्वारा जारी निधियों के अउपयोगित/अवरूद्ध रहने या निष्फल/ अनुत्पादक रहने के मामले पाये गये। राशि ₹25.97 करोड़ के निरीक्षण/ प्रशासन की विफलता के मामले पाये गये। कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निम्नानुसार हैः-

शासन तथा जिला स्तरों पर निगरानी एवं समुचित समन्वय के अभाव के फलस्वरूप "माध्यमिक शिक्षा के लिए लड़कियों को प्रोत्साहन योजना" के अंतर्गत वर्ष 2008-09 में राशि ₹ 7.38 करोड़ की केन्द्रीय निधि अवरूद्ध रही, एक वर्ष व्यतीत होने के पश्चात भी राशि ₹9.45 करोड़ बैंक में जमा नहीं की गई थी तथा बाद के वर्षो में भारत सरकार द्वारा राशि जारी नही की गई थी।

(कंडिका 4.3.1)

अविवेकपूर्ण योजना बनाये जाने एवं भूमि अधिग्रहण के पूर्व कार्यादेश जारी किये तथा तत्पश्चात अनुबंध के मनमानी ढंग से निरस्त किये जाने के परिणामस्वरूप विधायी देयताओं के रूप में राशि ₹8.15 करोड़ का परिहार्य भुगतान।

(कंडिका 4.3.2)

सी टी बी सी द्वारा आवश्यकता से अधिक प्रदत्त कागजों की लागत की वसूली न किया जाकर पाठ्य पुस्तक मुद्रकों को राशि ₹36.97 लाख का अनुचित वितीय लाभ दिया गया था।

(कंडिका 4.3.4)

1.7.4 निरन्तर एवं व्यापक अनियमितताएँ

यदि कोई अनियमितता साल दर साल पायी जाती है तो उसे नियमित अनियमितता माना जाता है। यदि यह सम्पूर्ण तंत्र में विद्यमान हो तो उसे व्यापक माना जाता है। पूर्ववर्ती लेखापरीक्षाओं में इंगित किए जाने के पश्चात भी अनियमितताओं की पुनरावृत्ति, कार्यकारिणी की शिथिलता एवं प्रभावी निगरानी की कमी का ज्ञोतक है। यह नियमों/विनियमों का पालन करने में विचलन को प्रोत्साहित करने के परिणामस्वरूप प्रशासनिक ढांचे को कमजोर बनाता है। लेखापरीक्षा ने पाया किः-

विगाग द्वारा समय पर पहल में असफल होने के कारण संरपचों को विभिन्न सिविल कार्यो हेतु दिए गए अग्रिमों को समायोजन/वसूली पर राशि ₹84.99 लाख अवरूद्ध रहा तथा सरपंचों द्वारा शासकीय धन को अनियमित रूप से अवरूद्ध रखा गया था।

(कंडिका 4.4.1)

1.8 निष्पादन लेखापरीक्षा, मुख्य नियंत्रण अधिकारी आधारित लेखापरीक्षा तथा अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न कंडिकाओं पर विभागों की प्रतिक्रिया

संबंधित विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिवों/प्रमुख सचिवों/सचिवों को मसौदा निष्पादन समीक्षाओं एवं लेखापरीक्षा कंडिकाओं के लेखापरीक्षा निष्कर्षो पर उनका ध्यान आकृष्ट करने हेतु एवं छः सप्ताह के भीतर उनको अपना प्रतिक्रिया भेजने का अनुरोध करते हुए प्रेषित किया गया था। नियंत्रक महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को छ.ग.राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले इन कंडिकाओं को शामिल करने के दृष्टिकोण से उनके व्यक्तिगत ध्यान में लाया गया था, इस संबंध में उनके टिप्पणी को शामिल करना वांछित था। प्रस्तावित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के निष्पादन समीक्षा/मसौदा कंडिका पर महालेखाकार (लेखापरीक्षा) से उन्हें बैठक कर चर्चा करने के लिए सलाह दिया गया था।

संबंधित विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिवों/प्रमुख सचिवों/सचिवों को जुन और सितम्बर 2012 के बीच निष्पादन लेखापरीक्षा, सी सी ओ आधारित लेखापरीक्षा एवं मसौदा कंडिका पर अर्धशासकीय पत्र प्रेषित करते हुए छः सप्ताह के भीतर उनको अपना प्रतिक्रिया भेजने के लिए अनुरोध किया गया था। शासन द्वारा 15 मसौदा कंडिकाओं में से 13 का उत्तर प्राप्त हुआ था। अगस्त 2012 और मार्च 2013 के दौरान हुए चर्चा में एक निष्पादन लेखापरीक्षा दो सी सी ओ आधारित लेखापरीक्षा दो विस्तृत कंडिका मंगाये गये थे। छ.ग. गृह निर्माण मण्डल की कार्यशैली के निष्पादन लेखापरीक्षा पर निर्गम सम्मेंलन नही हो सका था। प्रतिवेदन में शासन के प्रतिक्रिया को सही तरीके से शामिल किया गया है।

1.9 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुवर्तन

विधान सभा के समक्ष प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने के छः माह के भीतर लेखापरीक्षा द्वारा अद्यतन परीक्षित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शित सभी कंडिका/निष्पादन लेखापरीक्षा पर कार्यवाही प्रगति शासन द्वारा लोक लेखा समिति को प्रस्तुत करना वांछित है। विभिन्न विभागों से संबंधित नियंत्रक महालेखापरीक्षक प्रतिवेदन में शामिल कंडिका/निष्पादन लेखापरीक्षा पर कार्यवाही प्रतिवेदन पर लंबित समीक्षा से प्रकट होता है कि मार्च 2013 तक विभाग से 12 कार्यवाही प्रतिवेदन[1] लंबित था।

1

वर्ष	कंडिका
1998-99 (3)	3.5, 3.23, 3.6
1998-99 (4)	5.1.8.1
2001-02	5.31, 5.33, 5.35
2004-05	3.1, 4.2.7, 4.4.1
2005-06	5.1
2008-09	2.21
कुल	12

1.10 लेखापरीक्षा के पश्चात सुधारात्मक कार्यवाही/वसूलियाँ

59 अनुबंधों में ठेकेदारों को क्रमशः राशि ₹ 21.75 करोड़ एवं राशि ₹16.12 करोड़ की राशि मोबालाईजेशन अग्रिम एवं मशीन अग्रिम के तौर पर पांच[2] कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई (पी आई यू) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी एम जी एस वाई) के कार्यकारी अभियंता (फरवरी 2006 से मार्च 2009) को दिए गए थे। यद्यपि संबंधित कार्यकारी अभियंता द्वारा निर्धारित समयावधि में मात्र राशि ₹10.27 करोड़ (₹7.08 करोड़ का मोबलाइजेशन अग्रिम + ₹3.19 करोड़ का मशीन अग्रिम) का ही वसूल किया गया था। अतः निर्धारित समयावधि में अग्रिम की वसूली ₹3.19 करोड़ का मशीन अग्रिम) का ही उनमें से वसूल होने के कारण राशि ₹6.80 करोड़ की ब्याज (जनवरी 2013 तक) के तौर पर ठेकेदारों से वसूली था। यद्यपि, संबंधित कार्यकारी अभियंताओं द्वारा मात्र राशि ₹19 लाख ही वसूली किया जा सका था (अक्टुबर 2010)। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर (जुलाई से नवंबर 2010) राशि ₹1.39 करोड़ की राशि (जनवरी 2013) की वसूली कि गई थी। शेष राशि ₹5.21 करोड़ की वसूली लंबित था।

[2] बिलासपुर, जगदलपुर, कवर्धा, रायपुर एवं राजनांदगांव

अध्याय 2

निष्पादन लेखापरीक्षा

- 2.1 छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की कार्यप्रणाली
- 2.2 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी
- 2.3 छत्तीसगढ़ विपणन संघ (मार्कफेड) द्वारा धान का उर्पाजन एवं वितरण
- 2.4 भू-अर्जन एवं आवंटन

अध्याय 2

निष्पादन लेखापरीक्षा

यह अध्याय "छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल" की कार्यप्रणाली और "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना" पर दो निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणामों तथा "छत्तीसगढ़ विपणन संघ (मार्कफेड) द्वारा धान की खरीद एवं वितरण" और "भूमि का अधिग्रहण एवं आवंटन" पर दो वृहद कंडिकाओं से संबंधित है।

आवास एवं पर्यावरण विभाग

2.1 छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की कार्यप्रणाली

कार्यपालिक सारांश

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल का गठन (2004), छ.ग. गृह निर्माण मंडल अधिनियम, 1972 के अंतर्गत लोगो को और मुख्य रूप से समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगो को रियायती दरो पर मकान उपलब्ध कराने के लिए किया गया था। छ.ग.गृह निर्माण मंडल का निष्पादन लेखापरीक्षा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को रियायती दर पर मकान प्रदाय करने के मंडल के उद्देश्यों की प्राप्ति का परीक्षण करने के लिए किया गया था। लेखापरीक्षा के मुख्य निष्कर्ष निम्नानुसार हैः

- निर्माण गतिविधियों को सुनियोजित तरीके से करने के लिए मंडल द्वारा कोई भी परिप्रेक्ष्य योजना और वार्षिक कार्य योजना तैयार नहीं किया गया।

 योजनाओं के प्रभावी निष्पादन हेतु वास्तविक माँग के आधार पर परिप्रेक्ष्य योजना और वार्षिक कार्य योजना बनाई जानी चाहिए।

 (कंडिका 2.1.8)

- भाड़ा खरीदी योजना के अंतर्गत आवंटियों से राशि ₹ 41.69 करोड़ की वसूली नहीं किया जाना।

 (कंडिका 2.1.9.4)

- अटल आवास योजना अंतर्गत निर्मित मकानो को निर्धन परिवारो को हस्तान्तरित नहीं किए जाने से राशि ₹ 3.36 करोड़ का अवरूद्ध रहना।

 (कंडिका 2.1.10.1)

- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों हेतु अधिग्रहित भूमि पर ₹ 181.86 करोड़ के बंगले एवं व्यावसिक परिसर का अनियमित निर्माण।

 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों हेतु अधिग्रहित भूमि एवं निर्मित मकानों का उपयोग उनके हित के लिए ही किया जाना चाहिए।

 (कंडिका 2.1.10.4)

- बिना निविदा आमंत्रित किए अनियमित रूप से राशि ₹ 59.79 करोड़ का कार्य ठेकेदारों को सौपा जाना।

(कंडिका 2.1.11.3)

- मोबेलाइजेशन अग्रिम राशि ₹ 22.30 करोड़ की अनियमित स्वीकृति और ब्याज राशि ₹ 3.78 करोड़ की वसूली नहीं किया जाना।

(कंडिका 2.1.11.6)

- ठेकेदारों को राशि ₹ 12.44 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान किया गया।

(कंडिका 2.1.11.8 से 2.1.11.10)

2.1.1 प्रस्तावना

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल (मंडल) का गठन छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल अधिनियम 1972 के अंतर्गत किया गया था। छ.ग. राज्य के नवम्बर 2000 में गठन के पश्चात भूतपूर्व गृह निर्माण मंडल को शासन द्वारा समाप्त करने के उपरांत वर्ष 2004 में मंडल की स्थापना की गई। मंडल, छ.ग. राज्य शासन की आवास नीतियों के क्रियान्वयन हेतु मुख्य इकाई है। मंडल का ध्यान समाज के लिए आवास निर्माण के अंतर्गत विभिन्न सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन पर केन्द्रित होता है। छ.ग. गृह निर्माण मंडल के वर्ष 2007-08 से 2011-12 के लेखापरीक्षा का कार्य राज्य शासन द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को सी ए जी (डी पी सी) अधिनियम, 1972 की धारा 19(3) के अधीन सौपा गया था।

मंडल को वर्ष 2011-12 में आवास एवं शहरी विकास निगम (हुडको) द्वारा सामाजिक आवास, शहरी गरीबी और अधोसंरचना वर्ग के अंतर्गत लिविंग पर्यावरण को सुधारने के क्षेत्र में उचित कार्यप्रणाली अपनाने के लिए पुरस्कार प्रदान (अप्रैल 2012) किया गया। किफायती आवासीय परियोजनाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए मंडल को ई पी सी वर्ल्ड[1] पुरस्कार-2012 प्रदान किया गया।

2.1.2 छ.ग. गृह निर्माण मंडल के उद्देश्य

छ.ग.गृह निर्माण मंडल के विशिष्ट उद्देश्य में सम्मिलित थाः-

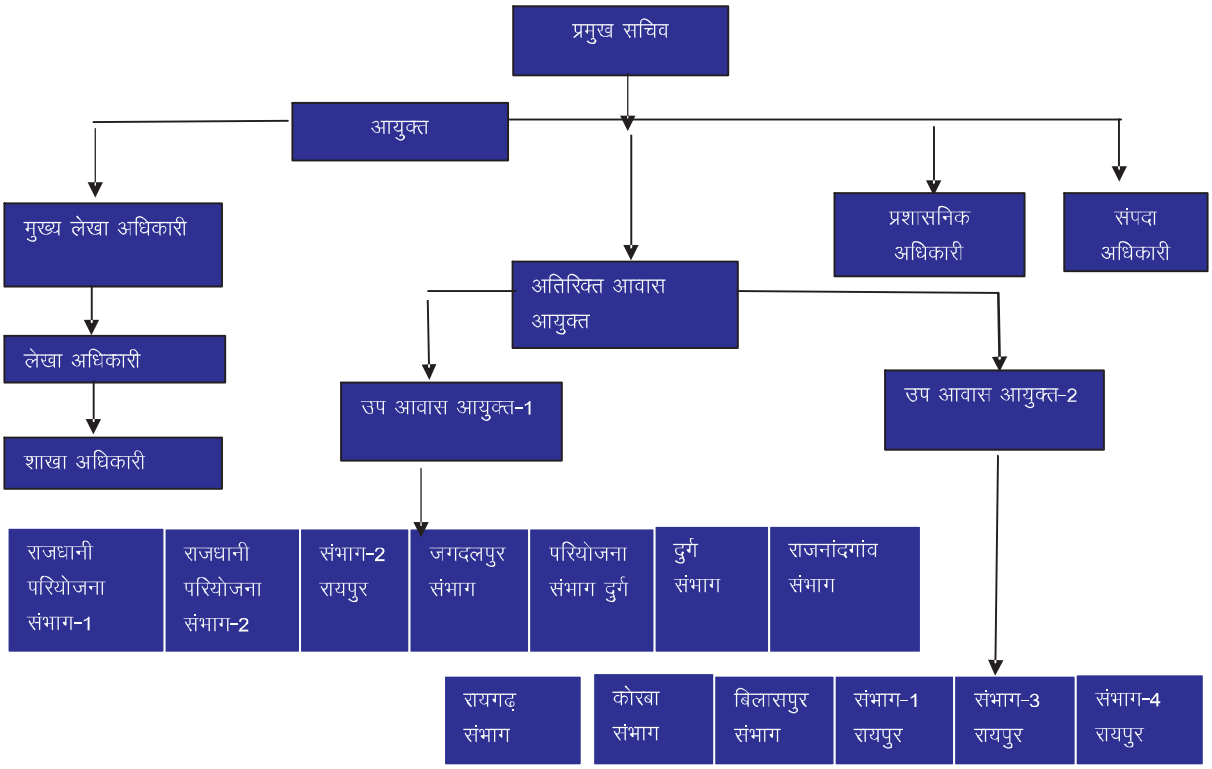
- सभी गृहविहीन ग्रामीण परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर रियायती दरों पर आवास उपलब्ध कराना;
- छ.ग. के सभी नागरिको और मुख्य रूप से ग्रामीण निर्धनों को उचित दरो पर आवासीय इकाई प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना; और

[1] ई पी सी वर्ल्ड, अधोसंरचना एवं निर्माण पर एक मासिक पत्रिका है

- आवासीय क्षेत्र में लोक, निजी, सहनिजी, स्वंय सहायता समूहो और स्थानीय सरकारी संस्थाओ में मजबूत साझेदारी को बढ़ावा देकर आवास में निवेश में वृद्धि को सुनिश्चित करना और संसाधनो में गति प्रदान करना।

2.1.3 संगठनात्मक संरचना

शासन स्तर पर प्रमुख सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग का मुखिया होता है। आयुक्त, मंडल का प्रशासकीय प्रमुख होता है और वह विभाग की आवासीय योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है। एक अतिरिक्त आयुक्त और दो उप आयुक्त उनकी सहायता करते है। निर्माण कार्यो के निष्पादन के लिए राज्य में 13 संभागीय कार्यालय है, जिसे निम्नानुसार संगठनात्मक ढाँचे में दर्शाया गया है।



2.1.4 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह मूल्यांकन करना था कि:

- मंडल के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु योजना बनाई गई थी;
- वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण प्रभावी था;
- निर्धनो के लिए आबंटित भूमि एवं निर्मित मकानों का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया;
- परियोजनाओ के प्रभावी और मितव्ययी क्रियान्वयन और निर्धारित समय अवधि में पूर्ण करने को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी तंत्र था और,
- निर्माण कार्यो की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अनुश्रवण प्रणाली थी।

2.1.5 लेखापरीक्षा के मानदण्ड

निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए मानदण्ड के निम्नलिखित स्रोत अपनाऐं गए:

- राज्य शासन की आवास नीति, 2002;
- छ.ग. गृह निर्माण मंडल अधिनियम, 1972;
- निर्माण विभाग नियम पुस्तिका, 1983;
- शासन/मंडल द्वारा समय समय पर जारी किए गए दिशा निर्देश और प्रशासकीय आदेश; और
- विभिन्न शासकीय योजनाओं के क्रियान्यवयन के लिए जारी किए गए दिशानिर्देश।

2.1.6 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

हमारे द्वारा मंडल का वर्ष 2007-08 से 2011-12 की अवधि का निष्पादन लेखापरीक्षा अप्रैल से अगस्त 2012 तक किया गया। हमने राज्य के 13 संभागीय कार्यालयों में से तीन जिलों (रायपुर, दुर्ग, जगदलपुर) के सात[2] संभागो के अभिलेखों की नमूना जाँच की। आयुक्त कार्यालय को भी लेखापरीक्षा में सम्मिलित किया गया।

2.1.6.1 लेखापरीक्षा के सम्मुख आई बाधाएँ

योजनावार और वर्षवार निर्मित/निर्माणाधीन आवासीय इकाई और उनके लाभार्थियों को आबंटन से संबंधित लक्ष्य और पूर्ति के आँकड़े हमें को उपलब्ध नहीं कराए गए। मंडल द्वारा वर्ष 2007-2012 के मध्य आय व्यय पत्रक और तुलनात्मक पत्र नहीं बनाए जाने के कारण मंडल की आर्थिक स्थिति का ऑकलन नहीं किया जा सका। इसके अलावा, मंडल द्वारा हमे संभागों के निष्पादन लेखापरीक्षा अवधि के दौरान किए गए आंतरिक लेखापरीक्षा की जानकारी भी उपलब्ध नहीं कराई गई।

2.1.7 लेखापरीक्षा पद्धति

लेखापरीक्षा के दौरान अपनाई गई कार्य प्रणाली में लेखापरीक्षा अवधि में निष्पादित कार्यो की प्रगति प्रतिवेदनों के परीक्षण को सम्मिलित किया गया। लेखापरीक्षा के दौरान हमने संभागो में कार्यरत कर्मचारियों के साथ संयुक्त भौतिक सत्यापन एवं कार्य स्थलों की फोटो से साक्ष्य एकत्रित किए।

प्रमुख सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग के साथ आगम बैठक (जून 2012) आयोजित की गई जिसमें निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्य, मानदण्ड, कार्यक्षेत्र और पद्धति के संबंध में चर्चा की गई। हमने प्रमुख सचिव से निर्गम बैठक के लिए निवेदन[3] किया था, परन्तु

2 (1)राजधानी परियोजना संभाग-1, रायपुर (2) संभाग-1, रायपुर (3) संभाग-2, रायपुर (4) संभाग-3, रायपुर (5) परियोजना संभाग, दुर्ग (6) संभाग, दुर्ग (7) संभाग, जगदलपुर

3 पत्र क्र. डी.ओ/ई.सी.पी.ए/हाऊसिंग/डी-256 दिनांक 30.01.2013 और क्र./सी.जी.एच.बी. रिव्यु/डी-281 दिनांक 13.03.2013

मार्च 2013 तक बैठक आयोजित नहीं की जा सकी। इस प्रतिवेदन को मंडल द्वारा प्राप्त उत्तरों के आधार पर अंतिम रूप दिया गया है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.1.8 योजना

बेहतर गुणवत्ताओ वाली सेवाओं को प्रदाय करने के लिए योजना में मितव्ययताओ, कुशलता और प्रभावकारीता और जवाबदेही के आधार पर प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाता है। योजना, विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण योगदान करता है। यद्यपि, निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान हमने पाया कि मंडल द्वारा 2007-08 से 2011-12 की अवधि में कोई भी परिप्रेक्ष्य योजना और वार्षिक कार्य योजना तैयार नहीं की गयी। इस अवधि में मंडल द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निर्माण कार्यों पर ₹ 1892.66 करोड़ व्यय किया गया। यद्यपि, किसी भी योजना के अंतर्गत आवासीय इकाईयों के निर्माण के लिए वर्षवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए। यह दर्शाता है कि मंडल द्वारा विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन समुचित योजना के बिना किया गया।

यह इंगित किए जाने पर (सितम्बर 2012) आयुक्त, छ.ग. गृह निर्माण मंडल ने बताया (नवम्बर 2012) कि मंडल द्वारा योजनाओं का क्रियान्वयन स्वीकृत बजट के आधार पर वर्षवार किया जाता है।

2.1.9 वित्तीय प्रबंधन

मंडल के वित्त का मुख्य स्रोत, लोगों को सामान्य योजना (स्व वित्तीय) के अंतर्गत मकानों एवं दुकानों के विक्रय से प्राप्त राशि है। राज्य शासन भी राज्य प्रवर्तित योजना में सब्सिडी के रूप में माध्यम से निधि प्रदाय करती है।

2.1.9.1 बजट प्राक्कलन तैयार किया जाना

मंडल ने वर्ष 2007-08 से 2011-12 की अवधि में विभिन्न परियोजनाओं पर ₹ 1892.66 करोड़ का व्यय किया। वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान मंडल का बजट प्रावधान और व्यय इस प्रकार है:

तालिका 1: मंडल का वर्षवार बजट प्रावधान और व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट प्रावधान		व्यय		बचत	
	आयोजना	आयोजनेत्तर	आयोजना	आयोजनेत्तर	आयोजना (प्रतिशत)	आयोजनेत्तर (प्रतिशत)
2007-08	251.26	9.33	159.92	8.22	91.34 (36)	1.11 (12)
2008-09	332.37	12.91	263.97	11.15	68.4 (21)	1.76 (14)
2009-10	392.28	18.32	441.77	15.98	-49.49 (13)	2.34 (13)
2010-11	846.76	50.48	500.47	19.62	346.29 (41)	30.86 (61)
2011-12	812.83	50.77	526.52	22.02	286.31 (35)	28.75 (57)
योग	**2635.51**	**141.81**	**1892.66**	**76.99**	**742.85 (28)**	**64.82 (46)**

(स्रोतः- मंडल द्वारा प्रदायित जानकारी एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

तालिका से देखा जा सकता है कि आयोजना शीर्ष के अंतर्गत वर्ष 2007-12 के मध्य बचत 21 से 41 प्रतिशत था, वर्ष 2009-10 को छोडकर जिसमें व्यय, बजट प्रावधान से 13 प्रतिशत अधिक था। इस प्रकार इस अवधि में ₹ 742.85 करोड़ की कुल निधि का उपयोग नहीं किया जा सका। बचत का मुख्य कारण स्वीकृत परियोजनाओं का अपूर्ण रहना और वर्ष 2010-11 में आवास परियोजनाओं के लिए भूमि का अधिग्रहण नहीं हो पाना था। वर्ष 2011-12 में अटल विहार योजना के लिए ₹ 100 करोड़ का प्रावधान किया गया था। यद्यपि, योजना अंतर्गत मकानों का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया और निधि अनुपयोगी पड़ी रही। सतत एवं अत्याधिक बचत यह इंगित करता है कि मंडल योजनाओं का क्रियान्यवयन निर्धारित समय अवधि में नहीं कर सका।

आगे, वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान आयोजनेत्तर शीर्ष के अंतर्गत औसत बचत 46 प्रतिशत था और 2010-11 में यह 61 प्रतिशत के उच्च स्तर पर थी।

यह इंगित किए जाने पर (सितम्बर 2012) में आयुक्त, छ.ग. गृह निर्माण मंडल ने बताया (नवम्बर 2012) कि नई परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण नहीं हो पाने के कारण एवं कर्मचारियों के सेवानिवृत्त हो जाने के कारण निधि की बचत हुई।

उत्तर मंडल द्वारा निधियों के उपयोग पर अपर्याप्त अनुश्रवण और परियोजनाओं के निर्धारित समय में पूर्ण करने की विफलता को इंगित करता है।

2.1.9.2 लेखे एवं तुलनात्मक पत्रक तैयार नहीं किया जाना

छ.ग. गृह निर्माण मंडल अधिनियम, 1972 की धारा 74 में लेखा पुस्तकों का संधारण और चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा वार्षिक रूप से उनकी लेखापरीक्षा कराए जाने का प्रावधान है, जिसे राज्य शासन को प्रस्तुत किया जाना था।

यद्यपि, हमने पाया कि मंडल द्वारा 2007-08 से 2011-12 में आय और व्यय लेखे एवं तुलनात्मक पत्र नहीं बनाए गए, जिसके अभाव में मंडल की आर्थिक स्थिति का आंकलन नहीं किया जा सका। इसका कोई भी कारण मंडल द्वारा नहीं बताया गया (नवंबर 2012)। जबकि, मंडल के 2007-08 से 2011-12 तक के अवधि का लेखापरीक्षा का कार्य भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को जुलाई 2012 में आवास एवं पर्यावरण विभाग, छ ग शासन द्वारा सौंपा गया था।

2.1.9.3 म. प्र. गृह निर्माण मंडल से शेष राशि ₹ 27.56 करोड़ की वसूली नहीं किया जाना

भारत सरकार, गृहमंत्रालय, नई दिल्ली ने म.प्र. गृह निर्माण मंडल और छ.ग. गृह निर्माण मंडल में परिसंपत्तियों, देनदारियों एवं कर्मचारियों के बॅटवारे के लिए स्टेट एसेट एण्ड लायेबिल्टी कमेटी (एस.ए.एल.बी.सी.) का गठन किया। एस.ए.एल.बी.सी. की अनुशंसा (जनवरी 2007) थी कि म.प्र.गृह निर्माण मंडल ₹ 16.95 करोड़ भूमि किश्त, पट्टा किराया, और ब्याज की राशि, छ.ग. गृह निर्माण मंडल को तीन किश्तों[4] में भुगतान

[4] प्रथम किश्त ₹ 5.50 करोड़ की अक्टूबर 2006 में, दूसरी किश्त ₹ 5.50 करोड़ की दिसंबर 2006 में और तीसरी किश्त ₹ 5.95 करोड़ की मार्च 2007 तक।

करेगा। डिफाल्ट की स्थिति में म.प्र. गृह निर्माण मंडल को एक प्रतिशत प्रतिमाह की दर से बकाया राशि पर ब्याज देय होगा।

आयुक्त कार्यालय, छ.ग. गृह निर्माण मंडल, रायपुर के अभिलेखों की लेखापरीक्षा (मई 2012) के दौरान हमने पाया कि छ.ग. गृह निर्माण मंडल ने ₹ 16.95 करोड़ म.प्र. गृह निर्माण मंडल से मार्च 2012 तक वसूल नहीं किए थे। आगे, भारत सरकार के आदेश के तहत विलंब की अवधि के लिए एक प्रतिशत की दर से ब्याज की वसूली पाँच वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी नहीं की गयी। कुल ब्याज सहित ₹ 27.56 करोड़ की शेष राशि जिसकी वसूली म.प्र.गृह निर्माण मंडल से की जानी है (31 मार्च 2012) की गणना नीचे दी गयी है:

तालिका 2: म.प्र. गृह निर्माण मंडल से वसूली योग्य शेष राशि का विवरण

(₹ करोड़ में)

स. क्रं.	मूलधन	अवधि	ब्याज राशि	कुल राशि
1	5.50	1-11-2006 से 31-03-2012 (65 माह)	3.57	9.07
2	5.50	1-01-2007 से 31-03-2012 (63 माह)	3.47	8.97
3	5.95	1-04-2007 से 31-03-2012 (60 माह)	3.57	9.52
योग	**16.95**		**10.61**	**27.56**

(स्रोतः- मंडल द्वारा प्रदायित जानकारी एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

यह इंगित किए जाने पर (सितम्बर 2012) आयुक्त, छ.ग. गृह निर्माण मंडल ने बताया (नवम्बर 2012) कि नियमित रूप से पत्राचार किए जाने के बाद भी म.प्र.गृ.नि. मंडल द्वारा राशि प्रदाय नही की गयी।

2.1.9.4 अनाधिकृत कब्जाधारियों से ₹ 41.69 करोड़ की बकाया राशि वसूल नहीं किया जाना

भाड़ा खरीदी योजना अंतर्गत आवंटियों से शेष बकाया राशि की वसूली नहीं किया जाना।

छ.ग. गृह निर्माण मंडल ने भूखंडो, मकानों और दुकानों का आबंटन कई हितग्राहियों को भाड़ा खरीदी योजना के तहत 1981 से 2007 के मध्य में किया, जिसकी पुर्नभुगतान की अवधि 10 से 15 वर्ष थी। अनुबंध की शर्तों के तहत आबंटियों को शेष राशि का भुगतान ब्याज सहित हर छह माह/या वर्ष में करना था। यदि आबंटी किश्तो का भुगतान नियमित रूप से करने में असफल रहता है तो शास्ती सहित शेष बकाया राशि कि वसूली भू-राजस्व बकाया के रूप में की जानी चाहिए।

दुर्ग और रायपुर संभाग-1 संपदा अधिकारियों के भाड़ा खरीदी योजना से संबंधित अभिलखों की लेखापरीक्षा में हमने पाया कि अनेक हितग्राहियो ने किश्तों का भुगतान नियमित रूप से नहीं किया। विवरण निम्नानुसार है:

तालिका 3: डिफाल्टर आबंटियों से वसूली हेतु शेष बकाया राशि का विवरण

(₹ करोड़ में)

स.क्रं.	संपत्ति का प्रकार	दोषी आवंटियों की संख्या	कुल बकाया राशि
1	एच.आई.जी./सी.एच.आई.जी	26	2.44
2	एम.आई.जी./यू.एम.आई.जी.	218	26.36
3	एल.आई.जी.	390	6.11
4	ई.डब्ल्यू.एस.	354	5.98
5	भू खण्ड/दुकान	43	0.80
	योग	**1031**	**41.69**

(स्रोतः- मंडल द्वारा प्रदायित जानकारी एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

इस प्रकार वर्ष 1983 से 2012 तक कुल राशि ₹ 41.69 करोड़ वसूली हेतु दोषी आबंटियों पर बकाया थी। मंडल द्वारा इस राशि को भू राजस्व बकाया में दी गयी प्रणाली का उपयोग कर वसूली करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी। यह बकाया देय राशि की वसूली पर मंडल के अपर्याप्त अनुश्रवण को दर्शाता है।

आयुक्त ने (नवम्बर 2012) तथ्य को स्वीकार करते हुए कहा कि आबंटियों को ब्याज सहित बकाया राशि जमा करने के लिए सूचना जारी की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त भू राजस्व संहिता में बकाया राशि की वसूली हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योकि भाड़ा खरीदी अनुबंध के धारा 13 में स्पष्ट प्रावधान है कि शास्ती सहित बकाया राशि की वसूली देय भू राजस्व के रूप में की जाएगी।

2.1.10 योजनाओं और आवासीय नीति का क्रियान्वयन

राज्य शासन ने समाज के निर्धन लोगों को आवास प्रदाय करने के लिए अटल आवास योजना वर्ष 2006-07 में प्रारंभ की। यह योजना उप-निम्न आय वर्ग के लिए है अर्थात उन व्यक्तियों के लिए जिनकी वार्षिक आय ₹ 60,000 से अधिक ना हो। प्रत्येक स्वतंत्र मकान 560 वर्ग फीट भूमि पर बना था जिसकी लागत ₹ 1.10 लाख थी। इसके लिए आवेदनकर्ता को ₹ 10,000 का शुरूआत में भुगतान करना था, ₹ 50,000 का वहन छ.ग. शासन को सब्सिडी के रूप में किया जाना था और शेष राशि ₹ 50,000 भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा गृह ऋण के रूप में स्वीकृत किया जाना था। भूमि को शासन द्वारा ₹ 1 प्रति वर्गफीट की दर से प्रदाय किया जाना था। आवास नीति, 2002 के अनुसार राज्य शासन ने समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सभी आवासीय योजनाओं में 15 प्रतिशत और उन योजनाओं, में जहाँ सरकार द्वारा रियायती दरों पर भूमि प्रदाय की गयी हो, वहाँ 25 प्रतिशत भूमि आरक्षित करना अनिवार्य किया है। विभिन्न योजनाओं और आवास नीति के क्रियान्वयन में निम्न कमियाँ पाई गईः

2.1.10.1 अटल आवास मकानों को हितग्राहियो को हस्तांतरित नहीं करने के कारण राशि ₹ 3.36 करोड़ का निष्फल व्यय

अटल आवास के अंतर्गत मूनगी और धनसूली (रायपुर) में 800 मकानों का निर्माण कार्य एक ठेकेदार को (मार्च 2008) दिया गया जिसे मई 2009 में पूर्ण किया गया। कार्यपालन अभियंता संभाग-3, रायपुर के अभिलेखो की जाँच में पाया गया कि केवल 407 मकान

हितग्राहियों (जुलाई 2012) को दिए गए थे और शेष 393 मकान हितग्राहियों को आबंटित नहीं किए जा सके क्योंकि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा हितग्राहियों को आवासीय ऋण स्वीकृत नहीं किया गया जिसके कारणों का अभिलेखों में वर्णन नहीं था। हमने पाया कि मंडल ने इस प्रकरण पर भारतीय स्टेंट बैंक से पत्राचार किया (अगस्त 2009 और सितम्बर 2010) परंतु उसके बाद मंडल द्वारा कार्यवाही नहीं की गयी थी। इस प्रकार मकानो के निर्माण कार्य पूर्ण होने पर भी सौपे नहीं जाने से न सिर्फ राशि ₹3.36 करोड़ (393 x ₹ 85630) अवरूद्ध रही बल्कि हितग्राहियों को योजना का लाभ से भी वंचित रहना पड़ा। आगे, इन मकानों का उपयोग न होने के कारण इनमे क्षय होने की सम्भावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता ।

मूनगी रायपुर में विगत तीन वर्षो से रिक्त पडे पूर्ण ई डब्लू एस ईकाइयों को दर्शाता फोटोग्राफ





यह इंगित किए जाने पर (सितम्बर 2012) आयुक्त छ.ग. गृह निर्माण मंडल ने स्वीकार करते हुए (नवंबर 2012) कहा कि मकानों को हितग्राहियों को मकान आबंटित किया जा चुका है और बैंक से ऋण स्वीकृत कराने की जिम्मेदारी आबंटियों की है। यह भी बताया गया कि मकानों को सौंपे नहीं जाने से मंडल को कोई नगदी की समस्या नही हुई।

तथ्य यथावत है कि ₹ 3.36 करोड़ की निधि अवरूद्ध रही और साथ ही योजना के उद्देश्य की पूर्त्ति नहीं हुई।

2.1.10.2 अटल आवास मकानों को रियायती दर पर शासन को अनियमित विक्रय

मंडल ने (जून 2007) बीजापुर और नारायणपुर के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को इस योजना के अन्तर्गत ₹ 50,000 की अतिरिक्त सहायता राशि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया।

अटल आवास मकानों को सब्सिडी देकर सरकारी कर्मचारियों को आबंटित किया जाना

कार्यपालन अभियंता, जगदलपुर के अभिलेखों की जाँच में हमने पाया कि 200 इकाई अटल आवास मकानों का निर्माण निर्धन परिवारों के लिए किया गया था। हमने आगे पाया कि कलेक्टर, बीजापुर के निवेदन (नवम्बर 2009) पर 65 मकान कलेक्टर को मंडल द्वारा आबंटित (सितम्बर 2010) किया गया था और इन मकानों को विभिन्न सरकारी कर्मचारियों को आबंटित किया गया था।

चूँकि, भूमि को अटल आवास योजना के लिए आबंटित किया गया था, अतः योजना अंतर्गत मकान और सब्सिडी केवल निर्धन परिवारों को दिया जाना चाहिए था। इस प्रकार सरकारी अधिकारियों को आवास हेतु मकान आबंटन करना योजना के दिशानिर्देशों

का उल्लंघन था। इसके आगे यह भी देखा गया कि मंडल द्वारा (सितम्बर 2010) में इन 65 मकानों के लिए कलेक्टर से ₹ 90.58[5] लाख की जगह ₹ 58.08 लाख की माँग की गई। इस प्रकार इन मकानों के लिए ₹ 32.50 लाख (₹ 50000 x 65) की अनियमित सब्सिडी मंडल द्वारा प्रदाय की गयी। इसके अलावा कलेक्टर द्वारा इस राशि को नवम्बर 2012 तक जमा नहीं कराया गया था। आगे हमने यह देखा कि मंडल ने सब्सिडी राशि ₹ 32.50 लाख की माँग नहीं की थी।

यह इंगित किए जाने (सितम्बर 2012) पर आयुक्त ने उत्तर दिया (नवंबर 2012) कि मकानों के लिए समाज के कमजोर वर्ग के परिवारों से माँग नहीं थी। इसीलिए मंडल द्वारा अटल आवास मकानों का आबंटन सरकारी कर्मचारियों को किया गया।

तथ्य यथावत कि योजना केवल निर्धन परिवारों को सस्ते मकान उपलब्ध कराने के लिए थी और मकानों को सब्सिडी दर पर सरकारी अधिकारियों को आबंटित कराया जाना अनियमित था । इससे यह भी दर्शित होता है कि ई.डब्लू.एस के लिए मकान माँग का सही आँकलन किए बिना निर्मित किए गए।

2.1.10.3 आवास योजनाओं में ई.डब्लू.एस. के लिए मानदंडो का पालन नहीं किया जाना

छ.ग. शासन ने राज्य की आवास नीति के अंतर्गत समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सस्ते मकान उपलब्ध कराने के लिए सभी आवास योजनाओं में 15 प्रतिशत और उन आवास योजनाओं जिन्हें सरकार द्वारा विकसित किया जाता है या जहाँ रियायती दर पर सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध करायी जाती है 25 प्रतिशत भूमि ई.डब्लू.एस के लिए आरक्षित करना अनिवार्य किया है। इस तरह कुल भूखण्ड क्षेत्रफल का निर्धारित भूखण्ड ई.डब्लू.एस के लिए आरक्षित करना चाहिए और इस क्षेत्रफल पर बने मकानों को हितग्राहियों का आंवाटित किया जाना चाहिए।

ई डब्लु एस परिवारों के लिए आवास परियोजनाओं में भूखण्ड का निर्धारित प्रतिशत आरक्षित नहीं किया जाना

सेक्टर 29 नया रायपुर के अभिलेखों और अनुमोदित नक्शे की जाँच में पाया गया कि कुल भूखण्ड क्षेत्रफल 289866.17 वर्ग मी. में से सिर्फ 16479.33 वर्ग.मी. (5.70 प्रतिशत) भूमि ई.डब्लू.एस को आबंटित की गयी थी जो कि 15 प्रतिशत के नियमविरूद्ध है। इसी तरह सेक्टर 27 नया रायपुर परियोजना में हमने देखा कि सरकार ने 62 हेक्टेयर भूमि ₹ 32.32 लाख प्रति हेक्टेयर की रियायती दर से प्रदाय की जिसका कुल मूल्य ₹ 20.03 करोड़ था । नियमानुसार मंडल को भूखण्ड, क्षेत्रफल का 25 प्रतिशत आरक्षित करना था परन्तु मंडल द्वारा सिर्फ 5.59 प्रतिशत क्षेत्रफल ई.डब्लू.एस को आबंटित किया गया। विवरण निम्नानुसार है:

[5] मांग की जाने योग्य राशि= ₹ 58.08 लाख+(65मकानx₹ 50000) =₹ 90.58 लाख

तालिका 4: आवास योजनाओं में ई.डब्लू.एस. हेतु आबंटित भूमि का स्थिति

(क्षेत्रफल वर्ग मी.में)

परियोजना का नाम	कुल भूखण्ड क्षेत्रफल	वास्तविक आरक्षित क्षेत्रफल	ई.डब्लू.एस.के लिए आरक्षित क्षेत्रफल	ई.डब्लू.एस के लिए कम आरक्षित क्षेत्रफल
सेक्टर 27	294448.36	16459.52 (5.59प्रतिशत)	73612.09 (25प्रतिशत)	57152.57
सेक्टर 29	289866.17	16479.33 (5.70प्रतिशत)	43479.92 (15प्रतिशत)	27000.59
योग	**584314.53**	**32938.85**	**117092.01**	**84153.16**

(स्रोतः- मंडल द्वारा प्रदायित जानकारी और लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

तालिका से यह देखा जा सकता है कि ई.डब्लू.एस के लिए इन दो सेक्टरों में 1,17,092.01 वर्ग.मी. क्षेत्रफल आरक्षित किया जाना था जिसके विरूद्ध मात्र 32,938.85 वर्ग.मी.(35.80 प्रतिशत) क्षेत्रफल ही वास्तव में आबंटित किया गया।

यह इंगित किए जाने पर (सितम्बर 2012) आयुक्त, छ.ग. गृह निर्माण मंडल ने बताया (नवम्बर 2012) कि आवास नीति के अनुसार 15 प्रतिशत भूमि ई.डब्लू.एस के लिए चिह्नित की जानी थी। यद्यपि निर्मित स्वरूप की स्थिति में भूखण्ड के 25 प्रतिशत क्षेत्रफल पर निर्माण की आवश्यकता होती है। निर्माण कार्य स्वीकृत नक्शे के आधार पर ही कराया गया था। इसके आगे सरकार द्वारा जमीन रियायती दरों पर उपलब्ध नहीं करायी थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि सेक्टर 27 की भूमि रियायती दरों पर उपलब्ध करायी गयी थी। इसके आगे, आवास नीति में प्रावधान है कि भूमि का निर्धारित प्रतिशत आरक्षित होना चाहिए। यद्यपि, पर्याप्त भूमि को ई.डब्लू.एस परिवारों को आबंटित नहीं करने से आवास नीति की अवहेलना हुई, जिससे निर्धनों को रियायती आवास योजनाओं से वंचित रहना पड़ा।

2.1.10.4 समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अर्जित भूमि पर बंगले और वाणिज्यिक परिसर का निर्माण

भू अधिग्रहण अधिनियम, 1894 में प्रावधान है कि भूमि जिस उपयोग के लिए अधिग्रहित की जाए उसका उपयोग दूसरे उद्देश्य के लिए ना किया जाए। आगे जिस उद्देश्य के लिए भूमि अधिग्रहित की गयी हो, भूमि अधिग्रहण अधिसूचना जारी होने के बाद भू उपयोग को परिवर्तित नहीं किया जा सकता।

(1) बंगलों और वाणिज्यिक परिसर का अनियमित निर्माण राशि ₹ 181.86 करोड़

ई.डब्लु.एस परिवारों के लिए अधिग्रहित भूमि पर वाणिज्यिक परिसर और बंगलों का निर्माण

छ.ग. गृह निर्माण मंडल, रायपुर द्वारा गृहविहीन और ई.डब्लू.एस परिवारों के लिए मकानों के निर्माण के लिए बोरियाकला में 44.809 हे. भूमि कलेक्टर, रायपुर से माँग (अक्टूबर 2004) की गयी। 2006 में भूमि अधिग्रहण अधिकारी को राशि ₹ 9.02 करोड़ का भुगतान भू मालिकों को मुआबजा देने के लिए किया गया। आवश्यक भूमि 44.809 हे. के विरूद्ध मात्र 39.527 हे. भूमि का अधिग्रहण किया गया।

अभिलेखों की जाँच में हमने पाया कि मंडल ने आबंटन आदेश में दिए गए दिशा-निर्देशों की अवहेलना करते हुए पूर्ण आबंटित भूमि के स्थान पर मात्र 5.929 हे. (15 प्रतिशत)

भूमि पर ई.डब्लू.एस के लिए मकान निर्मित किए और शेष 33.598 हे. भूमि पर उच्च और मध्य आय वर्ग के लिए मकान निर्मित किए। इसके अतिरिक्त इस भूमि के भाग पर ₹ 113.24 करोड़ व्यय कर 682 उच्च श्रेणी मकानों का अनियमित रूप से निर्माण किया गया।

इसी तरह डूमरतराई में कलेक्टर रायपुर ने 25.785 हे. भूमि मंडल को (अगस्त 2006) ई.डब्लू.एस के लिए मकान बनाने के लिए दी। इस भूमि में से 2.2 हे. भूमि का उपयोग कब्रिस्तान के रूप में हो रहा था। इस प्रकार 23.585 हे. भूमि ही ई.डब्लू.एस के लिए मकान बनाने के लिए उपलब्ध थी।

हमने आगे देखा कि आवास और पर्यावरण विभाग ने भूमि उपयोग का उद्देश्य आवासीय से बदल कर (मार्च 2008) वाणिज्यिक कर दिया और कलेक्टर से (मई 2008) भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को निरस्त कर, भूमि रायपुर विकास प्राधिकरण को आबंटित करने का निवेदन किया। हालॉकि कलेक्टर द्वारा (जुलाई 2008) इस बात की सूचना दी गयी कि यह रद्द करना संभव नही है क्योंकि भूमि का अधिग्रहण ई.डब्लू.एस. मकानों के लिए किया गया था।

हमने पाया कि मंडल ने ई.डब्लू.एस के लिए पूर्ण आबंटित भूखण्ड पर मकानों के निर्माण के स्थान पर सिर्फ 0.31 हे. (1.31 प्रतिशत) पर ई.डब्लू.एस के लिए मकानों का निर्माण कराया और शेष 23.275 हे. भूमि पर आबंटन आदेश में दिए गए दिशा निर्देशों की अवहेलना कर वाणिज्यिक परिसर और दूसरे वर्गों के लिए मकान का निर्माण कराया गया। इस प्रकार ई.डब्लू.एस के लिए आबंटित भूमि पर ₹ 68.62 करोड़ व्यय कर दुकानों और दूसरे वर्गो के लिए मकानों का निर्माण अनियमित है।

आगे डूमरतराई और बोरियाकला में आबंटन आदेश की अवहेलना कर कुल आबंटित भूमि 63.112 हे. के विरूद्ध सिर्फ 6.239 हे. भूमि पर ई.डब्लू.एस के लिए मकान बनाने में इस्तेमाल किया। इस प्रकार चिन्हित हितग्राहियों को सस्ती आवासीय इकाई उपलब्ध कराने का लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। जैसे नीचे वर्णित हैः

तालिका 5: ई.डब्लू.एस. को आबंटित भूमि की स्थिति

(क्षेत्रफल हैक्टेयर में)

परियोजना का नाम	ई.डब्लु.एस के लिए आबंटित कुल भूखंड	वास्तविक आबंटित भूखंड	भूखंड जो ई.डब्लू.एस के लिए आरक्षित था	निर्मित ई.डब्लु.एस. इकाईयों की संख्या	ई.डब्लु.एस. के लिए आबंटित किया गया कम क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6=(4-3)
डुमरतराई	23.585	0.310	23.585	272	23.275
बोरियाकला	39.527	5.929	39.527	1840	33.598
योग	**63.112**	**6.239**	**63.112**	**2112**	**56.873**

(स्रोतः- मंडल द्वारा प्रदायित जानकारी और लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

यह इंगित किए जाने पर (सितम्बर 2012) आयुक्त छ.ग.गृह निर्माण मंडल ने बताया कि (नवम्बर 2012) बोरियाकला में भूमि का अधिग्रहण समाज के सभी वर्गों के लिए आवासीय कॉलोनी के लिए किया गया था और मकानों (1840 ई.डब्लू.एस और 800 एल.आई.जी) का निर्माण किया गया था। उन्होने आगे बताया कि सरकार ने डूमरतराई में भू उपयोग को आवासीय से बदलकर वाणिज्यिक कर दिया था और तदुपरांत

दुकानों/मकानों (438 दुकान, 272ई.डब्लू.एस, 144 एल.आई.जी. और 480 एम.आई.जी. फ्लैट) का निर्माण नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से अनुमति लेने के पश्चात कराया जा रहा है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भू अर्जन गृहविहीन और ई.डब्लू.एस परिवारों के लिए मकान बनाने के लिए किया गया था। आगे, भू अधिग्रहण अधिनियम 1894 में प्रावधान है कि भूमि को जिस उद्देश्य के लिए अधिग्रहित किया गया है उसका उपयोग दूसरे उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता। चूँकि भूमि ई.डब्लू.एस परिवारों के आवासीय प्रयोजन के लिए दी जा चुकी थी इसीलिए कलेक्टर ने भू उपयोग के उद्देश्य को बदलने से मना कर दिया। इस प्रकार उच्च और मध्य आय वर्ग के लिए मकानों और दुकानों का निर्माण आबंटन आदेश में दी गयी शर्तों के साथ साथ भू अधिग्रहण अधिनियम की अवहेलना है।

(ii) भू अधिग्रहण अधिकारी से शेष राशि ₹ 4.18 करोड़ की वसूली नहीं किया जाना

हमने आगे देखा कि बोरियाकला परियोजना में आवश्यक 44.809 हे. भूमि के विरूद्ध 39.398 हे. भूमि ही आबंटित की गयी जिस पर मंडल द्वारा कुल ₹ 5.28 करोड़ भू अधिग्रहण क्षतिपूर्ति के रूप में देय था। इसके विरूद्ध मंडल द्वारा ₹ 9.02[6] करोंड़ भू अधिग्रहण अधिकारी के पास जमा कराए गए। मंडल द्वारा शेष राशि ₹ 3.74 करोड़ भू अधिग्रहण अधिकारी से वापस लेने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

इसी तरह डूमरतराई परियोजना में मंडल द्वारा 25.785 हे. भूमि के लिए भू अधिग्रहण अधिकारी के पास ₹ 5.21[7] करोड़ भू अर्जन क्षतिपूर्ति के रूप में जमा कराए गए। चूँकि, मंडल द्वारा 2.20 हे. भूमि अधिग्रहित नहीं किया गया इसलिए ₹ 44.37 लाख की राशि भू अधिग्रहण अधिकारी से वापस ली जानी चाहिए। यद्यपि, मंडल द्वारा इस राशि को वसूल करने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया गया।

जब हमने यह इंगित किया, तब आयुक्त ने बताया (नवम्बर 2012) कि राजस्व विभाग ने यह सूचित (अप्रैल 2009) किया कि हीरापुर परियोजना के लिए अधिग्रहित भूमि के विरूद्ध ₹ 1.06 करोड़ का समायोजन कर लिया था और बोरियाकला परियोजना में कोई भी राशि भू राजस्व अधिकारी से वसूली योग्य नहीं है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि यह बताया गया कि ₹ 3.74 करोड़ की वसूली योग्य राशि के विरूद्ध ₹ 1.06 करोड़ का समायोजन हो चुका था। यद्यपि, लेखापरीक्षा को ₹ 1.06 करोड़ के समायोजन को सत्यापित करने के लिए कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। मंडल द्वारा ₹ 44.37 लाख की वसूली के संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया गया।

[6] (सितंबर 2005-₹ 43.47 लाख और अक्टूबर 2006-₹ 8.59 करोड़)

[7] (जुलाई 2005- ₹ 35.27 लाख और अप्रैल 2008- ₹ 4.86 करोड़)

2.1.11 कार्य का निष्पादन

मंडल द्वारा (2004) निर्माण विभाग मैन्यूअल का चयन कार्यो को निष्पादित करने के लिए अपनाया गया। इमारतो, रोड और विद्युत संबंधी कार्यों के लिए एक नया एस.ओ.आर मंडल द्वारा बनाया गया जिसका अनुपालन वर्ष 2006 से किया जा रहा है। मंडल ने पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल फ्लाई एश ब्रिक का निर्माण गतिविधियों में इस्तेमाल करने को सुनिश्चित कराया है। निर्माण कार्य के लिए निविदाए बुलाई जाती है और कार्यों को निष्पादन हेतु ठेकेदारों को दिया जाता है। कार्यों का निष्पादन मंडल के संभागीय कार्यालयों द्वारा किया जाता है। प्राक्कलन के निर्माण, कार्य देने और ठेकेदारों को भुगतान करने में जो कमियाँ पाई गयी वो इस प्रकार हैः

प्राक्कलन तैयार करना

निर्माण विभाग मैन्यूअल के खण्ड 2.027 के अनुसार प्राक्कलन में दिए गए दर सामान्यतः एस.ओ.आर. के अनुरूप होने चाहिए। जहाँ किसी कारण वश परवर्ती योग्य ना समझा जाये अथवा पूर्ण ना हो वहाँ विचलन का कारण विस्तार से प्राक्कलन में समझाना चाहिए और यदि प्राक्कलन में किसी मद के लिए कोई प्रासंगिक एस.ओ.आर ना हो तो अनुमोदित दर विश्लेषण के माध्यम से समर्थित किया जाना चाहिए।

2.1.11.1 ₹ 5.06 करोड़ के स्फीतिपूर्ण प्राक्कलन तैयार किया जाना

मंडल द्वारा वर्ष 1999 से एस. ओ. आर. का पुनरीक्षण नहीं किया गया था एवं संभाग द्वारा वर्ष 2006 तक प्राक्कलन पुरानी एस.ओ.आर 1999 के आधार पर तैयार किया गया था।

बिना विश्लेषण के अनुमानित टेण्डर प्रतिशत को एस ओ आर दर में जोड़कर स्फीतिपूर्ण प्राक्कलन तैयार किया गया

कार्यपालन अभियंता संभाग रायपुर-II के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि तीन अनुबंधों जिन्हें 2005-06 में संपादित किया गया था, एस.ओ.आर -1999 की दर से प्राक्कलित मूल्य को 60 प्रतिशत अनुमानित निविदा दर में बिना उचित कारण के जोड़कर ₹5.60 करोड़ से बढ़ा दिया गया। प्राक्कलन को निर्माण विभाग मैन्यूअल के प्रावधानों का पालन किए बिना विशेष उद्देश्य के लिए बढ़ाए जाने का कोई आधार नहीं है। प्राक्कलन में इस बढ़ोत्तरी ने ठेकेदारों को उच्च दर देने में सहायता प्रदान की जिससे ₹ 5.06 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ (**परिशिष्ट 2.1.1**)।

यह इंगित किये जाने पर (सितम्बर 2012) आयुक्त ने बताया (नवम्बर 2012) कि एस.ओ.आर में 60 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी वर्तमान बाजार मूल्यों को आधार मान कर की गई थी। इसके आगे, यदि उपरोक्त प्रतिशत नहीं जोड़ा गया होता तो कम अमानत राशि प्राप्त होती।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बिना किसी दर विश्लेषण या आधार के मूल्य वृद्धि को शामिल किया गया।

निविदाओं और कार्यों को प्रदान करना

निर्माण विभाग मैन्यूअल कि कंडिका 2.075 (ब) के अंतर्गत उन सभी कार्यों के लिए जिनका मूल्य ₹ 15000 या कम ना हो, निविदाओं को आमंत्रित करना आवश्यक है। इसके आगे कंडिका 2.086(4)(अ) में प्रावधान है कि उन सभी निविदाकर्ताओं जिन्होने विनिर्दिष्ट निविदा में दर घोषित की है उन्हें शर्तों को हटाने और दरों को कम करने के लिए वार्तालाप को उपयुक्त समझा जाये, सौदे के लिए बुलाना चाहिए। निर्माण विभाग मैन्यूअल के कंडिका 3 (ग) में प्रावधान है कि अगर ठेकेदार कार्य को अधूरा छोड़ता है और शेष कार्य को अन्य ठेकेदार द्वारा उच्च दरों पर कराया जाता है तो पूर्व ठेकेदार पर शास्ति लगाई जायेगी।

2.1.11.2 उच्च दरों को स्वीकृत करने से ₹ 34.48 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय

निविदा अधिक दर पर स्वीकृत करने से अधिक व्यय।

परियोजना संभाग दुर्ग के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि तालपुरी परियोजना के ब्लॉक ए और ब्लॉक बी में मकानों के निर्माण के लिए निविदाएं आमंत्रित की गयी (मार्च और अगस्त 2008)। ब्लाक ए का प्राक्कलित मूल्य ₹ 180 करोड़ था और कार्य मेसर्स मैकिन्टोश बर्न प्रा.लि., कोलकाता को ₹ 196.45 करोड़ (नौ प्रतिशत अधिक दर) पर दिया गया (अक्टूबर 2008)। इसी प्रकार ब्लॉक बी (ब्लॉक ए से संलग्न) की प्राक्कलित राशि ₹ 202.80 करोड़ थी। यह कार्य ₹ 255.59 करोड़ में (अनुमानित राशि से 26 प्रतिशत अधिक दर) उसी ठेकेदार को समान समय पर बिना किसी वार्तालाप के दिया गया (अक्टूबर 2008) जबकि कार्य का प्रकार समान था। इस कार्य का निष्पादन ₹ 221.05 करोड़ में किया जा सकता था। इस प्रकार निविदा को उच्च दर में स्वीकार करने से ₹ 34.48 करोड़[8] का अतिरिक्त व्यय हुआ जो कि परिहार्य था।

यह इंगित किए जाने पर (सितम्बर 2012) आयुक्त ने बताया (नवम्बर 2012) कि निविदाओं को पूर्व में दो बार निरस्त किया जा चुका था और तीसरी बार मंडल के आर्थिक हितों को सुरक्षित रखने के लिए निविदा स्वीकार की गयी।

तथ्य यह है कि समान प्रकृति का कार्य एक ही ठेकेदार को एक ही समय में उच्च दरों पर दिया गया।

2.1.11.3 बिना निविदा आमंत्रित किए अनियमित रूप से ₹ 59.79 करोड़ का कार्य दिया जाना

(1) तालपुरी परियोजना में कार्य दिया जाना

ठेकेदार को बिना निविदा आमंत्रित किए कार्य सौंपा जाना।

जैसा कि कंडिका 2.1.11.2 में वर्णित है, मंडल द्वारा ब्लॉक ए और ब्लॉक बी का कार्य मेसर्स मैकिन्टोशबर्न प्राईवेट लिमिटड को प्राक्कलित मूल्य से क्रमशः नौ प्रतिशत और 26 प्रतिशत की अधिक दर पर दिया गया (अक्टूबर 2008)। मंडल ने 336 मोगरा मकान और 240 जूही अपार्टमेंट को अतिरिक्त कार्य के रूप में अनुमानित राशि से 26 प्रतिशत अधिक दर पर उपरोक्त फर्म को बिना निविदा आमंत्रित किये, आबंटित किया। यही फर्म

[8] 17 प्रतिशत (26 प्रतिशत -9 प्रतिशत) x ₹ 202.80 करोड़ = ₹ 34.40 करोड़

प्राक्कलित मूल्य से 9 प्रतिशत अधिक मूल्य पर कार्य कर रही थी। इस प्रकार ₹ 57.78 करोड़ मूल्य का कार्य बिना निविदा आमंत्रित किए दिया जाना निर्माण विभाग मैन्यूअल की अवहेलना है।

यह इंगित किए जाने पर (सितम्बर 2012) में आयुक्त ने बताया (नवम्बर 2012) कि निम्न और मध्य आय वर्ग को मकान उपलब्ध कराने के लिए ब्लॉक बी में मकानों की संख्या में बढ़ोत्तरी की गयी। इसीलिए ब्लॉक बी के अनुबंध में अतिरिक्त कार्य को शामिल किया गया। अतिरिक्त कार्य की स्वीकृति लेने की प्रक्रिया जारी है।

इस प्रकार अतिरिक्त कार्य सौंपने से न केवल निर्माण विभाग मैन्यूअल के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ बल्कि परिणामस्वरूप ठेकेदार को अनुचित लाभ भी दिया गया।

(ii) सड्डू परियोजना में निर्माण कार्य दिया जाना

संभाग 2, रायपुर के अभिलेखो की जाँच मे हमने पाया कि सड्डू में 50 एम.आई.जी डीलक्स मकानों के निर्माण के लिए (सितम्बर 2005) ₹ 3.26 करोड़ की प्राक्कलित राशि की निविदा आमंत्रित की गयी। ₹3.32 करोड़ (1.94 प्रतिशत अधिक दर) की न्यूनतम निविदा मेसर्स दुवे गोयल एंड कंपनी रायपुर द्वारा प्रस्तुत की गयी थी जिसे बिना कारण बताए (अक्टूबर 2005) निरस्त कर दिया गया। कार्य के लिए पुनः निविदा आमंत्रित की गयी और मेसर्स बजोरिया कन्शट्रक्शन कंपनी यवतमाल को ₹ 3.04 करोड़ (6.74 प्रतिशत अधिक दर) पर सौंपा (फरवरी 2006) गया। ₹ 92.33 लाख (30 प्रतिशत) के कार्य का निष्पादन होने के पश्चात शेष कार्य नहीं करने के कारण अनुबंध रद्द (दिसंबर 2007) कर दिया गया। आगे, पुर्ननिविदा आमंत्रित करने पर शेष कार्य मेसर्स एन.के. कन्सट्रक्शन दुर्ग को ₹ 2.01 करोड़ के प्राक्कलित राशि के विरूद्ध ₹ 2.72 करोड़ में (33.09 प्रतिशत प्राक्कलित दर से अधिक) में दिया (फरवरी 2009) गया। यद्यपि, ₹ 71.29 लाख (26 प्रतिशत) कार्य के निष्पादन के पश्चात अनुबंध को कार्य निष्पादन में देरी के कारण निरस्त (अक्टूबर 2009) कर दिया गया ।

उपरोक्त अनुबंधों की जाँच में हमने पाया कि जोखिम और लागत की कंडिका 3 (ग) जो निर्माण विभाग मैन्यूअल में है, को उपरोक्त अनुबंध में शामिल नहीं किया गया। हमने आगे पाया कि मेसर्स दुबे गोयल एण्ड कंपनी रायपुर जिसे दूसरे कार्यस्थल में 14 एम.आई.जी डूप्लेक्स और 71 एम.आई.जी. डीलक्स का शेष कार्य करना था। 50 एम.आई.जी. डीलक्स का शेष कार्य ₹ 2.01 करोड़ (33.09 प्रतिशत अनुमानित दर से अधिक) बिना निविदा आमंत्रित किए दिया (जनवरी 2009) गया। निर्माण कार्य को ₹ 3.65[9] करोड़ व्यय कर पूर्ण (नवम्बर 2009) कराया गया। इस प्रकार मंडल ने ₹ 61 लाख (₹ 3.65 करोड़ - ₹ 3.04 करोड़) का अतिरिक्त व्यय किया। लागत और जोखिम की धारा को अनुबंध में शामिल न करने के कारण न सिर्फ मंडल द्वारा अतिरिक्त व्यय हुआ बल्कि ठेकेदार को अनुचित लाभ भी पहुंचाया गया। यदि उपरोक्त प्रावधान को अनुबंध में शामिल किया गया होता तो अतिरिक्त व्यय की वसूली दोषी ठेकेदार से की जा सकती थी।

[9] ₹ 92.33लाख+ ₹ 71.29 लाख+ ₹ 2.01 करोड़ = ₹ 3.65करोड़

यह इंगित किए जाने पर (सितम्बर 2012) आयुक्त ने बताया (नवम्बर 2012) कि उपरोक्त कार्य के निष्पादन में देरी पूर्व ठेकेदारों द्वारा कार्य अधूरा छोड़ने से हुई। इसीलिए मेसर्स दुबे गोयल एण्ड कंपनी को अतिरिक्त कार्य बिना निविदा बुलाए दिया गया। आगे यह भी बताया गया कि धारा 3(ग) का अनुबंध में प्रावधान नहीं था जिसके कारण अतिरिक्त राशि की वसूली दोषी ठेकेदार से नहीं की जा सकी। वर्तमान में इस उपनियम को सभी नये अनुबंधों में शामिल किया गया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निर्माण विभाग मैन्यूअल में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि सभी निर्माण कार्य जिनका मूल्य ₹15000 से अधिक है निविदा अवश्य आमंत्रित की जानी चाहिए।

2.1.11.4 कार्य को अनियमित रूप से उपठेका पर दिया जाना

निविदा दस्तावेज के शर्त क्र.7.1 के अनुसार, ठेकेदार द्वारा सक्षम प्राधिकारी से लिखित में पूर्व अनुमोदन के बिना किसी अन्य ठेकेदार या ठेकेदारों को पूरा कार्य या अनुबंध के तहत काम के किसी भी भाग को करने के लिए आबंटित नहीं करेगा। जहाँ इस तरह की अनुमति दी गई है, ठेकेदार अपने कर्तव्य या जिम्मेदारी, जो अनुबंध के तहत है, से मुक्त नहीं किया जाएगा।

आगे, अनुबंध की कण्डिका 25 के अनुसार, संभाग अधिकारी की लिखित स्वीकृति के बिना अनुबंध को उपठेके पर नहीं सौंपा जाएगा अन्यथा कण्डिका 3 के तहत अनुबंध को रद्द किया जा सकता है और ठेकेदार की सुरक्षा निधि को जब्त किया जाना चाहिए एवं ठेकेदार अनुबंध के तहत निष्पादित कार्य के लिए भुगतान का हकदार नहीं होगा।

परियोजना संभाग दुर्ग के अभिलेखों की जाँच के दौरान हमने देखा कि तालपुरी परियोजना ब्लॉक ए और ब्लॉक बी के निर्माण कार्य के लिए मे. मैकिन्टोश बर्न प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता को आदेश (अक्टूबर 2008) क्रमशः राशि ₹ 196.45 करोड़ और ₹ 255.59 करोड़ में दिया गया। हमने यह भी देखा है कि एक सिविल ठेकेदार[10] ने कार्यपालन अभियंता को एक शिकायत दर्ज (मई 2012) कराई कि उसके द्वारा तालपुरी परियोजना में ब्लॉक ए और ब्लॉक बी में घरों और बुनियादी ढ़ाँचे के विकास के निर्माण कार्य को क्रियान्वित किया गया लेकिन मूल ठेकेदार यानी मे. मैकिन्टोश बर्न प्राइवेट लिमिटेड द्वारा देयकों का भुगतान उसे नहीं किया गया था। इस पत्र का संज्ञान लेते हुए कार्यपालन अभियंता ने मे. मैकिन्टोश बर्न प्राइवेट लिमिटेड को भुगतान करने के लिए एक पत्र लिखा (मई 2012) कि मंडल को सूचना के तहत अधीनस्थ ठेकेदार के साथ सभी मुद्दों का निपटान किया जाये।

मंडल के पूर्व अनुमोदन के बिना कार्य को अधीनस्थ ठेकेदार को देना अनुबंध की शर्तों का उल्लंधन है और अनुबंध को रद्द कर सुरक्षा निधि ₹ 6.39 करोड़ (ब्लॉक ए ₹ 3.07 करोड़ + ब्लॉक बी ₹ 3.32 करोड़) जब्त होना चाहिए। यद्यपि, मंडल द्वारा न तो अनुबंध को रद्द करने के लिए कार्रवाई की गई और ना ही अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार सुरक्षा निधि जब्त करने के लिए कार्रवाई शुरू की गई।

[10] मे.संजय कुमार मिश्रा

यह इंगित किए जाने पर (सितम्बर 2012) आयुक्त ने कहा (नवम्बर 2012) कि मंडल के अभिलेखों के अनुसार कार्य को उपठेके पर नहीं दिया गया है और मे. संजय कुमार मिश्रा एक श्रम ठेकेदार था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ठेकेदार के शिकायत पत्र और कार्यपालन अभियंता के पत्र (मई 2012) पुष्टि करते है कि कार्य को उपठेके पर दिया गया था।

2.1.11.5 दोषी ठेकेदारों से अतिरिक्त लागत राशि ₹ 1.59 करोड़ की वसूली नहीं किया जाना

यदि ठेकेदार कार्य को अधूरा छोड़ देता है या कार्य को रद्द कर दिया गया है, और शेष कार्य दूसरे ठेकेदार को पूरा करने के लिए दिया जाता है तो निर्माण विभाग मैन्युअल की कण्डिका 3(ग) में मूल ठेकेदार पर दण्ड के आरोपण की व्यवस्था है। ऐसे प्रकरणों में उस राशि, जो मूल ठेकेदार को भुगतान की गई होती यदि पूर्ण कार्य उसके द्वारा निष्पादित किया जाता तो अधिक खर्च किए गए राशि मूल ठेकेदार द्वारा वहन की जाएगी और उसको देय किसी भी राशि से कटौती की जा सकती है।

संभाग-2, रायपुर के अभिलेखों की जाँच के दौरान हमने देखा कि 14 एम.आई.जी. डी.डी. और 71 एम.आई.जी. डीलक्स घरों के निर्माण का कार्य मे स्वराज एसोसिएट्स को एस.ओ.आर (1999) से 4.63 प्रतिशत नीचे की दर पर कार्य करने के लिए दिया गया। ठेकेदार द्वारा कार्य को अधूरा छोड़ दिया गया और अनुबंध की कण्डिका 3 के अंतर्गत रद्द (दिसम्बर 2007) कर दिया गया। शेष कार्य के लिए निविदा आमंत्रित (जनवरी 2009) किया गया था और कार्य (जनवरी 2009) मे. दुबे गोयल एण्ड कंपनी को प्राक्कलित लागत से 30.50 प्रतिशत अधिक की दर पर दिया गया और कार्य ₹ 1.59 करोड़ की अतिरिक्त लागत पर पूरा किया गया **(परिशिष्ट 2.1.2)।**

हमने आगे पाया कि मंडल, निर्माण विभाग मैन्युअल का अनुसरण करता है, परन्तु दोषी ठेकेदारों से अतिरिक्त लागत की वसूली से संबंधित प्रावधान जो 3 (ग) में प्रावधानित है, उसे अनुबंध में शामिल नहीं किया गया।

यदि 3 (ग) को अनुबंध में शामिल किया गया होता तो अतिरिक्त लागत ₹ 1.59 करोड़ दोषी ठेकेदारों से वसूल किया जा सकता था और आवंटियों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ इस सीमा तक कम किया जा सकता था।

यह इंगित किये जाने पर (सितम्बर 2012) आयुक्त ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार करते हुए (नवम्बर 2012) कहा कि अनुबंध में कण्डिका 3(ग) शामिल नहीं किए जाने के फलस्वरूप अतिरिक्त लागत को दोषी ठेकेदार से वसूल नहीं किया जा सकता है। वर्तमान में इस कण्डिका को सभी नए अनुबंधों में शामिल किया गया है।

ठेकेदारों को अग्रिम

2.1.11.6 मोबिलाइजेशन अग्रिम राशि ₹ 22.30 करोड़ की अनियमित स्वीकृति तथा राशि ₹ 3.78 करोड़ की ब्याज हानि

निर्माण विभाग मैन्यूअल की कण्डिका 3.23 के अनुसार,मोबिलाइजेशन अग्रिम एक करोड़ या उससे अधिक की निविदाओं के लिए लागू है। मोबिलाइजेशन अग्रिम, अनुबंध राशि

के पाँच प्रतिशत से अधिक नहीं होगा और ₹ 10 लाख तक ही सीमित होगा। इस अग्रिम पर 14 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज देय होगा।

अनुबंध के प्रावधान के विपरीत मोबिलाइजेशन अग्रिम का भुगतान किया गया

(1) परियोजना संभाग, दुर्ग द्वारा तालपुरी परियोजना के लिए निष्पादित (अक्टूबर 2008) दो अनुबंधों की जाँच के दौरान यह देखा गया कि राशि ₹ 22.50 करोड़ के मोबिलाइजेशन अग्रिम का भुगतान ठेकेदार को किया गया जिसे 14 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज के साथ वसूल किया जाना था। यद्यपि, अनुबंध की धारा 11(ब) के अनुसार अधिकतम देय राशि केवल राशि ₹ 10 लाख प्रति अनुबंध थी। इस प्रकार ₹ 22.30[11] करोड़ का अतिरिक्त भुगतान न केवल अनियमित था अपितु ठेकेदार को अनुचित सहायता पहूँचायी गयी। यद्यपि, अग्रिम की राशि मार्च 2010 तक वसूल हो गई थी, परन्तु ब्याज की राशि ₹ 3.30 करोड़ लेखापरीक्षा दिनांक (अगस्त 2012) तक वसूल नहीं किया गया।

(2) आगे, दुर्ग संभाग द्वारा खारून ग्रीन परियोजना के लिए निष्पादित (अक्टूबर 2008) ₹ 35.15 करोड़ के अनुबंध में हमने देखा कि निर्माण विभाग मैन्यूअल के प्रावधानों को अनुबंध में शामिल नहीं किया गया और ₹ 1.76 करोड़ का मोबिलाइजेशन अग्रिम भुगतान किया गया था, यह ठेकेदार से 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज के साथ वसूली योग्य था। यद्यपि, अग्रिम की राशि मई 2010 तक वसूल कर ली गई थी। ब्याज की राशि ₹ 47.55 लाख लेखापरीक्षा दिनांक तक (अगस्त 2012) वसूल नहीं की गई थी।

इस प्रकार, अग्रिम की राशि ₹ 22.30 करोड़ का अनियमित भुगतान न केवल निर्माण विभाग मैन्यूअल बल्कि अनुबंध के प्रावधानों का भी उल्लंघन है। इसके परिणामस्वरूप, मंडल को राशि ₹ 3.78 करोड़ **(परिशिष्ट 2.1.3)** की ब्याज की हानि हुई।

यह इंगित किए जाने पर (सितम्बर 2012) आयुक्त ने कहा (नवम्बर 2012) कि मंडल एक अर्द्ध शासकीय संस्था है और कार्य के हित में निर्माण विभाग मैन्यूअल में वर्णित प्रावधानों को अनुकूलित किया गया था और मोबिलाइजेशन अग्रिम अनुबंध के प्रावधानों के अनुरूप ही स्वीकृत किया गया था जिसे चल देयकों से वसूल किया जाएगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मोबिलाइजेशन अग्रिम का, अनुबंध के प्रावधानों के विरूद्ध भुगतान किया गया था और ठेकेदारों से ब्याज भी वसूल नहीं किया गया था।

ठेकेदारों को अनुचित लाभ

2.1.11.7 शास्ति राशि ₹ 20.37 करोड़ का कम आरोपण

अनुबंध की कंडिका 2 के अनुसार, ठेकेदार द्वारा अनुबंध में दी गई समयावधि में कार्य को निष्पादित करना चाहिए अन्यथा अनुबंध के कुल मूल्य का 1/16 प्रतिशत प्रति सप्ताह की दर से शास्ती आरोपित की जानी थी जो अनुबंध के कुल मूल्य का अधिकतम छह प्रतिशत तक हो सकता था।

[11] ₹ 22.50 करोड़ - (₹ 10 लाख x 2 अनुबंध) = ₹ 22.30 करोड

तीन संभागों[12] में निष्पादित 15 अनुबंधों की जांच के दौरान, हमने देखा कि, इन कार्यों के पूर्ण होने की निर्धारित तिथि छह महीने से 24 महीने के बीच थी। लेकिन ठेकेदारों, द्वारा निर्धारित समयावधि में कार्य नहीं किया गया और इन कार्यों को पूर्ण होने में 14 से 42 माह का विलम्ब हुआ। इसका कारण मुख्य रूप से ठेकेदारों द्वारा अपर्याप्त इंजीनियरों की नियुक्ति, श्रमिकों की कमी, वर्षा का मौसम, पहुँच मार्ग की समस्या आदि थे। चूंकि ठेकेदार निर्धारित समयावधि मे कार्य को पूर्ण करने मे विफल रहे, मंडल द्वारा कार्यो के निष्पादन में देरी के कारण उक्त कंडिका के अधीन शास्ति आरोपित करने की शर्त के साथ समयावृद्वि स्वीकृत की गई। शास्ति की कुल राशि ₹ 31.29 करोड़ इन ठेकेदारों से वसूली जानी थी, इसके विरूद्ध मंडल द्वारा मात्र ₹ 10.92 करोड़ ही वसूल किया गया। इस प्रकार शास्ति की राशि ₹ 20.37 करोड़ (**परिशिष्ट 2.1.4**) की कम वसूली के परिणामस्वरूप ठेकेदारों को अनुचित वित्तीय लाभ प्रदान किया गया।

यह इंगित किए जाने पर (सितम्बर 2012) आयुक्त ने कहा (नवम्बर 2012) कि शास्ति के आरोपण का निर्णय कार्यो के निष्पादन में देरी के कारणों के आधार पर लिया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि शास्ति अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार नहीं लगाया गया था परिणामस्वरूप ठेकेदारों को अनुचित वित्तीय लाभ का विस्तार हुआ।

ठेकेदारों को अधिक भुगतान

2.1.11.8 अतिरिक्त नींव खुदाई एवं भराई के कारण अधिक भुगतान राशि ₹ 1.74 करोड़

तालपुरी परियोजना के ब्लाक ए और ब्लाक बी के अनुबंधों के तकनीकी विशिष्टियों की कंडिका 1.7 के अनुसार, नींव की खुदाई ड्राईंग में दिखाई गयी चौड़ाई, लम्बाई, गहराई और प्रोफाईल के अनुसार या इजींनियर के द्वारा निर्धारित की गई लाईनों व ग्रेड के दिखाये अनुसार की जानी चाहिए। ठेकेदार, कार्य की सुविधा या अन्य ऐसे कारणों से यदि इंजीनियर अनुमोदित करता है तो ड्राईंग में दर्शायी गयी लाइन से बाहर या इंजीनियर के निर्देशानुसार खुदाई और वापस भराई स्वंय के खर्च पर कर सकता है। यदि खुदाई निर्दिष्ट स्तरों से नीचे की जाती है तो ठेकेदार पी.सी.सी (1:3:6) या बारीक सामग्री से निर्धारित स्तर तक भराई करेगा। इस कार्य हेतु ठेकेदार किसी प्रकार के अतिरिक्त भुगतान का दावा नहीं करेगा।

कार्यपालन अभियंता, परियोजना संभाग, दुर्ग के अभिलेखों की जाँच में हमने देखा कि ठेकेदार द्वारा 1.5 मीटर की गहराई के साथ इमारत के पूरे क्षेत्र में खुदाई की गई और संपूर्ण क्षेत्र को रेत/मुरम से भराई किया गया। अनुमोदित प्राक्कलन के अनुसार कुल 42,231.18 घनमीटर खुदाई स्वीकार्य थी, जिसके विरूद्ध कुल 1,31,929.43 घनमीटर खुदाई की गई। इसी प्रकार भराई की स्वीकृति मात्रा 42,231.18 घनमीटर के विरूद्ध 1,26,508.70 घनमीटर का कार्य निष्पादित किया गया। चूँकि, ड्राईंग और डिजाइन में किसी प्रकार का बदलाव नहीं आया था निर्दिष्ट आयाम के अतिरिक्त खुदाई व भराई के

[12] का.अ. परियोजना संभाग, दुर्ग, का.अ. राजधानी परियोजना संभाग-1 एवं का.अ. संभाग क्रं.-2 रायपुर

कारण राशि ₹ 1.74 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया **(परिशिष्ट 2.1.5)**। आगे, माप पुस्तिकाओं की छायाप्रति भी लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई।

हमारे द्वारा यह इंगित किए जाने पर (सितम्बर 2012) आयुक्त ने कहा (नवम्बर 2012) कि कार्य स्थल के अनुसार कार्य निष्पादित किया गया था। कार्य स्थल पर चट्टानी परत होने के कारण नींव की खुदाई सपूंर्ण क्षेत्र में की गई थी तथा ठेकेदार को कार्य के अनुसार भुगतान किया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नींव की खुदाई का भुगतान ड्राईंग में नींव के निर्धारित आयाम के अनुसार ही किया जाना चाहिए था।

2.1.11.9 सीमेंट की कम खपत के कारण अधिक भुगतान राशि ₹ 9.25 करोड़

आई.एस. 456:2000 के अनुसार, डिजाइन मिक्स कांक्रीट इस प्रकार बनाया जाना चाहिए जिससे जरूरत के मुताबिक कार्य हो तथा उसकी मजबूती निर्धारित मापदंडों से कम न हो।

परियोजना संभाग-1, रायपुर व दुर्ग में निष्पादित 10 अनुबंधो (2007-08) की माप पुस्तिका की जाँच में हमने देखा कि कार्यो के प्राक्कलनों में एम-20 रेडी मिक्स कांक्रीट का संदर्भित एस. ओ. आर. (2006) के मद संख्या 32(सी) के अनुरूप लिया गया था, जिसका अनुमानित मूल्य ₹ 3900 प्रति घनमीटर था परंतु एस.ओ.आर.(2006) के मद संख्या 32(सी) में इसका दर ₹ 2700 प्रति घनमीटर था। इस मद में सीमेंट की खपत 423 कि.ग्रा प्रति घनमीटर थी। अधिकृत प्रयोगशाला द्वारा अनुमोदित मिक्स डिजाईन कंक्रीट में सीमेंट की खपत 320 कि.ग्रा. से 322 कि.ग्रा प्रति घनमीटर रहीं। इस प्रकार कुल 2,01,586 घनमीटर के केंक्रीट कार्य पर 85,270.878 मीट्रिक टन सीमेंट की खपत होनी थी परन्तु सीमेंट की खपत मात्र 64,705.016 मीट्रिक टन रही, विवरण निम्नानुसार हैः

तालिका 6 : सीमेंट की कम खपत के कारण से अधिक भुगतान का विवरण

संभाग का नाम	आर.एम.सी. की निष्पादित मात्रा (घनमीटर)	प्राकक्लन अनुसार सीमेंट की खपत (423 कि.ग्रा. प्रति घनमीटर)	सीमेंट की वास्तविक खपत (कि.ग्रा)	सीमेंट की कम खपत (कि .ग्रा)	अधिक भुगतान (₹ 4500 प्रति टन)
राजधानी परियोजना संभाग क्र. 1, रायपुर	98748	41770404	31796856 (322 कि.ग्रा./घ.मी.)	9973548	44880966
परियोजना संभाग दुर्ग	102838	43500474	32908160 (320 कि.ग्रा./घ.मी.)	10592314	47665413
योग	**201586**	**85270878**	**64705016**	**20565862**	**92546379**

(स्रोतः- मंडल द्वारा प्रदायित जानकारी एवं लेखापरीक्षा संकलित)

चूँकि सीमेंट की खपत कम हुई अतः भुगतान वास्तविक खपत के अनुसार किया जाना था। यद्यपि, 20,565.862 मीट्रिक टन सीमेंट की कम खपत के बावजूद ठेकेदारो को पूर्ण भुगतान किया गया परिणामस्वरूप राशि ₹ 9.25 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया।

यह इंगित किए जाने (सितम्बर 2012) पर आयुक्त ने कहा (नवम्बर 2012) कि आर.एम.सी. एम-20 मिक्स डिजाइन कार्य स्थल पर लाई गई सामग्री के आधार पर

तैयार कर कार्य निष्पादित किया गया था तथा मिक्स डिजाइन के पूर्व सीमेंट की खपत का निर्धारण नहीं किया जा सकता। तदानुसार कार्य निष्पादित किया गया है और भुगतान भी निविदा शर्तों के अनुसार किया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्य प्रारंभ होने के पूर्व ही मिक्स डिजाइन तैयार किया जाना था जिससे सीमेंट व अन्य सामग्री की खपत की जानकारी प्राप्त हो सके तथा कंक्रीट कार्य का भुगतान भी सीमेंट की वास्तविक खपत के आधार पर किया जाना था। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुमोदित एस ओ आर में भी मिक्स डिजाइन के अनुरूप कम सीमेंट खपत होने पर ठेकेदार से पृथक रूप से वसूली का प्रावधान है।

2.1.11.10 मूल्य वृद्धि के लिए गलत सूत्र लागू करने के कारण राशि ₹ 1.45 करोड़ का अधिक भुगतान

जगदलपुर जिले में हाटकचोरा और अधनपुर में समग्र आवासीय परियोजनाओं के निर्माण कार्य के लिए में. श्री जी कृपा प्रोजेक्ट लिमिटेड को कार्यादेश (अक्टूबर 2008) क्रमशः ₹ 12.84 करोड़ व ₹ 20.71 करोड़ में प्रदान किया गया। इन कार्यो को जून 2011 में पूर्ण किया गया तथा अगस्त 2012 तक कुल राशि ₹ 10.09 करोड़ व ₹ 15.25 करोड़ का भुगतान ठेकेदारों को किया गया।

अनुबंध की कंडिका 10 (सी.ए.) के अनुसार, कीमतों में वृद्धि/कमी का निर्धारण सीमेंट व इस्पात के लिए अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक, जो भारत शासन, वाणिज्य एवं उद्योग मत्रांलय के आर्थिक सलाहकार द्वारा प्रकाशित होता है, के आधार पर किया जाता है। सीमेंट व इस्पात सलाखों का आधार मूल्य भारत शासन, वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय द्वारा निविदा प्राप्त होने की तिथि के आधार पर रखा जाना था। सीमेंट व इस्पात के मूल्य में कमी/वृद्धि की गणना[13] के लिए सूत्र फुटनोट में दिया गया है:-

कार्यपालन अभियंता, जगदलपुर संभाग के अभिलेखों की जाँच में हमने देखा कि इन अनुबंधो में Ci (सीमेंट का थोक मूल्य सूचकांक) की परिभाषा को बदलकर सीमेंट की दर अधिकृत कंपनी/डीलर दर से तथा Si (इस्पात का थोक मूल्य सूचकांक) को बदलकर इस्पात की दर में. सेल की दर पर दिया गया।

आगे, हमने यह पाया कि कार्य के निष्पादन के दौरान सीमेंट और इस्पात का मूल्य सूचकांक, आधार सूचकांक की तुलना में कम हो गया और मूल्य वृद्धि के लिए कोई राशि देय नहीं थी। यद्यपि, गलत सूत्र लागू करने के कारण मंडल द्वारा राशि ₹ 1.12 करोड़ का भुगतान मूल्य वृद्धि के लिए किया गया। यदि सही सूत्र लागू किया

[13] (क) सीमेंट के घटक का समायोजनः- Vc=Pc x Qc x Ci- Co/Co

(ख) इस्पात के घटक का समायोजनः - Vs=Ps x Qs x Si- So/So

जहाँ Vc/Vs: सीमेंट/इस्पात के मूल्य में अंतर पर कमी/वृद्धि होने पर देय या वसूली योग्य राशि।

Pc/Ps: सीमेंट का आधार मूल्य (₹ 3500 प्रति मीट्रिक टन) तथा इस्पात (₹ 30000 प्रति मीट्रिक टन) का निर्धारण अनुबंध में निर्धारित था।

Qc/Qs: सीमेंट/स्टील की मात्रा जिसे पिछले बिल के पश्चात उपयोग किया गया।

Ci/Si: भारत सरकार, उद्योग और वाणिज्यिक मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार द्वारा विचाराधीन अवधि के लिए प्रकाशित सीमेंट/स्टील के लिए अखिल भारतीय मूल्य सूचकांक।

Co/Cs: सीमेंट/स्टील का आधार सूचकांक

जाता तो राशि ₹ 1.12 करोड़ के भुगतान के विरूद्ध राशि ₹ 33 लाख की कटौती होती (**परिशिष्ट 2.1.6**) इस प्रकार गलत सूत्र लागू करने के परिणामस्वरूप राशि ₹ 1.45 करोड़ (₹ 44 लाख +₹ 1.01 करोड़) का अधिक भुगतान किया गया।

यह इंगित किए जाने (सितम्बर 2013) पर आयुक्त ने कहा (नवम्बर 2013) कि जगदलपुर में थोक मूल्य सूचकांक प्राप्त होना संभव नहीं था इसीलिए अधिकृत कंपनी दर लिया गया। इस प्रकार, वृद्धि के लिए किया गया भुगतान अनुबंध अनुसार था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है चूँकि अनुबंध में यह स्पष्ट उल्लेख था कि थोक मूल्य सूचकांक जो भारत शासन, वाणिज्य एवं उद्योग मत्रांलय द्वारा जारी किया गया था, मूल्य वृद्धि की गणना में उपयोग किया जाना था। अतः गलत सूत्र अपनाये जाने के कारण ठेकेदार को ₹ 1.45 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

2.1.12 अनुश्रवण एवं गुणवत्ता नियत्रंण

निर्माण गतिविधियों के प्रभावी अनुश्रवण से परियोजनाओं को समय पर पूर्ण किया जाना सुनिश्चित होता है। गुणवत्ता नियत्रंण तंत्र से मानक निर्माण सामग्री का उपयोग सुनिश्चित होता है। गृह निर्माण मंडल के लेखापरीक्षा के दौरान हमने यह देखा कि परियोजनाओं के अपर्याप्त अनुश्रवण के परिणामस्वरूप समय एवं लागत में वृद्धि हुई।

2.1.12.1 मानदंडों के अनुरूप अभियंताओं की नियुक्ति न किया जाना

अनुबंध की विशेष शर्तों के उपबंध 8.1.2 एवं मडंल के परिपत्र संख्या 53 दिनांक 14.2.2008 के अनुसार, ठेकेदार कार्य स्थल पर आवश्यकतानुसार स्नातक सिविल अभियंताओं व डिप्लोमा अभियंताओं की नियुक्ति करेगा, जो कार्य की निगरानी करेगें तथा कार्य के प्रभारी अभियंता से निर्देश प्राप्त करेगें। कार्य के प्रारंभ होने से पूर्व ठेकेदार नियुक्त किए गये सभी अभियंताओं की सूची व उनकी योग्यता के प्रमाण सहित प्रभारी अभियंता को प्रस्तुत करेगा। नियुक्त किए जाने वाले अभियंताओं का विवरण निम्नानुसार है:

अनुबंध की राशि	स्नातक अभियंताओ की संख्या	डिप्लोमा अभियंताओं की संख्या
₹ 50 लाख से ₹ 4 करोड़	01	03
₹ 4 करोड़ से ₹ 10 करोड़	02	04
₹ 10 करोड़ से ₹ 50 करोड़	04	08
₹ 50 करोड़ से ₹ 200 करोड़	08	16
₹ 200 करोड से अधिक	12	24

चयनित सात संभागों के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान 19 अनुबंधों के नमूना जाँच में हमने देखा कि 14 अनुबंधों में कोई भी अभियंता नियुक्त नहीं किया गया और एक अनुबंध में ठेकेदार द्वारा पर्याप्त अभियंता नियुक्त नहीं किए गए थे। यद्यपि, परियोजना संभाग-3, रायपुर द्वारा निष्पादित चार अनुबंधों में मानदंडों के अनुरूप अभियंता नियुक्त किए गए थे। इस प्रकार, कुल 224 अभियंताओं के विरूद्ध ठेकेदार द्वारा मात्र 28 अभियंता (**परिशिष्ट 2.1.7**) ही नियुक्त किए गए। यद्यपि, ठेकेदार से नियमानुसार निर्धारित दरों पर जुर्माना राशि काटी गई थी, परंतु तथ्य यह है कि उचित निगरानी से समझौता किया गया।

यह इंगित किए जाने पर (सितम्बर 2012) आयुक्त ने कहा (नवम्बर 2012) कि कार्य स्थल पर ठेकेदारो द्वारा अभियंताओ की नियुक्त की गई थी और जिन ठेकेदारो द्वारा पर्याप्त संख्या में अभियंताओं की नियुक्ति नहीं की गई, उनके चल देयको से नियमानुसार जुर्माना राशि काटी गई थी।

तथ्य यह है कि मडंल द्वारा अनुबंध की विशेष शर्त को लागू नहीं किया गया जिसमें ठेकेदार द्वारा कार्य की पर्याप्त निगरानी के लिए कार्य स्थल पर आवश्यक अभियंताओं की नियुक्ति किए जाने का प्रावधान था।

2.1.12.2 निर्माण सामग्री का परीक्षण

अनुबंध के तकनीकी विनिर्देश की कंडिका 4.5.4.2 के अनुसार, प्रत्येक वर्ग के 150 घनमीटर कंक्रीटीकरण कार्य के लिए न्यूनतम छः कंक्रीट क्यूब परीक्षण किया जाना था। इस प्रकार कांक्रीट की मजबूती सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक 25 घनमीटर कंक्रीटीकरण कार्य के लिए एक क्यूब परीक्षण किया जाना था।

चयनित सात संभागो के 20 अनुबंधों की नमूना जाँच मे पाया कि कुल 2.03 लाख घनमीटर कंक्रीटीकरण का कार्य निष्पादित किया गया। मानदंडो के अनुसार, 8118 कंक्रीट के नमूनो का परीक्षण किया जाना था जिसके विरूद्ध मात्र 3644 (45 प्रतिशत) की कांक्रीट परीक्षण रिपोर्ट उपलब्ध थी।

आगें, राजधानी परियोजना संभाग - 1, रायपुर द्वारा संधारित क्षेत्र प्रयोगशाला परीक्षण पंजी और परीक्षण रिपोर्ट की जाँच में हमने देखा कि संभाग द्वारा निष्पादित आठ अनुबंधों में पर्याप्त संख्या (90 प्रतिशत) में परीक्षण किए गए। यद्यपि, शेष छह संभागों में क्षेत्र प्रयोगशाला परीक्षण पंजी उपलब्ध नहीं थी एवं लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये गए परीक्षण रिपोर्ट से स्पष्ट था कि कुल परीक्षणों के विरूद्ध मात्र एक से आठ प्रतिशत नमूनों का ही परीक्षण किया गया **(परिशिष्ट 2.1.8)।**

यह इंगित किए जाने पर (सितम्बर 2012) आयुक्त ने कहा (नवम्बर 2012) कि कंक्रीट क्यूब परीक्षण, कार्य स्थल के साथ साथ मडंल द्वारा अधिकृत प्रयोगशालाओं में किए गए थे तथा कार्यो का निष्पादन निर्दिष्ट गुणवत्ता के साथ किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रत्येक 150 घनमीटर कंक्रीट कार्य के लिए निर्धारित छः परीक्षण किया जाना था और कार्य स्थल प्रयोगशाला में किए गए परीक्षणों की रिपोर्ट सत्यापन के लिए लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए। इस प्रकार, निष्पादित कार्यो की गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं की जा सकती।

2.1.13 निष्कर्ष

निर्माण कार्य गतिविधियों को सुनियोजित रूप से निष्पादित कराने के लिए मडंल द्वारा कोई भी परिप्रेक्ष्य योजना और वार्षिक कार्य योजना नहीं बनाई गई। मडंल द्वारा आबंटित निधियों को समयबद्ध तरीके से उपयोग नहीं करने के परिणामस्वरूप लगातार बचत हुई। आवासीय योजनाओं में ई.डब्लू.एस. के लिए भूमि आबंटन के मानदंडों का पालन नहीं किया गया। इसके अलावा, ई.डब्लू.एस के लिए आबंटित भूमि का उपयोग वाणिज्यिक परिसर और उच्च एवं मध्यम आय वर्ग के लोगो के गृह निर्माण के लिए किया गया। गरीब परिवारों को ऋण की व्यवस्था कराये जाने में विफलता के कारण ई.डब्ल्यू. एस. के लिए निर्मित मकानों को लाभार्थियों को हस्तांतरित नहीं किये गये। मंडल निर्धारित समयावधि में परियोजनाओं को पूर्ण करने में विफल रहा, परिणामस्वरूप परियोजना समय एवं लागत में वृद्धि हुई। परियोजनाओं का निष्पादन मितव्ययिता से नहीं हो सका क्योंकि कार्यो का स्फीतिपूर्ण प्राक्कलन बनाया गया, अस्वीकार्य अग्रिमो का भुगतान, अधिक भुगतान आदि किया गया। निर्माण कार्यो में प्रयुक्त सामग्री के अपर्याप्त परीक्षण आवृत्ति के कारण निष्पादित कार्यो की गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं किया जा सकता।

2.1.14 अनुशंसाएँ

- योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए वास्तविक मांग के आधार पर परिप्रेक्ष्य योजना व वार्षिक कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए।
- ई.डब्लू.एस. परिवारों के लिए आबंटित भूमि एवं निर्मित मकानों को उनके लाभ के लिए ही उपयोग करना चाहिए।
- परियोजनाओं को समय पर पूर्ण करने के लिए अनुश्रवण प्रणाली को मजबूत किया जाना चाहिए।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

2.2 महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

कार्यपालिक सारांश

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) 2005 को अक्टूबर 2009 से महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) में परिवर्तित किया गया जो एक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने को इच्छुक हैं को कम से कम 100 दिन के रोजगार की गारंटी देता है। राज्य सरकार द्वारा अधिनियम को मार्च 2006 में अधिसूचित किया गया। छत्तीसगढ़ में योजना को मार्च 2006 में 11 जिलों[1], अप्रैल 2007 में चार जिलों[2] एवं अप्रैल 2008 में शेष तीन जिलों[3] में लागू किया गया।

मनरेगा योजना की निष्पादन लेखापरीक्षा हमारे द्वारा अवधि 2007-08 से 2011-12 हेतु छः जिलों बस्तर, दुर्ग, कोरिया, जशपुर, कांकेर एवं महासमुन्द को शामिल करते हुए की गयी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2008-09 से 2011-12 के दौरान राज्य सरकार द्वारा प्राक्कलित 71.60 करोड़ रोजगार मानव दिवस के विरूद्ध ₹ 7839 करोड़ व्यय होने के उपरान्त वास्तविक रोजगार श्रृजन 45.95 करोड़ मानव दिवस था। हमने योजना के क्रियान्वयन में विभिन्न कमियाँ देखी। जिला एवं जनपद पंचायत स्तर पर प्रमुख पदो में भारी रिक्तियाँ थी जो न केवल योजना के सुचारू एवं प्रभावी क्रियान्वयन को प्रतिकूल प्रभावित किया अपितु कार्यो के तकनीकी मूल्यांकन तथा हितग्राहियों के मजदूरी भुगतान को भी विलम्बित किया। यद्यपि वार्षिक कार्य योजना बनायी गई थी किन्तु लगातार विकास तथा दीर्घकालिक रोजगार सृजन हेतु कार्यो की प्राथमिकता को उल्लेखित करते हुए पंचवर्षीय योजना तैयार नही की गयी। उपलब्ध निधियों की उपयोगिता में सारभूत कमियाँ परिलक्षित हुई। योजना के दिशानिर्देशों के विपरीत हितग्राहियों को मजदूरी भुगतान हेतु बस्तर एवं कांकेर जिलों में राशि ₹ 69.90 करोड़ के धनादेश सरपंचो को जारी किए गए तथा सरपंचों को दिए गए अग्रिमों का समायोजन नहीं किया गया। राज्यांश को जारी करने में 5 से 139 दिन का विलम्ब तथा निधियाँ जिला कार्यक्रम समन्वयकों को वित्तीय वर्ष के अन्त में जारी की गयी। सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना तथा राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना का बकाया निधियाँ मनरेगा खातें में हस्तांतरित नही की गयी । पात्र हितग्राहियों की समावेशन सुनिश्चित करनें घर-घर सर्वेक्षण नही किया गया। योजना के 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य को प्राप्त नही किया गया क्योंकि केवल नौ प्रतिशत परिवारों को 100 दिन की रोजगार उपलब्ध कराया गया। परिवारों को 100 दिन का रोजगार देने का प्रतिशत वर्ष 2007-08 में 11 से घटकर 2011-12 में 7 तक हुआ। यद्यपि ग्राम पंचायतें निर्धारित 15 दिन की अवधि के भीतर हितग्राहियों को रोजगार उपलब्ध कराने में विफल रही, तथापि

1 बस्तर, बिलासपुर, दन्तेवाड़ा, धमतरी, जशपुर, कांकेर, कवर्धा, कोरिया, रायगढ़, राजनांदगाँव तथा सरगुजा।

2 जाँजगीर, कोरबा, महासमुन्द तथा रायपुर

3 दुर्ग, बीजापुर तथा नारायणपुर

हितग्राहियों को बेरोजगारी भत्ता का भुगतान नही किया गया। समय से ₹ 9.59 करोड़ की मजदूरी का भुगतान नही देने के उपरान्त भी मजदूरी भुगतान अधिनियम के अनुसार स्वीकार्य मुआवजा भुगतान नहीं किया गया। प्रचालन दिशानिर्देशों मे कार्यो की स्वीकृति हेतु निर्धारित समय सारणी का पालन नही किया तथा जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों को पूरे वर्ष कार्यो की स्वीकृति दी गई।

निष्पादन लेखापरीक्षा में कार्यो के क्रियान्वयन में अनेक कमियाँ जैसे अस्वीकार्य कार्यो का क्रियान्वयन, अनियमित स्वीकृति तथा डब्ल्यू बी एम सड़कों का क्रियान्वयन, ठेकेदारों को एम आई एस कार्यो के लिए भुगतान ग्राम सभा के अनुमोदन के बिना कार्यों की स्वीकृति, कार्यो के माप किए बिना भुगतान जारी करना, कार्यो की पूर्णता में विलम्ब, ₹150.27 करोड़ व्यय करने के बाद कार्यो का निरस्त किया जाना, अपूर्ण कार्यो के लिए पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जाना तथा कार्यो पर निष्फल व्यय प्रकट हुई। मस्टर रोल जो कि किये गये कार्यों को अभिलेखित करने हेतु महत्वपूर्ण दस्तावेज है का संधारण उचित ढंग से नहीं किया गया क्योंकि इसमें उपरीलेखन/काँट-छाँट, हस्ताक्षरित नही किया जाना, भुगतान का प्रमाणपत्र लेखांकित नही किया जाना, अपूर्ण जानकारी इत्यादि प्रकरण पाये गये। राज्य में महिलाओं को उपलब्ध कराये गये रोजगार का प्रतिशत 47 से 49 होने के कारण योजना के उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं की योजना में भागीदारी को पूर्णतः प्राप्त नही किया जा सका। पुनः क्रियान्वयन तथा निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित नही किया गया क्योंकि मेट तथा ग्राम रोजगार सहायकों के केवल 10 से 38 प्रतिशत पद महिलाओं द्वारा धारित की गई थी। कार्यो के अनियमित क्रियान्वयन के कारण अन्य योजनाओं का अभिसरण कर स्थाई परिसम्पत्ति के निर्माण करने की योजना के उद्देश्य प्राप्त नही किया जा सका।

अनुश्रवण तंत्र कमजोर था क्योंकि निर्धारित पंजियाँ का संधारण उचित रूप से नहीं किया गया। इसके अभाव में हितग्राहियों की प्रमाणिकता तथा 15 दिन के भीतर कार्य दिए गए थे यह स्थापित करना कठिन था। प्रत्येक परिवार को दिए गए वास्तविक रोजगार को भी सुनिश्चित नहीं किया गया। वहाँ अभिलेखों में काट-छाँट करके मजदूरी भुगतान तथा मजदूरी भुगतान में विलम्ब के प्रकरण थे। योजना के अंतर्गत किये गये निरीक्षण तथा अनुश्रवण से संबंधित अभिलेख संधारित नही थें तथा ऑनलाईन एम आई एस अपूर्ण था। वर्ष 2007-12 के दौरान आन्तरिक लेखापरीक्षा नही की गयी।

2.2.1 प्रस्तावना

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (अधिनियम) किसी भी ग्रामीण परिवार जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक काम करनें को इच्छुक है, को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार की गारंटी देता है। राज्य सरकार द्वारा अधिनियम मार्च 2006 में अधिसूचित किया गया। योजना को अक्टूबर 2009 में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (मनरेगा) योजना के रूप में नामित किया गया। अधिनियम परिवार को स्थानीय ग्राम पंचायतों में स्वयं को पंजीकृत कराने तथा एक सादे कागज पर आवेदन के माध्यम से या मौखिक अनुरोध पर रोजगार पाने का अधिकार प्रदान करता है। मांग के 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध कराया जाना आवश्यक था अन्यथा राज्य सरकार द्वारा एक निर्धारित दर पर बेरोजगारी भत्ता देय था।

मनरेगा योजना एक केन्द्र प्रवर्तित योजना है तथा भारत सरकार अकुशल मजदूरी तथा कार्यक्रम अधिकारियों और उनके सहायक कर्मचारियों के प्रशासनिक व्यय की सम्पूर्ण लागत वहन करती है। कुशल और अकुशल श्रमिकों के लिए मजदूरी और सामग्री की लागत भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात में विभाजित किया जाना हैं। राज्य सरकार बेरोजगारी भत्ता एवं मनरेगा योजना के तहत् कार्य के क्रियान्वयन के अनुश्रवण के लिए गठित (फरवरी 2006) राज्य रोजगार गारंटी परिषद (एस ई जी सी) के प्रशासनिक व्यय को वहन करती है।

राज्य में योजना को मार्च 2006 से 11 जिलों में, अप्रैल 2007 से, चार जिले में तथा अप्रैल 2008 से शेष तीन जिलों में लागू किया गया था। राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तर पर आयुक्त, रोजगार गारंटी और जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम समन्वयक (डी पी सी) को नामित किया गया है जो राज्य एवं जिला स्तर पर योजना के उचित क्रियान्वयन की देखरेख के लिए उत्तरदायी है।

2.2.2 संगठनात्मक संरचना

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छ.ग शासन तथा उसके सचिव को मनरेगा योजना के क्रियान्वयन हेतु क्रमशः नोडल विभाग और नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। मनरेगा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य, जिला और विकासखंड स्तर पर पृथक रोजगार गारंटी प्रकोष्ठ गठित किया गया है। विभिन्न स्तरों पर योजना के क्रियान्वयन अधिकारी के रूप में राज्य स्तर पर आयुक्त, रोजगार गारंटी, जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक के रूप में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत एवं समर्पित कार्यक्रम अधिकारी को नियंत्रक अधिकारी के रूप में, ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच एवं सचिव, ग्राम पंचायत के सहायता के लिए प्रशासनिक सहायक शामिल है। योजना के तहत कार्यो को क्रियान्वित करने हेतु विकासखंड और ग्राम पंचायतों को मुख्य क्रियान्वयन एजेंसियाँ एवं राज्य सरकार के अन्य विभागों को जो योजनाओं के अधीन कार्य निष्पादित करते हैं अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों के रूप में नामित किया गया है। वर्ष 2011-12 में शिकायतों की जाँच और निराकरण करने के लिए लोकपाल (शिकायत) नियुक्त किया गया था।

अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने हेतु समस्त आवश्यक गतिविधियाँ की गई है सुनिश्चित करने हेतु आयुक्त, रोजगार गारंटी उत्तरदायी था। इसके अतिरिक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार योजना के क्रियान्वयन पर राज्य सरकार को सलाह देने तथा योजना के अनुश्रवण और मूल्यांकन करने के लिए फरवरी 2006 में राज्य रोजगार गारंटी परिषद गठित की गई।

2.2.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आंकलित करना था किः

- अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा संरचनात्मक तंत्र का उपयोग किया गया एवं पर्याप्त क्षमता निर्माण हेतु उपयुक्त कदम उठाये गए थे;
- कार्य की सम्भावित माँग का आंकलन हेतु विभिन्न स्तरों पर पंचवर्षीय और वार्षिक योजना तैयार करने तथा परियोजनाओं की सूची बनाने हेतु प्रक्रियाएँ पर्याप्त एवं प्रभावी थे;
- अधिनियम/दिशानिर्देश/नियम के प्रावधानों के अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा निधियों को लेखांकित, उपयोग तथा जारी किया गया;
- वहाँ परिचालन दिशा निर्देशों के अनुपालन में परिवारों का पंजीकरण, जॉब कार्ड का आबंटन तथा रोजगार के आबंटन हेतु एक प्रभावी प्रक्रिया थी;
- अधिनियम तथा दिशा निर्देशों के अनुसार निर्दिष्ट मजदूरी दरों पर लक्षित ग्रामीण समुदाय को 100 दिन का वार्षिक रोजगार उपलब्ध् कराकर आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्राथमिक उद्देश्यों को प्रभावी रूप से प्राप्त किया गया तथा माँग किए जाने पर रोजगार देने में विफलता के लिए बेरोजगारी भत्ता का भुगतान किया गया था।
- मनरेगा योजना के कार्यो को उचित रूप में योजनाबद्ध किया गया था तथा मितव्ययी, प्रभावी एवं कुशलता पूर्वक समयबद्ध तरीके से तथा अधिनियम एवं दिशानिर्देशों के अनुपालन में क्रियान्वित किया गया तथा स्थाई परिसम्पत्तियों का निर्माण, रख-रखाव एवं उचित लेखांकन किया गया।
- अधिनियम और दिशा निर्देशों के अनुसार ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के सहायक उद्देश्य को प्राप्त किया गया।
- परिकल्पना अनुसार मनरेगा योजना को अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम के साथ अभिसरण जैसा प्रावधानित था को प्रभावी रूप से ग्रामीण समुदाय के लिए लक्षित स्थायी अजीविका सुनिश्चित करने और समग्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुधार के लक्ष्य को प्राप्त किया गया।
- विभिन्न स्तरों पर वांछित अभिलेखों तथा आँकड़ो का संधारण किया गया तथा मनरेगा योजना के आँकड़े पूर्णतः स्वचालित तथा विश्वासनीय एवं समय पर एम आई एस किया गया।
- अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न चरणों में सभी हितग्राहियों को सम्मिलत करके अनुश्रवण, मूल्यांकन और आई ई सी में पारदर्शिता बनाए रखा गया था।
- वहाँ मनरेगा योजना के प्रभाव के आंकलन हेतु एक प्रभावी तंत्र था।

2.2.4 लेखापरीक्षा मापदंड

निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा मापदण्ड निम्नलिखित स्त्रोतों से लिए गए:

- मनरेगा 2005 एवं उसके अधीन भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी किये गये अधिसूचनाएँ ।
- भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी किये परिपत्र एवं अभिलेख तथा आंतरिक अनुश्रवण हेतु राज्य शासन द्वारा जारी किये गये आदेश/निर्देश।
- मनरेगा योजना की प्रचालन दिशानिर्देश।
- मनरेगा योजना निधि नियम 2006, मनरेगा योजना वित्तीय नियम 2009 एवं मनरेगा योजना की लेखापरीक्षा नियम, 2011।
- मनरेगा योजना दृष्टिकोण, रणनीति तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी कार्य योजना (2010-11)।

2.2.5 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं पद्धति

निष्पादन लेखापरीक्षा वर्ष 2007-08 से 2011-12 तक की अवधि को शामिल करते हुए लेखापरीक्षा अप्रैल 2012 से जून 2012 के मध्य की गई। मार्च 2012 तक योजना की क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए हमने आयुक्त, रोजगार गारंटी और 18 जिलों में से छः[4] जिले, 14[5] विकासखंड एवं 140 ग्राम पंचायतों **(परिशिष्ट 2.2.1)** का चयन किया गया। हमारे द्वारा अपनाई गई पद्धति में सभी स्तरो पर अभिलेखों की जाँच, हितग्राही सर्वेक्षण, ग्राम पंचायत स्तर पर सामाजिक अंकेक्षण में उपस्थित होना और ग्राम पंचायत द्वारा किए गए कार्यो का भौतिक सत्यापन सम्मिलित किया गया था। इसके अतिरिक्त, 10[6] अन्य क्रियान्वयन ऐजेंसियों द्वारा चयनित जिलों में क्रियान्वित कार्यो की भी नमूना जांच की गयी। राज्य शासन के अधिकारियों के साथ प्रवेश एवं निर्गम बैठके क्रमशः 29 मार्च 2012 एवं 16 अगस्त 2012 में की गई। सरकार तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत/ जिला पंचायत से प्राप्त अभिमतों को उपयुक्त रूप से समावेशित किया गया।

2.2.6 संगठनात्मक संरचना और क्षमता निर्माण

2.2.6.1 मनरेगा योजना के सूचारू क्रियान्वयन के लिए राज्य द्वारा विभिन्न स्तरों पर कर्मचारियों की अपेक्षित संख्या में नियुक्ति /पदस्थापना किया जाना था।

4 बस्तर, दुर्ग, जशपुर, कांकेर, कोरिया और महासमुंद

5 बस्तर जिला - बकावंड, बस्तर और माकडी, दुर्ग जिला - बालोद, दुर्ग और साजा, जशपुर जिला - कांसाबेल और पत्थलगॉव, कांकेर जिला - चारामा और नरहरपुर, कोरिया जिला - बैकुण्ठपुर और मनेन्द्रगढ तथा महासमुंद जिला - बसना और पिथौरा

6 जल संसाधन विभाग, वन, मिनी वाटर शेड, कृषि, सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवायें, उद्यानिकी, लोक निर्माण विभाग, मतस्य और रेशम पालन

अट्ठारह जिलों तथा विभिन्न जनपदों में विभिन्न संवर्गो में स्वीकृत पद , कार्यरत पद तथा रिक्तियों की स्थिति **तालिका 1** में दर्शाया गया है।

तालिका 1: मई 2012 की स्थिति में स्वीकृत पद और कार्यरत कर्मचारियों का विवरण

जिला स्तर पर

जिला एवं जनपद पंचायत स्तर पर स्वीकृत पद के विरूद्ध, सभी संवर्गों में कर्मचारियों की कमी थी।

स. क्रं.	पद	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	रिक्तियों का प्रतिशत
1	सहायक परियोजना अधिकारी	18	12	6	33
2	सहायक ग्रेड 2	72	32	40	56
3	समन्वयक (शिकायत)	18	0	18	100
4	सहायक (शिकायत)	18	0	18	100
5	समन्वयक (सामाजिक अंकेक्षण)	18	0	18	100
6	सहायक (सामाजिक अंकेक्षण)	36	0	36	100
7	समन्वयक (तकनीकी)	18	0	18	100
8	समन्वयक (वित्त)	18	0	18	100
9	तकनीकी सहायक	54	5	49	91
10	कम्पयूटर प्रोग्रामर	18	0	18	100
11	सहायक प्रोग्रामर	18	6	12	67
12	डाटा एंट्री आपरेटर	54	23	31	57
13	सहायक लेखा अधिकारी	18	2	16	89
14	लेखापाल	72	30	42	58
15	समन्वयक (प्रशिक्षण)	18	0	18	100
16	सहायक जनसम्पर्क अधिकारी	18	14	4	22
17	पर्यवेक्षक	36	0	36	100
18	भृत्य	36	17	19	53
	योग	**558**	**141**	**411**	**74**

जनपद स्तर पर

स. क्रं.	पद	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	रिक्तियों का प्रतिशत
1	कार्यक्रम अधिकारी	146	126	20	14
2	सहायक ग्रेड 3	584	299	285	49
3	समन्वयक (सामाजिक अंकेक्षण)	146	8	138	95
4	सहायक (सामाजिक अंकेक्षण)	292	11	281	96
5	समन्वयक (तकनीकी)	146	23	123	84
6	तकनीकी सहायक	1168	702	466	40
7	सहायक प्रोग्रामर	146	72	74	51
8	डाटा एंट्री आपरेटर	438	277	161	37
9	लेखापाल	584	386	198	34
10	भृत्य	292	197	95	33
	योग	**3942**	**2101**	**1841**	**47**

(स्त्रोतः आयुक्त, रोजगार गारंटी द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार)

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि कर्मचारियों की कमी सभी संवर्गो में थी। तकनीकी मूल्यांकन में विलम्ब का एक मुख्य कारण तकनीकी संवर्ग में रिक्तियाँ थी फलस्वरूप हितग्राहियों को मजदूरी के भुगतान मे विलंब हुआ। आगे, जिला स्तर पर 18 में से नौ संवर्गो में शत प्रतिशत की कमी थी। जिससे योजना का प्रभावी अनुश्रवण तथा क्रियान्वयन प्रभावित हुआ।

सभी संवर्गो मे कर्मचारियों की कमी के कारण कार्यो की तकनीकी मूल्यांकन और तदानुसार हितग्राहियों को मजदुरी भुगतान में विलंब हुआ

निर्गम बैठक (अगस्त 2012) में अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि मनरेगा योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार कोई स्थायी पद सृजित नही किया जा सकता तथा भारत सरकार इसके अधीन किसी भी स्थाई पदों का दायित्व नही लेगी। । तदनुसार जिला और विकासखंड स्तर पर मनरेगा योजना के तहत कार्य करने वाले सभी कर्मचारी संविदा पर हैं तथा लगातार स्थायी रोजगार पाने के लिए दूसरे विभाग में चले जाते है। इसलिए विभिन्न पदों में रिक्तियाँ है। सिविल इंजीनियरिंग डिग्री/डिप्लोमा वाले तकनीकी सहायकों की अत्याधिक कमी है। इसलिए दूसरे शाखा के इंजीनियर और एम एस सी/ बी एस सी डिग्रीधारियों को भी तकनीकी सहायक के रूप में नियुक्त किया गया है। समन्वयक (शिकायत) और सहायक (शिकायत) के संवर्ग में रिक्तियों के संबंध में उन्होनें कहा कि लोकपाल को शिकायतों और हितग्राहियों की शिकायतों के समय पर निराकरण के लिए नियुक्ति किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, शिकायतें दर्ज करने के लिए एक हेल्पलाइन और एक वेबसाइट भी स्थापित किया गया है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव का उत्तर पुष्टि करता है कि मनरेगा योजना के अधीन विभिन्न संवर्गों में भारी रिक्तियों के कारण एक प्रभावी संरचनात्मक तंत्र तथा अनुश्रवण प्रणाली की स्थापना नहीं की जा सकी।

2.2.6.2 क्षमता निर्माण

योजना के प्रभावी और दक्षतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए सभी स्तरों पर कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य है।

अभिलेखों की जांच में पाया गया कि विभाग द्वारा ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से जनसम्पर्क अधिकारियों कार्यक्रम अधिकारियों, सहायक कार्यक्रम अधिकारियों, ग्राम रोजगार सहायकों, सचिव, ग्राम पंचायत, तकनीकी सहायकों, लेखापालों इत्यादि को मिलाकर 33,307 कर्मचारियों को मनरेगा से संबंधित विभिन्न विषयों, एम आई एस, सामाजिक अंकेक्षण, डाकघर से भुगतान, कर्त्तव्यों और जिम्मेदारियों आदि का प्रशिक्षण दिया गया था।

नमूना जांच किये गये जिलों में हमने पाया कि वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान यद्यपि 16,767 कर्मचारियों को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए मनोनित किया गया था परन्तु केवल 15,751 कर्मचारी प्रशिक्षित किया गया।

2.2.6.3 ग्राम रोजगार सहायक की अनियमित निरंतरता

आयुक्त, रोजगार गारंटी द्वारा जारी निर्देश (दिसम्बर 2007) के अनुसार ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति एक वर्ष (जनवरी से दिसम्बर) तक के लिए किया जाना चाहिए और आगामी वर्षो के लिए ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति के लिए रोस्टर बनाया जाना चाहिए।

ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति वार्षिक तौर पर नहीं की गई तथा रोस्टर संधारित नहीं किया गया था

अभिलेखों की जांच में हमने पाया कि यद्यपि ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति नमूना जाँच किये गये 140 ग्राम पंचायतों में वर्ष 2007-08 से 2011-12 में की गई थी, पर वे एक वर्ष की निर्धारित अवधि के स्थान पर एक से पाँच वर्ष तक उस पद पर रहे। दिशा निर्देश के अनुसार सभी विकासखण्ड स्तर पर ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति हेतु रोस्टर का संधारण नही किया गया।

निर्गम बैठक (अगस्त 2012) के दौरान अतिरिक्त् मुख्य सचिव प्रकरण की जांच करने के लिए सहमत हुए।

2.2.6.4 सामग्री घटक के अंतर्गत मेट को भुगतान नही किया गया

छत्तीसगढ शासन (पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग) द्वारा जारी निर्देश (सितम्बर 2007) के अनुसार मस्टर रोल बनाने तथा किए गये कार्यो की माप हेतु कम से कम 50 हितग्राहियों पर एक मेट (न्यूनतम 10 वीं पास अर्हता) की नियुक्ति की जानी चाहिए। आगे, प्रत्येक ग्राम पंचायत में वार्षिक आधार पर ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित मेट का पैनल बनाना चाहिए तथा मेट की नियुक्ति रोटेशन आधार पर किया जाना चाहिए। निर्देशानुसार मेट के भुगतान को सामग्री घटक में भारित किया जायेगा।

छः चयनित जिलों के अभिलेखों की नमूना जाँच मे पाया गया कि ग्राम पंचायतों में मेट की नियुक्ति हेतु मेट का पैनल तथा रोस्टर नहीं बनाया गया था तथा उन मेट को एक से अधिक वर्ष के लिए प्रावधानों के विपरीत लगातार रखा गया। आगे हमने पाया कि मेट को भुगतान मस्टर रोल के माध्यम से जारी की गई थी तथा सामग्री घटक के स्थान पर अकुशल श्रमिक (मजदूरी) में भारित किया गया था।

निर्गम बैठक (अगस्त, 2012) के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि प्रावधानों की कठोरता से पालन करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किये जायेगें।

2.2.7 योजना

योजना के दिशानिर्देशों की कंडिका 4.4.1 के अनुसार पंचायतें जिला, मध्यवर्ती तथा ग्राम स्तर पर योजना बनाने हेतु प्रमुख प्राधिकरण है। मनरेगा अधिनियम की धारा 13-16 के तहत योजना की प्रक्रिया, मनरेगा के अधीन ग्राम सभा को किए जाने वाले कार्यो की अनुशंसायें करने का प्राधिकार देता है। ग्राम पंचायत को चाहिये कि ग्राम सभा की अनुशंसाओं के आधार पर परियोजनाओं की सूची को सम्मिलित कर एक विकास योजना तैयार करे। ग्राम पंचायत द्वारा प्राथमिकता दर्शाते हुये विकास योजना कार्यक्रम अधिकारी को प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर तक प्रस्तुत किया जायेगा। कार्यक्रम अधिकारी इस योजना को विकासखंड स्तर की योजना में संकलित कर जिला कार्यक्रम समन्वयक को 30 नवम्बर तक अग्रेषित करेगा। जिला कार्यक्रम समन्वयक परियोजनाओं की सूची एवं श्रम बजट को 31 दिसम्बर तक अनुमोदित करेगा।

आगे छत्तीसगढ ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की कंडिका 4.2 के अनुसार अग्रिम रूप से योजना की सुविधा देने तथा जिला हेतु परिपेक्ष्य विकास प्रदाय करने एक जिला पंचचर्षीय योजना तैयार करेगा।

अभिलेखों की जाँच में निम्नानुसार पाया गयाः

2.2.7.1 जिला पंचवर्षीय योजना तैयार नहीं किया जाना

अभिलेखों की जाँच के दौरान हमने पाया कि दुर्ग जिले को छोड़कर जाँच किये गये जिलों ने मनरेगा योजना अंतर्गत कार्यो हेतु पृथक से जिला पंचवर्षीय योजना तैयार नहीं किया गया। दुर्ग जिले में राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना हेतु तैयार परिपेक्ष्य योजना का उपयोग महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन हेतु किया।

जिला पंचवर्षीय योजना तैयार करने हेतु निधि का उपयोग नही किया गया तथा मनरेगा खाते में हस्तान्तरित किया गया

हमने यह भी पाया कि वर्ष 2007-08 में जिला परिपेक्ष्य योजना तैयार करने हेतु दुर्ग जिलो को केन्द्र सरकार द्वारा राशि ₹ 50 लाख प्राप्त हुई थी। इस राशि का उपयोग जिला पंचवर्षीय योजना तैयार करने में नहीं किया गया तथा राशि ₹ 2.17 लाख के व्यय के समायोजन पश्चात राशि ₹ 47.83 लाख का हस्तांतरण मनरेगा खाते में किया गया।

निर्गम बैठक (अगस्त 2012) के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि प्रारंभ में वर्ष 2005-10 के लिए काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत तैयार जिला पंचवर्षीय योजना का उपयोग मनरेगा योजना में किया गया था तथा सभी जिला कार्यक्रम समन्वयको को वर्ष 2011-15 के लिए जिला पंचवर्षीय योजना तैयार करने के निर्देश जारी किये जायेंगे। उन्होने आगे बताया कि जिला कार्यक्रम समन्वयक, दुर्ग के पास बकाया राशि वर्ष 2011-15 के जिला पंचवर्षीय योजना तैयार करने में उपयोग किया जायेगा।

2.2.7.2 वार्षिक योजना

मनरेगा योजना की प्रचालन दिशा निर्देशों की कंडिका 3.3.1 के अनुसार वार्षिक योजना एक कार्य योजना है जो किसी एक वर्ष के दौरान किए जाने वाले कार्यो की पहचान करता है।

हमने देखा कि चयनित जिलों के सभी विकासखण्डों में वर्ष 2007-08 से 2011-12 की अवधि में वार्षिक योजना तैयार की गई थी तथापि वार्षिक योजनाएँ / परियोजना की सूची ग्राम पंचायतों द्वारा तैयार नहीं कराये जा रहे थे। आगे, योजना के विभागों को स्वीकृत/क्रियान्वित कार्य दिशानिर्देशों में दिए प्रावधान अनुसार ग्राम सभा द्वारा चयनित/ अनुशंसित नही थे, परन्तु जिला कार्यक्रम समन्वयक / जिला पंचायत द्वारा सीधे आबंटित किये गये जिसकी चर्चा कंडिका 2.2.11.6 में की गई है।

निर्गम बैठक (अगस्त 2012) के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव ने लेखापरीक्षा आपत्ति पर सहमति दर्शायी तथा कहा कि महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के द्वितीय चरण में अन्य विभागों की भूमिका कम की जाएगी और इस समस्या को हल किया जाएगा।

2.2.7.3 श्रम बजट आकलन और रोजगार उपलब्ध कराने में विसंगतियाँ

श्रम बजट आगामी वर्ष के दौरान उपलब्ध कराये जाने वाले रोजगार के मानव दिवस के लक्ष्य को दर्शाता है। मनरेगा योजना की परिचालन दिशानिर्देश की कंडिका 7.3 अनुसार भारत सरकार के अनुमोदन हेतु जिला पंचायत द्वारा श्रम बजट तैयार किया जाना था तथा तदानुसार भारत सरकार द्वारा बजट जारी किया जाता है।

वर्ष 2008-09 से 2011-12 के दौरान वास्तविक सृजित मानव दिवस की प्रतिशतता में कमी हुई

हमने पाया कि वर्ष 2008-09 से 2011-12 की अवधि में राज्य के श्रम बजट दोलन प्रवृति दर्शायी किन्तु वास्तव में सृजित मानव दिवस का प्रतिशत इस अवधि के दौरान **तालिका 2** मे दर्शाये अनुसार कम रहा।

तालिका: 2 श्रम बजट का आंकलन और वास्तविक रोजगार का सृजन

वर्ष	श्रम बजट आकलन के अनुसार उपलब्ध कराये जाने वाले मानव दिवस	वास्तव में सृजित मानव दिवस की संख्या	अन्तर
2008-09	25,64,316	22,70,415 (89%)	2,93,901
2009-10	23,76,476	20,25,845 (85%)	3,50,631
2010-11	29,79,215	24,85,581 (83%)	4,93,634
2011-12	41,71,436	26,57,441(64%)	15,13,995

(स्त्रोतः विभाग द्वारा प्रस्तुत जानकारी)

जिला पंचायत, बस्तर, दुर्ग और जशपुर के श्रम बजट और मासिक प्रगति प्रतिवेदनों की आगामी जाँच में हमने देखा कि आंकलन और उपलब्ध कराये गये वास्तविक मानव दिवस लेखापरीक्षा के दौरान समावेशित अवधि में नीचे दर्शाये अनुसार घटते क्रम में थी ।

तालिका 3: तीन चयनित जिलों में श्रम बजट का आंकलन तथा वास्तविक रूप से उपलब्ध कराया गया रोजगार

(मानव दिवस करोड़ में)

वर्ष	श्रम बजट के अनुसार प्राकल्लित मानव दिवस	एम पी आर के अनुसार उपलब्ध कराये गये मानव दिवस	कमी का प्रतिशत
बस्तर			
2007-08	1.85	0.99	46
2008-09	1.05	0.66	37
2009-10	0.76	0.36	53
2010-11	0.71	0.34	52
दुर्ग			
2008-09	1.74	0.58	67
2009-10	1.54	0.88	42
2010-11	1.41	1.10	21
2011-12	1.32	1.20	9
जशपुर			
2008-09	0.83	0.56	33
2009-10	0.82	0.48	41
2010-11	0.60	0.57	5

(स्त्रोतः बस्तर, दुर्ग और जशपुर जिलो के श्रम बजट के अनुसार)

प्राक्कलित मानव दिवस की तुलना में वास्तविक रूप से उपलब्ध कराये गये रोजगार में कमी यह दर्शाता है कि जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा उचित आंकलन के बिन बजट तैयार किया गया

तालिका से स्पष्ट है कि प्राक्कलित मानव दिवस की तुलना में वास्तविक रूप से उपलब्ध कराये गये रोजगार का प्रतिशत पॉच से 67 प्रतिशत तक कम था जो दर्शाता है कि जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा उचित आंकलन के बिना बजट तैयार किया गया।

निर्गम बैठक (अगस्त 2012) के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि यह माँग आधारित योजना है तथा मांग की कमी होने के कारण हर समय लक्ष्य प्राप्त नही किया जा सकता।

2.2.8 वित्तीय प्रबंधन

भारत सरकार मनरेगा योजना के क्रियान्वयन हेतु आयुक्त, रोजगार गारंटी को निधि जारी करता है। राज्य सरकार भी अपनी अंश आयुक्त, रोजगार गारंटी को हस्तांतरित करती है जिसे जिलों को जारी किया जाता है। मनरेगा योजना के अन्तर्गत निधि हेतु राज्य, जिला, विकासखण्ड तथा ग्राम पंचायत स्तर पर पृथक बैंक खाता खोले गये हैं। मनरेगा योजना की प्रचालन दिशानिर्देशों की कंडिका 7.2.7 तथा 7.4.1 के अनुसार जिला कार्यक्रम समन्वयक, कार्यक्रम अधिकारी तथा ग्राम पंचायत के सचिव क्रमशः मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, जिला पंचायत/ जनपद पंचायत तथा ग्राम पंचायत के सरपंच के साथ संयुक्त खातेदार हैं। निधियाँ को उत्तरोतर रूप से नीचे स्तरों के बैंक खातों में हस्तातंरित किया जाता है।

2.2.8.1 वित्तीय निष्पादन

राज्य द्वारा अप्रैल 2007 से मार्च 2012 के दौरान योजना पर कुल उपलब्ध निधियों ₹ 9834.32 करोड़ के विरूद्ध कुल ₹ 7839.06 करोड़ (80 प्रतिशत) व्यय किया गया । राज्य तथा नमूना जाँच किये गये जिलों का वित्तीय निष्पादन नीचे दिया गया है:

तालिका 4 : राज्य के वित्तीय निष्पादन को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(राशि करोड़ ₹ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	प्राप्तियाँ			कुल उपलब्ध निधि	व्यय	बकाया निधि	कुल उपलब्ध निधि से व्यय का प्रतिशत	कुल निधि से बकाया का प्रतिशत
		केन्द्रीय	राज्य	अन्य					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2007-08	208.37	1161.85	136.16	11.18	1517.56	1401.83	115.73	92.37	7.63
2008-09	143.00	1642.17	182.69	5.73	1973.59	1434.48	539.11	72.68	27.32
2009-10	666.85	847.21	93.91	9.14	1617.11	1322.67	294.45	81.79	18.21
2010-11	334.16	1697.27	183.68	17.99	2233.10	1633.98	599.11	73.17	26.83
2011-12	658.57	1638.56	178.70	17.13	2492.96	2046.10	446.86	82.08	17.92
योग		**6987.06**	**775.14**	**61.17**	**9834.32**	**7839.06**			

(स्त्रोतः राज्य के एम पी आर के अनुसार)

तालिका 5 : छः नमूना जाँच किये गये जिलों की वित्तीय निष्पादन को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(राशि करोड़ ₹ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	प्राप्तियाँ	उपलब्ध राशि	व्यय	अंतशेष	उपयोग नही की गई निधि का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
2007-08	57.04	343.45	400.49	364.11	36.37	9.08
2008-09	42.68	499.44	542.12	391.48	150.64	27.79
2009-10	152.10	302.88	454.98	407.83	47.15	10.36
2010-11	57.04	688.56	745.60	513.96	231.64	31.06
2011-12	226.92	476.22	703.14	556.78	146.36	20.81
योग		**2310.55**	**2846.34**	**2234.17**		

(स्त्रोतः नमूना जाँच जिलों के मासिक प्रगति प्रतिवेदन के अनुसार)

राज्य और नमुना जाँच किये गये जिलों में उपयोग नहीं की गई निधि का प्रतिशत क्रमशः 8 से 27 तथा 9 से 31 के मध्य रहा

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि राज्य तथा नमूना जाँच किये गये जिलों में उपयोग नहीं की गई निधि का प्रतिशत क्रमशः 8 से 27 तथा 9 से 31 के मध्य रहा।

निर्गम बैठक (अगस्त 2012) के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति में विलम्ब के कारण निधियाँ शेष रही।

2.2.8.2 हितग्राहियों को भुगतान हेतु राशि ₹ 69.90 करोड़ का धनादेश बैंक/डाकघर में जमा करने के स्थान पर अनियमित रूप से सरपंचो के पक्ष में जारी किया जाना

छत्तीसगढ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जॉब कार्ड धारियों के पक्ष में बैंक /डाकघर में खाता खोलने तथा हितग्राहियों के खाता में भुगतान की प्रक्रिया हेतु दिशानिर्देश जारी (30 जनवरी,17 मार्च तथा 2 मई 2009) किए गये । दिशानिर्देश के अनुसार जनपद पंचायतों के कार्यक्रम अधिकारी द्वारा विकासखण्ड स्तर में प्राप्त मस्टर रोल के आधार पर कुल देय मजदूरी राशि की गणना हेतु मजदूरी पर्ची/सूची तैयार किया जायेगा। कार्यक्रम अधिकारी द्वारा मजदूरी पर्ची/सूची के साथ कुल राशि के बराबर का धनादेश संबंधित बैंक /डाकघर को जारी करेगा। तदनुसार बैंक/डाकघर संबंधित हितग्राहियों के खाते में मजदूरी की राशि जमा करेगा।

शासन द्वारा जारी निर्देशों के विपरीत मजदूरी भुगतान हेतु राशि 69.90 करोड़ के धनादेश सरपंचो को जारी किये गये

कांकेर जिले के जनपद पंचायत, नरहरपुर तथा बस्तर जिले के जनपद पंचायत, बस्तर, माकड़ी एवं बाकावंड के अभिलेखों की जाँच में प्रकट हुआ कि यद्यपि बैंक/डाकघर में जॉब कार्ड धारियो के नाम से खाते खोले गये थे तथा मजदूरी पर्ची/सुची बनायी गयी थी तथापि कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा वर्ष 2009-12 के दौरान हितग्राहियों के मजदूरी के भुगतान हेतु राशि ₹ 69.90 करोड़ के धनादेश (नरहरपुर में ₹ 35.49 करोड़, माकड़ी में ₹ 11.59 करोड़, बस्तर मे ₹ 11.26 करोड़ तथा बकावण्ड में ₹ 11.56 करोड़) उपरोक्त निर्देर्शो के विपरीत सरपंचों के पक्ष में जारी किये गये।

निर्गम बैठक (अगस्त 2012) में अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि पहले ही निर्देश दिये जा चुके है तथा तदानुसार कार्यक्रम अधिकारियों/मुख्य कार्यपालन अधिकारियों द्वारा पूरे राज्य में धनादेश सीधे बैंक/डाकघर को जारी किए जा रहे हैं। तथापि इस प्रकरण में पुनः निर्देश जारी किये जायेंगे।

2.2.8.3 राज्यांश जारी करने में विलम्ब

मनरेगा योजना की प्रचालन दिशानिर्देश की कंडिका 7.3.11 में प्रावधान है कि राज्यांश को केन्द्रांश जारी करने के तिथि के 15 दिवस के भीतर जारी किया जायेगा।

राज्यांश 5 से 139 दिन के बिलम्ब से जारी किया गया

छः चयनित जिलों के अभिलेखों की जाँच में पाया कि वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान **परिशिष्ट 2.2.2** में दर्शाए अनुसार राज्यांश को 5 से 139 दिन के विलम्ब से जारी किया गया।

हमने पुनः देखा कि राज्यांश राशि ₹ 19.46 करोड़ (₹ 12.13 करोड़ एवं ₹ 7.33 करोड़) जिला कार्यक्रम समन्वयक, बस्तर, दुर्ग, जशपुर तथा महासमुन्द को वित्तीय वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 के अन्त में बजट प्रावधानों को व्यपगत होने से बचाने के लिए जारी किया गया।

2.2.8.4 वित्तीय अभिलेखों के आकड़ों में विसंगतियाँ

रोकड़ बही किसी भी योजना के अंतर्गत प्राप्त समस्त निधियों की प्राप्तियों तथा व्यय का प्रमुख अभिलेख होता है। उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्यो के कियान्वयन तथा उसपर किये गये व्यय के आधार पर तैयार किये जाते है। मासिक प्रगति प्रतिवेदनों को प्रत्येक माह के अन्त में वास्तविक वित्तीय स्थिति को दर्शाने के लिए बनाया जाता है तथा चार्टर्ड एकाउन्टेंट (सी ए) प्रतिवेदन रोकड़ बही, प्रमाणको इत्यादि के आधार पर बनाया जाता है। लेखांकन प्रक्रिया के अनुसार रोकडबही, मासिक प्रगति प्रतिवेदन, सी.ए. प्रतिवेदन तथा जारी उपयोगिता प्रमाण पत्र में मिलान होना चाहिए। पुनः मनरेगा योजना की प्रचालन दिशानिर्देशों की कंडिका 7.5 में प्रावधानित है कि सभी प्राप्तियों तथा व्यय का उचित लेखांकन किया जाना चाहिए।

राज्य साथ ही साथ नमूना जाँच किये गये जिलों के अभिलेखों की जाँच में हमने निम्नलिखित विसंगतयाँ पायाः

2.2.8.4.1 मासिक प्रगति प्रतिवेदनों के प्रारंभिक तथा अंत शेष के आंकड़ो में मिलान नहीं होना

मनरेगा योजना के परिचालन दिशानिर्देशों की कंडिका 9.3.2 के अनुसार जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा मासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन तैयार किया जायेगा जिसे भारत सरकार एवं आयुक्त, रोजगार गारंटी को प्रेषित किया जायेगा ।

वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान मासिक प्रगति प्रतिवेदन में दर्शाए अंतशेष तथा प्रारंभिक शेष से मिलान नही हुआ

मासिक प्रगति प्रतिवेदनों की जाँच के दौरान हमने देखा कि **तालिका 6** में दर्शाये अनुसार वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान मासिक प्रगति प्रतिवेदन के अन्तशेष तथा प्रारंभिक शेष मिलान नहीं हो रहा था।

तालिका 6 : राज्य के मासिक प्रगति प्रतिवेदन के अन्त शेष तथा प्रारंभिक शेष में अंतर को दर्शाने वाली तालिका

(राशि करोड़ ₹ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	प्राप्तियाँ			कुल निधि	कुल व्यय	अंत शेष	अन्तर (प्रा.शे.-अं.शे.)
		केन्द्रांश	राज्यांश	विविध				
2006-07	57.77	702.70	77.70	2.87	841.04	668.82	172.23	—
2007-08	208.37	1161.85	182.69	11.18	1517.56	1401.83	115.73	36.15
2008-09	143.00	1642.17	93.91	5.73	1973.59	1434.48	539.11	27.27
2009-10	666.85	847.21	183.68	9.14	1617.11	1322.67	294.45	127.74
2010-11	334.16	1697.27	178.70	17.99	2233.10	1633.98	599.11	39.71
2011-12	658.57	1638.56	136.16	17.13	2492.96	2046.10	446.86	59.46

(स्त्रोतः मासिक प्रगति प्रतिवेदन के अनुसार)

इन विसंगतियाँ से स्पष्ट होता है कि आंकड़ो का पुनर्मिलान नही हुआ था ।

2.2.8.4.2 रोकड़ बही तथा मासिक प्रगति प्रतिवेदन के प्रारंभिक तथा अंत शेषों में विसंगतियाँ

लेखांकन प्रक्रिया के अनुसार मासिक प्रगति प्रतिवेदन (एम पी आर) में दर्शाये गये प्रारंभिक तथा अंत शेष, प्राप्तियाँ, भुगतान, आय, व्यय इत्यादि रोकड़ बही साथ ही साथ सी ए प्रतिवेदनों से समर्थित होना चाहिए। पुनः गत वर्ष की अंत शेष चालु वर्ष का प्रारंभिक शेष होना चाहिए।

कार्यक्रम अधिकारी, जनपद पंचायत, पत्थलगाँव, जिला जशपुर के वर्ष 2007-08 से 2011-12 के अवधि के एम पी आर के जांच में प्रकट हुआ कि **तालिका 7** में दर्शाये अनुसार गतवर्ष के अंतशेष को बाद के वर्षो में प्रारंभिक शेष के रूप में नहीं लिया गया था।

तालिका 7: मासिक प्रगति प्रतिवेदनों का अंतशेष तथा प्रारंभिक शेष दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(राशि करोड़ ₹ में)

स. क्र	वर्ष	प्रारंभिक शेष	प्राप्तियाँ	योग	व्यय	वास्तविक अंतशेष
1	2006-07	0.04	11.24	11.28	8.28	3.00
2	2007-08	3.07	3.74	6.81	6.70	0.11
3	2008-09	0.11	6.57	6.68	5.52	1.16
4	2009-10	1.80	3.70	5.50	5.48	0.02
5	2010-11	0.01	12.56	12.57	12.38	0.19
6	2011-12	0.19	15.05	15.24	15.21	0.03

(स्त्रोतः मासिक प्रगति प्रतिवेदन के अनुसार)

अंत शेष के सही आंकड़े जिसे लिया जाना चाहिए था उसे **तालिका 8** में दर्शाया गया है।

तालिका 8: अंतशेष के वास्तविक आकड़े जिसे प्रारंभिक शेष के रूप में लिया जाना था को दर्शाने वाला विवरण प्रत्रक

(राशि करोड़ ₹ में)

स. क्र.	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतशेष
1	2006-07	0.04	11.24	11.28	8.28	3.00
2	2007-08	3.00	3.74	6.74	6.70	0.04
3	2008-09	0.04	6.57	6.61	5.52	1.09
4	2009-10	1.09	3.70	4.79	5.48	(-) 0.69
5	2010-11	(-) 0.69	12.57	11.87	12.38	(-) 0.51
6	2011-12	(-)0.51	15.05	14.54	15.21	(-) 0.67

(स्रोतः जनपद पंचायत, पत्थलगांव का रोकड़ बही और एम पी आर)

आगे, **तालिका 9** में दर्शाये अनुसार एम पी आर के प्रारंभिक शेष और अन्तशेष के आँकड़े उस अवधि के रोकड़ बही के आंकडों का मिलान नहीं हो रहा था।

तालिका 9: मासिक प्रगति प्रतिवेदन और रोकड़ बही के आँकडों में असमानता को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(राशि करोड़ ₹ में)

स. क्र.	वर्ष	प्रारंभिक शेष			अंतशेष		
		रोकड़ बही	एम पी आर	अंतर	रोकड़ बही	एम पी आर	अंतर
1	2007-08	3.09	3.07	0.02	0.11	0.11	0.00
2	2008-09	0.11	0.11	निरंक	1.80	1.16	0.64
3	2009-10	1.80	1.80	निरंक	0.21	0.02	0.19
4	2010-11	0.21	0.01	0.20	0.19	0.19	0.00
5	2011-12	0.19	0.19	निरंक	0.04	0.04	0.00

(स्रोतः जनपद पंचायत, पत्थलगांव का रोकड़ बही और एम पी आर)

प्रारम्भिक शेष के आकड़ो में अंतर ₹ 2 लाख से ₹ 20 लाख और अंतशेष के आकड़ो में अंतर ₹ 19 लाख से ₹ 64 लाख तक था।

निर्गम बैठक (अगस्त 2012) के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि चार्टर्ड एकाउन्टेंट को आंकड़ो के पुनर्मिलान हेतु निर्देश जारी किये जायेंगे। आगे यह भी बताया कि सी ए के प्रतिवेदन में दर्शित आंकड़े सही है क्योंकि यह जारी किये गये एवं भुनाये गये धनादेशों का विस्तृत विवरण दर्शाता है।

उत्तर से स्पष्ट है कि मूल अभिलेखों में प्रदर्शित आंकड़ों का पुनर्मिलान नही किया गया।

2.2.8.5 प्रशासकीय मद के अंतर्गत अधिक व्यय

राज्य शासन द्वारा जारी निर्देश (25 फरवरी 2008) के अनुसार प्रशासकीय व्यय का अनुमत्य प्रतिशत क्रमशः ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत स्तर पर वर्ष के दौरान कुल व्यय का 0.5, 2 और 1.5 प्रतिशत था।

जनपद पंचायत, बस्तर और बकावण्ड के अभिलेखों की जांच में हमने पाया कि प्रशासकीय व्यय का प्रतिशत **तालिका 10** में दर्शाये अनुसार निर्धारित सीमा से अधिक था ।

तालिका 10: निर्धारित सीमा से अधिक किए गए प्रशासकीय व्यय का विस्तृत विवरण

(राशि करोड़ ₹ में)

वर्ष	कुल व्यय	प्रशासकीय व्यय	अनुमत्य व्यय 2.5 प्रतिशत (ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत)	अधिक व्यय	अधिक व्यय का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
बस्तर					
2008-09	2.54	0.22	0.06	0.16	266.67
2009-10	2.95	0.28	0.07	0.21	300.00
योग	5.49	0.50	0.13	0.37	
बकावंड					
2008-09	2.50	0.27	0.06	0.21	350.00
2009-10	2.59	0.19	0.06	0.13	216.67
2010-11	3.62	0.21	0.09	0.12	133.33
2011-12	6.02	0.29	0.15	0.14	93.33
योग	**14.73**	**0.96**	**0.36**	**0.60**	
सकल योग	**20.22**	**1.46**	**0.49**	**0.97**	

(स्रोतः विभाग द्वारा प्रदायित सूचना)

प्रशासकीय व्यय निर्धारित सीमा से अधिक किया गया

जैसा कि उक्त तालिका से स्पष्ट है, अनुमत्य व्यय सीमा ₹ 13 लाख और ₹ 36 लाख के विरूद्ध ₹ 50 लाख और ₹ 96 लाख का व्यय क्रमशः जनपद पंचायत, बस्तर और बकावण्ड मे किया गया, परिणामस्वरूप अनुमत्य सीमा से ₹ 37 लाख और ₹ 60 लाख का अधिक व्यय किया गया।

निर्गम बैठक (अगस्त 2012) के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि मनरेगा मानकों के अनुसार प्रशासकीय व्यय की सीमा कुल व्यय की छः प्रतिशत है और ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के लिए प्रशासकीय व्यय पर क्रमशः 0.5, 2 और 1.5 प्रतिशत का मापदण्ड केवल निधि के प्रवाह पर आंतरिक नियंत्रण हेतु जारी किए गए थे।

उत्तर राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप नहीं था क्योंकि दो जनपदों में अनुमत्य सीमा से अधिक व्यय किया गया।

पुनः दुर्ग जिले में हमने पाया कि वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान प्रशासकीय मद से राशि ₹ 4.77 लाख का व्यय नवीन स्थापित जिला कलेक्टोरेट भवन (बालोद एवं बेमेतरा) की साज- सज्जा पर किया गया । हमने आगे पाया कि मई 2011 से मार्च 2012 के दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दुर्ग के मोबाइल देयक की राशि ₹ 14,306 का भुगतान भी मनरेगा योजना के प्रशासकीय मद से किया गया जो कि व्यय की अनुमत्य श्रेणी में नहीं था।

निर्गम बैठक (अगस्त 2012) के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि मोबाईल का उपयोग कार्य के अनुश्रवण हेतु किया गया था।

उत्तर मनरेगा योजना की दिशानिर्देश, जो कि इस व्यय की अनुमति नहीं देता था, के अनुरूप नही है।

2.2.8.6 एस जी आर वाय और एन एफ एफ डब्ल्यू पी निधियों (केन्द्रांश) का हस्तांतरण नही किया जाना

भारत सरकार के निर्देश (अक्टुबर 2007) के अनुसार समपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस जी आर वाय) और राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना (एन एफ एफ डब्ल्यू पी) के अंतर्गत अनुमोदित समस्त कार्य मार्च 2007 तक पूर्ण किए जाने थे और शेष निधि मनरेगा खाते में 31 मार्च 2008 तक हस्तांतरण किया जाना था।

एस जी आर वाय तथा एन एफ डब्ल्यु पी की बकाया निधियों राशि ₹ 1.23 करोड़ मनरेगा खाते में हस्तांतरित नहीं किया गया

जनपद पंचायत, बसना एवं पिथौरा (महासमुन्द जिला) और जनपद पंचायत, नरहरपुर (कांकेर जिला) जहां योजना 1 अप्रैल 2007 से लागू थी के अभिलेखों की जांच में हमने पाया कि बकाया राशि ₹ 1.23 करोड़[7] को मनरेगा खाते में पांच वर्ष से ज्यादा विलम्ब के बाद भी हस्तांतरण नहीं किया गया था।

निर्गम बैठक (अगस्त 2012) के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि जनपद पंचायत और जिला पंचायत के पास उपलब्ध एन एफ एफ डब्ल्यू पी और एस जी आर वाय की बकाया राशि को हस्तांतरण हेतु सभी संबंधितों को निर्देश पहले से ही जारी किया जा चुका है।

2.2.8.7 एस जी आर वाय और एन एफ एफ डब्ल्यू पी निधि (खाद्यान्न परिवहन) के राज्यांश राशि ₹ 13.27 करोड़ का हस्तांतरण नहीं किया जाना

आयुक्त, रोजगार गारंटी द्वारा समपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस जी आर वाय) और राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना (एन एफ एफ डब्ल्यू पी) के केन्द्रांश की बकाया राशि को मनरेगा खाते में हस्तांतरण हेतु निर्देश (अक्टुबर 2007) जारी किया गया। जबकी राज्य शासन द्वारा लेखापरीक्षा अवधि तक एन एफ एफ डब्ल्यू पी और एस जी आर वाय के खाद्यान्न परिवहन (राज्यांश) की बकाया राशि के हस्तांतरण के लिए आदेश जारी नहीं किया गया।

एस जी आर वाय तथा एन एफ एफ डब्ल्यु पी (खाद्यान्न परिवहन) के राज्यांश की राशि मनरेगा खाते में हस्तांतरित नहीं किए गए

जिला कार्यक्रम समन्वयक, कोरिया, बस्तर, दुर्ग, जशपुर और कांकेर के अभिलेखों की जाँच में हमने पाया कि एन एफ एफ डब्ल्यू पी और एस जी आर वाय के खाद्यान्न परिवहन (राज्यांश) की बहुत बड़ी बकाया राशि ₹ 13.27 करोड़ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायतों के बैंक खातों में जमा थी जिसका विवरण **तालिका 11** में दिया गया है।

[7] एन एफ एफ डब्ल्यु पी के अधीन कांकेर में ₹ 22.56 लाख तथा महासमुन्द में एन एफ एफ डब्ल्यु पी के अधीन ₹ 48.76 लाख तथा एस जी आर वाय के अधीन ₹ 51.38 लाख

तालिका 11: एन एफ एफ डब्ल्यू पी और एस जी आर वाय के तहत खाद्यान्न परिवहन की बकाया राशि की स्थिति

(राशि करोड़ ₹ में)

स. क्र.	जिले का नाम	मार्च 2012 को शेष राशि
1	कोरिया	2.37
2	बस्तर	1.26
3	दुर्ग	3.39
4	जशपुर	2.37
5	कांकेर	3.88
योग		13.27

(स्रोतः विभाग द्वारा प्रदायित जानकारी)

निर्गम बैठक (अगस्त 2012) के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि खाद्यान्न परिवहन की बकाया राशि को शीघ्र ही हस्तांतरण किया जायेगा।

2.2.8.8 बकाया अग्रिम राशि ₹ 53.41 लाख समायोजन नहीं किया जाना

छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता के नियम 53 (4) के अनुसार कर्मचारियों/अधिकारियों को दिए गए अग्रिम तीन माह के भीतर या वित्तीय वर्ष के समाप्ति के पूर्व जो भी पहले हो समायोजित किया जाना चाहिए।

सरपंचो को दिए अग्रिम ₹ 53.41 लाख का समायोजन नही किया गया

जिला कार्यक्रम समन्वयक, बस्तर के अभिलेखों की जांच के दौरान हमने पाया कि वर्ष 2006-07 से 2009-10 के दौरान विभिन्न ग्राम पंचायतों के सरपंचों को मनरेगा योजना से संबंधित कार्यो के लिए कुल ₹ 53.41 लाख का अग्रिम दिया गया था जो वित्तीय वर्ष 2011-12 के अन्त तक न तो समायोजित किये गये न ही वसूली की गई थी।

निर्गम बैठक (अगस्त 2012) के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया दिया कि शेष राशि की वसूली हेतु कार्यवाही की जायेगी।

2.2.9 पंजीयन

मनरेगा योजना की प्रचालन दिशानिर्देशों की कंडिका 4.2 के अनुसार प्रत्येक परिवार का व्यस्क सदस्य जो अकुशल श्रम करने के लिए इच्छुक है इस योजना के तहत पंजीयन के लिए आवेदन कर सकता है। प्रत्येक परिवार द्वारा आवेदन की प्राप्ति पर संबंधित ग्राम पंचायत के सदस्य द्वारा परिवार के व्यस्क का विवरण जैसे नाम, उम्र और पता सत्यापित करने के लिए एक सर्वेक्षण किया जायेगा। ये विवरण जॉब कार्ड संख्या के साथ बी-8 फार्म या जॉब कार्ड रजिस्टर में प्रविष्टि किए जायेगें और पंजीकरण के लिए आवेदन की दिनांक से एक पखवाड़े के अंदर परिवार को दिया जाना चाहिए। पंजीयन विवरण परिवार के सदस्यों के स्कैन फोटो सहित आनलाईन एम आई एस में दर्ज किया जाना है। हितग्राहियों के जोड़ने या हटाने के मामलों में उसे ग्राम सभा में पढ़ा जाना चाहिए तथा ऐसे हितग्राहियों की सूची कार्यक्रम अधिकारी को भेजा जाना चाहिए।

पंजीयन के अभिलेखों की जांच के दौरान तथा हितग्राहियों के सर्वेक्षण में हमने निम्नलिखित विसंगतियाँ पायीः

2.2.9.1 द्वार-द्वार सर्वेक्षण किए बिना पंजीयन एवं जॉब कार्ड का जारी किया जाना

मनरेगा योजना की प्रचालन दिशानिर्देशों की कंडिका 4.2.5 में प्रावधान है कि अधिनियम के तहत पंजीकृत होने के लिए इच्छुक व्यक्तियों की पहचान कराने के लिए द्वार-द्वार सर्वेक्षण भी किया जा सकता है। सर्वेक्षण ग्राम पंचायत के मुखिया के नेतृत्व में एक टीम द्वारा आयोजित किया जा सकता है जिसमें वार्ड सदस्यों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और निवासरत महिलायें, ग्राम स्तरीय शासकीय तंत्र एवं ग्राम पंचायत के सचिव सम्मिलत रहेंगे।

पात्र हितग्राहियों का समावेशन सुनिश्चित करने के लिए द्वार-द्वार सर्वेक्षण नहीं किया गया था

मनेन्द्रगढ़ विकासखंड के तीन ग्राम पंचायतों (दुगला, केंवटी, कछोड़) और बैंकुठपुर विकासखंड के एक ग्राम पंचायत (बुडार) के हितग्राही सर्वेक्षण के दौरान हमने पाया कि आठ हितग्राही को ग्रामीण, रोजगार सहायक और सरपंच नहीं जानते थे। इससे यह स्पष्ट होता है कि पात्र हितग्राहियों का चयन सुनिश्चित करने के लिए द्वार-द्वार सर्वेक्षण नहीं किया गया।

निर्गम बैठक (अगस्त 2012) के दौरान, अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि पंजीयन के पूर्व ग्राम पंचायत स्तर पर द्वार-द्वार सर्वेक्षण नहीं किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि अधिनियम में भी द्वार-द्वार सर्वेक्षण का प्रावधान नहीं है।

उत्तर मनरेगा योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं है जिसमें स्पष्ट रूप से द्वार-द्वार सर्वेक्षण की व्यवस्था है।

2.2.9.2 बैंक पासबुक का जारी नहीं किया जाना तथा जॉब कार्डों को अद्यतन नहीं किया जाना

भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये निर्देशों के अनुसार, परिवारों द्वारा किये गये कार्य और उनको किये गये भुगतान की प्रविष्टि उनके जॉब कार्ड में किया जाना चाहिए तथा भुगतान बैंक/डाकघर के माध्यम से किया जाना चाहिए।

हितग्राहियों के नाम पर खाते खोले गये परन्तु उन्हें पासबुक जारी नहीं किये गये

बस्तर विकासखंड (बस्तर जिला) की ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की जॉच के दौरान तथा हितग्राही सर्वेक्षण में हमने पाया कि तीन ग्राम पंचायतों (केशरपाल, रेटावंड और तुरपुरा) में यद्यपि, हितग्राहियों के नाम से खाते खोले गये पर उन्हें बैंक/डाकघर पासबुक जारी नहीं किए गये थे।

एक सौ चालीस ग्राम पंचायतों के 1400 हितग्राहियों के सर्वेक्षण के दौरान हमारे समक्ष आयी अन्य अनियमित्तायें निम्नानुसार हैः

- नमूना जाँच किये गये चयनित ग्राम पंचायातों में पंजीकरण सामूहिक रूप से किया गया था तथा इसके लिये कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया।
- परिवार के सदस्य का नाम जोड़ना/घटाना या तो नहीं किया गया या विकासखंण्ड /जिला कार्यालय को सूचित नहीं किया गया।
- जॉब कार्ड में 14 प्रतिशत हितग्राहियों के फोटोग्राफ नहीं पाये गये जो परिचालन दिशानिर्देशों की कंडिका 4.3.3 के अनुसार आवश्यक था।

- परिचालन दिशानिर्देश की कंडिका 4.8.1 के तहत आवश्यक कार्य और भुगतान की जानकारी, क्रमशः 21 एवं 24 प्रतिशत मामलों में ही हितग्राहियों के सामने जॉब कार्ड में दर्ज किये गये ।
- बारह प्रतिशत जॉब कार्ड सक्षम प्रधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं थे।
- छियानवे प्रतिशत हितग्राहियों द्वारा बताया गया कि पंजीकरण के लिये मौखिक अनुरोध पर विचार किया गया।
- पंचानवे प्रतिशत हितग्राहियों द्वारा सहमती दी गई कि पंजीकरण प्रक्रिया साल भर खुली थी।
- नब्बे प्रतिशत हितग्राहियों ने पुष्टि की कि उन्हें पंजीकरण की तारीख से 15 दिन के भीतर जॉब कार्ड प्राप्त हो गये।
- तिरानवे प्रतिशत हितग्राहियों ने अपने पास जॉब कार्ड होने की पुष्टि की।

इंगित किये जाने पर अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया (अगस्त 2012) कि जॉब कार्ड धारकों को पहले से ही पासबुक जारी किया गया है तथा आगे इस संबध में निर्देश जारी किया जायेगा।

2.2.10 आजीविका सुरक्षा देने हेतु रोजगार

योजना के परिचालन दिशानिर्देश की कंडिका 4.1.1 के अनुसार सरकार प्रत्येक परिवार जिसका वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य स्वेचछा से करना चाहता है, को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी देती है। मनरेगा योजना की कंडिका 4.7 और 6.4.1 में प्रावधान है कि हितग्राही को उनके कार्य की मांग की तारीख से 15 दिनों के भीतर अनुमत्य काम में रोजगार उपलब्ध कराया जाना चाहिए, अन्यथा निर्धारित दर पर दैनिक बेरोजगारी भत्ता आवेदक को भुगतान किया जाना चाहिए और इसके भुगतान का दायित्व राज्य सरकार का है।

आवेदन के 15 दिनों के भीतर रोजगार के प्रावधान को सुनिश्चित करने के लिए, 1400 हितग्राहियों का एक हितग्राही सर्वेक्षण किया गया जिससे प्रकट हुआ कि केवल 48 प्रतिशत हितग्राहियों ने काम की माँग की जिसमें से 93 प्रतिशत को 15 दिन के भीतर रोजगार उपलब्ध कराया गया । शेष सात प्रतिशत को 15 दिन के भीतर रोजगार नहीं दिया गया,बावजूद इसके कोई बेरोजगारी भत्ता का भुगतान नहीं किया गया।

हमने पुनः रोजगार पंजी में देखा कि रोजगार के लिए आवेदन/अनुरोध के दिनांक को रोजगार पंजी में दर्ज नहीं किया गया जिससे रोजगार प्रदाय करने में देरी और बेरोजगारी भत्ता की प्रयोज्यता का सुनिश्चित करने में कठिनाई आई।

2.2.10.1 सौ दिनों की रोजगार गारंटी

अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2007-08 से 2011-12 तक की अवधि के दौरान 117.38 लाख परिवारों ने रोजगार की माँग की जिसमें से केवल 10.47 लाख परिवारों (8.92 प्रतिशत) को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया गया जबकि शेष

वर्ष 2007-12 के दौरान केवल 8.92 प्रतिशत परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया

91.08 प्रतिशत परिवारों को 100 दिन से कम का रोजगार उपलब्ध कराया गया। हमारे द्वारा आगे यह भी देखा गया कि नमूना जाँच किये गये जिलों में 37.33 लाख परिवारों को समीक्षा अवधि के दौरान रोजगार उपलब्ध कराया गया जिसमें से केवल 2.73 लाख परिवार (7.31 प्रतिशत) को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया गया।

तालिका 12 : वर्ष 2007-12 के दौरान परिवारों को 100 दिन का रोजगार दिए जाने की स्थिति दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(परिवार संख्या लाखों में)

स.क्र.	वर्ष	रोजगार की माँग करने वाले परिवारों की संख्या	रोजगार उपलब्ध कराये गये परिवारों की संख्या	100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराये जाने वाले परिवारों की संख्या	100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराये गये परिवार का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1	2007-08	22.97	22.94	2.56	11.16
2	2008-09	22.71	22.70	2.52	11.10
3	2009-10	20.26	20.26	1.61	7.95
4	2010-11	24.86	24.86	1.84	7.40
5	2011-12	26.58	26.57	1.94	7.30
योग		**117.38**	**117.33**	**10.47**	**8.92**

(स्रोतः- मासिक प्रगति प्रतिवेदन के अनुसार)

2.2.10.2 आंकलन और रोजगार सृजन

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति और महिला हितग्राहियों को उपलब्ध कराये गये रोजगार का प्रतिशत क्रमशः 15, 38 और 48 था

अभिलेखों की जाँच के दौरान हमने द्वारा पाया गया कि 7159.53 लाख आंकलित मानव दिवस के विरूद्ध लेखापरीक्षा अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा केवल 4595.25 लाख (64 प्रतिशत) मानव दिवस सृजन किया गया, जिसमें से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का प्रतिशत नीचे दर्शाये अनुसार क्रमशः 15, 38 और 48 थाः

तालिका 13 : वर्ष 2007-08 से 2011-12 तक की अवधि में अनुमानित रोजगार और सृजित रोजगार का विवरण

(मानव दिवस लाख में)

वर्ष	अनुमानित	सृजित	प्रतिशत	अनुसूचित जाति	प्रतिशत	अनुसूचित जन जाति	प्रतिशत	अन्य	महिलायें	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2007-08	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
2008-09	2210.85	1243.18	56	203.96	16	513.65	41	525.57	589.69	47
2009-10	1829.54	1041.56	57	159.59	15	397.85	38	484.12	512.52	49
2010-11	1776.15	1110.37	63	161.78	15	405.42	37	543.17	539.95	49
2011-12	1342.98	1200.17	89	166.48	14	449.26	37	584.42	580.92	48
योग	**7159.52**	**4595.28**	**64**	**691.81**	**15**	**1766.18**	**38**	**2137.28**	**2223.08**	**48**

(स्रोतः- मासिक प्रगति प्रतिवेदन के अनुसार)

नमूना जाँच के जिलों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला हितग्राहियों को प्रदान किये गये रोजगार का प्रतिशत क्रमशः 12,47 और 47 था

आगे, नमूना जाँच किये गये जिलों में 2798.12 लाख आकंलित मानव दिवस में से केवल 1411.86 लाख (50 प्रतिशत) मानव दिवस सृजित किया गया और इनमें से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला हितग्राहियों को उपलब्ध कराये गये रोजगार का प्रतिशत नीचे दर्शाये अनुसार क्रमशः 12, 47 और 47 था।

तालिका 14: वर्ष 2007-08 से 2011-12 में आंकलित एवं उत्पन्न नियोजन का विवरण

(मानव दिवस लाख में)

जिला	आंकलित	सृजित	प्रतिशत	अनुसूचित जाति	प्रतिशत	अनुसूचित जन जाति	प्रतिशत	महिलायें	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2007-08	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
2008-09	773.11	344.75	45	44.45	13	189.97	55	166.09	48
2009-10	573.01	315.21	55	35.51	11	138.86	44	152.55	48
2010-11	540.92	348.16	64	40.39	12	151.91	44	158.63	46
2011-12	911.08	403.74	44	44.92	11	184.19	46	189.22	47
कुल योग	**2798.12**	**1411.86**	**50**	**165.27**	**12**	**664.93**	**47**	**666.49**	**47**

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि यद्यपि वर्ष 2008-09 से 2010-11 के दौरान कुल सृजित रोजगार का प्रतिशत में वृध्दि हुई थी, किन्तु अनुसूचित जाति एवं महिलाओं के लिए सृजित रोजगार मे तद्नुसार वृध्दि नहीं हुई थी, अनुसूचित जनजाति के मामले में इसमें कमी हुई।

2.2.10.3 निर्धारित समयावधि में रोजगार का प्रावधान न किया जाना

यद्यपि ग्राम पंचायतों ने निर्धारित 15 दिवसों के भीतर रोजगार प्रदाय कराने में असमर्थ रहा, बावजूद इसके बेरोजगारी भत्ता का भुगतान नहीं किया गया

कांकेर जिले के नरहरपुर विकासखण्ड के नौ ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की जाँच में हमने देखा कि वर्ष 2007-12 में 16,970 हितग्राहियों ने कार्य की माँग की थी परन्तु ग्राम पंचायत 10,041 हितग्राहियों को निर्धारित समयावधि 15 दिवस के भीतर रोजगार उपलब्ध कराने में असमर्थ रहा एवं 1 से 407 दिवस का विलम्ब हुआ। जबकि इन हितग्राहियों को बेरोजगारी भत्ता भी भुगतान नहीं किया गया।

इसी प्रकार जनपद पंचायत बकावण्ड द्वारा प्रदाय की गई जानकारी एवं निर्माण कार्य की नस्थियों की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2009-12 के दौरान कुल 35,286 परिवारों ने चयनित ग्राम पंचायतों में कार्य की मांग की थी जिसके विरूद्ध 373 परिवारों को रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जा सका। हालांकि नस्थियों के साथ मांग पत्र के अभाव में, यह पता नहीं लगाया जा सका कि 15 दिनों के भीतर कार्य दिया गया था।

जनपद पचांयत, दुर्ग के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि ननकट्टी ग्राम पंचायत के 44 हितग्राहियों द्वारा 2 जनवरी 2012 को कार्य की मांग की गई। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा (10 जनवरी 2012) सरपंच/सचिव, बोडेगाव को ननकट्टी से पाँच किलोमीटर के अन्दर में रोजगार उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देश दिया गया। यद्यपि हमारे द्वारा यह सुनिश्चित नही किया जा सका कि कार्य 15 दिनों के भीतर उन हितग्राहियों को उपलब्ध कराया गया।

निर्गम बैठक (अगस्त 2012) के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि ग्राम पंचायतों से जानकारी प्राप्त करने के पश्चात विस्तृत उत्तर दिया जायेगा ।

2.2.10.4 मजदूरी के भुगतान में विलम्ब

मनरेगा योजना की परिचालन दिशानिर्देश की कंडिका 6.1.6 में प्रवधानित है कि योजनांतर्गत कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी पाने का हक है। मजदूरी भुगतान साप्ताहिक किया जाना है अथवा किसी भी प्रकरण में कार्य समाप्ति के एक पखवाड़ा के पश्चात नहीं किया जाये। मनरेगा योजना में मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 के अंतर्गत एक पखवाड़े पश्चात किये गये मजदूरी भुगतान के लिए मुआवजा दिये जाने का प्रावधान है।

मजदूरी भुगतान में विलम्ब के बावजूद क्षतिपूर्ती का भुगतान न किया जाना

चयनित 14 विकासखण्ड के अभिलेखों की जाँच के दौरान पाया गया कि 12333[8] मस्टर रोल के विरूद्ध ₹ 9.59 करोड़[9] की मजदूरी एक पखवाड़े के पश्चात एक से 376 दिवसों के विलम्ब से भुगतान की गई किन्तु विलम्बित मजदूरी भुगतान हेतु हितग्राहियों को कोई मुआवजा का भुगतान नहीं किया गया।

हितग्राही सर्वेक्षण के दौरान मजदूरी भुगतान के संबंध में निम्नलिखित अनियमिततायें प्रतिवेदित की गई थीः

- तेरह एवं 83 प्रतिशत हितग्राहियों ने बताया कि क्रमशः "दैनिक दर' एवं 'खण्ड दर' से मजदूरी की गणना की गई तथा चार प्रतिशत हितग्राही मजदूरी गणना की पद्धति से अनभिज्ञ थे।
- चौबीस प्रतिशत हितग्राही इस तथ्य से अनभिज्ञ थे कि कार्य स्थलों पर मजदूरी की गणना की जाती है।
- तिरासी प्रतिशत हितग्राहियों ने बताया कि कार्य समाप्ति के 15 दिनों के अंदर उनको मजदूरी भुगतान नहीं किया गया। उनमें से 32 प्रतिशत, 48 प्रतिशत, 13 प्रतिशत एवं दो प्रतिशत ने कहा कि क्रमशः एक माह में, एक से दो माह में, दो से तीन माह में और तीन माह से अधिक विलम्ब से मजदूरी का भुगतान प्राप्त हुआ था।

इसके अलावा हितग्राही सर्वेक्षण के दौरान निम्नानुसार प्रतिक्रिया प्राप्त की गईः

- पच्चीस प्रतिशत हितग्राहियों ने जवाब दिया कि मनरेगा योजना से उनके परिवारों की जीवनशैली में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नही आया।
- चौबीस प्रतिशत हितग्राहियों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की, कि मनरेगा योजना ने उन्हें अनाहार से बचाने में मदद नहीं की।
- मात्र 50 प्रतिशत हितग्राहियों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की, कि मनरेगा योजना ने उनके बच्चों को घरेलू एवं अन्य कार्य करने से मुक्त रखा।
- तिरालिस प्रतिशत हितग्राहियों ने प्रतिक्रिया दी कि मनरेगा योजना ने उन्हें चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने में मदद नहीं की।

[8] बकावंड - 122 मस्टर रोल, बालोद - 1010, मस्टर रोल दुर्ग - 35, मस्टर रोल कांसाबेल - 7105, मस्टर रोल माकड़ी - 840, मस्टर रोल मनेन्द्रगढ़ - 1842, मस्टर रोल साजा - 664, एवं मस्टर रोल कांकेर - 715 मस्टर रोल।

[9] बकावंड - ₹ 10.18 लाख, बालोद - ₹ 98.16 लाख, दुर्ग - ₹ 27.80 लाख, कांसाबेल - ₹ 517.65 लाख, माकड़ी - ₹ 42.48 लाख, मनेन्द्रगढ़ -₹ 164.00 लाख, साजा- ₹ 45.30 लाख एवं कांकेर - ₹ 53.66 लाख।

- छियालिस प्रतिशत हितग्राहियों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि मनरेगा योजना ने उनके कर्ज घटाने में कोई सहायता नहीं की।
- पच्चीस प्रतिशत हितग्राहियों ने प्रतिक्रिया दी की मनरेगा योजना ने उन्हें घिनौना अथवा जोखिम कार्य त्यागने में मदद नहीं की।
- अड़सठ प्रतिशत हितग्राहियों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी कि ग्राम में उपयोगी परिसम्पत्ति उत्पन्न करने में मनरेगा योजना सहायक सिद्ध हुई।
- अस्सी प्रतिशत हितग्राहियों ने प्रतिकिया दी कि मनरेगा योजना ने उनके परिवार में उन्नति लाई। उनमें से 71 प्रतिशत, 25 प्रतिशत और दो प्रतिशत हितग्राहियों ने क्रमशः सीमांत उन्नति (10 प्रतिशत तक), यथोचित उन्नति (लगभग 20 से 25 प्रतिशत) और अधिक उन्नति (50 प्रतिशत से अधिक कहा जाय) की पुष्टि की।
- बीस प्रतिशत हितग्राहियों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की, कि मनरेगा योजना से उनके परिवार की आय में कोई बदलाव नहीं आया।

निर्गम बैठक (अगस्त 2012) के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि सप्ताह के निश्चित समय में तकनीकी सहायक के कार्य भार को कम करने तथा नियमित रूप से माप लेने हेतु विभिन्न ग्राम पंचायतों में सप्ताह के विभिन्न दिवसों में कार्य को प्रारम्भ करने के निर्देश पूर्व में ही जारी किये जा चुके हैं। आगे यह आश्वासन दिया गया कि भुगतान प्रणाली को कारगर बनाने और मजदूरी का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी किये जायेंगे।

2.11 कार्यों का क्रियान्वयन

2.2.11.1 सभी स्तरों पर कार्य के क्रियान्वयन में योजना की कमी

मनरेगा योजना की परिचालन दिशानिर्देश की कंडिका 3.1.5 में प्रावधान है कि योजना के विभिन्न स्तरों पर तालमेल और मांग पर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एक एस ओ पी तैयार करना एवं ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित सभी कार्यो को शामिल करते हुये जिले के लिए एक वार्षिक कार्ययोजना (ए पी) तैयार करने की आवश्यकता है। इसके अलावा उपरोक्त परिचालन दिशानिर्देश की कंडिका 5.3.3 के अनुसार आगामी वर्ष के लिए ग्राम पंचायतों एवं अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों को सौंपे जाने वाले कार्य हेतु चालू वर्ष के दिसंबर माह के अंत तक प्रशासकीय स्वीकृति और तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जानी चाहिये।

अधिनियम के प्रावधानों के विपरित कार्य स्वीकृत किये गये

चार जिला कार्यक्रम समन्वयक, कोरिया, जशपुर, दुर्ग एवं महासमुन्द के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए ग्राम पंचायतों एवं सभी क्रियान्वयन एजेंसियों को काम स्वीकृत किये गये। जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा क्रियान्वयन एजेंसियों से मासिक मांग के आधार पर पूरे वर्ष प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई। इससे कार्य के आकलन एवं क्रियान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

तालिका 15: वर्ष के दौरान प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति दिये गये कार्यो की संख्या का विवरण

जिला	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
कोरिया	4,620	6,049	2,142	5,540	3,582
जशपुर	7,885	5,811	2,644	7,349	9,648
दुर्ग	-	2,648	1,817	5,232	4,195
महासमुन्द	2,831	2,654	1,774	2,097	2,159

(स्रोतः जिला पंचायत द्वारा प्रदाय जानकारी)

वर्ष 2010-11 की अंतिम तिमाही एवं वर्ष 2011-12 की पहली तिमाही (एक साल में केवल छः महीने) के दौरान स्वीकृत कार्यो की संख्या के एक तुलनात्मक अध्ययन में देखा गया कि दिसम्बर माह में बिना परियोजना कि अनुसूचि अथवा वार्षिक कार्ययोजना तैयार किए, केवल वर्तमान माँग के आधार पर भारी संख्या में कार्यो का स्वीकृति एवं क्रियान्वयन किया गया है, जैसा कि **तालिका-16** में दर्शाया गया है।

तालिका 16-गत वर्ष की अंतिम तिमाही तथा वर्तमान वर्ष की पहली तिमाही के दौरान स्वीकृत कार्य को दर्शानेवाला विवरण पत्रक।

(राशि करोड़₹ में)

जिला का नाम	वर्ष	माह	प्रशासकीय स्वीकृति की संख्या	कार्य की लागत
दुर्ग	2010-11	जनवरी	360	25.77
		फरवरी	249	17.10
		मार्च	1900	125.50
	2011-12	अप्रैल	216	14.87
		मई	418	29.29
		जून	77	4.42
महासमुन्द	2010-11	जनवरी	412	17.94
		फरवरी	181	15.39
		मार्च	506	27.24
	2011-12	अप्रैल	153	9.72
		मई	253	16.14
		जून	80	4.56
जशपुर	2010-11	जनवरी	1082	26.33
		फरवरी	1151	19.66
		मार्च	973	20.12
	2011-12	अप्रैल	784	13.44
		मई	408	10.00
		जून	102	2.86

(स्रोतः- जिला पंचायत द्वारा प्रदत्त जानकारी)

वर्ष 2010-11 की अंतिम तिमाही तथा वर्ष 2011-12 की पहली तिमाही के दौरान जिला कार्यक्रम समन्वयक, कोरिया, महासमुंद, जशपुर एवं दुर्ग द्वारा वर्ष 2012-13 के लिए संभावित मजदूरी दर में वृद्धि को ध्यान में रखे बिना ही ₹ 400.35 करोड़ मूल्य के 9,305 कार्यो की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई थी। अप्रैल 2012 में मजदूरी दर ₹ 122 से बढाकर ₹ 132 (8 प्रतिशत) कर दिया गया। संभावित मजदूरी दर में वृद्धि को देखते हुए प्राक्कलित राशि में स्वीकृत कार्यो के पूर्ण होने की संभावना किंचित है।

निर्गम बैठक (अगस्त 2012) के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि वार्षिक कार्य योजना की एक प्रति तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, कोरिया से उत्तर प्राप्त करने के उपरांत लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराया जायेगा। आगे यह भी बताया कि मौजुदा प्रकरण में अभिलेखों की जाँच कर उत्तर प्रस्तुत किया जायेगा ।

2.2.11.2 राशि ₹ 1.69 करोड़ के अस्वीकार्य कार्यों का क्रियान्वयन

मनरेगा योजना के परिचालन दिशानिर्देश के प्रावधानों के अनुसार केवल 9 प्रकार[10] ही स्वीकार्य हैं।

बस्तर जिले के अभिलेखों की जाँच के दौरान यह पाया गया कि वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 के दौरान बस्तर एवं बकाबंड जनपद पंचायतों में जिला कार्यक्रम समन्वयक, बस्तर द्वारा ₹ 1.69 करोड़ मूल्य के 105 भूमि एवं जल संरक्षण कार्यो की स्वीकृति प्रदान की गई। आगे जाँच में यह भी पाया गया कि स्वीकृत भूमि एवं जल संरक्षण कार्यो के विरूद्ध प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं में अहाता निर्माण किया गया था। तथ्य की पुष्टि लेखापरीक्षा दल के सदस्यों एवं क्रियान्वयन एजेंसियों के कर्मचारियों के साथ किये गये स्थल के संयुक्त भौतिक निरीक्षण (जून 2012) के दौरान की गई। इस प्रकार जिला योजना समन्वयक द्वारा स्वीकार्य कार्यो के नाम पर अस्वीकार्य कार्यो की स्वीकृति प्रदान की गई।

ग्राम पंचायत भोंड में अहाता निर्माण के दिनांक 15 जून 2012 को लिये गये फोटोग्राफ



निर्गम बैठक (अगस्त 2012) के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा लेखापरीक्षा के आक्षेपों को स्वीकार करते हुए मामले की जाँच की बात कही गई।

[10] जल संरक्षण, सूखा नियंत्रण, वृक्षारोपन तथा वन सरक्षण, लघु तथा मध्यम सिंचाई परियोजना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा इंदिरा आवास योजना के हितग्राहियों के भूमि का विकास, पारंपरिक जल स्त्रोतों का उन्नयन, भूमि विकास, बाढ नियंत्रण तथा सुरक्षा परियोजना, ग्रामीण सड़क तथा राज्य शासन की सलाह पर भारत शासन द्वारा स्वीकृत अन्य कार्य

2.2.11.3 राशि ₹ 7.41 करोड़ मूल्य के डब्ल्यू बी एम सड़क कार्यों की अनियमित स्वीकृति

मिट्टी कार्य करने में आ रही कठिनाइयों को देखते हुए छत्तीसगढ़ शासन (पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग) द्वारा (फरवरी 2008) ग्रामीण पहुँच मार्ग के लिए डब्ल्यू बी एम सड़क कार्यो को निषिद्ध किया गया था। यह भी निर्णय लिया गया था कि मनरेगा के अन्तर्गत केवल मिट्टी तथा मुरम सब् बेस (जी एस बी) तक के कार्य लिया जायेंगे। कार्य के लिए जल की छिड़काव एवं दबाव के प्रावधान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के विशिष्टियों के अनुसार ही किया जाये।

कांकेर एवं बस्तर जिले के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि उपरोक्त निर्देशों के बाबजूद मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-09 से 2011-12 तक कुल 98 डब्ल्यू बी एम सड़क निर्माण कार्य के लिए राशि ₹ 7.41 करोड़ की स्वीकृति दी गई एवं ग्राम पंचायतों को क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया। कार्यों पर राशि ₹ 4.29 करोड़ व्यय किये जाने के बावजूद सभी कार्य अपूर्ण थे जैसा कि **तालिका 17** में दिया गया है। अप्रैल 2012 से मजदूरी दर में बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए सभी कार्यों को प्राक्कलित राशि के अन्दर पूर्ण किये जाने कि सम्भावना बहुत कम है।

तालिका 17: वर्ष 2008-09 से 2011-12 के दौरान डब्ल्यू बी एम सड़क स्वीकृति की जानकारी

(राशि करोड़ ₹ में)

स.क्र.	वर्ष	स्वीकृत कार्यो की संख्या	प्राक्कलित राशि	व्यय
1	2008-09	51	3.34	2.58
2	2009-10	4	0.25	0.23
3	2010-11	17	1.60	0.91
4	2011-12	26	2.22	0.57
योग		**98**	**7.41**	**4.29**

(स्त्रोतः विभाग द्वारा प्रदत्त जानकारी)

कार्यक्रम अधिकारी, जनपद पंचायत, नरहरपुर तथा चारामा ने बताया कि डब्ल्यू बी एम पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य जिला कार्यक्रम समन्वयक, कांकेर की स्वीकृति के अनुसार किया गया था।

तथ्य यथावत है कि जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा डब्ल्यू बी एम सड़क निर्माण कार्य की स्वीकृति दिया जाना राज्य शासन के निर्देशों के अनुरूप नहीं था।

2.2.11.4 संविदा के आधार पर एम आई एस प्रविष्टि कार्य के लिए राशि ₹ 4.18 करोड़ का भुगतान

महात्मा गाँधी राष्टीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अनुच्छेद 4(3) की अनुसूची 1 के बिन्दु 11 के अनुसार योजना के क्रियान्वयन में ठेकेदारों के संलग्न अनुमत्य नहीं है। आयुक्त, रोजगार गारंटी द्वारा (सितम्बर 2007) निर्देशित किया गया कि एम आई एस प्रविष्टि का कार्य महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों द्वारा कराया जायेगा ।

ठेकेदार के माध्यम से एम आई एस प्रविष्ट कराया जाना तथा ₹ 4.18 करोड़ का भुगतान

महासमुन्द, कांकेर, जशपुर, कोरिया, बस्तर एवं दुर्ग जिलों में अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान एम आई एस प्रविष्टि का कार्य विभिन्न फर्मो द्वारा कराया गया तथा कुल राशि ₹ 4.18 करोड़ का भुगतान किया गया, जैसा की **तालिका 18** में दर्शाया गया है ।

तालिका 18 फर्मों को भुगतान की गयी राशि का विवरण

(राशि करोड़ ₹ में)

स. क्र.	जिला का नाम	फर्म का नाम	निविदा की अवधि	भुगतान की राशि
1	महासमुन्द	फर्स्ट माइल स्टोन	2008-2012	0.63
2	कांकेर	फर्स्ट माइल स्टोन	2007-2012	0.88
3	जशपुर	मेसर्स व्ही एम टेक्नोसॉफ्ट	2007-2012	1.64
4	कोरिया	मेसर्स व्ही एम टेक्नोसॉफ्ट	2007-2012	0.66
5	बस्तर	मेसर्स व्ही एम टेक्नोसॉफ्ट	2007-2012	0.15
6.	दुर्ग	मेसर्स टेण्ड डाटा साल्यूसन, दुर्ग मेसर्स जैन डाटा साल्यूसन, दुर्ग	2008-11 2009-12	0.13 0.09
	कुल			**4.18**

(स्त्रोत जिला पंचायत द्वारा प्रदत जानकारी)

इंगित किये जाने पर निर्गम बैठक (अगस्त 2012) के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि एम आई एस प्रविष्टि कार्य ठेकेदार के माध्यम से कराया जाना अनुमत्य है। उन्होने आगे बताया कि एम आइ एस कार्यो को मौजुदा कर्मचारियों अथवा वाह्य श्रोत के माध्यम से कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

उत्तर मनरेगा परिचालन दिशानिर्देश के अनुरूप नही है क्योंकि एम आई एस कार्यो को संविदा के आधार पर करवाया गया था।

2.2.11.5 राशि ₹ 31.00 लाख मूल्य के अस्वीकार्य कार्यो का संविदा आधार पर अनियमित क्रियान्वयन

मनरेगा योजना की परिचालन दिशानिर्देशों की कंडिका 5.1.1 में योजनांतर्गत गतिविधियो एवं परियोजनाओं का उल्लेख किया गया है। इसमें राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गो पर प्रवेश द्वारों एवं सूचना पटल की स्थापना शामिल नहीं है।

राशि ₹ 31 लाख के अस्वीकार्य कार्यों का क्रियान्वयन किया गया

अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, महासमुन्द द्वारा कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवाए (आर ई एस), महासमुंद को क्रिर्यान्वयन एजेंसी नियुक्त करते हुए महासमुंद जिले के विभिन्न राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गो के 06 स्थानों पर प्रवेश द्वार एवं सूचना पटल लगाने हेतु राशि ₹ 39.00 लाख का प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान (जुन 2011) की गयी। कार्यपालन अभियंता, आर ई एस द्वारा मार्च 2012 राशि ₹ 31.00 लाख मूल्य के 06 प्रवेश द्वार एवं सूचना पटल की स्थापना शहर में आगंतुकों के स्वागत हेतु किया गया। इसके फलस्वरूप अस्वीकार्य कार्यों पर 31 लाख का अनियमित क्रियान्वयन किया गया।

जनपद पिथौरा के राज्य/राजमार्ग पर निर्मित प्रवेश द्वार का दिनांक 26.04.12 को लिया गया फोटोग्राफ





इंगित किये जाने पर निर्गम बैठक (अगस्त 2012) के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव ने तथ्यों को स्वीकारते हुए कहा कि जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

2.2.11.6 ग्राम सभा के अनुमोदन के बिना कार्यो का स्वीकृत किया जाना

मनरेगा योजना की परिचालन दिशानिर्देश की कंडिका 3.3 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार किसी भी ग्राम पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत क्रियान्वित कराये जाने वाले कार्यो के लिये ग्राम सभा से अनुमोदन कराकर वार्षिक कार्य योजना में शामिल कराने हेतु जनपद पंचायत को भेजा जायेगा। इसके पश्चात जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा इसे स्वीकृत किया जायेगा।

बस्तर जिले में अभिलेखो की जांच मे हमने पाया कि अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा क्रियान्वयन हेतु स्वीकृत किये गये कार्यो का अनुमोदन न तो ग्राम सभा मे कराया गया न ही उन कार्यो को ग्राम पंचायत द्वारा तैयार किये गये परियोजनाओं की सूची में शामिल किया गया। यह दर्शाता है कि समस्त कार्यों की स्वीकृति ग्राम सभा के अनुमोदन के बिना दी गई।

इसी प्रकार दुर्ग जिले में तीन चयनित विकासखण्डों (बालोद, दुर्ग एवं साजा) में हमने पाया कि वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों के लिए ₹ 4.43 करोड़ मूल्य के 34 कार्य स्वीकृत किये गये जो न तो ग्राम सभा में अनुमोदित थे न ही ग्राम पंचायत के वार्षिक कार्य योजना में शामिल किये गये।

निर्गम बैठक (अगस्त 2012) के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि संबंधित अभिलेखों के सत्यापन उपरांत विस्तृत उतर प्रस्तुत किया जायेगा।

2.2.11.7 बिना माप के ₹ 33.84 करोड़ मूल्य के कार्यो का निष्पादन

मनरेगा योजना की परिचालन दिशनिर्देश की कंडिका 6.7.5 के अनुसार योजनांतर्गत क्रियान्वित कार्यो के माप की प्रविष्टि माप पुस्तिका में की जायेगी तथा माप के उपरांत भुगतान किया जायेगा। वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान जिला कार्यक्रम समन्वयक, बस्तर द्वारा ₹ 33.84 करोड़ मूल्य के 1205 कार्य स्वीकृत किये गये तथा वन विभाग को क्रियान्वयन ऐजेंसी नियुक्त किया गया जैसा की नीचे वर्णित है:-

तालिका 19: बिना माप लिये क्रियान्वित कार्यो पर किये गये भुगतान का विवरण

(राशि करोड़ ₹ में)

वर्ष	वन मण्डल अधिकारी (सामान्य) बस्तर		सामाजिक वानिकी (सामान्य) बस्तर		वन मण्डल अधिकारी दक्षिण कोंडागांव		वन मण्डल अधिकारीउत्तर कोंडागांव		योग	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या		संख्या	राशि	संख्या	राशि
2007-08	25	1.33	102	2.15	272	2.51	73	1.58	472	7.57
2008-09	88	2.40	12	2.73	64	2.34	43	1.21	207	8.68
2009-10	80	1.69	6	0.14	72	3.33	74	2.84	232	7.99
2010-11	74	2.80	17	0.54	27	0.61	23	0.34	141	4.29
2011-12	101	4.58	00	00	21	0.21	31	0.52	153	5.31
योग	**368**	**12.80**	**137**	**5.56**	**456**	**9.00**	**244**	**6.49**	**1205**	**33.84**

(स्त्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध जानकारी के अनुसार)

अभिलेखों की लेखापरीक्षा तथा वन विभाग द्वारा क्रियान्वित कार्यों के स्थल निरीक्षण मे हमने देखा कि न तो कार्यो का माप लिया गया न ही मस्टर रोल में इसकी प्रविष्टि की गई । आगे यह भी देखा कि वन विभाग द्वारा इन कार्यो की माप पुस्तिका का संधारण नही किया गया तथा एम आई एस प्रविष्टि एवं कार्यस्थल के निरीक्षण के दौरान जिला एवं विकास खण्ड के कर्मचारियों द्वारा इस ओर ध्यान नही दिया गया।

निर्गम बैठक (अगस्त 2012) के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा कर्मचारियों को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बस्तर से प्रतिवेदन मांगने हेतु निर्देशित किया गया एवं बताया कि प्रतिवेदन के परीक्षण उपरांत लेखापरीक्षा को उत्तर प्रेषित किया जायेगा।

2.2.11.8 राशि ₹ 897.86 करोड़ के कार्यो के पूर्णता में विलंब तथा कार्यो के निरस्त होने से ₹ 150.27 करोड़ का निष्फल व्यय

मनरेगा योजना की परिचालन दिशानिर्देश की कंडिका 6.3.3. (3) के अनुसार यदि कोई क्रियान्वयन ऐजेंसी (ग्राम पंचायत सहित) स्वीकृति दिनांक से 15 दिवस के भीतर आंबटित कार्य को क्रियान्वित करने में असमर्थ रहता है तो ऐजेंसी द्वारा तत्काल कार्यक्रम अधिकारी को सूचित किया जायेगा । तदुपरांत कार्यक्रम अधिकारी द्वारा जिले की विकास योजना में जनपद के लिये अनुमोदित एजेंसी की सूची (परियोजना अनुसार) में से किसी अन्य ऐजेंसी को कार्य सौंपा जायेगा । प्रशासकीय स्वीकृति आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुसार स्वीकृत कार्य वित्तीय वर्ष में पूर्ण किया जायेगा तथा स्वीकृत लागत से अधिक व्यय नही किया जायेगा ।

चयनित जिलों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान हमने देखा कि वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान ₹ 3177.47 करोड़ मूल्य के 1,20,090 कार्य स्वीकृत कर विभिन्न क्रियान्वयन ऐजेंसियों[11] को आंबाटित किये गये इन कार्यो की स्थिति निम्नानुसार हैं:

[11] लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, वन विभाग, कृषि विभाग, उद्यानिकी , रेशम एवं ग्राम पंचायत

तालिका-20: वर्ष 2007-12 की अवधि में अपूर्ण एव निरस्त कार्यो की स्थिति

(राशि करोड़ ₹ में)

जिला	स्वीकृत कार्य		पूर्ण कार्य		अपूर्ण रहे कार्य		निरस्त कार्य	
	संख्या	व्यय	संख्या	व्यय	संख्या	व्यय	संख्या	व्यय
जशपुर	33337	565.56	24656	391.15	8451	167.65	230	6.75
कोरिया	21953	353.18	17809	233.99	3534	115.22	610	3.97
कांकेर	21361	372.85	16155	253.60	4296	107.63	798	14.27
दुर्ग	13955	741.05	8390	443.52	4136	185.35	1156	56.11
बस्तर	17969	543.88	11353	268.35	5780	145.26	839	00.00
महासमुन्द	11515	600.95	9055	355.03	1900	176.75	560	69.17
योग	**120090**	**3177.47**	**87418**	**1945.64**	**28097**	**897.86**	**4193**	**150.27**

राशि ₹ 897.86 करोड़ मूल्य के 28,097 कार्य अपुर्ण रहे जबकि ₹150.27 करोड़ व्यय करने के उपरांत 4,193 कार्य निरस्त किये गये

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि कुल 1,20,090 स्वीकृत कार्यो में से ₹ 1945.64 करोड़ मूल्य के 87,418 कार्य पूर्ण किये गये तथा ₹ 897.86 करोड़ मूल्य के 28,097 कार्य अपूर्ण थे जबकि 4,193 कार्यो को ₹ 150.27 करोड़ व्यय किये जाने के उपरांत निरस्त किया गया । जिलों द्वारा उपलब्ध कराये गये पूर्ण, अपूर्ण एवं निरस्त कार्यो की संख्या का मिलान कुल स्वीकृत कार्यो के साथ नही हो रहा था ।

आगे वर्ष 2007-08 में मजदूरी दर ₹ 69 से अप्रैल 2012 में ₹ 132 हो जाने से प्राक्कलित लागत में कार्यो के पूर्ण होने की संभावना बहुत कम थी ।

निर्गम बैठक (अगस्त 2012) के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा बताया गया कि कार्यो की स्थिति के संबंध मे जिलों से पूँछा जायेगा । उन्होने यह भी बताया कि मनरेगा के द्वितीय चरण मे यह समस्या उत्पन्न नहीं होगी।

2.2.11.9 अपूर्ण कार्यो के लिए पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करना

छत्तीसगढ़ शासन के निर्माण नियमावली की कंडिका 2.178 (1) के अनुसार निर्माण विभाग के अलावा अन्य विभाग के लिये कराये गये कार्य के पूर्ण होने पर कार्यपालन अभियंता द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र प्रेषित किया जायेगा । आगे, मनरेगा योजना की परिचालन दिशानिर्देशो की कंडिका 7.3.13 के अनुसार कार्यक्रम अधिकारी द्वारा क्रियान्वयन एजेंसियों से व्यय विवरण के साथ पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा।

अपूर्ण कार्य हेतु पूर्णत प्रमाण पत्र जारी किये गये

बस्तर जिले के चयनित जनपद पंचायतो एवं ग्राम पंचायतो के अभिलेखो की जाँच में हमने पाया कि ₹ 8.05 करोड मूल्य के 154 कार्य जो सड़क निर्माण, भूमि-समतलीकरण तथा तालाब गहरीकरण इत्यादि से संबंधित थे, विभिन्न कारणों जैसे भूमि विवाद अथवा संरपचों एवं क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा रूचि न लेने के कारण ₹ 4.30 करोड़ (53 प्रतिशत) व्यय करने के बाद अपूर्ण छोड़ दिये गये। इसके बावजूद ग्राम पंचायतों द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किये गये ।

निर्गम बैठक (अगस्त 2012) के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा बताया गया कि अपूर्ण कार्यो के लिये जारी किये गये पूर्णता प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, बकावण्ड के अभिमत एवं अभिलेख मंगाये जायेगे।

2.2.11.10 राशि ₹ 1.49 करोड़ के स्वीकृत कार्यों का क्रियान्वयन न किया जाना

जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा जारी स्वीकृति आदेश में प्रावधानित शर्तो के अनुसार स्वीकृत कार्य उसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण किया जायेगा।

वर्ष 2009-12 के दौरान ₹ 1.49 करोड़ मूल्य के स्वीकृत 44 कार्य प्रारंभ नही किये गये

जनपद पंचायत, बकावण्ड के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि जिला कार्यक्रम समन्वयक, बस्तर द्वारा वर्ष 2009-10 से 2011-12 की अवधि में सड़क निर्माण, भूमि- समतलिकरण, कुँओं का निर्माण, तालाब गहरीकरण इत्यादि 876 कार्यो की स्वीकृति दी गई। इनमे से ₹ 1.49 करोड़ के 44 कार्य क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा जून 2012 तक प्रारंभ नही किये गये।

इसी प्रकार जिला पंचायत, दुर्ग के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि जिला कार्यक्रम समन्वयक, दुर्ग द्वारा वर्ष 2010-12 के दौरान 9,459 कार्यो की स्वीकृति दी गई थी। इनमें से 3457 कार्य अर्थात 37 प्रतिशत (वर्ष 2010-11 के 665 एवं वर्ष 2011-12 के 2792) जून 2012 तक प्रारंभ नही किये गये ।

निर्गम बैठक (अगस्त 2012) के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि कुछ अन्य कार्यो को प्राथमिकता के आधार पर लिये जाने के कारण स्वीकृत कार्य क्रियान्वित नही किये जा सके ।

2.2.11.11 वृक्षारोपण पर निष्फल व्यय राशि ₹ 6.21 लाख

अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दुर्ग द्वारा दी गई प्रशासकीय स्वीकृति ₹ 6.50 लाख के अनुसार ग्राम पंचायत निकुम में 1500 पौधों का वृक्षारोपण दिनांक 22 जुन 2010 एवं 07 अप्रैल 2012 को किया गया तथा जून 2012 तक कार्य पर ₹ 3.92 लाख का व्यय किया गया।

वृक्षारोपण कार्य पर व्यय की गई राशि ₹ 6.21 लाख का निष्फल रहा

यद्यपि लेखापरीक्षा दल के सदस्यों एवं क्रियान्वयन ऐजेंसी के कर्मचारियो द्वारा किये गये स्थल के संयुक्त भौतिक निरीक्षण (मई 2012) के दौरान हमने पाया कि उस स्थान पर एक भी पौधा जीवित नहीं था। इससे फलस्वरूप वृक्षारोपण पर किया गया व्यय ₹ 3.92 लाख निष्फल रहा।

ग्राम निकुम में वृक्षारोपण कार्य के दिनांक 19 मई 2012 को लिये गये फोटोग्राफ



इसी प्रकार उपसंचालक, उद्यान, दुर्ग द्वारा सितम्बर 2010 में आमटी विकास खण्ड दुर्ग में ₹ 2.29 लाख का व्यय करते हुये 1300 पौधो का वृक्षारोपण किया गया। स्थल के संयुक्त भौतिक निरीक्षण (मई 2012) के दौरान हमने देखा कि लगभग 65 पौधे

(पाँच प्रतिशत) जीवित थे। इस प्रकार वृक्षारोपण पर किया गया व्यय ₹ 2.29 निष्फल रहा।

यदि वृक्षारोपण हेतु स्थान एवं मौसम का चयन विवेकपूर्ण तरीके से किया गया होता तो पौधो की जीवितता अधिक हो सकती थी।

निर्गम बैठक (अगस्त 2012) के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा बताया गया कि भविष्य में इस तरह की खामियों की पुनरावृत्ति से बचने के लिये उचित प्रणाली विकसित की जायेगी।

2.2.11.12 कार्य पूर्ण करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप कुँओं का ढहना

मनरेगा योजना की परिचालन दिशानिर्देशों की कंडिका 6.2.2 में प्रावधानित है कि टिकाउ सम्पत्ति के सृजन को सुनिश्चित करने हेतु योजना तैयार करते समय एक सास्वत रवैया अपनाया जाना चाहिये एवं कार्य को परिभाषित करते समय एक परियोजना के दृष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिये, इससे विभिन्न प्रकार के कार्य एवं अन्य गतिविधियों को एक ही परियोजना के अंतर्गत करने में आसानी होगी।

जिला कार्यक्रम समन्वयक, कोरिया एवं जशपुर द्वारा ग्राम कटकोना, विकास खण्ड बैकुण्ठपुर (कोरिया) एवं ग्राम इचकेना, विकास खण्ड एवं जिला जशपुर के 10 हितग्राहियों की भूमि पर 10 कुआँ निर्माण हेतु ₹ 11 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई इनमें से चार कुओं का निर्माण ही पूर्ण किया गया तथा शेष छः कुआँ में ₹ 2.95 लाख व्यय करने के बावजूद भी जून 2012 तक अपूर्ण थे।

कार्यस्थल के भौतिक निरीक्षण (30 मई 2012 एवं 10 जून 2012) के दौरान हमने पाया कि क्रियान्वित कुआं निर्माण कार्य ढह चुके थे। आगे हितग्राहियों ने सूचित किया कि कटकोना में कुँओ का खुदाई कार्य दिसम्बर 2010 और मार्च 2011 में तथा इचकोना में खुदाई कार्य 2008-09 के दौरान किये गये थे। ईट, रेत आदि सामग्री कार्यस्थल पर लायी गयी किंतु बरसात के पूर्व सर्किल बनाने का कार्य प्रारंभ न किये जाने के फलस्वरूप क्रियान्वित कार्य ढह गये।

इस प्रकार कार्य अपूर्ण रहने तथा ढह जाने से कार्य पर व्यय की गई राशि ₹ 2.95 लाख निष्फल रही।

निर्गम बैठक (अगस्त 2012) के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि विस्तृत जाँच हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी से प्रतिवेदन मंगाया जायेगा।

2.2.11.13 मस्टर रोल के संधारण में कमियाँ

हमने मस्टर रोल तैयार एवं संधारित करने में निम्नलिखित कमियाँ देखी जैसा कि नीचे वर्णित हैः

- मास्टर रोल में जारी तिथि, क्रियान्वित कार्य का यूनिक कोड संख्या एवं भुगतान दिनांक इत्यादि का उल्लेख नही किया गया।
- वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 के दौरान मस्टर रोल में कुल सदस्य संख्या महिला, पुरूष, जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शारीरिक विकलांग

इत्यादि का वर्गीकरण नहीं किया गया। जिससे इन वर्गो के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया जाना संभव नही था।

- मस्टर रोल में काँट- छाँट, उपरीलेखन, सफेदा लगाना इत्यादि पाया गया।
- उपस्थिति दर्ज करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर तथा ग्राम पंचायत सरपंच, सचिव तथा सतर्कता एवं निगरानी समिति द्वारा भुगतान प्रमाणपत्र दर्ज नहीं किया गया।
- मस्टर रोल में माप पुस्तिका संदर्भ का उल्लेख नहीं किया गया (विशेष रूप से ग्राम पंचायत द्वारा किये गये कार्य में)।
- जनपद पंचायत स्तर पर एम आई एस प्रविष्टि के दौरान मस्टर रोल की प्रथम प्रति पर उपरीलेखन कर सुधार किया गया जबकि शेष तीन प्रतियों मे कोई सुधार नहीं किया गया।

निर्गम बैठक (अगस्त 2012) के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि मस्टर रोल के उचित संधारण को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

2.2.11.14 कार्यो का भौतिक सत्यापन

हमारे द्वारा विभाग के कर्मचारियों के साथ चयनित ग्राम पंचायतों मे 1400 कार्यो का संयुक्त भौतिक निरीक्षण किया गया। भौतिक के परिणाम निम्नानुसार थेः

- 1400 निरीक्षित कार्यो में से 66 प्रतिशत कार्य पूर्ण पाये गये एवं शेष कार्य अपूर्ण थे।
- बस्तर जिले के ग्राम पंचायत लामकेर द्वारा क्रियान्वित छः निर्माण कार्यो में सूचना फलक नहीं पाये गये।
- पाँच सड़कों के निर्माण कार्य पर ₹ 19.60 लाख व्यय किये जाने के बावजूद पुलिया निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने से सड़कों का उपयोग नही किया जा सका।
- कोरिया जिले के जनपद पंचायत, बैकुठपुर के ग्राम बखतर में ₹ 65.00 लाख की लागत से खेल मैदान निर्माण, घेराव तथा वृक्षारोपण निर्माण किया जाना था। किन्तु कार्य को ₹ 0.35 लाख का व्यय किया जाकर बंद कर दिया गया।
- जनपद पंचायत, कांसाबेल (जिला जशपुर) के ग्राम पंचायत पोंगरो द्वारा क्रियान्वित दो कार्यो में स्वीकृत राशि से अधिक का व्यय किया गया।
- महासमुन्द जिले के ग्राम पंचायत पलसापाली द्वारा क्रियान्वित एक कार्य को पूर्ण बताया गया था जबकि वह कार्य निरस्त किया जा चुका था।
- जनपद पंचायत, बालोद के ग्राम पंचायत नेवारीकला में यद्यपि दो कार्य लागत ₹ 19.80 लाख की स्वीकृति वर्ष 2007-08 दी गई थी, को लेखापरीक्षा तिथि (मई 2012) तक प्रारंभ नहीं किया गया था।

एक सौ चालीस ग्राम पंचायतों के 1400 हितग्राहियों के सर्वेक्षण के दौरान अन्य अनियमित्ताऐं ध्यान मे आई जो निम्नानुसार थीः

- छः प्रतिशत, एक प्रतिशत, 18 प्रतिशत एवं 84 प्रतिशत हितग्राहियों ने जवाब में बताया कि छाया, पीने का पानी, प्राथमिक चिकित्सा तथा झूला घर इत्यादि की सुविधा कार्यस्थल पर मौजूद नही थी।
- मात्र दो प्रतिशत हितग्राहियों ने जवाब में बताया कि मस्टर रोल कार्यस्थल में नही रखे गये थे और इनमें से 95 प्रतिशत हितग्राहियो ने इसकी पुष्टि की कि दैनिक उपस्थिति ली जाती थी।
- मात्र 23 प्रतिशत हितग्राहियों ने बताया कि मनरेगा योजना के अन्तर्गत कार्यो में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/लघु एवं सीमांत किसानों की भूमि पर विकास से संबंधित कार्य नही किए गये थे।

2.2.12 ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण

मनरेगा योजना की परिचालन दिशानिर्देशों की कंडिका 1.1.1 के अनुसार योजना के सहायक उद्देश्यों में से एक, योजना के उचित क्रियान्वयन के लिये ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी के माध्यम से उनका सशक्तिकरण है।

योजना के क्रियान्वयन, निष्पादन और निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत बहुत कम था

(क) कंडिका 2.2.10.2 में उल्लेखित के अनुसार वर्ष 2008-09 से 2011-12 के दौरान राज्य में महिलाओं को उपलब्ध कराये गये रोजगार का प्रतिशत 47 और 49 के बीच था। जबकि नमूना जाँच किये गये जिलों में यह 46 और 48 प्रतिशत के बीच था ।

(ख) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत दुर्ग,बस्तर और बसना के अभिलेखों की जाँच के दौरान हमने पाया कि योजना के क्रियान्वयन, निष्पादन और निर्णय में भाग लेने वाली महिलाओं का प्रतिशत नगण्य था क्योंकि ग्राम रोजगार सहायक के पदों पर महिलायें मात्र 20 से 38 प्रतिशत और मेट के पदों पर 10 से 18 प्रतिशत कार्यरत थी, जैसा कि **तालिका 21** में दर्शाया गया है।

तालिका 21: महिलाओं द्वारा धारित ग्राम रोजगार सहायक और मेट के पदों की प्रतिशतता दर्शाने वाला विवरण

जनपद/जिला	श्रेणी	कुल पदों की संख्या	महिला पद धारकों की संख्या (प्रतिशत)
दुर्ग/दुर्ग	ग्राम रोजगार सहायक	66	25 (38)
	मेट	626	68 (11)
बस्तर/बस्तर	ग्राम रोजगार सहायक	66	13 (20)
	मेट	170	30 (18)
बसना/महासमुन्द	ग्राम रोजगार सहायक	83	28 (34)
	मेट	376	37 (10)

बस्तर जिले के जनपद पंचायत, माकड़ी में हमने आगे पाया कि मेट के पद वर्ष 2007-08 से भरे नहीं गये थे। उसी जिले के जनपद पंचायत बकावन्ड में सभी 115 मेट पुरूष थे और कोई महिला मेट के रूप में नियोजित नहीं थी।

इससे यह इंगित होता है कि योजना के क्रियान्वयन और निष्पादन में महिलाओं की अपर्याप्त भागीदारी से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने का योजना के मूल उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकी।

2.2.13 अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के साथ योजना का अभिसरण

2.2.13.1 राष्ट्रीय बागवानी मिशन के साथ अभिसरण के तहत् काजू पौधों के वृक्षारोपण पर ₹ 8.00 लाख का निष्फल व्यय

मनरेगा योजना की परिचालन दिशानिर्देशों की कंडिका 13.1.2 में योजना के तहत् स्थायी परिसंपत्ति बनाने के लिए अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण का प्रावधान है।

जिला कार्यक्रम समन्वयक, बस्तर द्वारा राष्ट्रीय बागवानी मिशन एवं मनरेगा के साथ अभिसरण (82:18) के तहत बस्तर विकास खण्ड के ग्राम पंचायत भोंड और लामकेर में 157 एकड़ में काजू वृक्षारोपण कार्य के लिए ₹ 41.02 लाख की स्वीकृति जुलाई 2009 मे दी गई।

अभिसरण के अन्तर्गत वृक्षारोपण पर किया गया व्यय ₹ 8.0 लाख निष्फल रहा

अभिलेखों की जाँच के दौरान हमने पाया कि स्वीकृत राशि ₹ 41.02 लाख के विरूद्ध वृक्षारोपण कार्य पर केवल ₹ 8.00 लाख (20 प्रतिशत) का व्यय किया गया और पूर्णता प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। लेखापरीक्षा दल के सदस्यों और क्रियान्वयन एजेन्सी के कर्मचारियों के साथ किये गये स्थल के संयुक्त भौतिक निरीक्षण (जून 2012) के दौरान हमने पाया कि कोई भी पौधा जीवित नहीं था परिणामस्वरूप ₹ 8.00 लाख का व्यय निष्फल रहा।

ग्राम पंचायत भोंड में काजू वृक्षारोपण कार्य के दिनांक 15 जून 2012 को लिये गये फोटो ग्राफ





मस्टर रोल और माप पुस्तिका की आगामी जाँच में निम्न अनियमित्ताओं का पता चलाः

- स्वीकृत राशि से फर्नीचर क्रय किया गया जो कि मनरेगा योजना की परिचालान दिशानिर्देश की कंडिका 5.1 के अनुसार अनुमत्य नही था।
- मस्टर रोल संख्या 235660 से 235664 के अनुसार कार्यो का क्रियान्वयन दिनांक 21.10.09 और 27.10.09 के मध्य किया गया परन्तु उसे कांट-छांट कर दिनांक 19.10.09 से 24.10.09 के रूप में सही किया गया।
- मस्टर रोल संख्या 130724 से 130725 के अनुसार एक मजदुर (श्री रामचन्द्र/सुकालु) को भुगतान बैंक खाता संख्या 401 द्वारा किया गया, जबकि मस्टर रोल संख्या 237682 से 237875 के अनुसार उसी मजदुर को बैंक खाता संख्या 239 द्वारा भुगतान किया गया।

इस प्रकार पौधों को जीवित रखना सुनिश्चित किए बिना वृक्षारोपण का काम लिये जाने के फलस्वरूप न केवल निष्फल व्यय हुआ अपितु अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण से स्थायी परिसंपत्ति के निर्माण का उद्देश्य भी बाधित हुआ।

निर्गम बैठक (अगस्त 2012) के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि अभिलेखों का जाँच के उपरांत विस्तृत उतर प्रस्तुत किया जायेगा।

2.2.13.2 राजीव गाँधी सेवा केन्द्र के पूर्ण नहीं होने से राशि का अवरूद्ध रहना

भारत शासन ग्रामीण विकास विभाग के निर्देशों के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत में ई-समर्थित सेवाओं के साथ भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों का निर्माण किया जाकर पंचायत सचिवालय के रूप में उपयोग किया जाना था। दिशा निर्देशों में आगे व्यवस्था यह भी थी कि जिन जिलों में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी आर जी एफ) योजना संचालित है वहां लागत का अनुपात मनरेगा और बी आर जी एफ के मध्य 20: 80 होगा तथा अन्य क्षेत्रों में शत प्रतिशत व्यय मनरेगा से किया जायेगा। मनरेगा से राशि केवल मजदूरी भुगतान के लिये ही किया जायेगा।

वर्ष 2010-12 के दौरान 1235 राजीव गांधी सेवा केन्द्र स्वीकृत किये गये थे जिसमें से केवल 49 राजीव गांधी सेवा केन्द्र (चार प्रतिशत) ही पूर्ण किये गये।

जिला कार्यक्रम समन्वयक, दुर्ग (गैर बी आर जी एफ जिला) के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि वर्ष 2010-12 के दौरान कुल 353 राजीव गांधी सेवा केन्द्रों को उसी वित्तीय वर्ष के भीतर पूरा करने के लिए स्वीकृत किए गए थे। उनमें से 150 राजीव गांधी सेवा केन्द्र अभी तक अप्रारंभ, 187 प्रगति पर और केवल 16 ही पूर्ण किये गये थे। राजीव गांधी सेवा केन्द्रो के पूर्ण होने में देरी के कारण अपूर्ण कार्यो पर ₹ 5.67 करोड़ की राशि अवरूद्ध थी।

इसी प्रकार जिला कार्यक्रम समन्वयक, जशपुर (बी आर जी एफ जिला) द्वारा वर्ष 2010-12 के दौरान कुल ₹ 5.05 करोड़ लागत के 49 कार्यो की स्वीकृति दी गई, जिसमें से केवल एक राजीव गांधी सेवा केन्द्र (ग्राम - चांपा टोली जनपद - दुलदुला) पूर्ण हुआ एवं ₹ 1.55 करोड़ व्यय होने के उपरांत भी शेष 48 कार्य प्रगति पर थे।

आगे, जशपुर जिला में स्वीकृत लागत का केवल 20 प्रतिशत ही मनरेगा से मजदूरी के भुगतान पर व्यय किया जाना था।

जिले के चार विकासखण्डों के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि वर्ष 2010-11 से 2011-12 के दौरान 25 राजीव गांधी सेवा केन्द्र के निर्माण कार्य की स्वीकृत लागत ₹ 2.65 करोड़ के विरूद्ध मनरेगा से ₹ 1.50 करोड़ खर्च किया गया। व्यय निर्धारित सीमा (20 प्रतिशत) की तुलना में अधिक था और उसमें मजदूरी और सामग्री घटक दोनो सम्मिलित थे।

इस प्रकार बी आर जी एफ के साथ अभिसरण में ई-समर्थित सेवाओं के साथ पंचायत सचिवालय को विकसित करने के उद्देश्य की पूर्ति राजीव गांधी सेवा केन्द्रों के देरी से पूर्ण होने के कारण वांछित सीमा तक पूर्ण नहीं हो सकी ।

यह इंगित किये जाने पर, सहायक परियोजना अधिकारी, मनरेगा, जशपुर ने बताया (मई 2012) कि बी आर जी एफ के तहत निधि न मिलने के कारण मनरेगा योजना से राशि व्यय की गई थी, जबकि जिला कार्यक्रम समन्वयक, दुर्ग ने कोई उत्तर नही दिया।

उत्तर राजीव गांधी सेवा केन्द्रों के प्रावधानों के अनुरूप नही है क्योंकि संपूर्ण व्यय स्वीकार्य सीमा की अनदेखी कर मनरेगा निधि से किया गया था।

2.2.14 अभिलेख का रख रखाव

मनरेगा योजना की प्रचालन दिशानिर्देशों की कंडिका 9.1 में मस्टर रोल प्रदाय एवं प्राप्तियों की पंजियाँ (बी-5 तथा बी-6), आवेदन पंजीकरण पंजी (बी-7), जाब कार्ड पंजी (बी-8), रोजगार पंजी (बी-9), परिसंपत्ति पंजी (बी-10) तथा शिकायत पंजी (बी-11) संधारित करने का प्रावधन है।

चयनित ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि उपरोक्त अभिलेखों का संधारण अपूर्ण था। जनपद स्तर पर रोजगार पंजी, जॉब कार्ड पंजी की द्वितीय प्रति तथा कम्प्यूटरीकृत परिसम्पत्ति पंजी संधारित नही थे। उपरोक्त अभिलेखों के अभाव में 100 दिन के रोजगार की मांग की कानूनी आवश्यकता का सत्यापन नहीं किया जा सका।

परिसम्पत्ति पंजी का संधारण नही करने से सृजन की गई स्थाई परिसम्पत्तियों का कोई अभिलेख नही होना दर्शाता था जिससे इनके स्वामित्व हस्तांतरण तथा संधारण को सुनिश्चित करना संभव नही था। वांछित जानकारियों की कमी से एम आई एस पर अद्यतन जातिवार पंजीयन, कार्य की मांग, 100 दिन का रोजगार, कार्य की स्थिति सामग्री क्रय प्रतिवेदन, मस्टर रोल, कार्य पर व्यय, मजदूरी के भुगतान में विलम्ब, मजदूरी सामग्री अनुपात का विश्लेषण पाक्षिकवार हितग्राही नियोजन इत्यादि पूर्ण जानकारी जिला, विकासखंड तथा ग्राम पंचायत के संदर्भ में उपलब्ध नही करायी जा सकती।

पुनः इस प्रतिवेदन की कंडिका 2.2.8.4 में उल्लेखित अनुसार एम पी आर तथा रोकड़ बही के अनुचित संधारण के कारण एम पी आर के प्रारंभिक शेष तथा अंतशेष में विसंगति पाई गई।

निर्गम बैठक (अगस्त 2012) के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि अभिलेखों के उचित संधारण हेतु निर्देश जारी किए जा रहे है।

2.2.15 योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता

2.2.15.1 बिना प्रशासकीय स्वीकृति के ₹ 1.08 करोड़ मूल्य के कार्यों का क्रियान्वयन

प्रशासकीय अनुमोदन और तकनीकी स्वीकृति के बिना ₹ 1.08 करोड़ के वृक्षारोपण के कार्य का आयोजन किया गया

मनरेगा योजना की प्रचालन दिशानिर्देशों की कंडिका 5.3.3 के अनुसार प्रशासकीय स्वीकृति तथा तकनीकी स्वीकृति के उपरांत ही कार्य का क्रियान्वयन किया जाना चाहिए।

वन मंडल अधिकारी, दुर्ग के अभिलेखों की जाँच में हमने देखा कि ग्राम पंचायत, नगपुरा में दिनांक 9 जुलाई 2010 को किये गये वृक्षारोपण कार्य के विरूद्ध मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा 15 जुलाई 2010 को 40 हेक्टेयर क्षेत्र में एक लाख पौधे लगाने हेतु

प्राक्कलित लागत ₹ 1.08 करोड़ की स्वीकृति आदेश जारी किया गया। आगे जाँच में पाया गया कि पौधों का परिवहन दिनांक 30 मई 2010 से दिनांक 15 जून 2010 के दौरान किया गया था तथा भूमि का सीमांकन, गडढ़ों की खुदाई और पौधा लगाने का कार्य दिनांक 21 जून 2010 से दिनांक 10 जुलाई 2010 के दौरान संपन्न किया गया। तथ्यों की पुष्टि लेखापरीक्षा दल के सदस्यों तथा क्रियान्वयन एजेंसी के कर्मचारियों के साथ किये गये स्थल के संयुक्त भौतिक निरीक्षण (मई 2012) के दौरान की गयी।

ग्राम पंचायत नगपुरा में वृक्षारोपण कार्य के दिनांक 15 जून 2012 को लिये गये फोटोग्राफ





उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि न तो कार्य संबंधित ग्राम पंचायत में प्रस्तावित किया गया न ही वर्ष 2010-11 के वार्षिक कार्य योजना में शामिल किया गया। बाबजूद इसके कार्य क्रियान्वित होने के उपरांत योजनांतर्गत स्वीकृति प्रदान की गई।

निर्गम बैठक (अगस्त 2012) के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि समस्त संबंधित अभिलेख मंगाया जायेगा तथा विस्तृत जाँच के बाद लेखापरीक्षा को स्थिति सूचित किया की जायेगी।

2.2.15.2 100 दिवस से अधिक का रोजगार उपलब्ध करना एवं अभिलेखों से छेड़छाड़ कर भुगतान किया जाना

मनरेगा योजना प्रत्येक परिवार जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हों, को एक वर्ष के भीतर 100 दिवस रोजगार प्रदाय करने की गारंटी देती है। पुनः ग्राम पंचायतों से प्राप्त मस्टर रोल के आधार पर कार्यक्रम अधिकारी द्वारा मजदूरी पर्ची/हितग्राहियों की सूची का सृजन करेगा तथा संबंधित ग्राम पंचायत के बैंक/डाकघर शाखा के नाम चेक जारी करेगा । उक्त बैंक/डाकघर द्वारा सूची में दर्शाये गये अनुसार प्रत्येक हितग्राहियों के खाते में मजदूरी राशि जमा किया जाएगा। मजदूरी पर्ची एवं सूची एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं अंतिम दस्तावेज होने के कारण त्रुटि विहीन होना चाहिए।

100 दिवस से अधिक का रोजगार उपलब्ध कराया गया एवं अभिलेखों में छेडछाड कर मजदूरी का भुगतान किया गया

मार्च 2012 के प्रमाणको की जाँच में पाया गया कि जशपुर जिले के पथलगांव विकासखण्ड की जमनापाली ग्राम पंचायत ने एक लघु तालाब एवं चार भूमि समतलीकरण कार्य में संलग्न हितग्राहियों को मजदूरी भुगतान हेतु चेक क्रमांक 210231 दिनांक 28.03.2012 द्वारा ₹ 67,339 जारी किया। जबकि प्रमाणकों के साथ संलग्न मजदूरी पर्ची एवं सूची में 23 जगह काँट-छाँट किया गया एवं बैंक / डाकघर में भेजे जाने से पूर्व नये नाम, नया बैंक खाता क्रमांक एवं जॉब कार्ड क्रमांक लिखा गया वास्तविक रूप से ऐसे 27 हितग्राहियों, जो 100 दिन का रोजगार पूर्ण कर चुके थे, को

लघु तालाब निर्माण (जगर साई/देवार) और चार भूमि समतलीकरण कार्य (लुवियानुज/ रामखलवा, हवल साई/मनसाई, आशा/मंजू और एंजोर सांई/सोम सांई) में संलग्न किया गया था एवं दिनांक 30.01.2012 से दिनांक 18.02.2012 तक के लिए नौ मस्टर रोल में हाजरी भी दर्ज की गई। जैसा कि एम आई एस के अनुसार 100 दिन से अधिक कार्य के मामलों मे प्रविष्टि प्रतिबंधित इसलिए 27 अन्य हितग्राहियों की व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, जॉब कार्ड क्रमांक इत्यादि की प्रविष्टि कर मजदूरी पर्ची /सूची एम आई एस के माध्यम से जारी किये गये थे। एम आई एस मजदूरी पर्ची/सूची प्राप्त होने के उपरांत उपरीलेखन से वास्तविक जानकारी में सुधार किया गया ताकि बैंक/डाकघर को भुगतान हेतु प्रेषित किया जा सके।

100 दिवस से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मूल अभिलेखों को छेड़छाड़ कर भुगतान हेतु पारित किया गया था। इससे अनुश्रवण की कमी होना प्रतीत होता है।

निर्गम बैठक (अगस्त 2012) के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि प्रकरण की जाँच की जायेगी एवं आवश्यक कर्यवाही की जायेगी।

2.2.15.3 देयक प्रस्तुतीकरण के पूर्व ₹ 1.21 लाख का भुगतान

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, कांकेर द्वारा जनपद पंचायत, नरहरपुर विकासखण्ड के ग्राम पंचायत सरबंडी के सालहेटोला में चेक डेम निर्माण हेतु दिनांक 29.12.2010 को ₹ 9.31 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई तथा इस कार्य के लिये ग्राम पंचायत को क्रियान्वन एजेंसी नियुक्त किया गया।

स्वीकृति एवं देयक प्राप्ति से पूर्व आपूर्तिकर्ता को भुगतान जारी किया गया

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, नरहरपुर के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि वंदना ट्रेडर्स, सरोना द्वारा निर्माण सामग्री सीमेन्ट, एवं आर सी सी इत्यादि प्रदान किया गया एवं ₹ 1.21 लाख का देयक (नकदी पर्ची क्रमांक 798 दिनांक 25.12.2011) ग्राम पंचायत में भुगतान हेतु प्रस्तुत किया। जनपद पंचायत, नरहरपुर के लेखापाल द्वारा कार्यालय टीप दिनांक 1.12.2011 के साथ (₹ 3.88 लाख ₹ 1.21 लाख को शामिल कर) का एक प्रमाणक मुख्य कार्यपालन अधिकारी की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया एवं आपूर्तिकर्ता को उक्त राशि का भुगतान किया गया। हमारे द्वारा जाँच में आगे पाया गया कि आपूर्तिकर्ता द्वारा दिनांक 25.12.2011 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी को देयक प्रस्तुत किया। इस प्रकार न केवल सक्ष्म अधिकारी की स्वीकृति के पूर्व आपूर्तिकर्ता को ₹ 1. 21 लाख का भुगतान जारी किया गया अपितु वास्तवक देयक की प्राप्ति के भी पूर्व किया गया।

निर्गम बैठक (अगस्त 2012) के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, नरहरपुर से संबंधित अभिलेख मंगाये जाएगें एवं प्रकरण की जाँच की जायेगी।

2.2.15.4 सामाजिक अंकेक्षण

मनरेगा योजना की परिचालन दिशानिर्देशों की कंडिका 11.1.3 के अनुसार ग्राम सभा अथवा ग्राम निगरानी समिति द्वारा नियमित रूप से वर्ष में दो बार समाजिक अंकेक्षण किया जायेगा।

तीन चयनित जिलों की सात[12] ग्राम पंचायतों के समाजिक अंकेक्षण में हमने देखा कि दिशानिर्देशों में दिये गये प्रावधानों के अनुसार ग्राम सभा द्वारा एजेंडा और मस्टर रोल की विस्तृत जानकारी समाजिक अंकेक्षण बैठक में पढकर सुनाया गया। परन्तु कोलिहापुरी के अलावा अन्य किसी भी ग्राम पंचायत में सामाजिक अंकेक्षण हेतु आवश्यक न्यूनतम उपस्थिति नहीं पायी गयी। ग्राम पंचायत कोलिहापुरी (जनपद पंचायत, दुर्ग) में सामाजिक अंकेक्षण बैठक के दौरान आवश्यकता से अधिक उपस्थिति पायी गयी थी।

कोरिया एवं बस्तर जिले में भी हमने देखा कि अन्य क्रियान्वयन एजेन्सियों जैसे लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, वन, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा कृषि, उद्यान, मत्स्य पालन इत्यादि विभागों द्वारा ग्राम पंचायत मे क्रियान्वित कार्य जिसमें संबंधित ग्राम पंचायतों में मजदूरों को संलग्न किया गया तथा अभिलेख का संधारण किया गया। यद्यपि क्रियान्वयन एजेन्सियों द्वारा क्रियान्वित कार्यों को सामाजिक अंकेक्षण में शामिल नहीं किया गया।

निर्गम बैठक (अगस्त 2012) के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि सामाजिक अंकेक्षण की बैठकों में अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों कि भागीदारी कों सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रयास किये जा रहे है। उन्होने आगे यह भी बताया कि सामाजिक अंकेक्षण के लिये अलग निदेशालय की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव पहले ही भारत सरकार को प्रेषित किया जा चुका है तथा अनुमोदन की प्रतीक्षा है।

2.2.15.5 शिकायतों का निराकरण न किया जाना

छत्तीसगढ़ शासन के आदेश (मई 2008) के अनुसार शासन द्वारा राज्य में एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना राज्य/जिला/जनपद पंचायत स्तर पर किया जायेगा । कार्यक्रम अधिकारी द्वारा आवेदन प्राप्ति के सात दिन के भीतर प्रारंभिक जाँच जनपद स्तर पर की जायेगी तथा यदि यह प्रतित होता है कि विस्तृत जाँच की आवश्यकता है तो ऐसे प्रकरणों को तत्काल जिला पंचायत को अग्रेषित किया जाएगा। जिसका निराकरण जिला पंचायत द्वारा एक माह के भीतर सुनिश्चित किया जायेगा। जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं उप-निदेशक अनुश्रवण द्वारा प्रति माह समीक्षा बैठक का आयोजन क्रमशः जिला एवं राज्य स्तर पर किया जायेगा।

जिला कार्यक्रम समन्वयक, कोरिया के अभिलेखों की जाँच के दौरान पाया गया कि वर्ष 2007 से 2012 के दौरान कुल 475 शिकायतें प्राप्त हुई जिसमें से 45 एवं 58 प्रकरणों का निराकरण क्रमशः एक से तीन माह एवं तीन एवं से 12 माह में किया गया। शेष

[12] ग्राम पंचायत कोलिहापुरी (जिला दुर्ग), जरंडी एवं भीरागांव (माकड़ी), करमरी तथा बगडेगा (जिला बस्तर), हर्री तथा बूंदेली (जिला कोरिया)

372 प्रकरण जून 2012 तक निराकरण हेतु लंबित थे। जिला पंचायत, महासमुन्द में हमने पाया कि वर्ष 2008 के 183 प्रकरण जून 2012 तक निराकृत नही किये गये।

दुर्ग जिले में वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान राज्य स्तर से 24 शिकायत प्रकरण निराकरण हेतु प्राप्त हुए थे, जिसमें से मात्र 13 शिकायतों का निराकरण किया गया, तथा शेष 11 प्रकरण एक से तीन वर्ष की अवधि से लंबित थे।

निर्गम बैठक (अगस्त 2012) के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि कार्य की अधिकता एवं कर्मचारियों की कमी के कारण शिकायत के निराकरण में विलम्ब हुआ। उन्होने आश्वासन दिया कि समयावधि में शिकायतों के निराकरण हेतु तंत्र को सुदृढ़ किया जायेगा।

2.2.15.6 लोकपाल के माध्यम से शिकायतों के निराकरण मे विलम्ब एवं दण्ड राशि की वसूली न किया जाना।

भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश (सितम्बर 2009) के अनुसार शिकायतों के शीघ्र निराकरण हेतु राज्य में लोकपाल कार्यालय की स्थापना की जायेगी । तद्नुसार छत्तीसगढ़ सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सभी जिलों में लोकपाल की नियुक्ति के आदेश जारी किए गये।

जिला पंचायत, दुर्ग के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि जुलाई 2011 से मार्च 2012 की अवधि में प्राप्त 55 शिकायतों में से 32 शिकायतों का निराकरण दो से 10 माह के बिलम्ब से किया गया शेष 23 शिकायतें निराकरण हेतु लम्बित थी। आगे जाँच में पाया गया कि निराकृत 32 शिकायतों में से छः शिकायत प्रकरणों में ₹ 8500 की वसूली की अनुशंसा लोकपाल द्वारा की गई थी, जिसे लागू नहीं किया गया। इसी प्रकार पाँच नये प्रकरणों में पंचायत अधिकारियों के विरूद्ध राशि ₹ 1.13 लाख की वसूली लगाई गई थी जिसकी वसूली लेखापरीक्षा दिनांक (जून 2012) तक नहीं की गई थी ।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर जिला कार्यक्रम समन्वयक, दुर्ग ने बताया (जून 2012) कि संबंधित दस्तावेजों के प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण कुछ शिकायतों का निराकरण नहीं किया जा सका और जनपद पंचायत के माध्यम से वसूली की जा रही थी।

उत्तर निर्देशों के अनुसार नही है क्योंकि दंड राशि की वसूली नहीं की गई और शिकायतों के शीघ्र निराकरण तथा वसूली नही की जा सकी जो कि भारत सरकार द्वारा जारी अनुदेश का उल्लंघन है।

इसी प्रकार कांकेर जिला में वर्ष 2011-12 के दौरान 30 शिकायतें दर्ज हुई थी। इनमें से मात्र आठ प्रकरणों का ही निराकरण किया गया और शेष 22 प्रकरण जून 2012 तक लम्बित थे।

निर्गम बैठक (अगस्त 2012) के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि कार्य की अधिकता और कर्मचारी की कमी के कारण प्रकरणों के निराकरण में बिलम्ब हुआ । उन्होने आश्वासन दिया कि समयावधि मे शिकायतों के निराकारण के तंत्र को सुदृढ़ बनाया जायेगा।

2.2.15.7 महात्मा गाँधी राष्टीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत आई ई सी कार्यक्रम के अनुबंध के माध्यम से अनियमित भुगतान

योजना की व्यापक लोकप्रियता और ग्रामीणों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिये, जिला कार्यक्रम समन्वयक, महासमुन्द द्वारा (सितम्बर 2009) में सूचना, शिक्षा, संचार (*आई ई सी)* कार्यक्रम के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर पर योजना संबंधी सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने और सांस्कृतिक समूह (कलाजत्था[13]) के 70 प्रतिशत सदस्य मनरेगा योजना के अन्तर्गत पंजीकृत होने तथा ग्राम पंचायत स्तरों पर कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश जारी किये गये।

अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि मेसर्स राग फाउन्डेशन (सांस्कृतिक समूह) महासमुन्द को अक्टूबर 2009 में ₹ 1600 प्रति कार्यक्रम की दर पर चयनित किया गया और ठेका दिया गया। अनुबंध की शर्त के अनुसार कार्यक्रम के सफल आयोजन तथा निम्नलिखित शर्तो की पूर्ति के पश्चात फर्म को भुगतान जारी किया जाना थाः

1) फर्म द्वारा कार्यक्रम की एक विस्तृत योजना तैयार करनी थी और तद्नुसार कार्यक्रमों का आयोजन करना था।

2) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, बसना द्वारा चिन्हांकित ग्राम पंचायतों में कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा।

3) फर्म को प्रत्येक कार्यक्रम के लिये सरपंच, सचिव और ग्राम रोजगार सहायक द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र के साथ दो फोटोग्राफ प्रस्तुत किया जाना था।

शर्तों के पालन को सुनिश्चित किये बिना सांस्कृतिक समूह को ₹ 3.84 लाख का भुगतान किया गया

अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि कुल 240 सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये गये थे और इनमें से मात्र 78 कार्यक्रम हेतु योजना तैयार की गई थी। इसके अलावा यह भी देखा गया कि सांस्कृतिक समूह द्वारा आयोजित किए गये कार्यक्रम के समर्थन में न तो फोटोग्राफ प्रस्तुत किया गया न ही सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक के हस्ताक्षर क्रमशः 74 प्रकरणों, 227 प्रकरणो एवं 49 प्रकरणो में पाये गये। अनुबंध की शर्तो के पालन न किए जाने के बावजूद मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत ने दिसम्बर 2009 और मार्च 2010 के मध्य समूह को ₹ 3.84 लाख का भुगतान जारी किया गया।

निर्गम बैठक (अगस्त 2012) के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि मामले की जाँच की जायेगी तथा उचित कार्यवाही की जायेगी।

आगे हमारे द्वारा छः चयनित जिलों में किये गये हितग्राही सर्वेक्षण के परिणाम निम्नानुसार थे

- बत्तीस प्रतिशत हितग्राहियों ने बताया कि वे ग्राम सभा के बारे में अनभिज्ञ थे एवं 18 प्रतिशत, 35 प्रतिशत और 14 प्रतिशत ने यह बताया कि वर्ष में

[13] यह एक सांस्कृतिक समूह है जो ग्रामों में मनरेगा योजना से सम्बंधित प्रचार और जागरूकता लाने हेतु नाटक का आयोजन करता है

क्रमशः 1 से 2, 3 से 4 तथा 4 से अधिक बार ग्राम सभा का आयोजन किया गया।

- चालीस प्रतिशत हितग्राहियों ने बताया कि ग्राम सभा बैठक के बारे में उन्हे कोई जानकारी नहीं थी।
- पैतीस प्रतिशत हितग्राही ग्राम सभा बैठक में सम्मिलित नही हुए।
- सड़षठ प्रतिशत हितग्राहियों द्वारा सामाजिक अंकेक्षण के बारे में अनभिज्ञता बतायी गयी।
- चौरानवे प्रतिशत हितग्राही यह महसूस करते थे कि मनरेगा योजना का क्रियान्वयन सही तरह से किया जा रहा था ।

निर्गम बैठक (अगस्त 2012) के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि लेखापरीक्षा आपत्ति पर उचित कार्यवाही की जायेगी।

2.2.16 निरीक्षण, अनुश्रवण और मूल्याकंन

मनरेगा योजना की परिचालन दिशानिर्देशों की कंडिका 8.2.1 के अनुसार योजना के क्रियान्वयन का अनुश्रवन राष्ट्रीय गुणवत्ता अनुश्रवक, राज्य गुणवत्ता अनुश्रवक एवं जिला गुणवत्ता अनुश्रवक के द्वारा की जायेगी और राज्य, जिला एवं विकास खण्ड स्तर पर अनुश्रवक द्वारा क्रमशः कार्य का दो प्रतिशत, 10 प्रतिशत एवं 100 प्रतिशत निरीक्षण किया जायेगा।

चयनित इकाइयों के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि राज्य, जिला एवं विकास खंड स्तर पर किये गये निरीक्षण के समर्थन में कोई भी अभिलेख नही पाया गया।

निर्गम बैठक (अगस्त 2012) के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि अभिलेखों के संधारण हेतु उचित निर्देश दिये जाएगें।

2.2.17 आंतरिक लेखापरीक्षा

मनरेगा योजना की परिचालन दिशानिर्दोशों की कंडिका 11.3.6 के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में आंतरिक लेखापरीक्षा किया जायेगा।

चयनित छः जिलों के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान हमने पाया कि जिला स्तर पर आंतरिक लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ की स्थापना नहीं की गयी थी। इसलिए अधिनियम के दिशानिर्देशों, अन्य वित्तीय नियमों, संहिता के प्रावधानों, तकनीकी दिशानिर्देशों, नियमावली इत्यादि के अनुपालन में खामियों को रोकने हेतु उचित कार्यवाही की जा सके, का पता नही लगाया जा सका।

निर्गम बैठक (अगस्त 2012) के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि आंतरिक लेखापरीक्षा प्राकोष्ठ स्थापित किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

2.2.18 अन्य रूचिकर बिंदु

ग्राम पंचायत कोलिहादेवरी (जिला पंचायत महासमुन्द) के ग्रामीणों से प्राप्त शिकायतों के आधार पर लेखापरीक्षा द्वारा 82 हितग्राहियों के समक्ष कार्य एवं मस्टर रोल का भौतिक सत्यापन किया गया। दो कार्यो के मस्टर रोल में दर्ज नामों को उच्च स्वर में पढ़कर सुनाया गया एवं उसमें दर्ज नामों का सत्यापन वहाँ उपस्थित हितग्राहियों से किया गया।

निम्नलिखित अनियमित्तायें पायी गयीः

- पाँच हितग्राही जो उस गांव में निवास नही करते थे के नाम मस्टर रोल में पाए गए एवं उनके डाकघर खाते में मजदूरी का भुगतान किया गया।
- बिना किसी आवेदन के दो हितग्राहियों के माता-पिता के नाम जॉब कॉर्ड में शामिल किया गया तथा डाकघर में खाते खोले गए। बिना कार्य किये उनके खातों में भुगतान जमा किया गया।
- एक हितग्राही ने यह बताया कि यद्यपि उसने काम नही किया फिर भी उसके डाकघर खाते में मजदूरी भुगतान जमा किया गया।
- एक हितग्राही के संबंध में ग्रामीणों ने सुचित किया कि यद्यपि उसने काम नही किया फिर भी उसके डाकघर खाते में मजदूरी भुगतान किया गया।
- इसी प्रकार 21 अन्य मामलों में यह पाया गया कि संबंधित व्यक्तियों ने काम नही किया हैं वाबजुद इसके उनके नाम मस्टर रोल में शामिल करते हुए उनके खाते मे भुगतान जमा किया गया।
- वन विभाग, भारतीय खाद्य निगम, प्राथमिक स्कूल में कार्यरत चार आकस्मिक श्रमिक एवं जिनकी स्वयं की नाई की दुकान है को कभी भी इन दो कार्यो में संलग्न नहीं किया गया तथापि मजदूरी भुगतान किया गया ।
- कुछ हितग्राही जो 100 दिनों का रोजगार पूरा कर चुके थे द्वारा काम प्राप्त करने हेतु अन्य हितग्राहियों के जॉब कॉर्ड का उपयोग किया गया।
- एक ही दिन में एक व्यक्ति द्वारा स्वयं अपने और एक अन्य व्यक्ति के जॉब कॉर्ड पर काम किया गया।

2.2.19 निष्कर्ष

राज्य सरकार ने मनरेगा अधिनियम को मार्च 2006 में अधिसूचित किया। योजना के निष्पादन लेखापरीक्षा में प्रमुख पदों मे भारी रिक्तियाँ तथा अपर्याप्त क्षमता निर्माण पाया गया जिसने योजना के सुचारू तथा प्रभावी क्रियान्वयन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। दीर्घकालिक रोजगार सृजन तथा स्थाई विकास हेतु कार्यो की प्राथमिकता दर्शाते हुए एक पंचवर्षीय योजना तैयार नही किया गया था। उपलब्ध निधियों की उपयोगिता में सारभूत बचत देखी गई। योजना के दिशानिर्देशों के विरूद्ध, हितग्राहियों की मजदूरी के भुगतान हेतु बस्तर तथा कांकेर जिला में सरपंचों को धनादेश जारी किया तथा सरपंचो को दिये गये अग्रिम का समायोजन नही किया गया । राज्यांश जारी करने मे 5 से 139 दिनों का विलम्ब तथा जिला कार्यक्रम समन्वयको को वित्तीय वर्ष के अन्त में निधि

जारी की गयी थी। सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना तथा राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना की अवशेष राशि मनरेगा खाते में हस्तान्तरित नहीं की गयी। योग्य हितग्राहियों के समावेशन को सुनिश्चित करने द्वार-द्वार सर्वेक्षण नहीं किये गये थे। केवल 9 प्रतिशत परिवारों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराये जाने के कारण 100 दिन के रोजगार देने की योजना का उद्देश्य अप्राप्त रहा। परिवारों को 100 दिन का रोजगार देने का प्रतिशत वर्ष 2007-08 में 11 से 2011-12 में 7 की कमी हुई। निर्धारित 15 दिनो के भीतर रोजगार उपलब्ध नही कराने के बावजूद हितग्राहियों को बेरोजगारी भत्ता का भुगतान नही किया गया। इसी प्रकार मजदूरी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत स्वीकार्य मुआवजा का भुगतान विलम्ब से मजदूरी भुगतान किये जाने के उपरांत भी नही किया गया। जिला कार्यक्रम समन्वयकों द्वारा योजना के दिशानिर्देशों में निर्धारित समय सारणी का पालन न करते हुए क्रियान्वयन एजेंसियों को वर्ष भर कार्यो की स्वीकृति प्रदान की गई। पुनः निष्पादन लेखापरीक्षा में कार्यो के क्रियान्वयन में अनेक कमियां जैसे अस्वीकार्य कार्यो की क्रियान्वयन, एम आई एस कार्यो के लिए ठेकेदारों को भुगतान, ग्राम सभा के अनुमोदन के बिना कार्यो की स्वीकृति, बिना माप के भुगतान, कार्यो के पूर्णता में बिलम्ब, व्यय किये जाने के उपरांत कार्यो का निरस्तीकरण, अपूर्ण कार्यो का पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जाना तथा कार्यो पर निष्फल व्यय पाया गया। मस्टर रोल सहित निर्धारित अभिलेखों का उचित संधारण नही किया क्योंकि उपरी लेखन/ काँट-छाँट, हस्ताक्षर न किया जाना, भुगतान का प्रमाण पत्र, अपूर्ण जानकारी इत्यादि के प्रकरण ध्यान में आये। क्रियान्वयन तथा निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित नही किया गया क्योंकि मेट और ग्राम रोजगार सहायको के पद पर केवल 10 से 38 प्रतिशत महिलायें कार्यरत थी। कार्यो के अनुचित क्रियान्वयन के कारण अन्य योजनाओं से अभिसरण कर स्थाई परिसम्पति का निर्माण संबंधी योजना के उद्देश्यों को प्राप्त नही किया जा सका। योजना के अंतर्गत किये गये निरीक्षण तथा अनुश्रवन से संबंधित अभिलेख संधारित नही थे एवं ऑनलाइन एम आई एस अपूर्ण था। वर्ष 2007-12 के दौरान आन्तरिक लेखापरीक्षा नही की गयी थी।

2.2.20 अनुशंसाएं

मनरेगा योजना के क्रियान्वयन में प्रकट हुए विभिन्न कमियों के परिपेक्ष्य में हम अनुशंसा करते हैं कि राज्य सरकार निम्नलिखित अनुशंसाओ के क्रियान्वयन पर विचार करें

- *प्रमुख पदों में भारी रिक्तियों पर विचार करते हुये सभी रिक्त पदों की पूर्ति हेतु शीघ्र प्रयास किये जायें तथा आवश्यक प्रशिक्षण के माध्यम से अमलों कि क्षमता निर्माण को सुनिश्चित किया जाये;*
- *निरंतर विकास तथा दीर्घकालिक रोजगार सृजन हेतु कार्यो की प्राथमिकताओं को सम्मिलित कर जिला पंचवर्षीय योजना तैयार किया जाए तथा ग्राम पंचायतों से प्रस्ताव प्राप्ति के उपराँत वार्षिक कार्य योजना तैयार किया जाये;*
- *योजना के दिशा निर्देशानुसार श्रम बजट तैयार करना सुनिश्चित किया जाए;*
- *राज्यांश को समय पर जारी करने तथा उपलब्ध निधियों की अधिकतम उपयोगिता को सुनिश्चित करने प्रयास किया जाए;*

- सभी पात्र हितग्राहियों के समावेशन को सुनिश्चित करने द्वार-द्वार सर्वेक्षण किया जाए;
- पात्र हितग्राहियों को कम से कम 100 दिन का रोजगार तथा आवेदन के 15 दिन के भीतर रोजगार देना सुनिश्चित किया जाए। महिलाओं को सम्मिलित करते हुए कमजोर वर्ग के अधिक हितग्राहियों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाय;
- दिशानिर्देशों/अनुदेशों के अनुसार हितग्राहियों को मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया जाए तथा लंबित मजदूरी के भुगतान हेतु मुआवजा भुगतान किया जाय;
- योजना के अन्तर्गत कार्यो के क्रियान्वयन का बारीक अनुश्रवण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाना चाहिए कि इन कार्यो को दक्षता, मितव्ययिता, प्रभावकारी ढंग से तथा दिशा निर्देशों के अनुसार किया गया;
- जॉब कॉर्ड पंजी, रोकड़ बही, मस्टर रोल, माप पुस्तिका, एम पी आर इत्यादि सहित अन्य अभिलेखों को निर्धारित प्रारूप में संधारित किया जाये; तथा
- योजना के अन्तर्गत क्रियान्वित कार्यो हेतु निर्धारित आवृत्ति में सामाजिक अंकेक्षण सुनिश्चित किया जाये तथा आंतरिक लेखापरीक्षा एवं शिकायत निवारण तंत्र को प्रभावी बनाया जाए।

2.3 छत्तीसगढ़ विपणन संघ (मार्कफेड) द्वारा धान का उर्पाजन एवं वितरण

2.3.1 प्रस्तावना

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ, मर्यादित (मार्कफेड) छत्तीसगढ़ राज्य में एक सहकारी विपणन समिति है। यह, छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 के नियम 9 (1) के अन्तर्गत दिनांक 30 अक्टूबर 2000 को पंजीकृत होकर अस्तित्व में आयी। मार्कफेड, भारत सरकार खाद्य एवं जन वितरण विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य[1] (एम एस पी) पर किसानो से धान का उपार्जन कर चावल भारतीय खाद्य निगम (एफ सी आई) एवं नागरिक आपूर्ति निगम (नान) को कस्टम मिल्ड राईस (सी एम आर) के दर पर, उपलब्ध कराती है। एम एस पी पर उपार्जित धान मिलर को मिलिंग हेतु जारी किया जाता है जिसे "कस्टम मिल्ड राईस" के नाम से जाना जाता है। मिलर को मिलिंग लागत का भुगतान किया जाता है, और चावल एफ सी आई एवं नान को भेजा जाता है, जो इसके एवज में मार्कफेड को भारत सरकार द्वारा निर्धारित सी एम आर दर पर भुगतान करते हैं। भारत सरकार द्वारा सी एम आर दर का निर्धारण धान के लागत में विभिन्न प्रासंगिक प्रभारों (प्रोत्साहन बोनस, स्थायी प्रभार, मजदूरी प्रभार, परिवहन प्रभार, सूखत, समितियों का कमीशन, ब्याज प्रभार, मिलिंग प्रभार, प्रशासनिक प्रभार एवं बारदानों की लागत इत्यादि) को शामिल करने के बाद किया जाता है। मार्कफेड द्वारा सी एम आर दर में शामिल व्ययों से अधिक वहन किये गये प्रासंगिक व्ययों, को प्रत्येक वर्ष राज्य सरकार को हानि दावा प्रतिपूर्ति के लिए प्रस्तुत किया जाता है।

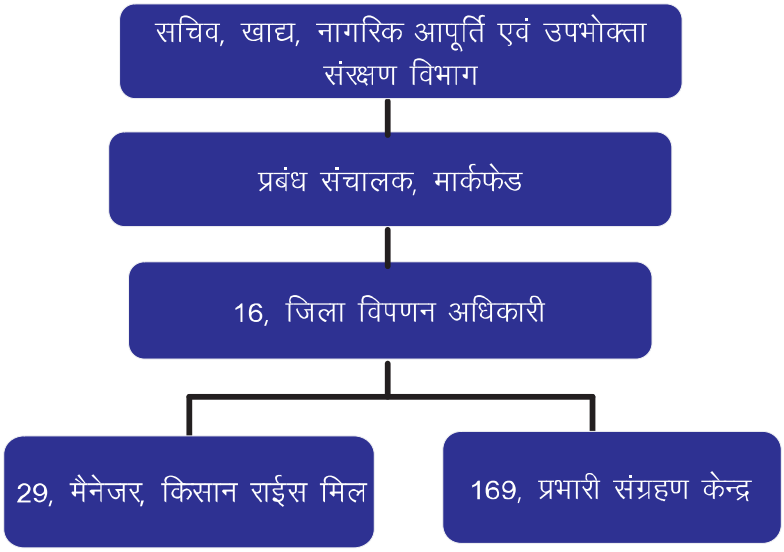
2.3.2 निधियों की व्यवस्था

मार्कफेड अपने कार्यों के संचालन हेतु विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंको एवं राज्य सरकार से ऋण लेता है। राज्य सरकार "हानि दावा प्रतिपूर्ति, मार्कफेड" शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष धान के उपार्जन और एफ सी आई/नान को प्रदाय किये गये चावल में हुई हानि के लिए बजटीय प्रावधान करती है। इसे एफ सी आई एवं नान से प्राप्त राशि के साथ मार्कफेड द्वारा ऋण की अदायगी में उपयोग किया जाता है।

[1] भारत सरकार प्रत्येक वर्ष प्रति क्विंटल धान के दर का निर्धारण किया जाता है जिसे न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है।

2.3.3 विभागीय संरचना

मार्कफेड की विभागीय संरचना, संगठनात्मक ढाँचे के रूप में नीचे दर्शायी गयी है:



2.3.4 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

मार्कफेड की लेखापरीक्षा अप्रैल-जून 2012 के मध्य वर्ष 2006-07 से 2011-12 तक की अवधि को सम्मिलित कर किया गया था। हमने कार्यालय प्रबंध संचालक (एम डी), मार्कफेड के साथ-साथ कुल 16 में से तीन जिला विपणन अधिकारियों[2] (डी एम ओ) रायपुर, धमतरी एवं दुर्ग के अभिलेखों की जांच किया।

2.3.5 कार्यक्षेत्र की सीमाएँ

लेखापरीक्षा के समय (जून 2012) मार्कफेड ने अपने वार्षिक लेखों एवं हानि प्रकरणों को खरीफ विपणन[3] वर्ष 2008-2009 तक ही पूर्ण किया था। जिसके फलस्वरूप, हमने केवल खरीफ वर्ष 2008-09 तक के हानि दावों की जाँच की। हमने मार्कफेड के अन्य लेन-देनों से संबंधित लेखाओं की जाँच, जो हानि दावों का भाग नहीं थी, 2011-12 तक किया।

2.3.6 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

एम डी मार्कफेड, रायपुर और डी एम ओ धमतरी, दुर्ग एवं रायपुर के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान हमने निम्नलिखित अनियमितताएँ पायी:

2 अम्बिकापुर, बस्तर, बिलासपुर, धमतरी, दुर्ग, दंतेवाड़ा, जांजगीर-चांपा, जशपुर, कांकेर, कोरिया, कवर्धा, कोरबा, महासमुंद, रायगढ़, रायपुर और राजनांदगांव

3 खरीफ विपणन वर्ष, वह वर्ष है जिसमें मार्कफेड द्वारा किसानों से भारत सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जाती है। राज्य शासन प्रतिवर्ष उपार्जन अवधि का निर्धारण जो कि सामान्यतः अक्टूबर से मार्च के अवधि का होता है, करती है।

2.3.6.1 भारत सरकार द्वारा निर्धारित कस्टम मिल्ड राईस दर के मापदण्डो से परे अधिक ब्याज का भुगतान ₹ 680.15 करोड़

खरीफ वर्ष 2006-07 से 2008-09 के दौरान, मार्कफेड ने विभिन्न बैंको को 800.58 करोड ब्याज का भुगतान किया था, जिसमें से ₹ 120.43 करोड (15 प्रतिशत) एफ सी आई और नान से सी एम आर लागत पत्रक में उल्लिखित दर के अनुसार प्राप्त किया गया था। शेष ब्याज की राशि ₹ 680.15 करोड़ (85 प्रतिशत) सी एम आर मापदण्डों से परे थी जिसका दावा राज्य सरकार से हानि के रूप में किया गया, जो कुल हानि दावा ₹ 1045.13 करोड़ में सम्मिलित था, जिसे निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 1 : बैंक को ब्याज भुगतान का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राज्य सरकार को प्रस्तुत हानि दावा की राशि	बैंकों को भुगतान, कुल ब्याज की राशि	एफ सी आई एवं नान से प्राप्त ब्याज की राशि	राज्य सरकार से हानि दावा में सम्मिलित ब्याज दावा की राशि जो कालम 2 में दिखाया गया है (कालम 3 - कालम 4)	कुल हानि दावा में ब्याज दावों की प्रतिशत (कालम 5 से कालम 2 का)	पिछले वर्षों की तुलना में ब्याज हानि में वृद्धि प्रतिशत
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2006-07	234.63	179.03	25.31	153.72	65.52	203.56
2007-08	302.04	241.23	37.57	203.66	67.42	32.49
2008-09	508.46	380.32	57.55	322.77	63.48	58.48
योग	**1045.13**	**800.58**	**120.43**	**680.15**	**65.08**	

नोटः चूंकि मार्कफेड द्वारा वर्ष 2009-10 से 2011-12 का हानि दावा पूर्ण नहीं किया गया था अतः लेखापरीक्षा इन तीन वर्षों की समीक्षा नहीं कर सका।

(स्रोतः मार्कफेड का हानि दावा प्रकरण)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि प्रत्येक वर्ष, ब्याज हानि कुल हानि दावा का मुख्य अंश थी। वर्ष 2006-07 में पिछले वर्ष से 203.56 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई, जबकि यह वर्ष 2007-08 और 2008-09 क्रमशः 32.49 और 58.48 प्रतिशत थी। मार्कफेड द्वारा ऋण के पुर्नभुगतान में विलंब के कारण ब्याज भार का वहन करना पड़ा जो कि मुख्य रूप से (i) हानि दावा पत्रक तैयार करने में विलंब जिसके परिणाम स्वरूप राज्य सरकर द्वारा निधियों को विमुक्त करने में विलंब, (ii) एफ सी आई /नान से भुगतान प्राप्त करने में विलंब (iii) डी जी एस एण्ड डी के पास निधियों का अवरुद्ध रहना (iv) मार्कफेड द्वारा दावा प्रस्तुत नहीं करने के कारण, भारत सरकार द्वारा अतिरिक्त प्रासंगिक व्यय की प्रतिपूर्ति में देरी, के कारणों से हुई जैसा कि आगे चर्चा की गई है।

2.3.6.2 मार्कफेड द्वारा हानि दावा प्रस्तुत करने में विलंब एवं तदनुसार राज्य सरकार द्वारा निधियों को विमुक्त करने मे देरी

राज्य सरकार जब संबंधित वर्षों में धान उपार्जन के लिए आदेश जारी करता है तो वह सुनिश्चित करता है कि मार्कफेड को धान उपार्जन मे जो भी हानि होगी उसकी प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा की जाएगी।

मार्कफेड द्वारा राज्य सरकार को प्रस्तुत हानि दावों की स्थिति एवं तदनुसार सरकार द्वारा हानि की प्रतिपूर्ति की स्थिति निम्नानुसार है:

तालिका 2: राज्य शासन द्वारा निधियों को विमुक्त किये जाने का विवरण

खरीफ वर्ष की अवधि	राज्य शासन को प्रस्तुत हानि दावा की राशि		मार्कफेड द्वारा संबंधित खरीफ वर्ष के 31 मार्च से हानि दावा का तैयार करने में लिया गया समय (लगभग)	राज्य शासन द्वारा निधियों को विमुक्त किये जाने का विवरण		
	राशि (₹ करोड़ में)	दिनांक		राशि (₹ करोड़ में)	दिनांक	हानि दावा प्रस्तुत किये जाने के बाद राज्य शासन द्वारा निधियों को विमुक्त किये जाने में लिया गया समय (लगभग)
01.11.2006 से 15.02.2007	234.63	21.10.2008	19 माह	30.68	24-मार्च-07	अग्रिम
				112.75	08-अगस्त-09	9 माह
				78.56	22-जनवरी-10	15 माह
योग (ए)				**221.99**		
01.11.2007 से 15.02.2008	302.04	31.07.2009	16 माह	125.04	17-मार्च-10	8 माह
				175.00	28-सितम्बर -10	14 माह
				0.53	31-मार्च-11	20 माह
योग (बी)				**300.57**		
20.10.2008 से 15.02.2009	508.46	17.06.2010	15 माह	100.00	19-फरवरी-09	अग्रिम
				175.00	14-जनवरी-10	अग्रिम
योग (सी)				**275.00**		
महायोग (ए+बी+सी)	**1045.13**			**797.56**		

(स्रोतःमार्कफेड द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी से संकलित)

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि मार्कफेड द्वारा राज्य शासन को खरीफ वर्ष 2006-07 से 2008-09 तक के हानि दावा प्रकरण प्रस्तुत करने में 15 से 19 माह तक की देरी की गयी और वर्ष 2009-10 एवं बाद के हानि दावा प्रकरण मार्च 2013 तक पूर्ण नहीं किये गये थे। आगे, यह भी पाया गया कि दावों को देरी से प्रस्तुत करने पर भी सरकार ने राशि को विमुक्त करने में 8 से 20 माहों का समय लिया। इस प्रकार, मार्कफेड यदि हानि दावा प्रकरणों को समय पर पूर्ण कर हानि प्रतिपूर्ति के लिए प्रस्तुत किया होता तो ₹ 157.26 करोड़[4] के ब्याज भार को कम किया जा सकता था।

चर्चा के दौरान (मार्च 2013), सचिव ने कहा कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने के पश्चात् वर्तमान वर्ष में विभाग ने हानि के घटकों को दो भागों में वर्गीकृत किया है जैसे (i) राज्य सरकार की नीतियों के अनुसार किया गया अनिवार्य अतिरिक्त व्यय को "अतिरिक्त व्यय" के रूप में (ii) भारत सरकार द्वारा तय सी एम आर से परे अतिरिक्त प्रासंगिक व्ययों को "हानि" के रूप में।

तथ्य यथावत है कि, यद्यपि मार्कफेड राज्य सरकार से बजट में अतिरिक्त व्यय के लिए प्रावधानित निधियाँ प्राप्त कर ऋण के पुनर्भुगतान के लिये सक्षम था, लेकिन अतिरिक्त प्रासंगिक व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए लेखाओं को पूर्ण कर हानि दावों को समयबद्ध तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा सकता था, जिससे ब्याज के भार से बचा जा सकता था।

[4] लेखा परीक्षा ने ब्याज की गणना के लिये ब्याज की दर 9.7 प्रतिशत वार्षिक लिया जो कि बैंक द्वारा अप्रैल 2006 से मार्च 2012 की अवधि में सबसे कम था।

2.3.6.3 एफ सी आई और नान से भुगतान प्राप्त करने में देरी

मार्कफेड के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान (जून 2012) हमने देखा कि भारतीय खाद्य निगम और नान के पास बकाया राशि ₹ 861.50 करोड़ जून 2012 की स्थिति में (नान ₹ 749.87 करोड़ और एफ सी आई राशि ₹ 111.63 करोड़) चावल प्रदाय के विरूद्ध लेनदारी के रूप में बकाया था। एफ सी आई और नान से देयकों के विरूद्ध प्राप्तियाँ 2006-07 से 2009-10 की अवधि से संबंधित थी। एफ सी आई और नान से भुगतानों की प्राप्ति में विलंब के कारण मार्कफेड द्वारा ऋणों का पुर्नभुगतान समय से नहीं किया जा सका जिससे इसकी ब्याज दायित्वों में ₹ 196.83 करोड़[5] की बढ़ोत्तरी हुई।

चर्चा के दौरान (मार्च 2013) सचिव ने कहा कि, एफ सी आई द्वारा देरी, मार्कफेड द्वारा कुछ अभिलेखों को जमा न करने के कारण हुई और कहा कि इस हेतु भविष्य में अनुपालन के लिये मार्कफेड को आवश्यक निर्देश जारी किये जायेंगे। आगे, जहाँ तक नान द्वारा विलंब का संबंध है सचिव ने कहा कि भारत सरकार से नान को राशि विमुक्त नहीं किये जाने के कारण ऐसा हुआ। भारत सरकार को प्रस्तुत अंतिम लागत पत्र को अंतिम रूप देने के लिये व्यय विवरण में मार्कफेड के साथ-साथ नान भी शामिल है।

तथ्य यथावत है कि, विलम्ब मार्कफेड के द्वारा ही हो रहा था, क्योंकि मार्कफेड, वार्षिक लेखाओं के पूर्ण नहीं होने के कारण अंतिम व्यय पत्रक तैयार करने के लिए व्यय का विस्तृत विवरण समय से प्रस्तुत करने में विफल रहा।

2.3.6.4 एफ सी आई के पास बारदानों की लागत राशि अवरूद्ध रहना

प्रत्येक वर्ष मार्कफेड को धान और चावल के परिवहन के लिये बारदानों की आवश्यकता होती है जिसे मार्कफेड द्वारा महानिदेशक, आपूर्ति तथा निपटान (डी जी एस एण्ड डी) से खरीदी कर की जाती है। बारदाने की लागत सी एम आर में शामिल है, जिसकी प्रतिपूर्ति (एफ सी आई) और नान से की जाती है।

जिला विपणन अधिकारी, रायपुर और धमतरी के अभिलेखों की लेखापरीक्षा (जून 2012) के दौरान हमने देखा कि भारतीय खाद्य निगम से बारदाने की लागत की प्रतिपूर्ति राशि ₹ 212.71 करोड़[6] का भुगतान लेखापरीक्षा की तारीख तक बकाया था। चूंकि मार्कफेड निधियों की व्यवस्था ब्याज सहित ऋण से करता है, इसलिए भारतीय खाद्य निगम से विलंब से प्रतिपूर्ति राशि की प्राप्ति से ब्याज का दायित्व ₹ 48.51 करोड़[7] तक बढ़ गया था।

चर्चा के दौरान (मार्च 2013) सचिव ने कहा कि देरी का कारण एफ सी आई से स्कंध का मिलान न किया जाना था। आगे, यह भी कहा कि कुल बकाया कम कर ₹ 165.04 करोड़ तक लाया गया है।

तथ्य यथावत है कि, एफ सी आई से स्कंधो का मिलान नहीं करने से मार्कफेड ने अपनी ब्याज की दायित्व में बढ़ोत्तरी की चूंकि मार्कफेड को ब्याज दायित्वों को पूरा करने के

5 लेखा परीक्षा ने ब्याज की गणना के लिये ब्याज की दर 9.7 प्रतिशत वार्षिक लिया जो कि बैंक द्वारा अप्रैल 2006 से मार्च 2012 की अवधि में सबसे कम था।

6 (जिला विपणन अधिकारी, धमतरी ₹ 90.33 करोड़ और जिला विपणन अधिकारी रायपुर ₹122.38 करोड़)

7 लेखापरीक्षा ने ब्याज की गणना के लिये ब्याज की दर 7.5 प्रतिशत वार्षिक लिया जो कि राज्य शासन द्वारा न्यूनतम दर पर मार्कफेड को उपलब्ध कराया गया था।

लिए राशि की प्रतिपूर्ति अंततः राज्य सरकार द्वारा की जाती है अतः जिससे राज्य के खजाने पर वित्तीय भार पड़ता है।

2.3.6.5 अनुबंध के शर्तों के अनुसार न्यूनतम स्कंध शेष के शर्तो का पालन न किये जाने के कारण दण्डात्मक ब्याज का परिहार्य भुगतान ₹ 62.21 करोड़

मार्कफेड प्रत्येक वर्ष भारतीय स्टेट बैंक (एस बी आई) से भारतीय रिर्जव बैंक (आर बी आई) द्वारा स्वीकृत साख सीमा के अंतर्गत एस बी आई और राज्य सरकार खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण के मध्य अनुबंध संपादित कर ऋण प्राप्त करता है। अनुबंध के पैरा-6 एवं पैरा-9 (डी) के साथ पढ़ा जाए कि उधारकर्ता साख खाता से कोई भी राशि साख सीमा से अधिक निकासी किसी भी परिस्थितियों में बंधक रखी गई सामग्री के मूल्य, जो, उपार्जित मूल्य या जारी मूल्य (ईशू प्राईस) जो भी कम हो, से अधिक नहीं होनी चाहिए ऐसा नहीं करने पर बैंक ऐसे आधिक्य निकासी पर अधिक दर से ब्याज भारित करने में सक्षम होगा, जो समय-समय पर आर बी आई द्वारा जारी लेंडिंग रेट से दो प्रतिशत अधिक दर पर भारित होगा जब तक कि इस अनियमितता को पूर्ण रूप से बैंक के संतुष्ट होने तक समायोजित न कर लिया जाए।

हमने पाया कि वर्ष 2006-07 से 2008-09 के दौरान एस बी आई ने कैश क्रेडिट खाते (खाद्य साख सीमा) के क्लीन पोर्शन (बकाया स्कंध जिसे मार्कफेड के धान के स्कंध से पूर्ण नहीं किया गया) पर ऋण अनुबंध के कंडिका-9(डी) के संदर्भ में प्रचलित ब्याज दर से दो प्रतिशत अधिक की दर पर दण्डात्मक ब्याज भारित किया, जिसे नीचे दर्शाया गया है:

तालिक 3: बैंक द्वारा आरोपित दाण्डिक ब्याज का विवरण

(राशि ₹ करोड़ में)

वर्ष	आरोपित दांडिक ब्याज की राशि	कारण
2006-07	9.67	ऋण अनुबंध के पैरा 9(डी) के अनुसार अतिरिक्त आहरण को समायोजित करने में विफलता
2007-08	17.97	
2008-09	34.57	
योग	**62.21**	

(स्रोतः मार्कफेड से प्राप्त अभिलेखों से)

चूंकि, अनुबंध के अनुसार मार्कफेड को न्यूनतम स्कंध बनाये रखना आवश्यक था, जिसे नहीं रखे जाने के फलस्वरूप दांडिक ब्याज की राशि ₹ 62.21 करोड़ परिहार्य थी।

चर्चा के दौरान (मार्च 2013), सचिव ने कहा कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर, विभाग ने कुछ स्पष्टीकरण के आधार पर आर बी आई से दांडिक ब्याज की माफी के लिये आग्रह किया। अपने स्पष्टीकरण में विभाग ने कहा कि ऋण अनुबंध के शर्तो के अनुसार धान के स्कंध कच्चे और प्रसंस्कृत रूप (चावल) दोनो बैंक के पास बंधक था, अतः एफ सी आई एवं नान को जो चावल का स्कंध जिसके लिये मार्कफेड को कोई भुगतान की राशि प्राप्त नहीं हुई, को मार्कफेड का स्कंध माना जाना चाहिये और जिसे धान के अनुपातिक स्कंध को उपलब्ध बंधक स्कंध माना गया। जवाब में, आर बी आई ने राज्य सरकार को सुझाव दिया कि प्रकरण को संबंधित बैंको के साथ सुलझायें और इस संबंध में आवश्यक पत्राचार करें।

इस प्रकार, मार्कफेड ने यदि ऋण अनुबंधो का परिपालन किया होता तो ₹ 62.21 करोड़ की सीमा तक दांडिक ब्याज के भार से बचा जा सकता था।

2.3.6.6 नान से बकाया भुगतान राशि ₹ 3.24 करोड़ की प्राप्ति में विलंब

भारत सरकार ने 2001-02 के दौरान छत्तीसगढ़ में सूखा प्रभावित क्षेत्रो में कार्य के बदले अनाज योजना लागू किया। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 28 अप्रैल 2001 के अनुसार, भारत सरकार द्वारा 2,98,507 मीट्रिक टन धान की कुल आबंटन के विरूद्ध, मार्कफेड को 2,02,507 मीट्रिक टन और नान को 96,000 मीट्रिक टन धान प्रदान किया जाना था। कार्यक्रम के अनुसार निधि की व्यवस्था भारतीय स्टेट बैंक के कैश क्रेडिट सीमा से किया गया था।

प्रबंध संचालक मार्कफेड के अभिलेखों की लेखापरीक्षा (जून 2012) के दौरान हमने देखा कि उपरोक्त धान के आपूर्ति के विरूद्ध मार्कफेड द्वारा वर्ष 2001-02 में कुल प्रस्तुत प्रमाणकों ₹ 118.54 करोड़ के विरूद्ध नान ने केवल ₹ 115.30 करोड़ का भुगतान किया था। लेखापरीक्षा किये जाने तक (जून 2012) नान द्वारा शेष राशि ₹ 3.24 करोड़ का भुगतान नहीं किया गया था। इस राशि का भुगतान बाद में दिसम्बर 2012 में किया। चूंकि मार्कफेड द्वारा निधि की व्यवस्था ब्याज सहित ऋण से किया जाता था, इसलिए इस राशि का विलम्ब से प्राप्त होने से मार्कफेड के ब्याज भार में ₹ 6.89 करोड़[8] की वृद्धि हुई।

चर्चा के दौरान (मार्च 2013), सचिव ने कहा कि शेष देय राशि का भुगतान पूर्व में ही (दिसम्बर 2012) नान से प्राप्त कर लिया गया यद्यपि ब्याज की प्राप्ति के लिये प्रयास किये जा रहे है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योकि मार्कफेड द्वारा ब्याज के भुगतान से बचने के लिए नान से शेष राशि को समय पर प्राप्त करने के लिये ठोस प्रयास नहीं किये गये।

2.3.7 बारदानों के लेनदेन में ₹ 58.33 करोड़ की परिहार्य हानि एवं ₹ 18.46 करोड़ की राशि का अवरूद्ध रहना

2.3.7.1 बारदाना लागत से कम दरों पर बारदानों की वसूली के कारण ₹ 39.02 करोड़ की हानि

मार्कफेड द्वारा बारदाना की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान के भंडारण, परिवहन और मिलिंग के लिए किया जाता है। मिलरों को इन बारदानों में धान प्रदाय किया जाता है। मिलर प्रत्येक नग बारदाना में 40 किलो धान ले जाता है और बदले में 50 किलो चावल भरकर एफ सी आई/नान को स्थानांतरित करता है। आगे, प्रत्येक एक क्विंटल धान के बदले, मिलर 67/68 प्रतिशत चावल प्रदाय करता है। भारत सरकार सी एम आर लागत पत्र में बारदाने पर 40 प्रतिशत का अवमूल्यन निर्धारित किया है।

खरीफ वर्ष 2006-07 से 2008-09 में बारदानों पर मूल्यह्रास के कारण हुई हानि से संबंधित वर्ष के हानि मामलों की जांच के दौरान हमने देखा कि मार्कफेड, मिलरों से बारदाना की लागत की वसूली ₹ 10 प्रति नग बारदाना की दर से करता था, जबकि सी एम आर के अनुसार इसकी वसूली नये बारदाने के लागत का 60 प्रतिशत किया जाना था। कम दर पर बारदाने की लागत की वसूली के फलस्वरूप ₹ 32.02 करोड़ के परिहार्य हानि हुई, जिसे नीचे दर्शाया गया है:

[8] मार्कफेड द्वारा नान को जारी पत्र क्रमांक लेखा/वित्त/108/5010/2013, दिनांक 16.1.2013 के अनुसार

तालिका 4: बारदाना की वसूली कम दर पर किये जाने से हानि को दर्शाने वाला विस्तृत विवरण

खरीफ वर्ष	बारदाने की लागत सी आर आर दर के अनुसार (₹ में)	मिलरों के पास शेष बारदानों की संख्या में	दर, जिसपर मार्कफेड द्वारा वसूली की गई (₹ में)	मिलरों से कुल वसूली राशि (₹ करोड़ में) (कालम 3 X कालम 4)	सी आर आर लागत के अनुसार वसूली की दर (₹ में) (कालम 2 का 60 प्रतिशत)	कम वसूली की राशि (₹ करोड़ में) {कालम 3 X (कालम 6 - कालम 4)}
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2006-07	24.26	26617252	10	26.62	14.56	12.13
2007-08	23.30	28493979	10	28.49	13.98	11.34
2008-09	24.36	33663825	10	33.66	14.62	15.55
योग						39.02

(स्रोतः मार्कफेड द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

चर्चा के दौरान (मार्च 2013) सचिव ने कहा कि, मिलरों के पास शेष बारदानों की वसूली राज्य शासन द्वारा निर्धारित दरों पर की गई है। इसके पीछे यह विचार था कि मिलरों को मिलिंग में तेजी लाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। यद्यपि, सचिव ने आश्वासन दिया कि पुर्वानुसार, राईस मिलरों के पास शेष बारदानों की वसूली की दर विवेकपूर्ण तरीके से तय की जाएगी।

2.3.7.2 एफ सी आई से कम दरों पर बारदानों की राशि की प्राप्ति से ₹ 19.31 करोड़ की हानि

भारत सरकार द्वारा निर्धारित सी एम आर लागत पत्रक अनुसार भारतीय खाद्य निगम को आपूर्ति की गई एक क्विंटल चावल की लागत में दो बारदानों की लागत व मूल्यह्रास शामिल रहता है। सी एम आर लागत पत्रक एक क्विंटल धान के क्रय से लेकर उसे एक क्विंटल चावल में परिवर्तित करने में आई लागत का विवरण प्रदर्शित करता है।

हमने पाया कि वर्ष 2008-09 के दौरान, मार्कफेड को एक क्विंटल चावल के लिए दो बारदानों की लागत का केवल 60 प्रतिशत ही प्राप्त हुआ था। जबकि सी एम आर के लागत पत्रक के अनुसार दो बारदानों का कुल लागत एवं मूल्यह्रास प्राप्त होना चाहिए था। मार्कफेड द्वारा शेष राशि की प्राप्ति के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए और उसे हानि के रूप में प्रतिपूर्ति के लिए राज्य शासन को प्रस्तुत किया गया। एफ सी आई से इस संबंध में ₹ 19.31 करोड़ की लेनदारी नीचे विवरण अनुसार थाः

तालिका 5: एफ सी आई से लेनदारियों को दर्शाने वाला विवरण

1.	2008-09 के दौरान एफ सी आई को बारदानों की आपूर्ति	95,64,464 नग
2.	सी एम आर अनुसार बारदाने की दर	₹ 24.36
3.	सी एम आर अनुसार मूल्यह्रास	₹ 9.75
4.	राशि जो एफ सी आई से प्राप्त की जानी थी	95,64,464 X (24.36 + 9.75) = ₹ 32.62 करोड़
5.	एस सी आई से प्राप्त राशि	₹ 13.31 करोड़
6.	एफ सी आई से प्राप्त नही की गई राशि	₹ 19.31 करोड़ (स.क्र.5 - स.क्र. 4)

(स्रोतः मार्कफेड द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी से संकलित)

चर्चा के दौरान (मार्च 2013), सचिव ने कहा कि मार्कफेड द्वारा राशि संबंधित वर्ष के हानि प्रकरण में शामिल नहीं की गई। इसके अलावा उसे लेखा पुस्तिकाओं में रिसीवेबल के रूप में दर्शाया गया था।

तथ्य यथावत था कि वर्ष 2008-09 से मार्च 2013 तक ₹ 19.31 करोड़ की राशि अप्राप्त रही।

2.3.7.3 जूट मिल आपूर्तिकर्ताओं से अमानक बारदानों की राशि प्राप्त न होने से ₹ 18.46 करोड़ की निधि का अवरूद्ध रहना

डी जी एस एण्ड डी[9] के प्रदाय आदेशों के अनुसार, अमानक या फंगस युक्त पाये गये बारदाने आपूर्तिकर्ता द्वारा बदले जायेंगे या बारदानों की राशि वापस की जायेगी।

प्रबंध संचालक मार्कफेड की लेखाओं की संवीक्षा (जून 2012) के दौरान हमने देखा कि वर्ष 2006-07 से 2011-12 के मध्य जूट मिलरों द्वारा बारदानों की कुल 12,61,693 गठान, जिनका मूल्य ₹ 1969.81 करोड़ था, की आपूर्ति की गयी। इनमें से 10,007 गठान[10] बारदाने फंगसयुक्त होने के कारण अमानक पाये गये थे। जूट मिलरों (प्रदाय कर्त्ता) द्वारा इन बारदानों को न तो बदला गया और न ही इनकी राशि कुल ₹ 18.46 करोड़ मार्कफेड को वापस की गयी, जैसा कि निम्न तालिका में दर्शित है:

तालिका 6 : मार्कफेड को वापस न किये गये अमानक बारदानों का विवरण

वर्ष	प्रदाय की गयी बारदानों की मात्रा	अमानक बारदानों की मात्रा	बारदानों का मूल्य प्रति गठान	अमानक बारदानों का मूल्य (₹ लाख में) (स्तंभ 3 x स्तंभ 4)
	(गठान में)			
1.	2.	3.	4.	5.
2006-07	189528	56	11500	6.44
2007-08	200824	455	11300	51.42
2008-09	163177	404	12000	48.48
2009-10	180744	350	16700	58.45
2010-11	244053	1904	20000	380.80
2011-12	283367	6838	19020	1300.59
योग	**1261693**	**10007**		**1846.18**

(स्रोतः मार्कफेड द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी से)

चर्चा के दौरान (मार्च 2013), सचिव ने कहा कि जूट मिलर के विरूद्ध कार्यवाही करने की जिम्मेदारी डी जी एस एण्ड डी की है। उन्होंने आगे कहा कि मार्कफेड द्वारा बार-बार प्रयास करने के बावजूद, डी जी एस एण्ड डी ने अवमानक बारदानों की राशि वापस करने में रूचि नहीं दिखायी।

लेखापरीक्षा ने इंगित किया कि डी जी एस एण्ड डी को आगे देय राशि का भुगतान करते समय मार्कफेड को समायोजित की जानी चाहिए। सचिव ने कहा कि यह कठिन है क्योंकि धान उर्पाजन के लिए समय पर बारदाना गठान प्राप्त करने के लिए मार्कफेड डी जी एस एण्ड डी पर निर्भर है। उन्होने आगे कहा कि राज्य सरकार स्तर पर भी उल्लिखित राशि प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा।

तथ्य यथावत है कि 10,007 गठान अमानक बारदाने अभी भी प्रतिस्थापित किए जाने हैं फलस्वरूप राशि ₹ 18.46 करोड़ अवरूद्ध रही। इसके अलावा पिछले सात वर्षो से बारदानों के पड़े रहने से इनके खराब होने की आशंका से इन्कार नहीं किया जा सकता।

[9] निदेशक पूर्ति तथा निपटान

[10] एक गठान में 500 नग बारदाने होते हैं

2.3.8 एफ सी आई को प्रदाय कस्टम मिल्ड राईस के अतिरिक्त व्यय की राशि ₹ 154.68 करोड़ के दावों को भारत सरकार को प्रस्तुत न किया जाना

भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मत्रांलय के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के द्वारा प्रत्येक वर्ष जारी आदेश में सी एम आर दर/लागत एवं अन्य घटक जिसका लागत पत्र में उल्लेख है औपबंधिक (प्रोविजनल) होता है। राज्य सरकार, अंतिम प्रासंगिक व्ययों (वैधानिक प्रभार, पारिश्रमिक, परिवहन व्यय, सूखत, समितियों को कमीशन, ब्याज प्रभार, मिलिंग प्रभार, प्रशासनिक प्रभार, व बारदानों की लागत इत्यादि) के दावों को, लेखापरीक्षा किये गये लेखाओं और साक्ष्यों का अभिलेख एवं प्रत्येक मद के लिए विस्तृत स्पष्टीकरण सहित, प्रत्येक खरीफ वर्ष के समाप्ति के पश्चात् यथाशीघ्र भेजेगा।

हमने पाया कि (जून 2012) मार्कफेड द्वारा धान के उर्पाजन एवं एफ सी आई को सी एम आर दर पर चावल प्रदाय में प्रासंगिक व्ययों पर किया गया व्यय वर्ष 2006-07 से 2008-09 के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित माप दण्डों से अधिक था। मार्कफेड द्वारा सी एम आर दर पर प्रदाय किये गये चावल के लिए किये गये अतिरिक्त व्ययों के दावे भारत सरकार को प्रस्तुत नहीं किये गये। सी एम आर में निर्धारित लागत से किया गया समस्त अधिक व्यय ₹ 154.68 करोड़ राज्य शासन को हानि दावों के रूप में प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत किये गये जिनका विवरण निम्न है:

तालिका 7: मार्कफड द्वारा अतिरिक्त प्रासंगिक व्यय का विस्तृत विवरण

वर्ष	भा.खा.नि. को प्रदाय चावल (क्विंटल में)		एफ सी आई को प्रदाय चावल के समतुल्य धान की मात्रा (क्विंटल में)			उपार्जित धान की कुल मात्रा (क्विंटल में)	धान उपार्जन व्यवसाय में कुल हानि (₹ करोड़ में)	प्रति क्विंटल हानि (₹ में) (स्तम्भ 8/ स्तम्भ 7)	एफ सी आई को प्रदाय चावल पर हानि
	अरवा	उसना	अरवा	उसना	योग				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2006-07	1061827	2355767	1584816	3516070	5100886	37078207	234.63	63.28	32.28
2007-08	374899	1410365	559551	2105022	2664573	31510047	302.04	95.86	25.54
2008-09	4777357	4875	7130384	7276	7137660	37470004	508.46	135.70	96.86
योग	**6214083**	**3771007**	**9274751**	**5628368**	**14903119**	**106058258**	**1045.13**		**154.68**

(स्रोतः मार्कफेड द्वारा दी गयी जानकारियों से लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

इस प्रकार इस व्यवसाय के अंतर्गत एफ सी आई को सी एम आर दर पर अंतरित चावल पर किये गये अतिरिक्त प्रासंगिक प्रभारों के दावे भारत सरकार को प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाने से राज्य शासन को ₹ 154.68 करोड़ की हानि हुई।

चर्चा के दौरान (मार्च 2013) सचिव, भारत सरकार को समय पर दावे प्रस्तुत किये जाने पर सहमत होते हुए एवं कहा कि वर्ष 2009-10 से 2011-12 के लेखे तैयार किये जाने के लिए प्रयास पूर्व में ही किये जा चुके हैं, और ये सभी चार महीनों के अंदर तैयार कर लिये जायेगे। वर्तमान में मार्कफेड को हानि की प्रतिपूर्ति, औपबन्धिक आधार पर इन शर्तों के अधीन की जा रही है कि भारत सरकार द्वारा कस्टम मिल्ड राईस के अंतिम दर निर्धारण के फलस्वरूप, भारत सरकार से प्राप्त होने वाली राशि राज्य शासन द्वारा, पूर्व के वर्षो में मार्कफेड को हानि क्षतिपूर्ति के रूप में, जारी की गई निधि यदि कोई हो तो, उस सीमा तक मार्कफेड द्वारा वापस की जायेगी या राज्य शासन द्वारा भविष्य के हानि दावों से समायोजित की जायेगी, जिस सीमा तक कि विभिन्न वर्षो के अंतिम लागत के

निर्धारण के पश्चात इस प्रकार की निधियाँ मार्कफेड को प्राप्त होती है।

2.3.9 हानि दावा पत्रक में बढ़ी हुई प्रभार की राशि ₹ 6.70 करोड़ का शामिल किया जाना

2.3.9.1 अर्जित ब्याज का लेखांकन नहीं करने के फलस्वरूप हानि दावा में ₹ 3.35 करोड़ अधिक का प्रस्तुतीकरण

मार्कफेड द्वारा संधारित (2008-09) जनरल लेजर की संवीक्षा (जून 2012) के दौरान हमने पाया कि राज्य सरकार द्वारा हानि दावा से प्राप्त राशि और एफ सी आई/नान को चावल प्रदाय के एवज में प्राप्त राशि सावधिक जमा के रूप में बैंक में रखा गया, जिससे 2008-09 में ब्याज के रूप में ₹ 3.35 करोड़ की प्राप्ति हुई। राज्य सरकार को प्रस्तुत हानि दावा में इसे उस सीमा तक कम किया जाना चाहिए था, जो कि मार्कफेड द्वारा नहीं किया गया।

चर्चा के दौरान (मार्च 2013), सचिव लेखापरीक्षा अभिमत से सहमत थे एवं आश्वस्त किया कि ऐसे अतिरिक्त हानि के लिए आवश्यक समायोजन वर्ष 2009-10 के हानि के दावों में किया जाएगा।

2.3.9.2 वर्ष 2008-09 के हानि दावा पत्रक में वास्तविक परिवहन प्रभार के परे राशि ₹ 3.35 करोड़ की अधिक राशि को सम्मिलित किया जाना एवं तदनुसार हानि दावा प्रस्तुत किया जाना

खरीफ वर्ष 2008-09 में ₹ 6.36 करोड़ का हानि दावा विभिन्न सोसाइटियों से एफ सी आई डिपो तक 26,96,793.07 क्विंटल धान पर परिवहन व्यय के रूप में राज्य सरकार को प्रस्तुत किया गया था।

खरीफ वर्ष 2008-09 के हानि दावा प्रकरण के अभिलेखों के जाँच के दौरान हमने पाया कि डी एम ओ रायपुर द्वारा धान को एफ सी आई डिपो तक के परिवहन में मात्र ₹ 3.01 करोड़ व्यय किया गया था, तद्नुसार एफ सी आई द्वारा मार्कफेड को व्यय की प्रतिपूर्ति उनके दावों (जून 2009) के अनुसार किया गया था इस प्रकार, वास्तविक व्यय से ₹ 3.35 करोड़ अधिक का हानि दावा प्रस्तुत किया गया था।

इंगित किये जाने पर, डी एम ओ रायपुर ने लेख किया कि दावा औसत परिवहन दर पर किया गया था और एफ सी आई से वास्तविक व्यय का दावा किया गया था।

चर्चा के दौरान (मार्च 2013), सचिव ने आश्वस्त किया कि अतिरिक्त दावों का आवश्यक समायोजन आगामी हानि दावों में किया जाएगा।

2.3.10 निष्कर्ष

मार्कफेड चूंकि बैंको से ब्याज सहित ऋण लेकर अपना व्यवसाय परिचालन करता है अतः धान के उर्पाजन और वितरण में नियमित रूप से नुकसान उठाना पड़ता है। अतः यह आवश्यक है कि मार्कफेड उत्कृष्ट प्रबंधन व्यवस्थाओं को अपनाए। लेखाओं के पूर्ण नहीं होने के कारण मार्कफेड द्वारा ब्याज भार को कम किये जाने हेतु उठाए गए कदम अपर्याप्त थे एवं राज्य सरकार को हानि दावों को विलंब से प्रस्तुतीकरण के परिणामस्वरूप राज्य सरकार द्वारा निधियों के विमुक्त करने में देरी हुई। हमने, एफ सी आई और नान से प्राप्तियों को प्राप्त करने के लिए उचित प्रयास नहीं किया जाना, मिल मालिकों के पास बचे हुए बारदानों के लिए निम्न दर से वसूली किया जाना और एफ सी आई एवं डी जी एस एण्ड डी के पास निधियों का अवरूद्ध रहना पाया। प्रासंगिक प्रभारों के दावे भारत सरकार को विलंब से प्रस्तुत करने के परिणामस्वरूप अंतिम लागत मूल्य निर्धारण में विलंब हुआ।

2.3.11 अनुशंसाएं

- *मार्कफेड को वार्षिक लेखों को समय से पूर्ण करने एवं हानि दावों के प्रकरण के शीघ्र प्रस्तुत कर ब्याज भार को न्यूनतम करने का प्रयास किया जाना चाहिए।*
- *एफ सी आई/नान से प्राप्तियों का अनुसरण प्रभावी रूप से किया जाना चाहिए जिससे ब्याज भार को कम किया जा सके।*
- *सरकार को प्रस्तुत दावों की सत्यता को सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए।*

2.4 भू-अर्जन एवं आवंटन

2.4.1 प्रस्तावना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 ए के प्रावधानों के अनुसार कोई नागरिक कानून के अधिकार के तहत सुरक्षित अपनी सम्पत्ति से वंचित नहीं किया जा सकेगा। राज्य शासन भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (भू-अर्जन अधिनियम) के तहत सार्वजनिक प्रयोजनों जैसे- अधोसंरचना विकास, सिंचाई, विद्युत तथा अन्य परियोजनाओं हेतु निजी भूमि का अर्जन कर सकती है। मध्यप्रदेश उद्योग (शेड, प्लॉट एवं भूमि का आबंटन) नियम, 1974 (छ ग उद्योग अधिनियम, 1974) जिसे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अपनाया गया है के अनुसार फर्म/ उद्योग से भूमि की आवश्यकता हेतू आवेदन प्राप्त होने तथा उसके सत्यापन के पश्चात् निजी भूमि के अर्जन अथवा शासकीय भूमि के हस्तांतरण का प्रस्ताव कलेक्टर को प्रेषित किया जायेगा। भू-अर्जन के पश्चात भूमि का हस्तांतरण वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को किया जायेगा जिसे छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम (सी एस आई डी सी) को अधिपत्य में दिया जायेगा। तदुपरांत सी एस आई डी सी भूमि के आबंटन हेतु उद्योग को एक आशय पत्र जारी करेगा तथा उद्योग से शुल्क[1] प्राप्त होने के पश्चात 99 वर्ष के पट्टे पर भूमि का आबंटन करेगा।

2.4.2 संगठनात्मक संरचना

शासन स्तर पर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आर डी एम) का प्रमुख, प्रमुख सचिव है जिसे भू-अर्जन अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत भू-अर्जन एवं आबंटन हेतु अधिसूचना जारी करने की शक्तियाँ प्राप्त हैं की सहायता के लिए सहायक आयुक्त, भू-अभिलेख एवं चार[2] संभागीय आयुक्त हैं। जिला स्तर पर कलेक्टर, जो कि भू-अर्जन प्रकरणों के नियंत्रण हेतू उत्तरदायी है के सहायक भू-अर्जन अधिकारी तथा तहसीलदार हैं।

2.4.3 लेखापरीक्षा क्षेत्र

हमने वर्ष 2007-08 से 2011-12 की अवधि को शामिल करते हुए मई 2011 से मार्च 2012 के मध्य लेखापरीक्षा संपादित किया। राज्य स्तर पर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, प्रबंध संचालक (एम डी), सी एस आई डी सी तथा आयुक्त, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग और पाँच[3] जिलों में कलेक्टर, दो[4] विशेष भू-अर्जन अधिकारियों, 10[5] भू-अर्जन अधिकारियों तथा महाप्रबंधक (जी एम), जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र (डी टी आई सी) के अभिलेखों की नमूना जांच की गई।

1 प्रब्याजी, भू-भाटक एवं सेवा शुल्क

2 बस्तर, बिलासपुर, रायपुर एवं सरगुजा

3 बस्तर, जांजगीर-चांपा, रायपुर, रायगढ़ एवं राजनांदगांव

4 आरंग-अभनपुर एवं टाटा परियोजना

5 भाटापारा, घरघोड़ा, हसदेव परियोजना, जगदलपुर, जांजगीर-चांपा, खैरागढ़, कोण्डागांव, रायगढ, रायपुर एवं राजनांदगांव

2.4.4 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.4.4.1 योजना

नवंबर 2000 की स्थिति में राज्य में कुल भूमि 137.90 लाख हेक्टेयर[6] है। यद्यपि राज्य गठन के समय तथा उसके पश्चात श्रेणीवार उपलब्ध भूमि (कृषि, औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय इत्यादि) का विवरण संधारित नही किया गया। राज्य में सभी क्षेत्रों जैसे सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्र इत्यादि के समुचित विकास को सुनिश्चित करने तथा उचित योजना हेतु निजी भूमि के अर्जन, मुआवजा भुगतान एवं आबंटित/पट्टे पर दी गई भूमि इत्यादि का एक केन्द्रीकृत डाटाबेस का संधारण आवश्यक है।

चर्चा के दौरान (मार्च 2013), सचिव, आर डी एम ने तथ्यों को स्वीकारते हुये बताया कि राज्य शासन केन्द्रीयकृत डाटाबेस को विकसित करने की प्रक्रिया में है।

2.4.4.2 भूमि का अर्जन एवं आबंटन

जब कभी शासन यह महसूस करती है कि सार्वजनिक प्रयोजन हेतु किसी क्षेत्र में भूमि की आवश्यकता है तो भू-अर्जन अधिकारी/कलेक्टर भू-अर्जन अधिनियम की धारा 4 (i) के अन्तर्गत सर्वेक्षण हेतू शासकीय राजपत्र में अधिसूचना जारी करेगा। इसके पश्चात धारा 6 के अंतर्गत अधिसूचना के प्रकाशन हेतु कि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है की अधिघोषणा करेगा। कलेक्टर द्वारा धारा 9 के अंतर्गत हितबद्ध व्यक्तियों को यह कहते हुए कि उक्त भूमि के बदले मुआवजा का दावा उन्हें दिया जायेगा, एक सार्वजनिक नोटिस दिया जायेगा। कलेक्टर द्वारा धारा 9 के अंतर्गत दी गई नोटिस के संबंध में प्राप्त आपत्तियाँ यदि कोई हो की जाँच धारा 11 के तहत की जायेगा तथा धारा 6(i) की अधिघोषणा से दो वर्ष के भीतर एक उपयुक्त अवार्ड पारित किया जायेगा।

शासन के निर्देश (अगस्त 1977) के अनुसार शासकीय परियोजनाओं की स्थापना हेतु शासकीय भूमि का आबंटन बिना किसी प्रब्याजी अथवा न्यूनतम राशि ₹ 25 के भुगतान पर किया जायेगा। निजी भूमि का आबंटन भू-अर्जन अधिनियम एवं छ ग उद्योग नियम, 1974 के प्रावधान अनुसार भू-अर्जन तथा संबंधित फर्म/उद्योग/विभाग द्वारा देय मुआवजा राशि और सेवा शुल्क जमा किये जाने के उपरांत किया जायेगा।

अठारह में से 16 जिलों[7] द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य शासन द्वारा वर्ष 2007-08 से 2010-11 के दौरान विभिन्न प्रयोजनों हेतु कुल 12778.737 हेक्टेयर[8] भूमि (शासकीय भूमि-3409.669 हेक्टेयर एवं निजी भूमि-9369.068 हेक्टेयर) का अर्जन किया गया। पाँच नमूना जाँच किये गये जिलों में 2371.162 हेक्टेयर शासकीय भूमि तथा 5870.652 हेक्टेयर निजी भूमि को शामिल करते हुए कुल 8241.814 हेक्टेयर भूमि का अर्जन /आबंटन किया गया जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

6 विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वन भूमि 63.49 लाख हेक्टेयर, कृषि भूमि 55.61 लाख हेक्टेयर, पड़त भूमि 10.20 लाख हेक्टेयर व अन्य भूमि 8.60 लाख हेक्टेयर।

7 बस्तर, दन्तेवाड़ा, घमतरी, दुर्ग, जांजगीर-चांपा, जशपुर, कांकेर, कवर्धा, कोरबा, कोरिया, महासमुंद, नारायणपुर, रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव एवं सरगुजा ।

8 इसमें वर्ष 2007-08 से 2010-11 के दौरान अर्जित भूमि का विवरण शामिल है। वर्ष 2011-12 हेतु जानकारी चाही गई थी किन्तु लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं की गई ।

तालिका 1: जिलेवार भू-अर्जन एवं आबंटन का विवरण

(रकबा हेक्टेयर में)

स. क्र.	जिले का नाम	निजी भूमि	शासकीय भूमि	कुल भूमि	आबंटित भूमि
1	रायपुर	842.316	667.499	1509.815	1509.815
2	जांजगीर-चांपा	1897.708	1079.048	2976.756	2976.756
3	रायगढ़	निरंक	230.857	230.857	230.857
4	बस्तर	2150.650[9]	276.15	2426.80	489.160[10]
5	राजनांदगांव	979.978	117.608	1097.586	1097.586
	योग	**5870.652**	**2371.162**	**8241.814**	**6304.174**

(स्रोतः जिलों से प्राप्त जानकारी)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि नमूना जाँच किये गये जिलों में बस्तर जहाँ 2426.80 हेक्टेयर भूमि के विरूद्ध मात्र 489.160 हेक्टेयर (20 प्रतिशत) भूमि का आबंटन किया गया को छोडकर, संपूर्ण अर्जित भूमि (दोनों निजी एवं शासकीय) का आबंटन किया गया। बस्तर में भूमि के आबंटन न किये जाने का मुख्य कारण मेसर्स टाटा आयरन एवं स्टील कम्पनी लिमिटेड को आबंटित की जाने वाली भूमि का सीमांकन जिला कलेक्टर द्वारा न किया जाना था जिसकी चर्चा कण्डिका 2.4.4.6 में की गई है।

2.4.4.3 मेसर्स लेंको सोलर प्रायवेट लिमिटेड हेतु शामिलात चरागाह की भूमि का अर्जन

राजनांदगांव जिले के महरूम कला गाँव में एकीकृत औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना हेतु एम डी, सी एस आई डी सी के प्रस्ताव (जुलाई 2007) के अनुसार संचालनालय, वाणिज्य एवं उद्योग द्वारा कलेक्टर, राजनाँदगांव को 70.695 हेक्टेयर शासकीय भूमि के हस्तांतरण हेतु जुलाई 2007 में पत्र प्रेषित किया गया। तदनुसार कलेक्टर द्वारा दिसम्बर 2009 में शासकीय भूमि के हस्तांतरण की प्रक्रिया आरंभ की गई।

भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ की लेखापरीक्षा में हमने पाया कि 70.695 हेक्टेयर शासकीय भूमि में से 54.924 हेक्टेयर भूमि यह कहते हुए कि भूमि "शासकीय चारागाह[11]" की है को निजी भूमि मानकर तथा वास्तविक भू-स्वामियों की पहचान किये बिना ही मेसर्स लेंको सोलर पावर लिमिटेड को फोटो वोल्टिक मैन्यूफेक्चरिंग प्लांट तथा कोल आधारित पावर प्लांट की स्थापना के लिए आबंटित करने हेतु भू-अर्जन की प्रक्रिया मार्च 2010 में आरंभ की गई। कलेक्टर द्वारा एक भू-स्वामी एवं अन्य के पक्ष में मुआवजा राशि ₹ 8.14 करोड़ का अवार्ड जुलाई 2010 में पारित किया गया। जिसके विरूद्ध मेसर्स लेंको सोलर प्रायवेट लिमिटेड द्वारा अगस्त 2010 में राशि ₹ 8.84 करोड़ जमा किया गया। इसके बावजूद भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ द्वारा दो वर्ष से अधिक का समय व्यतीत होने के उपरांत भी मार्च 2013 तक भू-स्वामियों को मुआवजा भुगतान हेतु कोई प्रयास नहीं किये गये।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर कलेक्टर, राजनांदगांव द्वारा तथ्यों को स्वीकारते हुये शामिलात चारागाह भूमि के अर्जन पर ग्रामीणों द्वारा विरोध एवं बहिष्कार किये जाने के

9 निजी भूमि में टाटा स्टील प्लांट हेतु अर्जित 1764.61 हेक्टेयर भूमि को शामिल करते हुए।

10 मेसर्स टाटा आयरन एवं स्टील कम्पनी लिमिटेड को 1937.64 हेक्टेयर भूमि आबंटित नहीं की गई।

11 सार्वजनिक प्रयोजन हेतु ग्रामीणों द्वारा दान में दी गई भूमि।

मुद्दे पर आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु शासन को नवंबर 2012 में पत्र लिखे जाने का उल्लेख किया गया।

चर्चा के दौरान (मार्च 2013), सचिव, आर डी एम ने तथ्यों को स्वीकारते हुए यह बताया कि परियोजना होल्ड में रखी गयी है तथा मुआवजा का भुगतान नहीं किया गया है। यह भी बताया गया कि कलेक्टर को इसे शासकीय भूमि घोषित किये जाने हेतु उचित निर्देश जारी किये जायेंगे।

2.4.4.4 उद्योगों को कम दर पर शासकीय भूमि का आबंटन किये जाने के फलस्वरूप ₹ 48.83 करोड़ की कम वसूली किया जाना

राज्य शासन द्वारा शासकीय राजपत्र (मार्च 2010) में औद्योगिक प्रयोजन हेतु अर्जित की जाने वाली निजी भूमि के लिए न्यूनतम[12] मुआवजा दर का निर्धारण किया गया। किंतु उक्त आदेश शासकीय भूमि के आबंटन के संबंध में मौन था। शासकीय भूमि का आबंटन संबंधित जिले के उपपंजीयक द्वारा भूमि के क्रय-विक्रय के संबंध में जारी की गई दरों के अनुसार किया जा रहा था। यद्यपि वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के परिपत्र (मार्च 2012) के अनुसार औद्योगिक प्रयोजन हेतु शासकीय भूमि के आबंटन के लिए प्रब्याजी की न्यूनतम दर पुनर्वास नीति 2007 की कण्डिका 4.15 (ए) के अनुसार (₹ 6 लाख प्रति एकड़) होगी। वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के निर्देश (अगस्त 2009) के अनुसार निवेशकों से शासकीय भूमि आबंटन के विरूद्ध प्राप्त राशि (प्रब्याजी एवं भू-भाटक) चालान द्वारा शासकीय खाते में जमा की जायेगी।

एम डी, सी एस आई डी सी के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में हमने देखा कि 15 प्रकरणों में 648.561 हेक्टेयर शासकीय भूमि का आबंटन सी एस आई डी सी द्वारा मार्च 2010 से दिसम्बर 2010 के दौरान पड़त भूमि हेतु पुनरीक्षित दर (₹ 6 लाख प्रति एकड़) से भी कम दर पर किया गया। इस प्रकार वसूली योग्य राशि ₹ 98.52 करोड़[13] के विरूद्ध मात्र ₹ 49.27 करोड़ की वसूली की गई परिणाम स्वरूप ₹ 49.25 करोड़ की कम वसूली हुई **(परिशिष्ट 2.4.1)**।

हमारे द्वारा इंगित किए जाने पर (दिसंबर 2011), सी एस आई डी सी द्वारा 15 में से सात[14] उद्योगों को प्रब्याजी की पुनगर्णना कर संशोधित माँग पत्र मई एवं जून 2012 के मध्य जारी किये गये। जिसमें से मेसर्स लाफार्ज इण्डिया प्रायवेट लिमिटेड द्वारा अंतर राशि ₹ 42.33 लाख[15] (अगस्त 2012) जमा की गई। जबकि मार्च 2013 तक शेष आठ उद्योगों को संशोधित मांग पत्र जारी नहीं किये गये। हमने यह भी देखा कि मेसर्स के एस के महानदी पावर कम्पनी लिमिटेड को जारी संशोधित मांग पत्र में वसूलनीय राशि ₹ 16.12 करोड़ के विरूद्ध मात्र ₹ 7.26 करोड़ का संशोधित माँग पत्र जारी किया जिसकी वसूली होना शेष था (मार्च 2013)।

12 पड़त भूमि के लिए ₹ 6 लाख प्रति एकड़, असिंचित एक फसली भूमि के लिए ₹ 8 लाख एवं सिंचित दो फसली भूमि के लिए ₹ 10 लाख प्रति एकड़

13 ₹ 6 लाख प्रति एकड़ की दर से 648.561 हेक्टेयर आबंटित भूमि का मूल्य (प्रब्याजी) +भू-भाटक (प्रब्याजी का 2.5 प्रतिशत)

14 1.मेसर्स बजरंग पावर एवं इस्पात लिमिटेड, 2.मेसर्स धीरू पावर जेन प्रायवेट लिमिटेड, कोरबा, 3.मेसर्स गोदावरी इनर्जी लिमिटेड, 4. मेसर्स जिंदल स्टील एण्ड पावर लिमिटेड, रायगढ़, 5. मेसर्स के एस के महानदी पावर कंपनी लिमिटेड, 6.मेसर्स लाफार्ज इण्डिया प्रायवेट लिमिटेड, रायपुर एवं 7. मेसर्स सोना पावर इण्डिया प्रायवेट लिमिटेड, जांजगीर।

15 प्रब्याजी ₹ 41.33 लाख एवं भू-भाटक ₹ 1.01 लाख

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर (फरवरी 2013), एम डी, सी एस आई डी सी ने तथ्यों को स्वीकारते हुए (मार्च 2013) अन्य उद्योगों को संशोधित मांग पत्र जारी किये जाने का उल्लेख किया किंतु ₹ 7.26 करोड़ की कम मांग के संबंध में स्पष्ट जबाव प्रस्तुत नहीं किया गया।

चर्चा के दौरान (मार्च 2013), सचिव, आर डी एम द्वारा लेखा परीक्षा आपत्ति सी एस आई डी सी से संबंधित होने तथा उद्योग विभाग को जबाव प्रस्तुत करने हेतु पत्र लिखे जाने का उल्लेख किया गया।

2.4.4.5 शासकीय भूमि का अनियमित आबंटन

कलेक्टर, जांजगीर-चांपा द्वारा मेसर्स वर्धा पावर कम्पनी लिमिटेड को शासकीय भूमि के आबंटन हेतु पारित किए गए अवार्ड (सितंबर 2008) की शर्तों के अनुसार, कम्पनी को अर्जित की गई भूमि का आबंटन भूमि में उपलब्ध अथवा विद्यमान समस्त ढ़ांचे व शासकीय परिसम्पत्तियों का कम्पनी द्वारा स्वयं के व्यय पर पुनर्निर्माण को सुनिश्चित करने के उपरांत किया जाएगा।

हमने देखा कि यद्यपि मेसर्स वर्धा पावर कम्पनी लिमिटेड, हैदराबाद[16] को आबंटित की जाने वाली 207.985 हेक्टेयर शासकीय भूमि का अवार्ड पारित किया गया तथापि एम डी, सी एस आई डी सी द्वारा भूमि में विद्यमान अथवा उपलब्ध समस्त ढ़ांचे व शासकीय परिसम्पत्तियाँ[17] के पुनर्निर्माण को सुनिश्चित किये बिना ही कम्पनी को भूमि का हस्तांतरण कर दिया गया (दिसंबर 2008)। हमने आगे यह भी देखा कि आबंटित की गई भूमि में रोगदा बांध की 21.794 हेक्टेयर भूमि भी शामिल थी।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर कलेक्टर, जांजगीर-चांपा द्वारा (मई 2011) शर्तों के साथ भूमि का हस्तांतरण जी एम, डी टी आई सी, जांजगीर-चांपा को किये जाने का उल्लेख किया गया। जी एम, डी टी आई सी द्वारा (मई 2011) यह बताया गया कि भूमि के आबंटन के पूर्व भू-आबंटन की शर्तों की पूर्णता को सुनिश्चित करने का दायित्व सी एस आई डी सी का था। एम डी, सी एस आई डी सी द्वारा (जनवरी 2012) राज्य विधान सभा द्वारा गठित जाँच समिति को अभिलेख प्रेषित किये जाने का उल्लेख किया गया किंतु अवार्ड की शर्तों की अनदेखी किये जाने के कारणों के संबंध में कोई जबाव नहीं दिया गया।

चर्चा के दौरान (मार्च 2013), सचिव, आर डी एम ने लेखापरीक्षा आपत्ति सी एस आई डी सी से संबंधित होने तथा उद्योग विभाग को जबाव प्रस्तुत करने हेतु पत्र लिखे जाने का उल्लेख किया गया। यह भी बताया कि उद्योग को भूमि आबंटित किये जाने के पूर्व शासकीय परिसम्पत्तियों का पुनर्निर्माण डी टी आई सी को सुनिश्चित करना था।

तथ्य यथावत था कि भू-आबंटन के समय विद्यमान शासकीय परिसमत्तियों एवं ढाँचों का पुनर्निर्माण सुनिश्चित किये बिना ही कम्पनी को शासकीय भूमि का आबंटन अनियमित था।

16 तहसील अलकतरा में 1750 मेगावाट के पावर प्लांट की स्थापना हेतु

17 नहर, तालाब, सड़क एवं बांध क्षेत्र

2.4.4.6 भू-आबंटन न होने के कारण टाटा स्टील प्लांट की स्थापना न होना

लोहांडीगुडा (बस्तर) में टाटा स्टील प्लांट की स्थापना हेतु टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड एवं छत्तीसगढ़ शासन के मध्य जून 2005 में एम ओ यू निष्पादित किया गया। एम डी, सी एस आई डी सी (मार्च 2006) के निर्देशानुसार जिला समिति द्वारा अप्रैल 2006 में स्थल निरीक्षण किया गया तथा 2160.58 हेक्टेयर (शासकीय-178.99 हेक्टेयर, वन-120.31 हेक्टेयर तथा निजी-1861.28 हेक्टेयर) भूमि आबंटन हेतु चिन्हांकित की गई। राज्य शासन की पुर्नवास नीति मार्च 2006 में अनुमोदित की गई। भू-अर्जन की प्रक्रिया जुलाई 2006 में प्रारंभ की गई एवं 1764.61 हेक्टेयर निजी भूमि के लिए ₹ 69.43 करोड़ का अवार्ड क्रमशः अक्टूबर 2007 (1105.45 हेक्टेयर) नवंबर 2007 (308.73 हेक्टेयर) एवं फरवरी 2008 (350.43 हेक्टेयर) में पारित किया गया। अर्जित भूमि के साथ-साथ 170.31 हेक्टेयर शासकीय भूमि डी टी आई सी को हस्तांतरित की गई(फरवरी एवं दिसंबर 2008) जिसे दिसंबर 2008 में सी एस आई डी सी को हस्तांतरित किया गया।

हमने देखा कि यद्यपि टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड द्वारा मुआवजा राशि ₹ 72.89 करोड़[18] (सेवा शुल्क की राशि ₹ 3.47 करोड़ को शामिल करते हुए) अक्टूबर 2007 एवं नवंबर 2008 के मध्य जमा की गई। किन्तु लेखापरीक्षा तिथि तक (फरवरी 2013) भू-स्वामियों को मात्र ₹ 42.07 करोड़ (60 प्रतिशत) मुआवजा का भुगतान किया गया। लेखापरीक्षा दल के सदस्यों तथा विभागीय कर्मचारियों द्वारा किये गये स्थल के संयुक्त भौतिक निरीक्षण (जुलाई 2011) के दौरान यह पाया गया कि कृषकों द्वारा उक्त भूमि पर फसल उगाई जा रही थी तथा भूमि का सीमांकन न किये जाने की वजह से टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड को भूमि का आबंटन नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा दल के सदस्यों एवं विभागीय कर्मचारियों द्वारा ग्राम बडांजी तथा टाकरागुड़ा में किए गए स्थल के संयक्त भौतिक निरीक्षण के फोटोग्राफ





हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर एम डी, सी एस आई डी सी ने बताया (नवंबर 2011) कि कलेक्टर, बस्तर द्वारा भूमि का सीमांकन न किये जाने के कारण अर्जित भूमि का हस्तांतरण टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड को नहीं किया गया। कलेक्टर, बस्तर द्वारा उपरोक्त तथ्यों को स्वीकारते हुए बताया गया (फरवरी 2013) कि भूमि का हस्तांतरण वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को किया गया किन्तु भूमि अतिसंवेदनशील क्षेत्र में

[18] अक्टूबर 2007-₹ 21.01 करोड़, नवंबर 2007-₹ 14.49 करोड़, दिसंबर 2007-₹ 10 करोड़, जनवरी 2008-₹ 10 करोड़, नवंबर 2008-₹ 15.74 करोड़ एवं जनवरी 2009-₹ 1.65 करोड़

होने की वजह से भौतिक कब्जा नहीं दिया जा सका तथा भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया को तीव्र करने हेतु ठोस प्रयास किये जा रहे हैं।

चर्चा के दौरान (मार्च 2013), सचिव, आर डी एम द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति सी एस आई डी सी से संबंधित होने तथा उद्योग विभाग को जवाब प्रस्तुत करने हेतु पत्र लिखे जाने का उल्लेख किया गया।

तथ्य यथावत था कि पाँच वर्ष व्यतीत होने तथा राशि ₹ 72.89 करोड़ जमा करने के पश्चात भी निर्दिष्ट प्रयोजन हेतु भूमि का हस्तांतरण टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड को नहीं किया जा सका।

2.4.5 भूमि का उपयोग न किया जाना

छ ग उद्योग नियम, 1974 के नियम 14 के अनुसार भूमि के अधिपत्य दिनांक से तीन वर्ष के अंदर इकाई को व्यवसायिक उत्पादन में जाना होगा, जिसे आगामी छः माह की अवधि तक बढ़ाया जा सकेगा। हमने कुछ मामलों में देखा कि भूमि का उपयोग निर्दिष्ट प्रयोजन हेतु नहीं किया गया जिनकी चर्चा आगामी कण्डिकाओं में की गई है।

2.4.5.1 नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को आबंटित भूमि का निर्दिष्ट प्रयोजन हेतु उपयोग न किया जाना

नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एन एम डी सी) के बैलाडीला (जिला बस्तर) स्थित आयरन ओर परियोजना के खनिज अपशिष्ट जो कि पर्यावरण के लिए हानिकारक थे, के उपयोग हेतु राशियन तकनीक (रोमेल्ट) पर आधारित आयरन एण्ड स्टील प्लांट की स्थापना के लिये एन एम डी सी के प्रस्ताव (अप्रैल 2000) के अनुसार 403.82 हेक्टेयर भूमि (निजी-289.81 हेक्टेयर तथा शासकीय-114.01 हेक्टेयर) का आबंटन कलेक्टर और जी एम, डी टी आई सी बस्तर द्वारा सितम्बर तथा अक्टूबर 2001 में किया गया।

भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान हमने पाया कि 10 वर्ष व्यतीत होने के उपरांत भी उक्त प्लांट की स्थापना नहीं की गई। अतः भूमि का उपयोग निर्दिष्ट प्रयोजन हेतु नहीं किया जा सका। तथ्य की पुष्टि लेखापरीक्षा दल के सदस्यों एवं विभागीय कर्मचारियों के साथ किये गये स्थल के संयुक्त भौतिक निरीक्षण (जुलाई 2011) के दौरान की गई एवं यह पाया कि केवल कार्यालय भवन तथा बाउन्ड्री वाल का निर्माण किया गया था और भूमि समतलीकरण का कार्य प्रगति पर था।

लेखापरीक्षा दल के सदस्यों एवं विभागीय कर्मचारियों के साथ नगरनार (बस्तर) में किये गये स्थल के संयुक्त भौतिक निरीक्षण के फोटोग्राफ





हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर (दिसंबर 2011), कलेक्टर, बस्तर ने बताया (फरवरी 2013) कि प्लांट का निर्माण कार्य प्रगति पर था तथा उत्पादन का लक्ष्य 2015 है।

चर्चा के दौरान (मार्च 2013), सचिव, आर डी एम द्वारा उद्योग विभाग को जवाब प्रस्तुत करने हेतु पत्र लिखे जाने का उल्लेख किया गया।

इस प्रकार 10 वर्ष पश्चात भी प्लांट की स्थापना न होने से भू-अर्जन एवं आबंटन का उद्देश्य विफल हुआ। इसके अतिरिक्त खनिज अपशिष्ट के उपयोग के उद्देश्य की भी पूर्ति नहीं की जा सकी।

2.4.5.2 मेसर्स वीसा स्टील लिमिटेड को आबंटित भूमि का निर्दिष्ट प्रयोजन हेतु उपयोग न किया जाना

ग्राम पतरापाली एवं कोटमार (जिला रायगढ़) में एकीकृत स्टील एण्ड केप्टिव पावर प्लांट की स्थापना हेतु मेसर्स वीसा स्टील लिमिटेड, कोलकाता (कम्पनी) द्वारा 65.611 हेक्टेयर निजी भूमि के अर्जन का आवेदन अप्रैल 2003 में डी टी आई सी, रायगढ़ के माध्यम से किया गया। तदनुसार डी टी आई सी द्वारा सितम्बर 2005 में कलेक्टर, रायगढ़ को मुआवजा राशि ₹ 1.76 करोड़ उपलब्ध कराई गई तथा भू-अर्जन की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात 61.415 हेक्टेयर निजी भूमि के लिए मुआवजा राशि ₹ 1.66 करोड़ का अवार्ड अक्टूबर 2005 में पारित किया गया। जिसमें से 59.071 हेक्टेयर[19] भूमि का अधिपत्य डी टी आई सी के माध्यम से सी एस आई डी सी को जनवरी 2006 में दिया गया। इसके पश्चात उक्त भूमि का आधिपत्य जुलाई 2006 में कम्पनी को सौंपा गया। छत्तीसगढ़ शासन एवं कम्पनी के मध्य अगस्त 2008 में एम ओ यू का निष्पादन इस शर्त के साथ किया गया कि कम्पनी को एम ओ यू हस्ताक्षर करने की तिथि से दो वर्ष के भीतर परियोजना का क्रियान्वयन प्रारंभ करना होगा अन्यथा एम ओ यू स्वयमेव निरस्त हो जायेगा।

[19] 2.344 हेक्टेयर भूमि को छोडने के बाद

हमने देखा कि यद्यपि अर्जित भूमि (59.071 हेक्टेयर) का आधिपत्य कम्पनी को जुलाई 2006 में सौंपा गया था किंतु प्लांट की स्थापना जुलाई 2011 तक नहीं की जा सकी। तथ्य की पुष्टि लेखापरीक्षा दल के सदस्यों तथा विभागीय कर्मचारियों के साथ किये गये स्थल के संयुक्त भौतिक निरीक्षण (जुलाई 2011) के दौरान की गई। इसके बाद भी न तो भू-आबंटन निरस्त किया गया न ही कम्पनी के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई।

लेखापरीक्षा दल के सदस्यों तथा विभागीय कर्मचारियों द्वारा ग्राम पतरापाली एवं कोटमार में किये गये स्थल के संयुक्त भौतिक निरीक्षण के फोटोग्राफ





हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर (जुलाई 2011), भू-अर्जन अधिकारी, रायगढ़ द्वारा तथ्यों को स्वीकारते हुये मुख्य महाप्रबंधक, डी टी आई सी, रायगढ़ के माध्यम से कम्पनी के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव कलेक्टर को प्रेषित किए जाने का उल्लेख (फरवरी 2013) किया गया।

चर्चा के दौरान (मार्च 2013), सचिव, आर डी एम ने प्रकरण सी एस आई डी सी से संबंधित होने तथा उद्योग विभाग को जवाब प्रस्तुत करने हेतु पत्र लिखे जाने का उल्लेख किया।

2.4.6 मुआवजा का निर्धारण एवं भुगतान

भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (यथा संशोधित 1984) की धारा 23 के अनुसार अर्जित की जा रही भूमि पर देय मुआवजा राशि की गणना हेतु धारा 4(i) की अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक को भूमि का बाजार मूल्य तथा भूमि पर खड़ी फसल, वृक्ष, स्थायी ढ़ांचा एवं अन्य घटकों के मूल्यांकन को शामिल करते हुए विचार किया जाना चाहिये। राज्य शासन ने स्पष्ट किया (मार्च 1965) कि भूमि के बाजार मूल्य की गणना करते समय बिक्री छांट[20] तथा संबंधित जिलों के उपपंजीयक द्वारा जारी की गई वार्षिक विक्रय दर जो भी अधिक हो के आधार पर की जावेगी। धारा 23-1ए के अनुसार प्रत्येक प्रकरण में भूमि के बाजार मूल्य के अतिरिक्त घारा 4(i) की अधिसूचना के प्रकाशन तिथि से अवार्ड पारित करने की तिथि तक अथवा भूमि के अधिपत्य तिथि जो भी पहले हो, के मध्य अवधि का 12 प्रतिशत की दर से राशि देय होगी। भू-अर्जन अधिनियम की धारा 23(2) के अंतर्गत उक्त भूमि के बाजार मूल्य का 30 प्रतिशत तोषण[21] के रूप में भुगतान की जायेगी।

[20] संबंधित क्षेत्र में विगत तीन वर्षों के दौरान भूमि के विक्रय मूल्य का औसत

[21] तोषण एक अतिरिक्त मुआवजा है जो कि निर्धारित मुआवजा राशि पर 30 प्रतिशत की दर से भुगतान किया जाना आवश्यक है।

2.4.6.1 भूमि के बाजार मूल्य की त्रटिपूर्ण गणना एवं निर्धारण के कारण मुआवजा राशि ₹ 4.01 करोड़ की कम वसूली होना

भू-अर्जन अधिकारी, जांजगीर-चांपा के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान हमने पाया कि दो प्रकरणों में भूमि के बाजार मूल्य की गणना उपपंजीयक द्वारा जारी बाजार दर में दी गई अधिकतम दर के आधार पर नहीं किया गया साथ ही 13 माह के स्थान पर 12 माह के लिए अतिरिक्त मुआवजा की गणना की गई। जिसके परिणाम स्वरूप मुआवजा राशि ₹ 4.01 करोड़ की कम वसूली हुई (**परिशिष्ट 2.4.2**)।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर कलेक्टर, जांजगीर-चांपा पुनर्वास नीति 2007 के अनुसार अवार्ड पारित किये जाने तथा उपपंजीयक द्वारा जारी गाईडलाइन के अनुसार मुआवजा राशि का निर्धारण किये जाने का उल्लेख (मार्च 2013) किया गया।

चर्चा के दौरान (मार्च 2013), सचिव, आरडीएम ने तथ्यों को स्वीकारते हुए यह बताया कि लेखापरीक्षा में इंगित किये गये प्रकरणों की जाँच उपरांत जवाब प्रस्तुत किया जायेगा।

2.4.6.2 मुआवजा राशि ₹ 59.65 करोड़ का विलम्ब भुगतान/भुगतान न किया जाना

भू-अर्जन अधिनियम की धारा 12(2) के अनुसार कलेक्टर द्वारा अवार्ड के समय हितबद्धों को जो स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधि उपस्थित नहीं थे को तत्काल अवार्ड की सूचना दी जाएगी। धारा 31(1) एवं (2) के अनुसार भू-अर्जन अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत अवार्ड पारित किये जाने के उपरांत कलेक्टर द्वारा हितबद्धों को मुआवजा का भुगतान किया जायेगा अथवा धारा 18 के अंतर्गत न्यायालय में संदर्भित प्रकरण की मुआवजा राशि न्यायालय में जमा की जायेगी।

- हमने देखा कि पाँच नमूना जाँच जिलों के 89 प्रकरणों में नवंबर 2007 एवं अगस्त 2011 के मध्य 2863.536 हेक्टेयर निजी भूमि के अर्जन हेतु मुआवजा राशि ₹ 302.08 करोड़ का अवार्ड पारित गया। भू-अर्जन अधिकारी के पास मुआवजा राशि जमा किये जाने के बावजूद 86 प्रकरणों में 1376 भू-स्वामियों को मुआवजा राशि ₹ 56.12 करोड़ (19 प्रतिशत) का भुगतान एक से नौ वर्ष व्यतीत होने के उपरांत भी नहीं किया गया। शेष तीन प्रकरणों में भू-स्वामियों के न्यायालय में जाने के बाद भी भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर एवं रायगढ़ द्वारा भू अर्जन अधिनियम की धारा 31(1) एवं (2) का उल्लंघन करते हुए मुआवजा राशि ₹ 2.14 करोड़ न्यायालय में जमा नहीं की गई (**परिशिष्ट 2.4.3**)।
- भू-अर्जन अधिकारी, रायगढ़ के 13 प्रकरणों में 183.25 हेक्टेयर निजी भूमि हेतु मुआवजा राशि ₹ 12.58 करोड़ का अवार्ड मई 2008 एवं अक्टूबर 2009 के मध्य पारित किया गया। जिसमें से मुआवजा राशि ₹ 1.39 करोड़ का वितरण भू-स्वामियों को तीन से 20 माह के विलम्ब से जल संसाधन विभाग से मुआवजा राशि प्राप्ति के बाद जनवरी 2010 में किया गया।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर भू-अर्जन अधिकारी, रायपुर ने तथ्यों को स्वीकारते हुए (फरवरी 2013) भू स्वामियों द्वारा मुआवजा राशि प्राप्त करने में रूचि न लेने एवं उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र प्रस्तुत न करने के कारण मुआवजा का भुगतान न किये जाने का उल्लेख किया । यद्यपि भू-अर्जन अधिकारी, आरंग-अभनपुर ने बताया कि शासन से

स्पष्टीकरण प्राप्त न होने तथा भू-स्वामियों की अनुपस्थिति की वजह से मुआवजा भुगतान नहीं किया जा सका जबकि भू-अर्जन अधिकारी, जांजगीर-चांपा द्वारा (मार्च 2013) मुआवजा प्राप्त करने के पूर्व रोजगार की माँग तथा आपसी विवाद की वजह से मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया जा सका। भू-अर्जन अधिकारी, रायगढ़ ने बताया (मार्च 2013) कि माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण लंबित होने, भू-स्वामियों की अनुपस्थिति तथा आपसी विवाद की वजह से मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया जा सका।

चर्चा के दौरान (मार्च 2013), सचिव, आर डी एम ने बताया कि मुआवजा राशि के विलम्ब/भुगतान न किये जाने का मुख्य कारण भू-स्वामियों की अनुपस्थिति, आपसी विवाद एवं न्यायालय में प्रकरण लंबित रहना था।

विभाग को न्यायालयीन प्रकरणों को शीघ्र निराकरण किये जाने की पहल की जानी चाहिए ताकि भू-स्वामियों को मुआवजा राशि का भुगतान किया जा सके तथा अन्य वित्तीय दायित्वों से बचा जा सके।

2.4.7 भू-अर्जन अधिनियम के प्रावधानों का पालन न किया जाना

2.4.7.1 मुआवजा भुगतान किये बिना ही कार्य का पूर्ण किया जाना

भू-अर्जन अधिनियम की धारा 17 के अनुसार तत्काल आवश्यकता के प्रकरण में, यदि शासन निर्देशित करती है तो कलेक्टर धारा 9(1) के अंतर्गत सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के बाद सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक भूमि का अधिपत्य ले सकेगा। भू-अर्जन अधिनियम के अनुसार हितबद्धों को मुआवजा राशि का 80 प्रतिशत अग्रिम भुगतान उक्त आधिपत्य लेने के पूर्व किया जायेगा।

हमने देखा कि दो प्रकरणों में भू-अर्जन अधिकारी, कोण्डागांव (बस्तर) द्वारा 0.728 हेक्टेयर[22] निजी भूमि का अग्रिम अधिपत्य जनवरी 2006 में कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण), जगदलपुर को मुआवजा राशि का 80 प्रतिशित अग्रिम जमा सुनिश्चित किये बिना ही सेतु निर्माण हेतु दिया गया। धारा 4(1) एवं 6(1) के अंतर्गत अधिसूचना क्रमशः जुलाई 2010 तथा जनवरी 2011 में प्रकाशित की गई तथा जून 2011 तक अवार्ड पारित नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा दल के सदस्यों तथा विभागीय कर्मचारियों के द्वारा किये गये स्थल के संयुक्त भौतिक निरीक्षण (जून 2011) में यह पाया गया कि सेतु का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका था तथा सेतु का उद्घाटन भी (मई 2011) में किया जा चुका था।

[22] मोहलई 0.041 हेक्टेयर एवं पासंगी 0.687 हेक्टेयर

लेखापरीक्षा दल के सदस्यों तथा विभागीय कर्मचारियों द्वारा मोहलई में किये गये स्थल के संयुक्त भौतिक निरीक्षण के फोटोग्राफ





हमारे द्वारा इंगित करने पर (जून 2011), भू-अर्जन अधिकारी, कोण्डागांव ने तथ्यों को स्वीकारते हुए बताया (जून 2011) कि प्रकरण की नस्ती गुम होने की वजह से भू-अर्जन की प्रक्रिया कार्य पूर्ण होने के उपरांत प्रारंभ की गई। द्वितीय प्रकरण में यह बताया गया कि धारा 4(1) अंतर्गत अधिसूचना प्रक्रियाधीन थी (जुलाई 2011)।

चर्चा के दौरान (मार्च 2013), सचिव, आर डी एम ने तथ्यों को स्वीकारते हुए यह बताया कि जनता की मांग की वजह से मुआवजा भुगतान के पूर्व कार्य निष्पादित किया गया तथा यह भी बताया गया कि भू-अर्जन की प्रक्रिया प्रगतिरत है।

तथ्य यथावत था कि भूमि का अग्रिम आधिपत्य दिये जाने तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने के बावजूद सात वर्ष व्यतीत होने के उपरांत भी भू-स्वामियों को मुआवजा का भुगतान नहीं किया गया। शासन को अतिरिक्त वित्तीय दायित्व से बचने हेतु भु-स्वामियों को शीघ्र मुआवजा भुगतान हेतु आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

2.4.7.2 राशि ₹ 522.08 करोड़ शासकीय खाते से बाहर रखना तथा ₹ 21.50 लाख का व्यपवर्तन

राज्य शासन के निर्देशानुसार (जनवरी 1998) भू-अर्जन से प्राप्त समस्त राशि शासकीय खाते[23] में जमा की जायेगी क्योंकि बैंक खाते में प्राप्त ब्याज बहुत कम होता है जबकि शासन को संसाधनों के निर्माण हेतु अधिक दर पर ऋण लेना होता है। लेखापरीक्षा के दौरान हमने देखा किः-

- पाँच भू-अर्जन अधिकारियों[24] द्वारा मार्च 2012 की स्थिति में भू-अर्जन हेतु प्राप्त मुआवजा राशि ₹ 200.58 करोड़[25] को व्यक्तिगत जमा खाते में जमा करने की बजाय बैंक बचत खाते में रखा गया। इसके अलावा भू-अर्जन के विरूद्ध प्राप्त सर्विस चार्ज ₹ 10.15 करोड़[26] तथा बैंक बचत खाते में प्राप्त ब्याज राशि

23 मुआवजा राशि व्यक्तिगत जमा खाते में (कोषालय) तथा अन्य समस्त प्राप्तियाँ शासकीय खाता (0029-भू-राजस्व-800-अन्य प्राप्तियाँ) में

24 आरंग-अभनपुर, खैरागढ़, रायपुर, राजनांदगांव तथा टाटा परियोजना

25 भू-अर्जन अधिकारी, आरंग-अभनपुर- ₹ 61.01 करोड़, खैरागढ़- ₹ 9.75 करोड़, रायपुर- ₹ 90.64 करोड़, राजनांदगांव- ₹ 7.73 करोड़ तथा टाटा परियोजना- ₹ 31.45 करोड़

26 भू-अर्जन अधिकारी, आरंग-अभनपुर- ₹ 0.68 करोड़ एवं रायपुर- ₹ 9.47 करोड़

₹ 20.60 करोड़[27] भी फरवरी 2013 तक शासकीय खाते में जमा नहीं की गई।

- एम डी, सी एस आई डी सी द्वारा मार्च 2012 तक औद्योगिक प्रयोजन हेतु आबंटित की गई भूमि के विरूद्ध उद्योंगो से विभिन्न शुल्क के रूप में राशि ₹ 314.48 करोड़[28] प्राप्त की गई जिसे फरवरी 2013 तक शासकीय खाते में जमा नहीं किया गया।
- कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड जांजगीर-चांपा से मढ़वा-तेन्दुभाठा ताप विद्युत परियोजना हेतु आबंटित शासकीय भूमि के एवज में प्रब्याजी राशि ₹ 7.02 करोड़ प्राप्त हुई (जुलाई 2009)। कलेक्टर, जांजगीर-चांपा द्वारा उक्त राशि व्यक्तिगत जमा खाते में जमा करने के बजाय चालू खाते में जमा की गई (दिसम्बर 2009) तथा छः माह पश्चात (जुलाई 2010) में राशि व्यक्तिगत जमा खाते में जमा की गई।
- कलेक्टर, रायपुर के आदेशानुसार (अक्टूबर 2011), शासन के निर्देशों के विपरीत भू-अर्जन अधिकारी, आरंग-अभनपुर द्वारा भू-आवंटन प्राप्तियों से प्राप्त ब्याज राशि में से ₹ 21.50 लाख का भुगतान दस्तावेजों के डिटिजाइजेशन एवं कम्प्युटरीकरण कार्य हेतु किया गया।

हमारे द्वारा इंगित करने पर कलेक्टर, जांजगीर-चांपा ने बताया (मार्च 2013) कि इस संबंध में विभागीय जाँच् संस्थापित की गई है।

चर्चा के दौरान (मार्च 2013), सचिव, आर डी एम ने तथ्यों को स्वीकारते हुए बताया कि शासकीय व्यक्तिगत खाते में राशि जमा करने हेतु निर्देश जारी किये जा चुके है तथा पुनः निर्देश जारी किये जायेंगे।

2.4.7.3 सावधी जमा में अनाधिकृत रूप से ₹ 54.72 करोड़ जमा रखना

भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान हमने पाया कि जोरातराई (राजनांदगांव) में नवीन एकीकृत औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु 275.12 हेक्टेयर निजी भूमि के अर्जन के लिए डी टी आई सी से प्राप्त राशि ₹ 28.90 करोड़ को पंजाब नेशनल बैंक में सावधि जमा में रखा गया। धारा 4 (1) के अंतर्गत अधिसूचना का प्रकाशन नवंबर 2006 में किया गया तथा जोरातराई मे नवीन एकीकृत औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना किए जाने का ग्रामीणों द्वारा विरोध किए जाने के कारण भू-अर्जन की प्रक्रिया स्थागित कर दी गई (अगस्त 2008)। इसके पश्चात एम डी, सी एस आई डी सी द्वारा (जनवरी 2009) भू-अर्जन हेतु जमा की गई राशि वापस किए जाने का अनुरोध किया गया। तदनुसार फरवरी 2009 में उक्त् सावधि जमा को बंद कर राशि ₹ 28.90 करोड़ सी एस आई डी सी को वापस किया गया। इसी प्रकार बाईपास सड़क के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग से भू-अर्जन हेतु प्राप्त राशि ₹ 25.82 करोड़[29] को भी सावधि जमा (अप्रैल एवं नवंबर 2009) मे रखा गया। जिसमें

27 भू-अर्जन अधिकारी, आरंग-अभनपुर- ₹ 0.92 करोड़, खैरागढ़- ₹ 0.87 करोड़, रायपुर- ₹ 13.43 करोड़, राजनांदगांव- ₹ 1.50 करोड़ तथा टाटा परियोजना- ₹ 3.88 करोड़

28 प्रब्याजी- ₹ 272.92 करोड़, भू-भाटक- ₹ 41.38 करोड़ तथा प्रब्याजी पर प्राप्त ब्याज- ₹ 0.18 करोड़

29 मार्च 2009 में ₹ 4 करोड़ तथा नवम्बर 2009 में ₹ 21.82 करोड़

से कुछ परिपक्वता अवधि के पश्चात बंद कर दी गई तथा ₹ 5.11 करोड़ के छः सावधि जमा अभी भी संचालित थे। इसके अतिरिक्त सावधि जमा पर प्राप्त ब्याज राशि ₹ 1.76 करोड़ को फरवरी 2013 तक शासकीय खाते में जमा नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने के पश्चात कलेक्टर, राजनांदगांव ने बताया (फरवरी 2013) कि कोषालय में व्यक्तिगत जमा खाता खोलने की प्रक्रिया चल रही है इसके पश्चात सावधि जमा की राशि व्यक्तिगत खाते में जमा की जायेगी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि जनवरी 2012 में भी यही जवाब प्रस्तुत किया गया था किन्तु फरवरी 2013 तक व्यक्तिगत खाता नहीं खोला गया।

चर्चा के दौरान (मार्च 2013), सचिव, आर डी एम द्वारा राशि व्यक्तिगत खाता में जमा करने हेतु निर्देश जारी किए जाने का उल्लेख किया गया।

2.4.7.4 स्रोत से आयकर राशि ₹ 42.46 लाख की कटौत्रा न किया जाना

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194 एल ए में प्रावधानित है कि यदि कोई व्यक्ति किसी चल सम्पत्ति (कृषि भूमि को छोड़कर) के अर्जन पर ₹ 1 लाख से अधिक का मुआवजा या बढ़त मुआवजा राशि का भुगतान करता है तो भुगतान के समय उस राशि के 10 प्रतिशत के बराबर आयकर की कटौती की जायेगी।

तीन भू-अर्जन अधिकारियों[30] में हमने पाया कि 18 भू-स्वामियों को गैर कृषि भूमि हेतु प्रत्येक प्रकरण में ₹ 1 लाख से अधिक की मुआवजा राशि का भुगतान किया गया किन्तु उनसे नीचे वर्णित अनुसार राशि ₹ 42.46 लाख की आयकर कटौत्री नहीं की गईः

तालिका 2: मुआवजा राशि से टी डी एस की कटौती न किए गए प्रकरणों का विवरण

(₹ लाख में)

स.क्रं.	भू अर्जन अधिकारी का नाम	प्रकरणों की संख्या	मुआवजा राशि	10 प्रतिशत की दर से टी डी एस
1	जांजगीर-चांपा	04	263.88	26.39
2	रायपुर	13	92.45	9.25
3	रायगढ़	01	70.88	6.82
योग		**18**	**427.21**	**42.46**

(स्रोतः लेखापरीक्षा द्वारा संकलित आंकड़े)

हमारे द्वारा इंगित किए जाने पर भू-अर्जन अधिकारी, जांजगीर-चांपा ने बताया (मार्च 2013) कि अर्जित की गई भूमि कृषि भूमि है अतः टी डी एस नहीं काटा गया। उत्तर मान्य नही है क्योंकि भू-अर्जन अधिकारी, जांजगीर-चांपा द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों से यह प्रदर्शित होता था कि भूमि पड़त थी। अतः आयकर वसूलनीय था। भू-अर्जन अधिकारी, रायपुर ने बताया (मार्च 2013) कि दिसम्बर 2007 के पश्चात से टी डी एस कटौती की जा रही है। जबकि भू-अर्जन अधिकारी, रायगढ़, (मार्च 2013) द्वारा प्रकरण की जांच उपरांत जवाब प्रस्तुत किए जाने का उल्लेख किया गया ।

चर्चा के दौरान (मार्च 2013), सचिव, आर डी एम ने तथ्यों को स्वीकारते हुए कहा कि टी डी एस की कटौती की जायेगी।

[30] जांजगीर-चांपा, रायगढ़ एवं रायपुर

2.4.8 पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन

राज्य शासन द्वारा प्रभावित भू-स्वामियों के लिए पुनर्वास नीति 2005 (यथासंशोधित 2007) बनायी गई। नीति के अनुसार पुनर्वास योजना का क्रियान्वयन भू-अर्जन की कार्यवाही के साथ साथ किया जायेगा। नीति के अनुश्रवण का दायित्व राज्य तथा जिला स्तर समितियों को सौंपा गया। भू-प्रभावितों की नौकरी प्रशिक्षण सुरक्षा के लिए प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना पर बल दिया जाना चाहिए तथा भूमि का आधिपत्य लिए जाने की तिथि से दो वर्ष के भीतर फर्म/कंपनी को प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को रोजगार उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उनकी योग्यातानुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में प्रावधानित दर के समान बेरोजगारी भत्ता देय होगा।

भू-अर्जन अधिकारी, जांजगीर-चांपा, रायगढ़ एवं बस्तर के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान हमने पाया गया कि उद्योगों की स्थापना हेतु सितम्बर 2001 से अगस्त 2010 के मध्य 3298 भू-स्वामियों की 1796.015 हेक्टेयर निजी भूमि का अर्जन किया गया। संबंधित भू-अर्जन अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार 1146 परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया, 39 परिवारों को अन्य तरीके से लाभ पहुँचाया गया तथा शेष 2113 परिवारों को नीचे दिए गए विवरणानुसार मार्च 2013 तक रोजगार उपलब्ध कराना शेष था:

तालिका 3: पुनर्वासित किए गए परिवारों का विवरण पत्रक

स. क्र.	प्लांट का नाम एवं क्षमता	जिला	अर्जित भूमि का रकवा हेक्टेयर में	आवंटन का दिनाक	कुल पुनर्वासित परिवार	रोजगार उपलब्ध कराया गया	अन्य तरीके से लाभार्वित	अलाभान्वित
1	के एस के महानदी 3600 मेगावाट	जांजगीर-चांपा	625.554	दिसम्बर 2008	705	429	39	237
2	अथेना पावर लिमिटेड 1200 मेगावाट	जांजगीर-चांपा	307.87	अनुपलब्ध	448	311	0	137
3	मढ़वा-तेंदुभाटा 1000 मेगावाट	जांजगीर-चांपा	195.97	अनुपलब्ध	668	126	0	542
4	एन एम डी सी	बस्तर	288.81	सितम्बर 2001	303	280	0	23
5	एन एम डी सी	बस्तर	318.74	अगस्त 2010	1052	0	0	1052
6	वीसा स्टील लिमिटेड	रायगढ़	59.071	जुलाई 2006	122	0	0	122
	योग		**1796.015**		**3298**	**1146**	**39**	**2113**

(स्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी)

तथ्यों को स्वीकारते हुए कलेक्टर, बस्तर एवं जांजगीर चांपा ने बताया (फरवरी एवं मार्च 2013) कि पुनर्वास एवं रोजगार उपलब्ध कराने की प्रक्रिया प्रगतिशील है जबकि भू-अर्जन अधिकारी, रायगढ़ ने तथ्य को स्वीकारते हुए बताया (फरवरी 2013) कि मेसर्स वीसा स्टील लिमिटेड के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु प्रस्ताव कलेक्टर को प्रेषित किया गया है।

चर्चा के दौरान (मार्च 2013), सचिव, आर डी एम ने बताया कि शासन पुनर्वास नीति

की समीक्षा कर रही है तथा संशोधित नीति का क्रियान्वयन शीघ्र किया जायेगा।

2.4.9 निष्कर्ष

भू-अर्जन अधिनियम का क्रियान्वयन तथा उसमें निहित कार्यवाहियाँ खामियों एवं कमियों से प्रभावित थीं। शासन स्तर पर केन्द्रीय डाटाबेस के अभाव में भू-अर्जन तथा आबंटन की स्थिति की निगरानी नहीं की जा सकी। उद्यमियों को कम दर पर शासकीय भूमि का आबंटन कर लाभान्वित किया गया तथा आबंटित भूमि का निर्दिष्ट प्रयोजन हेतु उपयोग सुनिश्चित नहीं किया जा रहा था। मुआवजा के निर्धारण हेतु उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। भू-स्वामियों को समय पर मुआवजे का भुगतान सुनिश्चित नहीं किया गया। प्रभावित परिवारों को पुनर्वास नीति के अनुसार पुनर्वास नहीं दिया गया। इसके अलावा भू-अर्जन की राशि को शासकीय खाते से बाहर रखने तथा मुआवजा राशि पर आयकर कटौती न किए जाने के प्रकरण भी प्रकाश में आये।

2.4.10 अनुशंसाएं

शासन भू-अर्जन एवं आबंटन की प्रणाली में सुधार हेतु निम्नानुसार कदम उठा सकती है:

- *भूमि के आबंटन तथा पट्टे पर दी गई भूमि दोनों के लिए एक केन्द्रीयकृत डाटाबेस का संधारण किया जाना चाहिए;*
- *आबंटित/ पट्टे पर दी गई भूमि के निर्दिष्ट प्रयोजन हेतु उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एक राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति का गठन किया जाना चाहिये;*
- *भू-अर्जन/आबंटन से प्राप्त राशियों का समय पर तथा उचित लेखांकन एवं प्रेषण हेतु उचित निर्देश लागू किये जाने चाहिए;*
- *मुआवजा राशि की समय पर प्राप्ति तथा भू-स्वामियों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाना चाहिए; तथा*
- *प्रभावित भू-स्वामियों को पुनर्वास नीति के अनुसार पुनर्वास दिया जाना चाहिए।*

अध्याय 3

शासकीय विभागों के मुख्य नियंत्रण अधिकारी आधारित लेखापरीक्षा

3.1 उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग

3.2 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

अध्याय 3

शासकीय विभागों के मुख्य नियंत्रण अधिकारी आधारित लेखापरीक्षा

3.1 उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग

कार्यपालिक सारांश

उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग, आधुनिक तकनीकों को अपनाते हुए एवं नवीन किस्मों के बीज के उपयोग से फल, सब्जियों, मसाले, फूल, औषधीय एवं सुगंधित पौधों की उत्पादकता एवं रोपण क्षेत्र विस्तार में वृद्वि के लिए उत्तरदायी है।

विभाग की महत्वपूर्ण गतिविधियों में मितव्ययिता, दक्षता एवं प्रभावशीलता की जांच हेतु अवधि 2007-12 के लिए विभाग की मुख्य नियंत्रण अधिकारी आधारित लेखापरीक्षा की गई। प्रमुख लेखापरीक्षा आपत्तियों की चर्चा नीचे की गई हैः

- महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति में 28 से 55 फीसदी के बीच कमी।

 विभाग की गतिविधियों की निगरानी के लिए पर्याप्त कर्मचारियों की पदस्थापना की जानी चाहिए।

 (कंडिका 3.1.6.2)

- आवधिक आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा की स्थापना नही की गई।

 आंतरिक जाँचों को सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा *की स्थापना की जानी चाहिए।*

 (कंडिका 3.1.6.3(क))

- बारहमासी फलों एवं तटीय बागवानी फसलों के अत्याधिक मृत्यु दर के कारण राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत क्षेत्र विस्तार के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हुई।

 (कंडिका 3.1.6.4 (क))

- जिला और राज्य स्तर पर उद्यानिकी उत्पादन के आंकलन के लिए विश्वसनीय और वास्तविक आंकड़ो को एकत्रित करने का कोई तंत्र विकसित नही किया गया।

 वास्तविक आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए विश्वसनीय तंत्र विकसित किया जाना चाहिए।

 (कंडिका 3.1.8.2)

- राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के धीमें क्रियान्वयन से राशि ₹ 63.85 करोड़ का अनुपयोगी रहना।

योजना राशि का उपयोग नियत उद्देश्यों के लिए करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

(कंडिका 3.1.9.1 (क))

- मॉडल नर्सरियों में न्यूनतम उत्पादन क्षमता प्राप्त नही होने के कारण ₹ 6.41 करोड़ की कुल लागत राशि से स्थापित अघोसंरचना का पूर्णतः उपयोग नही होना।

सरकारी रोपणियों के कार्यकलापों की निगरानी एवं आवधिक समीक्षा की जानी चाहिए।

(कंडिका 3.1.9.1(झ))

- गैप-फिलिंग (₹19.26 लाख) राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत प्याज का पौधा रोपण (₹ 43.06 लाख) शेड-नेट क्रय (₹2.98 करोड़) एवं पावर स्पेयर (₹ 67 लाख) के क्रय पर अविवेपूर्ण व्यय ।

(कंडिका 3.1.9.1(ज), 3.1.9.1(ड.), 3.1.9.1(ट)(ii) एवं 3.1.9.1(ड))

- एकीकृत कटाई-पश्च प्रबंधन और विपणन अघोसंरचना के सृजन के अंतर्गत लक्ष्यों की प्राप्ति नही होना।

किसानों के उत्पादों के मूल्य-वर्धन हेतु कटाई - पश्च प्रबंधन किया जाना चाहिए एवं उत्पादो का बिक्री के लिए पर्याप्त अघोसंरचना का सृजन किया जाना चाहिए।

(कंडिका 3.1.9.1(ढ))

3.1.1 प्रस्तावना

छत्तीसगढ राज्य को विभिन्न जलवायु विशेषताओं के साथ अद्वितीय क्षमता, कमजोरियॉं, अवसर और चुनौतियाँ जो किसी क्षेत्र एवं राज्य के सम्पूर्ण उद्यानिकी के विकास को प्रभावित करेगा, के आधार पर तीन कृषि जलवायु क्षेत्रों छत्तीसगढ का मैदान, बस्तर का पठार और उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में विभाजित किया गया है। उद्यानिकी उत्पादों का मूल्य कृषि फसलों की तुलना में अधिक होने के कारण उद्यानिकी की लोकप्रियता बढ़ रही है।

3.1.2 विभाग का अधिदेश (मेनडेट) और संगठनात्मक ढांचा

उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग का अधिदेश कृषकों को पारंपरिक कृषि के स्थान पर उद्यानिकी अपनाने के लिए प्रेरित करना, विभिन्न प्रकार की उद्यानिकी फसलों को अपनाने के लिए कृषकों को तकनीकी से परिचित कराना, कृषकों को नवीनतम प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए प्रेरित करना, जैविक खेती का प्रचार करना, अच्छी किस्म के

बीज और पौध सामग्री का वितरण करना, मसालों और औषधीय एवं सुगंधित पौधों का विकास करना, नवीन तकनीक का प्रदर्शन करना, कृषकों को प्रशिक्षण प्रदान करना और उद्यानिकी उत्पादनों के भण्डारण, विपणन और प्रसंस्करण की सुविधाओं का समन्वय करना है।

छत्तीसगढ़ राज्य में शासन स्तर पर प्रमुख सचिव, कृषि के अंतर्गत उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग संचालित है। प्रमुख सचिव के अधीन राज्य स्तर पर संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, तीन संयुक्त संचालक एवं जिला स्तर पर 11 उप संचालक/सहायक संचालक कार्यरत है।

3.1.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

हमने उद्यानिकी और प्रक्षेत्र वानिकी विभाग का मुख्य नियंत्रण अधिकारी आधारित लेखापरीक्षा यह मुल्यांकन करने के लिए किया किः

- विभाग में योजनाओं/कार्यक्रमों के प्रभावकारी क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त अधोसंरचना, कार्ययोजना, जनशक्ति, निगरानी इत्यादि विद्यमान है,
- योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए प्राप्त निधि का मितव्ययीतापूर्ण, दक्षतापूर्ण एवं प्रभावकारी रूप में उपयोग किया गया; और
- विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के उद्देश्यों /लक्ष्यों का क्रियान्वयन दक्षतापूर्ण एवं प्रभावकारी रूप से हुआ और लक्ष्यों की प्राप्ति हुई।

3.1.4 लेखापरीक्षा मापदण्ड

मुख्य नियंत्रण अधिकारी आधारित लेखापरीक्षा में मूल्यांकन निम्नलिखित स्रोतों से संकलित लेखापरीक्षा मापदण्ड के संदर्भ में किया गया:

- विभागीय नियमावली।
- परिप्रेक्ष्य योजना (2010-11 से 2014-15) एवं 2007-08 से 2011-12 की अवधि की वार्षिक कार्य-योजना।
- राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एन एच एम), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर के वि वाई),सूक्ष्म सिचांई योजना के दिशा-निर्देश, एवं भारत सरकार, राज्य सरकार और विभाग द्वारा उद्यानिकी के विभिन्न योजनाओं के लिए जारी आदेश।
- विभागीय नियमावली, छत्तीसगढ कोषालय संहिता (2000), छत्तीसगढ वित्तीय संहिता और वित्तीय अधिकारों का प्रत्यायोजन।

3.1.5 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

मुख्य नियंत्रण अधिकारी आधारित लेखापरीक्षा उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग के अभिलेखों की जांच कर संपन्न की गई। प्रारंभ में सात जिले जहाँ पहले से ही राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एन एच एम) क्रियान्वित था के साथ दो गैर-एन एच एम जिलों का चयन किया गया। आगम बैठक (24 मई 2012) के दौरान लेखापरीक्षा उद्देश्यों/ मापदण्डों और लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली के चर्चा में, कृषि उत्पादन आयुक्त-सह-प्रमुख सचिव (ए पी सी) ने सभी 11 एन एच एम जिलों की लेखापरीक्षा करने का सुझाव दिया। इस तरह, राज्य के सभी 11 एन एच एम[1] जिलों एवं दो गैर-एन एच एम[2] जिलों को लेखापरीक्षा कार्य क्षेत्र में शामिल किया गया। इसके अतिरिक्त, संचालनालय, उद्यानिकी और प्रक्षेत्र वानिकी (डी एच एफ एफ), सहायक संचालक उद्यानिकी (ए डी एच), बीज प्रगुणन केन्द्र बाना, ए डी एच, प्रमुख उद्यान, रायपुर, और ए डी एच, फल परिरक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द्र, रायपुर को भी मुख्य नियंत्रण अधिकारी आधारित लेखापरीक्षा में शामिल किया गया। उद्यानिकी और प्रक्षेत्र वानिकी विभाग के कुल 22 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डी डी ओ) में से 17 को लेखापरीक्षा में शामिल किया गया। लेखापरीक्षा अवधि 2007-08 से 2011-12 पाँच वर्षों का था।

संचालनालय, उद्यानिकी और प्रक्षेत्र वानिकी एवं चयनित जिलों में प्रत्येक योजनाओं/परियोजनाओं की प्रतिवेदन और विवरणियों की जाँच को लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली में शामिल किया गया। शासन ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों का उत्तर दिया (नवम्बर 2012) जिसे जहाँ भी आवश्यक है, शामिल किया गया। 20 फरवरी 2013 को हुई निर्गम बैठक में ए पी सी से लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई।

3.1.6 संस्थागत कमजोरियाँ

एक संगठन के मुख्य क्षेत्रों की गतिविधियों की आंतरिक प्रणालियों एवं नियंत्रण की सुदृढ़ता एवं योग्यता सुनिश्चित करने के लिए सुदृढ़ अधोसंरचना, पर्याप्त मानव शक्ति एवं समुचित निधियाँ होनी चाहिए जो संगठन को प्रबंधित एवं अधिदेश को मितव्ययता, दक्षता एवं प्रभावकारी ढंग से प्राप्त करने में मददगार होता है। हमारी लेखापरीक्षा के दौरान विभाग में पायी गई कमजोरियों के बारे में आगे कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

3.1.6.1 योजना

वार्षिक और नीतिगत कार्य योजना तैयार करना

एन एच एम और आर के वि वाई के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य के साथ-साथ वार्षिक कार्ययोजना (ए पी पी) जिलो के लिए भारत सरकार के दिशा-निर्देशों मे व्यय की सीमा के आधार पर नियत किया जाना था एवं राज्य योजनाओं के लिए लक्ष्यों का निर्धारण राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के आधार पर नियत किया जाना था।

1 बस्तर, बिलासपुर, दुर्ग, जशपुर, कबीरधाम, कोरबा, कोरिया, रायगढ, रायपुर, राजनांदगांव, और सरगुजा

2 धमतरी और कांकेर,

एन एच एम के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार को राज्य और जिला स्तर पर मिशन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1973 के अंतर्गत राज्य उद्यानिकी मिशन (एस एच एम) के रूप में स्वायत्त संस्था का सृजन करना चाहिए। एस एच एम का सृजन जून 2005 में हुआ। मिशन के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के सामंजस्य में नीतिगत/परिपेक्ष्य एवं वार्षिक राज्य स्तरीय कार्य योजना तैयार किया जाना चाहिए था। यद्यपि एस एच एम द्वारा अवधि 2010-15 के लिए विभिन्न योजनाओं/गतिविधियों के क्रियान्वयन की नीति के लिए नीतिगत योजना बनाई गई, 2005-06 से 2009-10 की अवधि के लिए नितिगत योजना/परिप्रेक्ष्य योजना नहीं बनाई गई।

इसे इंगित (सितम्बर 2012) किए जाने पर शासन द्वारा बताया गया (नवंबर 2012) कि वर्ष 2005-06 की कार्य योजना भारत सरकार द्वारा नियुक्त सलाहकार के द्वारा बनायी गयी। वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 के लिए वार्षिक कार्य योजना राज्य स्तर पर बनाई गई जिसमे 2014-15 तक की कार्य-योजना सम्मिलित थी।

निर्गम बैठक (फरवरी 2013) के दौरान, कृषि उत्पादन आयुक्त-सह प्रमुख सचिव (ए पी सी) ने लेखापरीक्षा निष्कर्ष को मानते हुए कहा कि 2010-15 की अवधि के लिए रोड-मैप तैयार किया गया है।

3.1.6.2 मानव संसाधन प्रबंधन

विभाग की योजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन एवं निगरानी के निए पर्याप्त मानव संसाधन की उपलब्धता अति आवश्यक है।

संचालनालय के अभिलेखों एवं जिलों के नमूना जांच (मई-अगस्त 2012) में पाया गया की प्रत्येक स्तर पर महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नीचे दर्शाये अनुसार कमियाँ थीः

तालिका 1: मार्च 2012 में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की स्थिति

पद	राज्य स्तर						नमूना जांच किए गए जिले					
	मार्च 2008 की स्थिति में (संशोधन के पूर्व सेटअप)			मार्च 2012 की स्थिति में (संशोधित सेटअप)			मार्च 2008 की स्थिति में (संशोधन के पूर्व सेटअप)			मार्च 2012 की स्थिति में (संशोधित सेटअप)		
	स्वीकृत	पदस्थापित संख्या	पदस्थापना प्रतिशत	स्वीकृत	पदस्थापित संख्या	पदस्थापना प्रतिशत	स्वीकृत	पदस्थापित संख्या	पदस्थापना प्रतिशत	स्वीकृत	पदस्थापित संख्या	पदस्थापना प्रतिशत
उप/ सहा. सं. उ.	21	11	52	21	11	52	13	08	62	13	09	69
व.उ. वि. अ.	70	49	70	70	39	56	58	38	66	58	30	52
उ.वि.अ.	92	61	66	92	66	72	68	48	71	67	50	75
ग्रा.उ.वि.अ.	427	218	51	427	193	45	335	187	56	330	161	49

उप/सहा.सं.उ.-उप/सहायक संचालक उद्यान, व.उ. वि.अ.-वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी, उ.वि.अ.-उद्यान विकास अधिकारी, ग्रा.उ.वि.अ.- ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी

(स्रोतः विभाग द्वारा प्रदायित एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित जानकारी)

राज्य स्तर पर, मार्च 2012 की स्थिति में उप/सहा सं उ[3], वरि उ वि अ, उ वि अ, एवं ग्रा उ वि अ में क्रमशः 48, 44, 28 एवं 55 प्रतिशत की कमियाँ थी। चयनित जिलों में

[3] आगे से जिला उद्यान अधिकारी (जि.उ.अधि.) कहा जाएगा।

महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की कमियाँ 28 से 55 प्रतिशत के मध्य थी

नए सेटअप[4] के विरूद्ध मार्च 2012 के अंत में जि उ अ एवं उ वि अ की संख्या में क्रमशः 62 से 69 एवं 71 से 75 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि वरि उ वि अ एवं ग्रा उ वि अ की संख्या में क्रमशः 66 से 52 एवं 56 से 49 प्रतिशत की कमियाँ हुई। इस अवधि के दौरान राज्य स्तर में मार्च 2012 कि स्थिति में महत्वपूर्ण पदाधिकारियों में कुल कमियाँ 28 एवं 55 प्रतिशत होने के बावजूद राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर के वि वाई)[5] एवं वेजिटबल इंनिश्एटीव फोर पेरी-अरबन ऐरियास (विपुआ)[6] जैसी कई नई योजनाओं का प्रारंभ किया गया। मानव संसाधन में कमी के कारण योजना गतिविधियों की निगरानी प्रभावकारी रूप से नहीं किया गया फलस्वरूप उद्यानिकी फसलों मे अत्याधिक मृत्यु-दर रहा जिसकी चर्चा आगे कण्डिकाओं में की गई है।

इसे इंगित किये जाने पर (सितम्बर 2012), शासन ने तथ्यों को स्वीकारते हुए (नवंबर 2012) बताया कि उद्यानिकी मे बजट प्रावधानों (1734 प्रतिशत) एवं क्षेत्र विस्तार (271) प्रतिशत में वृद्वि की तुलना में वर्तमान कर्मचारी संख्या अपर्याप्त थी जिसके परिणामस्वरूप योजना गतिविधियों के क्रियान्वयन का नियंत्रण अप्रभावकारी था। निर्गम बैठक के दौरान (फरवरी 2013), ए पी सी ने भी तथ्यों को स्वीकारा और बताया कि नए भर्ती नियम तैयार किये गये है, तदानुसार नियुक्तियाँ की जाएगी।

3.1.6.3 निगरानी

(क) आंतरिक लेखापरीक्षा की अनुपस्थिति

इंटोसाई[7] के आंतरिक नियंत्रण के मानक अनुसार, आंतरिक नियंत्रण किसी संगठन के प्रबंधन प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, जिसे संचालन द्वारा कार्य को प्रभावकारी एवं कुशलतापूर्वक वहन करने हेतु यथोचित आश्वासन देने के लिए स्थापित किया जाता है। योजनाओं के उचित क्रियान्वयन एवं नियमों, प्रक्रियाओं, दिशा-निर्देशों के पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन के पास विभागीय अधिकारियों द्वारा आवधिक निरीक्षण एक महत्वपूर्ण एवं प्रभावकारी साधन है।

आंतरिक लेखापरीक्षा आंतरिक नियंत्रण तंत्र का एक अनिवार्य अंग है।

संचालनालय में अभिलेखों के नमूना जाँच (अगस्त 2012) के दौरान, यह देखा गया कि कर्मचारी स्वीकृति में, विभाग द्वारा 2007-12 के दौरान, आवधिक आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा को उपलब्ध एवं स्थापित करने का कोई प्रावधान नहीं किया गया था। आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा की स्थापना नहीं होने से, विभाग के कार्यो में कमियों का क्षेत्र पता नहीं लग सकता है।

इसे इंगित (सितम्बर 2012) किये जाने पर शासन ने (नवम्बर 2012) कि अतिरिक्त पदों के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है एवं शासन से स्वीकृति अपेक्षित है। शासन से नए सेट अप का अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात भविष्य में एक आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा

4 पुराना सेटअप अक्टुबर 2006 में अनुमोदित किया गया था जिसे जून 2011 (नया सेटअप) में संशोधित किया गया।

5 राज्य में 2007-08 के दौरान प्रारंभ किया गया

6 आर के वि वाई की उप-योजना जिसे 2010-11 के दौरान प्रारंभ किया गया

7 इन्टरनेशनल ऑरगनाईजेशन ऑफ सुप्रीम आडिट इन्सटिटयुशन

संस्थापित किया जाएगा। निर्गम बैठक (फरवरी 2013) के दौरान, ए पी सी ने भी लेखापरीक्षा आपत्ति को मान्य किया एवं बताया कि लेखापरीक्षा के सुझाव अनुसार आंतरिक लेखापरीक्षा की स्थापना की जावेगी।

3.1.6.4 निगरानी गतिविधियाँ

दिशा-निर्देशों के अनुसार योजनाओं का क्रियान्वयन एवं प्रभाव के मूल्यांकन के लिए क्रमबद्ध, परिणाम-प्रतिकूल एवं तीव्र निगरानी आवश्यक है। विभाग द्वारा निगरानी के अभाव को दर्शाने वाले कुछ आपत्तियाँ नीचे चर्चा की गई है:

(क) बाहरमासी फलों एवं तटीय उद्यानिकी फसलों के अत्यधिक मृत्य-दर के कारण एन एच एम के अंतर्गत क्षेत्र विस्तार के उद्धेश्यों की पूर्ति न होना

बारहमासी फलों एवं तटीय फसलों में अत्यधिक मृत्यू दर होने के कारण एन एच एम के अंतर्गत क्षेत्र विस्तार के उद्देश्यों की पूर्ति न होना

एन एच एम दिशा-निर्देशों के पैरा 8.16 के अनुसार उन्नत किस्मों के उद्यानिकी फसलों का विस्तार अधिकतम क्षेत्रों में होना चाहिए। योजना के अंतर्गत कृषक को क्षेत्र विस्तार के लिए सहयोग की पात्रता होगी। बाहरमासी फसलों के संबंध में सहयोग को पहले, दूसरे एवं तीसरे वर्ष के लिए क्रमशः 60:20:20 के अनुपात में तीन वर्षों की अवधि के लिए विभाजित किया गया जिसे दूसरे एवं तीसरे वर्षों में क्रमशः 75 प्रतिशत एवं 90 प्रतिशत फसलों के जीवित रहने पर देय होगा। उद्यानिकी फसलों में क्षेत्र विस्तार की प्रगति के उचित निगरानी के लिए, मिशन संचालक राज्य बागवानी मिशन को मैदानी अधिकारीयों से जीवितता दर्शाने वाली क्रोप मोनिटरिंग रिपोर्ट (सी एम आर) प्राप्त किया जाना था।

11 एन एच एम जिलों के अभिलेखों के नमूना जाँच (मई-अगस्त 2012) के दौरान पाया गया कि 2005-06 से 2011-12 की अवधि के दौरान बारहमासी फलों एवं तटीय उद्यानिकी फसलों के क्षेत्र विस्तार पर राशि ₹ 50.48 करोड़ का व्यय हुआ। आगे, सी एम आर जाँच मे पाया गया कि राज्य में स्थापित 803 में से 398 क्लस्टरों में बारहमासी एवं तटीय उद्यनिकी फसलों की जीवितता दर बहुत कम थी। शेष 405 क्लस्टरों पर आधारित डाटा हमें उपलब्ध नही कराया गया।

तालिका 2: उद्यानिकी फसलों की जीवितता की सीमा दर्शाती तालिका

पौधे रोपित प्रकरणों के उपलब्ध आंकड़े	प्रकरणों की संख्या जहाँ जीविवता की सीमा निम्न थी					
	0-10	11-20	21-30	31-50	51-80	81 एवं उससे अधिक
758	67 (09)	84 (11)	63 (08)	304 (40)	210 (28)	30 (04)

(कोष्ठक में दर्शाये आंकड़े कुल प्रकरणों का प्रतिशत है)

बाहरमासी एवं तटीय उद्यानिकी फसलों के 398 क्लस्टर जिनके सी एम आर उपलब्ध कराए गये थे, में से उपलब्ध 758 रोपित प्रकरणों में पाया गया की 68 प्रतिशत प्रकरणों में फसलों की जीवितता 50 प्रतिशत से नीचे था, जिनमें से 20 प्रतिशत फसलों की जीवितता 0-20 प्रतिशत के बीच रही। बचे हुए में से लगभग 28 प्रतिशत प्रकरणों मे जीवितता 51 और 80 प्रतिशत के बीच रही और केवल चार प्रतिशत प्रकरणों मे जीवितता प्रतिशत 80 से उपर थी। इस तरह उपरोक्त से यह स्पष्ट है की बारहमासी एवं तटीय उद्यानिकी फसलों की जीवितता निम्नतर के तरफ थी।

हमने पाया की स्मरण पत्रों के जारी होने के बावजूद भी मैदानी कार्यालयों द्वारा संचालनालय को सी एम आर प्रस्तुत नहीं किया गया। बारहमासी एवं तटीय उद्यानिकी फसलों के जीवितता में कमी के कारण इन फसलों के संबंध में परम्परागत फसल से वृक्षारोपण में परिवर्तन की नीति फलदायी नही रही।

इंगित किए जाने पर (सितम्बर 2012), शासन ने (नवंबर 2012) बताया कि व्यापारिक प्रयोजन के लिए वृक्षों में उनके वृक्षारोपण के चार-पॉच वर्षो के बाद ही फल उपलब्ध होता है, तब तक कृषक उनकी अनुरक्षण में रूचि खो देते है। यह भी सूचित किया गया की उद्यानिकी फसलों के प्रथम वर्ष में सफल वृक्षारोपण के बावजूद, मवेशी द्वारा खुली चराई, घेराबंदी के लिए अपर्याप्त प्रावधान इत्यादि होने के कारण फल वृक्षारोपण को व्यापक क्षति पहुँची।

शासन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए कृषकों की गतिविधियों की निगरानी विभाग की जिम्मेदारी थी। आगे, सहायता के अंतर्गत घेराबंदी के लिए प्रावधान तकनीकि सहयता समूह[8] (टी एस जी) द्वारा निर्धारित किया गया था।

निर्गम बैठक (फरवरी 2013) के दौरान, ए पी सी ने सूचित किया की मृत्यु-दर के आंकड़ों की सत्यता को सत्यापित करने के लिए जिला कार्यालयों से जानकारी मंगाई जाएगी।

(ख) अधोसंरचना पर ₹ 2.34 करोड़ का निष्क्रिय व्यय

₹ 2.34 करोड़ के लागत के अधोसंरचना का छः से 49 माह की अवधि तक निष्क्रिय रहना

एन एच एम दिशा-निर्देशों के पैरा 8.4 के अनुसार उद्यानिकी का विकास अच्छी गुणवत्ता के पौधा-रोपण सामग्रियों की उपलब्धता पर केन्द्रित है और नर्सरियों में जरूरी अधोसंरचना के सृजन करने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए।

नमूना जाँच किये गए जिलों के नर्सरियों के अभिलेखों के जाँच (मई-अगस्त 2012) में पाया गया है कि वर्ष 2007-12 के दौरान, विभिन्न नर्सरियों में मिस्ट एवं हार्डनिंग चेम्बर्स[9], पोली हाऊसेस, ग्रीन हाऊसेस, स्क्रीन हाऊसेस इत्यादि को नर्सरियों के अधोसंरचना के रूप के स्थापित किया गया है। आगे, इस अवधि में, औषधियों एवं सुगंधित पौधों के लिए आसवन ईकाइयाँ भी स्थापित की गई। हमने पाया की नौ नर्सरियों में ₹ 2.34 करोड़ **(परिशिष्ट 3.1.1)** की लागत से अधोसंरचना की स्थापना (2008-11) की गई, जिसे औषधियों एवं सुगंधित पौधों के क्षेत्र विस्तार में कमी के कारण सुगंधित पौधों (कच्ची सामग्री) की अनुपलब्धता एवं विद्युतीकरण नहीं होने के कारण आज दिनांक (फरवरी 2013) तक उपयोग नहीं हो सका जिसके फलस्वरूप छः से 49 महीने की अवधि के लिए निष्क्रिय रही।

इसे इंगित (सितम्बर 2012) किए जाने पर शासन ने बताया (नवम्बर 2012) कि कुछ प्रौद्योगिकी को आयात करने के कारण मिस्ट एवं हार्डनिंग चेम्बर्स के संस्थापन में विलम्ब

[8] तकनिकी सहयता समूह एक समूह है जिसे राज्य को तकनिकी समर्थन प्रदाय करने के लिए एन.एच.एम. के अंतर्गत सृजन किया गया है। इसमें मिशन के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु परामर्श, सूत्रबद्ध, मूल्यांकन एवं निगरानी करने के लिए विशेषज्ञ और तकनिकी कर्मचारीगण होते हैं।

[9] मिस्ट चेम्बर एक ऐसा कक्ष है जिसमें कुहरा संस्थापित करते हुए तुलनात्मक नमी को कृत्रिम रूप से उच्च स्तर पर बनाया रखा जाता है और हार्डनिंग यार्ड (प्रांगण) के माध्म से प्रवर्धित पौधों को ताकत प्रदाय की जाती है।

हुआ। तथापि, वर्तमान में अस्थायी बिजली कनेक्शन द्वारा मिस्ट एवं हारडनिंग चेम्बरस का उपयोग किया जा रहा है एवं उत्पादित पौधों का वितरण विभागीय योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को प्रदाय किया जा रहा है।

शासन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि संबंधित डी डी एच/ए डी एच द्वारा प्रदाय सूचना अनुसार **परिशिष्ट 3.1.1** में दर्शित मिस्ट एवं हार्डनिंग चेम्बर्स चालू नहीं थे। आगे, शासन के दावे के समर्थन में मिस्ट एवं हारडनिंग चेम्बरस के उपयोग होने के संबंध में अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए।

निर्गम बैठक (फरवरी 2013) में लेखापरीक्षा आक्षेपों को मान्य करते हुए ए पी सी ने बताया कि बिजली कनेक्शन प्रदाय करने हेतु विद्युत विभाग से संपर्क किया जाएगा। कच्चे सामग्री के अनुपलब्धता के बारे में ए पी सी ने बताया कि कृषकों में औषधियाँ एवं सुगंधित पौधों में रूचि की कमी के कारण आसवन एवं उद्धरण ईकाइयों के लिए कच्ची सामग्री के उत्पादन में अनुवर्ती रूप में कमी रही। यह भी बताया गया कि अंतर विभागीय समन्वय के अभाव में, खास कर विद्युत विभाग के साथ, के कारण नर्सरियों में बिजली आपूर्ति उपलब्ध नहीं कराई जा सकी।

(ग) विभागीय जांच प्रकरणों की स्थिति

डी एच एफ एफ के 2007-12 की अवधि के अभिलेखों के नमूना जांच के दौरान हमने पाया कि कर्मचारियों के विरूद्ध 33 अनुशासनात्मक जांच के प्रकरण निपटान हेतु लंबित थे (मार्च 2012)। मार्च 2012 की स्थिति में अनुशासनात्मक जांचों की स्थिति निम्नानुसार थीः

तालिका 3: निपटान हेतु शेष जांच प्रकरणों का विवरण

वर्ष	प्रारंभिक शेष	विभागीय प्रकरणों की संख्या	कुल विभागीय प्रकरण	निर्णीत विभागीय प्रकरण	लंबित विभागीय प्रकरण	वसूलियों की जानकारी यदि कोई हो
2007-08	03	02	05	02	03	--
2008-09	03	04	07	0	07	--
2009-10	07	06	13	03	10	--
2010-11	10	02	12	07	05	(अ) श्री डी.आर.हुरमाडे सेवानिवृत्त, उप स.उ. से ₹5000 की वसूली हेतु आदेश जारी। (ब) श्री पी.एन.तिवारी, व.उ.वि.अ. से ₹ 3.28 लाख की वसूली हेतु आदेश जारी।
2011-12	05	03	08	0	08[10]	--

स्रोतः विभाग द्वारा प्रदाय जानकारी

अनुशासनिक जांच प्रकरणों का निरंतर शेष रहना (**परिशिष्ट 3.1.2**) विभाग द्वारा निगरानी का अभाव एवं प्रकरणों के त्वरित निपटान हेतु समयबद्ध कार्यवाही की कमी दर्शाता है।

[10] अप्रैल-सितम्बर 2012 की अवधि के दौरान अब तक दो प्रकरणों का निपटान हो चुका है

इसे इंगित किए जाने पर, शासन (नवम्बर 2012) ने बताया कि दो प्रकरणों में वसूली प्रस्तावित है और शेष प्रकरणों के संबंध में विभागीय जांच प्रक्रियाधीन है।

निर्गम बैठक (फरवरी 2013) में तथ्यों को मान्य करते हुए ए पी सी ने बताया कि लंबित प्रकरणों को शीघ्र निपटान कर लेखापरीक्षा को सूचित किया जावेगा।

3.1.7 अनुपालन मुद्दे

सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन एवं नियंत्रण के लिए, यह आवश्यक है की व्यय न केवल वित्तीय नियमों एवं विनियम के अनुसार ही बल्कि सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आदेशों के सामंजस्य में होना चाहिए। इससे वित्तीय अनियमित्ताओं, दुर्विनियोजन एवं धोखाधड़ी को रोकने के अलावा उत्तम वित्तीय अनुशासन कायम रखने में मददगार होता है। नियमों एवं विनियमों के अनुपालन नहीं होने के कुछ लेखापरीक्षा आक्षेप के बारे में आगे कंडिकाओं में चर्चा की गई है:

3.1.7.1 वित्तीय प्रबंधन

राष्ट्रीय बागवानी मिशन, एक केन्द्र प्रवर्तित योजना को राज्य में उद्यानिकी के विकास को प्रतिबल प्रदाय करने के लिए लागू (2005-06) किया गया। इसके अतिरिक्त सूक्ष्म सिंचाई योजना (2005-06), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (2007-08) और बेजिटेबल इंनिश्येटी इन पेरी-अरबन ऐरियास 2011-12 में शुरू किया हुआ आर के वि वाई का एक उप-योजना) को भी राज्य मे उद्यानिकी को प्रोत्साहन के लिए क्रियान्वयन किया गया।

केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं एवं राज्य योजनाओं के लिए निधि व्यवस्था नीचे वर्णित है:

केन्द्र प्रवर्तित योजनाऐं	
राष्ट्रीय बागवानी मिशन *एन एच एम अंतर्गत घटक-रोपण सामग्री का उत्पादन, नये बगीचों की स्थापना, जीर्ण बागानों का पुनरूद्धार/प्रतिस्थापना, जल स्त्रोतों का सृजन, संरक्षित खेती, एकीकृत पोषक प्रबंधक एवं कीट प्रबधन, जैविक खेती, उद्यानिकी मशीनीकरण, प्रदर्शनियों के माध्यम से तकनीकी का प्रसार, मानव संसाधन विकास, एकीकृत कटाई- पश्च प्रबंधन, विपणन आधारभूत संरचना की स्थापना।*	भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा 85:15
सुक्ष्म सिचाई योजना	भारत सरकार, राज्य शासन एवं हितग्राहियों द्वारा 50:30:20 (छोटे एवं सीमांत कृषकों) भारत सरकार, राज्य शासन एवं हितग्राहियों द्वारा 40:10:50 (अन्य कृषकों)
अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना *आर के वि वाई अंतर्गत घटक-नए बगीचों की स्थापना, उन्नत बीज उत्पादन, सब्जी क्षेत्र विस्तार, मसाला उत्पादन, फल क्षेत्र विस्तार, औषधिय एवं सुगंधित पौधे क्षेत्र विसतार, प्रसंस्करण ईकाइयों की स्थापना, उद्यानिकी मशीनीकरण पुराने बगीचों का आधुनिकीकरण एवं उन्नयन संरक्षित खेती,जैविक खेती को बढ़ावा देना एवं मानव संसाधन विकास*	भारत सरकार द्वारा 100 प्रतिशत

राज्य योजना/कार्यक्रम	
1. केला उत्पादन का सघन कार्यक्रम	राज्य शासन द्वारा 100 प्रतिशत
2. मेला, प्रदर्शनी एवं प्रचार	
3. बड़े शहरों के आस पास सब्जी उत्पादन	
4. आलू विकास योजना	
5. फल पौधा रोपण योजना	
6. मसाला विकास योजना	
7. पुष्प विकास योजना	
8. औषधि एवं सुगंधित फसलों की खेती	
9. घरेलू बागवानी की आदर्श योजना	
10. सघन फलोध्यान विकास योजना	
11. नर्सरी में उन्नत एवं प्रमाणित बीज उत्पादन	

(क) आबंटन एवं व्यय

वर्ष 2007-12 के दौरान राज्य बजट के माध्यम से जारी आर के वि वाई योजना (केन्द्रीय) की केन्द्रीय निधि एवं एन एच एम और एम आई एस योजनाओं (राज्य) के अंतर्गत राज्य का समानुपातिक अंश (राज्य) से संबंधित बजट प्रावधान एवं व्यय की जानकारी निम्नानुसार हैः

तालिका 4: आवंटन एवं व्यय विवरण

(₹ लाखों में)

वर्ष		बजट प्रावधान	बजट विमुक्ति	विमुक्ति में कमी (प्रतिशत)	वास्तविक व्यय	उपयोगिता में कमी (प्रतिशत)
2007-08	केन्द्र[11]	1043.00	1043.00	0.00	1043.00	0.00
	राज्य[12]	2705.40	1726.55	36.18	1710.12	0.95
2008-09	केन्द्र	2368.86	2017.07	14.85	2017.07	0.00
	राज्य	3139.20	2008.24	36.03	1997.25	0.55
2009-10	केन्द्र	5187.41	2527.74	51.27	2527.74	0.00
	राज्य	3309.80	2319.76	29.91	2313.46	0.27
2010-11	केन्द्र	9472.37	9472.37	0.00	9472.37	0.00
	राज्य	4950.41	2838.80	42.66	2824.51	0.50
2011-12	केन्द्र	11000.00	4237.67	61.48	4227.57	0.24
	राज्य	5119.55	3966.46	22.52	3956.93	0.24
योग	**केन्द्र**	**29071.64**	**19297.85**	**33.62**	**19287.75**	
	राज्य	**19224.36**	**12859.81**	**33.11**	**12802.27**	

(स्रोतःसंचालक उद्यान एवं प्रक्षेत्र बानिकी द्वारा तैयार जानकारी)

उपरोक्त तालिका इंगित करता है कि राज्य सरकार द्वारा किए गए बजट प्रावधान के विरूद्ध निधियों की विमुक्तता कम रही एवं यह गिरावट 2007-12 की अवधि के दौरान 23 एवं 43 प्रतिशत के मध्य थी। केन्द्रांश के संबंध में यह गिरावट शून्य मे 61 प्रतिशत के मध्य थी। तथापि, केन्द्रांश एवं राज्यांश के संबंध में निधियों की उपयोगिता 99 एवं 100 प्रतिशत के मध्य रही।

[11] केन्द्रीय अंश आर.के.व्ही.वाय.के लिए राज्य बजट के माध्यम से जारी केन्द्रीय निधि को अधिसूचित करता है

[12] राज्य अंश एन.एच.एम. एवं एम.आई.एस. योजना के लिए राज्य शासन द्वारा जारी निधि को अधिसूचित करता है

आगे विभाग के एन एच एम (85 प्रतिशत) एवं एम आई एस योजनाओं के लिए केन्द्रीय अंश नीचे वर्णित अनुसार एस एच एम एवं डी एच एफ एफ को भारत शासन से सीधे प्राप्त हुए हैः

तालिका 5: सीधे भारत सरकार से प्राप्त निधियों का विवरण

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	प्रावधान	स्वीकृत	विमुक्तियॉ	विमुक्तियॉ में कमीं (प्रतिशत)	उपलब्ध निधियॉ	व्यय	उपयोगिता में कमी का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7=2+5	8	9
2007-08	4228.03	14194.32	9484.52	6633.98	30.05	10862.01	3239.64	70.17
2008-09	7622.37	14861.15	11138.87	3390.15	69.56	11012.52	8791.30	20.17
2009-10	2221.22	10839.10	7822.32	6976.21	10.82	9197.43	7631.32	17.03
2010-11	1566.11	10164.00	10164.00	10046.00	1.16	11612.11	9163.46	21.09
2011-12	2448.65	11650.00	11650.00	10800.00	7.30	13248.65	12284.88	7.27
योग		**61708.57**	**50259.71**	**37846.34**			**41110.60**	

(स्रोतः विभाग द्वारा प्रदाय एवं लेखा-परीक्षा द्वारा संकलित जानकारी)

उपरोक्त तालिका इंगित करता है कि निधियों की विमुक्ति में कमी एक एवं 70 प्रतिशत के मध्य थी। भारत सरकार से विमुक्तियों में कमी के बावजूद, उपलब्ध निधि का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाया। निधियों की उपयोगिता में कमी का मुख्य कारण कृषकों मे रूचि का अभाव रहा जिसके कारण एन एच एम के विभिन्न घटकों के अंतर्गत लक्ष्य अप्राप्त रहे। उपयोगिता में कमी का प्रतिशत सात एवं 70 के मध्य होना योजना एवं वित्तीय प्रबंधन में अदक्षता को दर्शाता है।

इसे इंगित किए जाने पर (सितम्बर 2012), शासन ने बताया (नवंबर 2012) कि विभिन्न योजनाओं के लिए स्वीकृत निधियों को प्राप्त कर पूर्ण रूप से उपयोग करने का प्रयास किया जावेगा ।

(ख) मसाले एवं गैर बारहमासी फलों की खेती में अनियमित व्यय ₹ 6.47 करोड़

आर के वि वाई के परियोजनाओं/योजनाओं की स्वीकृति हेतु राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति की बैठक दिनांक 17 सितम्बर 2008 में, कृषि मंत्रालय, भारत शासन द्वारा वार्षिक कार्य योजना को स्वीकृति प्रदान करते समय निर्देशित किया कि योजनाओं का क्रियान्वयन उन्ही जिलों में किया जाए जहां एन एच एम योजना संचालित नहीं है। एस एल एस सी द्वारा लिये गये निर्णयों/निर्देशों के अनुसार ऐसे जिलों जहां पहले से ही एन एच एम की योजनायें क्रियान्वित है वहां आर के वि वाई के अधीन स्वीकृत योजना के क्रियान्वयन से संबंधित गतिविधि नहीं करना है।

आर के वि वाई के अंतर्गत एन एच एम जिलों में क्षेत्र विस्तार पर ₹ 6.47 करोड़ का अनियमित व्यय

चयनित जिलों के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया कि वर्ष 2010-11 के दौरान आर के वि वाई के तहत चार जिलों कोरबा, रायगढ़, सरगुजा एवं रायपुर में 850 हेक्टेयर में ₹ 3.53 करोड़ गैर बारहमासी फल (टी सी)[13] लगाये गये थे। आगे, उसी वर्ष इन्ही चार

[13] टिशू कल्चर

जिलों में 2350 हेक्टेयर में मसालों का क्षेत्र विस्तार जैसे मिर्च, धनिया, हल्दी आदि पर भी ₹ 2.94 करोड़ आर के वि वाई के तहत खर्च किए गए (**परिशिष्ट 3.1.3**)।

एस एल एस सी के निर्णयानुसार एन एच एम के तहत क्रियान्वित घटक को आर के वि वाई के तहत नहीं लिया जाना था। अतः गैर बारहमासी फल एवं मसाले पर क्षेत्र विस्तार पर आर के वि वाई के तहत ₹ 6.47 करोड़ का खर्च अनियमित था।

इंगित किए जाने पर (सितम्बर 2012) विभाग ने बताया (नवम्बर 2012) कि मिर्च एवं पपीता के फसल की मांग जिलों में बढ़ जाने के कारण एन एच एम के तहत अनुमोदित लक्ष्य पूर्ण नहीं किया जा सका। इस अतिरिक्त मांग को एस एल एस सी से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात आर के वि वाई निधियों से पुरा किया गया। निर्गम बैठक (फरवरी 2013) के दौरान लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए ए पी सी ने बताया कि मिर्च एवं केला के फसल के मांग में वृद्धि के कारण इसे आर के वि वाई के निधि से पूरा किया गया।

यद्यपि अनुमोदित योजना 2010-11 में गैर-बारहमासी फलों एवं मसालों के लिए प्रावधानित था, इसे विशेष रूप से एन एच एम जिलों के लिए स्वीकृत नहीं किया गया था। आगे एन एच एम जिलों में क्षेत्र विस्तार हेतु पृथक से अनुमति एस एल एस सी के बैठक (अप्रैल 2011) की कार्यवाही विवरण में सम्मिलित नहीं किया गया था।

(ग) एन एच एम के तहत निधियों का प्रत्यावर्तन

एन एच एम के दिशा निर्देशों के कंडिका 4.4 के अनुसार सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में गठित कार्यकारी समिति (ई सी) को राज्य में घटक एवं अनुमोदित परियोजनाओं को सब्सिडी के आधार पर पुनः आवंटित करने का सम्पूर्ण अधिकार प्रदाय है।

उप संचालक, उद्यानिकी, दूर्ग के अभिलेखों की समीक्षा (जून 2012) के दौरान यह देखा गया कि वर्ष 2007-08 में किसानों द्वारा केले के पैदावार हेतु स्वंय व्यय किया गया एवं बाद में सब्सिडी के लिए आवेदन किया गया था। डी एच एफ एफ रायपुर के आदेशानुसार (अक्टुबर 2007) निधियों के अनुपलब्धता के कारण इस घटक से ₹ 7.53 लाख की सहायता राशि प्रथम किश्त के तौर पर जैविक खाद के लिए आवंटित राशि से भुगतान किया गया था (सितम्बर 2008)। प्रारंभ में द्वितीय किश्त इसलिए स्वीकृत नहीं किया गया क्योंकि वर्ष 2007-08 की सब्सिडी को वर्ष 2008-09 में भुगतान नहीं किया जा सकता है। यद्यपि अध्यक्ष जिला मिशन समिति द्वारा मानव संसाधन विकास के बजट से द्वितीय किश्त के तौर पर ₹ 7.53 लाख की राशि स्वीकृत किया गया था। निधि प्रत्यावर्तन हेतु उपयुक्त प्राधिकार (ई सी) से वांछित स्वीकृति अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थी। अतः केले के पैदावार पर कुल व्यय 15.06 लाख को एन एच एम के विभिन्न घटकों से बिना ई सी के स्वीकृति के निधियों का प्रत्यावर्तन अनियमित था।

इसे इंगित किए जाने पर (सितम्बर 2012) शासन ने बताया कि मिशन संचालक एस एच एम को एन एच एम के तहत योजना क्रियान्वयन का अधिकार है। यह भी कहना था

कि किसी घटक पर उपलब्ध आवंटन का तात्कालिक जरूरत नहीं होने पर दूसरे घटक जिसका वित्तीय आवंटन प्रतीक्षित है, के भौतिक लक्ष्य हेतु उपयोग किया जा सकता है।

शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एन एच एम के दिशा निर्देशानुसार राज्यवार एवं घटकवार सब्सिडी का अधिकार ई सी में निहित है। ए पी सी ने निर्गम बैठक (फरवरी 2013) के दौरान लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार किया एवं व्यय को नियमित करने हेतु राष्ट्रीय स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने की बात कही। उपयुक्त प्राधिकार के अनुमोदन के बिना निधियों को प्रत्यावर्तित करने वाले जिम्मेदार कर्मचारी पर कार्यवाही भी की जावेगी।

(घ) विभिन्न योजनाओं के लिए स्वीकृत निधियों का उपयोग नहीं किया जाना

₹ 4.62 करोड़ के अनुपयोगी निधि को के-डिपोजिट में जमा या शासकीय खाते में समर्पण किया गया

छत्तीसगढ़ राज्य कोषालय संहिता के नियम 284 (1) में प्रावधान है कि जब तक तुरंत भुगतान के लिए राशि आवश्यक न हो कोषालय से कोई धन राशि आहरित नहीं किया जाना चाहिए। व्यय की प्रत्याशा अथवा बजट व्यपगत होने से बचाने के लिए धन का आहरण करना गंभीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है और इस तरह के मामलों में कोषालय से धन का आहरण करने वाले व्यक्ति पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए। छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग ने जून 2011 को सभी विभागों को निर्देशित किया कि संचित निधि से राज्य योजना हेतु आहरित धन जो उपयोग नहीं होने के कारण बैंक खाते में जमा है और जो मार्च 2012 तक अनुपयोगी रही, ऐसे राशि को राज्य शासन के लेखे में ब्याज सहित जमा किया जाना था। यह भी निर्देशित किया गया था कि केन्द्रीय प्रायोजित योजना से दिये गये धन को यथाशीध्र व्यय किया जाना और अनुपयोगी रकम मुख्य शीर्ष 8443 सिविल डिपोजिट में ब्याज सहित जमा किया जाना था। उक्त आदेशों का अनुपालन जून 2012 तक किया जाना था।

डी एच एफ एफ के कार्यालय के अभिलखों की जांच (अगस्त 2012) के दौरान देखने में आया है कि विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जिलों में आबंटित निधियों को कई कारणों से पूरी तरह इस्तेमाल नहीं किया गया जैसे, संचालक से अनुमति प्राप्त नही होने के कारण जगदलपुर में काजू के वृक्षारोपण के संधारण हेतु आबंटित राशि, रायपुर में टेस्टिंग प्रयोगशाला के निर्माण कार्य को आरंभ नही किया जाना, आदर्श कृषि ग्राम योजना में निधियों का अनुपयोगी रहना आदि। छत्तीसगढ़ शासन के आदेश के परिपालन में आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा ₹ 4.62 करोड़ की राशि राज्य शासन के मुख्य शीर्ष-0401 एवं मुख्य शीर्ष-8443 (सिविल डिपोजिट) में जमा किये गये है जिसका विवरण **परिशिष्ट 3.1.4** में दिया गया है।

विभिन्न योजनाओं के तहत स्वीकृत एवं आहरित राशि का उपयोग नहीं होने के फलस्वरूप शासन के खाते में निधियों को समर्पित (₹ 90.55 लाख) किया गया अथवा के-डिपोजिट (₹ 3.71 करोड़) में हस्तांतरण किया गया। यह इंगित करता है कि योजना एवं वित्तीय प्रबंधन प्रभावशाली नहीं था।

इंगित किये जाने (सितम्बर 2012) पर शासन द्वारा बताया गया (नबंवर 2012) कि यद्यपि योजना की गतिविधियाँ प्रगति में थीं किन्तु वित्त विभाग के आदेश पर शासन के खाते में निधियों को जमा किया गया था।

शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि योजना के निधियों का समुचित समय में विभाग द्वारा उपयोग नही किया गया था जिसके कारण निधि अवरूद्ध रहा। वित्त विभाग के आदेश निर्गत किये जाने के पश्चात उसे शासन के खाते में जमा किया गया था। निर्गम बैठक के दौरान (फरवरी 2013) ए पी सी ने उपयुक्त तथ्य को स्वीकार किया था।

(ङ) अस्थायी अग्रिमों का समायोजन न किया जाना।

छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता के कंडिका 53 (iv) में प्रावधान है कि अस्थाई अग्रिमों का समायोजन भुगतान तिथि से तीन माह के भीतर किया जाना चाहिये । 15[14] आहरण एवं संवितरण अधिकारी के अभिलेखों के समीक्षा से प्रकट हुआ कि आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के अधीनस्थ अधिकारियों को किसान मेला संगठन, उद्यानिकी प्रर्दशनी, विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं मजदूरों को वेतन हेतु खर्च करने के लिए अग्रिम दिए गये थे। यद्यपि देखने में आया कि ₹ 9.61 करोड़ (**परिशिष्ट 3.1.5**) की राशि समायोजन हेतु वित्तीय वर्ष 2011-12 के अंत में लंबित था। इसके अलावा ₹ 9.21 करोड़ की राशि तीन माह से पॉच वर्ष तक लंबित था जबकि ₹ 39.80 लाख पाँच वर्ष से अधिक अवधि से लंबित था। अतः प्रभावी नियंत्रण में कमी के कारण अग्रिम का समय पर समायोजन न होना विभाग द्वारा वित्तीय नियमों का उल्लंघन है।

इंगित किये जाने पर (अगस्त 2012) शासन द्वारा बताया गया कि (नबंवर 2012) लंबित अग्रिमों के समायोजन हेतु निर्देश दिये जा चुके हैं तथा निर्धारित अवधि में अग्रिम का समायोजन नहीं होने पर जिम्मेदार अधिकारी पर कार्यवाही की जाएगी।

निर्गम बैठक के दौरान (फरवरी 2013) ए पी सी ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा कि जिन अधिकारियों के विरूद्ध लंबे समय से अग्रिमों का समायोजन लंबित है उन पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। यह भी कहा गया कि अग्रिमों की वसूली अतिशीघ्र की जाएगी। पूर्व अग्रिमों के असमायोजित रहते हुए कर्मचारियों को अग्रिम दिये जाने के संबंध में ए पी सी ने बताया कि उन दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही की जाएगी जिन्होनें अग्रिमों के लंबित रहने के बावजूद पुनः अग्रिमों को स्वीकृत किया।

(च) नगदी प्रबंधन

छत्तीसगढ़ राज्य कोषालय संहिता के नियम 284(1) में प्रावधान है कि जब तक कि तुरंत भुगतान के लिए राशि आवश्यक न हो कोषालय से कोई राशि आहरित नहीं की जानी चाहिए, नियम 282 के साथ नियम 441 तथा 618 में प्रावधान है कि केवल स्थायी अग्रिम, पटेली कमीशन और कर्ज एवं अग्रिम का आहरण सिपंल रिसीप्ट देयक (सी जी टी सी-76) से ही किया जाना चाहिए।

उपरोक्त के विपरीत चयनित जिलों के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि नौ[15] जिलों में (**परिशिष्ट 3.1.6**) कोषालय से 2007-12 के दौरान राशि ₹ 12.83 करोड़ सिंपल

[14] डी डी एच बस्तर, डी डी एच बिलासपुर, ए डी एच धमतरी, डी डी एच दुर्ग, ए डी एच जशपुर, ए डी एच कबीरधाम, ए डी एच कांकेर, ए डी एच कोरबा, ए डी एच कोरिया, ए डी एच प्रमुख उद्यान रायपुर, ए डी एच रायगढ़, डी डी एच रायपुर, ए डी एच राजनांदगांव, डी डी एच सरगुजा एवं ए डी एच, एस एम एफ बाना रायपुर

[15] बस्तर, बिलासपुर, धमतरी, दुर्ग, कांकेर, कोरिया, रायगढ़, रायपुर एवं सरगुजा

रिसीप्ट देयक (एस आर बिल) पर सी जी टी सी-76 के प्रारूप पर तैयार कर आहरित किया गया था। तत्पश्चात, राशि अधीनस्थ अधिकारियों को किसानों को सहायता, प्रशिक्षण आयोजन, छत्तीसगढ़ राज्य कृषि एवं बीज निगम से बीज क्रय करने हेतु एवं विभिन्न योजनाओं के तहत अन्य उद्देश्यों के लिए प्रदाय की गयी। अपनायी गयी प्रक्रिया छत्तीसगढ़ कोषालय नियम का उल्लंघन था। आगे, एस आर बिल से आहरित राशि रोकड़ बही में अंतिम व्यय के रूप में दर्शायी गयी, कोषालय में समायोजन प्रमाणक भी प्रस्तुत नहीं किए गए।

इंगित किए जाने पर (अगस्त 2012), शासन द्वारा बताया गया (नवम्बर 2012) कि डी एच एफ एफ के द्वारा सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को एस आर बिल से निधियों का आधिक्य आहरण को प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ निर्देशित भी किया गया कि एस आर बिल से आहरण तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक तुरंत संवितरण हेतु निधियों की आवश्यकता न हो।

निर्गम बैठक (फरवरी 2013) के दौरान तथ्यों को स्वीकार करते हुए, ए पी सी ने बताया कि अधीनस्थ अधिकारियों को संहिता के प्रावधानों के पालन हेतु आवश्यक निर्देश जारी किये जाएगे।

(छ) भंडार का सत्यापन नहीं किया जाना

छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता के नियम 133 में प्रावधान है कि संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा नियत तरीके से प्रति वर्ष एक बार सभी भंडार का नियमानुसार भौतिक सत्यापन किया जाना चाहिए। जहाँ कही भी ऐसा भौतिक सत्यापन किया जाए, भण्डार सत्यापन का परिणाम, सूची, सामग्री-सूची अथवा लेखा, जैसा उपयुक्त हो, में अभिलेखित कर प्रमाणित किया जाना चाहिए।

चयनित जिलों के अभिलेखों की जाँच में पाया कि अवधि 2007-12 में भौतिक सत्यापन नहीं किया गया और न ही किसी तरह का सत्यापन का प्रमाण पत्र भंडार पंजी में पाया गया है।

इसे इंगित किये जाने पर (सितम्बर 2012), शासन ने बताया (नवम्बर 2012) कि डी एच एफ एफ द्वारा जिला कार्यालयों के कार्यालय अध्यक्षों द्वारा आवधिक भंडार सत्यापन के लिए निर्देशित किया जा चुका है। निर्गम बैठक (फरवरी 2013) के दौरान, ए पी सी ने तथ्यों को स्वीकारा एवं बताया कि भण्डार सत्यापन हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के लिए अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देश जारी किया जायेगें।

3.1.8 सेवा प्रदाय

3.1.8.1 उद्यानिकी फसलों का क्षेत्र विस्तार

उद्यानिकी फसलों के पौधारोपण के अंतर्गत क्षेत्र विस्तार हेतु विभाग विभिन्न योजनाओं जैसे एन एच एम, आर के वि वाई[16] एवं राज्य क्षेत्र योजनाओं[17] का क्रियान्वयन करती है। संचालक द्वारा उद्यानिकी फसलों के क्षेत्र विस्तार हेतु 2007-12 के दौरान वर्ष वार लक्ष्य एवं उपलब्धि निम्नानुसार है:

तालिका 6: सभी योजनाओं के क्षेत्र विस्तार का लक्ष्य एवं पूर्ति

(हेक्टेयर में)

फसलों के प्रकार	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12		योग		
	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	*प्रतिशत*
फल	17708	9302	17738	21582	15218	13045	15874	15719	9065	9790	75603	69438	92
सब्जी	4823	4685	4953	4935	8988	8611	38900	38554	30061	29878	87725	86663	99
मसाले	17455	12547	15900	15327	14780	14074	35045	33406	27126	31674	110306	107028	97
सुगंधित एवं औषधिय	7031	100	7615	6956	24980	25184	4120	3967	1950	2450	45696	38657	85
पुष्प	2244	14	1470	976	2397	2421	6600	4555	4713	6704	17424	14670	84

(स्रोतः जानकारी विभाग द्वारा तैयार एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

फल, सब्जी और मसाले का क्षेत्र विस्तार की पूर्ति, लक्ष्य के 90 प्रतिशत से अधिक थी।

तालिका से स्पष्ट है कि 2007-12 की अवधि में लक्ष्यपूर्ति उत्साहवर्धक थी, फल, सब्जी और मसालों का क्षेत्र विस्तार की कुल लक्ष्यपूर्ति 90 प्रतिशत से अधिक थी। जबकि औषधीय एवं सुंगधित और फूलों की पूर्ति अपने लक्ष्य का क्रमशः 85 एवं 84 प्रतिशत था।

इसे इंगित किए जाने पर (अगस्त 2012) विभाग ने बताया (सितम्बर 2012) कि राज्य के किसानों में औषधीय एवं सुगंधित पौधों और फूलों के रोपण के संदर्भ में लोकप्रियता और जागरूकता की कमी के कारण इन फसलों के लक्ष्यों की पूर्ति तुलनात्मक रूप से कम थी। यह भी कहना था कि लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु भविष्य में प्रशिक्षण और विस्तृत प्रचार प्रसार किया जाएगा।

निर्गम बैठक के दौरान (फरवरी 2013), ए पी सी ने बताया कि जिला कार्यालयों के माँग के आधार पर लक्ष्य तैयार किये गये हैं । लक्ष्य में अचानक गिरावट/नीचे जाने के संबंध में बताया गया कि राज्य स्तरीय समिति द्वारा लक्ष्यों को संकलित और निश्चित किया जाता है, इसे भारत सरकार को भेजा जाता है जहाँ लक्ष्य अंतिम रूप प्राप्त करने के पूर्व परिवर्तित हो जाते हैं। भारत सरकार द्वारा अनुमोदित अंतिम लक्ष्य को राज्य द्वारा संकलित किया जाता है।

[16] बाहरमासी एवं गैर-बारहमासी फलों के नए उद्यानों की स्थापना, सब्जी क्षेत्र विस्तार, मसाला क्षेत्र विस्तार, पुष्प क्षेत्र विस्तार और औषधीय एवं सुगंधित पौधों का क्षेत्र विस्तार

[17] केला उत्पादन का सघन कार्यक्रम, बड़े शहरों के आसपास सब्जी उत्पादन, आलू विकास योजना, फल पौध रोपण योजना, पुष्प विकास योजना, औषधिय एवं सुगंधित फसलों की खेती और सघन फलोउद्यान योजना

3.1.8.2 विभिन्न उद्यानिकी फसलों का उत्पादन

2007-08 से 2011-12 के दौरान मुख्य फसलों का वास्तविक उत्पादन निम्नानुसार है:-

तालिका 7: उद्यानिकी फसलो का कुल उत्पादन को दर्शाने वाली तालिका

(आंकड़े मैट्रिक टन में)

फसलों का प्रकार	पूर्ति					योग	
	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	*लक्ष्य*	*पूर्ति*
सब्जी	46850	48807	98596	477684	389609	कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं	1061546
मसाले	67628	104683	86696	210792	207465		677264
सुगंधित एवं औषधिय	570	39580	145312	28919	18473		232854
पुष्प	41	2840	8014	12435	19442		42771

(स्रोतः जानकारी विभाग द्वारा तैयार एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

फूलों के अलावा सभी प्रकार की फसलों के उत्पादन में गिरावट थी।

उपरोक्त, तालिका से स्पष्ट है कि 2011-12 के दौरान, फूलों के अतिरिक्त सभी प्रकार के पौधों के उत्पादन में गिरावट थी, बावजूद इस तथ्य के कि फूलों के क्षेत्र विस्तार की उपलब्धि लक्ष्य से काफी कम थी। अन्य प्रकार के पौधों के उत्पादन में पिछले वर्ष की अपेक्षा दो प्रतिशत (मसाले) तथा 36 प्रतिशत (औषधीय एवं सुगंधित) तक कमी पायी गयी।

चयनित जिलों के अभिलेखों के जांच (मई-अगस्त 2012) में देखा गया कि उद्यानिकी उत्पादों के प्रति हेक्टर उत्पादन गणना हेतु कोई निर्धारित प्रक्रिया नहीं था। डी एच ओ ने सुचित किया (मई-अगस्त 2012) कि उत्पादन के संबंध में आंकड़े कृषकों द्वारा प्रदाय जानकारी, मैदानी अमलों द्वारा प्राप्त अनुसार है। कृषकों द्वारा उत्पादन के विश्वसनीयता के सत्यापन हेतु किसी भी तरह का अभिलेख संधारित नहीं किया जा रहा था। इस प्रकार तयशुदा प्रक्रिया न होने के कारण प्रति हेक्टेयर उत्पादन निश्चित नहीं किया जा सकता है, उत्पादन का उपरोक्त आंकड़ा विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है।

निर्गम बैठक (फरवरी 2013) के दौरान, ए पी सी ने स्वीकार किया कि उद्यानिकी उत्पादकों के अभिलेखन हेतु कोई निर्धारित तंत्र अस्तित्व में नहीं है तथा उत्पादकता के आंकडे किसानों द्वारा बिना किसी दस्तावेज के मुहैया कराया गया है। यह भी बताया गया कि भारत सरकार तथा अन्य राज्यों द्वारा उत्पादों के गणना हेतु अपनायी गयी प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त की जायेगी।

3.1.8.3 छत्तीसगढ़ राज्य में उद्यानिकी फसलों की उत्पादक क्षमता की तुलना में राज्य में प्रति हेक्टेयर उत्पादन

एन एच एम दिशा निर्देशों के कंडिका 8.4 में परिकल्पित अनुसार उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों को, उन्नत एवं उपयुक्त तकनीकों से गुणवत्ता सुनिश्चित करने के द्वारा बढ़ायी जानी चाहिए।

डी एच एफ एफ के अभिलेखों के नमूना जाँच (मई 2012) में पाया गया कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन के वृद्धि हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। छत्तीसगढ़ राज्य में विभिन्न उद्यानिकी फसलों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन **परिशिष्ट 3.1.7** में दर्शाया गया है।

छत्तीसगढ़ में अधिकांश उद्यानिकी फसलों के संबंध में प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादकता इंदिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित वास्तविक उत्पादन क्षमता से कम थी। आगे, कई उद्यानिकी फसलों की औसत उत्पादकता राष्ट्रीय औसत से भी नीचे थी।

इसे इंगित किये जाने पर (सितम्बर 2012), शासन ने बताया (नवम्बर 2012) कि विभाग द्वारा जागरूकता अभियान के अतिरिक्त, अच्छी किस्मों के उन्नत एवं प्रमाणित बीजों की आपूर्ति और मिट्टी की उर्वरता के उन्नयन हेतु जैविक- उर्वरक की आपूर्ति के द्वारा वर्तमान उत्पादन एवं राज्य की उत्पादक क्षमता के अंतर को कम करने का प्रयास किया जा रहा है।

निर्गम बैठक के दौरान (फरवरी 2013) ए पी सी ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए कहा कि उत्पादकता स्तर को राज्य के उत्पादन क्षमता तक प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रयास किए जायेगें।

3.1.9 योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की स्थिति

मुख्य नियंत्रण अधिकारी आधारित लेखापरीक्षा में निम्नलिखित योजनाओं एवं घटकों की हमारे द्वारा समीक्षा की गई:

योजना का नाम	शामिल घटकों का नाम
राष्ट्रीय बागवानी मिशन	पौध रोपण सामग्री का उत्पादन, नये बगीचों की स्थापना, जल स्रोतों का सृजन, जैविक खेती, प्रसंस्करण इकाई की स्थापना, बागवानी मशीनीकरण, मानव संसाधन विकास, एकीकृत कटाई पश्च प्रबंधन एवं मार्केटिंग अद्योसंरचना की स्थापना
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	नये फल के बगीचों की स्थापना, सब्जी क्षेत्र विस्तार मसाला उत्पादन क्षेत्र विस्तार, पुष्प क्षेत्र विस्तार, औषधीय एवं सुगंधित पौधों का क्षेत्र विस्तार, शंकर बीज उत्पादन, पुराने बगीचों का आधुनिकीकरण एवं उन्नयन, प्रसंस्करण इकाई की स्थापना, बागवानी मशीनीकरण एवं मानव संसाधन विकास।
राज्य योजनागत कार्यक्रम	*फल पौध रोपण योजना*

हमारे द्वारा योजना/कार्यक्रमों की समीक्षा के दौरान पाये गये आपत्तियों के बारे में निम्नलिखित कंडिकाओं में चर्चा की गई:

3.1.9.1 राष्ट्रीय बागवानी मिशन

राष्ट्रीय बागवानी मिशन भारत सरकार द्वारा (जून 2005) एक केन्द्रीय प्रवर्तित योजना है जो प्रत्येक राज्य/क्षेत्र के तुलनात्मक लाभ एवं उसके विविध जलवायु विशेषताओं से उद्यानिकी उत्पादों को बढ़ाने, पौष्टिक सुरक्षा को बढ़ाने एवं खेतीहर परिवारों को आय समर्थन के सामंजस्य से क्षेत्र के आधार पर अंतरीय कार्यनीति जिसमें अनुसंधान, प्रौद्योगिकी, प्रोत्साहन विस्तारिकरण, कटाई-पश्च प्रबंधन, प्रसंस्करण एवं विपणन शामिल है द्वारा उद्यानिकी के समग्र विकास के लिए प्रारंभ किया गया है।

(क) राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के धीमे क्रियान्वयन के कारण ₹ 63.85 करोड़ का अनुपयोगी रहना

राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत भारत सरकार का योगदान 85 प्रतिशत और शेष 15 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। अनुमोदित वार्षिक कार्य योजनाओं (ए ए पी) के अनुसार निधियाँ विमुक्त की जाती है। स्वीकृत ए ए पी के अनुरूप व्यय को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी राज्य बागवानी मिशन (एस एच एम) का है।

वर्ष 2005-12 के दौरान एस एच एम योजना गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए आबंटित ₹ 471.73 करोड़ में से, ₹ 149.86 करोड़ का भुगतान जिला मिशन समितियों (डी एम सी) को किया गया एवं उसके विरूद्ध ₹ 86.01 करोड़ (42.60 प्रतिशत) का व्यय डी एम सी द्वारा किया गया **(परिशिष्ट 3.1.8)**। इसके कारण मुख्य घटक जैसे कटाई पश्च प्रबंधन (पी एच एम), फल क्षेत्र विस्तार, संरक्षित खेती, सामुदायिक पानी टंकीयाँ, काजू, मॉडल नर्सरी, वर्मी कम्पोस्ट आदि योजना गतिविधियों में धीमें कार्यान्वयन के कारण ₹ 63.85 करोड़ का उपयोग नहीं किया गया। निधियों का अनुपयोगी रहने का कारण, राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति बैठक (अक्टूबर 2010) में चर्चा के दौरान एवं शासन द्वारा सूचित अनुसार किसानों द्वारा रूचि नहीं लेने, पी एच एम के तहत कम सहायता, जिलों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने इत्यादि के कारण लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका।

शासन (नवम्बर 2012) में लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए बताया कि डी एम सी और डी एच ओ को उपलब्ध निधियों को चालु वित्तीय वर्ष में ही इस्तेमाल करने को निर्देशित किया गया है। निर्गम बैठक (फरवरी 2013) में ए पी सी ने लेखापरीक्षा आपत्ति पर सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि अनुपयोगी निधियों को उपयोग में लाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायेगी तथा संचालक को यथाशीघ्र मामले को जाँच करने के लिए निर्देशित किया गया है।

(ख) उद्यानिकी क्षेत्र विस्तार के तहत उद्यानिकी फसलों का लक्ष्य और पूर्ति

2007-12 के अवधि के दौरान एन एच एम के तहत उद्यानिकी पैदावार के संबंध में लक्ष्य और उपलब्धि निम्नानुसार हैः-

तालिका 8: उद्यानिकी फसलो के क्षेत्र विस्तार का लक्ष्य एवं पूर्ति

(हेक्टेयर में)

फसलों के प्रकार	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12		कुल लक्ष्य	कुल पूर्ति
	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति		
फल	14176	5774	15530	19467	13010	10791	8300	8109	5519	6273	56535	50414
पुष्प	2230	0	1455	960	2250	2279	5523	3478	3680	5671	15138	12388
मसाले	11020	6112	11000	10407	6720	6369	16045	14406	11770	16318	56555	53612
सुगंधित एवं औषधीय	6856	0	7200	6649	24080	24339	3020	2880	850	1350	42006	35218
योग	**34282**	**11886**	**35185**	**37483**	**46060**	**43778**	**32888**	**28873**	**21819**	**29612**	**170234**	**151632**

(स्रोतः जानकारी विभाग द्वारा तैयार एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

उपरोक्त से स्पष्ट है कि 2007-08 से 2011-12 में फल, फुल, मसाले तथा औषधीय और सुगंधित फसलों के क्षेत्र विस्तार के लक्ष्य के विरूद्ध पूर्ति क्रमशः 89, 82, 95 तथा 84 प्रतिशत थी। यह दर्शाता है की उद्यानिकी फसलों के क्षेत्र विस्तार हेतु तय लक्ष्यों की पूर्ति के लिए शासन का प्रयास उत्साहवर्धक है।

(ग) औषधीय और सुगंधित पौधों के क्षेत्र विस्तार पर निष्फल व्यय

एन एच एम दिशा निर्देशों के कण्डिका 8.16 में उद्यानिकी फसलों की उन्नत किस्मों के अंतर्गत बड़े क्षेत्रों का आवरण परिकल्पित है। उद्यानिकी फसलों जैसे फल, फूल, मसाले, सुगंधित पौधे और वृक्षारोपण फसलें जैसे काजु, कोको और सुपारी के नए क्षेत्रों हेतु सहायता प्रदान की जाती है। औषधीय और सुगंधित पौधों के लिए लागत के 75 प्रतिशत तक अधिकतम ₹ 11,250 प्रति हैक्टेयर की दर से जो प्रति लाभार्थी चार हैक्टयेर तक सीमित हो, सहायता प्रदान की जाएगी।

11 एन एच एम जिलों के अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया (मई-अगस्त, 2012) कि वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान इन जिलों के औषधीय और सुगंधित पौधों के क्षेत्र विस्तार के तहत उपलब्धि का विवरण नीचे दिया अनुसार है :

तालिका 9: औषधीय और सुगंधित पौधों के क्षेत्र विस्तार के गिरावट के रूख को दर्शाने वाली तालिका

(हेक्टेयर में)

वर्ष	युकेलिप्टस सिट्रीडोरा	लेमन ग्रास	एलोवेरा	पचौली	खस	पामारोजा	जामारोजा	व्यय (लाख में)
2007-08	4200	1500	800	400	900	2500	612	1187.297
2008-09	1788	1900	900	213	550	1350	0	698.552
2009-10	1700	600	0	0	200	0	0	220.236
2010-11	800	750	0	0	200	200	0	277.272
2011-12	200	450	0	0	50	100	0	97.01
योग	**8688**	**5200**	**1700**	**613**	**1900**	**4150**	**612**	**2480.367**

(स्रोत : विभाग द्वारा प्रदत एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित जानकारी)

अधोसंरचना एवं विपणन सुविधाओं के अभाव में औषधीय एवं सुगंधित पौधों के क्षेत्र विस्तार में गिरावट

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान क्षेत्र विस्तार में लगातार गिरावट था। ऐलोवेरा और पचौली के सम्बन्ध में वर्ष 2009-10 से 2011-12 के दौरान क्षेत्र विस्तार शून्य था जबकि जामारोजा[18] के सम्बन्ध में वर्ष 2008-09 के पश्चात कोई क्षेत्र विस्तार नहीं किया गया था। उपर वर्णित औषधीय और सुगंधित पौधे के क्षेत्र विस्तार पर कुल व्यय ₹ 24.80 करोड़ था जिसे **परिशिष्ट 3.1.9** में दर्शाया गया है।

राज्य कार्यकारी समिति की बैठक (24 जनवरी 2006) के दौरान कटाई पश्च प्रबंधन योजना के तहत 80 तेल-उद्धरण इकाईयाँ तथा सात एलोवेरा जेल इकाई की स्थापना राज्य में किए जाने का निर्णय लिया गया। हालांकि आज तक (नवम्बर 2012) केवल 15[19] उद्धरण इकाईयों की स्थापना की गई। आगे, कांकेर में एक एलोवेरा उद्धरण इकाई तथा कबीरधाम जिले में दो आसवन और एक गैर-वाष्पीकरण ब्रॉयलर क्रमशः अक्टूबर 2009 तथा मार्च 2008 से विद्युतीकरण के अभाव और सुगंधित पौधे

[18] जामारोजा एक औषधीय नगदी फसल है

[19] 12 लेमन ग्रास एवं ई-सिट्रीडोरा प्रसंस्करण/उद्धरण इकाई एवं तीन एलोवेरा जूस/जेल उद्धरण इकाईयाँ

(कच्चे माल) की अनुपलब्धता के कारण क्रियाशील नहीं है।

औषधीय और सुगंधित उत्पादों के विपणन के लिए तीन एजेंसियों के साथ एक समझौता ज्ञापन (2006-07) हुआ जो कि वर्ष 2008-09 के दौरान व्यपगत हो गया। तब से औषधीय और सुगंधित कृषि उपज की खरीदी एजेंसियों द्वारा नहीं की गई। इस तरह औषधीय एवं सुगंधित फसल के प्रसंस्करण हेतु उचित बुनियादी सुविधा के अभाव के कारण किसानों के रूचि में गिरावट हुई जिसके फलस्वरूप औषधीय और सुगंधित पौधों का उत्पादन, क्षेत्र विस्तार और उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य को हासिल नहीं किया जा सका। इसके, अलावा पारंपरिक फसल से वृक्षारोपण विविधिकरण की रणनीति भी विफल रही।

इसे इंगित किए जाने पर (सितम्बर 2012) शासन द्वारा बताया गया (नवम्बर 2012) की प्रारंभिक वर्षों के दौरान किसानों से विचार विमर्श उपरांत लक्ष्य निर्धारित किया गया। बाद के वर्षों में किसानों द्वारा रूचि में कमी के कारण लक्ष्य में आनुपातिक कमी की गई थी। आगे, किसानों द्वारा फसलों के रख-रखाव में कमी के कारण वांछित लाभ प्राप्त नहीं किया जा सका।

तथ्य यह है कि औषधीय और सुगंधित पौधों के उद्यानों की स्थापना में योजना का अभाव था क्योंकि जिलों में उत्पादों के प्रसंस्करण एवं विपणन हेतु पर्याप्त अधोसंरचना नहीं थी, जैसा कि कुछ जि.उ.अधि. द्वारा सूचित किया गया। यह दर्शाता है कि औषधीय और सुगंधित पौधों के क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम में उद्यम करने के पूर्व बाजार का उचित मूल्यांकन नहीं किया गया था। निर्गम बैठक (फरवरी 2013) के दौरान ए पी सी द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार किया गया और बताया गया कि क्षेत्र विस्तार में गिरावट मुख्य रूप से किसानों के रूचि में कमी की वजह से था और भविष्य के लक्ष्य का निर्धारण मांग के साथ ही साथ अधोसंरचना की उपलब्धता को ध्यान में रखकर किया जाएगा।

(घ) उद्यानिकी फसलों के अत्यधिक मृत्यु दर के कारण निरर्थक व्यय ₹ 8.33 करोड़

एन एच एम दिशा निर्देशों के कण्डिका 8.15 (2005-06) और 8.16 (संशोधित वर्ष 2011-12 से प्रभावी) के अनुसार बारहमासी और गैर बारहमासी नए बागानों की स्थापना के लिए प्रति हैक्टेयर ₹ 22,500 (वर्ष 2010-11 से ₹ 30,000) और मसाले एवं सुगंधित पौधों के लिए ₹ 11,250 प्रति हैक्टेयर (वर्ष 2010-11 से ₹ 12,500) की सहायता प्रदान की जाती है। बारहमासी और गैर-बारहमासी फसलों के लिए सहायता 50: 20: 30 (वर्ष 2010-11 से 60: 20: 20) की तीन किश्तों में प्रदाय की जाती है बशर्ते जीवितता दर दूसरे एवं तीसरे वर्ष में क्रमशः 75 एवं 90 प्रतिशत होनी चाहिए। योजना गतिविधियों की निगरानी के प्रावधान अनुसार आर एच ई ओ द्वारा 100 प्रतिशत, एस एच डी ओ द्वारा 75 प्रतिशत, डी डी एच/ए डी एच द्वारा 25 प्रतिशत, सी ई ओ, जनपद पंचायत द्वारा 10 प्रतिशत तथा सी ई ओ जिला पंचायत द्वारा 5 प्रतिशत निर्धारित किया गया था।

डी डी एच, बस्तर और ए डी एच राजनांदगांव के अभिलेखों के नमूना जांच के दौरान

उद्यानिकी फसलों के अत्यधिक मृत्यू दर से ₹ 8.33 करोड़ का निरर्थक व्यय

फसल निगरानी रिपोर्ट (सी एम आर) से हमने पाया कि फसलों की मृत्यू दर अत्यधिक थी। बस्तर जिले के विभिन्न क्लस्टरों में लगाए गए फसलों के उपलब्ध सी एम आर आंकडें के 99 प्रतिशत मामलों में जीवितता दर 60 प्रतिशत से कम थी। इसके अलावा राजनांदगांव के उपलब्ध सी एम आर से ज्ञात होता है कि जीवितता दर 20 से 70 प्रतिशत के बीच था। बारहमासी फसलों के अंतर्गत वृक्षरोपण के प्रथम वर्ष के बाद मृत्यू दर की स्वीकार्य सीमा केवल 25 प्रतिशत है और फसलों के जीवितता दर 75 प्रतिशत से कम होना फसलीकरण योजना की विफलता को दर्शाता है। परिणामतः ऐसे मामले स्वतः ही योजना गतिविधियों से बाहर हो जाते हैं और इस योजनांतर्गत आगे सहायता के लिए पात्र नहीं हैं। इस प्रकरण को आगे कण्डिका 3.1.9.1 (च) में वर्णित किया गया है। इसी प्रकार मसाले और औषधीय फसलों में समस्त फसल विफल रही क्योंकि इनके लिए मृत्यु दर का कोई प्रावधान नही था। आगे हमने देखा कि राजनांदगांव जिले मे पौधों के रोपण आदर्श अवधि[20] में नहीं किए गए जैसे कि विभागीय दिशा निर्देश (सफल बागवानी के उपाय) में परिकल्पित है। इस प्रकार बस्तर और राजनांदगांव जिलों में उद्यानिकी फसलों के अत्यधिक मृत्यू दर के कारण क्षेत्र विस्तार में ₹ 8.33 करोड़ **(परिशिष्ट 3.1.10)** का व्यय निरर्थक रहा।

इसे इंगित किए जाने पर (सितम्बर 2012), शासन द्वारा बताया गया (नवम्बर 2012) कि अत्याधिक मृत्यू दर किसानों में फसलों के रख-रखाव में रूचि की कमी के साथ ही साथ पशुओं द्वारा खुली चराई के कारण था। आगे यह भी बताया गया कि अधिकांश क्षेत्र दीमक से प्रभावित थे जिसके लिए किसानों द्वारा पौध संरक्षण सुविधाओं का उपयोग नहीं किए जाने के परिणाम स्वरूप फसलों के मृत्यु दर में वृद्धि हूई।

शासन का उत्तर, क्षेत्र विस्तार योजना के गतिविधियों की निगरानी में कमी दर्शाता है। निर्गम बैठक (20 फरवरी 2013) में ए पी सी ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया कि किसानों के सहयोग से बेहतर बाड़ी लगाने की सुविधा प्रदान करने की कार्यवाही की जाएगी और इस प्रकार मृत्यु दर को कम किया जाएगा।

(ड.) मसाला विकास के अंतर्गत प्याज रोपण पर ₹ 43.06 लाख का अनियमित व्यय

एन एच एम दिशा निर्देशों के कण्डिका 8.16 के अनूसार उद्यानिकी फसलों के तहत जैसे फल, फूल, मसाले, सुगंधित पौधों और रोपण फसलें जैसे काजू, कोको और सुपारी के लिए नये क्षेत्र लगाने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2010 में जारी पुनरीक्षित दिशा-निर्देश कहता है कि मसाला विकास के तहत कंदीय मसाले एवं राईझोमैटिक मसालों के साथ-साथ बारहमासी मसालों के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। योजना दिशा-निर्देशों में प्याज के लिए सहायता का कहीं प्रावधान नहीं है।

डी एच ओ बस्तर, दुर्ग, कबीरधाम और राजनांदगांव के अभिलेखों के जॉच (मई-अगस्त 2012) के दौरान हमने देखा कि वर्ष 2008-09 में मसाला विकास के अंतर्गत प्याज की खेती की गई और ₹ 43.06 लाख का व्यय किया गया जिसका विवरण **परिशिष्ट 3.1.11** में दिया गया है।

[20] आदर्श बागवानी अवधि, आम- मई, जूनः अमरूद एवं नीबू- जुलाई अगस्तः अदरक- मई, धनिया- अक्टुबर, नवंबर रजनीगंधा- फरवरी, अप्रैल, सिट्रीडोरा- जून, जुलाई

चूंकि एन एच एम के अंतर्गत मसाले की खेती के अंतर्गत प्याज की खेती के लिए कोई प्रावधान नहीं था, इस तरह प्याज रोपण पर किया गया संपूर्ण व्यय ₹ 43.06 लाख अनियमित था।

इसे इंगित किए जाने पर (सितम्बर 2012), शासन ने बताया कि (नवम्बर 2012), किसानों से प्याज के बीज की मांग थी इसलिए बीज प्रदान किए गए तथा राज्य स्तरीय कार्यपालिक समिति (एस एल ई सी) से आवश्यक अनुमति भी (जुलाई 2009) प्राप्त कर ली गई है। आगे, प्याज के क्षेत्र विस्तार को भारत सरकार को प्रस्तुत प्रगति प्रतिवेदन में दर्शाया गया है।

तथ्य यह है कि एन एच एम दिशा निर्देशों के अनुसार केवल राष्ट्रीय स्तर पर कार्यपालिक समिति को ऐसे परियोजनाओं के अनुमोदन का विवेकाधीन अधिकार है जिनका मानक निर्धारित नहीं किया गया है। एन एच एम दिशा-निर्देशों के अंतर्गत मसाला उत्पादन कार्यक्रम हेतु प्याज के लिए सहायता का प्रावधान नहीं है। निर्गम बैठक के दौरान (फरवरी 2013) ए पी सी ने लेखापरीक्षा आक्षेपों को स्वीकार करते हुये बताया कि व्यय को नियमित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

तथापि, राष्ट्रीय स्तर से अनुमोदन मार्च 2013 तक अपेक्षित था। आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए उचित मांग के आकलन की भी आवश्यकता है।

(च) उद्यानिकी फसलों के अत्यधिक मृत्यु दर के कारण किसानों को ₹ 2.37 करोड़ की सहायता राशि जारी नहीं किया जाना

एन एच एम दिशा-निर्देशों की कंडिका 8.16 में उद्यानिकी फसलों के उन्नत किस्मों के अंतर्गत बड़े क्षेत्रों का आवरण परिकल्पित है। बारहमासी फसलों की खेती के लिए सहायता अधिकतम क्षेत्र चार हैक्टेयर प्रति लाभार्थी होगी और तीन वर्षो में, 60:20:20 के अनुपात में क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष में विस्तृत होगी। द्वितीय वर्ष की सहायता नए बागानों के 75 प्रतिशत जीवितता पर और तृतीय वर्ष की सहायता पौधों के 90 प्रतिशत जीवितता की शर्त पर प्रदान की जावेगी।

एन एच एम जिलों और डी एच एफ एफ रायपुर के अभिलेखों की जाँच से प्रकट हुआ कि वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान बारहमासी फलों के नए उद्यान की स्थापना के लिए निम्नलिखित खर्च किए गयेः-

तालिका 10: द्वितीय और तृतीय वर्षों में सहायता विमुक्त न किये जाने को दर्शाने वाला तालिका

(₹ लाख में)

वर्ष	सम्मिलित क्षेत्र (हे.में)	क्षेत्र विस्तार पर व्यय राशि	प्रथम वर्ष के बाद सहायता का आवंटन	प्रथम वर्ष के बाद प्रदाय सहायता	द्वितीय वर्ष के बाद सहायता का आवंटन	द्वितीय वर्ष के बाद प्रदाय सहायता	कुल अवितरित सहायता
2007-08	2708	304.67	0	0	123.59	0	123.59
2008-09	12970	1453.55	95.47	2.38	28.35	28.35	93.09
2009-10	9105	1024.35	113.36	113.36	60.83	40.55	20.28
2010-11	4890	470.58	84.69	84.69	**	**	—
		3253.15	**293.52**	**200.43**	**212.77**	**68.9**	**236.96**

(स्रोतः विभाग द्वारा प्रदायित एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना)

उपरोक्त तालिका दर्शाता है कि वर्ष 2007-08 के दौरान की गई रोपण सम्बन्ध में प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के बाद कोई भी सहायता जारी नही की गई। इसी तरह वर्ष 2008-09 में ₹ 95.47 लाख आबंटन के विरूद्ध केवल ₹ 2.38 लाख ही सहायता के रूप में प्रदान की गई। आगे, वर्ष 2009-10 के दौरान की गई रोपण के लिए आबंटित सहायता ₹60.83 लाख के विरूद्ध केवल ₹ 40.55 लाख जारी की गई। इस प्रकार अवधि 2007-08 से 2010-11 के दौरान कुल ₹2.37 करोड़ की सहायता किसानों को प्रदान नहीं की जा सकी। विभाग के अनुसार अनुवर्ती सहायता विमुक्त नहीं करना, फसलों का मृत्यु दर निर्धारित सीमा से अधिक होने के कारण है।

निर्गम बैठक (फरवरी 2013) के दौरान ए पी सी ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए बताया कि भविष्य में मृत्यु दर को कम करने की आवश्यक कार्यवाही की जावेगी जिससे कि मानकों के अनुसार पूर्ण सहायता प्रदाय की जा सके।

(छ) पुराने और जीर्ण बागानों का पुनरूद्धार /प्रतिस्थापन

एन एच एम दिशा निर्देशों के कण्डिका 8.19 में प्रावधान है कि जीर्ण बागानों को हटाने, आदानों के उचित तथा समेकित संयोजन से समर्थित नये स्टाक को पुनः लगाये जाने, छंटाई तथा ग्राफ्टिंग तकनीकों के माध्यम से उत्पादकता सुधार कार्यक्रमों को किया जाना अपेक्षित है। कार्यक्रम को पृथक किसानों,किसानों के सहकारी समूह, स्व सहायता समूहों (एन जी ओ) उत्पादक संघ तथा वस्तु-संगठनों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा। जीर्ण बागानों के पुनरूद्धार/ पुनः पौधे लगाये जाने हेतु सहायता लागत की 50 प्रतिशत होगी जो कि ₹ 15,000/- प्रति हैक्टेयर की अधिकतम सीमा के अधीन 2 हेक्टेयर प्रति हितग्राही तक सीमित होगा।

डी एच ओ, बस्तर के अभिलेखों की जांच (जुलाई 2012) में प्रकट हआ कि वर्ष 2006-07 और 2008-09 में पुराने और जीर्ण पौधों के प्रतिस्थापन /पुनरूद्धार के लिए क्रमशः लक्ष्य 200 और 100 हैक्टेयर के विरूद्ध वर्ष 2006-07 में ₹ 30 लाख और वर्ष 2007-08 के दौरान ₹ 15 लाख प्राप्त हुआ। इसके अलावा वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान प्रत्येक वर्ष ₹7.50 लाख प्राप्त हुआ। इस घटक के तहत प्राप्त कुल राशि ₹ 60 लाख के विरूद्ध ₹11.16 लाख का व्यय बीज निगम से 30 विद्युत चलित चैन सॉ प्रुनर की खरीदी (फरवरी 2009) की गई। इन 30 चैन सॉ प्रुनर में से, केवल एक प्रुनर एक किसान समूह को जारी किया गया था (जून 2010)। शेष 29 प्रुनर कृषि महाविद्यालय जगदलपुर को जारी (जून 2011) किये गये थे।

जिला मिशन समिति, बस्तर, जगदलपुर, की बैठक (फरवरी 2011) में यह निर्णय लिया गया कि पुराने और जीर्ण पौधों का पुनरूद्धार कार्य कृषि महाविद्यालय, जगदलपुर के माध्यम से कराया जायेगा। कार्य के लिए एक प्राक्कलन बनाया गया और कृषि महाविद्यालय, जगदलपुर को प्रस्तुत (मई 2011) किया गया साथ ही साथ पुनरूद्धार कार्य किये जाने के लिए राशि ₹ 33.08 लाख का डिमाण्ड ड्राफ्ट प्रस्तुत किया गया। जबकि 300 हैक्टेयर लक्ष्य के विरूद्ध केवल छः हैक्टेयर में जुलाई 2012 तक पुनरूद्धार कार्य विभाग द्वारा किया जा सका। इस प्रकार वर्ष 2006-07 और 2007-08 के दौरान

स्वीकृत राशि का जीर्ण पौधों के पुनरूद्धार के वांछित उद्देश्य के लिए आज तक (फरवरी 2013) उपयोग नहीं किया जा सका जिससे ₹ 48.08 लाख (₹ 33.08 + ₹ 7.5 + ₹ 7.5) अवरूद्ध रही एवं ₹10.79 लाख मुल्य के प्रुनर निष्क्रीय रही।

शासन ने सुचित किया कि पुनरूद्धार के लिए एक विशेषज्ञों की एक टीम गठित की गई है और इसी वित्तीय वर्ष में इसे पूर्ण किया जाएगा। निर्गम बैठक (20 फरवरी 2013) के दौरान ए पी सी ने लेखापरीक्षा आपत्तियों पर सहमति प्रदान करते हुए बताया कि कृषि महाविद्यालय, जगदलपुर द्वारा ली गई पुर्नस्थापना कार्य के वर्तमान स्थिति के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करने की कार्यवाही की जावेगी।

शासन का उत्तर प्रुनरों के निष्क्रिय रहने और राशि अवरूद्ध रहने के लेखापरीक्षा आपत्तियों की पुष्टि करता है।

(ज) काजू पौधों की अत्यधिक मृत्यु दर के कारण गैप फिलिंग पर अनियमित व्यय राशि ₹ 19.26 लाख

एन एच एम दिशानिर्देश की कंडिका 8.16 में उद्यानिकी फसलों की उन्नत किस्मों के अंतर्गत बड़े क्षेत्रों का आवरण परिकल्पित है। एक कृषक को खेती के लिए सहायता पाने की पात्रता तीन वर्षो में 50:30:20 के अनुपात में क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष में विस्तृत होगी। द्वितीय वर्ष की सहायता नए बागानों के 75 प्रतिशत जीवितता पर और तृतीय वर्ष की सहायता पौधों के 90 प्रतिशत जीवितता की शर्त पर प्रदान की जावेगी।

जिलो के अभिलेखों के नमूना जाँच में पाया गया कि बस्तर जिले में वर्ष 2006-07 से 2008-09 के दौरान काजू रोपण के संदर्भ में लक्ष्य तथा उपलब्धि निम्न हैः

तालिका 11 :- बस्तर जिले में काजू रोपण के लक्ष्य तथा पूर्ति दर्शाने वाली तालिका

वर्ष	लक्ष्य (हे.)	पूर्ति (हे.)	टिप्पणी
2006-07	500	500#	# 2005-06 का लक्ष्य
2007-08	2000	1883	--
2008-09	2000	853+117*	* 2007-08 का शेष लक्ष्य

(स्रोतः विभाग द्वारा प्रदाय जानकारी)

वर्ष 2006-07 से 2008-09 तक के दौरान लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्षेत्र विस्तार तथा गैप फिलिंग के उद्देश्य से विभिन्न एजेंसियों से काजू कलम (ग्राफ्ट) का क्रय निम्नानुसार किया गया:

तालिका 12: गैप फिलिंग हेतु खरीदी एवं उपयोगित काजू पौधों को दर्शाता तालिका

वर्ष	कलमों की संख्या	एजेंसी	प्रति पौधे कीमत	कुल लागत (₹)	उपयोग की गई पौधों की संख्या			योग	टिप्पणी
					क्षेत्र विस्तार	गैप फिलिंग के पश्चात			
						प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष		
2006-07	50,000	हिरवई नर्सरी	19.10	9,55,000	50,000 (06-07)	--	--	50,000	—
2006-07	1,00,000	हिरवई नर्सरी	19.10	19,10,000	1,88,300	27,070	--	2,15,370	20,000 मृत पौधे
2007-08	1,22,870	उड़ीसा राज्य विकास निगम	18.80	20,99,960					
2007-08	10,450	कृषि विश्व विश्वविद्यालय	14.00	1,46,300					
2007-08	3,050	शासकीय नर्सरी	16.00	48,800					
2008-09	1,78,418	बाना फर्म	18.90	33,72,100	85,300 (08-09) 11,700 (07-08)	77,800 (द्वितीय वर्ष 2006-07 के गैप फिलिंग हेतु पौध रोपण शामिल)	--	1,63,100	3,618 मृत पौधे
गैप फिलिंग हेतु उपयोग किए गए कुल पौधे						**1,04,870**			

(स्रोतः- विभाग द्वारा प्रदाय जानकारी और लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

दूसरे वर्ष की सहायता, पौधों की जीवितता 75 प्रतिशत होने पर तथा तीसरे वर्ष सहायता पौधों के 90 प्रतिशत जीवितता होने पर देय थी। तकनीकी सहायता समूह (टी एस जी) की सिफारिशों (जून 2006) के अनुसार प्रति हेक्टेयर 100 कलम लगाये जाने थे।

वर्ष 2006-07 के दौरान काजू वृक्षारोपण के तहत 500 हेक्टेयर पर 50,000 काजू कलम लगाये गये थे। 500 हेक्टेयर के रोपण के लिए 25 हेक्टेयर गैप-फिलिंग अनुमत्य था अर्थात 2,500 कलम है। आगे, द्वितीय वर्ष के अंत में पौधों की जीवितता 90 प्रतिशत होने पर तीसरे वर्ष की गैप-फिलिंग अनुमत्य थी। इस प्रकार, द्वितीय वर्ष के बाद केवल 5,000 कलम का उपयोग गैप-फिलिंग के लिए किया जा सका था। इसी प्रकार वर्ष 2007-08 में 1883 हेक्टेयर वृक्षारोपण के सापेक्ष्य में, प्रथम वर्ष के पूरा होने के बाद गैप-फिलिंग हेतु अनुमत्य काजू कलम 47,075 था जो कुल रोपित काजू कलमों अर्थात 1,88,300 का 25 प्रतिशत था।

डी डी एच बस्तर के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि वर्ष 2006-07 और 2007-08 के दौरान लगाये गये काजू के पौधों की अत्यधिक मृत्यू दर के कारण स्वीकार्य सीमा से अधिक गैप-फिलिंग किया गया जो नीचे विस्तृत हैः

तालिका 13: क्षेत्र विस्तार अंतर्गत काजू वृक्षारोपण तथा गैप-फिलिंग का विवरण

वर्ष	क्षेत्र विस्तार	कुल उपयोगित काजू कलम	प्रथम वर्ष के बाद गैप-फिलिंग की अनुमत्य सीमा (क्षेत्र विस्तार का 25 प्रतिशत)	एक वर्ष बाद की गई गैप-फिलिंग	दूसरे वर्ष के बाद गैप-फिलिंग की अनुमत्य सीमा (क्षेत्र विस्तार का 10 प्रतिशत)	दूसरे वर्ष के पश्चात की गई गैप-फिलिंग
2006-07	500	50,000	12,500	27,070	5,000	16,515
2007-08	1,883	1,88,300	47,075	61,285	--	--

(स्रोतः विभाग द्वारा प्रदायित जानकारी और लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2006-07 और 2007-08 के दौरान किया गया काजू वृक्षारोपण का गैप-फिलिंग कार्य अनुमत्य नहीं था चूंकि गैप-फिलिंग के लिए पौधों की आवश्यक न्यूनतम जीवितता प्राप्त नहीं की जा सकी। इस प्रकार, गैप-फिलिंग पर कुल 1,04,870 काजू कलम पर किया गया व्यय ₹19.26 लाख *(जैसा कि नीचे वर्णित)* अमान्य था।

तालिका 14: गैप-फिलिंग के लिए काजू कलम क्रय की कुल लागत दर्शाने वाली तालिका

वर्ष के दौरान की गई गैप फिलिंग	काजू कलम का स्रोत	कलम की संख्या	लागत	कुल लागत (कालम 04 का योग)	इकाई लागत	गैप-फिलिंग के लिए उपयोगित कलमों की संख्या	किया गया व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
2007-08	उड़ीसा राज्य	1,22,870	20,99,960	22,95,060	16.83	27,070	4,55,588
	स्वंय की नर्सरी	3,050	48,800				
	कृषि महाविद्यालय	10,450	1,46,300				
2008-09	बाना नर्सरी	1,78,418	उपलब्ध नही	उपलब्ध नही	18.90	77,800	14,70,420
योग							**19,26,008**

(स्रोतः विभाग द्वारा प्रदायित जानकारी और लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

इसे इंगित किए जाने पर (सितम्बर 2012), शासन द्वारा बताया गया (नवम्बर 2012) कि अपर्याप्त मैदानी अमलों के कारण निगरानी में कमी के अलावा खुली चराई, दीमक का प्रकोप और किसानों द्वारा अनुचित देखभाल के कारण मृत्यु दर अत्यधिक रहा। यह भी बताया गया कि जीवितता दर शत प्रतिशत सुनिश्चित करने के लिए अनुमत्य सीमा से अधिक गैप-फिलिंग किया गया। निर्गम बैठक (फरवरी 2013) ए पी सी द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार करते हुए बताया कि पौधों की जीवितता सुनिश्चित रखने के लिए गैप-फिलिंग अनुमत्य सीमा से अधिक किया गया था ताकि योजना की गतिविधियाँ निरंतर रह सके।

यद्यपि तथ्य यह है कि बिना वांछित जीवितता सुनिश्चित किए गैप-फिलिंग करने के कारण ₹19.26 लाख का अमान्य व्यय किया गया।

(झ) रोपण सामग्री का उत्पादन और वितरण

गुणवत्ता युक्त रोपण सामग्री जैसे पौधे, प्लांटलेट्स तथा किसानों को विभिन्न प्रकार के बीज प्रदान करने के उद्देश्य से शासन द्वारा राज्य में 117 नर्सरियों की स्थापना की गई।

इन नर्सरियों के लिए पोली हाउस, नेट हाउस, प्रोपेगेश्न हाउस और सिचांई सुविधाएं प्रदाय की गई। यद्यपि, नमूना जांच किए गए जिलों में शासकीय नर्सरियों के अदक्षतापूर्ण प्रदर्शन से वांछनीय मात्रा में पौध रोपण सामग्रीयों का उत्पादन नहीं हुआ, जिसकी चर्चा आगे कंडिकाओं में की गई हैः

शासकीय उद्यानों का प्रदर्शन

अच्छी गुणवत्ता के बीज और रोपण सामग्री का उत्पादन तथा वितरण एन एच एम का एक महत्वपूर्ण घटक हैं। उन्नत किस्म के उद्यानिकी फसलों के अन्तर्गत अतिरिक्त क्षेत्रों को लाने के लिए रोपण सामग्री की आवश्यकता की पूर्ति एवं पुराने तथा जीर्ण वृक्षारोपणों के जीर्णोधार कार्यक्रम हेतु निजी तथा शासकीय क्षेत्रों के अन्तर्गत नवीन नर्सरियों कि स्थापना के लिए सहायता प्रादन की जाती हैं।

एन एच एम दिशा निर्देशों के कण्डिका 8.6 के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत स्थापित मॉडल नर्सरी को 100 प्रतिशत सहायता की पात्रता थी जो कि अधिकतम प्रति इकाई ₹18 लाख (संशोधित राशि ₹ 25 लाख प्रति इकाई वर्ष 2010-2011 से प्रभावी) अधिकतम चार हेक्टेयर के लिए थी। स्थापित नर्सरियों को प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष एक लाख पौधों का उत्पादन करना था (प्रति हेक्टेयर 50,000 पौधे वर्ष 2010-11 से प्रभावी)।

11 एन एच एम जिलों के अभिलेखों के नमूना जाँच में पाया गया कि एन एच एम के अन्तर्गत मॉडल नर्सरी की पौध उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए वर्ष 2006-07 से 2011-12 के दौरान ₹ 6.41 करोड़ की राशि नर्सरियों को सहायता के रूप में प्रदान की गई जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 3.1.12** में हैं। तथापि हमने पाया कि कुछ नर्सरियों में बिजली कि अनुपलब्धता के कारण मिस्ट चेंम्बर, हार्डेनिंग यार्ड, पॉलीहाउसेस इत्यादि कार्यशील नहीं थे। कुल मिलाकर उत्पादन क्षमता में वृध्दि के बावजूद नर्सरियाँ न्यूनतम पौध उत्पादन नहीं कर पाईं जो कि निम्न तालिका में दर्शित है:

तालिका 15: वर्ष 2007-12 के दौरान नर्सरियों की उपयोगिता सामर्थ्य में कमी

जिले का नाम	मॉडल नर्सरी के अंतर्गत ली गयी नर्सरीयों की संख्या	अधोसंरचना पर व्यय	कुल पौध उत्पादन क्षमता	*वास्तविक पौध उत्पादन*	कमी (प्रतिशत)
बस्तर	07	65,45,291	92,00,000	4,09,804	**87,90,196 (*96*)**
बिलासपुर	10	84,02,737	1,30,00,000	21,49,689	**1,08,50,311 (*83*)**
दुर्ग	08	63,82,388	1,08,00,000	23,74,253	**84,25,747 (*78*)**
जशपुर	06	62,93,236	58,00,000	5,74,751	**52,25,249 (*90*)**
कबीरधाम	04	38,02,888	60,00,000	5,33,876	**54,66,124 (*91*)**
कोरबा	05	44,47,763	72,00,000	11,40,377	**60,59,623 (*84*)**
कोरिया	05	47,80,708	50,00,000	4,67,701	**45,32,299 (*91*)**
राजनांदगांव	04	33,61,601	50,00,000	6,13,086	**43,86,914 (*88*)**
रायगढ़	08	72,32,737	98,00,000	9,40,195	**88,59,805 (90)**
रायपुर	07	69,96,924	68,00,000	5,15,539	**62,84,461 (*92*)**
सरगुजा	06	58,84,174	74,00,000	6,76,321	**67,23,679 (*91*)**
योग	**70**	**6,41,30,447**	**8,60,00,000**	**1,03,95,592**	**7,56,04,408 (*88*)**

(स्रोतः विभाग द्वारा प्रदायित जानकारी और लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

प्रत्येक वर्ष चार/दो लाख पौधे उत्पादन क्षमता के विरूद्ध पौधे उत्पादन में कमी, दुर्ग में 78 प्रतिशत और बस्तर जिले में 96 प्रतिशत तक थी। कुल मिलाकर, समस्त एन एच एम जिलों में नर्सरियों की उपयोगिता में सामर्थ्य से 88 प्रतिशत की कमी थी। हमने यह भी पाया कि कुल नौ स्थापित ग्रीन हाउस, स्क्रीन हाउस, मिस्ट चेम्बर और हार्डनिंग चेम्बर में बिजली की अनुपलब्धता के कारण इन नर्सरियों में कार्यशील नहीं थे (कंडिका 3.1.6.4 (ख) में वर्णित) जिसके कारण कुल लागत ₹ 6.41 करोड़ से स्थापित क्षमता का उपयोग नही हुआ।

मॉडल नर्सरियों के अंतर्गत ₹ 6.41 करोड़ के लागत की अधोसंरचना अनुपयोगी रहना

इसे इंगित किये जाने पर (सितम्बर 2012), शासन द्वारा बताया (नवम्बर 2012) गया कि वर्ष 2006-07 से 2011-12 के दौरान नर्सरियों में पौधा उत्पादन की वृद्वी हुई जो कि मॉडल नर्सरियों की स्थापना से बढ़ी हुई उत्पादन क्षमता को इंगित करता है। तथापि, विभिन्न कारणों जैसे अंतर-विभागीय समन्वय में कमी के वजह से बिजली आपूर्ति में व्यवधान साथ ही साथ बिजली की अनुपलब्ध्ता थी, जिसे सचिव उर्जा विभाग से चर्चा हेतु लिया जा रहा है।

तथ्य यह है कि भले ही नर्सरी से पौधे उत्पादन मे वृद्धि हुई है, नर्सरी क्षमता का उपयोग संताषजनक नही था। निर्गम बैठक (20 फरवरी 2013) के दौरान, ए पी सी ने लेखापरीक्षा आपत्तियों पर सहमति व्यक्त की तथा बताया कि क्षमता से कम उपयोग के कारणों की जाँच की जावेगी तथा आगे बताया कि बिजली आपूर्ति कि कमी से अधिकतम क्षमता से कार्य नहीं कर रहे नर्सरियो में बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु उर्जा विभाग से विचार-विमर्श किया जायेगा।

(ञ) जल स्त्रोतों का सृजन

नलकूप खनन पर निष्फल व्यय ₹ 3.81 करोड़

एन एच एम दिशा निर्देशानुसार उद्यानिकी फसलो की जीवन-रक्षक सिंचाई सुनिश्चित करने के लिए सामुदायिक टैंकों, प्लास्टिक/रिइनफोर्सड सीमेंट कांक्रीट के साथ खेत वाले तालाब/जलाशयों को बनाने हेतु सहायता दी जायेगी। एन एच एम दिशा निर्देशों की कंडिका 8.17 के अनुसार प्रति 10 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए ₹ 10[21] लाख प्रति इकाई की सहायता समुदायिक आधार पर दी जानी थी। सृजित जल स्त्रोतो के रख-रखाव कि जिम्मेदारी कृषक समूह की थी। छत्तीसगढ़ शासन के सामुदायिक वाटर हार्वेस्टिंग ढांचों की जगह सामुदायिक नलकूप खनन के प्रस्ताव को भारत सरकार द्वारा (अगस्त 2008) स्वीकृत किया गया।

विद्युत कनेक्शन की उपलब्धता न होने के कारण नलकूप खनन एवं पम्पों पर निष्फल व्यय ₹ 3.81 करोड़

चयनित जिलों की नमूना जाँच में पाया गया कि वर्ष 2007-2012 की अवधि में नौ जिलों में 1747 सफल नलकूप खनन किये गये। इसमें से 688 खनित नलकूपों, जिसकी लागत ₹3.20 करोड़ थी में पंप स्थापित नही थे। आगे, यह भी देखा गया कि यद्यपि 70 नलकूपों में पंप स्थापित थे किन्तु विद्युत कनेक्शन उपलब्ध नहीं थे। ऐसे नलकूपों पर राशि ₹ 61[22] लाख (पंप की लागत सहित) की सहायता दी गई थी। पंप स्थापना एवं बिजली कनेक्शन की अनुपलब्धता से 758 नलकूपों पर ₹ 3.81 करोड

[21] ₹15 लाख 2010-11 से प्रभावी (संशोधित दिशा निर्देशों की कंडिका 8.20)

[22] नलकूप खनन पर व्यय ₹ 41,25,805 एव पंप स्थापना पर व्यय ₹ 19,62,676

(परिशिष्ट 3.1.13) का निष्फल व्यय हुआ।

हमने जब इसे इंगित किया (सितम्बर 2012) तो शासन द्वारा बताया गया (नवम्बर 2012) कि सामुदायिक नलकूप के अन्तर्गत किसान समूहों को सहायता प्रदान करने के पहले किसान समूहों के साथ एक अनुबंध किया जाता है कि वे उनमे विद्युतीकरण के लिए जिम्मेदार होगे। आगे यह भी कहा गया कि किसानों की खराब आर्थिक स्थिति के कारण विद्युतीकरण की व्यवस्था नही करायी जा सकी जिसके लिए विभिन्न विभागों द्वारा लागू अन्य योजनाओं के तहत बिजली की व्यवस्था हेतु दिशा निर्देश जारी किये गये हैं।

उत्तर से स्पष्ट है कि किसानों के लाभ के लिए नलकूप खनन के संचालन हेतु योजना, समन्वय एवं निगरानी गतिविधियों में कमी थी। विभाग द्वारा नलकूप खनन हेतु सहायता प्रदान करने के पूर्व स्थल पर बिजली कनेक्शन की उपलब्धता को सुनिश्चित नही किया गया जिसके परिणामस्वरूप नलकूपों के खनन पर राशि ₹ 3.91 करोड़ का व्यय निष्फल रहा। निर्गम बैठक (20 फरवरी 2013) के दौरान ए पी सी ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए बताया कि भविष्य में बिजली कनेक्शन की उपलब्धता के आंकलन के पश्चात ही नलकूप खनन किए जायेगें।

(ट) जैविक खेती

(i) एच डी पी ई[23] वर्मी वेड एव शेडनेट आपूर्ति पर राशि ₹ 9.31 करोड़ का निष्फल व्यय

उद्यानिकी में जैविक खेती तेजी से महत्वपूर्ण होता जा रहा है। जैविक उत्पादन का बुनियादी नियम है कि इसमें प्राकृतिक सामग्रियों (इनपुट) का उपयोग किया जाना है तथा संश्लेषित सामग्रियाँ पूर्णतः निषेधित हैं।

एन एच एम दिशा निर्देशों की कंडिका 8.29 के अनुसार, वर्मी खाद इकाईयों/जैविक उत्पादन इकाईयों हेतु सहायता, लागत राशि का 50 प्रतिशत की दर से देय होगी, जो प्रति हितग्राही अधिकतम ₹30,000 होगी। छोटी इकाईयों हेतु सहायता अनुपात के आधार पर दी जायेगी। एच डी पी ई वर्मी-वेड हेतु लागत ₹10,000/ प्रति वेड होगी।

वर्मी कल्चर प्रदाय नहीं किए जाने से वर्मी वेड एवं शेडनेट पर ₹ 9.31 करोड़ का निष्फल व्यय

टी एस जी की अनुशंसा (22 जुन 2006) के अनुसार वर्मी कम्पोस्ट इकाई की स्थापना के लिए सामग्री सहायता के रूप में एच डी पी ई टेट्रा पैक, शेडनेट एवं वर्मीकल्चर (केचुऐं) प्रदाय किया जाना था। प्रति इकाई सहायता रू 5,000/ तक सीमित थी।

चयनित एन एच एम जिलों के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान जैविक खेती के अंतर्गत वर्मी वेड, शेड नेट और वर्मी कल्चर हितग्राहियों को वितरित किये गये। तथापि, हमने पाया कि **परिशिष्ट 3.1.14** में विस्तृत प्रकरणों में, यद्यपि वर्मी वेड एवं शेडनेट हितग्राहियों को वितरित किए गए किन्तु वर्मी कल्चर की आपूर्ति नहीं की गई। विभाग ने भी वर्मी कम्पोस्ट इकाईयों को क्रियात्मक करने के लिए वर्मी कल्चर की बची हुई मात्रा की आपूर्ति के लिए कोई कार्यवाही शुरू नहीं की। वर्मी कल्चर के अभाव में वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन सम्भव नही था। इस तरह

[23] हाई डेनसिटी पॉली इथलीन

वर्ष 2007-08 से 2010-11 के दौरान ₹ 8.87 करोड़ के लागत की 28,843 वर्मी कम्पोस्ट इकाईयों और राशि ₹ 43.56 लाख की लागत का 1,23,061 वर्गमीटर शेड नेट वितरित किया गया जिसका उपयोग नहीं किया जा सका। परिणामतः वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन का वांछित उद्देश्य की पूर्ति नही हो सकी। इस प्रकार वर्ष 2007-08 से 2010-11 के दौरान क्रय किये गये वर्मी वेड ओर शेड-नेट पर समस्त व्यय ₹ 9.31 करोड़ सितम्बर 2012 तक निष्फल साबित हुआ।

अनुपयोगी वर्मी वेड को दर्शाता छायाचित्र



तोकापाल ब्लाक के ग्राम रनसर्गीपाल, बस्तर (29 जुलाई 2012) पोर्टेबल एच.डी.पी.ई वर्मी कम्पोस्ट इकाई में रेत भरी हुई।



ग्राम जोरातराई, जिला राजनांदगांव (16 मई 2012) अनुपयोगी पोर्टेबल एच.डी.पी.ई वर्मी कम्पोस्ट इकाई।

इंगित किये जाने पर (सितम्बर 2012), शासन द्वारा बताया गया (नवम्बर 2012) कि अक्रियाशील वर्मी-कम्पोस्ट इकाईयों को क्रियाशील बनाने हेतु एक प्रस्ताव बनाया जा रहा हैं।

वर्मी-कल्चर की आपूर्ति सुनिश्चित किये बिना एच डी पी ई वर्मी वेड की आपूर्ति करना वर्मी कम्पोस्ट इकाईयों के क्रियान्वयन में योजना और निगरानी की कमी को इंगित करता हैं परिणामस्वरूप ₹ 9.31 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

निर्गम बैठक (फरवरी 2013) के दौरान ए पी सी ने भी लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार करते हुए बताया कि योजना असफल होने के कारण इसके बाद उक्त योजना को बंद कर दिया हैं।

(ii) कम घनत्व के शेड-नेट (75 प्रतिशत) की खरीदी

एन एच एम के तहत गठित टी एस जी की बैठक (फरवरी 2009 एवं मई 2010) के कार्यवाही विवरण के अनुसार जैविक खेती के तहत किसानों के खेतों में वर्मी-कम्पोस्ट इकाईयों की स्थापना के लिए लाभार्थियों को सहायता के रूप में एच डी पी ई बेड, केचुऑ और हरें रंग की शेड-नेट (90 प्रतिशत घनत्व) प्रदान किये जाने थे।

11 एन एच एम जिलों के अभिलेखों की जाँच के दौरान हमने पाया कि वर्ष 2009-10 से 2011-12 के दौरान टी एस जी के सिफारिशों के विरूद्ध 90 प्रतिशत घनत्व के बजाय 75 प्रतिशत घनत्व के कुल 9,53,725 वर्ग मी शेड-नेट संचालनालय स्तर पर क्रय किये गये तथा आगे लाभार्थियों को वितरित करने के लिए क्षेत्रिय कार्यालयों को प्रदाय किये गये। छत्तीसगढ़ कृषि एवं राज्य बीज निगम (नोडल एजेन्सी) से क्रय किए गए कुल शेड-नेट (75 प्रतिशत) की लागत ₹ 2.98 करोड़ थी **(परिशिष्ट 3.1.15)** ।

इस तरह टी एस जी द्वारा सिफारिश किए गए 90 प्रतिशत घनत्व के बजाय 75 प्रतिशत घनत्व के शेड-नेट की खरीदी एवं वितरण अनियमित था और विभाग द्वारा शेड नेट की खरीदी पर ₹ 2.98 करोड़ का व्यय टी एस जी द्वारा निर्धारित मापदण्डो का उल्लंघन था।

इसे इंगित किये जाने पर (सितम्बर 2012) शासन द्वारा बताया गया (नवम्बर 2012) कि पूर्व मे विनिर्दिष्ट शेड-नेट के उपयोग के उपरान्त क्षेत्र स्तर पर अनुभव किया गया कि आंशिक छाया केचुओ को सक्रिय रखने के लिए आवश्यक थी। जिला अधिकारियों के व्यवहारिक अनुभवों और माँग के आधार पर 75 प्रतिशत शेड-नेट की आपूर्ति की गई। यह भी बताया गया कि 75 प्रतिशत शेड-नेट के उपयोग से बेहतर परिणाम प्राप्त हो रहे है।

शासन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि शेड-नेट का क्रय टी एस जी सिफारिशों के अनुरूप नहीं किया गया जिसका की गठन विशेष रूप से तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु किया गया था। इस प्रकार खरीदी पर व्यय अनियमित था।

निर्गम बैठक (फरवरी 2013) के दौरान ए पी सी ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा कि सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर लेखापरीक्षा को सूचित किया जावेगा।

(ड) उद्यानिकी मशीनीकरण

पॉवर स्प्रेयरों का अविवेकपूर्ण क्रय

एन एच एम दिशा निर्देशों में उद्यानिकी मशीनीकरण के तहत (एन एच एम 2010 में संशोधित दिशा निर्देश के कंडिका 8.53) विद्युत चलित मशीनों और औजारों सहित विद्युत आरी तथा पौध संरक्षण उपकरण के लिए सहायता प्रदान करना था। बागवानी मशीनीकरण हेतु सहायता ऐसे उत्पादक संघों, किसान समूह, स्वसहायता समूहों, कम से कम 10 सदस्यों वाली महिला किसान समूहों को जो बागवानी फसलों की खेती मे कार्यरत हो एवं जिला मिशन समिति द्वारा मान्यता/पंजीकृत हों, बशर्ते मशीनों तथा उपकरणों की लागत के शेष 50 प्रतिशत उनके द्वारा वहन किया जाए।

नमूना जांच किए गए जिलों के अभिलेखों के जांच में पाया गया कि डी एच एफ एफ द्वारा नवीन प्रौद्योगिकी के अंतर्गत 6815 पावर स्प्रेयर के लिए क्रय आदेश (मार्च 2008) बीज निगम को जारी किया गया। क्रय आदेश को बाद में (अप्रैल 2008) निरस्त कर दिया गया था। क्रय आदेश निरस्त करने का कारण विभाग से अपेक्षित है यद्यपि लेखापरीक्षा द्वारा जानकारी चाही गई थी (जनवरी 2013)। तथापि आपूर्ति आदेश के निरस्तीकरण जारी होने के पूर्व बीज निगम द्वारा सरगुजा एवं दुर्ग में क्रमशः 650 और 800 पावर स्प्रेयर की आपूर्ति (मार्च 2008) की जा चुकी थी। डी एच एफ एफ/ मिशन संचालक, एस एच एम, के निर्देशों (अगस्त 2008) के अनुसार आपूर्ति किये गये पावर स्प्रेयरों का वितरण वर्ष 2006-07 और 2007-08 में सरगुजा, दुर्ग, कबीरधाम, कोरबा, जगदलपुर, बिलासपुर और रायगढ़ में सामुदायिक नलकूप योजना के तहत सृजित किसान समूहों को किये जाने थे और इस राशि को क्षेत्र विस्तार के घटक में उपलब्ध

निधि से समायोजित किया जायेगा जिसके लिए एन एच एम के तहत किसानों को सहायता प्रदान की जाती हैं। 1450 पॉवर स्प्रेयर कि कुल लागत ₹ 66.99 लाख[24] थी।

आगे हमने पाया कि पॉवर सप्रेयरों का वितरण सात जिलों में, जहाँ आपूर्ति की गई थी, असामान्य थी। वितरण की स्थिति का विवरण नीचे दिया गया हैं:

तालिका 16: पावर स्प्रेयर के वितरण की स्थिति दर्शाता तालिका

जिला	प्रदाय मात्रा	वितरित मात्रा	निष्क्रिय मात्रा	अवितरित पावर स्प्रेयरों का मूल्य (₹)
बस्तर	150	42	108	4,98,960
बिलासपुर	200	40	160	7,39,200
दुर्ग	75	75	0	0
कबीरधाम	75	0	75	3,46,500
कोरबा	100	100	0	0
रायगढ़	200	200	0	0
सरगुजा	650	0	650	30,03,000
योग	**1,450**	**457**	**993**	**45,87,660**

(स्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी तथा लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

तालिका से स्पष्ट हैं कि पावर स्प्रेयर का क्रय बिना किसी योजना के प्रारंभ किया गया। क्रय आदेश के निरस्त किये जाने से इस तथ्य की पुष्टि होती है। पावर स्प्रेयर का वितरण भी सामान्य नहीं था, जैसे कि कुछ जिलो में आपुर्ति की सम्पूर्ण मात्रा वितरित की गई तथा कुछ जिलो मे वितरण आंशिक या शुन्य था। इस तरह पावर स्प्रेयर का सम्पूर्ण क्रय विवेकहीन तथा अनावश्यक था। इसके अलावा वितरण नही किये जाने के कारण 993 पावर स्प्रेयर जिनकी लागत ₹ 45.88 लाख थी मार्च 2008 से आज तक (फरवरी 2013) निष्क्रिय पड़े थे।

हमारे द्वारा इसे इंगित करने के बाद (सितम्बर 2012) शासन ने बताया (नवम्बर 2012) कि पावर स्प्रेयर का क्रय जिलों से प्राप्त मांग के आधार पर की गई थी। पौध संरक्षण उपकरण के तहत पावर स्प्रेयरो को किसान समूहो को वितरित किये जाने थे। आगे यह भी बताया गया कि कुछ डी एच ओ ने किसान समूहो को पावर स्प्रेयर वितरित किये थे।

शासन ने अवितरित पावर स्प्रेयर के संबंध में कोई जवाब नहीं दिया। पावर स्प्रेयर की खरीदी बिना किसी योजना के की गई जिसे कि क्रय आदेश को बाद में निरस्त किया गया और पूर्व में ही आपूर्ति की गई पावर स्प्रेयरों को आज तक (फरवरी 2013) लक्षित लाभार्थियों को पूरी तरह से वितरित नहीं किया गया। आगे, पौध संरक्षण उपकरण के तहत पावर स्प्रेयरों की लागत को समायोजित करने का फैसला बाद का विचार था क्योंकि इस संबंध में निर्देश आपूर्ति आदेश के निरस्त होने के उपरान्त जारी किया गया था।

निर्गम बैठक (फरवरी 2013) के दौरान तथ्यों को स्वीकार करते हुए ए पी सी ने कहा कि मामले की आगे जाँच की जाएगी तथा लेखापरीक्षा को सुचित किया जाएगा।

[24] ₹ 4620 प्रति पावर स्प्रेयर की दर से

(ढ) एकीकृत कटाई-पश्च प्रबंधन तथा बाजार अधोसंरचना के सृजन के लक्ष्यों की उपलब्धि न होना

एन एच एम दिशा निर्देशों की कंडिका 8.54 के अनुसार कटाई पश्च प्रबंधन (पी एच एम) में पैकेजिंग, ग्रेडिंग, परिवहन, उपचार एवं पकाना और भण्डारण शामिल होता हैं। ये सुविधायें उद्यानिकी उत्पादकों के बेचने की योग्यता में वृद्धि करने, उत्पादन का मूल्यवर्धन, लाभप्रदत्ता में वृध्दि करने तथा हानियों को कम करने के लिए आवश्यक हैं।

इसी तरह, एन एच एम दिशा निर्देशों की कंडिका 8.61 के अनुसार बाजार अधोसंरचना का सृजन के अंतर्गत बागवनी उत्पादो के विपणन अधोसंरचना के विकास में निजी तथा सहकारी क्षेत्रो से निवेश को प्रेरित करने, विद्यमान उद्यानिकी बाजारों को सुदृढ़ करना इत्यादि, जिससे कि बेहतर मूल्य प्राप्त करने हेतु कृषकों को सक्षम बनाने, और किसानो, उपभोक्ताओ, उद्यमियो तथा बाजार पदाधिकारियों में बाजार संबंधी कृषि प्रथाओं के संबंध में जागरूकता लाने के उद्देश्य से अनुदान दिया जाता है।

संचालनालय तथा एन एच एम जिलों के अभिलेखो के जाँच में प्रकट हुआ कि वर्ष 2007-12 की अवधि के दौरान विभाग ने कटाई-पश्च क्रिया कलापो के 12 में से सात घटकों में ₹ 33.25 करोड़ का प्रावधान किया। विभिन्न घटकों के संबंध में लक्ष्य के विरूध्द भौतिक उपलब्धि शुन्य से 17 प्रतिशत तक रही। जाँच में आगे, पाया गया कि विभाग ने बाजार अधोसंरचना गतिविधियों के आठ घटको में से चार के लिए ₹ 22.20 करोड़ का प्रावधान किया। इन घटको के तहत लक्ष्यों के विरूद्ध भौतिक उपलब्धि शून्य से 40 प्रतिशत के बीच रहा।

यद्यपि प्रावधान किया गया था और निधि उपलब्ध थी, परन्तु भौतिक लक्ष्य प्राप्त न होने से पी एच एम के तहत ₹ 16.62 करोड़ (लगभग 50 प्रतिशत) **(परिशिष्ट 3.1.16)** तथा बाजार अधोसंरचना सृजन के तहत ₹ 9.68 करोड़ (लगभग 44 प्रतिशत) **(परिशिष्ट 3.1.17)** निधि का उपयोग नहीं हुआ। पी एच एम के तहत लक्ष्य के पूर्ति न होने के कारण जैसा कि एस एल एस सी की बैठक (अक्टुबर 2010) के दौरान विश्लेषण किया गया, किसानो/व्यवसायियों में सहायता राशि परियोजना लागत के केवल 40 प्रतिशत तक सीमित होने के कारण रूची में कमी रहा, इसी प्रकार बाजार अधोसंरचना के संबंध में किसानों/व्यवसायियों में रूची में कमी के कारण परियोजना प्रस्ताव जिलो से प्राप्त नहीं हुए।

यह इंगित करता हैं कि क्षेत्र स्तर की आवश्यकताओ के आकलन किये बिना वार्षिक कार्य योजना (ए पी पी) में भौतिक तथा वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किये गये जिससे किसान उत्पादो के मूल्य वृद्धि तंत्र और उनके उद्यानिकी उत्पादों के बेहतर मूल्य प्राप्ति हेतु विपणन अघोसंरचना के विकास में समर्थन की कमी साबित हुई।

इसे इंगित किए जाने पर (सितम्बर 2012) शासन द्वारा बताया गया (नवम्बर 2012) कि वर्ष 2007-08 तक उद्यानिकी उपज राज्य स्तर पर ही वितरित किया जाता था। तथापि, बाद के वर्षो में पी एच एम के तहत अधोसंरचना निर्माण के लिए निजी उद्यमियों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए व्यापक प्रचार किया गया था। जिसके फलस्वरूप सात

शीत भण्डार गृह, 275 पैक हाउस, 570 शून्य उर्जाशीत कक्ष साथ ही साथ दो थोक बाजारों की स्थापना आज तक (नवम्बर 2012) राज्य में हुई।

शासन ने आगे बताया (नवम्बर 2012) कि दो थोक बाजार बिलासपुर में तथा रायपुर में स्थापित किये जा चुके हैं जबकि ग्राम हाट के संबंध में जिलों से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। निजी क्षेत्र मे एक रिटेल आउटलेट की स्थापना के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है।

निर्गम बैठक (फरवरी 2013) के दौरान ए पी सी ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा कहा कि लक्ष्यों की पूर्ति और निधियों के उपयोग हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

3.1.9.2 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत् विभिन्न योजनाओं जैसे, नये उद्यानों का स्थापना, सामुदायिक ऑर्किड विकास, संकर बीज उत्पादन, सब्जी क्षेत्र विस्तार, मसाला उत्पादन, फूल क्षेत्र विस्तार, पुराने उद्यानों का उन्नयन एवं आधुनिकीकरण, संरक्षित खेती आदि का क्रियान्वयन करता है।

चयनित जिलों के वर्ष 2007-12 के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि वर्ष 2007-08 एवं 2009-10 से 2011-12 के दौरान उद्यानिकी फसलों[25] के क्षेत्र विस्तार के लक्ष्य के विरूद्ध शतप्रतिशत उपलब्धि प्राप्त हुई। तथापि, वर्ष 2008-09 में क्षेत्र विस्तार हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया एवं इसके विरूद्ध कोई उपलब्धि भी प्राप्त नहीं हुई।

तालिका 17: आर के वि वाई के अंतर्गत क्षेत्र विस्तार हेतु लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ

(क्षेत्रफल हेक्टेयर में)

फसल	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
फल	1932	1932	-	-	-	-	5000	5000	500	500
सब्जी	1003	1003	-	-	3135	3135	28000	28000	17014	17014
मसाले	2135	2135	-	-	2460	2460	8000	8000	2156	2156
सुगंधित एवं औषधीय पौधे	—	—	--	—	400	400	400	400	250	250
फूल	—	—	--	—	131	131	1050	1050	1000	1000

(स्रोतः जानकारी विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित है)

इसके अलावा, वर्ष 2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान आर के वि वाई के अंतर्गत प्राप्त बजट एवं व्यय का विवरण निम्नानुसार है:

[25] फल, सब्जी, मसाले, फूलों, सुगंधित एवं औषधीय फसल

तालिका 18 : बजट प्रावधान एवं व्यय को दर्शाने वाला तालिका

(राशि लाख में)

वर्ष	बजट		व्यय
	प्रावधान	विमुक्त	
2007-08	1043.00	1043.00	1043.00
2008-09	2368.86	2017.07	2017.07
2009-10	5187.41	2527.74	2527.74
2010-11	9472.37	9472.37	9472.37
2011-12	11000.0	4237.67	4227.57
योग	**29071.64**	**19297.85**	**19287.75**

(स्रोतः जानकारी विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित है)

तालिका से यह प्रदर्शित है कि भारत शासन द्वारा अवधि 2007-12 के दौरान राशि ₹ 290.72 करोड़ के कुल प्रावधान के विरूद्ध प्रावधानित राशि के केवल 66 प्रतिशत की राशि ₹192.98 करोड़ ही जारी की गई। तथापि वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान लगभग संपूर्ण आबंटित राशि का उपयोग कर लिया गया।

(क) शासकीय बीज प्रगुणन फॉर्म, बाना, रायपुर का प्रदर्शन

शासकीय बीज प्रगुणन फॉर्म, बाना में 70 लाख पादप प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता का एक प्लग टाईप उत्पादन इकाई ₹ 5 करोड़ लागत से स्थापित की गई (मार्च 2010)।

सहायक संचालक उद्यान, बाना के अभिलेखों के जांच में देखा गया कि हालांकि इकाई मार्च 2010 में स्थापित कर दी गई थी किन्तु विद्युतीकरण की समस्या के कारण पादपों का उत्पादन माह अप्रेल 2011 से प्रारंभ किया गया। आगे यह भी देखा गया कि प्रतिवर्ष 70 लाख पादपों के उत्पादन क्षमता के विरूद्ध माह मई 2012 (13 माह) तक केवल 49.23 लाख पादपों **(परिशिष्ट 3.1.18)** का ही उत्पादन किया गया । इस तरह वास्तविक मासिक पादप उत्पादन क्षमता 5,83,333[26] के विरूद्ध औसत मासिक पादप उत्पादन 3,78,703[27] था ।

विद्युतीकरण के अनुपलब्धता के कारण प्लग प्रकार के इकाई की स्थापना के एक वर्ष बाद उत्पादन का प्रारंभ होना कार्ययोजना के अभाव को दर्शाता है।

इसे इंगित किये जाने पर (सितम्बर 2012) शासन द्वारा बताया गया (नवम्बर 2012) कि प्रारंभ में स्थापित मिस्ट चेंबर एवं हाईनिंग चेम्बर पादप उत्पादन इकाई की क्षमता के अनुपात में नहीं था तथापि वर्तमान में आर के वि वाई के माध्यम से एक नये मिस्ट चेम्बर का निर्माण किया जा रहा है, भविष्य में पूर्ण इकाई अपनी पूरी क्षमता से कार्य करेगी।

निर्गम बैठक (फरवरी 2013) के दौरान ए पी सी द्वारा बताया गया कि अतिरिक्त मिस्ट चेम्बर के निर्माण उपरांत इकाई द्वारा पूरी क्षमता से कार्य किया जावेगा। यह भी बताया गया कि उक्त इकाई एक श्रेष्ठ केन्द्र के रूप में कार्य कर रहा है एवं इसके कार्य की

[26] 7000000 पादप प्रतिवर्ष के अनुसार औसत 583333 पादप प्रतिमाह।

[27] 4923135 पादपों का उत्पादन 13 माह में ।

समीक्षा अन्य राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा की जा रही है।

(ख) संकर बीज उत्पादन पर राशि ₹ 25 लाख का निष्फल व्यय

संकर बीज उत्पादन कार्यक्रम के लिये सहायक संचालक उद्यान, बीज प्रगुणन फॉर्म बाना, रायपुर (एस एम एफ) एवं मेसर्स निर्मल सीड प्राइवेट लिमिटेड के बीच एक समझौते के ज्ञापन (एम ओ यू) पर हस्ताक्षर किये गए (जून 2011) जहाँ, सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पी पी पी) के तहत कार्यक्रम के निष्पादन हेतु सहायक संचालक उद्यान को क्रियान्वयन एवं निधि प्रदाय एजेंसी के रूप में नामित किया गया। सहायक संचालक उद्यान सिंचाई सुविधाओं, ग्रीन/पॉली हाऊस, शेड नेट, कृषि उपकरण, खाद, उर्वरक, कुशल और अकुशल मजदूरों को उपलब्ध कराने के अतिरिक्त अन्य संवर्द्धन लागत प्रदान करने के लिये जिम्मेदार थे! एजेंसी की यह भी जिम्मेदारी थी कि वह मूल संकर बीजों को प्रदाय करे, संकर बीज उत्पादन हेतु तकनीकी मार्गदर्शन दे एवं पूर्व निर्धारित नीति के तहत संवर्द्धन उपरांत बीजों को क्रय करे। समझौता ज्ञापन की वैधता वित्तीय वर्ष 2011-12 में योजना के समाप्त होने तक थी। संकर बीज उत्पादन हेतु वर्ष 2010-11 के दौरान आर के वि वाई के तहत ₹ 25 लाख की राशि स्वीकृत की गई थी।

सहायक संचालक उद्यान, बीज प्रगुणन फॉर्म बाना, रायपुर के अभिलेखों के जांच में पाया गया कि एजेंसी द्वारा समझौता ज्ञापन के तहत निम्नानुसार बीज उत्पादन कार्यक्रम का आयोजन किया जाना था:

स. क्रं.	पौध का नाम	क्षेत्र हेक्टेयर में
1	संकर भिंडी	2.00
2	संकर मिर्च	0.50
3	संकर बैंगन	0.50
4	संकर करेला	1.50
5	संकर शिमला मिर्च	0.50
	योग	**5.00**

तथापि, हमने यह देखा कि एजेंसी द्वारा बीजों की वास्तविक बुवाई माह जूलाई-सितम्बर 2011 के दौरान की गयी अर्थात् उपयुक्त अवधि माह मई-जून (जैसा कि विभागीय दिशानिर्देशों में निर्धारित है) के बाद, जिसके लिये सहायक संचालक उद्यान,बाना द्वारा भी इस मुद्दे पर संबंधित एजेंसी से संपर्क कर (अगस्त 2011) बीज की बुवाई का कार्यक्रम समझौता ज्ञापन के अनुसार कराने हेतु स्मरण कराया गया। सहायक संचालक उद्यान, बाना द्वारा संकर बीजों के उत्पादन की लागत के रूप में ₹ 25 लाख का व्यय कुशल/अकुशल मजदूर, ईंधन, स्क्रीन हाउस एवं अन्य खर्चों के रूप में किया गया।

तथापि, संकर बीजों के संवर्धन हेतू कुल बीजों की बुआई के विरूद्ध माह फरवरी 2012 तक निम्नानुसार मात्रा में संकर बीजों का उत्पादन किया गया:

तालिका 19: हाइब्रीड बीजों के वास्तविक उत्पादन को दर्शाती तालिका

1 हेक्टेयर=2.41 एकड़ उत्पादन क्विंटल में

संकर बीज का प्रकार	उत्पादन क्षेत्र (हेक्टेयर)	प्रस्तावित औसत उत्पादन (क्विंटल/हेक्टेयर)	प्रस्तावित कुल उत्पादन	वास्तविक उत्पादन (प्रतिशत)	उत्पादन में कमी (क्विंटल)
भिंडी	2.00	18.075	36.15	0.165 (0.46)	35.985
मिर्च	0.50	3.615	1.8075	उत्पादन नहीं	1.8075
बैंगन	0.50	10.845	5.4225	0.32 (6)	5.1025
करेला	1.50	13.255	19.8825	0.483 (2)	19.3995
शिमला मिर्च	0.50	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उत्पादन नहीं	--

(स्रोतः जानकारी विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई तथा लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

वांछित उपज की पूर्ति न होने से संकर बीज उत्पादन पर ₹ 25 लाख का निष्फल व्यय

उपरोक्त तालिका इंगित करता है कि प्रस्तावित उपज के विरूद्ध वास्तविक उपज अत्यंत कम था तथा उपज प्रतिशत शून्य से छः के बीच रहा। समझौता ज्ञापन के अनुसार उत्पादित संकर बीजों को एजेंसी द्वारा आवश्यक रूप से क्रय किया जाना था, तथापि, लेखापरीक्षा दिनांक (फरवरी 2013) तक एजेंसी द्वारा उपरोक्त कार्य नहीं किया गया था।

इससे यह स्पष्ट है कि सार्वजनिक-निजी भागीदारी के अंतर्गत पूरा संकर बीज उत्पादन कार्यक्रम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल रहा एवं सहायक संचालक उद्यान द्वारा किया गया ₹ 25 लाख का व्यय निष्फल रहा।

निर्गम बैठक (फरवरी 2013), में ए पी सी ने तथ्यों को स्वीकारते हुए बताया कि संकर बीज उत्पादन कार्यक्रम पहली बार लिया गया था। संकर बीजों का वांछित उत्पादन, अनुभव की कमी एवं तकनीकी विशेषज्ञता की कमी के कारण प्राप्त नहीं किया जा सका। तथापि, पी पी पी के अनुबंध में दिये शर्तों के अनुसार उत्पादित बीजों के मूल्य की वसूली एजेंसी से करने के निर्देश जारी किये गए हैं।

शासन का उत्तर यह इंगित करता है कि, सब्जी संकर बीज उत्पादन कार्यक्रम को लिये जाने में कार्ययोजना एवं विशेषज्ञता का अभाव था जिसके फलस्वरूप निष्फल व्यय हुआ।

(ग) बाना स्थित प्लग टाईप के पादप उत्पादन इकाई में प्लग टाईप के प्लास्टिक ट्रे का अनुचित क्रय लागत ₹ 48.80 लाख तथा खरीदी पर ₹ 43.68 लाख का अतिरिक्त व्यय

वानस्पतिक प्रवर्धन के माध्यम से सब्जी पादप (सीडलिंग) उत्पादन हेतु डी एच एफ एफ द्वारा "नेरामेक[28]" को बाना में प्लग प्रकार के सब्जी पादप उत्पादन इकाई की स्थापना हेतु क्रय आदेश जारी किया गया (नवम्बर 2009)। क्रय आदेश प्लग टाईप के पादप उत्पादन इकाई के उपयोग हेतु ₹ 3.98 प्रति ट्रे मूल्य के 75,000 प्लग टाईप के प्लास्टिक ट्रे के साथ-साथ प्लास्टिक ट्रे की पैकिंग के लिये ₹ 8.98 प्रति बॉक्स की दर से बराबर मात्रा में नालीदार कागज (कोरूगेटेड) बॉक्स की आपूर्ति शामिल थी। प्रत्येक प्लग टाईप प्लास्टिक ट्रे की क्षमता 99 पादप थी।

उप संचालक उद्यान, बाना के अभिलेखों की समीक्षा में पाया गया कि अप्रैल 2011 (परिचालन दिनांक) से मई 2012 के दौरान प्लग टाईप के पादप उत्पादन इकाई में कुल

[28] नोर्थ ईस्टर्न रीजिनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कार्पेशन लिमिटेड

49,23,135 पादप उत्पादित हुए, जो इंगित करता है कि लगभग 49,729[29] ट्रे ही उत्पादन में उपयोग हो पाये। इस प्रकार 75,000 ट्रे में से 25,271 ट्रे संवर्धन स्थान में अप्रयुक्त पड़े रहे। प्लग टाईप के पादप उत्पादन इकाई की वार्षिक उत्पादन क्षमता 70,00,000 पादप है।

तथापि यह देखा गया कि 25,271 ट्रे उपलब्ध होने के बावजूद भी, विभाग द्वारा ₹ 48.80 लाख की लागत से 1,15,303 प्लग टाईप के प्लास्टिक ट्रे (99 कैविटी वाली) का अतिरिक्त क्रय किया गया (फरवरी 2011)। प्लग प्रकार उत्पादन इकाई से उपलब्ध प्लास्टिक ट्रे की इकाई लागत दर ₹ 4.47 (3.98 + 12.5 प्रतिशत वेट) थी, जबकि अतिरिक्त प्लास्टिक ट्रे ₹ 42.75 एवं ₹ 39.75 प्रति ट्रे की दर से खरीदे गए। इस प्रकार 1,15,303 प्लग टाईप के प्लास्टिक ट्रे की अतिरिक्त खरीदी न केवल अनियमित थी बल्कि इसके परिणाम स्वरूप ₹ 43.68 लाख[30] की राशि का अधिक व्यय भी हुआ।



बीज प्रजनन प्रक्षेत्र, बाना में रखे प्लग टाईप के प्लास्टिक ट्रे का ढेर (2 जून 2012)

इसे इंगित किये जाने (सितम्बर 2012) पर, शासन द्वारा बताया गया कि आर के वि वाई के अंतर्गत ₹ 1.69 की स्वीकृति एस एल एस सी द्वारा प्लग टाईप पादप उत्पादन इकाई के भविष्य के विस्तार को देखते हुए दी गई थी तथा भविष्य के विस्तार को ध्यान में रखते हुए ही प्लास्टिक ट्रे की खरीदी सरकारी संस्थान से की गई थी।

शासन का उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि, संग्रह किये गए कुल ट्रे, प्लग टाईप पादप उत्पादन इकाई के उत्पादन क्षमता के अनुसार लगभग दो वर्षों[31] के लिये पर्याप्त थे। इस प्रकार, तत्काल आवश्यकता से अधिक प्लग टाईप ट्रे की खरीदी वर्तमान वित्तीय नियमों का उल्लंघन है। प्लास्टिक ट्रे की खरीदी पर हुए अधिक व्यय पर शासन द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया।

निर्गम बैठक (फरवरी 2013) में तथ्यों को स्वीकारते हुए ए पी सी ने बताया कि उच्च कीमत पर अधिक खरीदी के कारणों का पता लगाने हेतु जाँच की जावेगी।

29 4923135 पादप ÷ 99 = 49729 ट्रे

30 42.75 - 4.47 = 38.28 X 100000 = 38,28,000 एवं 39.75 - 4.47 = 35.28 X 15303 = 5,39,889
कुल अतिरिक्त लागत = 38,28,000 + 5,39,889 = 43,67,889

31 प्लग टाईप के इकाई की कुल पादप उत्पादन क्षमता = 7000000 वार्षिक अर्थात् 70707 ट्रे उपयोग होंगे। इस तरह 140574 ट्रे 140574/70707 = 1.98 वर्ष में उपयोग किये जा पायेंगे।

3.1.9.3 पेरी अरबन क्षेत्रों में सब्जी उत्पादन योजना

पेरी अरबन क्षेत्रों में सब्जी उत्पादन प्रारंभ करने की योजना के अतंर्गत ₹ 10.19 करोड़ का निष्फल व्यय।

एफ पी ओ के सृजन एवं विपणन समूहों से गठबंधन के बिना सब्जी उत्पादनों पर किया गया व्यय ₹ 10.19 करोड़ निष्फल रहा

"पेरी अरबन क्षेत्रों में सब्जी उत्पादन" का कार्यक्रम आर के वि वाई का एक उप-योजना है जिसका क्रियान्वयन वर्ष 2011-12 में चिन्हित शहर में सब्जी की पूर्ति हेतु परियोजना का विकास करना है। कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु, संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी द्वारा परिप्रेक्ष्य/कार्यनीति योजना तैयार किया जाना था जो चिन्हित शहर को सब्जी की वर्तमान आपूर्ति का आंकलन एवं आपूर्ति में हो रही बाधाओं की पहचान तथा उत्पादन एवं आपूर्ति की संभावना हेतु आधारभूत सर्वेक्षण पर आधारित होगी। इसके लिए उत्पादक कृषकों को संघ/समूह के रूप में संगठित करना, विपणन हेतु एग्रीगेटर्स (संग्राहकों) का चयन करना एवं कृषक समूहों/संघों के साथ समन्वय स्थापित किया जाना था।

इस योजना को विकसित करने के लिये प्रथम वर्ष में रायपुर शहर को चिन्हित किया गया जिसके लिए आसपास आठ जिले- महासमुन्द, धमतरी, दुर्ग, कबीरधाम, बिलासपुर, रायपुर, राजनांदगांव एवं कांकेर में सब्जी उत्पादकों के श्रंखला का विकास किया जाना था। डी एच एफ एफ द्वारा बेस लाइन सर्वेक्षण हेतु एक एजेंसी एवं किसान उत्पादन संगठनों (एफ पी ओ) के सृजन हेतु स्माल फार्मस एग्रोबिसनस कंसोर्टियम (एस एफ ए सी) के माध्यम से दो निजी एजेंसियों को कार्य सौपा गया।

आठ में से सात[32] जिलों के अभिलेखों की जाँच (जुलाई 2012) में पाया गया कि वर्ष 2011-12 में सब्जी उत्पादन हेतु 5,760 हेक्टेयर भौतिक लक्ष्य एवं ₹ 7.20 करोड़ के वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त किया गया। तथापि, जिन ऐजेंसियों द्वारा किसान संगठनों की संस्थापना की जानी थी, आठ में से छः[33] जिलों में उनके द्वारा ना तो कोई सर्वेक्षण कार्य किया गया एवं ना ही एफ पी ओ सृजन संबंधी कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया और अन्य दो जिलों के संबंध में विपणन संग्राहकों से गठबंधन का कोई विवरण भी प्रस्तुत नहीं किया।

तथापि, डी एच ओ ने सर्वेक्षण कार्य, किसान संघों अथवा उनके एफ पी ओ की संस्थापना एवं एजेंसियों द्वारा विपणन समूहों का चयन का कार्य पूर्ण कराए बिना, पौध एवं आदान सामग्रियों का वितरण कर निम्नलिखित अनुसार व्यय किया गयाः

मद	व्यय (₹ लाख में)
सब्जी बीज उत्पादन	104.00
सब्जी खेती	720.00
संरक्षित खेती	60.35
आई एन एम/आई पी एम का प्रोत्साहन	10.00
जैविक खेती	114.00
कृषकों का प्रशिक्षण	10.50
योग	**1,018.85**

[32] बिलासपुर, धमतरी, दुर्ग, कबीरधाम, कांकेर, रायपुर और राजनांदगांव

[33] बिलासपुर, दुर्ग, कबीरधाम, कांकेर, रायपुर और राजनांदगांव

एफ पी ओ के तैयार होने के बाद विपणन समूहों के साथ गठबंधन इस तरह सुनिश्चित किया जाना था कि किसानों द्वारा उत्पाद चिन्हित शहर पर पहुँचे जिससे कि सब्जी की मांग की पूर्ति हो सके। एफ पी ओ, विपणन समूहों से गठबंधन एवं कृषक बाजारों की स्थापना इत्यादि के बिना यह सुनिश्चित किया जाना संभव नहीं था कि योजना के तहत उत्पादित सब्जी अपने निर्धारित गंतव्य तक पहुँची है। इस तरह योजना का मुख्य उद्देश्य विफल रहा एवं व्यय की गई राशि निष्फल रही।

निर्गम बैठक (फरवरी 2013) में ए पी सी ने बताया गया कि दो में से एक एजेंसी द्वारा एफ पी ओ सृजन एवं बाजार चयन हेतु आवंटित कार्य पूर्ण नहीं करने के फलस्वरूप योजना के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकी।

3.1.9.4 राज्य प्रवर्तित योजनाएँ

कृषकों को अपने सीमित भूमि से अधिक आमदनी सुनिश्चित करने एवं आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु राज्य सरकार द्वारा फल, सब्जी एवं मसाले वाली फसलों की खेती हेतु विभिन्न योजनाओं जैसे कि फल विकास, सब्जी विकास, केला विकास कार्यक्रम, फूल विकास योजना आदि को राज्य में क्रियान्वित किया जा रहा है।

2007-12 की अवधि में, राज्य पोषित योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न उद्यानिकी फसलों का लक्ष्य एवं पूर्ति निम्न प्रकार रहीः

तालिका 20: राज्य योजना के अंतर्गत लक्ष्य एवं पूर्ति

फसल का प्रकार	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12		योग		उपलब्धि प्रतिशत में
	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	
फल	1600	1596	2208	2115	2208	2254	2574	2610	3046	3017	11636	11592	99.62
सब्जी	3820	3682	4953	4935	5853	5476	10900	10554	13047	12864	38573	37511	97
मसाले	4300	4300	4900	4920	5600	5245	11000	11000	13200	13200	39000	38665	99
औषधि एवं सुगंधित फल	175	100	415	307	500	445	700	687	850	850	2640	2389	90
फूल	14	14	15	16	16	11	27	27	33	33	105	101	96

(स्रोतः जानकारी विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित है)

उपरोक्त से स्पष्ट है कि 2007-08 से 2011-12 की अवधि में सभी उद्यानिकी फसलों के क्षेत्र विस्तार के संबंध में, निर्धारित अधिकतर लक्ष्यों की पूर्ति की गई।

(अ) राज्य पोषित योजना के अन्तर्गत आम के पौधरोपण हेतु हितग्राहियों को की गई सहायता राशि ₹ 54.55 लाख का निष्फल व्यय

राज्य पोषित योजना फल रोपण हेतु "फल पौधरोपण योजना" के दिशा निर्देश के अनुसार कृषकों को फल रोपण हेतु सहायता देय है। आम के रोपण के लिये कुल सहायता ₹10,938 प्रति हेक्टेयर (पूर्ण लागत का 25 प्रतिशत) हितग्राही को पाँच सालों में दिया जाना है जो कि अनुवर्ती वर्षों के 80 प्रतिशत पौधों के जीवित रहने पर ही देय होगा।

डी एफ ओ बस्तर, बिलासपुर और रायपुर के अभिलेखों में हमने पाया कि वर्ष 2007-08 से 2010-11 तक कुल 1547 हेक्टेयर आम क्षेत्र विस्तार के अन्तर्गत लिया गया था। तथापि, आम के पौधों की अत्यधिक मृत्यु दर के कारण, प्रथम एवं कुछ प्रकरणों में द्वितीय या तृतीय किश्तों के बाद सहायता जारी नहीं किया गया। अतः आम के पौधों की

अत्यधिक मृत्यु दर होने के कारण, योजना के अन्तर्गत किया गया व्यय ₹ 54.55 लाख **(परिशिष्ट 3.1.19)** क्षेत्र विस्तार के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा सकी जिससे पूर्ण व्यय निष्फल रहा।

निर्गम बैठक (फरवरी 2013) में ए पी सी द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार्य करते हुये बताया कि बाद की वर्षों की सहायता इसलिये नहीं प्रदाय किया गया क्योंकि आगामी सहायता देने हेतु पौधों में जरूरी जीवितता प्रतिशत नहीं थी। शासन ने अत्यधिक मृत्यु दर का कारण किसानों द्वारा उपयुक्त देखभाल नहीं करना बताया।

3.1.10 निष्कर्ष

उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग की स्थापना परम्परागत कृषि, उच्च गुणवत्ता वाले बीजों एवं पौध सामग्री के वितरण, अद्यतन तकनीक अपनाने, किसानों को प्रशिक्षण देने आदि के स्थान पर किसानों को उद्यानिकी अपनाने के लिए प्रेरित कर उद्यानिकी को प्रोत्साहित करने तथा केन्द्र एवं राज्य की योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए की गई थी। यद्यपि राष्ट्रीय बागवानी मिशन के क्रियान्वयन के लिए वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक की अवधि के लिए रणनीतिक योजना तैयार की गई थी किन्तु राज्य बागवानी मिशन ने वर्ष 2005-06 से 2009-10 तक की अवधि के लिए इस तरह की कोई योजना तैयार नहीं की थी। विभाग विभिन्न स्तरों पर जनशक्ति की कमी से जूझ रहा था जिसके कारण योजना क्रियाकलापों पर निरीक्षण निष्प्रभावी रहा। आंतरिक नियंत्रण तंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक, आंतरिक लेखापरीक्षा अनुपस्थित थी। औषधिय तथा सुगंधित पौधों एवं फूलों के अतिरिक्त अन्य उद्यानिकी फसलों के संबंध में क्षेत्र विस्तार के लक्ष्य की उपलब्धियाँ अच्छी रही थीं। उचित विभागीय निरीक्षण के अभाव में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत उद्यानिकी फसलों की मृत्यु दर अत्यधिक रही। विभागीय प्राधिकारियों के द्वारा नियमों/विनियमों/निर्देशों का पालन न किये जाने के परिणाम स्वरूप मसालों एवं गैर-बारहमासी फलों की कृषि पर अनियमित व्यय, निधियों का प्रत्यावर्तन, अस्थायी अग्रिमों का समायोजन न होना तथा सिम्पल रिसीप्ट देयकों के माध्यम से आवश्यकता से अधिक आहरण के मामले हुए।

हमने पाया कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत निधियों का उपयोग न हो सका एवं सृजित परिसम्पत्तियों के संचालन के लिए परिसंरचनाओं की अनुपलब्धता के कारण निष्फल व्यय रहा तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत हमने प्लग टाईप प्लास्टिक ट्रे का अनावश्यक क्रय, संकर बीज उत्पादन एवं पेरी अरबन एरियाज में वेजिटेबल इनेशिएटिव पर निष्फल व्यय पाया। राज्य पोषित योजनाओं के संबंध में हमने पाया कि पौधों के उच्च मृत्यु दर के कारण आम उत्पादन के लिए लाभान्वितों को दिया गया अनुदान निष्फल रहा था।

3.1.11 अनुसंशाएं

विभाग के लिए हम अनुसंशा करते हैं कि

- *विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के सुगम क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त जनशक्ति का विनियोजन सुनिश्चित करें।*
- *उद्यानिकी उत्पादन के मूल्यांकन के लिए विश्वसनीय एवं वास्तविक आंकड़ों के एकत्रिकरण हेतु तंत्र को सुदृढ़ बनाए।*
- *नर्सरियों के पौध उत्पादन क्षमता की उपलब्धियों को सुनिश्चित करने हेतु कदम उठावें।*
- *कृषक उत्पादों के मूल्यवर्धन को सुनिश्चित करने तथा उत्पाद के विपणन हेतु समुचित परिसंरचना का निर्माण किये जाने के लिए कटाई पश्च प्रबंधन को सुदृढ़ करें।*

3.2 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

कार्यपालिक सारांश

राज्य की शहरी/ग्रामीण जनसंख्या को सुरक्षित पेयजल सुविधा पहुँचाने हेतु विभिन्न जल संसाधनों का अनुश्रवण एवं प्रबंधन तथा जल आपूर्ति, स्वच्छता, भूजल संवर्धन/जल संरक्षण एवं पर्यावरण के सुधार के उद्देश्य हेतु विभिन्न केंद्र एवं राज्य योजनाओं का क्रियान्वयन एवं संधारण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का उत्तरदायित्व है।

विभाग की महत्वपूर्ण गतिविधियों में मितव्ययिता, दक्षता एवं प्रभावशीलता की जांच हेतु अवधि 2007-12 के लिए विभाग की मुख्य नियंत्रण अधिकारी आधारित लेखा परीक्षा की गयी। प्रमुख लेखा परीक्षा आपत्तियों की नीचे चर्चा की गई है:

- विस्तृत बसाहट सर्वेक्षण नही किया गया।

 डेटाबेस को अद्यतन करने के लिए विस्तृत बसाहट सर्वेक्षण किया जाना चाहिए।

 (कंडिका 3.2.6.1[ब])

- मुख्य पदों में कमी 29 से 50 प्रतिशत के मध्य रही।

 विभाग की गतिविधियों के अनुश्रवण के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए।

 (कंडिका 3.2.6.2)

- आवधिक आंतरिक लेखा परीक्षा हेतु कोई आंतरिक लेखा परीक्षा शाखा नहीं थी। *आंतरिक जाँच सुनिश्चित करने हेतु आंतरिक लेखा परीक्षा शाखा का गठन किया जाना चाहिए।*

 (कंडिका 3.2.6.4[अ])

- निधि के अनुपयोगी रहने के कारण 14 से 21 प्रतिशत निरन्तर बचत रही।

 वास्तविक बजट अनुमान बजटीय और वित्तीय नियंत्रण के माध्यन से तैयार किया जाना चाहिए।

 (कंडिका 3.2.7.1[अ] [i])

- ₹ 133.39 करोड़ का व्यय करने के बाद भी परियोजनाएं एवं योजनाएं अपूर्ण रहीं।

 निर्धारित समयावधि में परियोजनाओं को पूर्ण करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

 (कंडिका 3.2.8.2 [अ])

- संयुक्त अनुसूची दर एवं अनुंबध के प्रावधानों का पालन न किये जाने के कारण ठेकेदारों को ₹ 12.99 करोड़ का अनुचित लाभ हुआ।

 संयुक्त अनुसूची दर एवं अनुबंध के प्रावधानों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।

 (कंडिका 3.2.8.2 [ब] एवं [द])

- राज्य एवं उपसम्भागीय स्तर पर प्रयोगशालाओं की स्थापना नही की गयी थी तथा जल स्त्रोतों की गुणवत्ता जाँच में कमी थी।

 राज्य एवं उपसम्भागीय स्तर पर प्रयोगशालाओं की स्थापना की जानी चाहिए तथा सभी जल स्त्रोंतों का नियमित रूप से अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

 (कंडिका 3.2.8.4 [अ] एवं [ब])

- अवितरित फील्ड टेस्ट किट एवं रीएजेन्ट कालातीत हो जाने से ₹ 23.21 लाख का निरर्थक व्यय हुआ।

 फील्ड टेस्ट किट एवं रीएजेन्ट का उपयोग कालातीत होने के पूर्व किया जाना चाहिए।

 (कंडिका 3.2.8.4[ई])

- ₹ 2.77 करोड़ राशि का अत्यधिक भण्डार क्रय किया गया।

 भण्डार की आवश्यकता के आकलन के पश्चात क्रय किया जानी चाहिए।

 (कंडिका 3.2.8.5 [ब] एवं 3.2.8.6 [ब])

3.2.1 प्रस्तावना

राज्य की शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या को सुरक्षित पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु जल स्त्रोतों के निरीक्षण तथा प्रबंधन के लिए छत्तीसगढ़ शासन की लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (पी एच ई डी) प्रमुख संस्था है। भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जल आपूर्ति, स्वच्छता, भूजल संवर्धन/जल के सरंक्षण एवं पर्यावरण के सुधार हेतु प्रदाय की गयी निधि से विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन तथा अनुरक्षण विभाग को सौंपा गया है।

2011 की जनगणना के अनुसार भारत और छत्तीसगढ़ में पेयजल सुविधाओं की उपलब्धता की स्थिति निम्नानुसार है:

तालिका 1:भारत एवं छत्तीसगढ़ में परिवारों को उपलब्ध पेयजल सुविधा का विवरण

(संख्या करोड़ में)

श्रेणी	भारत		छत्तीसगढ़	
	जनसंख्या	प्रतिशत	जनसंख्या	प्रतिशत
परिवारों की कुल संख्या	24.67	-	0.56	-
परिसर में पेयजल सुविधा वाले परिवारों की संख्या	11.49	46.57	0.11	19.64
परिसर के समीप पेयजल सुविधा वाले परिवारों की संख्या	8.84	35.83	0.31	55.36
परिसर से दूर पेयजल सुविधा वाले परिवारों की संख्या	4.33	17.55	0.15	26.79

(स्रोतः रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना कमिश्नर, भारत की वेबसाइट)

उपरोक्त तालिका से दर्शित है कि छत्तीसगढ़ में परिसर में पेयजल सुविधा वालें परिवारों का प्रतिशत राष्ट्रीय स्तर से अत्यन्त नीचे था। यद्यपि पेयजल सुविधा परिसर के समीप/दूर वाले परिवारों का प्रतिशत राष्ट्रीय प्रतिशत से ऊपर था ।

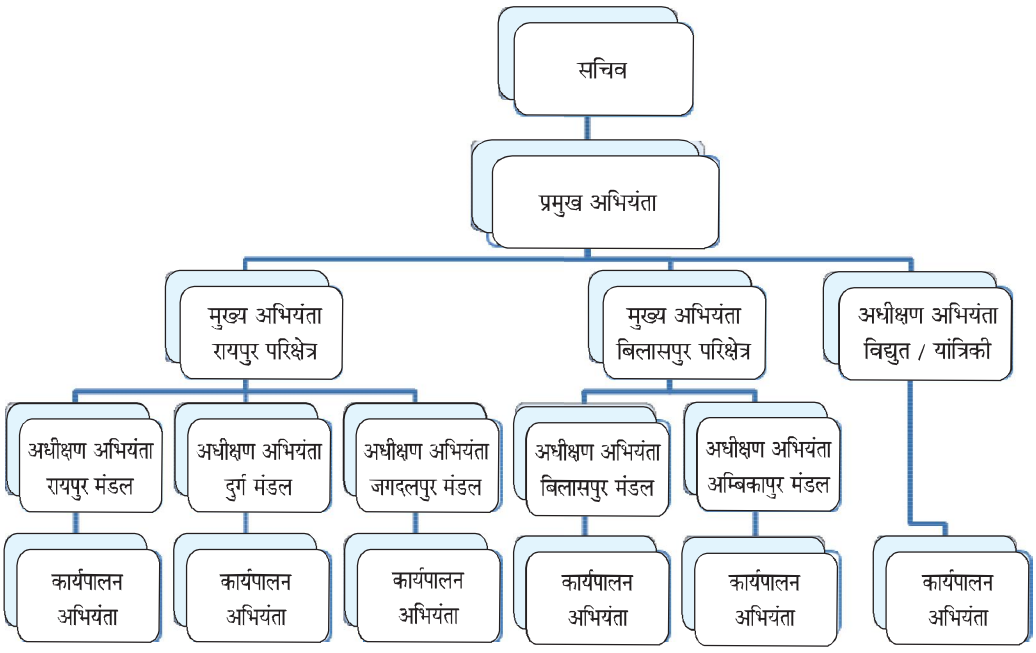
पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, छत्तीसगढ़ चार योजनाएं जैसे, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन आर डी डब्लू पी), शहरी जल आपूर्ति योजना, ग्रामीण जल आपूर्ति योजना (आर डब्लू एस एस) तथा सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान (टी एस सी) का क्रियान्वयन कर रहा है।

3.2.2 अधिशासन एवं विभाग की संगठनात्मक संरचना

पीएचई विभाग, सरकार की प्रमुख एजेंसी है तथा राज्य में जल आपूर्ति एवं स्वच्छता परियोजनाओं को तैयार करने एवं निष्पादन स्वयं के द्वारा अथवा स्थानीय संस्था द्वारा इन परियोजनाओं का संधारण तथा कमान क्षेत्र विकास के लिए दिये कार्य हेतु उत्तरदायी है।

सचिव, पीएचई विभाग के प्रमुख हैं जबकी प्रमुख अभियन्ता (ई एन सी) विभाग के प्रशासनिक प्रमुख हैं। विभाग के दो परिक्षेत्र, छः मंडल, 22 सिविल खण्ड एवं पाँच यांत्रिकी खण्ड है। प्रमुख अभियंता को सहायता देने के लिए परिक्षेत्र स्तर पर दो मुख्य अभियंता (सी ई), मंडल स्तर पर छः अधीक्षण अभियंता (एस ई), खंड स्तर पर 27 कार्यपालन अभियंता (ई ई)हैं । विभाग की संगठनात्मक संरचना को नीचे दर्शाया गया है:

चार्ट 1: पी एच ई विभाग की संगठनात्मक संरचना



3.2.3 लेखा परीक्षा के उद्देश्य

लेखा परीक्षा का उद्देश्य यह मूल्यांकन करना था कि:

- योजना उचित और पर्याप्त थी;
- पर्याप्त मानव शक्ति उपलब्ध थी;
- आंतरिक लेखा परीक्षा थी तथा अनुश्रवण प्रभावी था;
- वित्तीय प्रबंधन कुशल व प्रभावी था;
- कार्यक्रम प्रबंधन कुशल, प्रभावी व मितव्ययी था, एवं
- भंडार प्रबंधन कुशल व प्रभावी था।

3.2.4 लेखा परीक्षा मापदण्ड

पीएचई विभाग के मुख्य नियंत्रण अधिकारी (सी सी ओ) आधारित लेखा परीक्षा में अपनाए गये लेखा परीक्षा मापदंडों के स्त्रोत निम्नानुसार थे:

- निर्माण विभाग मैन्युअल (1983)।
- वार्षिक कार्ययोजना।
- भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यक्रम दिशानिर्देश व प्रशासनिक आदेश।
- छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता (2000)।
- अनूसूची दर (2002)।

3.2.5 लेखा परीक्षा के कार्यक्षेत्र व कार्यप्रणाली

मुख्य नियंत्रण अधिकारी (सी सी ओ) आधारित लेखा परीक्षा करने हेतु 16 में से नौ[1] जिलों का चयन किया गया था। इसके अतिरिक्त प्रमुख अभियंता कार्यालय, मुख्य अभियंता कार्यालय (दोनों रायपुर एवं बिलासपुर परिक्षेत्र) तथा अधीक्षण अभियंता (प्रत्येक रायपुर एवं बिलासपुर मंडल से) को सम्मिलित किया गया। आवृत अवधि 2007-08 से 2011-12 पाँच साल तक थी। लेखा परीक्षा अप्रैल 2012 से जुलाई 2012 तक की गयी। पीएचई विभाग के सी सी ओ आधारित लेखा परीक्षा में योजना, वित्तीय प्रबंधन, कार्यक्रम प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन एवं आंतरिक नियंत्रण आदि विभिन्न पहलुओं को सम्मिलित किया गया था। सचिव, पीएचई विभाग के साथ एक आगम बैठक (21 मई 2012) की गई जिसमें लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली, उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र पर चर्चा की गयी थी। सचिव, पीएचई विभाग के साथ निर्गम बैठक (21 फरवरी 2013) की गयी एवं विभागीय अधिकारियों के विचारों को सम्बन्धित टिप्पणियों में सम्मलित किया गया।

3.2.6 संस्थागत कमियाँ

एक संगठन के मुख्य क्षेत्रों की गतिविधियों की आंतरिक प्रक्रियाओं एवं नियंत्रण की सुदृढ़ता एवं योग्यता सुनिश्चित करने के लिए सुदृढ़ अधोसंरचना, पर्याप्त मानव शक्ति एवं समुचित निधियां होनी चाहिए जो संगठन को प्रबंधित एवं उद्देश्यों को मितव्ययिता,

[1] अम्बिकापुर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, जांजगीर-चांपा, कवर्धा, कोरिया, महासमुन्द, रायपुर

कुशलता एवं प्रभावकारी ढ़ंग से प्राप्त करने में मददगार होता है। लेखा परीक्षा के दौरान पाई गई कमजोरियों के बारे में आगे कण्डिकाओं में चर्चा की गई है।

3.2.6.1 योजना

एन आर डी डब्लू पी दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को पीने, खाना पकाने एवं अन्य बुनियादी घरेलू आवश्यकतों हेतु स्थायी आधार पर पर्याप्त जल प्रदान किया जाना चाहिए । योजना से सम्बंधित अभिलेखों की जाँच में पाया गया की विलेज एक्शन प्लान (वी ए पी), डिस्ट्रिक्ट वाटर सिक्योरिटी प्लान (डी डब्लू एस पी) तैयार नही किये गये थे तथा पर्याप्त सर्वेक्षण नही किया था जिसकी चर्चा निम्नानुसार है:

(अ) योजना में कमियाँ

एन आर डी डब्लू पी दिशानिर्देशानुसार (2009-12) पेयजल सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु जनसांख्यिकीय, भौतिक सुविधाएं, जल स्त्रोत एवं ग्राम के अन्य विवरण जैसे आधारभूत पेयजल संरचना एंव जल स्त्रोतों की उपलब्धता तथा वर्तमान आधारभूत पेयजल संरचना एवं जल स्त्रोतों के आवर्धन के प्रस्तावित कार्य को सम्मिलित करते हुए विलेज एक्शन प्लान (वी ए पी) तैयार किया जाना चाहिए था। जिलों के सभी वी ए पी के आधार पर सम्बन्धित ई ई द्वारा डिस्ट्रिक्टवाटर सिक्योरिटी प्लान (डी डब्लू एस पी) तैयार किया जाना था। आगे, दिशानिर्देशों में दिया गया है कि राज्यों को प्रत्येक वर्ष योजना बनाते समय वर्तमान में संचालित योजनाओं एवं नवीन योजनाओं के साथ-साथ वे योजनाएं जिनमें आवर्धन की आवश्यकता है, उन्हें बसाहटों जिन्हें योजनांतर्गत सम्मिलित किया जाना है, से जोड़कर प्रस्तावित किया जाना चाहिए।

नमूना जाँच जिलों के अभिलेखों की समीक्षा में हमने पाया कि वर्ष 2009-12 की अवधि के लिये कोई वी ए पी तैयार नहीं किए गये थे जबकि वर्ष 2009-12 अवधि के लिए एन आर डी डब्लू पी के लिए ए ए पी तैयार किया गया था।

वी ए पी एवं डी डब्लू एस पी के अभाव में ए ए पी में जो भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किये गये थे वे प्राप्त नही किए जा सके जिनकी चर्चा आगामी कण्डिकाओं में की गई है तथा लक्षित व्यक्तियों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने का उद्देश्य केवल आंशिक रूप से प्राप्त किया जा सका।

निर्गम बैठक में लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए शासन ने बताया (फरवरी 2013) कि वी ए पी में सतही जल व भूजल स्त्रोतों की उपलब्धता को सम्मलित किया जाना था जो कि एक कठिन कार्य है एवं जिसमें उच्च लागत शामिल होगी। यद्यपि यूनिसेफ के सहयोग से राजनांदगांव के 10 ग्रामों में सर्वेक्षण किया गया है।

तथ्य यथावत है कि ग्राम स्तर की मांग का आकलन किये बिना राज्य स्तरीय ए ए पी के लिए उचित आकलन नही किया जा सक्ता है।

(ब) विस्तृत बसाहट सर्वेक्षण नही किया जाना

एन आर डी डब्लू पी दिशानिर्देशानुसार (2009) पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, भारत सरकार की वेबसाइट[2] पर केन्द्रीय डेटाबेस में प्रविष्ट की गयी बसाहटों की सूची को राज्यों द्वारा पुनः सत्यापित करते हुए विस्तार की स्थिति, कवर या नहीं कवर की गयी बसाहटों को दर्शाते हुए किया जाना था। यदि कवर नही किया गया है, जल गुणवता अथवा जल की मात्रा के रूप में विशिष्ट कारण दर्शाया जाना चाहिए। मार्च 2009 तक इस प्रक्रिया को पूरा किया जाना आवश्यक था।

विस्तृत बसाहट सर्वेक्षण 2003 से नहीं किया गया था।

लेखा परीक्षा के दौरान हमने देखा कि वर्ष 2003 में विभाग द्वारा विस्तृत बसाहट सर्वेक्षण कराया गया था। सर्वे के अनुसार राज्य में 5021 जल गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में से 4932 बसाहट (98.20 प्रतिशत) आयरन प्रभावित थीं, जबकि फ्लोराईड, आर्सेनिक, हार्डनेस प्रभावित बसाहटे 17(0.34 प्रतिशत), 11(0.22 प्रतिशत), 61(1.22 प्रतिशत) थीं। यद्यपि, विस्तृत बसाहट सर्वेक्षण वर्ष 2003 से नही किया गया था। विस्तृत बसाहट सर्वेक्षण के अभाव में, जल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति, डीफीकल्ट एवं वाटर स्ट्रेस एरीया, डार्क एवं ग्रे एरीया, योजना की आवश्यकता हेतु, विभाग द्वारा चिन्हित नही किये गये एवं ए ए पी का भाग नही बन सके।

निर्गम बैठक में शासन ने बताया (फरवरी 2013) कि विस्तृत बसाहट सर्वेक्षण हेतु कई अन्य विभागों की सहभागिता की आवश्यकता है जो कि एक कठिन कार्य है। आगे कहा गया कि सर्वेक्षण प्रत्येक दस वर्ष में किया जाता है एवं अगले सर्वेक्षण हेतु भारत सरकार से निर्देश अपेक्षित है।

तथ्य यथावत है कि विस्तृत बसाहट सर्वेक्षण न करने के कारण जल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति, डीफीकल्ट एवं वाटर स्ट्रेस एरीया डार्क एवं ग्रे एरीया, जिनकी ए ए पी में आवश्यकता थी, का भाग न बन सके।

3.2.6.2 मानव संसाधन प्रबंधन

कर्मचारियों की अपर्याप्त संख्या होना

मुख्य पदों में कमी 29 से 47 प्रतिशत के मध्य थी।

विभाग को प्रभावी ढंग से कार्य करने, योजनाओं के क्रियान्वयन एवं गतिविधियों के अनुश्रवण हेतु पर्याप्त मानव संसाधन की आवश्यक होती है।

विभाग में मार्च 2012 में कर्मचारियों को स्वीकृत संस्था, पदों पर पदस्थापना की स्थिति निम्न प्रकार थी।

[2] www.ddws.nic.in

तालिका 2: 31 मार्च 2012 को मानव शक्ति की स्थिति

क्र.स.	पदनाम	स्वीकृत संख्या	पदों पर पदस्थापना	कमी	कमी प्रतिशत
1	मुख्य अभियंता	4	2	2	50
2	अधीक्षण अभियंता	11	12	--	--
3	कार्यपालन अभियंता	42	27	15	36
4	सहायक अभियंता	146	94	42	29
5	उपयंत्री	476	334	142	30
6	मानचित्रकार/सहायक मानचित्रकार	92	49	43	47
7	वरिष्ठ/लिपिक/वरिष्ठ/कनिष्ठ सहायक एवं अन्य	307	159	148	48

(स्रोतः विभाग द्वारा प्रस्तुत किये गये अभिलेखों से संकलित)

उपरोक्त तालिका से ये स्पष्ट है कि सहायक अभियंता/उप अभियंता/मानचित्राकार एवं सहायक मानचित्रकार आदि मुख्य पदों में रिक्तता अधिक थी, जो 29 से 47 प्रतिशत रही ।

निर्गम बैठक में शासन ने बताया (2013 फरवरी) कि रिक्त पदों पर भर्ती के लिये कदम उठाये जा रहे हैं।

3.2.6.3 अनुश्रवण

वाटर क्वालिटी मानिटरिंग एण्ड सर्विलेंस का अनुश्रवण

डब्लू क्यू एम एण्ड एस के अंतर्गत अनुश्रवण अपर्याप्त था।

पेयजल आपूर्ति विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी (2008) वाटर क्वालिटी मानिटरिंग एण्ड सर्विलेंस (डब्लू क्यू एम एण्ड एस) के दिशानिर्देशानुसार डब्लू क्यू एम एण्ड एस के प्रभावी क्रियान्वन हेतु डिस्ट्रीक्ट वाटर एण्ड सेनिटेशन मिशन (डी डब्लू एस एम) एवं स्टेट वाटर एण्ड सेनिटेशन मिशन (एस डब्लू एस एम) द्वारा स्थल निरीक्षण क्रमशः कम से कम तिमाही व छःमाही में एक बार किया जाना था ।

नमूना जाँच जिलों में पिछले पाँच वर्षो में डी डब्लू एस एम एवं एस डब्लू एस एम द्वारा की गयी यात्राओं का विवरण नीचे है:

तालिका 3: डी डब्लू एस एम एवं एस डब्लू एस एम द्वारा की जानी वाली तथा की गयी समीक्षाओं का विवरण

क्र. सं.	जिले का नाम	वर्ष 2007-12 के दौरान उपरोक्त निर्देशानुसार डी डब्लू एस एम द्वारा की जाने वाली समीक्षाओं का लक्ष्य	वर्ष 2007-12 के दौरान डी डब्लू एस एम द्वारा की गई समीक्षाओं की संख्या	वर्ष 2007-12 के दौरान उपरोक्त निर्देशानुसार डी डब्लू एस एम द्वारा की जाने वाली समीक्षाओं का लक्ष्य	वर्ष 2007-12 के दौरान डी डब्लू एस एम द्वारा की गई समीक्षाओं की संख्या
1	अम्बिकापुर	20	0	10	0
2	बिलासपुर	20	0	10	0
3	दंतेवाड़ा	20	0	10	0
4	धमतरी	20	0	10	0
5	जांजगीर-चांपा	20	0	10	0
6	कवर्धा	20	6	10	0
7	कोरिया	20	0	10	0
8	महासमुंद	20	0	10	0
9	रायपुर	20	0	10	0

(स्रोतःविभाग द्वारा प्रस्तुत किये गये अभिलेखों से संकलित)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि नमूना जाँच जिलों में, कवर्धा जहाँ 20 समीक्षाओं के लक्ष्य के विरूद्ध छह समीक्षायें की गयी, को छोड़कर डी डब्लू एस एम द्वारा कोई समीक्षा नहीं की गयी थी । एस डब्लू एस एम द्वारा कोई समीक्षा नही की गई थी ।

यह दर्शाता है कि डब्लू क्यू एम एण्ड एस का अनुश्रवण अत्यधिक अपर्याप्त था।

निर्गम बैठक में शासन ने बताया (फरवरी 2013) कि डब्लू क्यू एम एण्ड एस के अनुश्रवण हेतु आवश्यक दिशानिर्देश जारी किये जायेंगे।

3.2.6.4 आंतरिक नियंत्रण

संगठन में नियम एवं प्रक्रिया के अनुपालन के स्तर को ज्ञात करने एवं मूल्यांकन करने हेतु विभाग के आंतरिक नियंत्रण में आंतरिक लेखा परीक्षा, उच्च अधिकारियों द्वारा निरीक्षण इत्यादि सम्मिलित हैं। अभिलेखों की जाँच में निम्नानुसार पाया गयाः

(अ) आंतरिक लेखा परीक्षा

विभाग में आंतरिक लेखा परीक्षा शाखा नहीं थी।

जाँच में पाया गया है कि विभाग कि अपनी खुद की आंतरिक लेखा परीक्षा शाखा नहीं थी एवं पिछले पांच वर्ष में किसी भी जांच किये गये सम्भागों में लेखा परीक्षा नहीं की गयी थी।

निर्गम बैठक में शासन ने बताया (फरवरी 2013) कि वित्तीय वर्ष के अंत तक कार्यालय की लेखा परीक्षा के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की पदस्थापना कर तथा एक आंतरिक लेखा परीक्षा शाखा के गठन के लिए कदम उठाए जायेंगे।

(ब) उच्च अधिकारियों द्वारा निरीक्षण

हमने पाया कि पिछले पाँच वर्षों में उच्च अधिकारी जैसे प्रमुख अभियंता, मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता द्वारा सम्भागों को निरीक्षण नहीं किया गया था। सम्भागों में उच्च अधिकारियों द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान की गयी यात्राओं का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 4: उच्च अधिकारियों द्वारा जिलों का निरीक्षण

क्र.सं.	सम्भाग का नाम	प्रमुख अभियंता द्वारा की गई यात्रायें	मुख्य अभियंता द्वारा की गई यात्रायें	अधीक्षण अभियंता द्वारा की गई यात्रायें
1	अम्बिकापुर	0	0	0
2	बिलासपुर	0	0	0
3	दंतेवाड़ा	0	0	3
4	धमतरी	0	0	2
5	जांजगीर-चांपा	0	0	1
6	कवर्धा	0	1	1
7	कोरिया	0	0	0
8	महासमुंद	0	0	0
9	रायपुर	0	0	0

(स्रोत: विभाग द्वारा प्रस्तुत किये गये अभिलेखों से संकलित)

उपरोक्त में, यह देखा गया कि जांच किये गये सम्भागों को प्रमुख अभियंता द्वारा निरीक्षण नही किया गया था । यद्यपि, कवर्धा सम्भाग की मुख्य अभियंता द्वारा एक बार

एवं दंतेवाड़ा सम्भाग की तीन बार, धमतरी सम्भाग की दो बार, जांजगीर चांपा, कवर्धा सम्भागों की एक बार यात्रा पिछले पांच वर्षों में की गयी थी।

निर्गम बैठक के दौरान शासन द्वारा कोई उत्तर नही दिया गया।

3.2.7 अनुपालन मुद्दे

ठोस वित्तीय प्रबंधन एवं नियंत्रण के लिए, यह आवश्यक है कि व्यय न केवल वित्तीय नियमों एवं नियमन को सदृश्य करता हो बल्कि योग्य अधिकारी द्वारा जारी आदेशों के सामंजस्य में होना चाहिए। इससे वित्तीय अनियमितताओं, दुर्विनियोजन एवं धोखाधड़ी को रोकने के अलावा उत्तम वित्तीय अनुशासन कायम रखने में भी सहायता होती है। नियमों एवं नियमनों के अनुपालन नहीं होने के कुछ लेखापरीक्षा आक्षेप के बारे में आगे कण्डिकाओं में चर्चा की गई है:

3.2.7.1 वित्तीय प्रबंधन और बजटीय नियंत्रण

भारत सरकार व राज्य सरकार, विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाओं हेतु निधि उपलब्ध कराते है। केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं हेतु भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा निधि साझा किया जाता है, राज्य योजनाओं हेतु निधि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाती है। सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने, स्वच्छता इत्यादि हेतु अनेक केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं एवं राज्य योजनाओं की निधि व्यवस्था निम्न तालिका में दी गयी है:

तालिका 5: केन्द्र प्रवर्तित एवं राज्य योजनाओं हेतु निधि व्यवस्था

स. क्रं.	योजना का नाम	घटक	निधि व्यवस्था
केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ			
1.	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन आर डी डब्लू पी)	कवरेज, वाटर क्वालिटी, संचालन एवं संधारण	50:50 भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा
		सस्टेनेबिलिटी	100 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा
2.	सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान (टी एस सी)	बी पी एल/ विकलांग परिवार हेतु अतिरिक्त शौचालय	60:20:20 क्रमशः भारत सरकार, राज्य सरकार एवं हितग्राही द्वारा
		ए पी एल हेतु व्यक्तिगत शौचालय	100 प्रतिशत हितग्राही द्वारा
		स्कूल एवं आंगनवाड़ी स्वच्छता	70:30 भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा
राज्य प्रवर्तित योजनाएं			
3.	ग्रामीण जल प्रदाय योजनाएं	एन आर डी डब्लू पी के अंतर्गत सम्मिलित नही की गई नल जल योजनाएं	100 *प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा*
		एन आर डी डब्लू पी के अंतर्गत सम्मिलित नही की गई स्थल जल योजनाएं	100 *प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा*
		नलकूप खनन	100 *प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा*
		संचालन एवं संधारण	100 *प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा*
4.	शहरी जल प्रदाय योजनाएं	-	70:30 प्रतिशत राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय द्वारा ऋण

(स्रोत: भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश)

पीएचई विभाग के प्रारम्भिक प्राक्कलन एवं इसको दिये गये अनुदान या विनियोग के विरूद्ध किये गये व्यय पर नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है । हमें बजट आवंटन व उसकी उपयोगिता की जाँच में कमियाँ ज्ञात हुई जैसे कि निरंतर बचत, अनुपयुक्त प्रवधान तथा धनादेश एवं प्रेषणों का मिलान न किया जाना इत्यादि जैसा कि नीचे चर्चा की गयी है :

(अ) बजटीय प्रबंधन

(i) भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा विभाग को पिछले पाँच वर्षों में उपलब्ध कराये गये वित्तीय प्रावधान निम्न है:

तालिका 6: वर्षवार आवंटन एवं व्यय

(₹ राशि करोड़ में)

वर्ष	भारत सरकार			राज्य सरकार			कुल		
	आवंटन	व्यय	बचत (प्रतिशत)	आवंटन	बचत (प्रतिशत)	आवंटन	आवंटन	व्यय	बचत (प्रतिशत)
2007-08	111.71	107.29	4.42 (3.95)	342.03	279.84	62.19 (18.18)	453.74	387.13	66.61 (14.68)
2008-09	148.58	123.18	25.40 (17.09)	380.58	329.76	50.82 (13.35)	529.16	452.94	76.22 (14.40)
2009-10	223.98	104.74	119.24 (53.23)	275.51	240.06	35.45 (12.87)	499.49	344.80	154.69 (30.97)
2010-11	128.70	100.45	28.25 (21.94)	284.11	238.71	45.40 (15.98)	412.81	339.16	73.65 (17.84)
2011-12	130.23	123.98	6.25 (4.80)	244.44	175.36	69.08 (28.25)	374.67	299.34	75.33 (20.11)
योग	**743.20**	**559.64**	**183.56**	**1526.67**	**1263.73**	**262.94**	**2269.87**	**1823.37**	**446.50**

(स्रोतः विभाग द्वारा प्रस्तुत किये गये अभिलेखों से संकलित)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि 2007-08 से 2011-12 अवधि के दौरान भारत एवं राज्य सरकार द्वारा पीएचई विभाग को ₹ 2269.87 करोड़ का आवंटन किया गया। इसके विरूद्ध ₹ 1823.37 करोड़ का व्यय किया गया था। जैसा कि हमारे द्वारा विश्लेषण किया गया कि ₹ 446.50 करोड़ की बचत मुख्यतः शहरी/ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं का अधूरा रहना, वाटर क्वालिटी व सस्टेनेबिलिटी के अर्न्तगत व्यय न होना तथा टी एस सी के अर्न्तगत लक्ष्यों का प्राप्त न होना, कारणों से हुई । योजनावार निधि आबंटन एवं व्यय का विवरण **परिशिष्ट 3.2.1** एवं **3.2.2** में दिया गया है।

निर्गम बैठक में शासन ने बताया (फरवरी 2013) कि बचत का मुख्य कारण शासन द्वारा योजना /नवीन मदों की स्वीकृति में देरी था। आगे यह बताया गया कि आगामी वर्षों का बजट वर्तमान वर्ष के बजट में 10 से 15 प्रतिशत अधिक्य कर बनाया जाता है एवं आश्वासन दिया कि निधि का उपयोग अधिकतम सीमा तक करने हेतु कदम उठाये जाऐंगे।

(ii) अवास्तविक अनुपूरक बजट प्रावधान (अनुदान संख्या 20- पीएचई)

पीएचई विभाग से संम्बन्धित अनुदान संख्या 20 का बजट प्रावधान एवं व्यय निम्नानुसार था:

तालिका 7: वर्षवार बजट प्रावधान एवं व्यय

(₹ राशि करोड़ में)

वर्ष	मूल	अनुपूरक (प्रतिशत)	कुल	व्यय	बचत (प्रतिशत)
2007-08	201.38	27.14 (13.48)	228.52	208.23	20.29 (8.88)
2008-09	250.56	18.92 (7.55)	269.48	247.56	21.92 (8.13)
2009-10	242.77	25.90 (10.67)	268.67	251.85	16.82 (6.26)
2010-11	212.17	45.63 (21.51)	257.80	239.70	18.10 (7.02)
2011-12	275.42	39.02 (14.17)	314.44	301.28	13.16 (4.18)

(स्रोतः संबंधित वर्ष का विनियोग लेखा)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि-

1. मूल बजट प्राक्कलन बनाने में दूरदर्शिता की कमी के कारण 2007-08 से 2011-12 प्रत्येक वर्ष में मूल अनुदान के 7.55 से 21.51 प्रतिशत की अनुपूरक प्रावधानों के रूप में आवश्यकता पड़ी ।

2. यद्यपि ₹ 18.92 करोड़ से ₹ 45.63 करोड़ अनुपूरक प्रावधान किया गया, वर्षों के अंत में ₹ 16.82 करोड़ से ₹ 21.92 करोड़ बचत रही जो दर्शाता है कि इन वर्षों में अनुपूरक प्रावधानों द्वारा निधि की आवश्यकता का मूल्यांकन ठीक ढंग से नही किया गया । वर्ष 2008 09 के दौरान, यद्यपि ₹ 247.56 करोड़ का व्यय ₹ 250.55 के मूल प्रावधान के अर्न्तगत था, ₹ 18.92 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान बिना किसी आवश्यकता के किया गया।

निर्गम बैठक में शासन ने बताया (फरवरी 2013) कि वर्ष 2008-09 में नये पदों की स्वीकृति के कारण अनुपूरक प्रावधान किए गये थे तथापि पदों को नही भरा जा सका।

(ब) 'वाटर क्वालिटी' एवं 'सस्टेनेबिलिटी' में लक्ष्य की उपलब्धि में कमी

'वाटर क्वालिटी' एवं 'सस्टेनेबिलिटी' में लक्ष्य की उपलब्धि में कमी थी।

कार्य जैसे कि वैकल्पिक जल स्रोत के विकास, डग वेल, आयरन रिमूवल प्लांट (आई आर पी) /फ्लोराईड रिमूवल प्लांट (एफ आर पी) की स्थापना इत्यादि 'वाटर क्वालिटी' में सम्मिलित हैं। टयूब वेल की हाइड्रोफ्रेक्चरिंग, पुराने हैण्डपंपों की मरम्मत, सब-सरफेस डाईक, बोल्डर चेक कम डाईकस, परकोलेशन टैंक,स्टाप डैम इत्यादि कार्य सस्टेनेबिलिटी में सम्मिलित है।

एन आर डी डब्लू पी के दिशानिर्देशानुसार कुल आबंटन का 40 प्रतिशत दो घटकों के लिए है जैसे 'वाटर क्वालिटी' (20 प्रतिशत) एवं 'सस्टेनेबिलिटी' (20 प्रतिशत) जो कि इस योजना का एक प्रमुख हिस्सा है।

नौ नमूना जाँच जिलों में, हमने देखा कि वर्ष 2010-11 से 2011-12 के लिए यद्यपि वाटर क्वालिटी के अन्तर्गत ₹ 51.94 करोंड़ का प्रावधान ए ए पी में किया गया था, चार[3] नमूना जाँच जिलों में ₹ 1.12 करोड़ (मार्च 2012) व्यय किया गया जबकी शेष चार[4] जिलों में वाटर क्वालिटी एवं कवेरज की संयुक्त रिपोर्टिग के कारण वास्तविक व्यय का पता नहीं लगाया जा सका। हमने आगे देखा कि सभी नमूना जाँच जिलों में सस्टेनेबिलिटी के अन्तर्गत ए ए पी में ₹ 59.34 करोड़ का प्रावधान किया गया था। परन्तु केवल ₹ 9.40 करोड़ (15.84 प्रतिशत) का व्यय (मार्च 2012) किया गया। जाँच किये गये जिलों में दोनों शीर्षो में ए ए पी प्रावधानित एवं व्यय की राशि नीचे दर्शाया गया है:

[3] अम्बिकापुर, कोरिया, कवर्धा, महासमुंद

[4] बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, जॉजगीर चांपा

तालिका 8: वाटर क्वालिटी एवं सस्टेनेबिलिटी

(₹ राशि लाख में)

जिला	वाटर क्वालिटी			सस्टेनेबिलिटी		
	प्रावधान	व्यय	प्रतिशत	प्रावधान	व्यय	प्रतिशत
अम्बिकापुर	1515.00	26.99	1.78	1039.20	94.71	9.11
बिलासपुर	1097.50	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	1434.80	135.58	9.45
दंतेवाड़ा	1401.01	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	300.75	76.62	25.48
धमतरी	142.75	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	280.65	56.56	20.15
जांजगीर-चांपा	261.50	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	440.16	61.67	14.01
कवर्धा	309.18	28.80	9.31	351.25	89.25	25.41
कोरिया	389.90	45.17	11.58	552.37	53.77	9.73
महासमुंद	77.25	10.90	14.99	397.25	54.41	13.69
रायपुर	0.00	0.00	—	1137.51	317.44	27.91
योग	**5194.09**	**111.86**	**2.15**	**5933.94**	**940.01**	**15.84**

(स्रोत: विभाग द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिलेखों से संकलित)

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि वाटर क्वालिटी एवं सस्टेनेबिलिटी के अंतर्गत दिये गये प्रावधान एवं व्यय में भारी अंतर था।

निर्गम बैठक में शासन ने बताया (फरवरी 2013) कि दोनों घटकों में प्रगति लायी जायेगी।

(स) धनादेश एवं प्रेषण का मिलान नही होना।

केन्द्रीय लोक निर्माण लेखा संहिता (सी पी डब्लू ए) के कंडिका क्रमांक 23.20.05 के अनुसार धनादेश एवं नकदी प्रेषण के मिलान के सूची प्रपत्र 51 में मासिक लेखा सहित महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को लोक निर्माण विभाग द्वारा भेजा जाना चाहिए।

अभिलेखों की जांच में देखा गया कि धनादेश एवं प्रेषण का मिलान नहीं किया गया था एवं धन प्रेषण में ₹ 58.94 करोड़ तथा धनादेश में ₹ 10.18 करोड़ का अन्तर था **(परिशिष्ट 3.2.3)**।

हमने यह भी देखा कि आठ[5] जिलों में कोषालय के साथ लेखाओं का मिलान नही किया गया था एवं जो अवधि मिलान के लिए लम्बित थी, वह 13 से 60 महीने तक रही जबकि सात[6] जिलों में दो से सात माह तक मिलान नही हुआ था । यद्यपि दंतेवाड़ा में नियमित रूप में मिलान किया गया था।

निर्गम बैठक के दौरान लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए शासन ने बताया (फरवरी 2013) कि मिलान का कार्य आरंभ कर दिया गया है। यद्यपि, मिलान के शीघ्र पूर्ण करने के लिए निर्देश जारी किए जाऐंगे।

(द) विविध लोक निर्माण अग्रिम का बकाया रहना

केन्द्रीय लोक निर्माण लेखा संहिता के कंडिका 13.4 के अनुसार विविध लोक निर्माण अग्रिम (एम पी डब्लू ए) एक अस्थायी प्रकार का उपशीर्ष है जिसमें उधार पर बेची गयी भंडार सामग्री का मूल्य, जमा कार्यों पर प्राप्त निधि से अधिक का व्यय, नगद/भंडार सामग्रियों की हानि तथा शासकीय कर्मचारियों से प्राप्ति योग्य धन को नामे (डेबिट)

[5] अम्बिकापुर, धमतरी, कवर्धा, राजनांदगांव, कांकेर, रायगढ़, जशपुर, दुर्ग

[6] बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, कोरिया, महासमुन्द, रायपुर, जगदलपुर, कोरबा

किया जाता है । यह लेने-देने नकद वसूली या समायोजन द्वारा अन्ततः निराकृत किया जाता है।

16 जिलों के मासिक लेखाओं की जाँच में पाया गया की मार्च 2012 की स्थिति में 1142 प्रकरणों में ₹ 33.93 करोंड़ की राशि बकाया थी **(परिशिष्ट 3.2.4)**। नौ नमूना जाँच जिलों में हमने देखा कि 575 प्रकरणों में ₹ 16.88 करोड़ की राशि बकाया थी तथा बकाया राशि की वसूली अथवा समायोजन हेतु विभाग द्वारा कोई कदम नहीं उठाये गये थे।

निर्गम बैठक में शासन ने बताया (फरवरी 2010) कि अधिकतर अग्रिम जमा कार्यों में सम्बंधित विभाग द्वारा भुगतान न किये जाने के कारण थे।

3.2.8 सेवा प्रदाय

कार्यक्रम प्रबंधन

पीएचई विभाग के राज्य योजनाएं जैसे शहरी जल प्रदाय योजनाएं एवं ग्रामीण जल प्रदाय योजनाएं (आर डब्लू एस एस) जो कि एन आर डी डब्लू पी में सम्मलित नही हैं तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं जैसे कि एन आर डी डब्लू पी एवं टी एस सी का क्रियान्वन करता है। शहरी जल प्रदाय योजनाएं शहरी क्षेत्र के प्रत्येक परिवार में पेयजल प्रदाय करने हेतु क्रियान्वित की जाती है। आर डब्लू एस एस में नल जल प्रदाय योजनाएं (पी डब्लू एस एस), स्थल जल प्रदाय योजनाएं[7], नलकूप खनन, संचालन एवं संधारण क्रियान्वित किये जाते हैं। एन आर डी डब्लू पी के घटक कवरेज, वाटर क्वालिटी, संचालन एवं संधारण, सस्टेनेबिलिटी एवं सपोर्ट थे। ग्रामीण क्षेत्र में, स्वच्छता बढ़ाने के लिए टी एस सी का क्रियान्वयन किया जाता है ।

कार्यक्रम के क्रियान्वयन में देखी गयी अनियमितताओं/कमियों की चर्चा निम्न में की गयी है:

3.2.8.1 बसाहटों एवं पेयजल विस्तार की स्थिति

त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति योजना (ए आर डब्लू एस पी) के मापदंडों (2008 तक) के अनुसार 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जल आपूर्ति वाली बसाहटों को पूर्णतः आच्छादित (एफ सी) 10 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन एवं अधिक किंतु 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से कम वाली बसाहटों को आंशिक आच्छादित (पी सी), 10 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से कम जल आपूर्ति वाली बसाहटों को आच्छादित नहीं (एन सी) की श्रेणी के अर्न्तगत वर्गीकृत किया गया था । 2008 के पश्चात् एन आर डी डब्लू पी के अन्तर्गत भारत सरकार ने लीटर आधारित पारम्परिक मापदंडों को बदलकर प्रति व्यक्ति प्रति दिन के स्थान पर पेयजल सुरक्षा यथा परिवार स्तर पर पीने, खाना पकाने तथा अन्य उद्देश्यों के लिए स्थायी तौर पर जल की आधारभूत न्यूनतम आवश्यकता को मापदण्ड बना दिया था । इन चुनौतियों का सामना शहरी जल प्रदाय योजनाओं (मध्यम

[7] स्थल जल प्रदाय योजना में क्षेत्र में जल की अनुपलब्धता अथवा पीने योग्य जल उपलब्ध न होने से जलापूर्ति दूरस्थ स्रोत से की जाती है।

एवं छोटे शहरों हेतु), पी डब्लू एस एस एवं स्थल जल प्रदाय योजनाओं (मध्यम एवं छोटे ग्रामों हेतु) तथा नलकूप खनन द्वारा किया जाना था ।

वर्ष 2007-08 की तुलना में वर्ष 2011-12 (पंचवर्षीय योजना) में बसाहटों एवं पेयजल विस्तार की स्थिति निम्नानुसार है:

तालिका 9: छत्तीसगढ़ में बसाहटों एवं पेयजल विस्तार की स्थिति

विवरण	2007-08	2011-12
1	2	3
ग्रामों की संख्या	19744	19744
कवर किये गये ग्रामों की संख्या	19744	19744
बसाहटों की संख्या	72775	72329
पूर्ण आच्छादित बसाहटों की संख्या	62906	72329
आंशिक आच्छादित बसाहटों की संख्या	7288	-
कवर नही किये गये बसाहटों की संख्या	2581	-
आयरन प्रभावित जल गुणवत्ता वाली बसाहटों की संख्या	4932	8747
फ्लोराइड प्रभावित जल गुणवत्ता वाली बसाहटों की संख्या	17	18
हाईनेस प्रभावित जल गुणवत्ता वाली बसाहटों की संख्या	61	65
आर्सेनिक/नाईट्रेट प्रभावित जल गुणवत्ता वाली बसाहटों की संख्या	11	8
पेयजल सुविधा विहिन स्कूलों की संख्या	2965	4612
पेयजल अनुपलब्ध आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या	अनुपलब्ध	23413
कार्यरत हैण्डपंपों वाली बसाहटों की संख्या	184401	218571
1	2	3
छोटे एवं मध्यम शहरों की संख्या	110	169
छोटे एवं मध्यम शहरों में स्वीकृत ए यू डब्लू एस पी की संख्या	110	128
पूर्ण ए यू डब्लू एस पी की संख्या	43	69
प्रगतिरत ए यू डब्लू एस पी की संख्या	31	37
अप्रारम्भ ए यू डब्लू एस पी की संख्या	36	22
स्वीकृत पी डब्लू एस एस की संख्या	1539	2357
पूर्ण पी डब्लू एस एस की संख्या	1125	1736
प्रगतिरत पी डब्लू एस एस की संख्या	255	130
अप्रारम्भ पी डब्लू एस एस की संख्या	159	291
स्वीकृत स्थल जल प्रदाय योजनाओं की संख्या	1963	2467
पूर्ण स्थल जल प्रदाय योजनाओं	1228	1900
प्रगतिरत स्थल जल प्रदाय योजनाओं	486	230
प्रारम्भ स्थल जल प्रदाय योजनाओं	249	337

** आवर्धित शहरी जल प्रदाय कार्यक्रम*

(स्रोतः विभाग के प्रशासनिक प्रतिवेदन)

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि :-

1. 59 (37 + 22) जल प्रदाय योजनाएं, 421 (130 + 221) पी डब्लू एस एस योजनाएं एवं 567 (230 + 337) स्थल जल प्रदाय योजनाएं क्रमशः मध्यम एवं छोटे शहरों तथा मध्यम एवं छोटे ग्रामों के लिए अभी भी अप्रारम्भ हैं। इस प्रकार योजनाओं के अंतर्गत जिस जनसंख्या को शामिल करने की आवश्यकता थी उन्हे अभी तक लाभान्वित नहीं किया जा सका।
2. इसके अतिरिक्त, 41 (162 - 128) जल प्रदाय योजनाएं, जो मध्यम एवं छोटे शहरों के लिए थीं, विभाग द्वारा अभी प्रारंभ होनी थीं।

3. मार्च 2012 तक, 8747 बसाहटें आयरन प्रभावित, 18 बसाहटें फ्लोराइड प्रभावित,65 बसाहटें हार्डनेस प्रभावित एवं आठ बसाहटें आर्सेनिक/नाईट्रेट प्रभावित थीं।

4. 4612 स्कूलों में तथा 23413 आगंनबाड़ी केन्द्रों (ए डब्लू सी) में पेयजल सुविधा नही थी।

निर्गम बैठक के दौरान, शासन ने बताया (फरवरी 2013) कि बसाहटों के कवरेज में और वृद्धि हुई है तथा बसाहटों एवं पेयजल की कवरेज की वर्तमान स्थिति लेखापरीक्षा को उपलब्ध करायी जायेगी।

यद्यपि बसाहटों एवं पेयजल कवरेज की वर्तमान स्थिति लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करायी गयी (मार्च 2013)।

योजनाओं का निष्पादन

3.2.8.2 शहरी जल प्रदाय योजनाएं

राज्य शासन के 70 प्रतिशत अनुदान तथा स्थानीय निकाय द्वारा उठाये गये 30 प्रतिशत ऋण की निधि व्यवस्था से शहरी जल प्रदाय योजना राज्य में लागू की गयी। जल स्त्रोत पर इंटेक वेल, संवर्धन के लिए जल ले जाने हेतु रॉ वाटर मेन्स, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट (डब्लू टी पी), जल एवं भंडारण हेतु क्लोरीनीकृत जल ले जाने के लिए क्लीयर वाटर मेन्स, जल भण्डारण हेतु ओवर हेड टैंक (ओ एच टी) तथा शहर के बसाहटों तक जलापूर्ति हेतु डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क निर्माण, शहरी जल प्रदाय योजना में सम्मिलित थे।

नौ नमूना जाँच जिलों में हमने 12 शहरी जल प्रदाय योजनाओं तथा एक सलेज कन्वेन्स, ट्रीटमेंट तथा डिस्पोसल योजना की जाँच की थी। जुलाई 2012 तक कार्य की स्थिति को निम्नानुसार तालिका में प्रदर्शित किया गया है:

तालिका 10: शहरी जल प्रदाय योजना की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्रं	जिले का नाम	परियोजना का नाम	लक्षित जनसंख्या	स्वीकृति का वर्ष	योजना की लागत	पुनरीक्षित योजना लागत	व्यय	पूर्णता की निर्धारित तिथि	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	अम्बिकापुर	अम्बिकापुर आवर्धन डब्लू एस एस- आउटर	42103	2007-08	14.90	25.72	21.59	जुलाई 2010	अपूर्ण
2		सीतापुर आवर्धन डब्लू एस एस	8675	2007-08	4.82	5.66	4.42	सितम्बर 2010	अपूर्ण
3	बिलासपुर	मुंगेली आवर्धन डब्लू एस एस	31613	2007-08	4.44	6.52	4.20	मार्च 2010	अपूर्ण
4	दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा डब्लू एस एस	8225	2006-07	2.19	4.39	4.32	अगस्त 2009	अपूर्ण
5		बड़े बछेली डब्लू एस एस	10298	2007-08	3.66	-	2.14	-	अपूर्ण
6	धमतरी	धमतरी आवर्धन डब्लू एस एस	100629	2008-09	17.24	31.36	18.44	मई 2011	अपूर्ण
7	जांजगीर चांपा	चांपा आवर्धन डब्लू एस एस		2007-08	8.51	-	4.85	मार्च 2010	अपूर्ण
8	कवर्धा	कवर्धा आवर्धन डब्लू एस एस	32415	2006-07	15.01	-	15.30	फरवरी 2009	अपूर्ण

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9		सकरी नदी हेतु कवर्धा में सलेज कन्वेंस,ट्रीटमेंट एवं डिस्पोसल योजना	100000	2007-08	4.89	-	1.77	अगस्त 2010	अपूर्ण
10	कोरिया	मनेन्द्रगढ डब्लू एद एस	30755	2007-08	8.94	-	6.11	मार्च 2009	अपूर्ण
11	महासमुंद	महासमुंद डब्लू एस एस	47203	2006-07	18.00	25.24	17.67	सितम्बर 2009	अपूर्ण
12	रायपुर	बीरगांव आवर्धन डब्लू एस एस	57189	2006-07	16.74	29.31	26.93	सितम्बर 2009	अपूर्ण
13		कसडोल आवर्धन डब्लू एस एस	11403	2007-08	4.75	7.73	5.65	अप्रैल 2010	अपूर्ण
		योग	**480508**		**124.09**		**133.39**		

(स्रोतः विभाग द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिलेखों से संकलित)

इन योजनाओं से संबंधित अभिलेखों की जांच में निर्धारित अवधि के बाद भी कार्य पूर्ण नही किया जाना तथा देरी के लिए शास्ति आरोपित न किया जाना, अतिरिक्त लागत, टेस्टिंग के लिए राशि न रोका जाना, ठेकेदारों का अनुचित लाभ, विस्तृत प्राक्कलन बनाये बिना कार्य का निष्पादन आदि पाये गये जिनकी निम्नानुसार चर्चा की गई हैः

(अ) कार्य पूर्ण न किये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 133.39 करोड़ का निष्फल व्यय तथा देरी के लिए ₹ 8.01 करोड़ की शास्ति आरोपित न किया जाना

कार्य पूर्ण न होने से निष्फल व्यय हुआ एवं लक्षित लाभार्थियों को विर्निदिष्ट लाभ नहीं पहुंचाया जा सका।

अनुबंध की धारा 2 (फार्म अ[8]) के अनुसार कार्य निष्पादन के लिए प्रदत्त समय का ठेकेदार द्वारा कड़ाई पूर्वक ध्यान रखा जाना चाहिए। निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण करने में विफल रहने पर, ₹ 25 लाख एवं अधिक लागत के कार्य के लिए कार्यपालन अभियंता द्वारा क्षतिपूर्ति के तौर पर प्रति सप्ताह कार्य के मूल्य के 1/16 प्रतिशत राशि के बराबर ठेकेदार पर शास्ति आरोपित की जानी चाहिए। आगे प्रावधानित है कि क्षतिपूर्ति की राशि कार्य के कुल मूल्य के छः प्रतिशत तक सीमित रहेगी।

अनुबंध की धारा 13 (फार्म एफ[9]) के अनुसार कार्य अनुबंध में निर्धारित अवधि के अंदर पूर्ण किया जाना चाहिए तथा चूक के मामले में अनुबंध के प्रावधानानुसार प्रतिदिन लिक्विडेटेड डेमेज जिसकी सीमा प्राक्कलित मूल्य के 10 प्रतिशत तक होगी आरोपित किया जायेगा।

चयनित जिलों की जाँच के दौरान हमने पाया कि पीएचई विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 12 नमूना जाँच की गई शहरी जल प्रदाय योजना तथा एक सलेज कन्वेन्स ट्रीटमेंट तथा डिस्पोजल योजना के लिए ₹ 124.09 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी।

पी एच ई डी के अभिलेखों की लेखा परीक्षा के दौरान हमने पाया कि 13 योजनाओं के 112 मुख्य कार्यों में से ₹ 91.89 करोड़ के 92 कार्यों के लिए निविदायें (एन आइ टी) आमंत्रित की गई थी। शेष बचे 20 कार्यों में से 3 कार्य निविदा के विभिन्न स्तरों पर थे तथा 17 कार्यों के लिए लेखा परीक्षा की तिथि (जुलाई 2012) तक निविदायें आमंत्रित नही की गई थीं। हमने आगे पाया कि 92 कार्यों में से 49 कार्य पूर्ण हो गये थे तथा शेष 37 कार्यों के मामलों में प्रगति 51 से 99 प्रतिशत रही थी। शेष छह में से चार कार्यों में

[8] दर प्रतिशत निविदा
[9] एक मुश्त निविदा

प्रगति कम थी जो कि 33 से 48 प्रतिशत के मध्य थी जबकि दो कार्य प्रारम्भ नहीं हुए थे। यद्यपि 13 योजनाओं को पूर्ण करने की निर्धारित अवधि मार्च 2009 से मई 2011 के मध्य थी तथापि कुल ₹ 133.39 करोड़ व्यय करने के पश्चात् भी कोई योजना पूर्ण नही हुई थी **(परिशिष्ट 3.2.5)**।

आगे की जाँच में पाया गया कि यद्यपि योजनाएं निर्धारित अवधि से 14 से 36 माह पश्चात् भी अपूर्ण थी किन्तु सक्षम प्राधिकारियों ने अनुबंध के प्रावधानानुसार न तो कोई समयवृद्वि दी थी और न ही ठेकेदारों के विरूद्ध कोई शास्ति आरोपित की थी। दंतेवाडा में दो जल आपूर्ति योजनाओं में अनुबंध के प्रावधानों के विरूद्ध अत्यंत कम यथा 0.5 से 1.5 प्रतिशत की दरों से शास्ति आरोपित की थी। परिणामस्वरूप ठेकेदारों पर राशि ₹ 8.01 करोड़ की शास्ति आरोपित नही की जा कर अनुचित लाभ दिया गया था। **(परिशिष्ट 3.2.6)।**

उपरोक्तानसार स्पष्ट था कि कार्य की अपूर्णता के कारण न केवल राशि ₹ 133.39 करोड़ का निष्फल व्यय रहा बल्कि लक्षित लाभार्थियों को विर्निदिष्ट लाभ नही पहुंचाया जा सका था।

निर्गम बैठक में शासन ने बताया (फरवरी 2013) कि कुछ जल आपूर्ति योजनाएं पूर्णता के स्तर पर है तथा जनता को आंशिक रूप से जलापूर्ति की जा रही है। आगे यह बताया कि सभी योजनाओं की पूर्णता पर प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी किये जायेंगे।

उत्तर स्वीकार्य नही था क्योंकि लेखा परीक्षा को प्रस्तुत अभिलेखों में इससे संबंधित कोई संकेत नही थे कि कार्य में देरी के लिए विभाग द्वारा कोई समय वृद्वि दी गई थी या ठेकेदारों पर शास्ति आरोपित की गई थी।

(ब) टेस्टिंग चार्जेस न काटे जाने के कारण ठेकेदार को ₹ 9.04 करोड़ का अनुचित लाभ

टेस्टींग चार्जेस न काटे जाने के कारण ठेकदार को अनुचित लाभ हुआ।

जलापूर्ति एवं सिवरेज कार्य से संबंधित (01.09.2002 से लागू) एकीकृत अनुसूची (यू एस ओ आर) के जनरल नोट्स की कंडिका 5 के अनुसार कार्य पूर्णता पर अथवा प्रभारी अभियंता द्वारा जब आवश्यक समझे, ठेकेदार सभी सामग्रियों, पाईपों फिटींग, जोड़ों एवं अन्य सामग्रियों को साफ, स्वच्छ, कार्य की परिस्थितियों में सही हालत में सिद्व करेगा तथा विभिन्न मदों की विशिष्टियों की विनिर्दिष्ट जांच पर खरा सिद्व करेगा। यदि सामग्री अथवा कार्यकुशलता में कोई कमी पाई जाती है तो ठेकेदार उस कमी को दूर करेगा तथा दोषमुक्त भाग का स्वंय के व्यय पर पुनः परीक्षित करेगा। परीक्षण पूर्ण होने तक बिल की राशि के 10 प्रतिशत के बराबर राशि ठेकेदार के चलित देयकों से रोक कर रखी जानी चाहिए तथा उसे परीक्षण के पश्चात् प्रभारी अभियंता के पूर्ण संतुष्ट होने पर विमुक्त किया जाना चाहिए।

अभिलेखों की जांच में पाया गया की नमूना जांच किये गये आठ[10] जिलों में उपरोक्त कण्डिका को अनुबन्ध का भाग नही बनाया गया था। यह पाया गया कि इन जिलों के रॉ एवं क्लीयर वाटर मेन्स, डब्लू टी पी एवं डिस्ट्रीब्यूशन से सम्बन्धित अनुबंधों में, उपरोक्त

[10] अम्बिकापुर, दंतेवाडा, धमतरी, जांजगीर-चांपा, कवर्धा, कोरिया, महासमुंद, रायपुर

कण्डिकानुसार ठेकेदारों के चलित देयकों से परीक्षण हेतु 10 प्रतिशत की राशि की कटौती नही की गयी थी । यद्यपि बिलासपुर में उपरोक्त कण्डिका को अनुबंध के कामन सेट आफ कण्डिशन्स का भाग बनाया गया था किन्तु ठेकेदारों के देयकों से 10 प्रतिशत की राशि काटी नही गयी थी।

इस तरह से बिलासपुर के अतिरिक्त आठ नमूना जांच किये गये जिलों के युएसओआर (अनुसूची दर) के प्रावधान को अनुबंधो का भाग नही बनाया गया था तथा परीक्षण हेतु रोके जाने वाली आवश्यक,कार्य के मूल्य की 10 प्रतिशत की राशि को ठेकेदारों के देयकों से काटा नही गया था। परिणामतः ठेकेदारों को राशि ₹ 9.04 करोड़ का अनुचित लाभ दिया गया था **(परिशिष्ट 3.2.7)**।

निर्गम बैठक में शासन ने लेखा परीक्षा निष्कर्ष पर सहमति व्यक्त की तथा बताया (फरवरी 2013) कि नियमानुसार ठेकेदारों के देयकों से राशि काटे जाने हेतु निर्देश जारी किए जायेंगे।

(स) स्फीतित प्राक्कलन तैयार किये जाने से राशि ₹ 1.72 करोड़ की अतिरिक्त लागत

लोक निर्माण विभाग मैन्युअल के कंडिका 2.027 के अनुसार प्राक्कलन में दी गई दरों का सामान्यतः अनुसुचित दरों से मिलाना होना चाहिए। जहाँ किसी कारण से परवर्ती सार्थक या पर्याप्त नहीं समझा जाता है, परिवर्तन प्राक्कलनों में सविस्तार वर्णित होना चाहिए, तथा यदि प्राक्कलन में कार्य की एक विशेष मद हेतु अनुसूचित दर सबंधित नही है, प्रस्तावित दर एक विश्लेषण द्वारा समर्थित होनी चाहिए।

तीन सम्भागों[11] के अभिलेखों की जांच में देखा गया कि पाँच कार्यों[12] की प्राक्कलित लागत पीएचई विभाग को युएसओआर के अनुसार ₹ 17.10 करोड़ थी। तथापि डीपीआर तैयार करने के दौरान सम्भागों द्वारा उपरोक्त प्राक्कलित लागत में बिना किसी औचित्य के 25 से 70 प्रतिशत (राशि ₹ 1.72 करोड़) की वृद्वि की गयी थी। चूंकि प्रतियोगी दर प्राप्त करने के लिए निविदा प्रक्रिया उपलब्ध थी, अतः कार्य विभाग नियमावली के प्रावधानों का पालन न कर प्राक्कलनों में तदर्थ वृद्वि करने का कोई औचित्य नही था। प्राक्कलन में इस प्रकार तदर्थ वृद्वि से ठेकेदारों को उच्च दर अंकित करने की सुविधा दी गयी इसके परिणमस्वरूप राशि ₹ 1.72 करोड़ की अतिरिक्त लागत आई थी **(परिशिष्ट 3.2.8)**।

निर्गम बैठक में शासन ने बताया (फरवरी 2013) कि प्राक्कलन नई दर अनुसूची जो कि फरवरी 2013 से लागू की गयी है, पर तैयार किये जायेंगें।

11 दंतेवाड़ा, कवर्धा, महासमुंद

12 महासमुंद आवर्धन डब्लू एस एस के अन्तर्गत इंटेकवेल, जैकवेल एवं आर सी सी फुट ब्रिज का निर्माण,कवर्धा आवर्धन डब्लू एस एस के अन्तर्गत कैनाल इंटेक, रॉ वाटर ग्रेविटी मेन्स, आर सी सी सम्पवेल, क्लीयर वॉटर मेन्स एवं ओ एच एस आर (550 कि ली) एवं डिस्ट्रीब्युशन सिस्टम, सकरी नदी के प्रदूषण रोक्थाम हेतु सलेज कन्वेंस, ट्रीटमेंट एवं डिस्पोजल योजना तथा दंतेवाड़ा डब्लू एस एस के अंतर्गत इंटेकवेल,जैकवेल एवं आर सी सी ब्रिज का निर्माण

(द) अनुबंध के प्रावधानों के विरूद्ध भुगतान का ब्रेकअप शेडयूल तैयार किये जाने के कारण ठेकेदारों को राशि ₹ 3.95 करोड़ का अनुचित लाभ

अनुबंध के प्रावधानों के उल्लंघन से ठेकेदारों को अनुचित लाभ हुआ।

अनुबंध की शर्तो (फार्म एफः एकमुश्त ठेका) की कण्डिका 15 के अनुसार ठेकेदारों को किये गये कार्य के कुल मूल्य का 90 प्रतिशत भुगतान किये जाने का प्रावधान था तथा शेष बकाया राशि ठेकेदार को कार्य पूर्ण होने के 12 माह के पश्चात् प्रदाय की जायेगी।

आठ[13] नमूना जांच जिलों के 39 अनुबंधों के अभिलेखों की जाँच में हमने पाया कि अनुबंध की उपरोक्त कण्डिका का पालन नही किया जा रहा था तथा कार्य के विभिन्न स्तरों के लिए भुगतान का ब्रेकअप शेडयूल 100 प्रतिशत निविदा लागत पर तैयार किये गए थे एवं ठेकेदारों को अनुबंध को ब्रेकअप शेडयूल के अनुसार स्तर -वार भुगतान किया गया था। अतः ब्रेकअप शेडयूल तैयार किये जाने के दौरान उपरोक्त कण्डिका को विचाराधीन न रखे जाने के कारण ठेकेदार उपरोक्त कण्डिकानुसार कार्य के मूल्य के 90 प्रतिशत के स्थान पर 100 प्रतिशत भुगतान प्राप्त कर रहे थे। इसके परिणामस्वरूप ठेकेदारों का राशि ₹ 3.95 करोड़ का अनुचित लाभ दिया गया है **(परिशिष्ट 3.2.9)**।

निर्गम बैठक में शासन ने लेखा परीक्षा टिप्पणी स्वीकार की तथा बताया (फरवरी 2013) कि अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार ब्रेकअप शेड्यूल तैयार किया जाएगा।

शहरी जलापूर्ति योजनाओं के क्रियान्वयन में पाये गये अन्य रूचिकर बिन्दुः

(इ) सड़क के दोनो ओर पाईप लाइन बिछाने से परिहार्य अतिरिक्त लागत ₹ 24.13 लाख

मुंगेली आवर्धन जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत पाईपलाईन प्रदाय करना, बिछाना, जोड़ना, (डिस्ट्रीब्यूशन मेन) आदि के कार्य एक ठेकेदार[14] को अनुबंध राशि ₹ 2.11 करोड़ में आवंटित किया गया था (अक्टुबर 2010)। कार्यपूर्ण करने की समयावधि वर्षाऋतु सहित 11 माह थी। कार्य प्रगति पर है एवं ठेकेदार को ₹ 1.02 करोड़ भुगतान किया गया था (नम्वबर 2011)।

कार्य को 20981 मीटर लम्बाई डी आई के-7 पाईप जिसमें 150 एम एम 3574 मीटर एवं 200 एम एम की 786 मीटर सम्मिलित थी, स्वीकृत की गयी थी।

अभिलेखों की जांच में पाया गया कि निष्पादन के दौरान विभाग के द्वारा कुछ हिस्सों पर सड़क के दोनो ओर पाईप बिछाया गया था। इसके परिणाम स्वरूप 150 एम एम के 7 एवं 200 एम एम के 7 की लम्बाई में क्रमशः 3574 मीटर से 4500 मीटर एवं 786 से 1400 की वृद्वि हुई थी। वृद्धि हुई लम्बाई मूल प्राक्कलन में प्रावधानित नही थी तथा इसका निष्पादन सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना किया गया था। अतः सड़क के दोनों ओर पाईपलाईन कार्य के क्रियान्वयन से परिणामस्वरूप न केवल परिहार्य अतिरिक्त लागत हुई बल्कि ₹ 24.13 लाख का अनाधिकृत व्यय किया गया था। विवरण निम्नानुसार थाः

13 अम्बिकापुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, जांजगीर, चांपा, कवर्धा, कोरिया, महासमुन्द, रायपुर

14 अनुबंध क्र.27 डी एल/2010-11

तालिका 11: परिहार्य अतिरिक्त लागत का विवरण

क्र सं	विवरण	मूल लम्बाई (मीटर में)	पुनरीक्षित लम्बाई (मीटर में)	लम्बाई में वृद्धि (मीटर में)	दर (₹ में)	कुल0 (₹ राशि में
1	150 एम एम के-7 डी आई पाईप	3574	4500	926	832	770432
2	200 एम एम के-7 डी आई पाईप	786	1400	614	1037	636718
						1407150
	निविदा दर 71.5 प्रतिशत जोड़े					**2413262**

(स्रोतः विभाग द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिलेखों से संकलित)

निर्गम बैठक के दौरान शासन ने बताया (फरवरी 2013) कि सड़क के महत्व को देखते हुए एवं रहवासियों को सुविधा प्रदान करने के लिए सड़क के दोनो ओर पाईप लाईन बिछाई गयी थी।

चूंकि डीपीआर स्थल के विस्तृत सर्वेक्षण के पश्चात् तैयार किया गया था, अतः क्रियान्वन के दौरान विचलन नही होना चाहिए था। अतः उत्तर स्वीकार्य नही था।

(फ) दंतेवाड़ा जल प्रदाय योजना में कार्यक्षेत्र के परिवर्तन के कारण अधिक भुगतान ₹ 22.94 लाख

दंतेवाड़ा जल प्रदाय योजना कार्य के डीपीआर में इन्टेक वेल, अप्रोच ब्रिज एवं अप्रोच रोड कार्य की प्राक्कलित राशि ₹ 28.12 लाख सम्मिलित था। ₹ 35.15 लाख की तकनीकी स्वीकृति (प्रचलित निविदा दर पर प्राक्कलित राशि का 25 प्रतिशत अधिक) प्रदान की गई थी (सितम्बर 2007)।

प्रमुख अभियंता, पीएचई विभाग द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया एवं इन्टेक वेल को 100 मीटर अपस्ट्रीम स्थानान्तरण करने हेतु निर्देशित किया (दिसम्बर 2006) जिससे इन्टेक वेल को निर्माण स्थल नदी के भीतर से नदी के किनारे में परिवर्तित हुआ। निर्देशानुसार अप्रोच ब्रिज व अप्रोच रोड के स्थान पर एक जैकवेल का निर्माण किया जाना था।

इन्टेक वेल, ट्रीटमेंट प्लांट, ओवरहेड सर्विस रिजरवायर का निर्माण कार्य एक ठेकेदार को राशि ₹ 1.75 करोड़ में एकमुश्त ठेके पर प्रदाय किया गया था। कार्यपूर्ण करने की समयावधि वर्षाऋतु छोड़कर 12 माह थी। कार्य प्रगति पर था तथा ठेकेदार को राशि ₹ 1.67 करोड़ का भुगतान किया जा चुका था (जुलाई 2012)।

अभिलेखों की जांच में पाया गया कि निविदा आमंत्रण के समय (मार्च 2007) इन्टेक वेल जिसकी प्राक्कलित राशि ₹ 35.15 लाख थी कार्यक्षेत्र में सम्मिलित था। यद्यपि प्रमुख अभियंता द्वारा निर्देशित जैकवेल कार्य क्षेत्र में सम्मिलित नही था, तथापि कार्य का निष्पादन किया गया था। विभाग द्वारा इस कार्य के निष्पादन के लिए पृथक से कोई प्राक्कलन नही बनाया गया था। आगे यह देखा गया कि प्राक्कलन से अप्रोच ब्रिज व अप्रोच रोड को हटाया नही गया था तथा नही किये गये कार्यों को समायोजन नही करते हुए अनुबंध के ब्रेकअप शेडयूल के अनुसार भुगतान किया गया था। इसके परिणाम स्वरूप ठेकेदारों को ₹ 22.94[15] लाख का अधिक भुगतान हुआ।

[15] अप्रोच ब्रिज एवं रोड की लागत = ₹ 9.69 लाख + ₹ 1.50 लाख= ₹ 11.19 लाख
कुल लागत = ₹ 11.19 लाख + 25 प्रतिशत प्रचलित दर + 64 प्रतिशत निविदा प्रीमीयम =₹ 22.94 लाख

निर्गम बैठक के दौरान शासन ने लेखा परीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया तथा बताया (फरवरी 2013) कि कार्यवाही की जायेगी एवं ठेकेदारों के अंतिम देयक से वसूली की जाएगी

3.2.8.3 ग्रामीण जल प्रदाय योजनाएं

पीएचई विभाग द्वारा राज्य योजना व केन्द्र प्रवर्तित योजना के अर्न्तगत ग्रामीण जल प्रदाय योजना (आर डब्लू एस एस) का क्रियान्वयन करता है। आर डब्लू एस एस में नलकूप खनन, पाईपलाइन का बिछाना व जोड़ना, ओवर हैड टैंक (ओएचटी) का निर्माण सम्मिलित है। आर डब्लू एस एस के अर्न्तगत दो योजनाएं यथा मध्यम एवं छोटे ग्राम जिनकी जनसंख्या 2000 से अधिक है, हेतु पी डब्लू एस एस योजना तथा छोटे ग्राम जिनकी जनसंख्या 2000 से कम हेतु स्थल जल प्रदाय योजना क्रियान्वित की जाती है। आर डब्लू एस एस कार्य पूर्ण होने के पश्चात पीएचई विभाग इन परियोजनाओं को ग्राम पंचायतों (जी पी) को हस्तान्तरित करता है।

अभिलेखों को जॉच में कई कमियाँ पायी गई जैसे कि ओएचटी के निर्माण में अतिरिक्त लागत संधारण के अभाव में योजनाओं का बन्द होना जिनकी चर्चा आगामी कंडिकाओं में की गयी है:

(अ) 2000 से कम जनसंख्या वाले ग्रामों की पी डब्लू एस एस में ओ एच टी के अनियमित निर्माण से ₹ 11.03 करोड़ की अतिरिक्त लागत तथा कार्यों की पूर्णता में देरी

2000 से कम जनसंख्या वाले ग्रामों में पीडब्लूएसएस के क्रियान्वयन में अतिरिक्त लागत आई।

पीएचई विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पी डब्लू एस के डीपीआर बनाने हेतु जनसंख्या के मापदण्ड को पालन करने के लिए निर्देश जारी किये गए (अप्रैल 2007)। तदानुसार 2000 से अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों के पी डब्लू एस एस जिसमें ओएचटी का निर्माण पाईपलाईन को बिछाना व जोड़ना तथा नलकूप खनन का क्रियान्वयन किया जाना चाहिए।

नमूना जाँच जिलों के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि 106 पीडब्लूएसएस में यद्यपि संबंधित ग्रामों में जनसंख्या 2000 से कम थी उपरोक्त शासनादेश का पालन करते हुए ओएचटी का निर्माण किया गया था। छोटे ग्रामों में ओएचटी को सम्मिलित करते हुए पीडब्लूएसएस का क्रियान्वयन के फलस्वरूप ₹ 11.03 करोड़ **(परिशिष्ट 3.2.10)** का अतिरिक्त व्यय हुआ। हमने यह भी देखा कि यद्यपि योजनाओं की पूर्णता की समयावधि 3 से 6 माह थी यह योजनाऐं 24 से 36 माह बीत जाने के बाद भी पूर्ण नही हुई थी (जुलाई 2012)।

निर्गम बैठक के दौरान शासन ने बताया (फरवरी 2013) कि ग्रामों की जनसंख्या 2001 जनगणना पर आधारित थी एवं वास्तविक जनसंख्या की वृद्धि हुई है। पीडब्लूएसएस का क्रियान्वयन वर्तमान जनसंख्या के आधार पर किया जा सक्ता है।

विभाग का मत स्वीकार्य नही था क्योंकि योजना के डीपीआर ग्रामों की वास्तविक जनसंख्या के आधार पर बनाये गये थे।

(ब) संधारण के अभाव में नल जल प्रदाय योजना/स्थल जल योजना का बन्द होना

संधारण के अभाव में पी डब्लू एस एस/स्थल जल योजनाएं बंद पड़ी थीं

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी (अप्रैल 2007) दिशानिर्देशों के अनुसार पीएचई विभाग द्वारा पी डब्लू एस एस को पूर्णता पश्चात सम्बन्धित ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित किया जाना था। प्रत्येक ग्राम पंचायत को पी डब्लू एस एस एवं स्थल जल योजना हेतु क्रमशः ₹ 15000 एंव ₹ 7500 प्रत्येक वर्ष दिया गया। आगे, दिशानिर्देशों में दिया गया कि योजना को सम्मिलित करने हेतु सम्बन्धित ग्राम में पर्याप्त पानी की उपलब्धता एक मुख्य मापदण्ड होगा।

नमूना जाँच जिलों के अभिलेखों की जाँच में देखा गया है कि हस्तान्तरित 1792 पी डब्लू एस एस स्थल जल योजनाओं में से 229 योजनाएं **(परिशिष्ट 3.2.11)** विद्युत शुल्क का भुगतान न होने, मोटर पंप के कार्यरत न होने, विद्युत कनेक्शन न होने, संधारण न होने एवं जल स्त्रोत सूख जाने से बन्द पड़ी थीं।

अतः ग्राम पंचायत द्वारा योजना का संधारण नही किये जाने से 229 ग्रामों की जनसंख्या पी डब्लू एस एस के अर्न्तगत लाभ नही ले सकीं।

निर्गम बैठक के दौरान शासन ने लेखा परीक्षा टिप्पणी को स्वीकार करते हुए बताया (फरवरी 2013) कि पी डब्लू एस एम ग्राम पंचायतों को संधारण हेतु हस्तान्तरित की गयी थीं, तथा ग्राम पंचायतों को पी डब्लू एस एस एवं स्थल जल योजनाओं के लिए क्रमशः ₹ 15000 एवं ₹ 7500 प्रत्येक वर्ष संधारण हेतु दिया जाता है। इस निधि से ग्राम पंचायतों द्वारा संधारण किया जाना था एवं जल उपयोगकर्ताओं से जल उपकर वसूला जाना था जो नही किया जा रहा था।

3.2.8.4 वाटर क्वालिटी मानिटरींग एण्ड सर्विलेंस

वाटर क्वालिटी मानिटरींग एण्ड सर्विलेंस कार्ययोजना (2008-09) का लक्ष्य निरंतर पेयजल गुणवत्ता का स्वीकार्य स्तर एवं जल गुणवत्ता परीक्षण का व्यवस्थित कार्यक्रम को सुनिश्चित करना है। विभिन्न स्थानों से एकत्रित जल के नमूनों की प्रयोगशाला और/ या स्थल परीक्षण अनुश्रवण में सम्मिलित है। नेशनल रूरल वाटर क्वालिटी एण्ड सर्विलेंस कार्यक्रम (2004, पेयजल आपूर्ति विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय) के अनुसार पेयजल अनुश्रवण के उद्देश्य है:

- जल की गुणवत्ता एवं इसके आवश्यक उपयोगों हेतु उपयुक्तता पर मानव की गतिविधियों का प्रभाव का मूल्यांकन;
- भविष्य की आवश्यकताओं हेतु उपलब्ध अपनी प्राकृतिक अवस्था में पानी की गुणवत्ता का निर्धारण;
- निर्दिष्ट खतरनाक या हानिकारक पदार्थों के स्त्रोतों और मार्ग की निगरानी करना।

नमूना जाँच जिलों के वाटर क्वालिटी मानीटरींग एण्ड सर्विलेंस कार्यक्रम (डब्लू क्यू एम एण्ड एस) के अभिलेखों की जाँच में पायी गयी कमियाँ जैसे कि प्रयोगशालाओं की स्थापना न होना, जल परीक्षणों में भारी कमी, रीएजेन्टस का क्रय नही किया जाना, फील्ड टेस्ट किट के वितरण में कमी एवं निरर्थक व्यय, की चर्चा निम्न में की गयी है:

(अ) राज्य स्तरीय एंव उपसम्भागीय प्रयागशलाओं की स्थापना न किया जाना

राज्य स्तरीय एवं उपसम्भागीय प्रयोगशालाओं की स्थापना नही की गयी।

डब्लू क्यू एम एण्ड एस (2008) दिशानिर्देशों के अनुसार एक राज्य स्तरीय प्रयोगशाला द्वारा परीक्षण परिणामों के पुनः परीक्षण के अलावा जिला जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं द्वारा परीक्षण किये गये नमूनों में से कम से कम 10 प्रतिशत नमूनों की जॉच जिसमें सकारात्मक परीक्षण वाले नमूने सम्मिलित हों, की जायेगी। ये दुर्लभ तत्वों की सान्द्रता के परीक्षण में तथा प्राकृतिक आपदाओं एवं विपदाओं के दौरान राज्य सरकारों को जल गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट हेतु आवश्यक सहायता देने में भी सम्मिलित होंगी।

डब्लू क्यू एम एण्ड एस दिशानिर्देर्शों के अनुसार उपसम्भागीय स्तर पर 100 प्रतिशत जल स्त्रोतों की दोनों जैविक एवं रसायनिक तथा भौतिक पैमाने हेतु परीक्षण किया जाना है।

अभिलेखों की जॉच के दौरान हमने देखा कि राज्य में जल गुणवत्ता परीक्षणों एवं सम्भागीय/जिला प्रयोगशालाओं द्वारा किये गये परीक्षणों के पुनः परीक्षणों हेतु राज्य स्तरीय प्रयोगशाला की स्थापना नही की गयी थी। नमूना जॉच जिलों में हमने देखा कि यद्यपि सम्भागीय स्तर पर प्रयोगशालाओं की स्थापना की गयी थी जबकि उपसम्भागीय स्तर पर किसी प्रयोगशाला की स्थापना नही की गयी थी एवं जल गुणवत्ता परीक्षण सम्भागीय/जिला स्तरीय प्रयोगशालाओं द्वारा किये जा रहे थे।

राज्य एवं उपसम्भागीय स्तर की प्रयोगशालाओं के अभाव के परिणामस्वरूप जल नमूनों का परीक्षण न हो सका। इस प्रकार आपूर्ति किये जल की गुणवत्ता सत्यापित नहीं की जा सकी।

निर्गम बैठक के दौरान शासन ने बताया (फरवरी 2013) कि राज्य स्तरीय एवं 18 उप सम्भागीय प्रयोगशालायें शीघ्र ही आरम्भ की जायेंगी।

(ब) ग्राम पंचायतों एवं सम्भागीय स्तर प्रयोगशालाओं द्वारा जल स्त्रोतो के अनुश्रवण/ गुणवत्ता परीक्षणों में कमी

डब्लू क्यू एम एण्ड एस (2008-12) दिशानिर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायतों द्वारा मौजूदा फील्ड टेस्ट किटों को ग्रामों के पेयजल स्त्रोतों के रसायनिक एवं जैविक प्रदूषण के प्राथमिक स्तर पर पता लगाने हेतु उपयोग जारी रखना चाहिए। दिशानिर्देशों में आगे दिया गया है कि उपसम्भागीय प्रयोगशालाओं द्वारा जैविक तथा रसायनिक दोनों पैमानों हेतु 100 प्रतिशत स्त्रोतों की जाँच तथा जिला प्रयोगशालाओं द्वारा 10 प्रतिशत नमूनों का परीक्षण जिसमें सकारात्मक परीक्षण किये हुए नमूने सम्मिलित हों, किया जायेगा। दिशानिर्देशों में सभी पेयजल स्त्रोतों का कम से कम जैविक प्रदूषण हेतु वर्ष में दो बार एवं रसायनिक प्रदूषण हेतु वर्ष में एक बार परीक्षण किया जायेगा।

आठ नमूना जाँच जिलों में अभिलेखों की जाँच में हमने देखा कि ग्राम पंचायतों द्वारा सभी जल स्त्रोतों का वर्ष में एक बार भी परीक्षण नही किया गया। चूंकि ग्राम पंचायतों द्वारा जल स्त्रोतों का परीक्षण नहीं किया जा रहा था एवं उपसम्भागीय प्रयोगशालाओं की स्थापना नही की गयी थी, परीक्षण करने का दायित्व सम्भागीय प्रयोगशालाओं पर रहा। तदानुसार इन प्रयोगशालाओं द्वारा किये गये परीक्षणों में भारी कमी थी। वर्ष 2007-08 से 2011-12 तक किये गये जल स्त्रोतों के परीक्षणों का विवरण निम्नानुसार हैं:

तालिका 12: 2007-08 से 2011-12 तक ग्राम पंचायतों एंव सम्भागीय प्रयोगशालाओं द्वारा अनुश्रवण का विवरण

जिला	उपलब्ध जल स्त्रोतों की संख्या	ग्राम पंचायतों द्वारा अनुश्रवण/परीक्षण			सम्भागीय प्रयोगशाला द्वारा अनुश्रवण/परीक्षण		
		अनुश्रवण/परीक्षण किये गये जल स्त्रोतों की संख्या	कमी	प्रतिशत कमी	अनुश्रवण/परीक्षण किये गये जल स्त्रोतों की संख्या	कमी	प्रतिशत कमी
अम्बिकापुर	20860 से 25391	0	20860 से 25391	100	395 से 3147	20465 से 22244	88 से 98
बिलासपुर	15225 से 16801	अनुपलब्ध	15225 से 16801	100	650 से 1881	14575 से 15581	89 अ96
दंतेवाड़ा	8201 से 12650	अनुपलब्ध	8201 से 12650	100	121 से 2026	6175 से 12437	75 से 99
धमतरी	7478 से 8080	0 से 3807	4081 से 7693	52 से 100	0 से 300	7478 से 7786	96 से 100
जांजगीर चांपा	9903 से 11171	0	9903 से 11171	100	0 से 9032	1893 से 9903	17 से 100
कवर्धा	6589 से 9315	अनुपलब्ध	6589 से 9315	100	0 से ा511	6589 से 8804	95 अ100
कोरिया	8820	51 से 432	8388 से 8769	95 से 99	51 से 432	8388 से 8769	95 से 99
महासमुंद	16748 से 19259	0 से 2157	16748 से 19259	88 से 100	0 से 4314	16748 से 18963	76 से 100

(स्त्रोतः विभाग द्वारा प्रस्तुत किये गये अभिलेखों से संकलित)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि पाँच नमूना जाँच जिलों में ग्राम पंचायतों द्वारा किये गये अनुश्रवण/परीक्षणों में 100 प्रतिशत की कमी थी। तीन नमूना जाँच जिलों (धमतरी, कोरिया एवं महासमुन्द) में कमी का प्रतिशत 52 से 100 तक था। आगे यह देखा गया कि आठ नमूना जाँच जिलों के प्रयोगशालाओं द्वारा किये गये अनुश्रवण/परीक्षणों में कमी 75 से 100 प्रतिशत तक थी। जांजगीर चाँपा में कमी का प्रतिशत 17 से 100 तक था रायपुर में यह बताया गया कि ग्राम पंचायतों द्वारा 100 प्रतिशत परीक्षण किये गये किन्तु सत्यापन हेतु लेखा परीक्षा को परीक्षण रिर्पोट व परीक्षण अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये (मई 2012)।

अतः ग्राम पंचायतों एवं सम्भागीय प्रयोगशालाओं द्वारा किये गये परीक्षणों में कमी के कारण बसाहटों द्वारा प्रदूषित जल के इस्तेमाल की आशंका से इंकार नही किया जा सकता।

निर्गम बैठक में शासन ने लेखा परीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया एवं बताया (फरवरी 2013) कि ग्राम पंचायतों द्वारा परीक्षण नही किये जा रहे थे तथा परीक्षणों की संख्या बढ़ाने के लिए मोबाईल परीक्षण वैन का क्रय किया गया है।

(स) प्रयोगशालाओं हेतु रीएजेन्टस् का क्रय न किया जाना

प्रयोगशालाओं में जल नमूनों के जैविक, भौतिक एवं रसायनिक प्रदूषण के विभिन्न पैमानों जैसे कि पी एच, टोटल हार्डनेस, आयरन, क्लोरीन नाइट्रेट, आर्सेनिक, फ्लोराइड इत्यादि के परीक्षण हेतु रीएजेन्टस् की आवश्यकता होती है।

आठ[16] नमूना जाँच जिलों में यह देखा गया कि समीक्षा अवधि के दौरान दो से पाँच वर्ष की अवधि हेतु प्रयोगशालाओं द्वारा जल गुणवत्ता परीक्षणों के लिए आवश्यक रीएजेन्टस् क्रय नही किये गये **(परिशिष्ट 3.2.12)।** यधपि धमतरी जिले में रीएजेन्टस् क्रय किये गये थे।

अतः जिला प्रयोगशालाओं के पास जल नमूनों के परीक्षण हेतु रसायन/रीएजेन्टस् उपलब्ध नही थे तथा रीएजेन्टस् क्रय नही किये जाने के परिणामस्वरूप जल स्त्रोतों के गुणवत्ता परीक्षण नही हो सकेंगे।

निर्गम बैठक में शासन ने लेखा परीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया एवं बताया (फरवरी 2013) की रीएजेनटस को निधि की कमी के कारण क्रय नही किया गया था जिसे एनआरडीडब्लूपी के अर्न्तगत निराकृत कर लिया गया है एवं आवश्यक रीएजेन्टस् वर्तमान में क्रय किये जा रहे है।

(द) ग्राम पंचायतों को फील्ड टेस्ट किटों के वितरण में कमी

डब्लू क्यू एम एण्ड एस दिशानिर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायतों द्वारा फील्ड टेस्ट किटों (एफ टी के) को ग्रामों के पेयजल स्त्रोतों के रसायनिक एवं जैविक प्रदूषण के प्राथमिक स्तर पर पता लगाने हेतु प्रयोग किया जाना चाहिए। प्रत्येक ग्राम पंचायतों को एक एफटीके तथा इसके अतिरिक्त राज्य, जिला एवं ब्लॉक स्तर पर क्रमशः एक, तीन एवं दो किट प्रदान की जायेगी।

छः जिलों के अभिलेखों की जाँच में हमने देखा कि सभी ग्राम पंचायतों को एफ टी के वितरित नही किये गये थे। हमने यह भी देखा कि कुछ मामलों में एफ टी के भण्डार में उपलब्ध रहते हुए भी ग्राम पंचायतों को वितरित नही किये गये। वर्ष 2007-12 के दौरान वितरित किये गये एफ टी के का विवरण निम्नानुसार है।

तालिका 13: एफ टी के के क्रय एवं वितरण का विवरण

जिला	क्रय वर्ष	सम्भाग द्वारा क्रय प्राप्त किए गए एफ टी के की संख्या	जिला/सम्भाग में ग्राम पंचायतों को संख्या	ग्राम पंचायतों को वितरित एफ टी के की संख्या	जिला/सम्भाग के अनुपलब्धत एफ टी के वाले ग्राम पंचायतों की संख्या	एफ टी के का अंतशेष
1	2	3	4	5	6=(4-5)	7 = (3-5)
अम्बिकापुर	2009-10	867	1090	867	223	0
बिलासपुर	2009-10 से 2010-11	1180	856	618	238	562
कवर्धा	2008-09 से 2010-11	400	368	150	218	250
महासमुंद	2009-10 से 2011-12	450	491	350	141	100
रायपुर	2009-10	1150	1204	1150	54	0

(स्रोतः विभाग द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों से संकलित)

अतः ग्राम पंचायतों को एफ टी के वितरण नही किये जाने के परिणामस्वरूप ग्रामों के सभी जल स्त्रोतों का रसायनिक एवं जैविक प्रदूषण के प्राथमिक स्तर पर पता लगाने हेतु परीक्षण नही किये जा सके।

[16] अम्बिकापुर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, जांजगीर चांपा, कवर्धा, कोरिया, महासमुंद, रायपुर

निर्गम बैठक में शासन ने बताया (फरवरी 2013) कि प्रकरण की जाँच की जायेगी।

(ई) अवितरित फील्ड टेस्ट किट/ रीएजेन्टस् का कालातीत होने के कारण राशि ₹ 23.21 लाख का निरर्थक व्यय

एफटीके एवं रीएजेन्टस् पर निरर्थक व्यय हुआ।

तीन सम्भागों के अभिलेखों की जाँच के दौरान देखा गया कि जल गुणवत्ता परीक्षण के दिशानिर्देशों के अनुरूप उपसम्भागों/ग्राम पंचायतों में उपलब्ध एफ टी के और रीएजेन्टस् वितरित नही किये गये। एफ टी के की उपलब्धता एवं वितरण का विवरण नीचे दिया गया हैं:

तालिका 14: एफ टी के एवं रीएजेन्टस् के उपलब्धता एवं उपयोगिता अवधि की समाप्ति का विवरण

जिले का नाम	प्रकार	क्रय एवं प्राप्ति वर्ष	क्रय इकाईयाँ	वितरित इकाईयाँ	अवितरित इकाईयाँ	कालातीत इकाइयाँ	दर	योग
बिलासपुर	एफ टी के	2009-10 एवं 2010-11	1180	618	562	562	2614.5	1469349
कवर्धा	एफ टी के रीएजेन्टस्	2010-11	200	68	132	132	1245	164340
रायपुर	एफ टी के रीएजेन्टस्	2010-11	1000	823	177	550[17]	1250	687500
	योग		**2380**			**1244**		**2321189**

(स्त्रोत विभाग द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों से संकलित)

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता हैं कि तीन जिलों में कुल उपलब्ध 2380 एफटीके जिनमें से 1244 एफटीके वितरित नही किये गये और उनकी उपयोगी जीवन (एक वर्ष) की वैधता भी समाप्त हो गयी थी।

इसके अतिरिक्त देखा गया कि रायपुर में उपलब्ध 1000 एफटीके रीएजेन्ट में से केवल 373 ही वितरित किये गये थे (मई से जून 2012) जिनकी उपयोगी जीवन (फरवरी 2012) की वैधता अवधि भी समाप्त हो गयी थी।

इस प्रकार, 1244 एफ टी के और रीएजेन्ट वितरित न करने से न केवल राशि ₹ 23.21 लाख का निरर्थक व्यय हुआ बल्कि डब्लू क्यू एम एंड एस कार्यक्रम के उद्देश्य एवं प्रयोजन की पूर्ति भी नहीं की जा सकी।

निर्गम बैठक के दौरान शासन ने बताया (फरवरी 2013) कि इस प्रकरण की जांच की जायेगी।

(फ) आयरन रिमूवल प्लांट की स्थापना न होना

भू-जल, आयरन, फ्लोराइड, आर्सेनिक आदि अशुद्धियों से प्रभावित थे। विभाग के प्रशासनिक प्रतिवेदन (2011-12) के अनुसार राज्य में आयरन प्रभावित बसाहटें 2003-04 में 4932 से 2011-12 में 8747 तक वृद्धि हुई थी। आगे ए ए पी के अनुसार जल में उपस्थित उच्च मात्रा में आयरन की शुद्धता के लिए स्टैण्ड अलोन सिस्टम आयरन रिमूवल प्लांट (आई आर पी) (नीरी मॉडल)[18] हैण्ड पंपो में स्थापित किया जाये।

[17] 373 रीएजेन्टस् कालातीत होने के पश्चात जारी किए गए

[18] आई आर पी (नीरी मॉडल) नेशनल एनवाइरमेन्टल इंजीनियरिंग रिसर्च इन्सटीट्यूट नागपुर द्वारा विकसित एक आयरन रिमूवल प्लांट है।

आठ सम्भागों के अभिलेखों की जांच के दौरान देखा गया कि वर्ष 2009-10 से 2011-12 के दौरान एफटीके की स्थापना में कमी थी, जिसका विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 15: स्टैण्ड अलोन सिस्टम आयरन रिमूवल प्लांट (नीरी माडल) का लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ

जिले का नाम	वर्ष 2009-10			वर्ष 2010-11			वर्ष 2011-12		
	आई आर पी लक्ष्य	आई आर पी स्थापित	कमी	आई आर पी लक्ष्य	आई आर पी स्थापित	कमी	आई आर पी लक्ष्य	आई आर पी स्थापित	कमी
अम्बिकापुर	150	0	150	300	0	300	200	0	200
बिलासपुर	195	15	180	190	20	170	197	29	168
दंतेवाड़ा	213	0	213	470	0	470	469	0	469
धमतरी	25	0	25	75	0	75	70	0	70
जांजगीर-चांपा	25	0	25	50	0	50	0	0	-
कवर्धा	50	0	50	120	0	120	70	0	70
कोरिया	25	0	25	50	0	50	107	4	103
महासमुंद	13	0	13	35	0	35	35	0	35
योग	**696**	**15**	**681**	**1290**	**20**	**1270**	**1148**	**33**	**1115**

(स्रोतः विभाग द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों से संकलित)

उपरोक्त तालिका में देखा गया कि नमूना जांच में सम्मिलित 9 जिलों में से केवल 7 जिलों में आई आर पी की स्थापना में 100 प्रतिशत की कमी थी। बिलासपुर और कोरिया में कमी का प्रतिशत 85 से 96 प्रतिशत के बीच था, केवल रायपुर में कोई आयरन प्रभावित बसाहट नही थी।

कोरिया जिले के सीतापुर ब्लॉक के एक ग्राम में आयरन की उच्च मात्रा के कारण हैण्डपंपों में लाल प्लेटफॉर्म दिखाता फोटो





अतः आयरन प्रभावित स्त्रोतों में आई आर पी की स्थापना में कमी थी। इस प्रकार आयरन की उच्च मात्रा वाले पेयजल के उपयोग की आशंका से इंकार नही किया जा सकता है।

निर्गम बैठक के दौरान शासन ने बताया (फरवरी 2013) कि आई आर पी निर्माण और स्थापना एक विशिष्ट कार्य है जिसके लिए कर्मचारियों की सीमित संख्या में व्यक्ति उपलब्ध है। यद्यपि आई आर पी शीघ्र ही स्थापित किया जायेंगें।

3.2.8.5 सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान

ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे (बी पी एल) और गरीबी रेखा से उपर (ए पी एल) परिवारों के लिए, स्कूल और आंगनबाड़ी केन्द्रों (ए डब्लू सी) में स्वच्छता, खुले में शौच को समाप्त करने, पीने के पानी के स्रोतों और भोजन के संक्रमण के जोखिम को कम करने के लिए, शुष्क शौचालयों को बहाव शौचालयों में बदलने और हस्त सफाई प्रथा को खत्म करने में स्वच्छता अभियान में तेजी लाने के लिए भारत सरकार ने 1999 में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान (टी एस सी) का आरम्भ किया। स्वच्छ शौचालयों के निर्माण की लागत के लिए भारत सरकार, राज्य सरकार और बी पी एल लाभार्थी द्वारा 60:20:20 के अनुपात में साझा किया जायेगा। ए पी एल के मामले में 100 प्रतिशत लागत लाभार्थी द्वारा वहन की जायेगी और आंगनबड़ी केन्द्रों के लिए क्रमश 60:30:10 के अनुपात में भारत सरकार, राज्य सरकार और स्कूलों, आंगनबाड़ी केन्द्रों के लाभार्थी द्वारा साझा किया जायेगा।

(अ) लक्ष्यों की प्राप्ति न होना

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2007-08 के दौरान राशि ₹ 678.78 करोड़ की स्वीकृति 34.24 लाख स्वच्छता शौचालय के लिए (बी पी एल- 15.54 लाख, ए पी एल- 18.12 लाख, स्कूल- 0.48 लाख, आंगनबाड़ी केन्द्र-0.10 लाख) दी गई थी तथा इसे मार्च 2012 तक पूरा कर लिया जाना था। तदनुसार भारत सरकार और राज्य सरकार ने क्रमशः राशि ₹ 283.49 करोड़ एवं ₹ 143.22 करोड़ जारी किये गये थे, जिसमें से केवल ₹ 375.14 करोड़ का ही व्यय किया जा सका (मार्च 2012)।

वर्ष 2007-08 से 2011-12 तक के सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के विकास का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 16: सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत लक्ष्य एवं उपलधियाँ

स.क्रं.	श्रेणी	लक्ष्य (लाखों में)	उपलब्धि (लाखों में)	उपलब्धि का प्रतिशत
1	बी पी एल	15.54	10.52	67.70
2	ए पी एल	18.12	8.30	45.81
3	स्कूल	0.48	0.49	100
4	आंगनबाड़ी	0.10	0.10	100

(स्रोतः विभाग द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों से संकलित)

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि स्कूल और आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु लक्ष्य को पूरी तरह से प्राप्त किया गया है किन्तु बी पी एल और ए पी एल के संदर्भ में उपलब्धियों का प्रतिशत क्रमशः 68 और 46 था।

निर्गम बैठक के दौरान शासन ने बताया (फरवरी 2013) कि लक्ष्य प्राप्ति हेतु आवश्यक दिशानिर्देश जारी किये जायेंगे।

(ब) लैट्रिन पैन सेट के अनावश्यक क्रय के कारण निधि का अवरूद्व रहना राशि ₹ 2.29 करोड़

छत्तीसगढ़ वित्तीय नियम 118 कोड भाग 1 के अनुसार निश्चित आवश्यकताओं के आकलन के बाद ही क्रय किया जाना चाहिए।

लैट्रिन पैन सेट की अत्याधिक क्रय के कारण निधि अवरूद्ध रही।

अभिलेखों की जांच में यह पाया गया कि आवश्यकता के उचित मूल्यांकन के बिना विभाग द्वारा लैट्रिन पैन सेट टी एस सी हेतु खरीदे गये थे। नमूना जांच जिलों के पिछले पाँच वर्षो के दौरान लैट्रिन पैन-सेट की क्रय उपयोग एवं बचत का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 17: पैन-सेट का क्रय और उपयोग का विवरण

(₹ लाखों में)

जिलों का नाम	उपलब्ध पैन सेट की संख्या	उपयोग पैन सेट की संख्या	भण्डार में शेष पैन सेट की संख्या	औसत दर (रूपये में)	राशि
दंतेवाड़ा	15800	0	15800	244.37	38.61
धमतरी	32939	30431	2508	200.57	5.03
कोरिया	32300	13800	18500	204.38	37.81
महासमुंद	7280	0	7280	221.57	16.13
रायपुर	59923	0	59923	218.71	131.06
योग	**148242**	**44231**	**104011**		**228.64**

(स्रोतः विभाग द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों से संकलित)

पाँच जिलों की जाँच के दौरान देखा गया कि 148242 लैट्रिन पैन-सेट क्रय किये गये थे, जिसमें से 104011 लैट्रिन पैन-सेट राशि ₹ 2.29 करोड़ का पिछले एक से पाँच वर्षों तक उपयोग नही किया गया। अम्बिकापुर, बिलासपुर, जांजगीर-चांपा और कवर्धा के भण्डार पंजी लेखा परीक्षा के परीक्षण/जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं की गयी।

अतः आवश्यकता का आकलन किये बिना शौचालय पैन-सेट क्रय से राशि ₹ 2.29 करोड़ अवरूद्ध रही।

निर्गम बैठक के दौरान, शासन ने बताया (फरवरी 2013) कि पूरे राज्य में सत्यापन किया जा रहा है एवं तत्पश्चात कार्यवाही की जायेगी।

3.2.8.6 भण्डार प्रबंधन

भण्डार प्रबंधन की सुदृढ प्रणाली हेतु मजबूत कार्य प्रणाली, कुशल नियोजन, आवश्यक क्रय, मितव्ययी क्रय, मुद्दों पर नियंत्रण, समय पर लेखांकन और भौतिक सुरक्षा सम्मिलित है। हमारी जाँच/परीक्षण पर निम्नानुसार पाया गया:

(अ) भण्डार का भौतिक सत्यापन

छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता खण्ड-1 की नियम 126 और 133 के अन्तर्गत भण्डार का भौतिक सत्यापन किसी भी नामित अधिकारी के माध्यम से कार्यालय प्रमुख द्वारा वर्ष में एक बार सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

नमूना जांच में सम्मिलित जिलों के भौतिक सत्यापन की स्थिति निम्नानुसार है:

तालिका 18: आयोजित भौतिक सत्यापन का विवरण

जिलों का नाम	पिछले भौतिक सत्यापन का वर्ष
अम्बिकापुर	2011-12
दंतेवाड़ा	2008-09 से 2011-12
धमतरी	2008-09 से 2011-12
कवर्धा	2008-09
कोरिया	2010-11 से 2011-12
रायपुर	2007-08 से 2011-12

(स्रोतः विभाग द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों से संकलित)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट हैं कि भण्डार का भौतिक सत्यापन, अम्बिकापुर और कवर्धा में पिछले चार वर्षों से, कोरिया में पिछले तीन वर्षों से, दंतेवाड़ा और धमतरी में पिछले एक वर्ष से नही किये गये थे। बिलासपुर, जांजगीर-चांपा एवं महासमुंद द्वारा कोई भी जानकारी प्रस्तुत नही की गई।

निर्गम बैठक के दौरान शासन ने लेखापरीक्षा अभिमत को स्वीकर करते हुए बताया (फरवरी 2013) कि कड़ाई से अनुपालन हेतु निर्देश जारी किये जाएंगे।

(ब) अत्यधिक क्रय

छत्तीसगढ़ वितीय संहिता खण्ड एक के नियम 118 के अनुसार क्रय केवल निश्चित आवश्यकताओं के मूल्यांकन के पश्चात किया जाना चाहिए।

चार सम्भागों के अभिलेखों की जाँच में देखा गया कि भण्डार की क्रय आवश्यकता से अधिक की गयी थी एवं वर्ष 2007-08 से राशि ₹ 47.50 लाख मूल्य का भंडार जारी नही किया गया था। जारी नही किये गये भंडार का विवरण निम्न है।

तालिका 19: अप्रयुक्त मदों का विवरण

जिलों का नाम	मद का नाम	राशि (रूपये में)	क्रय वर्ष
दंतेवाड़ा	जी आई पाईप	193857	2009-10
धमतरी	जी आई पाईप	1230671	2010-11
	सी आई टाइटन पाईप	46758	2007-08
कवर्धा	जी आई पाईप	601239	2010-11
	ए सी पी पाईप	157996	2008-09
	सी आई टाइटन पाईप	1332029	2008-09
रायपुर	जी आई पाईप	40279	2007-08
	एच डी पी ई टैंक	1146915	2008-09
योग		**4749744**	

(स्रोतः विभाग द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों से संकलित)

आगे पीएचई के रायपुर सम्भाग में देखा गया कि वर्ष 2008-09 से 2011-12 के दौरान क्रय 770 फोर्स लिफ्ट पंपों में केवल 373 पंप ही इस अवधि में वितरित किये गये। शेष राशि ₹ 23.86 मूल्य के 373 फोर्स लिफ्ट पंप भंडार में थे। पीएचई, अम्बिकापुर, जांजगीर चांपा और कोरिया द्वारा भण्डार उपलब्धता संबंधी मद-वार विस्तृत विवरण प्रस्तुत नही किये गये।

अतः आवश्यकता से अधिक क्रय से निधि राशि ₹ 71.36 लाख अवरूद्ध रही।

निर्गम बैठक के दौरान शासन ने बताया (फरवरी 2013) कि जी आई पाईप का उपयोग कार्यों में किया जाएगा एवं प्रकरण की समीक्षा की जायेगी।

3.2.8.7 प्रशिक्षण

महिला प्रशिक्षण एवं सशक्तिकरण

एन आर डी डब्लू पी के दिशानिर्देश कंडिका 9.13 के अनुसार विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रम तथा अन्य प्रशिक्षण योजनाओं के अन्तर्गत हैण्डपंपों के कम से कम 30 प्रतिशत

मिस्त्री स्थानीय क्षेत्र/बसाहट की महिलाएं होनी चाहिए, क्योंकि वे हैण्ड पंपों का संचालन तथा अनुरक्षण दूसरों कि तुलना में बेहतर तरीके से कर सकती हैं। यह भी प्रावधानित हैं कि बसाहटों की विशिष्ट महिलाओं को ग्राम जल स्वच्छता समिति/पानी समिति का प्रतिनिधित्व करना चाहिए और कम से कम 50 प्रतिशत महिलाओं का संगठन बनाना चाहिए।

नमूना जाँच जिलों के अभिलेखों की जाँच में देखा गया कि स्थानीय क्षेत्र की महिलाओं को पंपों के संचालन तथा अनुरक्षण के लिए इस तरह का प्रशिक्षण नही दिया गया तथा ग्रामीण जल स्वच्छता समिति/पानी समिति में बसाहटों के विशिष्ट महिला को शामिल करने हेतु कोई कदम नही उठाया गया। अतः महिलाओं को प्रशिक्षित कर सशक्तिकरण तथा बसाहटों में हैण्ड पंप के अनुरक्षण के लिए महिलाओं की सहभागिता के उदेश्यों को प्राप्त नही किया जा सका।

निर्गम बैठक के दौरान शासन ने बताया (फरवरी 2013) कि ग्रामों में महिलाओं की भागीदारी के लिए जागरूकता पैदा की जा रही है।

3.2.9 निष्कर्ष

राज्य में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग जल आपूर्ति तथा स्वच्छता योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है। मार्च 2012 तक कुल स्वीकृत 128 शहरी जल आपूर्ति योजनाओं तथा 4824 नल जल आपूर्ति योजनाओं एवं स्थल जल योजनाओं में से केवल 69 शहरी जल आपूर्ति योजनाएं और 3636 नल जल आपूर्ति योजनाएं तथा स्थल जल योजनाएँ पूरी की गई थी। हमने देखा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में अपूर्णता थी क्योकि वी ए पी तथा डी डब्लू एस पी तैयार नहीं किये गये थे अतः यह ए ए पी का हिस्सा नही बन सके। इसके अलावा वर्ष 2003 के बाद से विभाग द्वारा विस्तृत बसाहट सर्वेक्षण नहीं किया गया। विभाग में विभिन्न स्तरों पर कर्मचारियों की कमी के कारण योजना की गतिविधियाँ अप्रभावी रही। विभाग आवंटित निधि को वाटर क्वालिटी एवं सस्टेनेबिलिटी के अन्तर्गत लक्ष्य की प्राप्ति हेतु उपयोग करने में असफल रहा। योजनाओं के अपूर्णता के कारण राशि ₹133.39 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ इसके अलावा निर्धारित दर अनुसूची तथा अनुबंध के प्रावधानों के अनुपालन में असफलता से अतिरिक्त लागत तथा ठेकेदारों को अनुचित लाभ दिया गया। विभाग द्वारा जल स्त्रोतों की गुणवत्ता परीक्षण के संचालन के लिए राज्य स्तर और उपसम्भागीय स्तर पर प्रयोगशाला स्थापित नहीं की गयी थी। फील्ड टेस्ट किट के वितरण नही होने के कारण उनकी वैधता अवधि-समाप्त हो गयी थी जिसके परिणामस्वरूप निरर्थक व्यय हुआ। भण्डारों की अत्यधिक उपलब्धता थी तथा भौतिक सत्यापन नियमित रूप से नही किया गया था।

3.2.10 अनुशंसाएं

हम अनुशंसा करते है कि विभाग को:

- विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विलेज एक्शन प्लान, डिस्ट्रिक्ट वाटर सिक्योरिटी प्लान तथा वर्तमान बसाहट सर्वेक्षण के आधार पर वार्षिक एक्शन प्लान तैयार करना चाहिए।
- विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रम के सुचारू क्रियान्वयन के लिए सभी रिक्त पद भरे जाने चाहिए।
- चिन्हित लाभार्थियों को लक्षित लाभ के विस्तार हेतु, निर्धारित अवधि में परियोजना पूरा किया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- सभी जल स्त्रोतों की नियमित अनुश्रवण के अलावा राज्य के लोगों को स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, राज्य स्तर और उपसम्भागीय स्तर पर प्रयोगशालाएँ स्थापित किया जाना चाहिए।

अध्याय 4

लेन-देनों की लेखापरीक्षा

- 4.1 नियमों और विनियमों का अनुपालन नहीं किया जाना
- 4.2 औचित्य लेखापरीक्षा तथा पर्याप्त न्यायसंगत के बिना व्यय के प्रकरण
- 4.3 दूरदर्शिता/प्रशासन की विफलता
- 4.4 निरन्तर एवं व्यापक अनियमितताएं

अध्याय 4

लेन-देनों की लेखापरीक्षा

4.1 नियमों और विनियमों का अनुपालन नहीं किया जाना

सुदृढ़ वित्तीय प्रशासन और वित्तीय नियंत्रण के लिए यह जरूरी है कि व्यय वित्तीय नियमों, विनियमों और सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के अनुरूप हो। यह न केवल अनियमितताओं, दुर्विनियोजन, और धोखाधड़ी से बचाता है, बल्कि अच्छा वित्तीय अनुशासन बनाये रखने में मदद करता है। नियमों और विनियमों का अनुपालन नही किये जाने के लेखापरीक्षा के कुछ निष्कर्ष नीचे दिये गये है।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

4.1.1 अतिरिक्त लागत

विभागीय निर्देश का पालन न होने से राशि ₹ 1.65 करोड़ के अतिरिक्त जीएसबी निर्माण कार्य पर अनियमित निष्पादन एवं राशि ₹ 3.28 करोड़ का अतिरिक्त व्यय

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाय) के सात पैकेजों के अंतर्गत 54 सड़क निर्माण कार्य के पेवमेंट थिकनेस डिजाइन के निष्पादन के लिए इन सड़कों के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)/मात्रा बिल (बीओक्यू) में 115 मि.मी. मोटाई के बारीक सब बेस (जी एस बी) निर्दिष्ट किया गया था। इसके अलावा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के विभागीय निर्देशों में (जून 2007) दिया गया था कि, डीपीआर/बीओक्यू के किसी मद में अधिक निष्पादन, 5 प्रतिशत तक अधीक्षण अभियंता (एसई) एवं 10 प्रतिशत तक मुख्य अभियंता (सीई) की पूर्व अनुमोदन आवश्यक था। आगे, आदेश में दिया गया था कि जहां निष्पादन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना किया गया हो वहां संबंधित कार्यपालन अभियंता (ईई) पर जिम्मेदारी तय किया जायेगा एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जायेगा।

कार्यपालन अभियंता सह सदस्य सचिव, (ईई) परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पीआईयू) क्रं. 1 पीएमजीएसवाय, रायगढ़ (मार्च 2011) के अनुमान, माप पुस्तिका चल खाता देयक/अंतिम देयक से संबंधित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि अप्रैल से जून 2007 के मध्य सात पैकेजों के अंतर्गत 54 सड़क निर्माण कार्यों के निष्पादन के लिए सात कार्यादेश जारी किये गये। आगे जांच से पता चला कि विभाग द्वारा 115 मिमी जीएसबी के विरूद्ध 200 मिमी से 210 मिमी मोटाई के जीएसबी निष्पादन हेतु अनुमति दी गई जो अनुबंध में दिए गए प्रावधान में प्राक्कलित लागत से 73.91 प्रतिशत से 82.61 प्रतिशत अधिक था । हालांकि, निष्पादित जीएसबी की अतिरिक्त मात्रा हेतु सक्षम प्राधिकारी से पहले अनुमोदन नही लिया था। इस प्रकार, जीएसबी के अतिरिक्त निष्पादन न केवल अनियमित था, बल्कि परिणामतः ₹ 1.65 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त लागत था जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 4.1** में दिया गया।

अभिलेखों की आगे जांच में देखा गया कि उक्त निर्माण कार्य के दो अन्य मदों[1] में किए गए कार्य की मात्रा में 19.54 से 159.80 प्रतिशत की असामान्य वृद्धि हुई थी। इन निर्माण कार्यो में भी सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमोदन के बिना निष्पादन कराया गया जिससे ₹ 3.28 करोड़ का अप्राधिकृत व्यय हुआ विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 4.2** में दिया गया है।

हमने यह भी देखा कि अधीक्षण अभियंता (एसई), पीएमजीएसवाय मण्डल रायगढ़ (अक्टुबर 2009 से जनवरी 2011) ने डीपीआर/बीओक्यू से 10 प्रतिशत से अधिक निष्पादित मात्रा के लिए भुगतान की गई राशि, विविध निर्माण कार्य (एमपीडब्ल्यूए) को अंतरण कर संबंधित कार्यपालन अभियंता, सहायक अभियंता (एई) और सलाहकार से वसूली के निर्देश जारी किए गए। मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण (सीजीआरआरडीए) ने भी कार्यपालन अभियंता के अतिरिक्त मात्रा के निष्पादन की स्वीकृति के अनुरोध पर विचार करने से इंकार किया (नवम्बर 2009) और कहा कि सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना अतिरिक्त निष्पादन के लिए भुगतान की गई जो ठेकेदारों को अनुचित लाभ का प्रदान होना पाया गया, जिसके लिए संबंधित ईई के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू किया जाना चाहिए। इस प्रकार, ईई द्वारा भुगतान की गई ₹ 4.93 करोड़ अप्राधिकृत था।

हमारे द्वारा इंगित किए जाने के पश्चात (मार्च 2011) ईई ने बताया कि प्राकक्लन में निर्दिष्ट जीएसबी की मात्रा प्रशासकीय अनुमोदन मिलने के छः माह पूर्व किए गए सर्वेक्षण के आधार पर किया गया था। निर्माण कार्य के वास्तविक निष्पादन के दौरान मार्ग क्षतिग्रस्त पाया गया एवं प्राकक्लन के अनुसार जीएसबी का निष्पादन संभव नहीं था। इसलिए सड़कों के आयु में वृद्धि करने के लिए उच्च मोटाई के जीएसबी का निष्पादन किया गया। ईई ने यह भी बताया कि (मार्च 2011) अन्य मदों की निष्पादित अतिरिक्त मात्रा निर्माण कार्य की आवश्यकता अनुसार था एवं उच्च अधिकारियों की अनुमोदन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था।

इसके अलावा, लेखापरीक्षा अवलोकन के संदर्भ में ईई ने (जुलाई 2012) सीईओ द्वारा प्रस्तुत उत्तर की छायाप्रति लेखापरीक्षा को पृष्ठांकित किया। उत्तर एवं संलग्न अभिलेखों की जांच में हमने पाया कि, सीईओ, सीजीआरआरडीए ने लेखापरीक्षा अवलोकन के संबंध में प्रकरण जांच हेतु एसई को निर्देश जारी किया (7 जुलाई 2012)। यद्यपि, एसई (7 जुलाई 2012) ने जीएसबी के अतिरिक्त निष्पादन से लागत मूल्यों में बदलाव एवं संबंधित ईई, एई एवं सलाहकार के विरूद्ध एमपीडब्ल्यूए में पहले की गई डेबिट का समायोजन हेतु सीईओ के आदेश की सूचना प्राप्ति के दिन ही (7 जुलाई 2012) ईई द्वारा प्रस्तुत की गई उपर वर्णित समस्त 54 सड़कों के संशोधित पेवमेंट डिजाइन को अनुमोदित किया (7 जुलाई 2012)।

उच्च अधिकारी पूर्व में अतिरिक्त निष्पादित मात्रा की स्वीकृति से एक बार इंकार कर दिया था और संबंधित कर्मचारियों के विरूद्ध एमपीडब्ल्यूए में डेबिट कर वसूली के निर्देश दिए गए, आदेशों पर कार्यवाही न करना एवं बाद में उपरोक्त अतिरिक्त निष्पादन का अनुमोदन समकक्ष प्राधिकारी द्वारा किया जाना अनियमित था।

[1] मद क्र. 3.4 बोरोपिट से प्राप्त सामग्री से तटबंध का निर्माण
मद क्र. 6.4 सीमेंट कांक्रीट पेवमेंट का निर्माण

अतिरिक्त मुख्य सचिव, (एसीएस) पंचायत एवं ग्रामीण और विकास विभाग चर्चा के दौरान (मार्च 2013), ईई के भाग में प्रक्रियात्मक चुक पर सहमति होते हुए कहा कि इन सड़कों का डीपीआर सलाहकारों द्वारा तैयार किया गया था। इन कार्यो के शुरू करने से पहले प्रारंभिक स्तर के सर्वेक्षण और निर्माण सामग्री का आवश्यक परीक्षण किया गया था। स्पंज आयरन/रोलिंग मिल इत्यादि के प्रारंभ होने से रायगढ़ जिले में तीव्र औद्योगिकरण होने के कारण ग्रामीण सड़कों पर यातायात में अत्यधिक वृद्धि हुई। यातायात डाटा एवं उपग्रेड के सीबीआर[2] मूल्य को ध्यान में रखते हुए परत के लिए आवश्यक मोटाई को परिवर्तित किया गया। आगे यह भी कहा गया कि इस अवधि के दौरान विभाग में कर्मचारियों की भारी कमी होने के बावजूद कई सड़क निर्माण कार्य निष्पादित किया गया और वर्तमान में सभी सड़कें अच्छी स्थिति में है। हालांकि, लेखापरीक्षा के सुझाव के आधार पर वह मामले की समीक्षा करने पर सहमत हुए एवं कहा कि यदि कोई अनियमितता पाया गया तो उचित कार्यवाही किया जावेगा।

यद्यपि एसीएस के कथन में कहीं भी कारण नहीं दिया गया था कि डीपीआर/बीओक्यू में निर्दिष्ट मात्रा से अतिरिक्त निष्पादन के लिए ईई ने पहले अनुमोदन क्यों नहीं लिया गया, जो आवश्यक था।

4.1.2 संदिग्ध व्यय

जीएसबी, डब्ल्यूबीएम, एचएस और बीटी कार्यों के पूर्ण होने के पश्चात मिट्टी कार्य निष्पादन पर राशि ₹ 1.06 करोड़ का भुगतान संदिग्ध व्ययों को इंगित करता है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी एम जी एस वाई) के अंतर्गत ग्रामीण सड़को के निर्माण के लिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार (एम.ओ.आर.डी) द्वारा अनुमोदित भारतीय सड़क कांग्रेस (आई.आर.सी.) अगस्त 2004 द्वारा प्रकाशित ग्रामीण सड़को के स्पेसिफिकेशन को अंगीकृत किया है। बीटी पेवमेन्ट के निर्माण के लिए निर्धारित पद्धति के अनुसार सर्वप्रथम मिट्टी कार्य निष्पादित किया जाता है और उसके बाद ग्रेन्यूलर सब-बेस (जी एस बी), वाटर बाउंड मेकाडम (डब्ल्यूबीएम) ग्रेड-II और ग्रेड-III और हार्ड शोल्डर (एच.एस.), बिटूमेन टेक (बी टी) अथवा सीमेंट कांक्रीट (सी.सी.) निष्पादित किया जाता है।

पी.एम.जी.एस.वाई[3] के दो कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाइयों के अभिलेखों की जाँच (दिसंबर 2010) से पता चला कि छ पैकेजो[4] के अंतगर्त 11 बीटी सड़को के निर्माण का कार्यादेश ठेकेदारों को जारी किया गया । एम्बैंक्मेन्ट के निर्माण के लिए मिट्टी कार्य की कुल मात्रा 153790.09 घन मी. मापा गया और ₹ 1.36 करोड़ का भुगतान किया गया था । तथापि हमने पाया कि जीएसबी, डब्ल्यूबीएम, बीटी या सीसी पेवमेन्ट और हार्ड शोल्डर का निष्पादन होने के बाद एम्बैंक्मेन्ट के लिए मिट्टी कार्य का माप पुनः लिया गया और माप पुस्तिका (एम.बी.) में दर्ज किया गया। संशोधित माप के आधार पर ठेकेदारों द्वारा निष्पादित मिट्टी कार्य की कुल मात्रा 268353.60 घन मीटर, मूल्यांकन राशि

2 कैलीफोर्निया बीयरिंग रेशियो (सीबीआर), सड़क उपग्रेड और बेस कोर्सेस के मेकेनिकल स्ट्रैन्थ के मूल्यांकन के लिए पेनेट्रेशन टेस्ट है

3 कार्यपालन अभियंता (ईई), कार्यक्रम क्रियान्वयन ईकाई (पीआईयू) नं पीएमजीएसवाई जगदलपुर ईई, पीआईयू क्रं.-1 पीएमजीएसवाई, एवं पी आई यू क्रं. 1 पी एम जी एस वाई अंबिकापुर।

4 जगदलपुर में दो पैकेजों में दो सड़क एवं अंबिकापुर में चार पैकेजों मे नौ सड़क

₹ 2.42 करोड़ संगणित की गई थी। इस प्रकार जीएसबी, डब्ल्यूबीएम और बीटी कार्य के निष्पादन के पश्चात् मिट्टी के एम्बैंक्मेन्ट के शीर्ष चौड़ाई को लेते हुए एम्बैंक्मेन्ट के लिए अतिरिक्त मिट्टी कार्य का पुनर्माप कर ₹ 1.06 करोड़ अंतर की राशि का भुगतान किया गया जैसा कि विवरण **परिशिष्ट 4.3** में दर्शाया गया है। चूंकि मिट्टी कार्य की पुनर्गणना सड़कों के निर्माण के पूर्ण होने के बाद की गई अतः इस प्रकार से अतिरिक्त मिट्टी कार्य के लिए ₹ 1.06 करोड़ का किया गया भुगतान संदिग्ध है।

हमारे द्वारा इसे इंगित (दिसम्बर 2010) किये जाने पर शासन ने कहा (नवम्बर 2012) कि 1:2 के पार्श्व ढाल के लिए आवश्यक चौड़ाई एवं प्रोफाईल में मिट्टी का कार्य केवल तभी निष्पादित हो सकता है जबकि जमीन की आवश्यक चौड़ाई उपलब्ध हो। पीएमजीएसवाई के अंर्तगत सामान्यतः 7.5 मी. चौड़ाई के शीर्ष निर्माण के साथ 3.75 मी. चौड़ाई के पेवमेंट का निर्माण किया जाता है। मिट्टी के कार्य के लिए नीचे की चौड़ाई साधारणतः 10.5 मी. से 11.5 मी (फार्मेशन की उंचाई पर निर्भर) होनी चाहिये। कुछ सड़कों मे (विशेष रूप से खेत भाग में) फील्ड में फसल के कारण कुछ भागों में जमीन की आवश्यक चौड़ाई उपलब्ध नहीं हो पाती। ऐसे प्रकरणों में कार्य पूर्णतः (जैसा कि ठेका अनुबंध में नियत) में विलंब से बचने के लिए उपलब्ध चौड़ाई पर मिट्टी का कार्य किया जाता है। तत्पश्चात, इसी बीच इन मार्गों पर जीएसबी और डब्ल्यूबीएम का कार्य कर दिया जाता है। जमीन उपलब्ध होने के पश्चात् आवश्यक ढलान और प्रोफाइल के साथ निर्धारित चौड़ाई में मिट्टी कार्य किया जाता है। बीटी कार्य पूरा होने के पश्चात् गणना की गयी मिट्टी के कार्य मात्रा, मिट्टी कार्यों की अद्यतन मापें थी, जिसमें से पूर्व में भुगतान की गयी मात्रा घटायी गयी एवं शेष मात्रा का भुगतान किया गया। शासन ने आगे कहा कि मिट्टी के कार्य की अद्यतन मात्रा प्राप्त करने के लिए कार्य पूर्ण होने के पश्चात अंतिम लेवल लिया गया और मिट्टी कार्य की कुल मात्रा में से क्रस्ट की मात्रा, हार्ड और साफ्ट शोल्डर की मात्रा को शामिल करते हुए, घटायी गयी।

जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सड़क की शीर्ष चौड़ाई जो कि 7.5 मी. थी को लेते हुए माप दर्ज नही की गई इसके बदले एम्बैंक्मेन्ट की ऊँचाई को मिट्टी कार्य के शीर्ष स्तर तक लेते हुए (शीर्ष निर्माण लेवल की चौड़ाई 8.98 मी से 9.22 मी. की सीमा के मध्य, के साथ) मापें दर्ज की गयी जो कि जिएसबी, डब्ल्यूबीएम, और बीटी या सीसी पेवमेंट कार्य के निष्पादन के पश्चात संभव नही था । शासन द्वारा जमीन की आवश्यक चौड़ाई की अनुपलब्धता के संबंध मे उल्लेख किया गया तथ्य गलत है क्योंकि हार्ड शोल्डर का निष्पादन भी जीएसबी, डब्ल्यूबीएम और बीटी या सीसी कार्य के साथ किया गया था। निष्पादित मिट्टी कार्य के लंबित भुगतान के प्रकरण भी नहीं पाये गये चूंकि पूर्व में माप किये गये मिट्टी कार्य का भुगतान तत्समय ही कर दिया गया था। इस प्रकार सड़क कार्य को पूर्ण होने के पश्चात् मिट्टी कार्य की अत्यधिक बढ़ी हुई मात्रा दर्शाते हुए अतिरिक्त मिट्टी कार्य का पुनर्माप लेकर ठेकेदारों को किया गया ₹ 1.06 करोड़ का भुगतान संदिग्ध होने एवं ठेकेदार को अदेय लाभ पहुंचाये जाने की ओर इंगित करता है।

4.2 औचित्य लेखापरीक्षा तथा पर्याप्त न्यायसंगत के बिना व्यय के प्रकरण

लोक निधि से व्यय का प्राधिकार सार्वजनिक व्यय का औचित्य और दक्षता के सिद्धान्तों के द्वारा प्राधिकृत किया जाता है। व्यय करने का प्राधिकार उसी तरह होना चाहिये जैसे एक व्यक्ति को अपने स्वयं के धन के संबंध में व्यय करने से होता है तथा हर कदम पर वित्तीय व्यवस्था एवं सख्त अर्थव्यवस्था को लागू किया जाना चाहिये। लेखापरीक्षा में अनौचित्य एवं अतिरिक्त व्यय के मामले पाये गये हैं।

गृह (पुलिस) विभाग

4.2.1 निष्क्रिय निवेश

पुलिस कार्मिक हेतू सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के लिये चिकित्सकीय एवं अन्य स्टाफ के सेटअप की स्वीकृति देने में शासन द्वारा असफल रहने के कारण ₹ 7.21 करोड़ का निष्क्रिय निवेश।

छत्तीसगढ़ शासन ने रायपुर में 100 बिस्तर वाला सुपर स्पेशियलिटी पुलिस अस्पताल के निर्माण हेतू ₹ 4.60 करोड़ प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किया (जुलाई 2006)। अस्पताल का उद्देश्य नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के जख्मी पुलिस कार्मिको तथा उनके आश्रितों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएँ मुहैया कराना था। भवन स्थल में परिवर्तन, विट्रीफाइड टाईल्स, ढॉचागत ग्लेजिंग की लागत में वृद्धि तथा मात्रा एवं दरों में वृद्धि के कारण ₹ 7.14 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किया (अगस्त 2008)। लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण पर कुल राशि ₹ 7.21 करोड़ का व्यय किया जा कर कार्य पूर्ण (अगस्त 2009) किया गया तथा पुलिस विभाग को अस्पताल भवन हस्तांतरित किया (सितम्बर 2010)।

पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, रायपुर के अभिलेखों की जाँच (अप्रैल 2011) के दौरान देखा गया कि, पुलिस विभाग को हस्तांतरण (सितम्बर 2010) पश्चात भी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल का परिचालन चिकित्सीय स्टाफ एवं उपकरण के अभाव में नहीं किया जा सका (मई 2011 तथा जुलाई 2012)। यद्यपि अस्पताल की स्थापना के लिये सैद्धांतिक अनुमोदन के आधार पर चिकित्सकीय एवं अन्य स्टाफ की स्वीकृति हेतू वर्ष 2004-05 में शासन से आग्रह किया गया था लेकिन पुलिस विभाग द्वारा अवधि 2008-11 के दौरान लगातार पत्राचार[5] किये जाने के बाद भी शासन स्तर पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। आगे, शासन से चिकित्सकीय स्टाफ के सेटअप की स्वीकृति न मिलने के कारण निजी एजेंसी के माध्यम से अस्पताल के प्रचालन हेतू पुलिस महानिदेशक ने शासन को एक प्रस्ताव भेजा (जून 2011)। यद्यपि, शासन ने न तो स्टाफ सेटअप की स्वीकृति दी और न ही पुलिस महानिदेशक (जून 2011) के प्रस्तावानुसार अस्पताल के प्रचालन हेतू आवश्यक व्यवस्थाएँ की। इस तरह, सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के प्रचालन हेतु निर्णय लेने में असधारण विलम्ब के कारण ₹ 7.21 करोड़ का

[5] पत्राचार दिनांक 12-10-2004, 02-09-2008, 19-12-2008, 30-12-2008, 30-6-2009, 13-10-2010, एवं 11-08-2011

निष्फल व्यय हुआ साथ ही पुलिस कार्मिक तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को सुपर स्पेशियलिटी हास्पीटल से मिलने वाले लाभों से वंचित रखा गया।

हमारे द्वारा इंगित (अप्रैल 2011) किये जाने के पश्चात् पुलिस महानिदेशक ने बताया (जुलाई 2012) कि चिकित्सकीय एवं अन्य स्टाफ की स्वीकृति न मिलने तथा मशीनरी/उपकरण के क्रय न किये जाने के कारण अस्पताल का प्रचालन नहीं किया जा सका।

उत्तर पुष्टि करता है कि शासन द्वारा चिकित्सकीय एव अन्य स्टॉफ की स्वीकृति हेतू कोई भी कदम उठाया नहीं गया (जूलाई 2012 तक) जिससे कि ₹ 7.21 करोड़ का निष्क्रिय व्यय हुआ तथा निहित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा सकी (मार्च 2013)।

प्रकरण शासन के ध्यान में लाया गया (जुलाई 2012) उनका उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2013)।

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास विभाग

4.2.2 निष्फल व्यय

विभाग के द्वारा पायलट प्रशिक्षण पूर्ण कराने में असफलता के परिणामस्वरूप ₹ 2.34 करोड़ का निष्फल व्यय।

राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं गरीबी रेखा से नीचे अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को पायलट प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास विभाग (आदिवासी विभाग) छत्तीसगढ़ शासन ने (मई 2008, सितंबर 2009, एवं सितंबर 2010) मेसर्स साईं फ्लाइटेक एविएशन प्राईवेट लिमिटेड ,बिलासपुर (एजेंसी) से समझौता किया। समझौते के अनुसार प्रशिक्षण की अवधि वाण्ज्यिक पायलेट लायसेंस (सीपीएल) के प्रथम बैच के 9 छात्रों के लिये 12 महीने तथा द्वितीय एवं तृतीय बैच के छात्रों के लिए 18 महीने की थी। पायलट प्रशिक्षण महानिदेशक, नागरिक उड्डयन (डी जी सी ए) के एयरक्राफ्ट नियम, 1937 के अनुसूची-II के सेक्शन, जे, में वर्णित नियमों[6] के आधार पर कराया जाना था।

एजेंसी का चयन राज्य नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा दी गई अनुमति (जून 2007) के आधार पर किया गया था जो कि इस शर्त पर आधारित थी कि एजेंसी चक्रभाटा, बिलासपुर में फ्लाइंग क्लब की स्थापना एवं हवाई पट्टी का उपयोंग करेगी तथा प्रत्येक बैच[7] में 09 सीटें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए

6 डी जी सी ए नियमों के अनुसार वाणिज्यिक पायलट लायसेंस (सी पी एल) के प्रतिभागी को सी पी एल के आवेदन की तारीख से ठीक पहले की तारीख से 05 वर्ष की अवधि में 200 घंटों से कम उड़ान का अनुभव नहीं होना चहिए, जिसमें के कम से कम 100 घंटे का उड़ान समय एक पायलट-इन-कमांड (पी आइ सी) के तौर पर जिसमें कि कम से कम 15 घंटे आवेदन की तारीख से ठीक पिछली तारीख से 06 महीने की अवधि का होना चाहिए; पी आई सी के तौर पर कम कम 20 घंटे का अंतर्देशीय उड़ान जिसमें दो विभिन्न ऍरोड्रम पर फुल स्टॉप लैंडिंग के साथ कम से कम 300 नॉटिकल मील की अंर्तदेशीय उड़ान; कम से कम 10 घंटे का इंस्ट्रुमेंट समय जिसमें कम से कम 05 घंटे एक अनुमोदित सिम्युलेटर के तौर पर, हो, और कम कम 5 घंटे का रात्रि में उड़ान समय जिसमें कम से कम 10 टेक ऑफ व 10 लैंडिंग पी आई सी के तौर पर आवेदन की तारीख से ठीक पिछली तारीख से छः महीने की अवधि में किया गया हो।

7 प्रत्येक वर्ग से 03 छात्र।

आरक्षित रखेगी। आदिवासी विभाग ने एजेंसी के साथ एक समझौता किया कि एजेंसी ₹ 12.90[8] लाख (₹ 10.40 लाख उड़ान के लिए एवं ₹ 2.50 लाख अन्य समस्त व्ययों के लिए) प्रति छात्र की दर से 200 घंटों की उड़ान एवं अन्य आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करेगी। समझौते के अनुसार एजेंसी को आवश्यक रुप से प्रत्येक महीने एक मासिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करनी थी तदानुसार चार[9] चरणों में एजेंसी को भुगतान किया जाना था।

आयुक्त, आदिवासी विभाग के अभिलेखों की जांच (अप्रैल 2012) में यह देखा गया कि 29 छात्रों (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग, प्रत्येक से प्रतिवर्ष 03 छात्र एवं प्रतिस्थापन के कारण 02 अतिरिक्त छात्र) का अवधि 2008-11 में उपरोक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए प्रवेश लिया गया और तीन वर्षों के प्रशिक्षण के लिए कुल ₹ 2.72 करोड़ का भुगतान (उड़ान एवं अन्य व्ययों के लिए) किया गया। यद्यपि, हमने देखा कि तीनों बैचों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के 29 छात्रों में से केवल 03 छात्रों ने 200 घंटे की उड़ान पूर्ण की तथा वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस (सी पी एल) पाया । जबकि 11 छात्रों ने 150 घंटों का प्रशिक्षण पूर्ण किया, 09 छात्रों ने 50 घंटों का प्रशिक्षण पूर्ण किया तथा 4 छात्रों ने प्रशिक्षण बीच में ही छोड दिया। इस प्रकार, प्रथम दो बैचों के प्रशिक्षण की अवधि (जून 2009 तथा अप्रैल 2011) पूरी होने के बाद भी केवल तीन छात्र ही डी जी सी ए से उड़ान के लिए लायसेंस पा सके। यद्यपि हमने पाया कि एजेंसी द्वारा प्रत्येक छात्र की प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं की गई थी तथा एजेंसी को भुगतान उसके द्वारा उड़ान की लॉग बुक के साथ प्रस्तुत किये गए देयकों के आधार पर कर दिया गया।इस प्रकार, आदिवासी विभाग द्वारा प्रशिक्षण की प्रगति को निगरानी करने में विफलता के फलस्वरूप प्रथम दो बैच के 15 छात्रों की 200 घंटों की निर्धारित अवधि की प्रशिक्षण पूर्ण नहीं की जा सकी।

हमने आगे पाया कि भारतीय सेना द्वारा हवाई पट्टी को अपने अधिकार क्षेत्र में (नवम्बर 2011) लेने के कारण, एजेंसी द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम 15 नवम्बर 2011 से बीच में ही बंद कर दिया गया जिसके परिणामस्वरूप प्रथम एवं द्वितीय बैच के 15 एवं तृतीय बैच के 09 छात्रों की भी प्रशिक्षण अधूरी रह गयी (मार्च 2013)। यद्यपि एजेंसी ने आदिवासी विभाग से छत्तीसगढ़ शासन प्रायोजित छात्रों के नेवई, राजस्थान स्थित वनस्थली विद्यापीठ ग्लाइडिंग एवं फ्लाइंग क्लब में स्थानांतरित करने की सहमति (नवम्बर व दिसम्बर 2011 तथा जनवरी 2012) मांगी थी किन्तु आदिवासी विभाग ने अपना निर्णय एजेंसी को सूचित नहीं किया (मार्च 2013)। इस प्रकार, आदिवासी विभाग द्वारा अनुश्रवण में असफलता तथा प्रथम एवं द्वितीय बैच की प्रशिक्षण को 12 महीने व 18 महीने के तय समय में न करवा पाने तथा छात्रों को दूसरी एजेंसी में स्थानांतरण की कार्यवाही शुरू न करने के कारण 24 छात्रों की प्रशिक्षण अपूर्ण रह गई। इससे न केवल

[8] इसमें ₹ 13.00 लाख, ₹ 6500 प्रति घंटे की दर पर एवं इस पर 20 प्रतिशत छूट सम्मिलित था।

[9]

उडान लागत का 40 प्रतिशत तथा अन्य व्ययों का 100 प्रतिशत	कार्यादेश जारी करने के समय
उडान लागत का 30 प्रतिशत	50 घंटे की उड़ान पूर्ण करने पर
उड़ान लागत का 20 प्रतिशत	150 घंटे की उड़ान पूर्ण करने पर
उड़ान लागत का 10 प्रतिशत	प्रशिक्षण पूर्ण करने पर

छात्र सीपीएल पाने से वंचित रह गए वरन् सीपीएल पाने के लिए छात्रों पर किए गए व्यय ₹ 2.34 करोड़ निष्फल रहा।

हमारे द्वारा इंगित (सितम्बर 2012) किये जाने के बाद शासन ने कहा (नवंबर 2012) कि सेना द्वारा अप्रत्याशित तरीके से हवाई पट्टी का अधिग्रहण कर लेने के कारण प्रशिक्षण बंद कर दी गई। बाद में यह कहा गया कि पायलट प्रशिक्षण कोर्स का माध्यम अंग्रेजी में था और चूंकि प्रशिक्षार्थी गरीबी रेखा से नीचे के तथा हिन्दी माध्यम से शिक्षित होने के कारण प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक नियत समय में पूर्ण नहीं किया जा सका। डीजीसीए ने भी अभ्यर्थियों के लिए इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशियेंसी लेवल-4 को सी पी एल के लिए उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया था (अक्टूबर 2010)। इसी दौरान, आदिवासी विभाग ने अभ्यार्थियों को अंग्रेजी में प्रशिक्षण देने के लिए कार्यवाही की, पर संस्थान बंद हो गया। यद्यपि यह कहा गया कि नागरिक उड्डयन विभाग के सहयोग से प्रशिक्षण के शेष भाग को एक अन्य एजेंसी वनस्थली विद्यापीठ ग्लाइडिंग एवं फ्लाइंग क्लब, राजस्थान से पूर्ण कराने की प्रक्रिया प्रगति में है। साथ में यह भी कहा गया कि सी पी एल के मानक को पूर्ण करने के लिए वर्ष 2012-13 के बजट में ₹ 30.00 लाख का प्रावधान है। इसलिए, इस स्तर पर इस निष्कर्ष पर पहुँचना न्यायसंगत नहीं है कि प्रशिक्षण पर किया गया व्यय निष्फल था।

शासन का जवाब स्वीकार्य नहीं है कि क्योंकि छात्रों की प्रशिक्षण की प्रगति की नियमित रूप से निगरानी कर प्रशिक्षण को स्वीकृत अवधि में पूर्ण होने को सुनिश्चित किये जाने में असफल रहा। विभाग भी 15 महीने हवाई पट्टी के बंद रहने से उत्पन्न व्यवधान के बाद भी प्रशिक्षण कार्यक्रम को पूर्ण करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने में असफल रहा।

जल संसाधन विभाग

4.2.3 अतिरिक्त लागत

निर्दिष्ट उंचाई से अधिक सी.सी. लाईनिंग से फ्री बोर्ड के कार्य की स्फीतिपूर्ण रूपांकन एवं निष्पादन करने के फलस्वरूप ₹ 1.48 करोड़ का अतिरिक्त लागत

जल संसाधन विभाग मध्य प्रदेश शासन (म.प्र.शा.) द्वारा 1989 में जारी तकनीकि परिपत्र क्रमांक 19 जिसे छत्तीसगढ़ शासन (छ.ग.शा.) द्वारा भी यथावत अपनाया गया था इसके अनुसार नहर तट के लिए सीमेंट कांक्रीट की ऊंचाई (स्वतंत्र बोर्ड[10]) नहर के निर्वहन के आधार पर पूर्ण आपूर्ति स्तर (एफ.एस.एल.[11]) से 20 से.मी. से 60 से.मी तक उपर होना चाहिए। जैसा कि आगे दिये तालिका में दर्शित है:

[10] रूपांकन स्थिति के अनुसार नहर के तटबंधों के शीर्ष से जल प्रदाय की उद्धवाधर दूरी फ्री बोर्ड है।

[11] चैनल में जल का स्तर को पूर्ण प्रदाय स्तर कहा जाता है जब यह अपनी पूर्ण जल प्रवाह को प्रवाहित करता है।

तालिका 1: लाईनिंग एवं नहर किनारे के लिये फ्री बोर्ड

नहर का जल प्रवाह (क्युमिक)	फ्री बोर्ड (से.मी.)	
	लाईनिंग के लिये	नहर के किनारे के लिये
1 से कम	20	45
1 से 3	30	60
3 से 10	35	75
10 से 25	40	75
25 से 50	45	90
50 से 100	50	100
100 से अधिक	60	120

मुख्य अभियंता महानदी गोदावरी कछार रायपुर द्वारा तांदुला मुख्य नहर कृषि कमांड क्षेत्र 68,219 हेक्टेयर से 1,03,705 हेक्टेयर करने के लिए सीमेंट कांक्रीट लाईनिंग (सी.सी.) की पुरी लम्बाई को मौजूदा एफ.एस.एल से 60 से.मी. ऊंचाई के साथ फ्री बोर्ड डिजाईन किया गया।

तदनुसार तांदुला मुख्य नहर के 0 मील से 68.80 मील के पेवर मशीन के द्वारा टी एम सी में रिमाडलींग तथा सी सी लाईनिंग कार्य जिसमें की आवश्यकतानुसार सी एन एस मिट्टी से नहर का उपचार शामिल है, के लिए निविदा आमंत्रण सूचना जारी किया गया (जुलाई 2003 एवं फरवरी 2005)। कार्य एकमुश्त अनुबंध के आधार पर तीन अलग-अलग समूहों (फरवरी 2004 और अक्टूबर 2005) में प्रदान किया गया था। अनुबंध की संभावित राशि ₹ 97.26[12] करोड़ थी। सभी तीन कार्यों के अंतिम देयकों द्वारा ₹142.65 करोड़ का भुगतान मार्च 2007 से अगस्त 2009 के बीच में किया गया।

कार्यपालन अभियंता (का.अ.) तांदुला, जल संसाधन संभाग, दुर्ग के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि 83.15 क्युमेक से 15.56 क्युमेक (प्रारंभ से अंत तक) नहर का जल प्रवाह की सीमा और मौजूदा एफ.एस.एल. के ऊपर सीमेंट कांक्रीट लाईनिंग 60 से.मी. ऊँची फ्री बोर्ड का रूपांकन मुख्य अभियंता महानदी गोदावरी कछार द्वारा किया गया था। जल संसाधन विभाग द्वारा जारी तकनीकी परिपत्र के अनुसार 83.15 क्युमेक से 15.56 क्युमेक का उपरोक्त जल प्रवाह के लिये 50 से.मी. से 40 से.मी. तक एफ.एस.एल. के उपर फ्री बोर्ड का रूपांकन किया जाना था। 60 से.मी. के निश्चित ऊँचाई का फ्री बोर्ड का सीमेंट कांक्रीट लाईनिंग का कार्य किया गया था जो उपरोक्त तकनीकी परिपत्र के अनुरूप नहीं था। अतः इस प्रकार के स्फीतिपूर्ण लाईनिंग की रूपांकन बनाने एवं निर्दिष्ट ऊँचाई से अधिक सीमेंट कांक्रीट लाईनिंग का फ्री बोर्ड का कार्य के कारण 5060.77 घ.मी. सीमेंट कांक्रीट का अधिक खपत हुआ जिसके कारण

[12] चैनल में जल का स्तर को पूर्ण प्रदाय स्तर कहा जाता है जबकि यह अपनी पूर्ण जल प्रवाह को प्रवाहित करता है।

आर.डी. (मील में)	पी.ए.सी. (₹ करोड़ में)	निर्धारित अवधि (वर्षाऋतु सहित)	ठेके की राशि	अनुबंध क्रमांक	कार्य आदेश का दिनांक	अंतिम भुगतान (₹ करोड़ मे)
0-23	36.99	30 महीने	64.98	36 डीएल (03-04)	25.02.04	64.98
23-46	29.88	30 महीने	52.02	37 डीएल (03-04)	25.02.04	52.02
46-68.8	30.39	24 महीने	26.25	15 डीएल (05-06)	31.10.05	25.65
योग	97.26		143.25			142.65

₹ 1.01 करोड़ का अतिरिक्त व्यय सीमेंट कांक्रीट लाईनिंग के क्रियान्वयन के कारण हुआ (**परिशिष्ट 4.4**) इसके अलावा मुरूम का सी.एन.एस. का स्तर निर्दिष्ट ऊँचाई के बाहर सीमेंट कांक्रीट लाईनिंग के कार्य के नीचे अवांछित था जिसके कारण ₹ 47.00 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ।

इस प्रकार स्फीतिपूर्ण रूपांकन तैयार करने एवं सीमेंट कांक्रीट लाईनिंग व सी.एन.एस. की वांछित मात्रा से अधिक कार्य के कारण ₹ 1.48 करोड का अतिरिक्त व्यय हुआ।

इस ओर इंगित किये जाने पर (जनवरी 2012) राज्य शासन द्वारा (अक्टूबर 2012) बताया गया कि फ्री बोर्ड के निर्धारण के लिये सार्वभौमिक नियम उपलब्ध नहीं थे क्योंकि नहर में लहर या पानी के सतह में उतार चढ़ाव अनियमित होने के कारण हो सकता है। नहर में फ्री बोर्ड कहीं अन्य कारणों से भी हो सकता है जैसे नहर का आकार, अधिक पानी आमद, जल स्तर में उतार चढ़ाव, संरेखंण में टेढ़ापन, सड़क संचालन की आवश्कतताओं आदि पर निर्भर करता है। इन कारणों से फ्री बोर्ड की चौड़ाई में वृद्वि 0.06 मीटर हुआ। इसके अलावा यह भी कहा गया कि टी.एम.सी. प्रणाली वर्ष 1912 में बनाया गया था जिसका उद्देश्य केवल सिंचाई को पूरा करने के लिये रूपांकन किया गया था। इसके बाद 1956 से भिलाई इस्पात संयंत्र (बी.एस.पी.) को पानी की आपूर्ति शुरू की गई। जल स्तर में उतार चढ़ाव के कारण फ्री बोर्ड का स्तर बढ़ाया गया जो कि तकनीकी परिपत्र क्रमांक 19/डी.एस. के प्रावधानों के अनुरूप है क्योंकि शीर्ष बांध स्तर (टी.बी.एल.) की ढलान में वृद्धि की अनुमति थी। आगे यह भी बताया गया कि टैंक 68219 हेक्टेयर क्षेत्र का सिंचाई के लिये रूपांकन किया गया था। किन्तु कमांड क्षेत्र विकसित कर 89809 हेक्टेयर में किया गया, यद्यपि इसको विकसित करने के लिये सिंचाई हेतु 1,03,800 हेक्टेयर तक भूमि उपलब्ध थी, जिसमें अनुपयुक्त नहर प्रणाली के कारण आपूर्ति नहीं हो पाई। उसे तांदूला परियोजना के तहत लाया जा सकता है। यह भी कहा गया था कि लेखापरीक्षा आपत्ति विशिष्ट रूप से जल प्रवाह पर आधारित था जबकि इस संबंध में नहर का सिर्फ औसत जल प्रवाह है। सिंचाई उद्देश्यों के अलावा भिलाई इस्पात संयंत्र के लिये अतिरिक्त जल प्रवाह को सार्वजनिक हित में पूरा करने के लिये फ्री बोर्ड के ऊँचाई और चौड़ाई जरूरी है।

शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि तांदुला मुख्य नहर के परियोजना रिपोर्ट में मौजूदा संचित कमांड का क्षेत्रफल 68,219 हेक्टेयर एवं लाईनिंग के पश्चात् कुल क्षेत्रफल बढ़कर 1,03,705 हेक्टेयर नहर का सीमेंट कांक्रीट लाईनिंग रूपांकन किया गया था। 60 से.मी. की ऊँचाई का फ्री बोर्ड में लाईनिंग तभी किया जाना चाहिए था जब नहर का जल प्रवाह 100 क्युमेक से अधिक हो। चूंकि रूपांकन के लिये संभावित हेक्टेयर हेतु सिंचाई क्षमता एवं कमांड क्षेत्र पहले से ही परियोजना प्रतिवेदन में था, सीमेंट कांक्रीट लाईनिंग का रूपांकन वास्तविक जल प्रवाह के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए था। इसके अलावा तूफान, पानी, जल स्तर में उतार चढ़ाव, संरेखंण वक्रता की वजह से जल स्तर की वृद्धि के बारे में विभाग के फ्री बोर्ड की ऊँचाई के रूप में स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि इन सभी स्थितियों को ध्यान में रखकर फ्री बोर्ड की उचाई को निर्धारित किया गया था।

4.2.4 गलत मूल्यांकन

अवास्तविक प्राक्कलन तैयार किए जाने एवं विस्तृत सर्वेक्षण तथा उचित मूल्यांकन के बिना कार्य प्रदाय किए जाने के परिणामस्वरूप ₹ 1.34 करोड़ का अतिरिक्त लागत

कार्य विभाग नियमावली के कंडिका 2.026 के अनुसार किसी भी वृहद् परियोजना हेतु सर्वेक्षण कार्य अधीक्षण अभियंता (एसई) द्वारा प्रारंभ किया जाएगा एवं परिणाम मुख्य अभियंता (सी.ई.) के माध्यम से शासन को प्रस्तुत किया जावेगा। प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त होने पर सर्वेक्षण और जांच का कार्य चालू किया जाता है। आगे कंडिका 7.003(क) के अनुसार सर्वेक्षण का कार्य शुरू होने से पहले बैंच मार्क उपयुक्त स्थानों पर स्थापित किया जाएगा और सर्वेक्षण का कार्य सौंपे गये उप अभियंता ही सर्वेक्षण की शुद्धता के लिये पूरी तरह जिम्मेदार होंगे।

महानदी परियोजना के कि.मी.20 से कि.मी.27 तक का भाटापारा शाखा नहर का शेष मिट्टी कार्य का मद दर निविदा[13] की स्वीकृति ठेकेदार "अ" के पक्ष में मुख्य अभियंता महानदी परियोजना रायपुर (जनवरी 2007) के द्वारा स्वीकार किया गया। अनुबंध की संभावित राशि ₹ 3.94 करोड़ थी एवं निविदा स्वीकृति राशि (दिसम्बर 2007) ₹ 2.36 करोड़ थी जो कि 40.07 प्रतिशत एस.ओ.आर. अनुसूची से कम दर थी (दिसम्बर 2003)। कार्यादेश (जनवरी 2007) आठ माह की पूर्णता अवधि (वर्षा ऋतु सहित) में कार्य पूर्ण हेतु जारी किया गया। ठेकेदार को कार्य हेतु ₹ 2.80 करोड़ का अंतिम भुगतान (दिसम्बर 2008) किया गया था।

कार्यपालन अभियंता (ई.ई.) महानदी जलाशय परियोजना, तिल्दा के प्राक्कलन, निष्पादन माप-पुस्तिका, भुगतान संबंधित अभिलेखों आदि की समीक्षा (अक्टुबर 2011) में पाया गया कि पांच मदों के लिये एक निविदा आमंत्रित किया गया था जिसमें छः ठेकेदारों ने निविदा प्रक्रिया में भाग लिया था। "जी" अनुसूची में सम्मिलित पांच मदों में से मद क्रमांक-3 "डिजाइन प्रोफाइल में नहर के आधार तल और पार्श्व ढलान में हार्डरॉक की खुदाई एवं विस्फोट" आदि के लिये ठेकेदार "अ" द्वारा ₹ 10 प्रति घन मीटर दर अंकित किया था जबकि एस.ओ.आर. में दर ₹ 197.05 प्रति घन मीटर था। मद क्रमांक 3 की लागत, अनुबंध की कुल संभावित राशि (पी.ए.सी.) के 67 प्रतिशत[14] था, इस असंतुलित दर के साथ अन्य चार मदों की दरों को शामिल करते हुए ठेकेदार एल-1 अर्थात् न्यूनतम निविदादाता बनाने के लिये सक्षम था एवं उसकी निविदा स्वीकार कर लिया गया (जनवरी 2007)।

आगे जांच में हमने देखा कि ठेकेदार "अ" द्वारा मद क्रं. 3 की अनुमानित मात्रा का केवल 26013.91 घनमीटर (19.21 प्रतिशत) निष्पादित किया जबकि समझौते के अनुसार मद क्रमांक-3 का अनुमोदित मात्रा 135407.57 घनमीटर था। यद्यपि अनुबंध में क्रमशः 77553.94 घनमीटर एवं 65474.09 घनमीटर की तुलना में मद क्रमांक-1 एवं 2 ठेकेदार द्वारा 152627.61 घनमीटर (197 प्रतिशत) एवं 87040.57 घनमीटर (132.94 प्रतिशत) क्रमशः निष्पादित किया गया। हमने वास्तविक निष्पादित मात्रा के आधार पर प्रस्ताव को सुधार कर अवलोकित किया तो देखा कि सबसे कम बोली लगाने

[13] मिट्टी कार्य

[14] ₹ 2.67 करोड़ ÷ ₹ 3.94 करोड़ X 100 = 67 प्रतिशत

वाला (एल-1) एल-5 बन जाएगा एवं दूसरा सबसे कम बोली लगाने वाला (एल-2) एल-1 बन जाएगा। इस प्रकार जो कार्य एल-2 ठेकेदार द्वारा ₹ 1.47 करोड़ में निष्पादित किया जा सकता था उसे एल-1 ठेकेदार अ द्वारा ₹ 2.80 करोड़ में निष्पादित किया गया। यह इस बात को इंगित करता है कि विभाग द्वारा पर्याप्त सर्वेक्षण कराये बिना प्राक्कलन की तैयारी एवं निविदा बुलाने का कार्य किया गया जिससे हार्डरॉक की प्राक्कलित मात्रा एवं निष्पादित मात्रा में व्यापक भिन्नता हुआ। अगर प्राक्कलन तैयार करने के स्तर पर क्रियान्वित किया जा रहा कार्य की मात्रा का उचित मुल्यांकन किया गया होता तो कार्य कम कीमत में पूरा किया जा सकता था। इस प्रकार उचित सर्वेक्षण और जांच के बिना अनुमान तैयार करने से शासन को ₹ 1.34 करोड़ का अतिरिक्त लागत आयी। (**परिशिष्ट 4.5**)

हमारे द्वारा इंगित किए जाने के पश्चात (मई 2012) शासन ने कहा (दिसम्बर 2012) कि प्राक्कलन शीर्ष नहर खण्ड पर पाए गए स्ट्राटा के आधार पर तैयार किया गया। खुदाई के दौरान हार्डरॉक जैसे पाया गया यह चट्टानों के टुकड़े के हालत में था और साफ्टरॉक एवं हार्डरॉक के बीच में नरम मिट्टी था। इसलिए मिट्टी की मात्रा एवं हार्डरॉक में विभिन्नता थी जिसकी तुलना प्राक्कलन एवं भुगतान तदनुसार उच्च प्राधिकारियों का अनुमोदन प्राप्त होने के बाद किया गया था। अपर्याप्त सर्वेक्षण के संबंध में कार्यपालन अभियंता (दिसम्बर 2012) का कहना है कि सर्वेक्षण कार्य खण्ड-खण्ड भाग में किया था और कोई विस्तृत सर्वेक्षण रिपोर्ट विभाग के पास उपलब्ध नहीं था।

कार्यपालन अभियंता का उत्तर यह स्वीकार करता है कि प्राक्कलन तैयार करने एवं निविदा आमंत्रण करने से पहले निर्माण विभाग के नियमावली में निर्दिष्ट, विस्तृत सर्वेक्षण एवं जांच नहीं की गई। इसके अलावा शासन का उत्तर भी विस्तृत सर्वेक्षण निश्चित किए बिना प्राक्कलनों की तैयारी के बारे में स्पष्ट नहीं था।

श्रम विभाग

4.2.5 निष्फल व्यय

संजीवनी एम्बुलेंस योजना अंतर्गत एम्बुलेंस का वांछित उद्देश्यों हेतु उपयोग न होने के कारण ₹94.93 लाख का निष्फल व्यय

कर्मकारो के नियोजन एवं सेवा की शर्तो का विनियमन करने तथा उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण् संबंधी उपायों के संबंध मे भारत शासन (जी.ओ.आई.) के द्वारा भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तो विनियमन) अधिनियम 1996 बनाया । तद्नुसार छ.ग. शासन के द्वारा सितम्बर 2008 मे भवन एव अन्य संन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (वेल फेयर बोर्ड) का गठन किया गया। कल्याण बोर्ड के द्वारा बोर्ड मे पंजीकृत सदस्यों को निशुल्क एम्बुलेंस सेवाएँ प्रदान करने हेतु संजीवनी एम्बुलेंस योजना प्रारंभ किया गया (अप्रैल 2010) । श्रम विभाग के द्वारा इस आशय हेतु एक अधिसूचना भी जारी किया गया था (जून 2011)। इस योजना का व्यय कल्याण बोर्ड निधि जिसमें निर्माण कार्यों पर भारित श्रम कल्याण उपकर की प्राप्तियाँ तथा कल्याण बोर्ड के पंजीकृत सदस्यों से अर्जित प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं, को विकलनीय होगा।

कल्याण बोर्ड के द्वारा निर्माण स्थल पर दुर्घटना होने की स्थिति में, अपने पंजीकृत सदस्यों को, योजनांतर्गत निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा प्रदान करने हेतु राशि ₹ 60.80 लाख की लागत से 15[15] एम्बुलेंस का क्रय किया गया (मई 2010)। एम्बुलेंसों को छ.ग. के विभिन्न जिलों के श्रम कार्यालयों एवं सहायक श्रम कार्यलयों को (जून 2010 एवं नवम्बर 2010) आबंटित किया गया।

कल्याण बोर्ड के अभिलेखों (मार्च 2012) की जांच के दौरान देख गया कि राज्य के विभिन्न जिलों के श्रम कार्यलयों एवं सहायक श्रम कार्यलयों को आबंटित (जून 2010 एवं नवम्बर 2010) एम्बुलेंस का उपयोग निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा प्रदान करने हेतु नहीं किया गया चूंकि एक भी रोगी को एम्बुलेंस से परिवहन नहीं किया गया। आगे वाहन के लागबुक[16] की नमूना जांच में पाया गया कि एम्बुलेंस का उपयोग नियमित शासकीय कार्यों के लिए किया गया था। कल्याण बोर्ड के द्वारा (मार्च 2012 तक) वाहन चालकों के वेतन एवं ईंधन पर ₹ 20.68 लाख एवं ₹ 13.45 लाख क्रमशः व्यय किया गया। इस प्रकार एम्बुलेंस का क्रय एवं तत्पश्चात् रोगियों के परिवहन हेतु उपयोंग नहीं किए जाने के परिणाम स्वरूप ₹ 94.93 लाख[17] का निष्फल व्यय हुआ तथा वांछित उद्देश्य की प्राप्ति नहीं की जा सकी।

हमारे द्वारा इंगित किए जाने के पश्चात् (मार्च 2012) शासन के द्वारा जवाब में बताया (सितम्बर 2012) गया कि जागरूकता पैदा करने हेतु 104 पंजीकरण शिविर एवं 30 बैठकों का आयोजन किया गया जिसके परिणामस्वरूप 3.70 लाख श्रमिकों का पूरे राज्य में पंजीयन किया गया तथा योजना से 88 रोगी लाभान्वित हुए। आगे यह बताया गया कि योजना से संबंधित जानकारियाँ एम्बुलेंस पर प्रदर्शित की गई। तथापि, राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा "108 संजीवनी एम्बुलेंस" के संचालन के कारण पंजीकृत श्रमिकों का संजीवनी एम्बुलेंस योजना के प्रति कम झुकाव दिखा। इस परिपेक्ष्य में संजीवनी एम्बुलेस योजना का नाम परिवर्तित कर (सितम्बर 2012) मोबाईल पंजीकरण वैन एवं इन एम्बुलेंसों का उपयोग अब श्रमिक पंजीकरण एवं प्रचार प्रसार हेतु किया जा रहा है। ईंधन एवं वाहन चालकों का वेतन व्यय के संबंध मे कहा गया कि एम्बुलेंस एवं कर्मचारियों की सेवाओं का उपयोग प्रचार एवं प्रसार की गतिविधियों हेतु किया गया है अतएव उपरोक्त को निष्फल नहीं कहा जा सकता ।

शासन के द्वारा दिए गए जवाब इसकी पुष्टि करता है कि एम्बुलेस की आवश्यकता का क्रय के पूर्व मूल्यांकन नहीं किया गया था। आगे शासन के द्वारा 88 श्रम रोगियों के परिवहन के लिए एम्बुलेंस के उपयोग का तर्क भी स्वीकार्य योग्य नहीं है चूँकि इसके समर्थन में लेखापरीक्षा के द्वारा दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाये जाने पर कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। विभाग के द्वारा योजना का नाम "संजीवनी एम्बुलेंस" से परिवर्तित कर "मोबाईल पंजीकरण वैन" करना तथा इसका उपयोग श्रमिकों के पंजीकरण हेतु करने (सितम्बर 2012) के तथ्य से ही स्पष्ट है कि योजना के निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति नहीं हुई तथा एम्बुलेंस के क्रय एवं उनके परिचालन पर किया गया व्यय निष्फल रहा।

15 15 मई 2010 में सात एम्बुलेंस ₹ 28,37,477 एवं अगस्त 2010 में आठ एम्बुलेंस ₹ 32,42,831

16 बिलासपुर, धमतरी, दुर्ग, जगदलपुर, कोरबा, रायपुर, रायगढ़, एवं राजनांदगांव

17 एम्बुलेंस क्रय में ₹ 60.10 लाख, वाहन चालकों के वेतन खाते में ₹ 20.68 लाख एवं ईंधन प्रभार खाते में ₹13.45 लाख

ग्रामोद्योग विभाग

4.2.6 निरर्थक व्यय

डी. पी. आर. बनने के पश्चात योजना को लागू करने में राज्य शासन की असफलता के परिणामस्वरूप ₹ 83.14 लाख का निरर्थक व्यय।

विनिर्माण सेवाओं और कृषि गतिविधियों में संलग्न ईकाईयों को एक भौगोलिक स्थान में एकीकृत करने तथा लघु और सूक्ष्म उद्यमों में उत्पादन व रोजगार के विस्तार के उद्देश्य से असंगठित क्षेत्र उद्यम राष्ट्रीय आयोग (एनसीईयूएस), भारत शासन के द्वारा देश के विभिन्न भागों में "ग्रोथ पोल्स" के गठन का प्रस्ताव रखा गया (सितम्बर 2005)।

कार्यालय प्रबंध संचालक खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड (केव्हीआईबी), रायपुर के पायलेट ग्रोथ पोल परियोजना से संबंधित अभिलेखों की जांच (जनवरी 2012) में पाया गया की छत्तीसगढ़ शासन द्वारा असंगठित क्षेत्र के विकास हेतु कोण्डागांव में ग्रोथपोल की स्थापना के लिए भारत शासन को प्रस्ताव (सितम्बर 2005) प्रेषित किया गया एवं चिन्हित ग्रोथपोल परियोजना के विस्तृत विवरण तैयार किए जाने हेतु तकनीकी अध्ययन प्रारंभ किए जाने की इच्छा जाहिर की। छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड (सीआईडीसी) को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार करने का कार्य सौपा गया (मई 2006)। सीआईडीसी द्वारा ₹ 8.50 लाख की लागत पर मेसर्स कंसलटिंग इंजीनियरिंग सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड (सीईसी) को डी.पी.आर. तैयार करने हेतु नियुक्त किया गया। उक्त फर्म द्वारा डीपीआर तैयार कर भारत शासन (अगस्त 2006) को प्रस्तुत किया गया परंतु इसके स्तरीय नहीं होने के कारण अनुमानित लक्ष्यों की प्राप्ति न हो पाने की आशंका के चलते भारत सरकार द्वारा डीपीआर को निरस्त कर दिया गया। तद्नुसार एनसीईयूएस की अनुशंसा पर सीआईडीसी द्वारा सीईएस की सेवाएँ समाप्त (सितम्बर 2006) कर दी गई। सी.आई.डी.सी. के द्वारा ₹ 3.64 लाख का व्यय विज्ञापन (₹ 1.26 लाख) एवं सलाहकार को भुगतान (₹ 2.37 लाख) हेतु किया गया।

फलस्वरूप, ग्रामोद्योग विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा डीपीआर के निर्माण हेतु राष्ट्रीय समाचार पत्र के माध्यम से निविदाएँ आमंत्रित (सितम्बर 2006) की गई। एक मात्र निविदाकर्ता इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एण्ड फिनेनशियल सर्विसेज लिमिटेड (आईएलएफएस) नई दिल्ली का चयन (दिसम्बर 2006) तयशुदा लागत ₹ 79.50 लाख पर कार्य संभाव्यता प्रतिवेदन तैयार करने हेतु किया गया। तद्नुसार, एनसीईयूएस द्वारा ग्रोथ पोल का डीपीआर तैयार करने हेतु प्रबंध संचालक खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, रायपुर को भुगतान हेतु ₹ 79.50 लाख की स्वीकृति प्रदान किया गया एवं आईएलएफएस को सलाहकार संस्था के रूप में चयन को अनुमोदन प्रदान किया गया। कोण्डागांव ग्रोथ पोल परियोजना पर आईएलएफएस द्वारा तैयार प्रारंभिक प्रतिवेदन फरवरी 2007 में एनसीईयूएस के समक्ष प्रस्तुत किया। तथापि एनसीईयूएस द्वारा कोण्डागांव क्षेत्र को निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु असंभाव्य मानकर अन्य क्षेत्र के चयन का सुझाव दिया गया। तद्नुसार जांजगीर चांपा का चयन किया गया। आईएलएफएस द्वारा डीपीआर तैयार कर प्रस्तुत किया गया (दिसम्बर 2008) जिसे योजना आयोग द्वारा स्वीकृत किया

गया (जनवरी 2009) तथा अनुबंध के अनुसार था ईएलएफएस को ₹ 79.50 लाख का भुगतान किया गया।

तद्नुसार, भारत शासन ने छत्तीसगढ़ शासन को परियोजना की आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया जिससे की व्यय वित्त समिति (ईएफसी) के समक्ष शीघ्रातिशीघ्र टीप प्रस्तुत कर इस हेतु वित्तीय स्वीकृति तथा बजट आवंटन प्राप्त किया जा सके। तथापि, योजना आयोग की स्वीकृति के तीन वर्ष व्यतीत होने के पश्चात् भी राज्य शासन द्वारा ग्रोथ पोल परियोजना (जी पी पी) के क्रियान्वयन हेतु कोई कार्यवाही प्रारंभ नही की गई।

इस प्रकार राज्य शासन के द्वारा कार्यवाही न किए जाने के कारण दिसम्बर 2012 तक डी पी आर के निर्माण पर व्यय राशि ₹ 79.50 लाख का निर्धारित उद्देश्य हेतु लाभकारी उपयोग नही किया जा सका। साथ ही, सी आई डी सी द्वारा डी पी आर के निर्माण हेतु सलाहकार को किए गए भुगतान तथा विज्ञापन पर किया गया व्यय ₹ 3.64 लाख भी निष्फल रहे।

उपरोक्त तथ्य इंगित किए जाने पर (जनवरी 2012) शासन द्वारा बताया गया (सितम्बर 2012) कि परियोजना को क्रियान्वित करने की अनुमानित लागत ₹ 127.20 करोड़ होगी। डी पी आर के अनुसार परियोजना की लागत का विभाजन भारत शासन एनसीईयूएस, राज्य शासन, बैंक तथा निजी क्षेत्र के बीच किया जाना था। दुर्भाग्यवश, भारत शासन की मुख्य क्रियान्वयन अभिकरण (एनसीईयूएस) बंद हो गई (अप्रैल 2009) जिससे की परियोजना के क्रियान्वयन में विलंब हो रहा था। आगे यह भी बताया गया कि भारत शासन से निधि का प्रावधान इस प्रकार करने का अनुरोध किया गया है (सितम्बर 2012) की राशि ₹ 40.70 करोड़ (32 प्रतिशत) भारत शासन द्वारा ₹ 39.43 करोड़ (31 प्रतिशत) निजी क्षेत्र द्वारा तथा ₹ 47.06 करोड़ (37 प्रतिशत) बैंको एवं राज्य शासन द्वारा देय हो। तथापि खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग तथा केवीआईबी परियोजना का क्रियान्वयन राज्य शासन के सहयोग से करना चाह रहे थे तथा राज्य शासन के माध्यम से बजट आबंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उत्तर यह सुनिश्चित करता है कि राज्य शासन, भारत सरकार, के निर्देशानुसार (फरवरी 2009) बजट आवंटन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने में विफल रही तथा इस हेतु कार्यवाही सितम्बर 2012 में तीन वर्षो के विलंब पश्चात ही प्रारंभ किया गया। अतएव परियोजना के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा कार्यवाही न किए जाने के कारण डीपीआर तैयार के पश्चात निश्चित लक्ष्य की पूर्ति नही हो सकी जिसके फलस्वरूप मार्च 2013 तक व्यय राशि ₹ 83.14 लाख (₹ 79.50 लाख + ₹ 3.64 लाख) निरर्थक सिद्ध हुई। यह भी देखा गया कि केवीआईबी के द्वारा परियोजना लागत में वृद्धि की संभावना को देखते हुए प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन को तीन वर्ष पूर्व निर्मित डीपीआर (दिसम्बर 2008) को पुनरीक्षित करने का अनुरोध किया है (मार्च 2012)।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

4.2.7 अधिक भुगतान

डब्ल्यू.बी.एम. के दरों के गलत निर्धारण के कारण ठेकेदार को अधिक भुगतान राशि ₹ 35.25 लाख

कार्यपालन अभियंता (का.अभि) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) के द्वारा प्र.मं.ग.स.यो. अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण एवं संधारण हेतु दरों की अनुसूची (एस ओ आर अगस्त 2005) के अनुसार तैयार प्राक्कलन के आधार पर मद दर पर निविदा आमंत्रित किया गया (सितंबर 2006)। अप्रैल 2007 में एक ठेकेदार के साथ अनुबंध किये गये व 12 माह, वर्षाऋतु सहित की, नियत अवधि में कार्य पूर्ण हेतु ₹ 6.34 करोड़ तथा ₹ 5.98 करोड़ के कार्यादेश अप्रैल 2007 में प्रदान किये गये।

अनुबंध की उपबंध 36.1 के अनुसार "यदि भिन्नता के मदों का दर, मात्राओं के बिल (बी.ओ.क्यू.) में वर्णित है तो ठेकेदार द्वारा वह कार्य उसी दर पर किया जाएगा। यह केवल अनुबंध में निर्धारित भिन्नता की सीमा तक ही लागू होगा। यदि भिन्नता, सीमा से अधिक है तब निर्धारित सीमा से अधिक या कम मात्रा की दर, अनुबंध की धारा 36.3 के अनुसार निकाली जायेगी"। अनुबंध की उपबंध 36.2 (भिन्नता की भुगतान) के अनुसार "यदि बी.ओ.क्यू. में भिन्नता की दर वर्णित नहीं है तो अभियंता के द्वारा प्र.मं.ग्रा.स.यो. कार्य हेतु लागू एस.ओ.आर./बी.ओ.क्यू. में शामिल समान मदों के दर के आधार पर निकाला जायेगा"।

कार्यपालन अभियंता, योजना कार्यान्वयन ईकाई (पी.आई.यु.) प्र.म.ग्रा.स.यो. दुर्ग के अभिलेखों की लेखापरीक्षा (जून 2011) में हमने पाया कि दो[18] अनुबंधों के प्राक्कलन एवं बी.ओ.क्यू. में वेट मिक्स मेकाडम (डब्ल्यू.एम.एम.) का प्रावधान क्रमशः ₹ 885 प्रति घनमीटर (डब्ल्यू.एम.एम. हेतु दरों की अनुसूची के 21.40 प्रतिशत अधिक) तथा ₹ 900 प्रति घनमीटर (डब्ल्यू.एम.एम. हेतु दरों की अनुसूची के 23.46 प्रतिशत अधिक) की दर पर किया गया था। तथापि ठेकेदार ने कार्यपालन अभियंता से क्रशर मेटल की कम उपलब्धता तथा डब्ल्यू.एम.एम. संयंत्र स्थापित करना तुल्नात्मक रूप से महंगा होने के कारण डब्ल्यू.एम.एम. को डब्ल्यू.बी.एम. में परिवर्तित करने हेतु अनुरोध किया (अगस्त 2007)। मुख्य अभियंता, ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण रायपुर द्वारा का.अभि. की अनुशंसा (अगस्त 2007) पर डब्ल्यू.एम.एम. के स्थान पर डब्ल्यू.बी.एम. ग्रेड-2 एवं ग्रेड- 3 कार्य हेतु अनुमति दी गई (दिसंबर 2007)। अनुबंध में भिन्नता पर भुगतान संबंधी उपबंध के अनुसार डब्ल्यू.बी.एम. ग्रेड-2 एवं ग्रेड-3 के दरों का निर्धारण दर

[18]

सं.क्र	अनुबंध क्र/दिनांक	पैकेज क्रं	संविदा राशि	अंतिम देयक का दिनांक	राशि
1	अनु.क्र02/प.कृ.इ. 02/प्र.म.ग्रा.स.यो./06-07 19/04/07	छ.ग. 05-37	₹ 634.12 लाख	21-10-2010	₹ 566.19 लाख
2	अनु क्र 03/प.क्र.ई 2-प्र.गा.स.यो./06-07 दिनांक 19.04.07	छ.शा. 05-39	₹ 597.69 लाख	21-10-10	₹ 580.91 लाख

अनुसूची (अगस्त 2005) तथा बी.ओ.क्यू. में समान मदों अर्थात् डब्ल्यू.एम.एम. हेतु स्वीकृत दर के आधार पर किया जाना चाहिये था। यदि डब्ल्यू.एम.एम. ग्रेड-2 एवं ग्रेड-3 की दर (अनुबंध की उपबंध 36.2 के अनुसार) दर अनुसूची 2005 तथा डब्ल्यू.एम.एम. की दर के धन/ऋण के आधार पर निर्धारित की जाती तो डब्ल्यू.बी.एम. ग्रेड-2 एवं ग्रेड-3 की अनुमत्य दरें क्रमशः ₹ 538 प्रति घनमीटर तथा ₹ 605 प्रति घन मीटर होती। उक्त प्रावधान के विपरीत कार्यपालन अभियंता ने वर्तमान बाजार दर के आधार पर डब्ल्यू.बी.एम. ग्रेड-2 की दर ₹ 854 प्रति घनमीटर तथा डब्ल्यू.बी.एम. ग्रेड 3 की दर ₹ 870 प्रति घनमीटर विश्लेषित एवं स्वीकृत किया एवं डब्ल्यू.बी.एम. ग्रेड-2 हेतु 11089.87 घन मीटर तथा डब्ल्यू.बी.एम. ग्रेड-3 हेतु 10524.858 घनमीटर का भुगतान स्वीकृत किया।

इस प्रकार विभाग द्वारा नियत की गई दरों से ठेकेदार को भुगतान किया जाना अनुबंध में भिन्नता के गणना हेतु किये गये प्रावधानों के विपरीत था। जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹ 35.25 लाख का अधिक भुगतान किया गया जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 4.6** में वर्णित है।

हमारे द्वारा इंगित (अप्रैल 2012) किए जाने के पश्चात् विभाग द्वारा सूचित किया गया (अक्टूबर 2012) कि ठेकेदार से ₹ 35.28 लाख की वसूली हेतु पत्र जारी किया जा चुका है (सितम्बर 2012) ठेकेदार से जवाब स्पष्टीकरण के पश्चात अंतिम निर्णय लिया जायेगा।

जवाब लेखापरीक्षा आपत्ती की स्वीकार्यता है। आगामी कार्यवाही प्रतीक्षित है (फरवरी 2013)।

4.3 दूरदर्शिता/प्रशासन की विफलता

जनता के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना सरकार का एक उत्तरदायित्व है, जिसके लिये वह स्वास्थ्य, शिक्षा, आधारभूत संरचना एवं लोक सेवा इत्यादि के विकास एवं उन्नयन के क्षेत्र में निश्चित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु कार्य करता है। फिर भी लेखापरीक्षा के ध्यान में ऐसे उदाहरण आए हैं जहाँ दुविधा, प्रशासनिक दृष्टिकोण के अभाव एवं विभिन्न स्तर पर मिली जुली कार्यवाही के कारण समुदाय के लाभ के लिए परिसम्पत्ति के निर्माण के लिए सरकार द्वारा जारी राशि अप्रयुक्त/अवरुद्ध और/या निष्फल/अनुत्पादक रही। नीचे कुछ प्रकरणों पर चर्चा किया गया है।

स्कूल शिक्षा विभाग

4.3.1 भारत सरकार की निधियों का अवरुद्ध रहना

शासन एवं जिला स्तर पर समन्वय का अभाव और अल्प अनुश्रवण के फलस्वरुप वर्ष 2008-09 के केन्द्रीय निधि ₹ 7.38 करोड़ बैंक खाता में अवरुद्ध रहा, एक वर्ष की समाप्ति के उपरान्त ₹ 9.45 करोड़ को बैंक खाते मे जमा न करना तथा 'माध्यमिक शिक्षा हेतु बालिकाओं को प्रोत्साहन योजना' के अंर्तगत भारत सरकार की निधियों को आगामी वर्षों के लिए विमुक्त नहीं करना।

विद्यालय छोड़ने में कमी लाने हेतु एक सशक्त वातावरण स्थापित करने, अनुसूचित जाति/जन जाति समुदायों की लड़कियों के नामांकन को प्रोन्नत करने और उनके 18 वर्ष की उम्र तक विद्यालय में रहना सुनिश्चित करने हेतु भारत सरकार द्वारा (जुलाई 2008) एक केन्द्र प्रवर्तित योजना "माध्यमिक शिक्षा हेतु बालिकाओं को प्रोत्साहन" प्रारंभ किया गया। योजना के अनुसार पात्र बालिका के नाम पर एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या डाकघर में सावधि जमा (एफ डी) में ₹ 3000 जमा किया जाना था। प्रोत्साहन प्राप्त करने वाली बालिका को उसकी 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर राशि आहरित करने की पात्रता थी। अपरिपक्वता पर आहरण की अनुमति नहीं थी। प्रत्येक कार्यकारी विद्यालय को शैक्षणिक वर्ष प्रारंभ होने के एक माह के भीतर पात्र बालिकाओं की पहचान करने का कार्य पूर्ण करना था और राशि जारी करने के लिए प्रस्ताव तैयार करना था। राज्य सरकार द्वारा शैक्षणिक वर्ष प्रारंभ होने के तीन माह के भीतर पात्र हितग्राहियों का एक समेकित प्रतिवेदन केन्द्र सरकार को भेजा जाना था।

संचालक, लोक शिक्षण (डी पी आई), छत्तीसगढ़ शासन (छ.ग.शा.) के अभिलेखों की जांच (जनवरी 2012) में पाया गया कि छ ग शा द्वारा प्रेषित प्रस्ताव (दिसंबर 2008) के आधार पर भारत सरकार ने 2008-09 के लिए ₹ 7.38 करोड़[19] 24590 हितग्राहियों के लिए भारतीय स्टेट बैंक (एस बी आई) मुख्य शाखा नई दिल्ली में हितग्राहियों के विवरण, जैसे छात्र का नाम, पिता का नाम, बैंक का नाम एवं उसका पता, खाता क्रमांक इत्यादि के साथ जमा करने कें निर्देशों के साथ छ.ग.शा. को स्वीकृत (मार्च 2009) किया जिससे कि एस बी आई हितग्राहियों को योजना के अंतर्गत एफ डी प्रमाण पत्र जारी कर सके। तदनुसार, डी पी आई ने ₹ 7.38 करोड़ डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा तथा साथ ही साथ हिन्दी में हितग्राहियों की सूची एवं अन्य विवरण एस बी आई में जमा (अक्टूबर 2009) किया।

इसके बाद एस बी आई नई दिल्ली ने छ.ग.शा. द्वारा अपूर्ण डाटा प्रस्तुत करने के संबंध मे भारत सरकार को सुचित किया (जुलाई 2010) और तदनानुसार भारत सरकार ने एस बी आई द्वारा इंगित त्रुटियों[20] को दूर करके सही डाटा अतिशीघ्र प्रेषित करने हेतु छ ग शा को अनुरोध किया (अगस्त 2010) जिससे कि बैंक प्रकरणों पर कार्यवाही कर

[19] ₹ 3000 प्रति हितग्राही की दर से 24590 हितग्राही

[20] (i) डाटा हिन्दी में था (ii) गृह पता रिक्त था (iii) परिपक्वता तिथि का उल्लेख नहीं था (iv) राज्य कोड एवं जिला कोड नहीं भरा गया था

सके। तद्नुसार डी पी आई ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश[21] जारी किया (अगस्त 2010)। चूंकि डी पी आई द्वारा जानकारी एकत्र नहीं किया गया था, छ ग शा लेखापरीक्षा दिनांक (जनवरी 2012) तक सही डाटा प्रेषित नहीं कर सका था।

इस प्रकार भारत सरकार से राशि प्राप्त होने और उसे छ.ग.शा. द्वारा बैंक में जमा करने के बाद भी पात्र विद्यार्थियों को मार्च 2013 की स्थिति में एफडी प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया जा सका जैसा कि "माध्यमिक शिक्षा बालिकाओं को प्रोत्साहन" योजना के अंतर्गत कल्पना किया गया था। इससे भारत सरकार की राशि ₹ 7.38 करोड़ अवरूद्ध भी रही।

अभिलेखों की जांच में यह भी पाया गया कि वर्ष 2009-10 के लिए प्रस्ताव भेजने हेतु भारत सरकार द्वारा स्मरण पत्र (अक्टूबर 2011) जारी करने के बाद भी डी पी आई रायपुर ने 2009-10 से आगे का प्रस्ताव नहीं भेजा था। वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 के लिये प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया होता तो 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान नामांकित विद्यार्थियों के लिये भी लाभ को आगे बढ़ाया जा सकता था।

इसे इंगित किए जाने (जनवरी 2012) पर आयुक्त लोक शिक्षण ने कहा (दिसंबर 2012) कि वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 के लिए प्रस्ताव भारत सरकार को मार्च 2012 मे भेजा जा चुका था। आयुक्त ने आगे सूचित किया (मार्च 2013) कि 2008-09 के एफडी प्रमाण पत्र हितग्राही विद्यार्थियों द्वारा अभी तक प्राप्त नहीं किए गए हैं। 2009-10 के राशि के संबंध कहा गया कि ₹ 9.45 करोड़ भारत सरकार से मार्च 2012 मे प्राप्त हुआ था और इसे बैंक मे जमा कराने की कार्यवाही की जा रही है। वर्ष 2010-11 के संबंध मे जानकारी भारत सरकार को भेजा गया (मार्च 2012) है एवं भारत सरकार से स्वीकृति प्रतीक्षित है।

उत्तर से सुनिश्चित होता है कि जिला स्तर एवं विभागीय स्तर पर मॉनीटरिंग की कमी के साथ युगल समन्वय का अभाव था जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार की योजना का विलम्बित क्रियान्वयन के साथ ही हितग्राहियों को प्रोत्साहन राशि नहीं दिलाया गया। भारत सरकार की राशि ₹ 7.38 करोड़ अक्टूबर 2009 से बैंक खाते मे अवरूद्ध भी था। आगे डी पी आई के आगामी वर्षों हेतु नियत समय पर प्रस्ताव भेजने मे विफल होने के कारण बाद के वर्षों के लिए भारत सरकार की राशि जारी होने मे विलंब हुआ।

चर्चा (मार्च 2013) के दौरान लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए शासन ने सूचित किया कि वर्ष 2008-09 के लिए एफ डी आर प्रमाण पत्र एस बी आई नई दिल्ली से अभी तक प्राप्त नही हुए हैं। शैक्षणिक वर्ष 2009-10 के लिये भारत सरकार से राशि प्राप्त हुआ है (₹ 9.45 करोड़ मार्च 2012 में) और उसे केनरा बैंक, नई दिल्ली में जमा कराया जाएगा। 2010-11 के लिए 35,600 हितग्राहियों के लिए प्रस्ताव मार्च 2012 में भारत सरकार को भेजा गया है और शैक्षणिक वर्ष 2011-12 के लिए इसे प्रस्तुत करने की प्रक्रिया जारी है।

तथ्य यथावत है कि अनूसचित जाति/जनजाति समुदाय की छात्राएं योजना के लाभ से वंचित थीं, और भारत सरकार की राशि ₹ 7.38 करोड़ मार्च 2013 तक अवरुद्ध थी। आगे, शैक्षणिक वर्ष 2009-10 के लिए प्राप्त राशि ₹ 9.45 करोड़ भी एक वर्ष (मार्च 2013) की समाप्ति के बाद भी बैंक में जमा न किए जाने के कारण अवरूद्ध रही।

[21] अगस्त 2010, जनवरी एवं जून 2011 डाटा की त्रुटियों मे सुधार करने और अंग्रेजी में डाटा उपलब्ध कराने, जन्म तिथि के खाने को पूर्ण करने, गृह पता इत्यादि के संबंध में डी.पी.आई. ने निर्देश जारी किया।

जल संसाधन विभाग

4.3.2 शासन को हानि

अपर्याप्त नियोजन तथा भूमि अधिग्रहण के पूर्व कार्यादेश जारी किए जाने एवं संविदा के मनमाने ढंग से समाप्ति के कारण डिक्री देयताओं के रूप में ₹ 8.15 करोड़ की परिहार्य हानि।

कार्य विभाग संहिता की कंडिका 2.104 के अनुसार किसी भी विशिष्ट कार्य के लिए आवश्यक भूमि अर्जन हेतु अधिसूचना, कार्य हाथ में लेने से पहले प्रस्तुत करना चाहिए। आगे, संहिता की कंडिका 1.129 में विशिष्ट रूप से प्रावधानित है कि कार्यपालन अभियंता (ई.ई.) द्वारा कार्य हेतु भूमि की आवश्यकता तथा भू स्थानांतरण/अधिग्रहण हेतु ऐसी प्रक्रिया अपनानी चाहिए जिससे कार्य प्रारंभ होने के पूर्व भूमि के स्थानांतरण/अधिग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण हो जावे।

मिनी माता बांगो (एम एम बी) परियोजना अंतर्गत, खरसिया शाखा नहर के 17.31 किमी से 20 किमी के निर्माण का कार्य मेसर्स इंटिग्रल कंस्ट्रक्शन कंपनी, विजयवाड़ा को तीन अनुबंधों[22] के माध्यम से ई.ई. एमएमबी संभाग क्रं. 5, खरसिया द्वारा प्रदान किया गया । उक्त कार्य हेतु कार्यादेश फरवरी 2002 में जारी किया गया जिसके अंतर्गत कार्य पूर्णता की तिथि प्रथम दो कार्यों में प्रत्येक हेतु 15 माह तथा तीसरे कार्य हेतु 10 माह थी (वर्षा ऋतु सहित)। ठेकेदार द्वारा कुल अनुबंध राशि ₹ 4.09 करोड़ के विरूद्ध ₹ 69.52 लाख का कार्य किया (दिसम्बर 2002)।

ई.ई. एम एम बी संभाग क्रं. 5 खरसिया के अभिलेखों की जांच (मार्च 2011) में पाया गया कि उपरोक्तानुसार तीनों कार्यों के कार्यादेश भू अधिग्रहण के पूर्व जारी किए गए थे। भू अधिग्रहण में विलंब के कारण ईई द्वारा निर्माण कार्य स्थल, कार्यादेश जारी किए जाने के आठ माह विलंब से सौंपा गया (30 अक्टुबर 2002) जबकि कार्य पूर्णता की अवधि 10 माह (एक निर्माण कार्य) तथा 15 माह (दो निर्माण कार्य) वर्षा ऋतु सहित थी। ठेकेदार ने (दिसम्बर 2002) ईई को सूचित किया गया कि कार्य पूर्णता की अवधि महत्वपूर्ण कारक है एवं विभाग द्वारा कार्य स्थल सौंपे जाने में 10 माह का अपव्यय हुआ है। तदनुसार ठेकेदार द्वारा बिना अवधि के विस्तार के कार्य पूर्ण करने में असमर्थता व्यक्त की (दिसम्बर 2002) तथा दरों में पुनरीक्षण हेतु मांग की।

यद्यपि, विभाग द्वारा ठेकेदार को कार्य स्थल की उपलब्धता पूर्व में ही सूचित (नवम्बर 2002) किए जाने के लेख के साथ ठेकेदार को अनुबंध के अनुसार एवं निविदा दर पर कार्य प्रारंभ किए जाने हेतु निर्देशित किया गया (दिसम्बर 2002)। ठेकेदार द्वारा

22

क्र.सं.	कार्य का नाम	अनुबंध क्र. एवं दिनांक	संविदा की संभावित राशि
1.	17.31 कि.मी. से 18 कि.मी.	13/डीएल/2001-02/दि.7.2.2002	181.45 लाख (45.02 प्रतिशत कम)
2.	18 कि.मी. से 19 कि.मी.	14/डीएल/2001-02/दि.7.2.2002	150.16 लाख (44.81 प्रतिशत कम)
3.	19 कि.मी. से 20 कि.मी.	12/डीएल/2001-02/दि.7.2.2002	77.48 लाख (44.718 प्रतिशत कम)

यह सूचित किया गया (दिसम्बर 2002) कि ईई द्वारा कार्य स्थल की सम्पूर्ण जमीन की अनुपलब्धता एवं निकट भविष्य में भूमि की उपलब्धता की क्षीण संभावनाओं के कारण कार्य स्थल से कार्मिक एवं मशीनों को 15 अक्टूबर 2002 से हटा लिया गया है। 16 दिसम्बर 2002 को अनुबंध की धारा 4.3.3.3 के अनुसार अनुबंध को समाप्त कर दिया गया जिसके अनुसार शेष निर्माण कार्य हेतु अतिरिक्त लागत, यदि कोई हो तो, मूल ठेकेदार से वसूल किया जाएगा तथा इस हेतु ठेकेदार को कोई भी हानि की क्षतिपूर्ति नहीं की जावेगी। ईई के उपरोक्त आदेश के विरोध में ठेकेदार द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में विवाचन निर्णय और समझौता अधिनियम 1996 की धारा 11 के अंतर्गत मध्यस्थ की नियुक्ति हेतु अर्जी दी (फरवरी 2004)। प्रकरण मध्यस्थ के समक्ष सितम्बर 2005 में प्रस्तुत किया गया। दोनो पक्षों के अभिलेखों को ध्यान में रखते हुए मध्यस्थ द्वारा मत दिया गया (फरवरी 2009) कि प्रतिवादी द्वारा अनुबंध की शर्तो का उल्लंघन किया गया है तथा तदनुसार अनुबंध के अवैध समाप्ति हेतु शिकायतकर्ता को हुए क्षति की पूर्ति हेतु बाध्य है। अतः ठेकेदार को हुई ₹ 8.12 करोड़ के क्षति के पूर्ति हेतु फरवरी 2009 में एवार्ड पारित किया गया जिसका विवरण **परिशिष्ट 4.7** में दिया गया है। विभाग को विवाचन निर्णय और समझौता अधिनियम 1996 की धारा 34 के अंतर्गत मध्यस्थ के फैसले के विरूद्ध अपील हेतु चार माह का समय था। तथापि विभाग द्वारा अगस्त 2009 में एवार्ड राशि ₹ 8.12 करोड़ के विरूद्ध क्षतिपूर्ति हेतु ₹ आठ करोड़ की राशि जारी कर दिया गया। चूँकि विभाग शेष राशि ₹ 12.26 लाख के भुगतान में विफल रहा, ठेकेदार ने माननीय न्यायालय के समक्ष प्रकरण रखा, जिसके फलस्वरूप माननीय न्यायालय द्वारा 14 अक्टूबर 2011 तक के ब्याज के साथ ₹ 15.34 लाख का भुगतान का आदेश पारित किया गया, जो कि विभाग द्वारा जिला न्यायालय रायगढ़ में 17 अक्टूबर 2011 को जमा किया गया।

हमने यह पाया कि निर्णय के दो वर्षो पश्चात् मुख्य अभियंता, मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना, बिलासपुर द्वारा महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ से निर्णय के विरूद्ध अपील किए जाने की संभावनाओं हेतु वैधानिक राय मांगी गई (फरवरी 2011)। महाधिवक्ता द्वारा राय रखी गई कि विवाचन निर्णय और समझौता अधिनियम 1996 की धारा 34 के अनुसार तीन माह तथा एक माह और की अवधि में छूट देने हेतु कोई भी न्यायालय सक्षम नहीं है अतः प्रकरण में किसी भी अन्य न्यायालयों द्वारा उक्त निर्णय के कालावधि समाप्त हो जाने के कारण कुछ नहीं किया जा सकता।

इस प्रकार भार रहित (अनएंकबर्ड) कार्य स्थल को विलंब से ठेकेदार को सौंपे जाने, मनमाने ढंग से अनुबंध को समाप्त किए जाने तथा निश्चित समय सीमा में न्यायालय के समक्ष पिटीशन प्रस्तुत नहीं किए जाने से डिक्री देयताओं के रूप में ₹ 8.15 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

हमारे द्वारा इंगित किए जाने पर (मार्च 2011) ईई, एमएमबी नहर संभाग क्रं.5 खरसिया द्वारा कहा गया कि भू अधिग्रहण की प्रकिया अनुबंध की अवधि (फरवरी 2002 एवं अक्टूबर 2002) के भीतर ही पूरी कर ली गई थी। यह भी कहा गया कि 27.418 हेक्टेयर भूमि में से 14.422 हेक्टेयर भूमि शासकीय भूमि थी किन्तु ठेकेदार द्वारा शासकीय भूमि में कार्य नहीं किया गया । तथापि अधिकरण के आदेश तथा शासन के निर्देश के अनुसार ठेकेदार को भुगतान किया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है। जैसा कहा गया कि केवल 30 प्रतिशत भूमि शासन के आधिपत्य में थी तथा 70 प्रतिशत भूमि निजी स्वामित्व की थी। यदि विभाग द्वारा कार्यादेश जारी किए जाने के पूर्व भू अधिग्रहण की कार्यवाही कर ली जाती तथा अनुबंध समाप्त किए जाने के पूर्व विधिक निर्णय ले लिया जाता तो उपरोक्त हानि को बचाया जा सकता था। आगे विभाग ने विधिक सलाह प्राप्त करने एवं निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत अपील दर्ज किए जाने के लिए समय पर कार्यवाही नहीं की।

प्रकरण शासन के ध्यान में लाया गया (मई 2012), उनसे उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2013)।

लोक निर्माण विभाग

4.3.3 परिहार्य व्यय

वैध समयवृद्धि के बिना मूल्यवृद्धि प्रभार ₹ 61.77 लाख का भुगतान एवं दोषी ठेकेदार से ₹ 1.30 करोड़ की वसूली नहीं किया जाना।

छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा भाटापारा -लवन-महानदी सड़क के 47 कि.मी. (राष्ट्रीय राजमार्ग-9) के सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण के लिए ₹ 5.92 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति (प्रशा.स्वी) एवं तकनीकी स्वीकृति (तक.स्वी.) प्रदान किया गया (मार्च 2005)। कार्यपालन अभियंता (का.अभि.), लोक निर्माण विभाग (बी एण्ड आर) संभाग बलौदा बाजार के द्वारा मेसर्स भुल्लर कंस्ट्रक्शन कंपनी, कोरबा को दरो की अनुसूची (2002) से 5 प्रतिशत अधिक दर पर अनुबंधित राशि ₹ 5.75 करोड़ का कार्यादेश प्रदान किया गया (सितम्बर 2005)। कार्यपूर्णता की अवधि कार्यादेश प्रदान किए जाने से 18 माह वर्षा ऋतु सहित थी (सितम्बर 2005)। किंतु कार्य की निम्न गुणवत्ता एवं धीमी प्रगति के कारण प्रमुख अभियंता के द्वारा ठेकेदार को काली सूची में नामित किया गया, तद्नुसार का.अभि. द्वारा अनुबंध की धारा 3(सी) के अंतर्गत अनुबंध समाप्त कर दिया गया (अप्रैल 2006)। तथापि शासन के द्वारा कारण निर्धारित किए बिना ही का.अभि. को अनुबंध पर्नजीवित हेतु निर्देशित किया गया (फरवरी 2007) तद्नुसार का.अभि. ने अनुबंध को पुनर्जीवित कर दिया(फरवरी 2007) एवं ठेकेदार को दिसम्बर 2007तक कार्य पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए।

अनुबंध की उपबंध 11 सी के तहत कार्य निष्पादन में विभाग के द्वारा किए गए विलंब पर अधीक्षण अभियंता द्वारा प्रदाय समयावधि की अंतिम तिथी तक वृद्वि हेतु निविदा मूल्य में भिन्नता का भुगतान किया जाना था।

कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (बी एण्ड आर) संभाग बलौदाबाजार के अभिलेखों की जांच (जुलाई 2011) में पाया गया कि कार्यादेश के अनुसार निर्माण कार्य के पूर्णता की नियत अवधि मार्च 2007 थी। तथापि अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग, मण्डल रायपुर द्वारा शासन को देय क्षतिपूर्ति के अधिकार को सुरक्षित रखते हुये अस्थायी अनुमोदन दिया (सितम्बर 2007)। कार्य को समय पर पूर्ण न किए जाने के कारण अनुबंध की धारा 3 सी के अंतर्गत उक्त अनुबंध को ठेकेदार के लागत एवं जोखिम पर समाप्त कर दिया गया (मार्च 2008) तथा अपूर्ण अंतिम देयक ₹ 4.43 करोड़ राशि, ₹ 64.85 लाख मूल्यवृद्वि सहित पारित किया गया

(दिसंबर 2008)। मूल्यवृद्धि की कुल भुगतान राशि ₹ 64.85 लाख में से राशि ₹ 61.77 लाख का भुगतान उस कार्य के लिए किया गया जो कि मार्च 2007 के बाद किया गया जो कि अनुमत्य नहीं था। इस प्रकार ठेकेदार को ₹ 61.77 लाख का अधिक भुगतान किया गया।

हमारे द्वारा इंगित किए जाने के पश्चात (मई 2012) शासन के द्वारा सूचित किया गया (सितम्बर 2012) कि अधीक्षण अभियंता द्वारा पारित आदेश की उचित व्याख्या नही की गई तथा ठेकेदार को मुल्यवृद्वि का भुगतान अनजाने में किया गया। यह भी सूचित किया गया कि ठेकेदार को अधिक भुगतान की राशि जमा किए जाने हेतु एक पत्र जारी किया जा चुका (अक्टूबर 2011) है, किंतु ठेकेदार से जवाब प्रतीक्षित है। आगे बताया गया कि जिलाधीश कोरबा को राजस्व वसूली प्रमाणपत्र (आर.आर.सी.) ठेकेदार हेतु पत्र प्रेषित किया गया है (दिसम्बर 2010)। किंतु जिलाधीश के द्वारा इस संबंध में कार्यवाही प्रतीक्षित है (सितम्बर 2012)।

उपरोक्त से निश्चित है कि मूल्यवृद्वि का भुगतान अनुमत्य नहीं था। पुनः शासन के जवाब के अनुसार जिलाधीश को राजस्व वसूली प्रमाण पत्र हेतु जारी पत्र संबंधी कथन सही नहीं था क्योंकि जारी किया गया पत्र शेष कार्य के संपादन पर हुए अतिरिक्त व्यय की वसूली विषयक था।

अभिलेखों की जांच में आगे पाया गया कि अनुबंध की प्रवधान की उपबंध 3 (सी) के अंतर्गत शेष कार्य के पूर्ण किए जाने पर हुए अतिरिक्त व्यय ₹ 1.30 करोड़ विभाग के द्वारा वसूली योग्य था। यद्यपि, विभाग के द्वारा राशि की वसूली हेतु जिलाधीश, कोरबा से राजस्व वसूली प्रमाणपत्र जारी किए जाने का अनुरोध किया गया (दिसंबर 2010)। तथापि उक्त राशि की वसूली ठेकेदार से नही की जा सकी थी (मार्च 2013) तथा इस संबंध में विभाग द्वारा जिलाधीश, कोरबा से उत्तरोत्तर पत्राचार की कोई कार्यवाही नही की गई। लेखापरीक्षा द्वारा यह तथ्य इंगित किए जाने पर का. अभि., बलौदाबाजार के द्वारा राज्य के समस्त का.अभि. को ठेकेदार के देय भुगतान से राशि की वसूली हेतु अनुरोध किया गया(जून 2012)।

इस सम्बन्ध मे आगामी कार्यवाही प्रतीक्षित है (मार्च 2013)।

स्कूल शिक्षा विभाग

4.3.4 अदेय लाभ

छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा प्रदत्त अतिरिक्त पेपर की वसूली न किये जाने के फलस्वरूप, पाठ्यपुस्तक मुद्रकों को राशि ₹ 36.97 लाख का अदेय वित्तीय लाभ प्रदान करना।

छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम (छ.ग.पा.पु.नि) द्वारा प्रत्येक वर्ष राज्य के योग्य विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण करने हेतु, निजी मुद्रकों से पाठ्यपुस्तकों का मुद्रण करवाया जाता है। इस उद्देश्य से पाठ्यपुस्तकों के मुद्रण, बंधन तथा वितरण (पेपर छोड़कर) हेतु अखिल भारतीय स्तर पर वाणिज्यिक निविदा आमंत्रित कर, आगामी

शिक्षण-सत्र हेतु अनुबंध संपादित किये जाते हैं। छ ग पाठ्य पुस्तक निगम मुद्रकों को मुद्रण कार्य हेतु पेपर उपलब्ध कराता है।

वर्ष 2006-07 तथा 2007-08 हेतु संपादित अनुबंध की कंडिका 10(vi) के अनुसार यदि मुद्रक को अनुमत्य नष्ट सीमा या अन्यथा से अधिक पेपर प्राप्त होते हैं, तो उसे अच्छी स्थिति में छ.ग.पा.पु.नि को शीघ्राशीघ्र वापस करना होगा। ऐसा न किये जाने की स्थिति में, सफल निविदाकार पर ₹ 45000 प्रति मे. टन की दर से शास्ति अधिरोपित की जावेगी। वर्ष 2008-09 एवं इसके पश्चात् संपादित अनुबंधों में शास्ति की दर को पुनरीक्षित कर पेपर के मूल्य का 1.5 गुणा निर्धारित किया गया।

महाप्रबंधक (जी एम) छ.ग.पा.पु.नि, रायपुर के अभिलेखों की जांच (मई 2012) के दौरान देखा गया कि छ.ग.पा.पु.नि द्वारा वर्ष 2006-07 से 2010-11 की अवधि के दौरान मुद्रक, मे. प्रिंटिग वर्ल्ड, कटक को क्रमशः 60 जी.एस.एम. के 145.7136 मे. टन तथा 70 जी.एस.एम. के 3850.82 मे.टन पेपर जारी किये गये जिसमें से मुद्रक के द्वारा क्रमशः 143.883 मे.टन तथा 3827.768 मे.टन पेपर का ही उपयोग किया गया। फलस्वरूप वर्ष 2010-11 के अंत तक, मुद्रक के पास क्रमशः 60 जी.एस.एम. के 1.8306 मे. टन पेपर तथा 70 जी.एस.एम. के 23.0515 मे. टन पेपर शेष थे। अनुबंध की शर्तो के अनुसार, छ.ग.पा.पु.नि के द्वारा मुद्रक से शेष पेपर के एवज में राशि ₹ 11.20 लाख (शास्ति सहित) की वसूली की जानी थी। इसके विपरीत शेष राशि की वसूली हेतु छ.ग.पा.पु.नि के पास सुरक्षा निधि के रूप में कोई राशि उपलब्ध नहीं थी।

इसी प्रकार, वर्ष 2008-09 से 2010-11 की अवधि के दौरान मे. केशरी इंटरप्राइजेस, कटक (मे.प्रिंटिग वर्ल्ड की अनुषंगिक संस्थान) को 70 जी.एस.एम. शीट पेपर के 22.932 मे. टन तथा 70 जी.एस.एम. रील पेपर के 890.68 मे. टन पेपर जारी किये गये, जिसमें से 70 जी.एस.एम. रील पेपर के 886.93 मे.टन का ही उपयोग किया जा सका, जबकि 70 जी.एस.एम शीट पेपर की संपूर्ण मात्रा, वर्ष 2011-12 के अंत तक अनुपयोगी रूप में रखी रही। अतएव, वर्ष 2011-12 के अंत तक 70 जी.एस.एम शीट पेपर का कुल 22.932 मे. टन तथा जी.एस.एम रील पेपर का 3.7495 मे. टन, मुद्रक के पास शेष था। अनुबंध की शर्तो के अनुरूप राशि ₹ 15.28 लाख (शस्ति सहित) की वसूली मुद्रक से की जानी थी जिसका विवरण **परिशिष्ट 4.8** में प्रदर्शित है। साथ ही यह भी देखा गया कि मे. केशरी इंटरप्राइजेस, कटक, से वर्ष 2011-12 में पाठ्य पुस्तक मुद्रण के देयक के विरूद्ध, राशि ₹ 10.58 लाख की वसूली की जानी थी। इस प्रकार मुद्रक से कुल राशि ₹ 25.78 लाख की वसूली शेष थी जिसके विरूद्ध छ.ग.पा.पु.नि के पास राशि ₹ 5 लाख मूल्य की ही सुरक्षा निधि उपलब्ध थी।

छ.ग.पा.पु.नि द्वारा दोनों संस्थाओं के द्वारा शेष पेपर के वापस न किये जाने के बाद भी उनके विरूद्ध राशि की वसूली अथवा उपलब्ध राशि के समायोजन हेतु किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई। इस प्रकार छ.ग.पा.पु.नि द्वारा मुद्रकों को राशि ₹ 36.97 लाख का अदेय लाभ प्रदान किया गया, जिसका विवरण निम्नानुसार प्रदर्शित है:

तालिका 2: मुद्रकों के पास उपलब्ध शेष पेपर तथा उनसे वसूली हेतु शेष राशि का विवरण।

स. क्र.	मुद्रक का नाम	अवधि जिस दौरान पेपर जारी किये गये	पेपर का प्रकार	शेष पेपर की मात्रा (मे. टन)	दर प्रति मे.टन	शास्ति की दर (₹) प्रति मे. टन	वसूली योग्य कुल राशि (₹ लाख)
1	मे.प्रिंटिग वर्ल्ड कटक	2006-07से 2010-11	60 जी.एस.एम.	1.8306	-	45000	0.82
			70 जी.एस.एम	23.0515	-	45000	10.37
	उप योग (अ)						***11.19***
2	मे.केशरी इंटरप्राइज़ेस, कटक	2008-09 से 2011-12	70 जी.एस.एम शीट	22.932	38160	57240	13.13
			70 जी.एस.एम रील	3.7485	38160	57240	2.15
						योग	***15.28***
			वर्ष 2011-12 में पाठ्यपुस्तक मुद्रण के विरूद्ध वसूली योग्य राशि				10.50[23]
	उप योग (ब)						***25.78***
	महायोग (अ+ब)						**36.97**

शासन ने चर्चा (मार्च 2013) के दौरान लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुये कहा कि संबंधित संस्थानों से, अनुबंध की शर्तो के अनुरूप वसूली की कार्यवाही कर, लेखापरीक्षा को अवगत किया जायेगा।

उत्तर से यह सुनिश्चित है कि मुद्रकों से राशि ₹ 36.97 लाख की वसूली की कार्यवाही समय पर करने में विफल रहने के फलस्वरूप मुद्रकों को अदेय वित्तीय लाभ प्रदान किया गया।

4.4 निरन्तर एवं व्यापक अनियमितताएं

यदि कोई अनियमितता वर्ष दर वर्ष घटित होती है तो उसे निरन्तर माना जाता है। यदि यह पूरे निकाय में उपस्थित हो तो इसे व्यापक माना जाता है। पूर्व लेखापरीक्षाओं में इंगित किये जाने के पश्चात् भी अनियमितता का पुनर्घटित होना, कार्यपालिका की अक्षमता तथा उचित पर्यवेक्षण का अभाव प्रदर्शित करता है। इससे नियमों/शर्तों के जानबूझकर उल्लंघन को बढ़ावा मिलता है। लेखापरीक्षा में उल्लेखित निरन्तर होने वाली अनियमितताओं का विवरण निम्नानुसार है:

[23] छ.ग.पा.पु.नि. के पास ₹ 10.50,450 के विरूद्ध राशि ₹ 500,000 सुरक्षा निधि के रूप में उपलब्ध है जिसे राजसात नही किया गया है (फरवरी 2013)।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

4.4.1 अवशेष दावों एवं अग्रिमों का असमायोजन

सरपंचों को विभिन्न सिविल कार्यो हेतु प्रदत्त अग्रिमों के समायोजन/वसूली की कार्यवाही विभाग द्वारा समय पर नहीं किये जाने के फलस्वरूप राशि ₹ 84.99 लाख का अवरूद्व होना तथा सरपंचों के द्वारा शासकीय राशि का अनियमित रूप से रखना।

छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम, 1993 के अनुच्छेद 89(1) के प्रावधानुसार पंचायत का प्रत्येक पंच, सदस्य, पदाधिकारी, अधिकारी या कर्मचारी, उसके द्वारा कर्त्तव्यों में लापरवाही बरतने के कारण होने वाले किसी भी प्रकार के हानि, कपटपूर्ण व्यवहार अथवा गबन हेतु स्वयंमेव उत्तरदायी होगा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा दोषी से देय राशि की वसूली की कार्यवाही की जावेगी। यदि दोषी, अवशेष दावों का भुगतान करने में असमर्थ रहता है, ता यह उससे भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य होगा। साथ ही छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की धारा 92 (1) तथा (2) उचित अधिकारी को, दोषी से राशि भुगतान करने हेतु आदेश देने का अधिकार प्रदान करता है।

सात जनपद पंचायत कार्यलयों के अभिलेखों के नमूना जांच (जुलाई 2011 तथा मई 2012) के दौरान देखा गया कि वर्ष 2008-09 से 2010-11 की अवधि के दौरान 71 प्रकरणों में विभिन्न सिविल कार्यों[24] हेतु, विभिन्न योजना/शीर्ष[25] अंतर्गत ग्राम पंचायतों के सरपंचों को जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (मु.का.अ.ज.पं.) द्वारा स्वीकृत अग्रिमों की कुल राशि में से राशि ₹ 1.01 करोड़[26] का समायोजन/वसूली शेष था (**परिशिष्ट 4.9**)। सिविल कार्यो में से अधिकांश लघु निर्माण कार्य (लागत ₹ 0.60 लाख से ₹ 5.00 लाख के बीच) थे एवं क्रियान्वयन अभिकरणों को इन्हें पूर्ण करने हेतु अधिकतम दो माह से 12 माह की समयावधि प्रदान की गई थी। मु.का.अ.ज.पं. तथा सरपंचों के मध्य संपादित अनुबंध के अनुसार अनुदान प्राप्तकर्ता को निर्माण कार्य की वास्तविक स्थिति के संबंध में प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करना था तथा उपलब्ध शेष राशि की जानकारी, नियमित अंतराल पर मु.का.अ.ज.पं. को प्रदान करना था, जिससे की वे प्रगतिरत कार्यो की निगरानी एवं व्यय पर नियंत्रण कर सकें। अवशेष दावों का, यदि कोई हो तो, उनको भुगतान योग्य अन्य अग्रिमों में से समायोजन किया जाना चाहिए था।

तथापि यह देखा गया कि मार्च 2012 की स्थिति में वसूली हेतु शेष ₹ 1.01 करोड़ में से मात्र ₹ 16.06 लाख का ही समायोजन किया गया तथा शेष राशि ₹ 84.99 लाख दिसम्बर 2012 की स्थिति में विभिन्न कारणों यथा शेष राशि वापस न किए जाने, कार्य के अप्रारंभ रहने, कार्य के कम मूल्यांकन आदि के कारण सरपंचों के पास असमायोजित रूप से रखी थी।

[24] किचन शेड, मंगल भवन, जनवितरण प्रणाली भवन कंक्रीट सड़क, आंगनवाड़ी केन्द्र, शौचालय आदि निर्माण

[25] ग्राम उत्कर्ष योजना, सांसद निधि, विधायक निधि अ.जा./अ.ज.जा. विकास प्राधिकरण, 11वें एवं 12वें वित्त आयोग।

[26] अभनपुर- ₹ 5.17 लाख, बलौदाबाजार- ₹ 13.47 लाख, छुईखदान- ₹ 42.48 लाख, धमधा- ₹ 1.00 लाख, पाटन- ₹ 10.27 लाख पलारी- ₹14.30 लाख तथा राजनांदगांव- ₹ 14.35 लाख।

यह इंगित करता है कि मु.का.अ.ज.पं. अवशेष दावों के समय पर वसूली या समायोजन हेतु अनुबंधों के प्रावधानों का लागू करने में विफल रहे जिसके फलस्वरूप विभाग शासन के हितों की रक्षा करने में भी विफल रहा।

उपरोक्त तथ्य इंगित किए जाने पर (जनवरी 2012 तथा मई 2012), मु.का.अ.ज.पं. के द्वारा बताया गया (मई 2012) कि दोषियों के विरूद्ध वसूली नोटिस जारी किए गये है तथा भू-राजस्व अधिनियम के अधीन वसूली हेतु प्रकरणों को भू-राजस्व न्यायालय को प्रेषित किया गया है। वसूली की प्रक्रिया प्रगतिरत है।

तथ्य यही है कि ग्राम पंचायतों के दोषी सरपंचों एवं सचिवों के विरूद्ध समय पर उचित कार्यवाही नहीं की गई। यदि उनके कार्यकाल की समाप्ति अथवा पंचायतों के कार्यभार के परस्पर आदान-प्रदान के पूर्व ही समय पर कार्यवाही की गई होती तो वसूली/समायोजन कर लिया गया होता।

चर्चा के दौरान (मार्च 2013) शासन ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए आश्वस्त किया कि वसूली की स्थिति से लेखापरीक्षा को अवगत कराया जावेगा।

इसके पश्चात की प्रगति की जानकारी प्रतीक्षित है (मार्च 2013)।

रायपुर
दिनांक

(पूर्ण चन्द्र माझी)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा) छत्तीसगढ़, रायपुर

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक

(विनोद राय)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट 2.1.1

(संदर्भ कंडिका 2.1.11.1; पृष्ठ 24)

अनुसूची दर में अनुमानित ठेका प्रतिशत जोड़े जाने से अतिरिक्त लागत को दर्शाने वाला पत्रक।

(राशि ₹ में)

अनुबंध संख्या	प्रकार	अनुसूची दर अनुसार प्रति मकान की अनुमानित लागत	जोड़े - अनुमानित ठेका प्रतिशत (60 प्रतिशत)	जोड़े गैर सी.एस.आर. मद	योग	अनुमानित ठेका राशि	मकान की संख्या	अतिरिक्त लागत
1	2	3	4	5	6	7	8	(9=4X8)
60 डी एल/05-06	12 सीनियर एच.आई.जी. डयूप्लेक्स डीलक्स (डी.डी.)	984132	590479	23167	1597778	448.74	12	7085748
	15 एच.आई.जी.-डी.डी.	711702	427021	21207	1159930		15	6405315
	10 एम.आई.जी.-डी.डी.	543144	325886	13649	882279		10	3258860
							योग (अ)	**16749923**
93 डी एल/06-07 12 डी एल/08-09	14 एम.आई.जी.-डी.डी.	543144	325886	13649	882679	586.39	14	4562404
	71 एम.आई.जी.डीलक्स	402786	241672	7393	651851		71	17158712
							योग (ब)	**21721116**
61 डी एल/05-06 13 डी एल/08-09 12 डी एल/08-09	50 एम.आई.जी.-डीलक्स	402786	241672	7393	651851	325.93	50	12083600
							योग (स)	**12083600**
महायोग (अ +ब +स)								**50554639**

परिशिष्ट 2.1.2

(संदर्भ कंडिका 2.1.11.5; पृष्ठ 28)

अतिरिक्त लागत की वसूली दोषी ठेकेदारो से नहीं किये जाने को दर्शाने वाला पत्रक

(₹ लाख में)

स.क्र.	कार्य का नाम	अनुमानित ठेका राशि	अनुबंध राशि	ठेका प्रतिशत	ठेकेदार का नाम	अनुबंध क्रं.	कुल भुगतान	अतिरिक्त लागत
1	14 एम.आई.जी. डयूप्लेक्स डीलक्स तथा 71 एम.आई.जी. डीलक्स का निर्माण कार्य (सड्डू, रायपुर)।	586.39	559.24	(-) 4.63	मे. स्वराज एसोसिएट्स, रायपुर	93 डी.एल./2006-07	127.00	159.25 (718.49-559.24)
2	14 एम.आई.जी. डयूप्लेक्स डीलक्स तथा 71 एम.आई.जी. डीलक्स का अवशेष निर्माण कार्य (सड्डू, रायपुर)।	453.33	591.49	30.5	मे. दुबे गोयल एंड कम्पनी, रायपुर	12 डी.एल./2008-09	591.49	
						योग	**718.49**	**159.25**

परिशिष्ट 2.1.3

(संदर्भ कंडिका 2.1.11.6 (2); पृष्ठ 29)

ठेकेदार को राशि ₹ 22.30 करोड़ के मोबिलाइजेशन अग्रिम की अनियमित स्वीकृति और ब्याज हानि ₹ 3.89 करोड़ दर्शाने वाला पत्रक

(राशि ₹ में)

स.क्र.	अनुबंध क्रमांक	कार्य का नाम	प्रमाणक संख्या/चल देयक संख्या	स्वीकृति दिनांक	माबिलाइजेशन अग्रिम भुगतान	स्वीकार्य राशि	अधिक भुगतान	अग्रिम वसूली	शेष राशि	दिन की संख्या	ब्याज हानि 14 प्रतिशत के मान से
1	2	3	4	5	6	7	8=(6-7)	9	10	11	12=(10*14 प्रतिशत*11/365
1	75/2008-09	तालपुरी समग्र आवसीय परियोजना ब्लाक-बी, दुर्ग	**मोबिलाइजेशन अग्रिम**	19-02-2009	97200000				97200000	0	0
			पांचवा चलित देयक	05-12-2009				12000000	85200000	289	10774553
			छठवा चलित देयक	08-01-2010				10000000	75200000	34	1111101
			सातवा चलित देयक	08-02-2010				2100000	73100000	31	894159
			आठवा चलित देयक	19-03-2010				73100000	0	39	1093496
			योग (अ)		**97200000**	**1000000**	**96200000**	**97200000**			**13873310**
2	81/2008-09 दिनांक 10.10.2008	तालपुरी समग्र आवसीय परियोजना ब्लाक-ए, दुर्ग	**मोबिलाइजेशन अग्रिम**	01-01-2009	127798000			0	127798000		0
			पांचवा चलित देयक	05-12-2009				18000000	109798000	338	16568223
			छठवा चलित देयक	08-01-2010				30000000	79798000	34	1431886
			सातवा चलित देयक	15-02-2010				79798000	0	38	1163083
			योग (ब)		**127798000**	**1000000**	**126798000**	**127798000**			**19163192**
					224998000	**2000000**	**222998000**		**0**	**0**	**33036502**
3	72/2008-09	खारून ग्रीन समग्र आवासीय परियोजना	46	27-09-2008	7030000			0	7030000		0
			10	29-09-2008	10545000			0	17575000	2	6934
			34	25-01-2010	0			1000000	16575000	483	4186221
			16	23-03-2010	0			12525000	4050000	57	465916
			53	10-05-2010	0			4050000	0	48	95868
			योग (स)		**17575000**	**17575000**	**0**	**17575000**	0		**4754939**
महायोग (अ +ब +स)					**242573000**	**19575000**	**222998000**		**0**	**0**	**37791441**

परिशिष्ट 2.1.4

(संदर्भ कंडिका 2.1.11.7; पृष्ठ 30)

कार्य के निष्पादन में विलंब पर आरोपित शास्ति राशि को दर्शाने वाला पत्रक

स. क्र.	कार्य का नाम	अनुमानित ठेका राशि	ठेका लागत	ठेकेदार का नाम	अनुबंध क्रमांक	कार्यादेश क्र./दिनांक	निर्धारित समयावधि	मार्च 2012 की स्थिति में	आरोपित शास्ति	आरोपण योग्य शास्ति	कम आरोपित शास्ति की राशि	विलंब (सप्ताह में)	विलंब (माह में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	तालपुरी समग्र आवसीय परियोजना ब्लाक-ए, दुर्ग	18000	19644.79	मे. मेकिनटोश बर्न लिमिटेड, कोलकाता	81/ 2008-09	12819/ 03.10.2008	24 माह वर्षा ऋतु सहित	अपूर्ण	498.48	834.90	336.42	68	17
2	तालपुरी समग्र आवसीय परियोजना ब्लाक-बी, दुर्ग	20280	25559.64	मे. मेकिनटोश बर्न लिमिटेड, कोलकाता	75/ 2008-09	13134/ 13.10.2008	24 माह वर्षा ऋतु सहित	अपूर्ण	521.62	1086.28	564.66	68	17
3	14 एम.आई.जी. डयूप्लेक्स डीलक्स तथा 71 एम.आई.जी. डीलक्स का निर्माण (सड्डू, रायपुर)।	586.39	559.24	मे. स्वराज एसोसिएटस, रायपुर	93/ 2006-07	5471/ 12.10.2006	12 माह वर्षा ऋतु सहित 11.10.2007	अगस्त 2010	3.35	33.55	30.20	136	34
4	50 एम.आई.जी. डीलक्स का निर्माण (सड्डू, रायपुर)। पुर्ननिविदा	325.93	304.36	मे. बजोरिया कंस्ट्रक्सन क. लिमिटेड, यवतमाल	61/ 2005-06	1198/ 28.02.2006	12 माह वर्षा ऋतु सहित 27.02.2007	अगस्त 2010	0	18.26	18.26	168	42
5	50 एम.आई.जी. डीलक्स का अवशेष निर्माण कार्य (सड्डू, रायपुर)। पुर्ननिविदा	226.04	272.32	एन.के.कंस्ट्रक्सान, दुर्ग	13/ 2008-09	3724/ 19.02.2009	6 माह वर्षा ऋतु सहित 18.08.2009	अपूर्ण	0	16.34	16.34	124	31
6	14 एम.आई.जी. डयूप्लेक्स डीलक्स तथा 71 एम.आई.जी. डीलक्स तथा 50 एम.आई.जी. डीलक्स का अवशेष निर्माण कार्य (सड्डू, रायपुर)।	453.22	591.49	दुबे गोयल एडं कपंनी	12 /2008-09	3316/ 02.02.2009	9 माह + 3 माह वर्षा ऋतु सहित 01.11.2009	नवंम्बर 2009	0	0.00	0.00	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	12 सीनियर एच.आई.जी. डयूप्लक्स डीलक्स, 15 एच.आई.जी.-डी.डी. 10 एम.आई.जी.-डी.डी. का निर्माण	453.95	448.74	मे. विकान्स, विशाखापट्टनम	60/2005-06	1141/ 25.02.2006	12 माह वर्षा ऋतु सहित 24.02.2007	नवंम्बर 2009	2.4	26.92	24.52	132	33
8	नया रायपुर में 72 नग एफ 2ए, 72 नग एफ 2बी, 108 नग एफ 2सी, 36 नग एफ 3बी, तथा 36 नग एफ 3सी, बहुमंजिला इमारतों का निर्माण।	2915	4149.93	मैं. गोयल एडं एसोसिएट्स, रायपुर	08/2008-09	115/ 19.01.2009	24 माह वर्षा ऋतु सहित	अपूर्ण	11.93	166.00	154.07	64	16
9	नया रायपुर में 206 नग पी 2ए, 86 नग पी 2बी, तथा 15 नग पी 4ए प्रकार के स्वतंत्र आवासो का निर्माण	2923	3800.8	मे. एसेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	11/2008-09	84/ 24.01.2009	24 माह वर्षा ऋतु सहित	अपूर्ण	6	152.03	146.03	64	16
10	नया रायपुर में 144 नग एफ 1ए, 72 नग एफ 1बी, 180 नग एफ 1सी, 36 नग एफ 2सी, 72 नग एफ 3ए तथा 72 नग एफ 3सी प्रकार के फ्लेट निर्माण।	3489	4639.39	मे. एसेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	19/2008-09	3415/ 27.03.2009	24 माह वर्षा ऋतु सहित	अपूर्ण	5.51	162.38	156.87	56	14
11	नया रायपुंर में 96 नग ई. डब्ल्यू.एस.-I, 48 नग ई डब्ल्यू एस-II (जी +3) तथा 108 नग एफ 2ए, तथा 96 नग एफ 3 बी (जी+6) का निर्माण	2724	3652.14	मे. एसेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	18/2008-09	3409/ 27.03.2009	24 माह वर्षा ऋतु सहित	अपूर्ण	1.25	127.82	126.57	56	14
12	नया रायपुर, सेक्टर - 27 में 150 एकड़ भूमि पर सहयोगी आधारभूत संरचना का विकास।	2218	3038.93	मे. एसेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	10/2008-09	151/ 23.01.2009	24 माह वर्षा ऋतु सहित	अपूर्ण	24.92	106.36	81.44	56	14
13	नया रायपुर में 257 नग पी 3ए, तथा 13 नग पी 3डी का निर्माण।	3003	3714.21	मे. एस.आर.गुप्ता	13/2008-09	उपलब्ध नहीं	24 माह वर्षा ऋतु सहित	अपूर्ण	4.7	139.28	134.58	60	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	नया रायपुर में 96 नग पी 3ब, 94 नग पी 3सी तथा 34 नग पी 4बी प्रकार के स्वतंत्र आवास निर्माण ।	3207	4477.17	मैं. गोयल एडं एसोसिएट्स	09/2008-09	142/ 22.01.2009	24 माह वर्षा ऋतु सहित	अपूर्ण	9.73	179.09	169.36	64	16
15	नया रायपुर मे 32 नग ई. डब्ल्यू.एस.-I, 144 नग ई डब्ल्यू. एस-II (जी +3) तथा 72 नग एफ 1बी, 108 नग एफ 1सी (स्टिल्ट +6) का निर्माण	1557	2130.65	मे. एसेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	12/2008-09	16.02.2009	24 माह वर्षा ऋतु सहित	अपूर्ण	2.5	79.90	77.40	60	15
								महायोग	**1092.39**	**3129.13**	**2036.74**		

परिशिष्ट 2.1.5

(संदर्भ कंडिका 2.1.11.8; पृष्ठ 31)

अतिरिक्त नींव खुदाई तथा भराई के कारण अधिक भुगतान को दर्शाने वाला पत्रक

(राशि ₹ में)

मकान के प्रकार	मकान की संख्या	स्वीकार्य खुदाई (घन मीटर)	वास्तविक खुदाई (घन मीटर)	अधिक खुदाई (घन मीटर)	खुदाई की दर (प्रति घन मीटर)	अधिक भुगतान	स्वीकार्य भराई (घन मीटर)	वास्तविक भराई (घन मीटर)	अधिक भराई (घन मीटर)	भराई की दर (प्रति घन मीटर)	अधिक भुगतान	कुल अधिक भुगतान
डहलिया	218	16866.66	31330.96	14464.30	115	1663394.5	16866.66	26125.12	9258.46	78	722159.9	2385554
डेजी	175	6861.75	12916.75	6055.00	115	696325	6861.75	21028	14166.25	78	1104968	1801293
मोगरा	336	5318.88	26214.72	20895.84	115	2403021.6	5318.88	22921.92	17603.04	78	1373037	3776059
जूही	4	1721.32	4076.20	2354.88	115	270811.2	1721.32	4043.28	2321.96	78	181112.9	451924
परिजात	41	5448.49	37287.04	31838.55	115	3661433.3	5448.49	35818.01	30369.52	78	2368823	6030256
गुलमोहर	8	6014.08	20103.76	14089.68	140	1972555.2	6014.08	16572.4	10558.32	95	1003040	2975596
योग		**42231.18**	**131929.43**	**89698.25**		**10667541**	**42231.18**	**126509**	**84277.55**		**6753140**	**17420681**

परिशिष्ट 2.1.6

(संदर्भ कंडिका 2.1.11.10 पृष्ठ क्र. 33)

मूल्य वृद्धि भुगतान के लिए गलत सूत्र का अनुसरण करने के कारण अधिक भुगतान को दर्शाने वाला पत्रक

(राशि ₹ में)

अनुबंध क्रमांक	माह	सीमेंट का मूल्य	मात्रा	आपरेटिव सूचकांक	आधार सूचकांक (08/2008)	स्वीकार्य भुगतान	मूल्य वृद्धि भुगतान राशि	अधिक भुगतान (सीमेंट)	स्टील का मूल्य	मात्रा	आधार सूचकांक	आधार सूचकांक	स्वीकार्य भुगतान	मूल्य वृद्धि भुगतान	अधिक भुगतान (स्टील)	कुल स्वीकार्य	कुल भुगतान	कुल अधिक भुगतान
12/ 2008-09	06-03-2009	4640	288.10	225.40	223.30	12572	313180	300608	45849	55.37	282.00	335.80	-406693	545762	952455	-394121	858942	1253063
	06-05-2009	4640	211.55	228.10	223.30	21100	375809	354709	45849	53.64	282.00	335.80	-394022	529191	923213	-372922	905000	1277922
	27-06-2009	4640	183.35	229.90	223.30	25145	325713	300568	45849	55.93	282.00	335.80	-410814	612404	1023218	-385669	938117	1323786
	11-09-2009	4640	101.45	227.50	223.30	8854	180221	171367	45849	26.60	302.20	335.80	-122049	270584	392633	-113196	450805	564001
	15-10-2009	4640	163.05	225.80	223.30	8470	285328	276858	45849	32.26	302.20	335.80	-147979	328070	476049	-139508	613398	752906
	30-11-2009	4640	158.55	225.80	223.30	8236	277453	269217	45849	37.59	302.20	335.80	-172435	382291	554726	-164199	659744	823943
	29-12-2009	4640	125.45	225.80	223.30	6517	192920	186403	45849	39.88	302.20	335.80	-182936	557928	740864	-176419	750848	927267
	10-02-2010	4640	222.10	212.00	223.30	-52150	323885	376035	45849	31.52	302.20	335.80	-144598	441000	585598	-196748	764885	961633
	28-03-2010	4640	193.20	222.00	223.30	-5219	281740	286959	45849	44.98	304.00	335.80	195284	622303	817587	-200503	904043	1104546
						33525	**2556249**	**2522724**					**-2176810**	**4289533**	**6466343**	**-2143285**	**6845782**	**8989067**
13/ 2008-09	19-06-2009	4640	246.24	229.90	223.30	33770	473434	439664	45849	38.28	282.00	335.80	-281192	419252	700444	-247422	892686	1140108
	22-08-2009	4640	116.05	229.60	223.30	15192	223081	207889	45849	23.71	302.20	335.80	-108791	241553	350344	-93599	464634	558233
	16-10-2009	4640	117.58	225.80	223.30	6108	205758	199650	45849	24.87	302.20	335.80	-114071	252877	366948	-107963	458635	566598
	07-01-2010	4640	171.91	207.00	223.30	-58226	264368	322594	45849	32.49	302.20	335.80	-149052	454586	603638	-207278	718954	926232
	25-01-2010	4640	189.95	207.00	223.30	-64336	277001	341337	45849	36.44	302.20	335.80	-167150	509783	676933	-231487	786784	1018271
	19-03-2010	4640	246.90	222.00	223.30	-6670	360050	366720	45849	49.08	304.00	335.80	-213099	686707	899806	-219768	1046757	1266525
						-74162	**1803692**	**1877854**					**-1033356**	**2564758**	**3598114**	**-1107518**	**4368450**	**5475968**
			महायोग			**-40637**	**4359941**	**4400578**					**-3210166**	**6854291**	**10064457**	**-3250803**	**11214232**	**14465035**

परिशिष्ट 2.1.7

(संदर्भ कंडिका 2.1.12.1; पृष्ठ 33)

विभिन्न कार्य स्थलो पर ठेकेदारो द्वारा नियुक्त किए गए अभियंताओं का विवरण दर्शाने वाला पत्रक

स.क्र.	संभाग का नाम	कार्य का नाम	अनुबंध क्रमांक	परियोजना लागत	अभियंता नियुक्त किए जाने थे	नियुक्त अभियंता
1	संभाग-।।, रायपुर	मुनगी व धनसूली में 1206 (800) अटल आवास का निर्माण	28/2007-08	11.85	6	6
2		484 अटल आवास का निर्माण	94/2010-11	6.24	6	6
3		दोंदेखुर्द मे 210 सीनीयर एल.आई.जी. मकान का निर्माण	29/2007-08	5.42	6	6
4	संभाग-।, रायपुर	कबीर नगर मे 132 दीन दयाल आवास का निर्माण	43/ 2007-08	2.64	4	4
5		कबीर नगर में 43 एच.आई.जी.डी.डी. फेज-।। का निर्माण	195 /2009-10	8.783	6	0
6	दुर्ग संभाग	खारून ग्रीन परियोजना	72/2008-09	35.15	12	6
7	परियोजना संभाग दुर्ग	तालपुरी परियोजना ब्लाक-ए	81/2008-09	196.44	24	0
8		तालपुरी परियोजना ब्लाक-बी	75/2008-09	255.6	36	0
9	जगदलपुर संभाग	समग्र आवासीय परियोजना, हाटकचोरा	13/2008-09	12.84	12	0
10		समग्र आवासीय परियोजना, अद्यनपुर	12/2008-09	20.71	12	0
11	राजधानी परियोजना संभाग-।, रायपुर	नया रायपुर में 72 नग एफ 2ए, 72 नग एफ 2बी, 108 नग एफ 2सी, 36 एफ 3बी, तथा 36 नग एफ 3सी, बहुमंजिला इमारतों का निर्माण।	8/2008-09	41.5	12	0
12		नया रायपुर में 206 नग पी 2ए, 86 नग पी 2बी, तथा 15 नग पी 4ए प्रकार के स्वतंत्र आवासो का निर्माण	11/2008-09	38	12	0
13		नया रायपुर में 144 नग एफ 1ए, 72 नग एफ 1बी, 180 नग एफ 1सी, 36 नग एफ 2सी, 72 नग एफ 3ए तथा 72 नग एफ 3सी प्रकार के फ्लेट निर्माण।	19/2008-09	46.4	12	0
14		नया रायपुंर में 96 नग ई. डब्ल्यू एस.-।, 48 नग ई डब्ल्यू एस-।। (जी + 3) तथा 108 नग एफ 2ए, 108 नग एफ-2 बी तथा 96 नग एफ 2 बी (जी+6) का निर्माण	18/2008-09	36.52	12	0
15		नया रायपुर, सेक्टर - 27 में 150 एकड़ भूमि पर सहयोगी आधारभूत संरचना का विकास।	10/2008-09	30.39	12	0
16		नया रायपुर में 257 नग पी 3ए, तथा 13 नग पी 3डी का निर्माण ।	13/2008-09	37.14	12	0
17		नया रायपुर में 96 नग पी 3ब, 94 नग पी 3सी तथा 34 नग पी 4बी प्रकार के स्वतंत्र आवास निर्माण ।	09/2008-09	44.77	12	0
18		नया रायपुर मे 32 नग ई. डब्ल्यू एस.-।, 144 नग ई डब्ल्यू एस-।। (जी +3) तथा 72 नग एफ 1बी, 108 नग एफ 1सी (स्टिल्ट +6) का निर्माण	12/2008-09	21.3	12	0
19	संभाग-।।, रायपुर	सड्डू में 50 एम. आई.जी.डीलक्स मकान निर्माण ,	61/2005-06	3.04	4	0
			योग		**224**	**28**

परिशिष्ट 2.1.8

(संदर्भ कंडिका 2.1.12.2; पृष्ठ 34)

कांक्रीट कार्य के परीक्षण मे कमी को दर्शाने वाला पत्रक

स.क्र.	संभाग का नाम	अनुबंध क्रमांक	कांक्रीट की निष्पादित मात्रा (घन मीटर)	परीक्षण जो किए जाने थे	परीक्षण किए गए	कमी प्रतिशत
1	संभाग -III, रायपुर	28,29/2007-08 और 94/2010-11	6974.34	279	21	258 (8)
2	राजधानी परियोजना संभाग रायपुर	08,09,10,11,12,13,18,19/2008-09	98745	3950	3567	383 (90)
3	संभाग -II, रायपुर	61/2005-06	1487.5	60	4	56 (7)
4	संभाग दुर्ग	72/2008-09	9633.2	385	8	377 (2)
5	संभाग जगदलपुर	12,13/2008-09	4900	196	16	180 (8)
6	संभाग -I, रायपुर	43/2007-08,195/2009-10, 200/2008-09	9567.43	383	8	375 (2)
7	परियोजना संभाग, दुर्ग	75 और 81/2008-09	71614.3	2865	20	2845 (1)
	योग	**20**	**202921.8**	**8118**	**3644 (45 *प्रतिशत*)**	**4474**

परिशिष्ट 2.2.1

(संदर्भ कंडिका 2.2.5; पृष्ठ क्र 40)

चयनित ग्राम पंचायतों के विवरणों को दर्शाने वाला पत्रक

मध्य मैदानी क्षेत्र			उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र			बस्तर का पठार		
विकास खंड-1 बालोद (दुर्ग)	1	बी. जामगाँव	विकास खंड-6 काँसाबेल (जशपुर)	51	बरजोर	विकास खंड-10 बकावंड (बस्तर)	91	बरदा
	2	भोइनापर		52	चिरोड़ा		92	छिन्दगाँव
	3	देवारभाट		53	फरसाजुनवानी		93	चिउरीगॉव
	4	जामारूआ		54	कटंगखार		94	फारसीगाँव
	5	जुंगेरा		55	खुटेरा		95	किंजोली
	6	लतावोड़		56	कुसुमताल		96	मगनार
	7	लोंडी		57	पतरापाली		97	मटनार
	8	नेवारीकला		58	पोंगरो		98	पन्दानार
	9	परसोदा		59	साजापानी		99	सतोषा
	10	तरोड		60	टांगरगाँव		100	टाकोंनगेरा
विकास खंड-2 दुर्ग (दुर्ग)	11	आमटी	विकास खंड-7 पत्थलगाँव (जशपुर)	61	बागबहार	विकास खंड-11 बस्तर (बस्तर)	101	बकेल
	12	भेंदसार		62	बुटराबहार		102	भोंड
	13	वड़ेगाँव		63	गरजियाबथान		103	दुवे उमरगाँव
	14	चिरपोटी		64	काड्रो		104	करमारी
	15	घुघासीडीह		65	कुड़केलखजरी		105	खेसरपाल
	16	काट्रो		66	मधुवन		106	कुगरपाल
	17	कोलिहापुरी		67	पालीडीह		107	लमकेर
	18	नागपुरा		68	राजाआमा		108	मंदलापॉल
	19	रसमड़ा		69	रोकबहार		109	रेताबांध
	20	खेलीडीह		70	तीरसोठ		110	तरपुरा
विकास खंड-3 साजा (दुर्ग)	21	भाटागाँव	विकास खंड-8 बैकुंठपुर (कोरिया)	71	आमापारा	विकास खंड-12 माकड़ी (बस्तर)	111	बड़ेघोड़सोडा
	22	डगानियाँ		72	बड़ेगाँव		112	बागडेगा
	23	गाडुवा		73	बड़पारा		113	भीरागाँव
	24	कानहेरा		74	बुडार		114	धारली
	25	माटरा		75	चिल्का		115	जरंडी
	26	ओडिया		76	डाकइपारा		116	कोसाहरदुली
	27	राहसपुर		77	गदबदी		117	माकड़ी
	28	शौरी		78	कदमनारा		118	पाथरी
	29	तिरियाभट		79	खोंड		119	तमरावंड
	30	उमाराउ नगर		80	रालवा		120	ठेमगाँव
विकास खंड-4 बसना (महासमुन्द)	31	बड़ेटेमरी	विकास खंड-9 मनेन्द्रगढ़ (कोरिया)	81	बुंदेली	विकास खंड-13 चारामा (कांकेर)	121	आँवरी
	32	बेलटिकरी		82	चरवाही		122	भानपुरी
	33	बिछिया पी		83	दुगला		123	डेडकोका
	34	वीरसिंहपाली		84	हर्रा		124	गीतपहर
	35	विमार्केल		85	कछौड़		125	जेपरा
	36	गानेकेरा		86	लालपुर		126	किलेपार
	37	खेमड़ा		87	माहाई		127	लिलेझार
	38	लम्बर		88	नारायणपुर		128	पंडरीपानी
	39	पालसापाली		89	परसगड़ी		129	पिपरौद
	40	रारकंडा		90	रोकड़ा		130	साधुनवांगॉव

केन्द्रीय समतल			उत्तरी पर्वती क्षेत्र	बस्तर का पठार		
विकास खंड-5 पिथौरा (महासमुन्द)	41	बड़ेलोराम		विकास खंड-14 नरहरपुर (कांकेर)	131	अमोड़ा
	42	भिखापाली			132	भैंरामुन्डी
	43	विजेमल			133	चोरभट्टी
	44	धनोरा			134	देवीनवागाँव
	45	गोपालपुर			135	धनसेरा
	46	जघोंरा			136	गोटियावाही
	47	कादोपाली			137	कुरना
	48	मनहादा			138	मरमपानी
	49	पिलवापाली			139	रिसेवदा
	50	सावित्रिपुर			140	सरवंडी

परिशिष्ट 2.2.2

(संदर्भ कंडिका 2.2.8.3; पृष्ठ क्र. 48)

राज्य अंश को विलम्ब से जारी करने वाली स्थिति को दर्शाने वाला पत्रक

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	वर्ष	केन्द्रीय अंश			राज्य अंश		विलम्ब (दिनों में)
		जिला	दिनांक	राशि	दिनांक	राशि	
1	2007-08	बस्तर	21.5.07	25.00	19.6.07	2.78	14
		बस्तर	12-11-07	50.00	19-12-07	5.56	22
2	2008-09	दुर्ग	1.4.2008	3.77	22.4.2008	0.42	7
		महासमुन्द	17.4.2008	27.42	12.5.2008	3.05	11
		बस्तर	24-04-08	8.73	25-06-08	0.70	47
		बस्तर	30-05-08	8.15	03-07-08	1.18	19
		बस्तर	23-09-08	10.00	15-10-08	1.11	7
		दुर्ग	11.11.2008	15.84	24.12.2008	1.76	28
		महासमुन्द	28.1.2009	40.25	28.2.2009	4.47	15
3	2009-10	बस्तर	18-04-09	2.00	08-05-09	0.86	5
		बस्तर	18-04-09	7.75	15-06-09	0.62	43
		बस्तर	08-05-09	5.55	28-08-09	0.36	97
		जशपुर	30.6.2009	8.11	1.8.2009	0.09	17
		दुर्ग	15.10.2009	35.60	7.11.2009	3.96	8
		जशपुर	11.2.2010	4.46	19.3.2010	0.49	21
		महासमुन्द	12.5.2009	21.39	8.6.2009	2.44	11
		बस्तर	28-08-09	3.26	20-11-09	1.94	69
		बस्तर	14-10-09	17.47	17-03-10	0.51	139
		दुर्ग	20.4.2010	31.57	25.5.2010	3.51	20
4	2010-11	बस्तर	28-04-10	17.66	05-06-10	1.96	23
		महारामुन्द	29.4.2010	34.53	8.6.2010	3.84	24
		दुर्ग	30.6.2010	54.12	30.7.2010	6.01	15
		दुर्ग	1.7.2010	6.71	26.7.2010	0.75	10
		जशपुर	15.9.2010	40.00	1.12.2010	4.44	62
		बस्तर	22-02-11	48.04	30-03-11	5.34	21
5	2011-12	बस्तर	04-11-11	8.18	22-12-11	0.85	33
		बस्तर	05-01-12	20.00	06-03-12	2.64	46
		बस्तर	27-01-12	5.27	30-03-12	1.04	48
		महासमुन्द	26.7.2011	14.99	26.8.11	1.57	15
		महासमुन्द	22.9.2011	62.56	20.10.2011	6.53	12

परिशिष्ट-2.4.1

(संदर्भ कंडिका 2.4.4.4; पृष्ठ क्रं. 98)

उद्योगों को शासकीय भूमि के आबंटन पर प्रब्याजी एवं भू-भाटक की कम वसूली का विवरण पत्रक

(राशि लाख ₹ में)

स.क्र.	औद्योगिक इकाई का नाम	रकबा हेक्टेयर में	आबंटन क्रमांक/दिनांक	सी एस आई डी सी द्वारा अधिरोपित शुल्क			सी एस आई डी सी द्वारा अधिरोपित किए जाने वाले शुल्क			सी एस आई डी सी द्वारा कम वसूली गई राशि		
				प्रब्याजी	भू-भाटक	योग	प्रब्याजी	भू-भाटक	योग	प्रब्याजी	भू-भाटक	योग
1	मेसर्स लाफार्ज इंडिया प्रायवेट लिमिटेड, रायपुर	3.403	12320/ 25.03.10	9.11	0.25	9.36	50.43	1.26	51.69	41.32	1.01	42.33
2	मेसर्स धीरू पावर जेन प्रायवेट लिमिटेड, कोरबा	50.988	2271/ 01.06.10	353.98	10.62	364.60	755.64	18.89	774.53	401.66	8.27	409.93
3	मेसर्स सोना पावर प्रायवेट लिमिटेड, जांजगीर	197.210	5383/ 13.08.10	2708.17	81.25	2789.42	2922.65	73.07	2995.72	214.48	-8.18	206.30
4	मसर्स जिंदल स्टील एवं पावर लिमिटेड, रायगढ़	2.615	6030/ 31.08.10	37.60	1.13	38.73	38.75	0.97	39.72	1.15	-0.16	0.99
5	मेसर्स लेंको सोलर प्रायवेट लिमिटेड, राजनांदगांव	101.282	12551/ 30.03.10	191.71	5.75	197.46	1501.00	37.52	1538.52	1309.29	31.77	1341.06
6	मेसर्स श्री सांई इंडस्ट्रीज, कोरबा	0.186	12495/ 29.03.10	2.72	0.07	2.79	2.76	0.07	2.83	0.04	0.00	0.04
7	मेसर्स श्री कृष्णा इंडस्ट्रीज, कोरबा	0.186	12496/ 29.03.10	2.72	0.07	2.79	2.76	0.07	2.83	0.04	0.00	0.04
8	मेसर्स वर्धा पावर कम्पनी लिमिटेड, जांजगीर-चांपा	173.770	479/ 19.04.10	997.33	29.92	1027.25	2575.27	64.38	2639.65	1577.94	34.46	1612.40
9	मेसर्स लेंको सोलर प्रायवेट लिमिटेड, महरूमकला	11.924	784/ 26.04.10	38.54	1.16	39.70	176.71	4.42	181.13	138.17	3.26	141.43
10	मेसर्स जय बालाजी इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, गोलेंग जशपुर नगर	0.906	3120/ 02.07.10	2.58	0.08	2.66	13.43	0.34	13.76	10.85	0.26	11.10
11	मेसर्स राधा माधव इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, रायगढ़	9.768	4456/ 22.07.10	45.52	1.37	46.89	144.76	3.62	148.38	99.24	2.25	101.49
12	मेसर्स तिरूपती उद्योग लिमिटेड, अटारी	1.024	8625/ 28.10.10	6.14	0.31	6.45	15.18	0.38	15.56	9.04	0.07	9.11
13	मेसर्स लेंको सोलर प्रायवेट लिमिटेड, राजनांदगांव	37.127	9948/ 04.12.10	113.41	3.40	116.81	550.22	13.76	563.98	436.81	10.36	447.17
14	मेसर्स बजरंग पावर एवं इस्पात लिमिटेड, जांजगीर	19.610	10600/ 21.12.10	127.25	3.82	131.07	290.62	7.27	297.89	163.37	3.45	166.82
15	मेसर्स गोदावरी इनर्जी लिमिटेड, जांजगीर	38.562	10922/ 27.12.10	146.16	4.38	150.54	571.49	14.29	585.78	425.33	9.91	435.24
	योग	**648.561**		**4782.94**	**143.58**	**4926.52**	**9611.67**	**240.29**	**9851.97**	**4828.73**	**96.71**	**4925.45**

परिशिष्ट-2.4.2

(संदर्भ कंडिका 2.4.6.1; पृष्ठ क्रं. 104)

मुआवजा राशि की कम वसूली की गणना का विवरण

1.(अ) (प्रकरण संख्या 02/06-07, तेन्दुभाटा)

भुगतान एवं भुगतान योग्य मुआवजा राशि की गणना *(राशि ₹में)*

	रकबा एकड़ में	तुलनात्मक दर प्रति एकड़ में	मुआवजा	खड़ी फसल	योग	12 प्रतिशत की दर से 12 माहों के लिए अतिरिक्त मुआवजा धारा 23(1) के अंतर्गत	तोषण (30 प्रतिशत) धारा 23(2) के अंतर्गत	अवार्ड की कुल राशि
भुगतान	155.96	1,06,037	1,65,37,530	41,30,114	20667644	24,80,117	62,00,293	2,93,48,055
भुगतान योग्य	123.05(मटासी) 32.91(टिकरा)	1,97,693 1,83,529	2,43,26,153 60,39,937	41,30,114	344,96,204	44,84,507 *(13 माहों के लिए)*	1,03,48,861	4,93,29,572
कम भुगतान राशि (भुगतान योग्य ₹4,93,29,572- भुगतान₹ 2,93,48,055)								**1,99,81,517**

1.(ब) (प्रकरण संख्या 04/06-07, मढ़वा) **भुगतान तथा भुगतान योग्य मुआवजा की गणना**

(राशि ₹में)

	रकबा एकड़ में	तुलनात्मक दर प्रति एकड़	मुआवजा	खड़ी फसल	योग	12 प्रतिशत की दर से 12 माहों के लिए अतिरिक्त मुआवजा धारा 23(1) के अंतर्गत	तोषण (30 प्रतिशत)धारा 23(2)के अंतर्गत	अवार्ड की कुल राशि
भुगतान	151.79	1,06,037	1,60,95,356	1,11,416	1,62,06,772	19,44,813	48,62,032	2,30,13,617
भुगतान योग्य	143.20(मरासी) 8.59(टिकरा)	1,98,300 1,94,253	2,83,96,601 16,68,636	1,11,416	3,01,76,653	39,22,965 *(13 माहों के लिए)*	90,52,996	4,31,52,614
कम भुगतान राशि (भुगतान योग्य ₹ 4,31,52,614- भुगतान ₹ 2,30,13,617)								**2,01,38,997**
योग (अ+ब)								**4,01,20,514**

परिशिष्ट-2.4.3

(संदर्भ कंडिका 2.4.6.2; पृष्ठ क्रं. 104)

भुगतान न किए गये मुआवजा का विवरण पत्रक

(राशि लाख ₹ में)

सं.क्र.	भू-अर्जन अधिकारी /जिले का नाम	भू अर्जन प्रकरण	ग्राम	भूमि प्राप्त करने वाले का नाम तथा जिसके लिए अर्जित की गई	रकबा हेक्टेयर में	अवार्ड का दिनांक धारा 11 के अंतर्गत	अवार्ड राशि	वितरित राशि	अवितरित राशि	बकाया भू-स्वामी	कुल भू-स्वामी
1	रायपुर/रायपुर	08/07-08	कचना	गृह निर्माण मंडल	3.982	30.03.10	217.42	26.59	190.83	158	171
2	रायपुर/रायपुर	15/07-08	भटगांव	नगर निगम	0.36	12.03.10	14.49	0	14.49	2	2
3	रायपुर/रायपुर	24/06-07	निनवा	जल संसाधन विभाग	2.039	08.04.10	9.1	6.1	3	4	16
4	आरंग-अभनपुर/रायपुर	09/08-09	झांझ	एन आर डी ए	0.3	13.06.11	3.19	0	3.19	1	1
5	आरंग-अभनपुर/रायपुर	09/07-08	झांकी	एन आर डी ए	0.56	08.03.11	9.27	0	9.27	2	2
6	आरंग-अभनपुर/रायपुर	08/07-08	खण्डवा	एन आर डी ए	1.76	08.03.11	15.45	0	15.45	1	1
7	आरंग-अभनपुर/रायपुर	10/07-08	भेलवाडीह	एन आर डी ए	5.46	08.03.11	60.45	0.66	59.79	3	4
8	आरंग-अभनपुर/रायपुर	01/07-08	नरदहा	गृह निर्माण मंडल	8.79	12.01.10	95.99	0	95.99	103	103
9	आरंग-अभनपुर/रायपुर	07/07-08	खण्डवा	एन आर डी ए	19.3	19.01.10	189.34	0	189.34	47	47
10	घरघोड़ा/रायगढ़	08/08-09	गहनाझरिया	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	25.07.11	21.08	0	21.08	11	11
11	घरघोड़ा/रायगढ़	22/08-09	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	10.08.11	8.93	0	8.93	19	19
12	घरघोड़ा/रायगढ़	13/06-07	सालिहाभाटा	डी टी आई सी	17.982	22.10.07	55.28	19.9	35.38	20	30
13	जांजगीर-चांपा	01/09-10	अमोरा	के एस के महानदी 3600 मेगावाट	56.219	30.12.10	1431.1	1369.91	61.19	8	138

सं.क्र.	भू-अर्जन अधिकारी /जिले का नाम	भू अर्जन प्रकरण	ग्राम	भूमि प्राप्त करने वाले का नाम तथा जिसके लिए अर्जित की गई	रकबा हेक्टेयर में	अवार्ड का दिनांक धारा 11 के अंतर्गत	अवार्ड राशि	वितरित राशि	अवितरित राशि	बकाया भू-स्वामी	कुल भू-स्वामी
14	जांजगीर-चांपा	02/09-10	अमोरा	के एस के महानदी 3600 मेगावाट	6.94	24.12.10	171.4	170.6	0.8	1	34
15	जांजगीर-चांपा	03/09-10	लटिया	के एस के महानदी 3600 मेगावाट	30.315	30.12.10	760.08	712.96	47.12	6	103
16	जांजगीर-चांपा	08/09-10	नरियरा	के एस के महानदी 3600 मेगावाट	45.13	30.12.10	1176.73	1119.47	57.26	17	180
17	जांजगीर-चांपा	05/09-10	तरौद	के एस के महानदी 3600 मेगावाट	23.599	30.12.10	695.34	543.95	151.39	14	82
18	जांजगीर-चांपा	07/09-10	पकरिया	के एस के महानदी 3600 मेगावाट	23.549	30.12.10	522.62	506.85	15.77	5	47
19	जांजगीर-चांपा	06/09-10	रोगदा	के एस के महानदी 3600 मेगावाट	52.247	30.12.10	1228.71	1170.28	58.43	5	90
20	जांजगीर-चांपा	22/08-09	गोधना	के पी सी एल	215.64	30.10.10	5344.25	5240.94	103.31	28	808
21	जांजगीर-चांपा	23/08-09	सलखन	के पी सी एल	151.77	30.10.10	3802.71	3570.66	232.05	33	520
22	जांजगीर-चांपा	24/08-09	कुकदा	के पी सी एल	43.76	06.10.10	1086.34	868.19	218.15	34	163
23	राजनांदगांव	06/08-09	पनेका	लोक निर्माण विभाग	8.599	20.12.10	45.78	39.11	6.67	5	23
24	राजनांदगांव	05/08-09	नन्दई	लोक निर्माण विभाग	21.518	30.06.11	1017.75	975.35	42.4	4	75
25	राजनांदगांव	08/08-09	रेवाडीह	लोक निर्माण विभाग	10.976	25.05.11	586.43	542.08	44.35	5	60
26	राजनांदगांव	09/08-09	लखोली	लोक निर्माण विभाग	20.903	25.05.11	892.54	827.84	64.7	5	65
27	राजनांदगांव	05/04-05	मालडबरी	जल संसांधन विभाग	1.097	17.04.07	0.67	0.64	0.03	4	अनुपलब्ध
28	राजनांदगांव	04/07-08	महरूमकला	जल संसाधन विभाग	4.057	20.08.09	8.93	7.55	1.38	1	अनुपलब्ध

सं.क्र.	भू-अर्जन अधिकारी /जिले का नाम	भू अर्जन प्रकरण	ग्राम	भूमि प्राप्त करने वाले का नाम तथा जिसके लिए अर्जित की गई	रकबा हेक्टेयर में	अवार्ड का दिनांक धारा 11 के अंतर्गत	अवार्ड राशि	वितरित राशि	अवितरित राशि	बकाया भू-स्वामी	कुल भू-स्वामी
29	खैरागढ़/राजनांदगांव	11/01-02	मुडपार	जल संसाधन विभाग	1.672	04.03.04	1.47	0.92	0.55	9	अनुपलब्ध
30	खैरागढ़/राजनांदगांव	27/01-02	पिपलाकछार	जल संसाधन विभाग	2.13	04.03.04	2.5	1.03	1.47	4	अनुपलब्ध
31	खैरागढ़/राजनांदगांव	26/01-02	टेकापार	जल संसाधन विभाग	0.429	15.09.03	3.7	2.38	1.32	4	अनुपलब्ध
32	खैरागढ़/राजनांदगांव	18/02-03	झरझरघाट	जल संसाधन विभाग	2.526	28.11.05	1.59	1.28	0.31	2	अनुपलब्ध
33	खैरागढ़/राजनांदगांव	07/02-03	बरबसपुर	जल संसाधन विभाग	1.255	11.07.05	1.18	1.05	0.13	3	अनुपलब्ध
34	खैरागढ़/राजनांदगांव	06/04-05	जीराटोला	जल संसाधन विभाग	15.899	06.03.06	13.15	12.51	0.64	6	अनुपलब्ध
35	खैरागढ़/राजनांदगांव	12/03-04	सारंगपुर	जल संसाधन विभाग	1.983	22.11.06	2.02	1.7	0.32	5	अनुपलब्ध
36	खैरागढ़/राजनांदगांव	11/07-08	कुकरमुंजा	जल संसाधन विभाग	6.968	30.06.09	20.56	20.34	0.22	1	40
37	खैरागढ़/राजनांदगांव	12/08-09	भरदागोंड़	जल संसाधन विभाग	7.441	09.04.10	20.91	16.53	4.38	2	23
38	खैरागढ़/राजनांदगांव	01/08-09	महरूमकला	उद्योग	54.656	01.07.10	813.97	0	813.97	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
39	खैरागढ़/राजनांदगांव	04/07-08	गातापार	जल संसाधन विभाग	7.231	03.06.10	12.03	11.45	0.58	6	34
40	खैरागढ़/राजनांदगांव	17/07-08	शेरगढ़	लोक निर्माण विभाग	0.194	06.09.10	4.59	4.52	0.07	3	12
41	खैरागढ़/राजनांदगांव	10/08-09	झूरानदी	जल संसाधन विभाग	3.684	05.02.11	11.81	11.44	0.37	2	43
42	खैरागढ़/राजनांदगांव	13/08-09	गभरा	जल संसाधन विभाग	2.368	18.10.10	9.58	9.3	0.28	1	21
43	खैरागढ़/राजनांदगांव	03/08-09	दल्लीखोली	जल संसाधन विभाग	1.789	11.03.11	4.31	0.91	3.4	2	4
44	घरघोड़ा/रायगढ़	11/06-07	सलखिया	जल संसाधन विभाग	13.863	24.08.09	26.61	0	26	38	38
45	घरघोड़ा/रायगढ़	06/06-07	खम्हार	जल संसाधन विभाग	19.29	31.08.09	44.52	11.17	33.35	36	46
46	घरघोड़ा/रायगढ़	07/06-07	आमाघाट	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	26.10.09	27.98	15.12	12.86	8	35
47	घरघोड़ा/रायगढ़	23/06-07	गोरखाभाड़ा	कैलो परियोजना	14.196	23.11.09	49.7	47.18	2.52	1	19
48	घरघोड़ा/रायगढ़	10/06-07	कसडोल	कैलो परियोजना	16.753	18.11.09	62.6	57.05	5.55	9	62
49	घरघोड़ा/रायगढ़	01/07-08	लोहडापानी	जल संसाधन विभाग	9.269	27.03.10	17.02	15.76	1.26	1	17
50	घरघोड़ा/रायगढ़	18/08-09	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	15.09.10	0.12	0	0.12	1	1
51	घरघोड़ा/रायगढ़	07/07-08	सालखिया	जल संसाधन विभाग	0.184	08.12.10	0.45	0	0.45	4	4
52	घरघोड़ा/रायगढ़	08/07-08	सालखिया	जल संसाधन विभाग	0.652	08.12.10	1.93	0	1.93	11	11
53	घरघोड़ा/रायगढ़	09/07-08	भेलवाटोली	जल संसाधन विभाग	1.348	08.12.10	2.77	0	2.77	18	18
54	घरघोड़ा/रायगढ़	10/07-08	भेलवाटोली	जल संसाधन विभाग	0.388	08.12.10	0.77	0	0.77	4	4

सं.क्र.	भू-अर्जन अधिकारी /जिले का नाम	भू अर्जन प्रकरण	ग्राम	भूमि प्राप्त करने वाले का नाम तथा जिसके लिए अर्जित की गई	रकबा हेक्टेयर में	अवार्ड का दिनांक धारा 11 के अंतर्गत	अवार्ड राशि	वितरित राशि	अवितरित राशि	बकाया भू-स्वामी	कुल भू-स्वामी
55	घरघोड़ा/रायगढ़	11/07-08	कूपाकानी	जल संसाधन विभाग	9.583	21.12.10	29.64	5.45	24.19	10	12
56	घरघोड़ा/रायगढ़	04/08-09	कूपाकानी	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	08.12.10	10.1	0	10.1	5	5
57	घरघोड़ा/रायगढ़	05/08-09	कूपाकानी	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	08.12.10	2.81	0	2.81	9	9
58	घरघोड़ा/रायगढ़	06/08-09	कुपाकानी	जल संसाधन विभाग	1.596	08.12.10	2.32	0	2.32	5	5
59	घरघोड़ा/रायगढ़	25/08-09	झरन	जल संसाधन विभाग	7.52	31.12.10	25.66	0.46	25.2	32	33
60	घरघोड़ा/रायगढ़	15/08-09	वसकोले	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	30.10.10	0.11	0	0.11	1	1
61	घरघोड़ा/रायगढ़	06/07-08	खम्हार	जल संसाधन विभाग	1.909	31.08.09	5.18	0	5.18	1	1
62	घरघोड़ा/रायगढ़	20/08-09	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	03.06.11	1.23	0	1.23	1	1
63	घरघोड़ा/रायगढ़	19/08-09	लमदरहा	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	03.06.11	2.01	0	2.01	5	5
64	घरघोड़ा/रायगढ़	09/08-09	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	22.07.11	12.3	0	12.3	31	31
65	घरघोड़ा/रायगढ़	21/08-09	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	21.07.11	8.33	0	8.33	7	7
66	रायगढ़/रायगढ़	06/06-07	खैरपुर	कैलो परियोजना	1.953	08.05.08	9.39	3.3	6.09	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
67	रायगढ़/रायगढ़	49/06-07	कसमनारा	कैलो परियोजना	3.586	05.09.09	40.86	21.99	18.87	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
68	रायगढ़/रायगढ़	05/06-07	भगवानपुर	कैलो परियोजना	4.719	30.09.09	153.73	111.64	42.09	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
69	रायगढ़/रायगढ़	48/06-07	सांधीतराई	कैलो परियोजना	6.497	15.09.09	75.9	75.81	0.09	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
70	रायगढ़/रायगढ़	51/06-07	चुटीपाली	कैलो परियोजना	7.273	15.09.09	73.29	65.67	7.62	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
71	रायगढ़/रायगढ़	50/06-07	कलमी	कैलो परियोजना	2.855	22.09.09	32.77	23.24	9.53	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
72	रायगढ़/रायगढ़	52/06-07	झरमुड़ा	कैलो परियोजना	7.837	06.10.09	37.2	36.64	0.56	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
73	रायगढ़/रायगढ़	20/06-07	बरालिया	कैलो परियोजना	81.308	30.08.09	407.85	403.77	4.08	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
74	रायगढ़/रायगढ़	29/06-07	कुसमुरा	कैलो परियोजना	12.817	22.01.09	66.23	60.83	5.4	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
75	रायगढ़/रायगढ़	30/06-07	जोरापाली	कैलो परियोजना	4.337	08.09.08	36.05	21.69	14.36	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध

सं.क्र.	भू-अर्जन अधिकारी /जिले का नाम	भू अर्जन प्रकरण	ग्राम	भूमि प्राप्त करने वाले का नाम तथा जिसके लिए अर्जित की गई	रकबा हेक्टेयर में	अवार्ड का दिनांक धारा 11 के अंतर्गत	अवार्ड राशि	वितरित राशि	अवितरित राशि	बकाया भू-स्वामी	कुल भू-स्वामी
76	रायगढ़/रायगढ़	31/06-07	धनगर	कैलो परियोजना	10.063	20.05.09	84.37	81.52	2.85	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
77	रायगढ़/रायगढ़	33/06-07	खोखरा	कैलो परियोजना	11.359	30.10.09	47.01	44.47	2.54	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
78	रायगढ़/रायगढ़	4/06-07	बरमुड़ा	कैलो परियोजना	12.114	29.09.09	58.87	0	58.87	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
79	टाटा प्रोजेक्ट/बस्तर	12/06-07	धुरागांव	टाटा स्टील प्लांट	276.45	29.10.07	1136.93	934.75	202.18	34	225
80	टाटा प्रोजेक्ट/बस्तर	09/06-07	बेलियापाल	टाटा स्टील प्लांट	141.68	29.10.07	532.69	498.79	33.9	6	185
81	टाटा प्रोजेक्ट/बस्तर	13/06-07	कुम्हली	टाटा स्टील प्लांट	62.14	29.10.07	233.71	226.93	6.78	3	131
82	टाटा प्रोजेक्ट/बस्तर	10/06-07	छिन्दगांव	टाटा स्टील प्लांट	52.68	29.10.07	198	191.35	6.65	2	71
83	टाटा प्रोजेक्ट/बस्तर	11/06-07	दाबपाल	टाटा स्टील प्लांट	209.49	07.11.07	839.02	338.86	500.16	83	212
84	टाटा प्रोजेक्ट/बस्तर	06/06-07	बडांजी	टाटा स्टील प्लांट	308.73	07.11.07	1192.76	590.39	602.37	120	262
85	टाटा प्रोजेक्ट/बस्तर	08/06-07	बेलर	टाटा स्टील प्लांट	213.95	07.11.07	871.1	318.56	552.54	87	149
86	टाटा प्रोजेक्ट/बस्तर	14/06-07	सिरसागुड़ा	टाटा स्टील प्लांट	165.09	19.02.08	680.17	344.43	335.74	69	161
87	टाटा प्रोजेक्ट/बस्तर	15/06-07	टाकरागुडा	टाटा स्टील प्लांट	185.34	19.02.08	706.24	209.33	496.91	138	189
88	जगदलपुर/बस्तर	06/09-10	नगरनार	एन एम डी सी	26.35	03.08.10	529.31	454.17	75.14	9	119
89	जलदलपुर/बस्तर	04/09-10	कस्तुरी	एन एम डी सी	71.29	02.08.10	1435.79	1356.35	79.44	12	165
	योग				**2863.536**		**30208.14**	**24381.66**	**5825.87**	**1397**	**5206**

परिशिष्ट 3.1.1

(संदर्भ कंडिका 3.1.6.4(ख); पृष्ठ क्र.118 एवं 119)

मॉडल नर्सरियों में स्थापित निष्क्रिय अधोसंरचना का विवरण (अप्रैल 2012 की स्थिति में)

(राशि ₹ में)

स. क्रं.	जिला	नर्सरी का नाम	अधोसंरचना का नाम	स्थापना का तिथि	मूल्य	योजना	निष्क्रियता की अवधि (माह में)	रिमार्क
1	कांकेर	कनहनपुरी, नरहरपुर	मिरट चैम्बर	19/03/2010	2499633	आर.के. वि. वाई	25	विद्युत की अनुउपलब्धता
2	कांकेर	कनहनपुरी, नरहरपुर	हार्डनिंग चैम्बर	19/03/2010	1440113	आर.क. वि. वाई	25	विद्युत की अनुउपलब्धता
3	कांकेर	सिंघारभाट, कांकेर	मिरट चैम्बर	23/07/2009	2499633	आर.के. वि. वाई	33	विद्युत की अनुउपलब्धता
4	कांकेर	सिंघारभाट, कांकेर	हार्डनिंग चैम्बर	26/07/2009	1440113	आर.के. वि. वाई	33	विद्युत की अनुउपलब्धता
5	कांकेर	भण्डारडीह, दुर्गकोण्डल	मिरट चैम्बर	04/08/2011	2499633	आर.क. वि. वाई	9	विद्युत की अनुउपलब्धता
6	कांकेर	भण्डारडीह, दुर्गकोण्डल	हार्डनिंग चैम्बर	04/08/2011	1440113	आर.के. वि. वाई	9	विद्युत की अनुउपलब्धता
7	कांकेर	सिंघारभाट, कांकेर	कम लागत काजू प्रसंस्करण इकाई	03/02/2010	58094	आर.के. वि. वाई	26	विद्युत की अनुउपलब्धता
8	कांकेर	सिंघारभाट, कांकेर	उच्च क्षमता काजू प्रसंस्करण इकाई	25/02/2010	1497175	आर.के. वि. वाई	26	विद्युत की अनुउपलब्धता
9	कांकेर	भण्डारडीह, दुर्गकोण्डल	उच्च क्षमता काजू प्रसंस्करण इकाई	03/05/2011	1526654	आर.के. वि. वाई	12	विद्युत की अनुउपलब्धता
10	कांकेर	सिंघारभाट, कांकेर	एलोवेरा जेल/जूस इकाई	25/10/2009	1398004	आर.के. वि. वाई	30	विद्युत की अनुउपलब्धता
11	रायगढ़	नदीगाँव, बरमकेला	मिस्ट चैम्बर	10/11/2011	2499633	आर.के. वि. वाई	6	विद्युत की अनुउपलब्धता
12	कबीरधाम	खुटु	आसवन इकाई एवं अवाष्पीकृत भट्ठी	15/03/2008	349577	एन.एच.एम	49	सुंगधित एवं औषधि पौधो का उत्पादन न होना
13	कबीरधाम	मोहोत्रा	आसवन इकाई एवं अवाष्पीकृत भट्ठी	15/03/2008	349577	एन.एच.एम	49	सुंगधित एवं औषधि पौधो का उत्पादन न होना
14	राजनांदगाँव	पेड्री	हार्डनिंग चैम्बर	15/03/2009	1440113	आर.के..वी. वाई	37	विद्युत कनेक्शन न होना
15	राजनांदगाँव	पेड्री	मिरट चैम्बर	15/03/2009	2499633	आर.के..वी. वाई	37	विद्युत कनेक्शन न होना
योग					**23437698**			

परिशिष्ट- 3.1.2

(संदर्भ कंडिका 3.1.6.4(ग); पृष्ठ क्र.119)

लंबित अनुशासनात्मक प्रकरणों का विवरण

स.क्र.	कर्मचारी का नाम (सर्व/श्री)	आरोप पत्र जारी होने की तिथि	आरोपो का विवरण	वर्तमान स्थिति	विभागीय जाँच की अवधि
1	कृपाशंकर त्रिपाठी, पूर्व उप संचालक उद्यानिकी	18-06-1999	निर्माण कार्य एवं पौधे क्रय में अनियमित्तायें	विभागीय जाँच के प्रतिवेदन की प्रति प्राप्त न होना	13 वर्ष 2 माह
2	बी.के. चतुर्वेदी, सहायक संचालक उद्यानिकी	11-11-2008	असंगत संपदा, सहायक संचालक के पदावधि के दौरान अनियमित्तायें एवं अनुशासनहीनता	विभागीय जाँच के प्रतिवेदन की प्रति प्राप्त न होना	3 वर्ष 10 माह
3	कृष्णा शर्मा, गृ.उ.वि.अ	19-04-2007	गंभीर वित्तीय अनियमित्तायें	विभागीय जाँच के प्रतिवेदन की प्रति प्राप्त न होना	5 वर्ष 4 माह
4	विनायक मानापुरे, व.उ.वि.अ	03-02-2009	एन.एच.एम. योजना के अंतर्गत बीज निगम से प्राप्त पौधों की प्राप्ति और वितरण में अनियमित्तायें	विभागीय जाँच के प्रतिवेदन की प्रति प्राप्त न होना	3 वर्ष 6 माह
5	सुखराम विंझवार, गृ.उ.वि.अ	29-08-2006	अनाधिकृत अनुपस्थिति	विभागीय जाँच के प्रतिवेदन की प्रति प्राप्त न होना	6 वर्ष
6	गोरख नाथ सोनवानी, चपरासी	23-04-2011	अनाधिकृत अनुपस्थिति	विभागीय जाँच के प्रतिवेदन की प्रति प्राप्त न होना	1 वर्ष 4 माह

(स्रोतः विभाग द्वारा दी गई जानकारी तथा लेखा परीक्षा द्वारा संकलित)

नोटः दो विभागीय जाँच के प्रकरण अवधि अप्रैल-सितम्बर 2012 के दौरान निराकृत किये गये।

परिशिष्ट- 3.1.3

(संदर्भ कंडिका 3.1.7.1(ख); पृष्ठ क्र.123)

मसालों एवं गैर बारहमासी फलों के उत्पादन में अनियमित व्यय का विवरण

जिला	वर्ष	एन.एच.एम जिलों में आर.के.वी. वाई के अतंर्गत लिया गया क्षेत्र विस्तार	छादित क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	व्यय (लाख ₹ में)
कोरबा	2010-11	मसाले-मिर्च	550	68.76
		मसाले-धनिया	100	12.50
		गैर बारहमासी फल-केला(टी.सी)	100	41.60
रायगढ़	2010-11	मसाले-मिर्च	500	62.50
		मसाले-धनिया	200	25.00
रायपुर	2010-11	गैर बारहमासी फल-केला(टी.सी)	200	83.20
		गैर बारहमासी फल-पपीता	50	20.80
		मसाले-मिर्च	400	50.00
सरगुजा	2010-11	गैर बारहमासी फल-केला(टी.सी)	500	208.00
		मसाले-मिर्च, धनिया एवं हल्दी	600	75.00
योग			**3200**	**647.36**

(स्रोतः विभाग द्वारा दी गई जानकारी तथा लेखा परीक्षा द्वारा संकलित)

परिशिष्ट- 3.1.4

(सदंर्भ कंडिका-3.1.7.1(घ); पृष्ठ क्र.124)

उद्यानिकी विभाग के विभिन्न डी.डी.ओ. के द्वारा मु.शी. 8443 और मु.शी. 0401 में जमा की गयी निधियों का विवरण

(राशि ₹ में)

स.क्र.	जिला/कार्यालय का नाम	मु.शी. 8443 में जमा	मु.शी. 0401 पौध पालन में जमा
1	अंबिकापुर	3600000	0
2	कोरिया	1439375	1215650
3	रायपुर	4686176	1227160
4	राजनांदगाँव	175000	683835
5	रायगढ़	649680	466932
6	जांजगीर-चांपा	1825773	0
7	कांकेर	5877966	1110164
8	कबीरधाम	1704700	0
9	बस्तर	6148788	0
10	बीजापुर	2021516	0
11	दंतेवाडा	4336148	2829838
12	जशपुर	3909154	1207669
13	प्रमुख उद्यान, रायपुर	366453	0
14	बाना, रायपुर	318559	0
15	दुर्ग	0	353763
		37059288	**9095011**
कुल योग=37059288+9095011=46154299 और 4.62 करोंड़			

(स्रोतः विभाग द्वारा दी गई जानकारी तथा लेखा परीक्षा द्वारा संकलित)

परिशिष्ट- 3.1.5

(सदंर्भ कंडिका 3.1.7.1(ङ.); पृष्ठ क्र. 125)

असमायोजित स्थाई अग्रिमो का वर्षवार विवरण (मार्च 2012 की स्थिति में)

(राशि ₹में)

स.क्र.	कार्यालय का नाम	07-08 से पूर्व	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	योग
1	डी.डी.एच. बस्तर	310210	180632	6846	49602	243900	165110	**956300**
2	डी.डी.एच बिलासपुर	62100	0	246797	3241451	1400630	3271522	**8222500**
3	ए.डी.एच. धमतरी	0	0	480000	7568504	0	101261	**8149765**
4	डी.डी.एच. दुर्ग	440578	0	536476	0	2011005	2644500	**5632559**
5	ए.डी.एच. जशपुर	176491	92920	241106	30330	120992	190002	**851841**
6	ए.डी.एच कबीरधाम	113000	511199	241587	38253	6500	75904	**986443**
7	ए.डी.एच कांकेर	0	271832	136896	393191	372153	2351150	**3525222**
8	ए.डी.एच कोरबा	59634	18862	323516	171959	10200	345968	**930139**
9	ए.डी.एच कोरिया	0	0	836973	1282367	222700	1447342	**3789382**
10	ए.डी.एच प्रमुख उद्यान रायपुर	597250	76868	6000	0	0	40000	**720118**
11	ए.डी.एच रायगढ़	0	0	0	0	20000	462379	**482379**
12	डी.डी.एच. रायपुर	976100	233000	203160	584486	961990	951434	**3910170**
13	ए.डी.एच. राजनांदगाँव	0	0	60000	0	66740	100000	**226740**
14	डी.डी.एच. सरगुजा	1244995	790621	4186287	10067410	11192545	22188817	**49670675**
15	ए.डी.एच, एस.एम.एफ, बाना, रायपुर	0	0	0	0	3100000	4900584	**8000584**
	योग	**3980358**	**2175934**	**7505644**	**23427553**	**19729355**	**39235973**	**96054817**

(स्रोतः विभाग द्वारा दी गई जानकारी तथा लेखा परीक्षा द्वारा संकलित)

परिशिष्ट- 3.1.6

(सदंर्भ कंडिका 3.1.7.1(च); पृष्ठ क्र.125)

एस.आर. देयको द्वारा आहरित राशि का विवरण

(राशि ₹में)

स. क्र.	जिला का नाम	अग्रिम की राशि	समायोजित राशि	असमायोजित राशि
1.	बस्तर	17343796	17193796	150000
2.	बिलासपुर	415930	0	415930
3.	धमतरी	4027500	4027500	0
4.	दुर्ग	2060000	300000	1760000
5.	कांकेर	13561534	10049663	3511871
6.	कोरिया	9949972	6453404	3496568
7.	रायगढ़	880044	880044	0
8.	रायपुर	22481200	20381785	2099415
9.	सरगुजा	57573539	0	57573539
	महायोग	**128293515**	**59286192**	**69007323**

(स्रोतः विभाग द्वारा दी गई जानकारी तथा लेखा परीक्षा द्वारा संकलित)

परिशिष्ट- 3.1.7

(सदर्भ कंडिका 3.1.8.3; पृष्ठ क्र.128)

छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी फसलों की उत्पादन क्षमता की तुलना में उत्पादकता का विवरण

(मी.ट./हे. में)

फसल का नाम	छत्तीसगढ़ की औसत प्रति हेक्टेयर उत्पादकता (2011-12)	राज्य कृषि विश्वविधालय द्वारा अनुसंशित उत्पादन क्षमता	उत्पादन अंतर	राष्ट्रीय औसत उत्पादकता
आम	04.79	8	3.21	06.30
केला	**23.27**	40	-16.73	35.90
पपीता	**24.30**	50	-25.7	33.40
अमरूद	07.79	16	8.21	11.10
नींबु	06.56	8	1.44	09.00
काजू	00.56	2	1.44	00.80
लीची	**06.06**	**6**	**-0.06**	**06.00**
फूलगोभी	17.45	20	2.55	18.10
गोभी	18.15	25	6.85	22.20
बैंगन	**17.63**	**20**	2.37	**17.00**
टमाटर	16.12	15	-1.12	17.90
भिन्डी	09.79	10	0.21	10.30
आलू	14.06	25	10.94	19.90
प्याज	**15.94**	**20**	4.06	**15.10**
अदरक	**10.54**	**20**	**9.46**	**03.50**
धनिया	**03.84**	**3**	**-0.84**	**00.60**
मिर्च	**06.69**	**17.5**	**10.81**	**01.60**
लहसुन	**05.30**	**7.5**	**2.2**	**04.80**
हल्दी	**08.56**	**25**	**16.44**	**04.60**

(स्रोतः विभाग एवं राज्य कृषि विश्वविद्यालय द्वारा संकलित)

परिशिष्ट- 3.1.8

(सदंर्भ कंडिका 3.1.9.1(क); पृष्ठ क्र. 130)

जिलों द्वारा एन.एच.एम योजनांतर्गत उपयोग न की गयी निधियों का विवरण

(राशि लाख ₹में)

स.क्र.	धटक का नाम	आबंटन	व्यय	शेष	उपयोगिता में कमी (प्रतिशत)
1	जीरो ऊर्जा वेम्बर (पी.एच.एम)	8.6	0	8.6	100.00
2	काजू प्रथम एवं द्वितीय वर्ष	65.71	0	65.71	100.00
3	मॉडल फ्लोरीकल्चर	140	0	140	100.00
4	जल संचयन	54	0	54	100.00
5	निम्न ऊर्जा कूल चेम्बर (पी.एच.एम)	280	0	280	100.00
6	ग्रीन सेड नेट संरक्षित खेती	6	0	6	100.00
7	निम्न लागत प्याज भंडारण इकाई	5	0	5	100.00
8	मधुमख्खी पालन	3.25	0	3.25	100.00
9	संरक्षित खेती (नलीदार संरचना)	63.07	0	63.07	100.00
10	संरक्षित खेती (प्राकृतिक हवादार प्रणाली)	116.98	0	116.98	100.00
11	फल क्षेत्र विस्तार द्वितीय एवं तृतीय वर्ष	213.403	0.25	213.153	99.88
12	काजू	259.37	6.2	253.17	97.61
13	सामुदायिक टैंक	330	18.79	311.21	94.31
14	उद्यानिकी यंत्रीकरण	375	63	312	83.20
15	पी.एच.एम.	1059	180.3	878.7	82.97
16	हल्दी	26.25	4.74	21.51	81.94
17	बीज उत्पादन (निजी क्षेत्र)	44.25	11.87	32.38	73.18
18	*तालाब खनन*	20	6.52	13.48	67.40
19	बीज उत्पादन (सार्वजनिक क्षेत्र)	43.75	15.68	28.07	64.16
20	एम. एवं ए. पौधो हेतु भूमि की तैयारी/फेंसिग आदि	230.296	94.57	135.726	58.94
21	मॉडल नर्सरी	807.506	380.322	427.184	52.90
22	पुराने बागों का कायाकल्प	505.5	243.764	261.736	51.78
23	मॉडल नर्सरी हेतु भूमि की तैयारी/फेसिंग आदि	2531.27	1284.82	1246.45	49.24
24	मल्चिग	285	178.78	106.22	37.27
25	पौध परिवहन	44	28.2	15.8	35.91
26	केला क्षेत्र विस्तार	574.5	414.107	160.393	27.92
27	पपीता क्षेत्र विस्तार	45	33.099	11.901	26.45
28	नलकूप	3230.79	2479.38	751.41	23.26
29	एच.आर.डी.	590.525	453.802	136.723	23.15
30	वर्मी कम्पोस्ट	2280	1982.29	297.71	13.06
31	मशरूप प्रशिक्षण	105	97.42	7.58	7.22
32	मिशन प्रबंधन	581.67	561.562	20.108	3.46
33	रजनीगंधा	8.967	8.967	0	0.00
34	जरबेरा	52.5	53	-0.5	-0.95
	योग	**14986.16**	**8601.44**	**6384.7**	**42.60**

(स्रोतः विभाग द्वारा दी गई जानकारी तथा लेखा परीक्षा द्वारा संकलित)

परिशिष्ट- 3.1.9

(सदंर्भ कंडिका 3.1.9.1(ग); पृष्ठ क्र.131)

अवधि 2007-12 के दौरान सुगंधित एवं औषधीय पौधों पर किये गये व्यय का विवरण

(राशि लाख ₹में)

व्यय का विवरण					
जिला	**2007-08**	**2008-09**	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**
बस्तर	244.256	103.257	22	48.04	30.76
बिलासपुर	148	0	56	25	0
दुर्ग	181.071	172.95	0	6.912	0
जशपुर	20.47	10	0	0	0
कबीरधाम	69.75	49.52	10.986	34.02	0
कोरबा	136.13	33.75	58.75	36.52	0
कोरिया	90	56.25	56.25	43.75	31.25
रायगढ़	72	5.625	0	17.77	12.5
रायपुर	82.61	122.7	10	18.74	6.25
राजनांदगाँव	69.88	99.5	0	21.52	10
सरगुजा	73.13	45	6.25	25	6.25
	1187.3	**698.55**	**220.24**	**277.27**	**97.01**

कुल व्यय = ₹ **2480.37** लाख या ₹ **24.80** करोड़

परिशिष्ट- *3.1.10*

(सदंर्भ कंडिका 3.1.9.1(घ); पृष्ठ क्र.133)

फसल, उसकी मृत्यु दर और निरर्थक व्यय का विवरण

स. क्रं.	क्लस्टर का नाम	ग्राम	फसल का नाम	वर्ष	रोपण की अवधि	कुल रकबा (हे.)	निरीक्षण की अवधि	जीवितता प्रतिशत	व्यय (₹)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
जिला राजनांदगाँव									
1	लमरा	लमरा	आम	2011-12	जुलाई-अगस्त 2011	13.70	15.02.12 से 29.02.12	50	7912
		लमरा	अमरूद			11.30		50	5792
		मानपुर पहाड़ी	आम			15.90		50	9182
		मानपुर पहाड़ी	अमरूद			4.80		50	2328
		तेगहरी	अमरूद			12.20		50	5913
		गर्रा	आम			5.60		60	8004
		गर्रा	अमरूद			4.90		60	1425
		ठाकुरटोला	आम			8.40		45	5821
		ठाकुरटोला	नींबु			4.20		45	2442
		जीरटोला	आम			1.80		40	1455
		बेलगाँव	आम			3.60		50	2079
		बेलगाँव	नींबु			1.00		50	485
		पैलीभेटा	आम			1.00		50	577
		पैलीभेटा	नींबु			5.10		50	2473
		भाडरा	नींबु			6.50		50	3150
		सिंगारपुर	नींबु			3.10		55	1203
2	रूदगाँव	अमलिडीह	अदरक	2011-12	जुलाई 2011	2.60	15.02.12 से 01.03.12	30	22773
		बरसंटीला	अदरक			3.00		30	26277
		तुमडीबोदे	अदरक			0.80		30	7007
		शंक्रीपार	अदरक			3.00		40	22523
		आरी	अदरक			1.80		40	13514
		नाथुलवागाँव	अदरक			6.65		40	49936
		हारदी	अदरक			7.50		30	65716

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	तमडीबोर्ड	नाथु-नवागाँव	मिर्ची	2011-12	अक्टूबर 2011	3.75	15.02.12 से 01.03.12	60	11138
		पेन्द्रवानी	मिर्ची			4.10		60	12177
		किरगी	मिर्ची			5.05		60	14998
		बुदनभाटा	मिर्ची			1.60		50	5940
		मेघा	मिर्ची			5.80		60	17226
		अमलिडीह	मिर्ची			3.10		60	9207
		शंकरीपारा	मिर्ची			5.50		60	16335
		कोफिडीह	मिर्ची			3.70		50	13737
		घोरधा	मिर्ची			3.30		60	9801
		आलिखुरा	मिर्ची			3.90		60	11583
		बरसाटोला	मिर्ची			1.80		60	5346
4	डोकराभाटा	डोकराभाटा	अदरक	2011-12	जुलाई 2011	5.10	15.12.11 से 31.12.11	50	31925
		बजगुदा	अदरक			2.30		50	14408
		तेकडीह	अदरक			3.30		50	20664
		राहुध	अदरक			6.60		50	41292
		पंडुका	अदरक			1.90		50	1191
5	बंहारदेही	जारवाही	धनिया	2011-12	नवम्बर 2011	1.75	15.02.12 से 31.12.11	70	2079
		दीवानभेदी	धनिया			2.00		70	2376
		छुईखदान	धनिया			2.75		70	3267
		मेधा	धनिया			1.00		70	1188
		बरसनटोला	धनिया			4.75		70	5643
		संकरीपारा	धनिया			5.00		70	5940
		रूदगांव	धनिया			3.00		70	3564
6	गोपालपुर	गोपालपुर	आम	2009-10	अगस्त-सितम्बर 2009	9.00	मार्च-अप्रैल 2010	70	1980
		औरधा	आम			20.20		30	39996
		भदेरानवागांव	नींबु		सितम्बर 2009	11.60		30	7229
		छोटे तेमरी	नींबु			10.10		70	700
		सलोनी	नींबु			4.00		70	277
		चारभाटा	नींबु			3.50		70	243

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	परमलकारा	परमलकारा	आम	2009-10		10.00	मार्च अप्रैल 2010	70	2200
		सोमनी	आम			4.00		60	2640
		सोमनी	नींबु			4.70		60	977
		शंकरा	आम			3.00		30	5940
8		नेतमटोला	आम	2009-10		2.00		20	4840
		नेतमटोला	नींबु			2.00		20	1524
		भगवानटोला	आम			3.40		20	8228
		भगवानटोला	नींबु			5.40		20	4114
		अरजकुंड	आम			8.60		20	20812
		अरजकुंड	नींबु			15.60		20	11883
		पतेली	आम			6.00		20	14520
		पतेली	नींबु			6.80		20	5181
		नेतमटोला	एलोवेरा			4.00		20	32000
		भगवानटोला	रजनीगंधा			5.00		20	136000
		अरजकुंड	रजनीगंधा		अक्टूबर 2009	15.00		20	408000
		अरजकुंड	एलोवेरा			21.60		20	172800
		पतेली	रजनीगंधा			5.00		20	136000
9		बोलापुर	आम	2009-10		7.60		50	8360
		पान्डेटोला	आम			10.00		50	11000
		शीकारी-मेहाका	आम			20.00		50	22000
		बोरडीह	आम			5.00		50	5500
		बोरडीह	नींबु			5.20		50	1731
		रामपुर	आम		अगस्त-सितम्बर,	10.00		50	11000
		रामपुर	नींबु		2009	4.80		50	1663
		शीकारी-टोला	आम			5.00		50	5500
		शीकारी-टोला	नींबु			4.40		50	1524
		लोधी-भरी	नींबु			10.60		50	3670
		नेवागाँव	आम			10.00		50	11000
		पीनाकवार	आम			10.40		50	11440

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10		मथालदाबाडी	आम	2008-09	अगस्त 2009	7.879		20	19067
		रोगाकेहरा	आम			6.064		20	14674
		ग़रबन्धा	आम			15.73		20	38067
		बमहाली भाटा	आम			13.30		20	32186
		अंडम	आम		अक्टूबर 2009	6.87		20	16625
		आरारा	आम			20.58		20	49804
		खमेरा	आम			4.57		20	11059
		रोगाकेहरा	सीट्रीडोरा		अगस्त 2009	5.60		20	195000
11		केकटीटोला	आम	2007-08	जुलाई 2008	5.00		15	18700
		भदरोना	आम			5.00		15	18700
		मोहद	आम			5.00		15	18700
		करमतारा	आम		अगस्त 2008	5.00		15	18700
		गोपालछुआ	आम			5.00		15	18700
		मुरेठीटोला	आम			5.00		15	18700
		केकटीटोला	सीट्रीडोरा		जुलाई 2008	11.55		15	16892
		भदरोना	सीट्रीडोरा			4.44		15	36797
		मोहद	सीट्रीडोरा			6.00		15	49725
		करमतारा	सीट्रीडोरा		अगस्त 2008	14.30		15	118511
		गोपालीछुआ	सीट्रीडोरा			4.90		15	40609
		मुरेठीटोला	सीट्रीडोरा			8.81		15	7301
		केकरीटोला	मिर्ची		जुलाई 2008	11.55		15	60212
		भदरोना	मिर्ची			4.44		15	23147
		मोहद	मिर्ची			6.00		15	5519
		करमतारा	मिर्ची		अगस्त 2008	14.30		15	74549
		गोपालीछुआ	मिर्ची			4.90		15	25545
		मुरेथीटोला	मिर्ची			8.81		15	45928
जिला बस्तर									
12		फरसगाँव	आम	07-08	अगस्त-सिम्तबर 08	100	उल्लेखीत नहीं	40-43	879820
13		फरसगाँव	काजू	07-08	अगस्त-सिम्तबर 07	110	उल्लेखीत नहीं	50-60	609362
14		फरसगाँव	आंवला	07-08	अगस्त-08	50	उल्लेखीत नहीं	30-33	296510
15		चीचाडी	आम	08-09	जुलाई- नवम्बर 09	98	उल्लेखीत नहीं	40-44	1023424

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16		आलोरा	काजू	09-10	अगस्त-10	83	उल्लेखीत नहीं	37-41	384920
17		तेनवसा	आम	06-07	अगस्त-06	58	मार्च-12	10	518382
18		तेनवसा	काजू	06-07	अगस्त-06	80	मार्च -12	5	440950
19		तेनवसा	नीबू	06-07	सितम्बर-07	150	मार्च-12	0	1276352
20		लीहनगाँव	काजू	07-08	सितम्बर-07	250	मार्च -12	5	1369676
21		लीहनगाँव	सीताफल	07-08	सितम्बर-07	30	मार्च -12	10	315306
22		चीवाडी	काजू	09-10	सितम्बर-09	90	मार्च -12	5	417380
23		अडेंगा	आम	06-07	अगस्त-06	50	मार्च -12	50	447034
24		अडेंगा	काजू	06-07	सितम्बर-06	70	मार्च -12	5	385832
25		गोरगाँव	काजू	07-08	सितम्बर-07	100	मार्च -12	20	545420
26		गोरगाँव	लेवनग्रास	07-08	अक्टूबर-07	100	उल्लेखीत नहीं	0	1122420
27		जामगाँव	आम	09-10	अगस्त-09	50	उल्लेखीत नहीं	10	546055
28		जामगाँव -2	काजू	09-10	अगस्त-09	148	उल्लेखीत नहीं	5	683710
29		डहीकोंगा	आम	07-08	अगस्त-07	70	उल्लेखीत नहीं	40-45	757398
30		डहीकोंगा	जामून	07-08	अगस्त-07	27	उल्लेखीत नहीं	25-30	143256
31		डहीकोंगा	एलोवेरा	07-08	अगस्त-07	100	उल्लेखीत नहीं	5-10	1098020
32		डहीकोंगा -2	काजू	08-09	अगस्त-08	156	उल्लेखीत नहीं	20-25	870547
33		बुनागाँव	काजू	09-10	अगस्त-10	103.75	उल्लेखीत नहीं	40-45	481145
34		बुनागाँव	नीबू	09-10	सितम्बर-09	100	उल्लेखीत नहीं	20-25	661750
35		तारागाँव	आम	07-08	सितम्बर-अक्टूबर07	200	23.05.11	17	1984840
36		तारागाँव	काजू	07-08	सितम्बर-अक्टूबर07	300	25.05.11	19	1633260
37		तारागाँव	लेमनग्रास	07-08	सितम्बर-अक्टूबर07	100	29.05.11	0	1122420
38		तारागाँव	पचौली	07-08	सितम्बर-अक्टूबर07	100	31.05.11	0	1122420
39		पारापुर	आम	08-09	अगस्त-08	22	09.06.11	26	229309
40		पारापुर	काजू	08-09	सितम्बर-08	120	16.06.11	24	669077
41		कीलेपाल	आम	06-07	अगस्त-06	107	जून-12	15	956535
42		कीलेपाल	लेमनग्रास	06-07	सितम्बर-06	107	जून-12	0	1100200
43		पलनार	आम	07-08	अगस्त-08	60	जून-12	15	643136
44		पलनार	काजू	07-08	अगस्त-08	120	जून-12	14	496914
45		पलनार	पामारोसा	07-08	अगस्त-08	100	जून-12	0	1098020
46		तीर्थुम	काजू	08-09	अगस्त-09	100	उल्लेखीत नहीं	16	557564
47		पारलमेटा	काजू	09-10	अगस्त-10	72	उल्लेखीत नहीं	15	331700
48		कोदेनार	आम	11-12	जुलाई-10	10	उल्लेखीत नहीं	25	53597
49		सोनारपाल	आम	06-07	अगस्त-06	50	जून-12	07	447034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50		सोनारपाल	काजू	06-07	सितम्बर-06	100	जून-12	05	545300
51		सोनारपाल	खस	06-07	अक्टूबर-06	50	जून-12	0	550100
52		सोनारपाल	पचौली	06-07	नवम्बर-06	100	जून-12	0	1100200
53		सोनारपाल	सीट्रीडोरा	06-07	अक्टूबर-06	100	उल्लेखीत नहीं	0	1075200
54		भनपुरी	आम	08-09	अगस्त-08	100	जून-12	5	1044310
55		भनपुरी	काजू	08-09	अगस्त-08	108	जून-12	04	599420
56		लमकर	आम	08-09	अगस्त-08	80	जून-12	04	835448
57		लमकर	काजू	08-09	अगस्त-08	180	जून-12	06	961758
58		टीकरालेहा	आम	10-11	अगस्त-10	40	जून-12	03	394360
59		टीकरालेहा	अमरूद	10-11	अगस्त-10	16	जून-12	04	144738
60		बोपरा	आम	11-12	अगस्त-11	20	जून-12	60	107192
61		हटपदमार	आम	06-07	अगस्त-06	85	जून-12	04	759075
62		हटपदमार	काजू	06-07	सितम्बर-06	150	जून-12	14	510124
63		हटपदमार	पामारोजा	06-07	अक्टूबर-06	60	जून-12	0	660120
64		हटपदमार	जामारोजा	06-07	नवम्बर-06	100	जून-12	0	1075000
65		बिलोरी	काजू	07-08	अगस्त-07	250	जून-12	05	1065710
66		बिलोरी	आम	07-08	जुलाई-07	10	जून-12	35	85982
67		बिलोरी	सीट्रीडोरा	07-08	अगस्त-07	27	जून-12	0	282190
68		बिलोरी	पामारोजा	07-08	नवम्बर-07	100	जून-12	0	1075520
69		मारकेल	एलोवेरा	07-08	अगस्त-07	60	अगस्त-07	0	790160
70		कुलगाँव	काजू	09-10	अगस्त-10	10	मई -12	05	78830
71		कुलगाँव-2	आम	10-11	अगस्त-10	40	जून-12	03	394360
72		कवालीकला	आम	11-12	जुलाई-11	10	जून-12	08	53597
73		बरकई	काजू	07-08	अगस्त-07	200	जून-12	08	1067820
74		बरकई	पामारोजा	07-08	अगस्त-08	100	जून-12	0	1098020
75		सोनवड़ा	काजू	08-09	अगस्त-08	100	जून-12	10	557564
76		सोनवेड़ा	नींबु	08-09	अगस्त-08	100	जून-12	08	922324
77		उलेरा	काजू	09-10	अगस्त-10	146.25	जून-12	15	678245
78		पलवा	काजू	06-07	अगस्त-अक्टूबर-06	100	जून-12	10	545300
79		पलवा	सीट्रीडोरा	06-07	सितम्बर-अक्टूबर-06	100	जून-12	15	1050000
80		पलवा	खस	06-07	सितम्बर-अक्टूबर-06	50	जून-12	0	537500
81		पलवा	पचौली	06-07	सितम्बर-अक्टूबर-06	100	जून-12	0	1075000
82		बुरूंगपाल	काजू	07-08	जुलाई-सितम्बर-07	500	जून-12	12	2742100
83		कुरेगा	आम	07-08	अगस्त-सिम्तबर-07	40	जून-12	25	343928

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
84		कुरेगा	काजू	07-08	अगस्त-सिम्तबर-07	70	जून-12	8	250194
85		कुरेगा	सीट्रीडोरा	07-08	अगस्त-सिम्तबर-07	73	जून-12	12	786555
86		बुरूंगपाल	एलोवेरा	07-08	अगस्त-अक्टूबर-07	479	जून-12	0	1443600
87		सिंगहनपुर	आम	08-09	अगस्त-सिम्तबर-08	100	जून-12	20	957330
88		सिंगहनपुर	काजू	08-09	अगस्त-सिम्तबर-08	390	जून-12	7	2127398
89		सिंगहनपुर	लेमनग्रास	08-09	अगस्त-सिम्तबर-09	200	जून-12	0	2250000
90		सालेपाल	आम	08-09	अगस्त-सिम्तबर-08	100	जून-12	5	875820
91		सालपाल	काजू	08-09	अगस्त-सिम्तबर-08	250	जून-12	10	1311602
92		ईराकोट	सीट्रीडोरा	08-09	अगस्त-सिम्तबर-08	500	जून-12	12	5102625
93		सलेपाल	एलोवेरा	08-09	अगस्त-सिम्तबर-08	200	जून-12	0	2000000
94		केशलुर	आम	10-11	जुलाई-10	20	जून-12	15	191180
95		सोनारपाल	लेमनग्रास	10-11	जुलाई-अगस्त-10	200	जून-12	0	2500000
96		मवलीभाटा	सीट्रीडोरा	11-12	जुलाई-अगस्त-11	100	जून-12	15	576000
97		अरन्डपाल	लेमनग्रास	11-12	जुलाई-सितम्बर-11	200	जून-12	25	2500000
98		केलौर	ई.सीट्रीडोरा	07-08	जुलाई-सितम्बर-07	484		2	3178040
99		गुमदपाल	काजू	10-11	जुलाई-अगस्त-10	100		4	457230
100		तेमरूभाटा	ई.सीट्रीडोरा	10-11	जुलाई-सितम्बर-10	100		0	1250000
101		चीन्दबहार	काजू	11-12	जुलाई-सितम्बर-11	50		15	424250
								योग	**83343915**

परिशिष्ट- 3.1.11

(संदर्भ कंडिका 3.1.9.1(ङ.) पृष्ठ क्र.133)

प्याज उत्पादन पर किये गये व्यय का विवरण

जिला	रोपित क्षेत्रफल (हे.)	व्यय				
		रोपण सामग्री		आदान सामग्री		
		मात्रा (कि.ग्राम)	राशि (₹)	मद	मात्रा	राशि
दुर्ग	112.5	1000	396000	ट्राईकोडर्मा	500 पैकेट	26,025
				एजाडेरेक्टिन	500	68,075
				फोरेट	2000 पैकेट	93,000
				जिंक सल्फेट	500 पैकेट	1,66,850
				अन्य सामग्री		1,15,550
राजनांदगाँव	200	2000	792000	एन्डोजाइम		64,000
				एजाडेरेक्टिन	1000	1,36,150
				फोरेट	4000 पैकेट	1,86,000
				जिंक सल्फेट	1000 पैकेट	3,33,700
बस्तर	100	1000	396000	पेथोएट	500	81,350
				एजाडेरेक्टिन	500	68,075
				फोरेट	2000 पैकेट	93,000
				जिंक सल्फेट	500 पैकेट	1,66,850
				ट्राइकोडर्मा	500 पैकेट	26,025
				सूडोमोनास	300 पैकेट	47,820
कबीरधाम	100	1000	396000	विभिन्न सामग्री		6,54,000
योग			1980000			23,26,470
कुल व्यय				19,80,000+23,26,470=43,06,470		

(स्रोतः विभाग द्वारा दी गई जानकारी तथा लेखा परीक्षा द्वारा संकलित)

परिशिष्ट- 3.1.12

(संदर्भ कंडिका 3.1.9.1(झ) पृष्ठ क्र.139)

मॉडल नर्सरियों में स्थापित अधोसंरचना का विवरण

(राशि ₹में)

स. क्र.	जिला	नर्सरी/विकास खण्ड का नाम	नर्सरी स्थापना का वर्ष	अधोसंरचना स्थापना का वर्ष	अधोसंरचना का विवरण			अधोसंरचना की क्षमता	प्रतिवर्ष उत्पादन
					नाम	संख्या	राशि		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	**10**
1	जगदलपुर	कोपाबेड़ा/कोंडागाँव	1988	2006-07	ग्रीन हाउस	2	629460	5000 पौधे	2.00 लाख
					शेड नेट-हाउस	6	456702		
		तेबंसा /बिश्रामपुरी (बदेराजपुर)	1989	2007-08	ग्रीन हाउस	1	314730	5000 पौधे	2.00 लाख
					शेड नेट-हाउस	4	304468		
		अडेंगा/कसकल	1982	2008-09	शेड नेट-हाउस	8	585000	5000 पौधे	2.00 लाख
		बदेमरेगा/ तोकापल	1980	2008-09	शेड नेट-हाउस	8	585000	5000 पौधे	2.00 लाख
		फर्शागाँव/ फर्शागाँव	1989	2009-10	शेड नेट-हाउस	7	644875	5000 पौधे	2.00 लाख
		बदंजी/ लोहंदीगुडा		2010-11	इन्सेक्ट प्रुफ नेट हाउस	2	383562	5000 पौधे	4.00 लाख
					थर्मल स्क्रीन हाउस	1	207716		
					एग्रो-नेट हाउस	5	921250		
		सोरगाँव/बस्तर		2010-11	इन्सेक्ट प्रुफ नेट हाउस	2	383562	5000 पौधे	4.00 लाख
					थर्मल स्क्रीन हाउस	1	207716		
					एग्रो नेट हाउस	5	921250		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	दुर्ग	रूआबांधा/ दुर्ग	1985-86	2006-07	ग्रीन हाउस	2	629460	5000 पौधे	2.00 लाख
					शेड नेट-हाउस	6	456702		
		अतरी/पाटन	1979-80	2007-08	ग्रीन हाउस	1	314730	5000 पौधे	2.00 लाख
					शेड नेट-हाउस	4	304468		
		पड़कीडीह/बेमेतरा	1979-80	2008-09	शेड नेट-हाउस	8	585000	5000 पौधे	2.00 लाख
		अर्जुनदा/ गुंडरदेही	1979-80	2009-10	शेड नेट-हाउस	7	644875	5000 पौधे	2.00 लाख
		अछोली/डोंडीलोहरा	1979-80	2009-10	शेड नेट-हाउस	7	644875	5000 पौधे	2.00 लाख
		अर्मुर काशा/डोंडी	1979-81	2009-10	शेड नेट-हाउस	7	644875	5000पौधे	2.00 लाख
		झलमाला/बलोद	1979-82	2009-10	शेड नेट-हाउस	7	644875	5000 पौधे	2.00 लाख
		मोहरा/गुरूर		2010-11	इन्सेक्ट प्रुफ नेट हाउस	2	383562	5000 पौधे	4.00 लाख
					थर्मल रक्रीन हाउस	1	207716		
					एग्रो-नेट हाउस	5	921250		
3	कोरबा	पोन्दीलाफा/पाली	1985-86	2006-07	ग्रीन हाउस	2	629460	5000 पौधे	2.00 लाख
					शेड नेट-हाउस	6	456702		
		पटीयापाली/कस्तला	1982-83	2007-08	ग्रीन हाउस	1	314730	5000 पौधे	2.00 लाख
					शेड नेट-हाउस	4	304468		
		नागोई/ उपरोदा	1987-88	2008-09	शेड नेट-हाउस	8	585000	5000 पौधे	2.00 लाख
		पन्द्रीपनी/कटघोरा	2008-09	2009-10	शेड नेट-हाउस	7	644875	5000 पौधे	2.00 लाख
		पटादी/कोरबा		2010-11	इन्सेक्ट प्रुफ नेट हाउस	2	383562	5000 पौधे	4.00 लाख
					थर्मल रक्रीन हाउस	1	207716		
					एग्रो-नेट हाउस	5	921250		

1	2	3	4	5	6	7	8	1	2
4	**सरगुजा**	अम्बिकापुर/अम्बिकापुर	1981	2006-07	शेड नेट-हाउस	2	629460	5000 पौधे	2.00 लाख
					शेड नेट-हाउस	6	456702		
		दतीमा/सुरजपुर		2007-08	शेड नेट-हाउस	2	314730	5000 पौधे	2.00 लाख
					शेड नेट-हाउस	3	228351		
		गुरगराकला/लखनपुर	1981	2008-09	शेड नेट-हाउस	8	585000	5000 पौधे	2.00 लाख
		खोरमा/प्रतापपुर	1981	2009-10	शेड नेट-हाउस	7	644875	5000 पौधे	2.00 लाख
		शीवपुर/रामनुजनगर		2010-11	इन्सेक्ट प्रुफ नेट हाउस	2	383562	5000 पौधे	4.00 लाख
					थर्मल स्क्रीन हाउस	1	207716		
					एग्रो नेट हाउस	5	921250		
		ओबोरी/बलरामपुर		2011-12	इन्सेक्ट प्रुफ नेट हाउस	2	383562	5000 पौधे	
					थर्मल स्क्रीन हाउस	1	207716		
					एग्रो नेट हाउस	5	921250		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	**बिलासपुर**	सरकन्डा/बिलासपुर	1964-65	2006-07	ग्रीन हाउस	2	629460	5000 पौधे	2.00 लाख
					शेड नेट-हाउस	6	456702		
		पथगाँव/पेन्ड्रा	1979-80	2007-08	ग्रीन हाउस	1	314730	5000 पौधे	2.00 लाख
					शेड नेट-हाउस	4	304468		
		वेदपरसदा/मस्तुरी	1982-83	2008-09	शेड नेट-हाउस	8	585000	5000 पौधे	2.00 लाख
		शरधा/लोरमी	1981-82	2008-09	शेड नेट-हाउस	8	585000	5000 पौधे	2.00 लाख
		बहतराई/तखतपुर	1988-89	2008-09	शेड नेट-हाउस	8	585000	5000 पौधे	2.00 लाख
		करगीकला/कोटा	1981-82	2009-10	शेड नेट-हाउस	7	644875	5000 पौधे	2.00 लाख
		बधा-मुन्दा/मुन्गेली	1981-82	2009-10	शेड नेट-हाउस	7	644875	5000 पौधे	2.00 लाख
		सेन्दारी/पथरीया	1981-82	2009-10	शेड नेट-हाउस	7	644875	5000 पौधे	2.00 लाख
		मारवाही/मारवाही		2010-11	इन्सेक्ट प्रुफ नेट हाउस	2	383562	5000 पौधे	4.00 लाख
					थर्मल स्क्रीन हाउस	1	207716		
					एग्रो-नेट हाउस	5	921250		
		लालपुर/गोरेला	1985-86	2011-12	इन्सेक्ट प्रुफ नेट हाउस	2	417932	5000 पौधे	
					थर्मल स्क्रीन हाउस	3	674706		
					एग्रो-नेट हाउस	2	402586		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	**कबीरधाम**	लालपुर/बोदला	1983	2006-07	ग्रीन हाउस	2	629460	5000 पौधे	2.00 लाख
					शेड नेट-हाउस	6	456702		
		मोहतरा/पन्डरीया	1993	2007-08	ग्रीन हाउस	1	314730	5000 पौधे	2.00 लाख
					शेड नेट-हाउस	4	304468		
		राहसालोहरा/ राहसालोहरा	2008	2008-09	शेड नेट-हाउस	8	585000	5000 पौधे	2.00 लाख
		खट्टू/कबीरधाम	1984	2010-11	इन्सेक्ट प्रुफ नेट हाउस	2	383562	5000पौधे	4.00 लाख
					थर्मल स्क्रीन हाउस	1	207716		
					एग्रो-नेट हाउस	5	921250		
7	**रायगढ़**	बोईरददर/रायगढ़	1960-61	2006-07	ग्रीन हाउस	2	629460	5000 पौधे	2.00 लाख
					शेड नेट-हाउस	6	456702		
		घरघोदा/घरघोदा	1980-81	2007-08	ग्रीन हाउस	1	314730	5000 पौधे	2.00 लाख
					शेड नेट-हाउस	4	304468		
		बनधाटोला/पुसौर	1987-88	2008-09	शेड नेट-हाउस	8	585000	5000पौधे	2.00 लाख
		कुन्जरा/लैलुंगा	1987-88	2009-10	शेड नेट-हाउस	7	644875	5000 पौधे	2.00 लाख
		अंजोरीपली/खरसीया	1980-81	2009-10	शेड नेट-हाउस	7	644875	5000 पौधे	2.00 लाख
		नाडीगाँव/बरमकेला	1985-86	2009-10	शेड नेट-हाउस	7	644875	5000 पौधे	2.00 लाख
		बसन्पाली/तमनार		2010-11	इन्सेक्ट प्रुफ नेट हाउस	2	383562	5000 पौधे	4.00 लाख
					थर्मल स्क्रीन हाउस	1	207716		
					एग्रो-नेट हाउस	5	921250		
		बेलतीक्री/शरंगगढ़		2011-12	इन्सेक्ट प्रुफ नेट हाउस	2	417932	5000 पौधे	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	रायगढ़				थर्मल स्क्रीन हाउस	3	674706		
					एग्रो-नेट हाउस	2	402586		
8	रायपुर	खरखरा/छुरा	1980-81	2007-08	ग्रीन हाउस	1	314730	5000 पौधे	2.00 लाख
					शेड नेट-हाउस	4	304468		
		कव्लोन/रिमगा	1980-81	2008-09	शेड नेट-हाउस	8	585000	5000 पौधे	2.00 लाख
		मदी/तिल्दा	1980-81	2009-10	शेड नेट-हाउस	7	644875	5000 पौधे	2.00 लाख
		रोमरीया/पलारी	1980-81	2009-10	शेड नेट-हाउस	7	644875	5000 पौधे	2.00 लाख
		खरीबीलारी/कसडोल		2010-11	इन्सेक्ट प्रुफ नेट हाउस	2	383562	5000 पौधे	4.00 लाख
					थर्मल स्क्रीन हाउस	1	207716		
					एग्रो-नेट हाउस	5	921250		
		परगाँव/आरंग		2011-12	इन्सेक्ट प्रुफ नेट हाउस	2	417932	5000 पौधे	4.00 लाख
					थर्मल स्क्रीन हाउस	3	674706		
					एग्रो-नेट हाउस	2	402586		
		हसदा/भाटापारा		2011-12	इन्सेक्ट प्रुफ नेट हाउस	2	417932	5000 पौधे	
					थर्मल स्क्रीन हाउस	3	674706		
					एग्रो-नेट हाउस	2	402586		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	**जशपुर**	जशपुर नगर/जशपुर	1981-82	2007-08	ग्रीन हाउस	1	314730	5000 पौधे	2.00 लाख
					शेड नेट-हाउस	3	228351		
		डुलडुला/डुलडुला	1976-77	2008-09	शेड नेट-हाउस	8	585000	5000 पौधे	2.00 लाख
		कलमीतीकरा/पथलगाँव	1979-80	2009-10	शेड नेट-हाउस	7	644875	5000 पौधे	2.00 लाख
		बुदादद/बगीचा		2010-11	इन्सेक्ट प्रुफ नेट हाउस	2	383562	5000 पौधे	4.00 लाख
					थर्मल स्क्रीन हाउस	1	207716		
					एग्रो-नेट हाउस	5	921250		
		पंड्रीपानी/फरशाबहार		2010-11	इन्सेक्ट प्रुफ नेट हाउस	2	383562	5000 पौध	4.00 लाख
					थर्मल स्क्रीन हाउस	1	207716		
					एग्रो-नेट हाउस	5	921250		
		टेम्पो/मनोरा		2011-12	इन्सेक्ट प्रुफ नेट हाउस	2	417932	5000 पौधे	
					थर्मल स्क्रीन हाउस	3	674706		
					एग्रो-नेट हाउस	2	402586		
10	**कोरिया**	सोरगा/बैकुंठपुर	1979	2007-08	ग्रीन हाउस	1	314730	5000 पौध	2.00 लाख
					शेड नेट-हाउस	3	228351		
		नकपुर/भरतपुर	1979	2008-09	शेड नेट-हाउस	8	585000	5000 पौधे	2.00 लाख
		गुघरा/सानहट	2007-08	2009-10	शड नेट-हाउस	7	644875	5000 पौध	2.00 लाख

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	कोरिया	सोरगा/बैकुंठपुर	1979	2010-11	इन्सेक्ट प्रुफ नेट हाउस	2	383562	5000 पौधे	4.00 लाख
					थर्मल स्क्रीन हाउस	1	207716		
					एग्रो-नेट हाउस	5	921250		
		चिरमी/खडगाँव		2011-12	इन्सेक्ट प्रुफ नेट हाउस	2	417932	5000 पौधे	
					थर्मल स्क्रीन हाउस	3	674706		
					एग्रो-नेट हाउस	2	402586		
11	राजनांदगाँव	पेन्ड्री/राजनान्दगाँव	1981-82	2007-08	ग्रीन हाउस	1	314730	5000 पौधे	2.00 लाख
					शेड नेट-हाउस	4	304468		
		डोरबा/मानपुर		2008-09	शेड नेट-हाउस	8	585000	5000 पौधे	2.00 लाख
		अछोली/ ढांगरगढ़	1995	2009-10	शेड नेट-हाउस	7	644875	5000 पौधे	2.00 लाख
				2010-11	इन्सेक्ट प्रुफ नेट हाउस	2	383562	5000 पौधे	4.00 लाख
					थर्मल स्क्रीन हाउस	1	207716		
					एग्रो-नेट हाउस	5	921250		
				कुल योग		**501**	**64130447**		

(स्रोतः विभाग द्वारा दी गई जानकारी तथा लेखा परीक्षा द्वारा संकलित)

परिशिष्ट- *3.1.13*

(संदर्भ कंडिका 3.1.9.1(ञ) पृष्ठ क्र.141)

नलकूप खनन पर किये गये निष्फल व्यय का विवरण

सं.क्र	जिला	अवधि 2007-08 के दौरान सफल नलकूप खनन	स्थापित पम्पों की संख्या	पम्प विहीन नलकुपों की संख्या	पम्प विहीन नलकूपों के लिए दिया गया अनुदान (₹)	विद्युतिकृत पम्पो की संख्या	अविद्युतिकृत पम्पों की संख्या	अविद्युतिकृत पम्पों वाले नलकूपो के खनन हेतु प्रदाय अनुदान (₹)
1	बिलासपुर	481	387	94	7102692	387	0	0
2	दुर्ग	87	14	73	3467621	14	0	0
3	जगदलपुर	385	270	115	5569000	200	70	6088481
4	जशपुर	37	31	6	282443	31	0	0
5	कबीरधाम	79	55	24	705419	55	0	0
6	कोरबा*	295	24	271	9836099	24	0	0
7	रायगढ़	275	238	37	2226956	238	0	0
8	रायपुर	51	16	35	1954939	16	0	0
9	राजनांदगाँव	57	24	33	883083	24	0	0
योग		**1747**	**1059**	**688**	**32028252**	**989**	**70**	**6088481**

(स्रोतः विभाग द्वारा दी गई जानकारी तथा लेखा परीक्षा द्वारा संकलित)

** 28 प्रकरणों की राशि विभाग द्वारा प्रदाय न किये जाने के कारण सम्मलित नहीं*

कुल व्यय = 3,81,16,733

परिशिष्ट- 3.1.14

(संदर्भ कंडिका 3.1.9.1(ट)(1) पृष्ठ क्र.141)

एच.डी.पी.ई. वर्मी बेड एवं सेड नेट के प्रदाय पर किये गये निष्फल व्यय का विवरण

जिला	2007-08				2008-09				2009-10				2010-11				कुल निष्फल व्यय (₹)
	वर्मी बेड की संख्या	मूल्य (₹)	शेड नेट की मात्रा	मूल्य (₹)	वर्मी बेड की संख्या	मूल्य (₹)	शेड नेट की मात्रा	मूल्य (₹)	वर्मी बेड की संख्या	मूल्य (₹)	शेड नेट की मात्रा	मूल्य (₹)	वर्मी बेड की संख्या	मूल्य (₹)	शेड नेट की मात्रा	मूल्य (₹)	
बस्तर	0	0	0	0	1992	6117432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6117432
बिलासपुर	0	0	0	0	569	1747399	2561	105872	0	0	0	0	0	0	0	0	1853271
धमतरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1430	4391530	0	0	4391530
दुर्ग	1135	3485585	0	0	1323	4062933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7548518
जशपुर	1600	4913600	0	0	1600	4913600	19800	673200	800	2456800	50000	1701000	0	0	0	0	14658200
कबीरधाम	200	614200	0	0	2400	7370400	9900	409266	0	0	0	0	0	0	0	0	8393866
कांकेर	0	0	0	0	2400	7370400	0	0	0	0	0	0	4000	12432000	0	0	19802400
रायगढ़	0	0	0	0	3169	9731999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9731999
राजनांदगाँव	480	1474080	0	0	2000	6142000	40800	1467072	0	0	0	0	0	0	0	0	9083152
सरगुजा	0	0	0	0	1104	3390384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3390384
रायपुर	0	0	0	0	2641	8110511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8110511
योग	**3415**	**10487465**	**0**	**0**	**19198**	**58957058**	**73061**	**2655410**	**800**	**2456800**	**50000**	**1701000**	**5430**	**16823530**	**0**	**0**	**93081263**

(स्रोतः विभाग द्वारा दी गई जानकारी तथा लेखा परीक्षा द्वारा संकलित)

वितरित सामग्री	मात्रा	मूल्य (₹)
वर्मी बेड	28843	88724853
शेड नेट	123061 वर्ग.मी.	4356410
योग		**93081263**

परिशिष्ट- 3.1.15

(संदर्भ कंडिका 3.1.9.1 (ट)(ii) पृष्ठ क्र.142)

75 प्रतिशत धनत्व वाले शेड नेट के क्रय का विवरण

एन.एच.एम. के जैविक खेती घटक के अन्तर्गत वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन हेतु प्रदाय किये गये 75 प्रतिशत धनत्व वाले शेड नेट का विवरण					
स.क्र.	जिला	क्रय का वर्ष	खरीदी गई शेडनेट (वर्ग.मी.)	इकाई दर (₹/वर्ग.मी.)	कुल लागत ₹12.5 प्रतिशत वैट सहित
1	राजनंदगाँव	2009-10	10000	34.02	340200
		2011-12	57500	30.95	1779625
2	दुर्ग	2011-12	50000	30.95	1547500
3	बिलासपुर	2009-10	15800	34.02	537516
		2011-12	50000	30.95	1547500
4	सरगुजा	2011-12	175000	30.95	5416250
5	जगदलपुर	2011-12	17500	30.95	541625
6	रायपुर	2011-12	87500	30.95	2708125
7	कांकेर	2011-12	17500	30.95	541625
8	रायगढ़	2011-12	175000	30.95	5416250
9	जशपुर	2009-10	50000	30.24	1701000
		2011-12	25000	29.48	773850
10	कोरबा	2011-12	122925	30.95	3804529
11	कबीरधाम	2011-12	25000	30.95	773750
12	कोरिया	2011-12	75000	30.95	2321250
		योग	**953725**		**29750595**

(स्रोतः विभाग द्वारा दी गई जानकारी तथा लेखा परीक्षा द्वारा संकलित)

परिशिष्ट- 3.1.16

(संदर्भ कंडिका 3.1.9.1(ढ) पृष्ठ क्र.145)

एकीकृत कटाई पश्च प्रबंधन धटक के संदर्भ में भौतिक लक्ष्यों की पूर्ति दर्शाने वाला विवरण पत्रक

घटक	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12		योग		पूर्ति प्रतिशत
	ल	पू	ल	पू	ल	पू	ल	पू	ल	पू	ल	पू	
पैक हाउस	0	0	0	0	60	60	250	250	431	431	**741**	**741**	100
प्री-कूलिंग यूनिट	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	**6**	**1**	16.67
मोबाईल प्री कूलिंग यूनिट	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0
कोल्ड स्टोरेज यूनिट	0	0	0	0	14	0	6	3	0	0	**20**	**3**	15
प्रसंस्करण यूनिट	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	**6**	**0**	0
रेफर वैन/कन्टेनर सामान्य क्षेत्र					0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0
वाष्पीकरणीय निम्न ऊर्जा कूल चेम्बर	0	0	0	0	0	0	0	0	140	140	**140**	**140**	100
पकाने वाला चेम्बर	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**1**	**0**	0
निम्न लागत प्याज भंडारण ढ़ांचा	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	**10**	**10**	100
पूसा शून्य ऊर्जा कूल चेम्बर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0

एकीकृत कटाई पश्च प्रबंधन धटक के संदर्भ में वित्तीय लक्ष्यों की पूर्ति दर्शाने वाला विवरण पत्रक (₹ लाख में)

घटक	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12		योग		उपयोग न की गयी राशि
	ल	पू	ल	पू	ल	पू	ल	पू	ल	पू	ल	पू	
पैक हाउस	0	0	0	0	37.5	37.5	375	375	646.5	646.5	**1059**	**1059**	0
प्री-कूलिंग यूनिट	0	0	0	0	0	0	0	0	720	52.92	**720**	**52.92**	667.08
मोबाईल प्री कूलिंग यूनिट	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0
कोल्ड स्टोरेज यूनिट	0	0	0	0	700	0	405.33	266.5	0	0	**1105.33**	**266.5**	838.83
प्रसंस्करण यूनिट	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0	**36**	**0**	36
रेफर वैन/कन्टेनर सामान्य क्षेत्र	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0
वाष्पीकरणीय निम्न ऊर्जा कूल चेम्बर	0	0	0	0	0	0	0	0	280	280	**280**	**280**	0
पकाने वाला चेम्बर	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0	**120**	**0**	120
निम्न लागत प्याज भंडारण ढ़ांचा	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	**5**	**5**	0
पूसा शून्य ऊर्जा कूल चेम्बर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0
											3325.33	**1663.42**	**1661.91**

(स्रोतः विभाग द्वारा दी गई जानकारी तथा लेखा परीक्षा द्वारा संकलित)

ल= लक्ष्य ; पू= पूर्ति

परिशिष्ट- 3.1.17

(संदर्भ कंडिका 3.1.9.1(ढ) पृष्ठ क्र.145)

बाजार अधोसंरचना का सृजन धटक के अंतर्गत भौतिक प्रगति दर्शाने वाला विवरण पत्रक

धटक	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12		योग		पुर्ति प्रतिशत
	ल	पू	ल	पू	ल	पू	ल	पू	ल	पू	ल	पू	
ग्रामीण बाजार	0	0	0	0	17	0	0	0	11	0	**28**	**0**	0
खुदरा बाजार	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	**2**	**0**	0
ग्रेडिंग, कलेक्शन इत्यादि के लिए क्रियात्मक अधोसंरचना	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0
बाजार विस्तार, गुणवत्ता जागरूकता तथा ताजे उत्पादों के लिए बाजार आधारित विस्तार गतिविधियाँ	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	**2**	**0**	0

ल= लक्ष्य ; पू= पूर्ति

बाजार अधोसंरचना का सृजन धटक के अंतर्गत वित्तीय प्रगति दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(₹ लाख में)

धटक	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12		योग		उपयोग न की गयी राशि
	ल	पू	ल	पू	ल	पू	ल	पू	ल	पू	ल	पू	
ग्रामीण बाजार	0	0	0	0	799.75	0	1245.75	1245.75	0	0	**2045.5**	**1245.75**	**799.75**
खुदरा बाजार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
ग्रेडिंग, कलेक्शन इत्यादि के लिए क्रियात्मक अधोसंरचना	0	0	0	0	63.75	0	0	0	94	0	**157.75**	**0**	**157.75**
बाजार विस्तार, गुणवत्ता जागरूकता तथा ताजे उत्पादों के लिए बाजार आधारित विस्तार गतिविधियाँ	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	**11**	**0**	**11**
										योग	**2214.25**	**1245.75**	**968.5**

(स्रोतः विभाग द्वारा दी गई जानकारी तथा लेखा परीक्षा द्वारा संकलित)

ल= लक्ष्य ; पू= पूर्ति

परिशिष्ट- 3.1.18

(संदर्भ कंडिका 3.1.9.2(क) पृष्ठ क्र.147)

प्लग टाईप पादप उत्पादन इकाई से उत्पादित एवं वितरित पादपों का विवरण

जिला	वितरण दिनांक	बैगन	टमाटर	लौकी	करेला		योग
रायपुर	25.10.2011	150000	150000	00	00		
	10.11.2011	50000	30000	00	00		
	25.11.2011	35000	30000	00	00		
	10.12.2011	25000	25000	00	00		
	25.12.2011	20000	45000	00	00		
	10-1-2012	20000	20000	00	00		
	25-1-2012	00	00	102500	40000		
	10-2-2012	00	00	97500	40000		
	25-2-2012	00	00	60000	40000		
	10-3-2012	00	00	40000	30000		
दुर्ग	10.11.2011	50000	50000	00	00		
	25.11.2011	50000	50000	00	00		
	10.12.2011	75000	75000	00	00		
	25.12.2011	50000	50000	00	00		
	10-1-2012	50000	50000	00	00		
	25-1-2012	00	00	54000	45000		
	10-2-2012	00	00	00	9000		
धमतरी	10-11-2011	50000	50000	00	00		
	25.11.2011	80000	75000	00	00		
	10-12-2011	50000	50000	00	00		
	25-12-2011	70000	65000	00	00		
	10-1-2012	80000	80000	00	00		
	योग(अ)	**905000**	**895000**	**354000**	**204000**	**0**	**2358000**
परिपालन और रखरखाव के दौरान नेरेमेक द्वारा उत्पादित पादप							
	वितरण दिनांक	बैंगन	टमाटर	पपीता	मिर्च	फुलगोभी	योग
	17.02.2010	296208	0	0	0	0	
	05.01.2011	0	297990	0	0	0	
	25.01.2011	237600	0	0	0	0	
	20.02.2011	290070	0	0	0	0	
	08.03.2011	0	303336	0	0	0	
	28.04.2011	0	0	0	165000	0	
	07.05.2011	0	0	0	135000	0	
	15.05.2011	0	0	0	64200	0	
	26.05.2011	0	0	0	195624	0	
	10.06.2011	0	0	0	34056	0	
	04.07.2011	0	0	0	17200	0	
	06.07.2011	19800	0	0	0	0	
	16.07.2011	0	45540	0	0	0	
	18.07.2011	0	0	0	89100	0	
	03.08.2011	0	49500	0	0	0	
	10.08.2011	0	0	0	0	7326	
	18.08.2011	0	53263	0	0	0	
	25.08.2011	0	63558	0	0	0	
	28.08.2011	0	49500	0	0	0	
	29.02.2012	0	0	190	0	0	
	03.03.2012	0	0	0	8910	0	
	04.03.2012	0	0	0	59400	0	
	13.03.2012	0	0	0	1188	0	
	02.05.2012	0	0	0	11484	0	
	04.05.2012	0	0	0	37422	0	
	08.05.2012	32670	0	0	0	0	
	योग(ब)	**876348**	**862687**	**190**	**818584**	**7326**	**2565135**
कुल योग (अ + ब)							**49,23,135**

(स्रोतः विभाग द्वारा दी गई जानकारी तथा लेखा परीक्षा द्वारा संकलित)

परिशिष्ट- *3.1.19*

(संदर्भ कंडिका 3.1.9.4(अ) पृष्ठ क्र.153)

आम के पौधरोपण हेतु दी गई सहायता की पद्धति दर्शाने वाला विवरण पत्रक

जिला	वर्ष	पहली किश्त			दूसरी किश्त		तीसरी किश्त		चौथी किश्त		पांचवी किश्त	
		क्षेत्र हे. में	किसानों की संख्या	राशि	किसानों की संख्या	राशि	किसानों की संख्या	राशि	किसानों की संख्या	राशि	किसानों की संख्या	राशि
बस्तर	2008-09	200	122	335254	04	3489	0	0	0	0	0	0
	2009-10	79	116	253909	47	33840	0	0	0	0	0	0
	2010-11	349	77	253937	0	0	0	0	0	0	0	0
बिलासपुर	2007-08	55	127	299895	0	0	0	0	0	0	0	0
	2008-09	211	204	1148585	0	0	0	0	0	0	0	0
	2009-10	118	650	643420	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010-11	208	563	1130308	0	0	0	0	0	0	0	0
रायपुर	2008-09	84	95	333230	33	28633	0	0	0	0	0	0
	2009-10	70	83	278519	11	12276	0	0	0	0	0	0
	2010-11	173	232	687627	11	11997	0	0	0	0	0	0
योग		**1547**		**5364684**		**90235**		**0**				

(स्रोतः विभाग द्वारा दी गई जानकारी तथा लेखा परीक्षा द्वारा संकलित)

परिशिष्ट- 3.2.1

(संदर्भ कंडिका 3.2.7.1 (अ)(i); पृष्ठ क्रं. 164)

योजनावार बजट आवंटन एवं व्यय (राज्य)

(₹ लाख में)

क्र.स.	योजना/वर्ष	2007-08			2008-09			2009-10			2010-11			2011-12		
		आवंटन	व्यय	बचत	आवंटन	व्यय	बचत	आवंटन	व्यय	बचत	आवंटन	व्यय	बचत	आवंटन	व्यय	बचत
1	नलकूप खनन	8665.00	6942.87	1722.13	6010.00	5982.01	27.99	1650.00	1667.41	-17.41	650.00	633.66	16.34	750.00	557.60	192.40
2	स्थल जल प्रदाय योजना	0.00	0.00	0.00	900.00	876.00	24.00	920.00	871.33	48.67	255.00	221.56	33.44	2282.00	2139.67	142.33
3	स्कूलों में पेयजल सुविधा	200.00	134.22	65.78	1232.50	1226.78	5.72	1000.00	844.57	155.43	1000.00	761.10	238.90	400.00	334.96	65.04
4	भूजल संरक्षण	360.00	0.00	360.00	265.00	73.11	191.89	187.00	0.00	187.00	60.00	4.99	55.01	90.00	24.84	65.16
5	नलजल प्रदाय योजना	5835.00	5101.13	733.87	6820.00	6647.76	172.24	3030.00	2923.63	106.37	2630.00	1818.78	811.22	3191.00	1843.74	1347.26
6	वाटर क्वलिटि	442.00	0.00	442.00	1115.00	1054.70	60.30	1550.00	789.52	760.48	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00
7	राष्ट्रीय ग्रामीण जल प्रदाय कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3500.00	3443.35	56.65	11100.00	9342.93	1757.07	0.00	0.00	0.00
8	टी एस सी	2690.00	2068.01	621.99	3037.50	2724.47	313.03	2894.50	2786.00	108.50	2659.00	2401.50	257.50	0.00	0.00	0.00
9	ड्रेनज	100.00	0.00	100.00	200.00	200.00	0.00	192.00	0.00	192.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
10	संचालन एवं संधारण	286.00	183.54	102.46	470.00	410.55	59.45	600.00	587.71	12.29	630.00	570.89	59.11	5729.00	5401.01	327.99
11	औजार एवं संयत्र	1058.00	1047.03	10.97	310.00	245.04	64.96	185.00	42.98	142.02	175.00	150.20	24.80	655.00	86.00	569.00
12	शहरी जल प्रदाय याजना	13260.20	11385.66	1874.54	16172.60	12131.54	4041.06	10622.73	8898.60	1724.13	8337.50	7200.35	1137.15	4810.80	1203.23	3607.57
13	अन्य	352.00	209.90	142.10	570.16	461.29	108.87	170.00	140.26	29.74	115.00	118.51	-3.51	6506.41	5945.11	561.30
14	संचालन एवं संधारण (अयोजनेतर)	955.00	911.96	43.04	955.00	942.41	12.59	1050.00	1011.00	39.00	700.00	646.57	53.43	0.00	0.00	0.00
		34203.20	**27984.32**	**6218.88**	**38057.76**	**32975.66**	**5082.10**	**27551.23**	**24006.36**	**3544.87**	**28411.50**	**23871.04**	**4540.46**	**24444.21**	**17536.16**	**6908.05**

परिशिष्ट-3.2.2

(संदर्भ कंडिका 3.2.7.1 (अ)(i); पृष्ठ क्रं 164)

योजनावार बजट आवंटन एवं व्यय (केन्द्र)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	योजना/वर्ष	2007-08			2008-09			2009-10			2010-11			2011-12		
		आवंटन	व्यय	बचत	आवंटन	व्यय	बचत	आवंटन	व्यय	बचत	आवंटन	व्यय	बचत	आवंटन	व्यय	बचत
1	नलकूप खनन	5830.00	5604.05	225.95	6442.50	5729.84	712.66	4440.00	4004.86	435.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	नल जल प्रदाय वाटर	4666.00	4590.16	75.84	5550.00	5512.37	37.63	5310.00	3214.97	2095.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	क्वालिटी	0.00	0.00	0.00	2675.00	1075.57	1599.43	4050.00	67.10	3982.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	राष्ट्रीय ग्रामीण जल प्रदाय कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8448.21	3186.65	5261.56	12526.88	9939.98	2586.90	10600.00	10024.65	575.35
5	अन्य	674.62	535.23	139.39	190.00	0.00	190.00	150.00	0.00	150.00	342.74	105.45	237.29	2423.00	2373.78	49.22
	योग	**11170.62**	**10729.44**	**441.18**	**14857.50**	**12317.78**	**2539.72**	**22398.21**	**10473.58**	**11924.63**	**12869.62**	**10045.43**	**2824.19**	**13023.00**	**12398.43**	**624.57**

परिशिष्ट-3.2.3

(संदर्भ कंडिका 3.2.7.1(स); पृष्ठ क्रं 166)

नकद प्रेषण एवं धनादेश के मिलान की स्थिति

(राशि ₹ में)

जिला	मिलान पूर्ण किया गया	नकद प्रेषण अन्तर	धनादेश अन्तर	लम्बित माहों की संख्या (मार्च 2012 तक)
अम्बिकापुर	मार्च 2008	4,88,04,820	4,35,627	48
बिलासपुर	जनवरी 2012	96,11,677	22,31,961	2
दंतेवाड़ा	जून 2012	68,81,720	57,68,593	-
धमतरी	फरवरी 2011	5,93,914	18,25,186	13
जांजगीर चांपा	जनवरी 2012	86,19,277	32,35,201	2
कवर्धा	मार्च 2007	38,10,262	52,78,604	60
कोरिया	अक्टूबर 2011	12,84,46,252	1,37,12,971	5
महासमुन्द	दिसम्बर 2011	5,38,43,503	54,79,782	3
रायपुर	अगस्त 2011	7,15,72,170	3,52,64,128	7
राजनांदगांव	जुलाई 2010	6,91,48,059	10,11,007	17
जगदलपुर	जनवरी 2012	25,25,973	29,05,981	2
कांकेर	मार्च 2010	1,64,10,573	43,80,530	24
रायगढ़	सितम्बर 2010	4,98,94,368	13,34,354	18
जशपुर	अगसत 2007	63,34,475	11,02,625	55
दुर्ग	मार्च 2010	10,91,05,331	13,53,378	24
कोरबा	दिसम्वर 2011	38,00,538	1,64,97,082	3
कुल योग		**58,94,02,912**	**10,18,17,010**	

परिशिष्ट-3.2.4

(संदर्भ कंडिका 3.2.7.1(द); पृष्ठ क्र 167)

बकाया विविध लोक निर्माण अग्रिम का विवरण

(राशि ₹ में)

जिला का नाम	प्रकरणो की संख्या	बकाया राशि
बिलासपुर	221	2,35,00,436
दंतेवाड़ा	161	93,79,108
धमतरी	30	3,62,20,861
जांजगीर-चांपा	2	1,97,73,000
कवर्धा	22	11,97,999
कोरिया	1	6,16,520
महासमुन्द	10	8,08,404
रायपुर	128	7,72,67,743
राजनांदगांव	23	3,40,24,891
जगदलपुर	124	8,42,63,293
कांकेर	252	1,30,04,085
रायगढ़	151	1,05,55,773
जशपुर	अनुपलब्ध	6,71,500
दुर्ग	अनुपलब्ध	97,21,000
कोरबा	17	1,83,00,432
योग	**1142**	**33,93,05,045**

परिशिष्ट-3.2.5

(संदर्भ कंडिका 3.2.8.2(अ); पृष्ठ क्र.171)

शहरी जल प्रदाय योजनान्तर्गत कार्यो की प्रगति दर्शाने वाला पत्रक

(रैलाख में)

स.क्र.	कार्य का नाम	अनुबंध क्र. एवं कार्यादेश सं/ दिनांक	ठेकेदार का नाम	पी.ए.सी.	अनुबंध राशि	एल.एस +/- %	पूर्ण करने हेतु समयावधि	अद्यतन भुगतान की राशि	चलित देयक क्र./प्रमाणक क्र.	अद्यतन स्थिति	व्यय प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
अम्बिकापुरः डब्ल्यू.एस.एस.											
1	ग्रेविटी मेन 6000 मी एवं कलेगटींग वेल	15 जी.एल./2011-12, 2408/ 31.05.2011	मे. बलरामदास, अम्बिकापुर	268.50	392.01	एल.एस.	12 माह वर्षा ऋतु छाड़कर	200.34	4 चलित देयक 14/ 30.06.12	अपूर्ण	51
2	डब्ल्यू.टी.पी. 5.50 एम.एल.डी. एवं कल्क्टिंग वेल	124 जी.एल / 2008-09, 6444/ 31.12.2008	मे. सर्वा पूर्ता, कोलकता	71.25	129.98	एल.एस.	9 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 15.02.2010	129.98	9 एवं अन्तिम 230/ 30.03.12	पूर्ण	100
3	रा वाटर पम्प 2 एवं क्लीयर वाटर पम्प - 5	45 जी.एल/2010-11, 292/ 19.01.2011	मे. माना इलेक्ट्रिक एण्ड इन्जिनियरींग सार्विसेस	35.19	33.50	एल.एस.	6 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 18.07.2011	33.50	3 एवं अन्तिम, 131/ 29.03.12	पूर्ण	100
4	ओ.एस.टी. 540 कि ली	23 डी.एल/ 2008-09, 2871/ 22.04.2008	मे. सर्वा पूर्ता, कोलकता	32.40	37.50	एल.एस.	6 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 22.02.2009	37.50	6 एवं अन्तिम 133/29.03.12	पूर्ण	100
5	ओ.एच. टी. 510 कि ली एवं 80 कि ली सम्पवेल	04 डी.एल/ 2008-09, 2764/ 16.04.2008	श्री अशोक सिंह, अम्बिकापुर	33.00	39.10	एल.एस.	6 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 15.02.2009	39.10	3 एवं अन्तिम 210/ 29.03.12	पूर्ण	100
6	ओ.एच.टी. 400 कि ली	02 डी.एल/ 2008-09, 2756/ 16.04.2008	मे. दिनेश कुमार सिंह	26.00	32.10	एल.एस.	6 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 15.02.2009	32.10	9 एवं अन्तिम 169/ 15.03.10	अपूर्ण	100
7	ओ.एच.टी. 350 1 कि ली.	95 डी.एल/ 2008-09, 5702/ 10.10.2008	मे. मंजु सिंह अम्बिकापुर	24.50	28.10	एल.एस.	6 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 15.04.2009	28.10	4 एवं अन्तिम 54/ 24.12.10	पूर्ण	100
8	ओ.एच.टी. 300 कि ली	126 डी.एल/ 2008-09, 232/ 21.01.2009	मे. दिनेश कुमार सिंह	21.00	24.15	एल.एस.	6 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 21.11.2009	24.15	6 चलित देयक 35/ 15.12.10	अपूर्ण	100
9	ड्रिस्ट्रीब्यूशन जोन 1 से 5	32 डी.एल/ 2009-10, 2203/ 11.06.2009	मे. बलरामदास, अम्बिकापुर	153.27	320.15	(+)108.88 प्रतिशत	12 माह वर्षा ऋतु छाड़कर अर्थात् 11.02.2010	345.96	9 एवं अन्तिम 02/ 06.06.11	पूर्ण	100
10	ड्रिस्ट्रीब्यूशन जोन 6(अ)	29/डी.एल 2009-10, 2186/ 11.06.2009	मे. सर्वा पूर्ता, कोलकता	82.57	178.35	(+) 116 प्रतिशत	12 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 11.02.2010	177.10	6 एवं अन्तिम 57/ 18.10.11	पूर्ण	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	ड्रिस्ट्रीब्यूशन जोन 6(ब)	33 डी.एल / 2009-10, 2205/ 11.06.2009	मे. राजेन्द्र कुमार पोद्दार	140.19	303.67	(+) 116.40 प्रतिशत	12 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 11.02.2010	299.47	6 एवं अन्तिम 256/ 31.03.12	पूर्ण	100
12	ड्रिस्ट्रीब्यूशन एवं राईजिंग मेन जोन 7	13 डी.एल / 2008-09, 2794/ 16.04.2008	मे. सर्वा पूर्ता, कोलकता	207.25	360.6	(+) 74.00 प्रतिशत	9 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 15.05.2009	296.08	8 एवं अन्तिम 80/ 24.11.10	पूर्ण	100
13	ड्रिस्ट्रीब्यूशन जोन 8	14 डी.एल / 2008-09, 2796/ 16.04.2008	मे. राजेन्द्र कुमार पोद्दार	125.46	219.30	(+) 74.80 प्रतिशत	9 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 15.04.2009	165.88	5 एवं अन्तिम 26/ 26.05.11	पूर्ण	100
14	ड्रिस्ट्रीब्यूशन जोन 9	15 डी.एल 2008-09, 2798/ 16.04.2009	मे. सर्वा पूर्ता, कोलकता	131.77	229.54	(प्रतिशत) 74.20 प्रतिशत	9 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 15.05.2009	181.07	8 एवं अन्तिम 67/30.03.11	पूर्ण	100
15	ड्रिस्ट्रीब्यूशन 200-100 एम.एम. 14150 एम.एम.	65 डी.एल / 2010-11, 450/ 27.01.2011	मे. टेक्नोड्रिलर्स, रायपुर	132.51	176.64	(+) 33.30 प्रतिशत	4 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 26.05.2011	176.05	5 एवं अन्तिम 50/ 26.06.12	पूर्ण	100
	योग			**1484.86**				**2166.38**			
अम्बिकापुरः सीतापुर डब्ल्यु एस.एस.											
1	इन्टेक वेल, जैक वेल, पम्प हाउस, डब्ल्यू.टी.पी. 1.40 एम.यल.डी. एवं पम्पस्	30 डी.एल / 2009-10, 2189/ 11.06.2009	मे. सर्वा पूर्ता, कोलकता	188.50	224.00	एल.एस.	12 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 11.02.2011	119.74	8 चलित देयक, 229/ 30.03.12	अपूर्ण	53
2	रॉ वाटर एवं क्लीयर वाटर	34 डी.एल / 2009-10, 2591/ 04.07.2009	श्रीमति उर्मिला दीक्षित अम्बिकापुर	66.04	134.72	(+) 103.8 प्रतिशत	12 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 151.02.2011	130.63	7 चलित देयक,, 55/ 30.03.11	अपूर्ण	97
3	ओ.एच.टी. 280 कि ली	21 डी.एल / 2009-10, 2041/ 04.06.2009	निर्माण इंनजियेरिंग छिंदवाड़ा	19.80	26.50	एल.एस.	6 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 15.04.2010	23.85	7 चलित देयक, 19/ 12.08.11	अपूर्ण	90
4	ओ.एच.टी. 120 कि ली	06 डी.एल / 2010-11, 1267/ 23.04.2010	मे. विजेन्द्र कुमार प्रसाद	12.00	13.64	एल.एस.	6 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 23.02.2011	13.64	6 एवं अन्तिम 218/ 29.03.12	पूर्ण	100
5	ओ.एच.टी. 80 कि ली	13 डी.एल / 2009-10, 1898/ 27.05.2009	मे. प्रकाश कुमार अग्रवाल	6.40	10.85	एल.एस.	6 माह वर्षा ऋतु छोड़कर	10.80	3 चलित देयक, 103/ 30.03.11	पूर्ण	100
6	ड्रिस्ट्रीब्यूशन जोन	163 डी.एल / 2009-10, 961/ 26.02.2009	श्रीमति उर्मिला दीक्षित अम्बिकापुर	19.59	26.20	(+) 33.75 प्रतिशत	4 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 26.10.2009	16.61	5 एवं अन्तिम 49/30.03.11	पूर्ण	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	ड्रिस्ट्रीब्यूशन जोन 2	164 डी.एल / 2009-10, 963/ 26.02.2009	श्रीमति उर्मिला दीक्षित अम्बिकापुर	19.04	25.49	(+) 33.89 प्रतिशत	4 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 26.10.2009	17.00	5 एवं अन्तिम, 50/ 30.03.11	पूर्ण	100
8	ड्रिस्ट्रीब्यूशन जोन 3	165 डी.एल / 2009-10, 965/ 26.02.2009	श्रीमति उर्मिला दीक्षित अम्बिकापुर	15.27	20.31	(+) 32.98 प्रतिशत	4 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 26.10.2009	13.93	5 एवं अन्तिम, 51/ 30.03.11	पूर्ण	100
9	ड्रिस्ट्रीब्यूशन जोन 4	166 डी.एल / 2009-10, 967/ 26.02.2009	श्रीमति उर्मिला दीक्षित अम्बिकापुर	13.47	18.32	(+) 35.98 प्रतिशत	4 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 26.10.2009	12.93	5 एवं अन्तिम 52/ 30.03.11	पूर्ण	100
	योग			360.11				359.13			
बिलासपुरः मुंगेली आवर्धन डब्ल्यु.एस.एस.											
1	ड्रिलिंग 150 एम.एम. डाय टी.डब्ल्यु.	-	-	3.00	-	-	-	-	-	निविदा आमंत्रित नही	
2	समरशब्यूल पम्प	-	-	3.48	-	-	-	-	-	निविदा आमंत्रित नही	
3	पम्प हाउस	-	-	4.41	-	-	-	-	-	निविदा आमंत्रित नही	
4	क्लोरीनेटर	-	-	6.00	-	-	-	-	-	निविदा आमंत्रित नही	
5	राम्पवेल	-	-	11.41	-	-	-	-	-	निविदा आमंत्रित नही	
6	क्लीयर वाटर पम्प एण्ड पम्पिंग मेन	-	-	9.10	-	-	-	-	-	निविदा आमंत्रित नही	
7	पम्पिंग मेन एण्ड डिस्ट्रीब्युशन जोन	45डी.एल. /2009-10, 1653/ 19.05.2009	मे. सुनील कुमार जाजोदिया, बिलासपुर	42.61	91.61	(+) 115 प्रतिशत	6 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 18.11.2010	98.12	5 एवं अन्तिम,72डी.एल./ 29.02.2012	पूर्ण	100
8	पम्पिंग मेन एण्ड डिस्ट्रीब्युशन जोन	27 डी.एल./ 2010-11, 2326/ 08.10.2010	मे. नागेन्द्र कुमार पाण्डेय बिलासपुर	122.77	210.55	(+) 71.50 प्रतिशत	11 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 07.09.2010	101.67	3 चल देयक, 50/ 23.11.2011	अपूर्ण	48
9	पम्पिंग मेन एण्ड डिस्ट्रीब्युशन जोन	47 डी.एल./ 2009-10, 1657/ 19.05.2009	मे. नागेन्द्र कुमार पाण्डेय बिलासपुर	59.86	128.40	(+) 115 प्रतिशत	7 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 18.12.2009	140.12	3 चल देयक, 202/ 26.11.2010	अपूर्ण	100
10	ओ.एच.टी. 990 कि ली	10 डी.एल./ 2009-10, 15.05.2009	मे. सोल इं. दुर्ग	79.20	65.00	एल.एस.	7 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 14.12.2009	65.00	6 एवं अन्तिम,	पूर्ण	100
11	ओ.एच.टी. 385 कि ली	48 डी.एल./ 2009-10, 19.05.2009	कादम्बरी ट्यूबवेल, बिलासपुर	30.80	28.99	एल.एस.	8 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 18.01.2010	0.00	-	अपुर्ण	0
	योग			335.24				404.91			

दंतेवाड़ा : दंतेवाड़ा डब्लू एस.एस											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	रो वाटर पम्पिंग मैन	43 डिल/ 2008-09 , 70/ 13.01.2009	मे. वि.आर.सिंह	6.36	17.17	(+) 170 प्रतिशत	6 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात 12.7.2009	18.99	3 एवं अंतिम 44/ 31.07.10	पूर्ण	100
2	इन्टेक वेल कम पम्प हाउस, 1.04 एम एल डी डब्लू टि पि वो एच टि 250 कि लो और रा वाटर किलियर वाटर पम्प	74 डिल/2007-08 , 4034/ 04.12.2007	मे. वि.आर.सिंह भदौरिया	106.90	175.30	एल.एस.	12 माह वर्षा ऋतु को छोड़कर अर्थात 3.4.2009	166.69	18 चलित देयक 21/ 14.07.10	अपूर्ण	95
3	किलियर वाटर पम्पिग मैन	42 डिल / 2008-09, 68/ 13.01.2009	मे. वि.आर.सिंह भदौरिया	15.39	41.55	(+) 170 प्रतिशत	6 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात 12.7.2009	46.82	5 एवं अंतिम 43/ 31.07.10	पूर्ण	100
5	डिस्ट्रिब्युसन	38 डिल / 2010-11, 01/ 01.01.2011	श्री रमेश कुमार झा	99.14	137.14	(+) 38.33 प्रतिशत	6 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात 30.6.2011	127.59	4 चलित देयक 27/ 30.12.2011	अपूर्ण	93
	योग			**227.79**				**360.09**			
दंतेवाड़ा : बडे बछेली डब्लू एस.एस											
1	क्लेकटिंग चैम्बर	-	-	1.28	-	-	-	-	-	निविदा आमंत्रित नहीं	-
2	ग्रेविटि मैन	-	-	122.75	-	-	-	-	-	निविदा अन्तिम रूप नहीं दी गई	-
3	प्रेशर फिलटर-3.05 एम एल डि इच	-	-	36.50	-	-	-	-	-	निविदा आमंत्रित नहीं	-
4	ओं ऐच टी 200 कि ली	26 डिल / 2010-11, 1748/ 25.09.2010	श्री आर के कपुर जगदलपुर	20.00	16.50	एल.एस.	6 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात 24.3.2011	16.50	3 एवं अंतिम 21/ 31.01.2012	पूर्ण	100
5	ओं ऐच टी 200 कि ली	18 डिल /2009-10, 1911/ 29.10.2009	श्री रमेश कुमार झा	20.00	16.99	एल.एस.	6 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात 28.4.2010	16.99	5 एवं अंतिम 09 /05.08.10	पूर्ण	100
6	क्लियर मैन / फिडर मैर	-	-	3.40	-	-	-	-	-	निविदा आमंत्रित नहीं	-
7	डिस्ट्रिब्युशन	51 डिल / 2009-10, 331/ 18.02.2010	मे. टेक्नो डिलरस रायपुर	76.27	141.09	(+) 85 प्रतिशत	6 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात 17.8.2010	185.57	5 चलित देयक 39/ 28.02.2012	अपूर्ण	100
	योग			**116.27**				**219.06**			

धमतरी: धमतरी डब्लू.एस.एस.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	वाटर ट्रिटमेन्ट प्लांट	47डी एल/2007-08, 2999/ 27.12.2007	मे. लक्ष्मी सिविल इंजिनियरिंग	162.30	230.00	एल. एस.	16 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 27.04.2009	193.66	6 चलित देयक 17/डी एल 27.12.2011	अपूर्ण	84
2	आर.सी.सी. स्मपवेल एवं पम्प हाउस	53 डी एल / 2010-11, 583/ 11.03.2011	मे. सुनिल कुमार गुप्ता	35.55	30.11	(-) 15.30 प्रतिशत	12 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 10.03.12	22.87	1 चलित देयक 18/ 31.12.2011	अपूर्ण	76
3	राव वाटर एवं क्लियर वटर मेन	44 डी एल / 2007-08, 2551/3.11.2007	मे. गोकुल कृष्णा	319.16	405.35	(+) 27 प्रतिशत	12 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 03.11.2008	373.18	14 चलित देयक 7/डी एल 16.9.2009	अपूर्ण	92
4	राव वाटर एवं क्लियर वटर पम्प एवं सबरटेशन	107 डी एल / 2011-12, 334/13.02.2012	मे. जीमैक्स इंडिया प्रोजेक्ट एवं प्रावेट लिमिटेड	54.80	129.85	एल. एस.	12.01.2013	-	-	-	0
5	ओ.एव.टि महिमा सागर	46 डी एल / 2007-08, 2781/3.12.2007	मे. सोल इंजिनियरिंग	49.50	49.98	एल. एस.	16 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 03.04.2009	49.98	6 चलित देयक 127/ 20.10.2009	पूर्ण	100
6	वो. एव. टी. इटवारी बाजार	49 डी एल / 2007-08, 205/4.1.2008	श्री एन के पांडेय	52.25	54.90	एल. एस.	16 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 04.05.2010	37.72	-	अपूर्ण	69
7	वो. एच. टी. वधेना वार्ड	222 डी एल / 2008-09, 643/ 20.2.2009	मे. सोल इंजिनियरिंग	45.00	44.08	एल. एस.	16 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 20.06.2010	44.08	6 एवं अंतिम 15/ 23.12.2011	पूर्ण	100
8	वो. एच. टी. गायत्री मंदिर	62 डी एल / 2007-08, 696/11.2.2008	श्री सुनिल जाजदिया	55.00	56.95	एल. एस.	16 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 11..6.2009	19.43	6 चलित देयक 12.8.2009	अपूर्ण	34
9	डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जोन I/II	14 डी एल / 2009-10, 1675/5.6.2009	श्री वसंत बोरवेलस	61.87	131.01	(+) 111.75 प्रतिशत	12 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 05.06.2010	93.76	4 चलित देयक 32/डी आई 15.11.2010	अपूर्ण	72
10	डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जोन III	230 डी एल / 2008-09, 784/24.2.2009	मे.लक्ष्मी रिविल इंजिनियरिंग	127.84	273.45	(+) 114.5 प्रतिशत	12 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 24.02.2010	243.68	3 चलित देयक, 23/डी एल 11.2.2010	अपूर्ण	89
11	डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जोन IV	231 डी एल / 2008-09, 786/25.2.2009	मे. लक्ष्मी सिविल इंजिनियरिंग	98.61	209.55	(+) 112.5 प्रतिशत	12 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 24.02.2010	156.90	3 चलित देयक 36/डी एल 15.11.2010	अपूर्ण	75
12	डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जोन V	229 डी एल / 2008-09, 781/24.2.2009	मे. लक्ष्मी सिविल इंजिनियरिंग	77.49	155.50	(+) 114.5 प्रतिशत	12 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 24.02.2010	97.36	4 चलित देयक, 35डी एल/ 15.11.10	अपूर्ण	63
13	डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जोन VI	233 डी एल/ 2008-09, 789/25.2.2009	मे. लक्ष्मी सिविल इंजिनियरिंग	127.81	272.87	(+)113.5 प्रतिशत	12 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 24.02.2010	266.92	4 चलित देयक, 85 डी एल 31.03.2011	अपूर्ण	98
14	डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जोन VII	232 डी एल / 2008-09, 787/25.2.2009	मे. लक्ष्मी सिविल इंजिनियरिंग	100.01	214.02	(+) 114 प्रतिशत	12 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 24.02.2010	189.16	4 चलित देयक, 37/डी एल, 15.11.2010	अपूर्ण	88
	योग			**1367.19**				**1765.83**			

जांजगीर चांपा: चांपा डब्लू एस एस												
1	इंन्टेक वेल एवं डब्लू टी पी	13 डी एल /2009-10, 2281/ 26.05.2009	मे. एनवायरन इंजिनियरिंग नई दिल्ली	131.00	240.00	एल. एस.	12 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 25.05.2010	177.86	45ईजे/ 31.03.2012	अपूर्ण		74
2	रा एवं क्लियर वाटर पंम्पिग मेन	31अ/ 2009-10, 2758/ 18.06.2009	मे. एनवायरन इंजिनियरिंग नई दिल्ली	105.82	217.99	(+) 106 प्रतिशत	11 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात17.05.2010	142.94	05डी एल/ 29.02.2012	अपूर्ण		66
3	रा वाटर पम्प	-	-	7.85	-	-	-	-		निविदा आमंत्रित नही		
4	क्लियर वाटर पंम्पिस	-	-	23.90	-	-	-	-		निविदा आमंत्रित नही		
5	ओ एच टी 650 कि ली	-	-	39.98	-	-	-	-		निविदा आमंत्रित नही		
6	ओ एच टी 200 कि ली	308 डी एल / 2008-09, 909/ 12.02.2009	मे. संतोश अग्रवाल रायपुर	20.00	23.75	एल. एस.	6 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 11.02.2010	25.17	71ईजे / 28.02.2011	पूर्ण	100	
7	ओ एच टी 100 कि ली	-	-	10.50	-	-	-	-		एन. आई टी जारी किया गया है।		
8	डिस्ट्रीब्यूशन	-	-	407.00	-	-	-	-		एन. आई टी जारी किया गया है। विड प्राप्त		
	योग			**256.82**				**345.97**				
कवर्धा: कवर्धा डब्लू एस एस												
1	केनल इंटक डब्लू टी पी रा एवं क्लियर वाटर ग्रेविटिव मेन	28 डी एल /2007-08, 2620/ 14.09.2007	मे. मनीश पाइप एल टी डी रायपुर	690.00	769.00	एल. एस.	12 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 13.02.2009	749.56	11 चलित देयक,02/ डी एल 7.12.2009	अपूर्ण		97
2	आर सी सी ओ एच डी एवं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क	29अ/ 2007-08, 2653/ 21.09.2007	मे.लक्ष्मी सिविल इंजिनियरिंग पी भी टी एल टी डी नागपुर	529.00	694.00	एल. एस.	12 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 20.02.2009	693.46	8 एवं अंतिम, 02/ डी एल 4.11.2009	पूर्ण		100
	योग			**1219.00**				**1443.02**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
कवर्धा: सकरी नदी मे प्रदूषण के राकथाम हेतु सलेज कन्वेन्स, ट्रीटमेन्ट एवं डिस्पोसल योजना											
1	सलेज कनवेन्स ट्रिटमेन्ट एवं डिसपोजल रिकिम	03 डी एल / 2009-10, 1830/ 22.05.2009	मैं लक्ष्मी इंजिनियरीग प्राइवेट लिमिटेड नागपुर	346.50	532.00	एल. एस	12 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 21.01.2011	173.37	2 चलित देयक 08/ डी एल 22.03.2012	अपूर्ण	33
	योग			**346.50**				**173.37**			
कोरिया: मनेन्द्रगढ़ डब्लू एस.एस											
1	एनिक्ट 90 एम	-	-	121.50	-		-	-	-	निविदा आमंत्रित नही	-
2	इन्टेक वेल एवं रा वाटर वी टी पम्पस	-	-	72.35	-		-	-	-	ई-निविदा स्वीकृति हेतु प्रेषित	-
3	इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन	-	-	20.40	-		-	-	-	निविदा आमंत्रित नही	-
4	रा वाटर पम्पिंग मैन	07 डी एल /2008-09, 1666/ 08.04.2008	मैं महामया कन्ट्रकशन रायपुर	24.43	40.79	(+) 66.95 प्रतिशत	6 माह वर्षा ऋतु छोड़कर	32.50	एन ए	अपूर्ण, अनुबंध रद्ध	-
	रा वाटर पम्पीगं मैन वैलेनश वर्क	29 डी एल /2011-12, 1184/ 10.05.2011	मैं भरतेश प्रामार रायपुर	11.20	16.69	49.99 प्रतिशत	3 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 09.08.2011	33.50	2 चलित देयक 55/ 28.02.12	अपूर्ण	100
5	डब्लू टि पी एवं क्लियर वाटर पम्पस	43 डी एल /2008-09, 4499/ 31.12.2008	मैं सर्वी पुरता कन्सट्रकशन कलकत्ता	84.70	130.00	एल. एस	12 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 30.04.2010	107.77	12 चलित देयक 21/ 23.02.12	अपूर्ण	83
6	ओ एच टी 770 कि ली	42 डी एल /2008-09, 4497/ 31.12.2008	मैं सर्वी पुरता कन्सट्रकशन कलकत्ता	42.35	41.60	एल. एस	08 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 30.12.2009	37.44	5 चलित देयक 33/ 28.02.11	अपूर्ण	90
7	ओ एच टी 650 कि ली	-	-	39.00	-	-	-	-	-	अनुवनध प्रगतीरत	-
8	क्लियर वाटर पम्पिगं मैन	06 डी एल /2008-09, 1656/ 07.04.2008	मैं श्रीमती उर्मिला दिक्षीत अंबिकापुर	52.58	87.81	(+) 66.99 प्रतिशत	6 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 06.02.2009	100.07	6 चलित देयक 139/ 31.03.12	अपूर्ण	100
9	डिस्ट्रीब्यूशन 1	-	-	-	-	-	-	-	-	निविदा प्रगतिरत	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	डिस्ट्रीब्यूशन जोन II ए	09 डी एल 2008-09, 1671दिनांक 08.04.2008	में एम पी गुप्ता बैंकुठपुर	83.33	72.54	(+) 74.10 प्रतिशत	8 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 07.06.2009	28.48	3rd वलित देयक 17/ 16.08.10	अपूर्ण, विलंब	39
11	डिस्ट्रीब्यूशन जोन II बी	05 डी एल /2008-09, 1654/ 07.04.2008	में राजेन्द्र कुमार पौडार		72.53	(+) 74.10 प्रतिशत	8 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 06.06.2009	71.81	2 वलित देयक 132/ 26.09.09	अपूर्ण	99
12	डिस्ट्रीब्यूशन जोन III	08 डी एल 2008-09, 1669/ 08.04.2008	में राजेन्द्र कुमार पौडार	99.54	173.95	(+) 74.74 प्रतिशत	8 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 07.06.2009	139.01	3 चलित देयक / 132/ 26.09.09	अपूर्ण	80
	योग			**398.13**				**550.58**			
महासमुंदः महासमुन्द डब्लू एस एस											
1	इंटेक वेल जैक वेल एवं वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट	34 डी एल 2007-08, 2581/23.11.2007	में मनीष पाइपस	210.00	269.00	एल. एस	16 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 23.03.2009	244.73	9 चलित देयक, 155/ 31.03.2012	विलम्ब	91
2	रा वाटर एवं क्लियर वाटर पम्पिंग एवं साब स्टेशन	01 डी एल / 2008-09, 793/17.04.2008	में एशियाटिक ट्रेडेस	87.25	99.89	एल. एस	12 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 17.04.2009	78.62	5 चलित देयक, 156/ 31.3.2012	विलम्ब	79
3	रा वाटर एवं क्लियर वाटर पम्पिंग मेन	18 डी एल/ 2007-08, 1555/11.07.2007	में बंसल वेरवलस रायपुर	487.00	662.07	(+) 35.95 प्रतिशत	12 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 11.07.2008, 10.10.2008 (पुनरीक्षित)	532.14	10 वलित देयक, 42/ 27.08.2011	विलम्ब	80
4	ओ एच टी प्रतियाझर	19 डी एल / 2007-08, 1689/3.8.2007	में केवाल जदवानी	27.50	30.40	एल. एस	12 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 02.08.2008	30.40	3 एवं अंतिम, 28.05 2008	कार्य समाप्त	100
5	ओ एच टी मोहरी भाटा	22 डी एल / 2007-08, 1884/27.08.2007	में अतुल श्रीवास्तव	26.50	29.50	एल. एस	12 माह वर्षा ऋतु साहित अर्थात् 26.08.2008	29.50	6 एवं अंतिम, 61/ 07.12.2009	पूर्ण	100
6	डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जोन I	17 डी एल/ 2009-10, 2722/3.9.2009	में लक्ष्मी सिविल इंजिनियर	35.69	67.20	(+) 88.30 प्रतिशत	8 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 03.05.2010	56.56	2 चलित देयक,, 5/ 02.11.10	अपूर्ण	84
7	डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जोन II	75 डी एल / 2008-09, 911/2.3.2009	में लक्ष्मी सिविल इंजिनियर	130.11	268.42	(+) 106.30 प्रतिशत	11 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 02.02.2010	154.37	4 वलित देयक, 06/ 02.11.2010	अपूर्ण	58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जोन 3	76 डी एल / 2008-09 915/2.3.2009	मैं लक्ष्मी सिविल इंजिनियर	122.76	253.25	(+) 106.30 प्रतिशत	11 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 02.02.2010	269.18	4 चलित देयक,, 4/ 03.11.2010	अपूर्ण	100
9	डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जोन 4	77 डी एल / 2008-09, 918/2.3.2009	मैं लक्ष्मी सिविल इंजिनियर	137.32	283.08	(+) 106.30 प्रतिशत	11 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 02.02.2010	232.16	4 चलित देयक,	अपूर्ण	82
		योग		1264.13				1627.66			
रायपुरः बीरगांव डब्लु एस एस											
1	इंटेक वेल जैक वेल एवं वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट	140 डी एल / 2007-08, 5470/7.12.2007	मैं एस के बनरजी नागपुर	262.49	370.00	एल. एस	12 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 23.03.2009	348.81	10 वलित देयक, 59/ 16.06.11	अपूर्ण	94
2	रा वाटर एवं क्लियर वाटर पंपरा	23 डी एल /2009-10, 2844/08.07.2009	मैं लक्ष्मी सिविल इंजिनियर नागपुर	93.41	155.00	एल. एस	12 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 07.07.2010	132.53	2 चलित देयक, 219/ 31.3.2011	अपूर्ण	86
3	ओ एच टी बिरगांव	153 डी एल 2007-08, 5685/27.12.2007	मैं दुबे गोयल का. रायपुर	75.00	91.49	एल. एस	10 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 27.10.2008	82.34	3 चलित देयक,, 214/ 24.10.2011	अपूर्ण	90
4	ओ एच टी उरला	145 डी एल / 2007-08, 5578/17.12.2007	मैं एस के कन्ट्रक्शन जबलपुर	42.50	46.58	एल. एस	8 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 16.08.2008	46.58	4 एवं अंतिम, 75/ 10.8.2011	पूर्ण	100
5	ओ एच टी उरकुरा	149 डी एल / 2007-08, 5621/20.12.2007	मैं महेश्वर विलडर	27.00	29.10	एल. एस	8 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 16.08.2008	29.10	3 एवं अंतिम, 94/ 31.7.2009	पूर्ण	100
6	ओ एच टी आछोली	137 डी एल /2007-08, 5393/3.12.2007	मैं पुजा कन्ट्रक्शन	30.00	31.80	एल. एस	8 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 02.08.2008	28.62	5 चलित देयक 93/ 18.05.2009	अपूर्ण	90
7	ओ एच टी रावनभेटा	150 डी एल / 2007-08	मैं डी.डी सिंधल विलाई	33.00		एल. एस	8 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 24.12.2008	35.11	4 एवं अंतिम, 236/ 31.7.2009	पूर्ण	100
8	रा वाटर एवं क्लियर वाटर मेनस	113 डी एल /2007-08, 4889/ 16.10.2007	मैं लक्ष्मी सिविल इंजिनियर लिमिटेड नागपुर	369.57	499.66	(+).20 प्रतिशत	12 माह वर्षा ऋतु साहित अर्थात् 16.10.2008	513.55	4 चलित देयक 76/12.08.11	अपूर्ण	100
9	डिस्ट्रीब्यूशन जोन 7-सरोरा	170 डी एल /2008-09, 5366/ 24.09.2008	मैं टेक्नों डिल्र्स रायपुर	53.59	115.64	(+)117 प्रतिशत	15माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 15.01.2010	115.99	5 एवं अंतिम, 104/ 27.03.2010	पूर्ण	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	डिस्ट्रीब्यूशन जोन 4 - उरकुरा	333 डी एल /2008-09, 991/ 28.02.2009	मै लक्ष्मी इंजिनियरीग लिमिटेड नागपुर	76.46	173.56	(+) 127 प्रतिशत	15माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 27.06.2010	170.46	5 एवं अंतिम,, 77/ 12.08.11	पूर्ण	100
11	डिस्ट्रीब्यूशन जोन 2 विरगाव सिटी	334 डी एल/2008-09, 993/ 28.02.2009	मै लक्ष्मी इंजिनियरीग लिमिटेड नागपुर	169.82	385.49	(+) 127 प्रतिशत	18माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 27.09.2010	394.14	3 चलित देयक 105/ 29.08.11	अपूर्ण	100
12	डिस्ट्रीब्यूशन जोन 1 विरगाव	335 डी एल /2008-09, 995/ 28.02.2009	श्री भारतेश जी प्रामार रायपुर	29.94	67.07	(+) 124 प्रतिशत	15माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 27.09.2010	55.79	3 चलित देयक 161/ 27.03.10	अपूर्ण	83
13	डिस्ट्रीब्यूशन जोन 3 उरला	336 डी एल /2008-09, 996/ 28.02.2009	श्री भारतेश जी प्रामार रायपुर	70.94	158.91	(+) 124 प्रतिशत	15माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 27.09.2010	143.61	6 एवं अंतिम 118/ 30.08.11	पूर्ण	100
14	डिस्ट्रीब्यूशन जोन 6 रावण भाटा	337 डी एल /2008-09, 997/ 28.02.2009	श्री भारतेश जी प्रामार रायपुर	83.42	188.53	(+) 126 प्रतिशत	15माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 27.09.2010	154.98	7 एवं अंतिम, 75/ 03.10.11	पूर्ण	100
15	डिस्ट्रीब्यूशन जोन 5 अछिली	263 डी एल / 2008-09, 5429/ 19.12.2008	मै टेक्नो डीलयरस रायपुर	52.12	122.48	(+) 135 प्रतिशत	12 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 18.04.2009	111.45	5 एवं अंतिम, 57/ 5.12.11	पूर्ण	100
		योग		**1469.26**				**2363.06**			
रायपुरः कसडोल डब्लू एस एस											
1	इंटेक वेल एवं वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट	63 डी एल /2009-10, 3938/16.11.2009	मै सरना पुरता क्नट्रक्शन प्राइवेट लिम्मिटेड कलक्ता	75.00	143.00	एल. एस	12 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 15.11.2009	118.84	7 चलित देयक, 38/ 10.01.12	अपूर्ण	83
2	ओ एच टी	36 डी एल / 2009-10, 3364/01.09.2009	मै एस के कन्सट्रक्शन जबलपुर	32.24	35.79	एल. एस	6 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 01.03.2010	35.79	3 एवं अंतिम, 18/ 08.02.2011	पूर्ण	100
3	रा वाटर एवं क्लियर वाटर पम्पिग मनस	04 डी एल /2009-10, 1652/ 20.05.2009	मै तिरूमति कन्सट्रक्शन रायपुर	75.91	158.65	(+) 109 प्रतिशत	9 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 19.02.2010	156.85	4 एवं अंतिम 8 ऋ/ 4.12.09	पूर्ण	100
4	डिस्ट्रीब्यूशन जोन 1	42 डी एल /2009-10, 3618/ 12.10.2009	मै तिरूमति कन्सट्रक्शन रायपुर	43.25	89.96	(+) 107.80 प्रतिशत	9माह वर्षा ऋतु राहित अर्थात् 11.06.2010	73.77	3 चलित देयक, 11/ 7.02.2012	अपूर्ण	82
5	डिस्ट्रीब्यूशन जोन 2	41 डी एल /2009-10, 3620/ 12.09.2009	मै तिरूमति कन्सट्रक्शन रायपुर	117.46	229.05	(+) 94.80 प्रतिशत	9 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 11.05.2010	183.29	6 चलित देयक, 335/ 25.10.11	अपूर्ण	80
		योग		**343.86**				**568.54**			
		महायोग		**9189.16**				**12347.60**			

परिशिष्ट-3.2.6

(संदर्भ कंडिका 3.2.8.2(अ); पृष्ठ क्र. 171)

ठेकेदारों पर शास्ति आरोपित न करने को दर्शाने वाले पत्रक

(₹ लाख में)

स.क्र.	कार्य का नाम	अनुबंध क्र एवं कार्यादेश संख्या/दिनांक	ठेकेदार का नाम	पी ए सी	अनुबंध राशि	एल एस/+/- प्रतिशत	पूर्ण करने हेतु समयावधि	अद्यतन भुगतान की राशि	चलित देयक क्र./ प्रमाणक क्र.	अद्यतन स्थिति	शास्ति दर	शास्ति राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
अंबिकापुरः अंबिकापुर डब्लू एस एस												
1	डब्लू टी पी 5.50 एम एल डी एवं कलेकटिंग वेल	124 डी एल / 2008-09, 6444/ 31.12.2008	मैं. सरवा पूर्ती कलक्ता	71.25	129.98	एल. एस	9 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 15.02.2010	129.98	9 एवं अंतिम 230/ 30.03.12	पूर्ण	₹ 600 प्रतिदिन 10 प्रतिशत सीमा के साथ	4.64
2	रा वाटर पम्पीगं 2 : एवं क्लियर वाटर पम्परा -5	45 डी एल /2010-11, 292/ 19.01.2011	मैं. मना इलक्ट्रिक एवं इनजिनियंरिग रारवोस	35.19	33.50	एल. एस	6 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 15.07.2011	33.50	3 एवं अंतिम 131/ 29.03.12	पूर्ण	₹ 1100 प्रतिदिन 10 प्रतिशत सीमा के साथ	2.81
3	ओ एस टी 540 कि ली`	23 डी एल / 2008-09, 2871/ 22.04.2008	मैं. सरवा पूर्ती कलक्ता	32.40	37.50	एल. एस	6 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 22.02.2009	37.50	6 एवं अंतिम 133/29.03.12	पूर्ण	₹ 3500 प्रतिदिन 10 प्रतिशत सीमा के साथ	3.75
4	ओ एस टी 510 कि ली एवं 80 कि ली सम्पवेल	04 डी एल / 2008-09, 2764/ 16.04.2008	श्री अशोक सिह अम्बिकापुर	33.00	39.10	एल. एस	6 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 15.02.2009	39.10	3 एवं अंतिम, 210/ 29.03.12	पूर्ण	₹ 3500 प्रतिदिन 10 प्रतिशत सीमा के साथ	3.91
5	ओ एस टी 400 कि ली	02 डी एल / 2008-09, 2756/ 16.04.2008	मे. दिनेश कुंमार सिंह	26.00	32.10	एल. एस	6 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 15.02.2009	32.10	9 चलित देयक, 169/15.03.10	अपूर्ण	₹ 3500 प्रतिदिन 10 प्रतिशत सीमा के साथ	3.21
6	ओ एस टी 350 कि ली	95 डी एल / 2008-09, 5702/ 10.10.2008	मे. मंजू सिंह अंविकापुर	24.50	28.10	एल. एस	6 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 15.04.2009	28.10	4 एवं अंतिम, 54/ 24.12.10	पूर्ण	₹ 3500 प्रतिदिन 10 प्रतिशत सीमा के साथ	2.81
7	ओ एस टी 300 कि ला	126 डी एल / 2008-09, 232/ 21.01.2009	मे. दिनेश कुंमार सिंह	21.00	24.15	एल. एस	6 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 21.11.2009	24.15	6 चलित देयक,, 35/ 15.12.10	अपूर्ण	₹ 3500 प्रतिदिन 10 प्रतिशत सीमा के साथ	2.42
8	डिस्ट्रीब्यूशन जोन 1 सें 5	32 डी एल / 2009-10, 2203/ 11.06.2009	मे. वलराम दास, अम्बिकापुर	153.27	320.15	(+)108.88 प्रतिशत	12 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 11.02.2010	345.96	9 एवं अंतिम, 02/ 06.06.11	पूर्ण	1/16 प्रतिशत प्रति सप्ताह 6 प्रतिशत सीमा के साथ	13.73
9	डिस्ट्रीब्यूशन जोन 6 (ए)	29 डी एल/ 2009-10, 2186/ 11.06.2009	मे. सरवा पूर्ती कलक्ता	82.57	178.35	(+) 116 प्रतिशत	12 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 11.02.2010	177.10	6 एवं अंतिम, 57/ 18.10.11	पूर्ण	1/16 प्रतिशत प्रति सप्ताह 6 प्रतिशत सीमा के साथ	10.70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	डिस्ट्रीब्यूशन जोन 6 (ए)	33 डी एल / 2009-10, 2205/ 11.06.2009	मे. राजेन्द्र कुमार पोद्दार	140.19	303.67	(+) 116.40 प्रतिशत	12 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 11.02.2010	299.47	6 एवं अंतिम 256/ 31.03.12	पूर्ण	1/16 प्रतिशत प्रति सप्ताह 6 प्रतिशत सीमा के साथ	11.81
11	डिस्ट्रीब्यूशन एवं रिजिगं मेन जोन 7	13 डी एल/ 2008-09, 2794/ 16.04.2008	में. सरवा पूर्ती कलक्ता	207.25	360.62	(+) 74.00 प्रतिशत	9 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 15.05.2009	296.08	8 एवं अंतिम 80/ 24.11.10	पूर्ण	1/16 प्रतिशत प्रति सप्ताह 6 प्रतिशत सीमा के साथ	15.96
12	डिस्ट्रीब्यूशन जोन 9	15 डी एल / 2008-09, 2798/ 16.04.2009	में सरबा पुरता कोलक्ता	131.77	229.54	(+) 74.20 प्रतिशत	9 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 15.05.3009	181.07	8 एवं अंतिम 67/30.03.11	पूर्ण	1/16 प्रतिशत प्रति सप्ताह 6 प्रतिशत सीमा के साथ	13.77
13	डिस्ट्रीब्यूशन 200-100 एम एम 14150 एम एम	65 डी एल / 2010-11, 450/ 27.01.2011	में टेक्चों ड्रिलर रायपुर	132.51	176.64	(+) 33.30 प्रतिशत	4 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 26.052011	176.05	5 एवं अंतिम 50/ 26.06.12	पूर्ण	1/16 प्रतिशत प्रति सप्ताह 6 प्रतिशत सीमा के साथ	10.60
	योग											**113.28**
अंबिकापुर : सीतापुर डब्लू एस.एस												
1	इन्टेक बेल जेक बेल पम्प हाउस 1.40 एम एल डि एव पम्पस	30 डी एल / 2009-10, 2189/ 11.06.2009	में सरबा पुरता कोलक्ता	188.50	224.00	एल. एस	12 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 11.02.2011	119.74	8 चलित देयक, 229/ 30.03.12	अपूर्ण	₹1100 प्रतिदिन 10 प्रतिशत सीमा के साथ	5.90
2	रा वाटर एवं क्लियर वाटर	34 डी एल / 2009-10, 2591/ 04.07.2009	श्री उर्मिला दिक्षित अम्बिकापुर	66.04	134.72	(+) 103.8 प्रतिशत	12 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 15.02.2011	130.63	7 चलित देयक, 55/ 30.03.11	अपूर्ण	1/16 प्रतिशत प्रति सप्ताह 6 प्रतिशत सीमा के साथ	6.40
3	ओ एच टी 280 कि ली	21 डी एल / 2009-10, 2041/ 04.06.2009	में निर्माण इंजीनियरिंग छीन्ददवारा	19.80	26.50	एल. एस	6 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 15.04.2010	23.85	7 चलित देयक, 19/ 12.08.11	अपूर्ण	₹ 3500 प्रतिदिन 10 प्रतिशत सीमा के साथ	2.65
4	ओ एच टी 120 कि ली	06 डी एल / 2010-11, 1267/ 23.04.2010	में विजेन्द्र कुमार प्रसाद	12.00	13.64	एल. एस	6 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 23.02.2011	13.64	6 एवं अंतिम 218/ 29.03.12	पूर्ण	₹ 3500 प्रतिदिन 10 प्रतिशत सीमा के साथ	1.36
5	ओ एच टी 80 कि ली	13 डी एल / 2009-10, 1898/ 27.05.2009	में प्रकाश कुमार अग्रवाल	6.40	10.85	एल. एरा	6 माह वर्षा ऋतु छोड़कर	10.80	3 चलित देयक,103/ 30.03.11	पूर्ण	₹ 3500 प्रतिदिन 10 प्रतिशत सीमा के साथ	1.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	डिस्ट्रीब्यूशन जोन 1	163 डी एल / 2009-10, 961/ 26.02.2009	श्री उर्मिला दिक्षित अम्बिकापुर	19.59	26.20	(+) 33.75 प्रतिशत	4 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 04.10.2010	16.61	5 एवं अंतिम 49/30.03.11	पूर्ण	1/16 प्रतिशत प्रति सप्ताह 6 प्रतिशत सीमा के साथ	1.22
7	डिस्ट्रीब्यूशन जोन 2	164 डी एल / 2009-10, 963/ 26.02.2009	श्री उर्मिला दिक्षित अम्बिकापुर	19.04	25.49	(+) 33.89 प्रतिशत	4 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 26.10.2009	17.00	5 एवं अंतिम 50/ 30.03.11	पूर्ण	1/16 प्रतिशत प्रति सप्ताह 6 प्रतिशत सीमा के साथ	1.18
8	डिस्ट्रीब्यूशन जोन 3	165 डी एल / 2009-10, 965/ 26.02.2009	श्री उर्मिला दिक्षित अम्बिकापुर	15.27	20.31	(+) 32.98 प्रतिशत	4 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 26.10.2009	13.93	5 एवं अंतिम 51/ 30.03.11	पूर्ण	1/16 प्रतिशत प्रति सप्ताह 6 प्रतिशत सीमा के साथ	0.94
9	डिस्ट्रीब्यूशन जोन 4	166 डी एल / 2009-10, 967/ 26.02.2009	श्री उर्मिला दिक्षित अम्बिकापुर	13.47	18.32	(+) 35.98प्रतिशत	4 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 26.10.2009	12.93	5 एवं अंतिम 52/ 30.03.11	पूर्ण	1/16 प्रतिशत प्रति सप्ताह 6 प्रतिशत सीमा के साथ	0.85
	योग											21.59
बिलासपुर : मुंगेली आर्वधन डब्लू एस.एस												
1	पम्पिग मैन एवं डिस्ट्रीब्यूशन मेन जोन I	45 डी एल /2009-10, 1653/ 19.05.2009	मे सुनिल कुमार जोजेदिया विलासपुर	42.61	91.61	(+) 115 प्रतिशत	6 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 18.11.2009	98.12	5 एवं अंतिम 72 ख/ 29.02.2012	पूर्ण	1/16 प्रतिशत प्रति सप्ताह 6 प्रतिशत सीमा के साथ	5.50
2	पम्पिग मैन एवं डिस्ट्रीब्यूशन मेन जोन II	27 डी एल / 2010-11, 2326/ 08.10.2010	मे नागेन्द्र कुमार पान्डे बिलासपुर	122.77	210.55	(+) 71.50 प्रतिशत	11 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 07.09.2010	101.67	3 चलित देयक 50/ 23.11.2011	अपूर्ण	1/16 प्रतिशत प्रति सप्ताह 6 प्रतिशत सीमा के साथ	12.63
3	पम्पिग मैन एवं डिस्ट्रीब्यूशन मेन जोन III	47 डी एल / 2009-10, 1657/ 19.05.2009	मे नागेन्द्र कुमार पान्डे बिलासपुर	59.86	128.40	(+) 115 प्रतिशत	7 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 18.12.2009	140.12	3 चलित देयक 202/ 26.11.2010	अपूर्ण	1/16 प्रतिशत प्रति सप्ताह 6 प्रतिशत सीमा के साथ	7.70
	योग											25.83
दंतेवाडा: दंतेवाड़ा डब्लु एस.एस												
1	रा वाटर पम्पिग मैन	43 डी एल / 2008-09 , 70/ 13.01.2009	मे बी.आर सिंह भदौरिया	6.36	17.17	(+) 170 प्रतिशत	6 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 12.07.2009	18.99	3 एवं अंतिम 44/ 31.07.10	पूर्ण	1/8 प्रतिशत प्रति सप्ताह 6 प्रतिशत सीमा के साथ	0.55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	इनटेक वेल कम पम्प हाउस,1.04 एम एल डी, डब्लू टी पी, ओ. एच.टी 250 कि.लो एवं रा वाटर एवं क्लियर वाटर पम्पस	74 डी एल / 2007-08 , 4034/ 04.12.2007	मे बी.आर सिंह भदौरिया	106.90	175.30	एल एस	12 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 03.04.2009	166.69	18 चलित देयक 21/ 14.07.10	अपूर्ण	₹ 1000 प्रतिदिन 10 प्रतिशत सीमा के साथ	12.15
3	क्लियर वाटर पम्पिग मेन	42 डी एल / 2008-09, 68/ 13.01.2009	मे बी.आर सिंह भदौरिया	15.39	41.55	(+) 170 प्रतिशत	6 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 12.07.2009	46.82	5 एवं अंतिम 43/ 31.07.10	पूर्ण	1/16 प्रतिशत प्रति सप्ताह 6 प्रतिशत सीमा के साथ	1.42
4	डिस्ट्रीब्यूशन	38 डी एल / 2010-11, 01/ 01.01.2011	श्री रूमेश कुमार झा	99.14	137.14	(+) 38.33 प्रतिशत	6 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 30.06.2011	127.59	4 चलित देयक, 27/ 30.12.2011	अपूर्ण	1/16 प्रतिशत प्रति सप्ताह 6 प्रतिशत सीमा के साथ	4.86
	योग											**18.98**
दंतेवाड़ाः बडे बछेली डब्लू एस एस												
1	ओ.एच.टी. 200 कि ली	26 डी एल / 2010-11, 1748/ 25.09.2010	श्री आर के कपुर जगदलपुर	20.00	16.50	एल एस	6 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 24.03.2011	16.50	3 एवं अंतिम 21/ 31.01.2012	पूर्ण	₹ 1000 प्रतिदिन 10 प्रतिशत सीमा के साथ	1.65
2	ओ.एच.टी. 200 कि ली	18 डी एल /2009-10, 1911/ 29.10.2009	रूमेश कुमार झा	20.00	16.99	एल एस	6 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 28.04.2010	16.99	5 एवं अंतिम 09 /05.08.10	पूर्ण	₹ 1000प्रतिदिन 10 प्रतिशत सीमा के साथ	0.90
3	डिस्ट्रीब्यूशन	51 डी एल / 2009-10, 331/ 18.02.2010	मैं. टेकनो डिलरस रायपुर	76.27	141.09	(+) 85 प्रतिशत	6 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 17.08.2010	185.57	5 चलित देयक,39/ 28.02.2012	अपूर्ण	1/16 प्रतिशत प्रति सप्ताह 6 प्रतिशत सीमा के साथ	8.47
	योग											**11.02**
धमतरीः धमतरी डब्लू एस एस												
1	वाटर ट्रिटमेन्ट प्लांट	47 डी एल /2007-08, 2999/ 27.12.2007	मैं. लक्ष्मी सिविल इंजिनियर	162.30	230.00	एल एस	16 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 27.04.2009	193.66	6 चलित देयक, 17/डी एल 27.12.2011	अपूर्ण	₹ 800 प्रतिदिन 10 प्रतिशत सीमा के साथ	9.53
2	आर. सी. सी. सम्प वेल एवं पम्प हाउस	53 डी एल / 2010-11, 583/ 11.03.2011	मैं सुनील कुमार गुप्ता	35.55	30.11	(-) 15.30 प्रतिशत	12 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 10.03.12	22.87	1 चलित देयक, 18/ 31.12.2011	अपूर्ण	1/16 प्रतिशत प्रति सप्ताह 6 प्रतिशत सीमा के साथ	0.38
3	रा वाटर एवं क्लियर वाटर मेन	44 डी एल / 2007-08, 2551/3.11.2007	मैं. गोकुल कृष्णा	319.16	405.35	(+) 27 प्रतिशत	12 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 03.11.2008	373.18	14 चलित देयक, 7/ डी एल 16.9.2009	अपूर्ण	1/16 प्रतिशत प्रति सप्ताह 6 प्रतिशत सीमा के साथ	24.32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ओ.एच.टी. महिमा सागर	46 डी एल / 2007-08, 2781/3.12.2007	मैं. सोल इंजीनियरिंग	49.50	49.98	एल एस	16 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 03.04.2009	49.98	6 चलित देयक, 127/ 20.10.2009	पूर्ण	₹ 200 प्रतिदिन 10 प्रतिशत सीमा के साथ	0.40
5	ओ.एच.टी. इतवारी बाजार	49 डी एल / 2007-08, 205/4.1.2008	श्री एन. के पांडे	52.25	54.90	एल एस	16 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 04.05.2010	37.72	-	अपूर्ण	₹ 200प्रतिदिन 10 प्रतिशत सीमा के साथ	1.70
6	ओ.एच.टी. बधेना वार्ड	222 डी एल / 2008-09, 643/ 20.2.2009	मैं. सोल इंजीनियरिंग	45.00	44.08	एल एस	16 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 20.06.2010	44.08	6 एवं अंतिम, 15/ 23.12.2011	पूर्ण	₹ 3500प्रतिदिन 10 प्रतिशत सीमा के साथ	4.41
7	ओ.एच.टी. गायत्री मंदिर	62 डी एल / 2007-08, 696/11.2.2008	श्री सुनील जोजदिया	55.00	56.95	एल एस	16 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 11.06.2009	19.43	6/ डी एल 12.8.2009	अपूर्ण	₹ 200 प्रतिदिन 10 प्रतिशत सीमा के साथ	2.29
8	डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क I/II	14 डी एल / 2009-10, 1675/5.6.2009	श्री वंसाल वारेवेल	61.87	131.01	(+) 111.75 प्रतिशत	12 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 05.06.2010	93.76	4 चलित देयक, 32/डी एल 15.11.2010	अपूर्ण	1/16 प्रतिशत प्रति सप्ताह 6 प्रतिशत सीमा के साथ	7.86
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
9	डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क 3	230 डी एल / 2008-09, 784/24.2.2009	मे लक्ष्मी सिविल इंजिनियर	127.84	273.45	(+) 114.5 प्रतिशत	12 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 24.02.2010	243.68	3 चलित देयक,23/ डी एल 11.2.2010	अपूर्ण	1/16 प्रतिशत प्रति सप्ताह 6 प्रतिशत सीमा के साथ	16.41
10	डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क 4	231 डी एल/ 2008-09, 786/25.2.2009	मे लक्ष्मी सिविल इंजिनियर	98.61	209.55	(+) 112.5 प्रतिशत	12 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 24.02.2010	156.90	3 चलित देयक,, 36/ डी एल 15.11.2010	अपूर्ण	1/16 प्रतिशत प्रति सप्ताह 6 प्रतिशत सीमा के साथ	12.57
11	डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क 5	229 डी एल / 2008-09, 781/24.2.2009	मे लक्ष्मी सिविल इंजिनियर	77.49	155.50	(+) 114.5 प्रतिशत	12 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 24.02.2010	97.36	4 चलित देयक,/ 15.11.10	अपूर्ण	1/16 प्रतिशत प्रति सप्ताह 6 प्रतिशत सीमा के साथ	9.33
12	डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क 6	233 डी एल / 2008-09, 789/25.2.2009	मे लक्ष्मी सिविल इंजिनियर	127.81	272.87	(+)113.5 प्रतिशत	12 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 24.02.2010	266.92	4 चलित देयक, 85 डी एल / 31.03.2011	अपूर्ण	1/16 प्रतिशत प्रति सप्ताह 6 प्रतिशत सीमा के साथ	16.37
13	डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क 7	232 डी एल / 2008-09, 787/25.2.2009	मे लक्ष्मी सिविल इंजिनियर	100.01	214.02	(+) 114 प्रतिशत	12 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 24.02.2010	189.16	4 चलित देयक, 37/ डी एल 15.11.2010	अपूर्ण	1/16 प्रतिशत प्रति सप्ताह 6 प्रतिशत सीमा के साथ	12.84
	योग											**118.41**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
जांजगीर-चांपाः चांपा डब्लू.एस.एस.												
1	इंटेक वेल एण्ड डब्लू.टी.पी.	13 डी एल /2009-10, 2281/ 26.05.2009	मे. एनवैरन इंजिनियं, न्यू दिल्ली	131.00	240.00	एल एस	12 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 25.05.2010	177.86	45/ ई.जे. 31.03.2012	अपूर्ण	₹ 3000 प्रतिदिन 10 प्रतिशत सीमा के साथ	23.94
2	रा एण्ड क्लीयर वाटर पम्पिंग मेन	31 डी एल / 2009-10, 2758/ 18.06.2009	मे. एनवैरन इंजिनियं, न्यू दिल्ली	105.82	217.99	(+) 106 प्रतिशत	11 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 17.05.2010	142.94	05/ डी एल 29.02.2012	अपूर्ण	1/16 प्रतिशत प्रति सप्ताह 6 प्रतिशत सीमा के साथ	13.08
3	ओ.एच.टी.200 कि ली	308 डी एल / 2008-09, 909/ 12.02.2009	मे. संतोष अग्रवाल	20.00	23.75	एल एस	6 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 11.02.2010	25.17	71/ ई.ज. / 28.02.2011	पूर्ण	₹ 3500 प्रतिदिन 10 प्रतिशत सीमा के राथ	2.38
	योग											**39.40**
कवर्धाः कवर्धा डब्लू.एस.एस.												
1	कनाल इंटेक, डब्लू.टी.पी., रा एण्ड क्लीयर वाटर ग्रेविटी मेन	28 डी एल /2007-08, 2620/ 14.09.2007	मे. मनीष पाईप्स लिमिटेड, रायपुर	690.00	769.00	एल एस	12 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 13.02.2009	749.56	11 वलित देयक, 02/ डी एल 7.12.2009	अपूर्ण	₹ 6000 प्रतिदिन 10 प्रतिशत सीमा के साथ	69.00
	योग											**69.00**
कवर्धाः सकरी नदी में प्रदूषण रोकथाम हेतु सलेज कन्वेन्स, ट्रीटमेंट एण्ड डिस्पोजल स्कीम												
1	सोलेज कन्वियन्श, ट्रिटमेंट एण्ड डिरपोराल रकीम	03 डी एल / 2009-10, 1830/ 22.05.2009	मे. लक्ष्मी इंजिनियरिंग प्रा.लि.नागपुर	346.50	532.00	एल एस	12 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात्, 21.01.2011	173.37	2 चल देयक 08/डी एल 22.03.2012	अपूर्ण	₹ 34650 प्रतिदिन 10 प्रतिशत सीमा के साथ	53.20
	योग											**53.20**
कोरियाः मनेन्द्रगढ़ डब्लू.एस.एस.												
1	रा वाटर पम्पिंग मेन वैलेंस वर्क	29 डी एल /2011-12, 1184/ 10.05.2011	मे. भरतेश परमार, रायपुर	11.20	16.69	49.99 प्रतिशत	3 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 09.08.2011	33.50	2 चल देयक 55/ 28.02.12	अपूर्ण	1/16 प्रतिशत प्रति सप्ताह 6 प्रतिशत सीमा के साथ	1.00
2	डब्लू.टी.पी. एण्ड क्लीयर वाटर पम्पस्	43 डी एल /2008-09, 4499/ 31.12.2008	मे. सर्वा पुर्ता कंस्ट्रक्शन, कोलकता	84.70	130.00	एल एस	12 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 30.04.2010	107.77	12 चल देयक 21/ 23.02.12	अपूर्ण	₹ 500 प्रतिदिन 10 प्रतिशत सीमा के साथ	4.12
3	ओ.एच.टी.770 कि ली	42 डी एल /2008-09, 4497/ 31.12.2008	मे. सर्वा पुर्ता कंस्ट्रक्शन, कोलकता	42.35	41.60	एल एस	8 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 30.12.2009	37.44	5 चल देयक, 33/ 28.02.11	अपूर्ण	₹ 400 प्रतिदिन 10 प्रतिशत सीमा के साथ	3.78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	क्लीयर वाटर पम्पिंग मेन	06 डी एल /2008-09, 1656/ 07.04.2008	मे. श्रीमती उर्मिला दीक्षित, अम्बिकापुर	52.58	87.81	(+) 66.99 प्रतिशत	6 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 06.02.2009	100.07	6 चल देयक, 139/ 31.03.12	अपूर्ण	1/16 प्रतिशत प्रति सप्ताह 6 प्रतिशत सीमा के साथ	5.27
5	डिस्ट्रीब्युसन जोन-II ए	09 डी एल /2008-09, 1671 08.04.2008	मे. एम.पी.गुप्ता, बैकुण्ठपुर	83.33	72.54	(+) 74.10 प्रतिशत	8 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 07.06.2009	28.48	3 चल देयक, 17/ 16.08.10	अपूर्ण	1/16 प्रतिशत प्रति सप्ताह 6 प्रतिशत सीमा के साथ	4.35
6	डिस्ट्रीब्युसन जोन-II बी	05 डी एल /2008-09, 1654/ 07.04.2008	मे. राजेन्द्र कुमार पोद्दार		72.53	(+) 74.10 प्रतिशत	8 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 06.06.2009	71.81	2 चल देयक, 132/ 26.09.09	अपूर्ण	1/16 प्रतिशत प्रति सप्ताह 6 प्रतिशत सीमा के साथ	4.35
7	डिस्ट्रीब्युसन जोन-III	08 डी एल /2008-09, 1669/ 08.04.2008	मे. राजेन्द्र कुमार पोद्दार	99.54	173.95	(+) 74.74 प्रतिशत	8 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 07.06.2009	139.01	3 चल देयक / 132/ 26.09.09	अपूर्ण	1/16 प्रतिशत प्रति सप्ताह 6 प्रतिशत सीमा के साथ	10.44
	योग											33.31
महासमुंदः महासमुंद डब्लू.एस.एस.												
1	इंटेक वेल, जेक वेल एण्ड वाटर ट्रिटमेंट प्लांट	34 डी एल / 2007-08, 2581/23.11.2007	मे. मनीष पाईप्स	210.00	269.00	एल एस	16 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 23.03.2009	244.73	9 चल देयक 155/ 31.03.2012	अपूर्ण	₹1900 प्रतिदिन 10 प्रतिशत सीमा के साथ	23.29
2	रा वाटर एण्ड क्लीयर वाटर पम्पस् एण्ड सब्सटेशन	01 डी एल / 2008-09, 793/17.04.2008	मे. एरोटिक ट्रेडर्स	87.25	99.89	एल एस	12 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 17.04.2009	78.62	5 चल देयक 156/ 31.3.2012	अपूर्ण	₹ 1100 प्रतिदिन 10 प्रतिशत सीमा के साथ	9.99
3	रा वाटर एण्ड क्लीयर वाटर पम्पिंग मेन	18 डी एल / 2007-08, 1555/11.07.2007	मे. बंसल बारवेल्स	487.00	662.07	(+) 35.95 प्रतिशत	12 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 11.07.2008, 10.10.2008 (पुनरीक्षित)	532.14	10 चल देयक, 42/ 27.08.2011	अपूर्ण	1/16 प्रतिशत प्रति सप्ताह 6 प्रतिशत सीमा के साथ	39.72
4	पितियाझर में ओ.एच.टी.	19 डी एल / 2007-08, 1689/3.8.2007	मे. केवल जादवानी	27.50	30.40	एल एस	12 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 02.08.2008	30.40	3 एवं शेष 28.05 2008	पूर्ण	-	-
5	मोहारीभाटा में ओ.एच.टी.	22 डी एल / 2007-08, 1884/27.08.2007	अतुल श्रीवास्तव	26.50	29.50	एल एस	12 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 26.08.2008	29.50	6 चल देयक 61/ 07.12.2009	पूर्ण	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	डिस्ट्रीब्युशन नेटवर्क जोन-1	17 डी एल / 2009-10, 2722/3.9.2009	मे. लक्ष्मी सिविल इंजिनियरिंग	35.69	67.20	(+) 88.30 प्रतिशत	8 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 03.05.2010	56.56	2 चल देयक, 5/ 02.11.10	अपूर्ण	1/16 प्रतिशत प्रति सप्ताह 6 प्रतिशत सीमा के साथ	4.03
7	डिस्ट्रीब्युशन नेटवर्क जोन-2	75 डी एल / 2008-09, 911/2.3.2009	मे. लक्ष्मी सिविल इंजिनियरिंग	130.11	268.42	(+) 106.30 प्रतिशत	11 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 02.02.2010	154.37	4 चल देयक, 06/ 02.11.2010	अपूर्ण	1/16 प्रतिशत प्रति सप्ताह 6 प्रतिशत सीमा के साथ	16.11
8	डिस्ट्रीब्युशन नेटवर्क जोन-3	76 डी एल /2008-09 915/2.3.2009	मे. लक्ष्मी सिविल इंजिनियरिंग	122.76	253.25	(+) 106.30 प्रतिशत	11 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 02.02.2010	269.18	4 चल देयक, 4/ 03.11.2010	अपूर्ण	1/16 प्रतिशत प्रति सप्ताह 6 प्रतिशत सीमा के साथ	15.20
9	डिस्ट्रीब्युशन नेटवर्क जोन-4	77 डी एल / 2008-09, 918/2.3.2009	मे. लक्ष्मी सिविल इंजिनियरिंग	137.32	283.08	(+) 106.30 प्रतिशत	11 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 02.02.2010	232.16	4 चल देयक	अपूर्ण	1/16 प्रतिशत प्रति सप्ताह 6 प्रतिशत सीमा के साथ	16.98
		योग										125.32
रायपुर: बीरगाँव डब्लू.एस.एस.												
1	इंटेकवेल एवं वाटर ट्रिटमेंट प्लांट	140 डी एल /2007-08, 5470/7.12.2007	मे. एस.के. बनर्जी, नागपुर	262.49	370.00	एल एस	12 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 23.03.2009	348.81	10 चल देयक 59/ 16.06.11	अपूर्ण	₹ 2500 प्रतिदिन 10 प्रतिशत सीमा के साथ	30.65
2	रा वाटर एण्ड क्लीयर वाटर पम्पस्	23 डी एल /2009-10, 2844/08.07.2009	मे. लक्ष्मी सिविल इंजिनियरिंग, नागपुर	93.41	155.00	एल एस	12 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 07.07.2010	132.53	2 चल देयक 219/ 31.3.2011	अपूर्ण	₹ 1100 प्रतिदिन 10 प्रतिशत सीमा के साथ	8.31
3	ओ.एच.टी. बीरगाँव	153 डी एल / 2007-08, 5685/27.12.2007	मे. दुबे गोयल एण्ड कं. रायपुर	75.00	91.49	एल एस	10 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 27.10.2008	82.34	3 चल देयक 214/ 24.10.2011	अपूर्ण	₹ 750 प्रतिदिन 10 प्रतिशत सीमा के साथ	9.15
4	ओ.एच.टी. उरला	145 डी एल / 2007-08, 5578/17.12.2007	मे. एस.के. कंस्ट्रक्शन, जबलपुर	42.50	46.58	एल एस	08 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 16.08.2008	46.58	4 चल तथा शेष 75/ 10.8.2011	पूर्ण	₹ 500 प्रतिदिन 10 प्रतिशत सीमा के साथ	4.66
5	ओ.एच.टी. उरकुरा	149 डी एल / 2007-08, 5621/20.12.2007	मे. महेश्वर विल्डर्स	27.00	29.10	एल एस	08 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 19.08.2008	29.10	3 चल तथा शेष 94/ 31.7.2009	पूर्ण	₹ 300 प्रतिदिन 10 प्रतिशत सीमा के साथ	1.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	ओ.एच.टी. अछोली	137 डी एल /2007-08, 5393/3.12.2007	मे. पूजा कंस्ट्रक्शन	30.00	31.80	एल एस	08 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 02.08.2008	28.62	5 चल देयक 93/ 18.05.2009	अपूर्ण	₹ 300 प्रतिदिन 10 प्रतिशत सीमा के साथ	3.18
7	ओ.एच.टी. रावणभाटा	150 डी एल / 2007-08, 5650/ 24.12.2007	मे. डी.डी. सिंघल, भिलाई	33.00	35.11	एल एस	08 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 24.12.2008	35.11	4 चल तथा शेष 236/ 31.7.2009	पूर्ण	₹ 300 प्रतिदिन 10 प्रतिशत सीमा के साथ	0.66
8	रा वाटर एण्ड क्लीयर वाटर मेन	113 डी एल /2007-08, 4889/ 16.10.2007	मे. लक्ष्मी सिविल इंजिनियरिंग, नागपुर	369.57	499.66	(+) 35.20 प्रतिशत	12 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 16.10.2008	513.55	4 चल देयक 76/12.08.11	अपूर्ण	1/16 प्रतिशत प्रति सप्ताह 6 प्रतिशत सीमा के साथ	29.98
9	डिस्ट्रीब्युसन जोन-7 सरोरा	170 डी एल /2008-09, 5366/ 24.09.2008	मे. टेक्नो डिलर्स, रायपुर	53.59	115.64	(+) 117 प्रतिशत	15 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 15.01.2010	115.99	5 चल तथा शेष 104/ 27.03.2010	पूर्ण	1/16 प्रतिशत प्रति सप्ताह 6 प्रतिशत सीमा के साथ	0.73
10	डिस्ट्रीब्युसन जोन-4 उरकुरा	333 डी एल /2008-09, 991/ 28.02.2009	मे. लक्ष्मी सिविल इंजिनियरिंग, नागपुर	76.46	173.56	(+) 127 प्रतिशत	15 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 27.06.2010	170.46	5 चल तथा शेष 77/ 12.08.11	पूर्ण	1/16 प्रतिशत प्रति सप्ताह 6 प्रतिशत सीमा के साथ	6.37
11	डिस्ट्रीब्युसन जोन-2 बीरगाँव	334 डी एल /2008-09, 993/ 28.02.2009	मे. लक्ष्मी सिविल इंजिनियरिंग, नागपुर	169.82	385.49	(+) 127 प्रतिशत	18 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 27.09.2010	394.14	3 चल देयक 105/ 29.08.11	अपूर्ण	1/16 प्रतिशत प्रति सप्ताह 6 प्रतिशत सीमा के साथ	23.13
12	डिस्ट्रीब्युसन जोन-1 बीरगाँव	335 डी एल /2008-09, 995/ 28.02.2009	मे. भरतेश परमार, रायपुर	29.94	67.07	(+) 124 प्रतिशत	15 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 27.09.2010	55.79	3 चल देयक 161/ 27.03.10	अपूर्ण	1/16 प्रतिशत प्रति सप्ताह 6 प्रतिशत सीमा के साथ	4.02
13	डिस्ट्रीब्युसन जोन-3 उरला	336 डी एल //2008-09, 996/ 28.02.2009	मे. भरतेश परमार, रायपुर	70.94	158.91	(+) 124 प्रतिशत	15 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 27.09.2010	143.61	6 चल तथा शेष 118/ 30.08.11	पूर्ण	1/16 प्रतिशत प्रति सप्ताह 6 प्रतिशत सीमा के साथ	4.78
14	डिस्ट्रीब्युसन जोन-6 रावणभाटा	337 डी एल /2008-09, 997/ 28.02.2009	मे. भरतेश परमार, रायपुर	83.42	188.53	(+) 126 प्रतिशत	15 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 27.09.2010	154.98	7 चल तथा शेष 75/ 03.10.11	पूर्ण	1/16 प्रतिशत प्रति सप्ताह 6 प्रतिशत सीमा के साथ	6.25
15	डिस्ट्रीब्युसन जोन-5 अछोली	263 डी एल / 2008-09, 5429/ 19.12.2008	मे. टेक्नो डिलर्स, रायपुर	52.12	122.48	(+) 135 प्रतिशत	12 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 18.04.2009	111.45	5 चल तथा शेष 57/ 5.12.11	पूर्ण	1/16 प्रतिशत प्रति सप्ताह 6 प्रतिशत सीमा के साथ	4.75
		योग										137.66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
रायपुर: कसडोल डब्लू.एस.एस.												
1	इंटेकवेल एवं वाटर ट्रिटमेंट प्लांट	63 डी एल /2009-10, 3938/16.11.2009	मे. सर्वा पुर्ता कंस्ट्रक्शन, कोलकता	75.00	143.00	एल एस	12 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 15.11.2009	118.84	7 चल देयक, 38/ 10.01.12	अपूर्ण	₹ 75000 प्रतिदिन 10 प्रतिशत सीमा के साथ	14.30
2	ओ.एच.टी.	36 डी एल / 2009-10, 3364/01.09.2009	मे. टेक्नों डिलर्स, रायपुर	32.24	35.79	एल एस	06 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् .01.03.2010	35.79	3 चल तथा शेष 18/ 08.02.2011	पूर्ण	₹ 200 प्रतिदिन 10 प्रतिशत सीमाके साथ	0.69
3	डिस्ट्रीब्युशन जोन-1	42 डी एल /2009-10, 3618/ 12.10.2009	में तिरूमति कन्सट्रक्शन रायपुर	43.25	89.96	(+) 107.80 प्रतिशत	09 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 11.06.2010	73.77	3 चल देयक 11/ 7.02.2012	अपूर्ण	1/16 प्रतिशत प्रति सप्ताह 6 प्रतिशत सीमा के साथ	5.40
4	डिस्ट्रीब्युसन जोन-2	41 डी एल //2009-10, 3620/ 12.09.2009	में तिरूमति कन्सट्रक्शन रायपुर	117.46	229.05	(+) 94.80 प्रतिशत	09 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 11.05.2010	183.29	6 चल देयक 335/ 25.10.11	अपूर्ण	1/16 प्रतिशत प्रति सप्ताह 6 प्रतिशत सीमा के साथ	13.74
		योग										**34.13**
		महायोग										**801.13**

परिशिष्ट 3.2.7

(संदर्भ कंडिका 3.2.8.2(ब); पृष्ठ क्र. 172)

ठेकेदारो के देयको से टेस्टींग राशि की कटौती नहीं किये जाने को दर्शाने वाला पत्रक

(₹ लाख में)

स.क्र.	कार्य का नाम	अनुबन्ध क्र. एवं कार्यादेश क्र./दिनांक	ठेकेदार का नाम	पी.ए.सी.	राशि	एल एस/+/-/%	पूर्ण करने हेतु समयावधि	अद्यतन भुगतान की राशि	चलित देयक क्रं./प्रमाणक क्रं.	कटौती योग्य राशि	कटौती राशि	कम कटौती की राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
अम्बिकापुर : अम्बिकापुर डब्लू.एस.एस												
1	ग्रेविटी मेन 6000 मी. एवं कलेक्टींग वेल	15 डी.एल/011-12, 2408/ 31.05.2011	मे. बलराम दास, **अम्बिकापुर**	268.50	392.01	एल.एस	12माह वर्षा ऋतु छोड़कर	200.34	चतुर्थ चलित देयक 114/ 30.06.12	20.03	9.01	11.02
2	डब्लू.टी.पी.5.50 एम.एल.डी. एवं कलेक्टींग वेल	124 डी.एल/ 2008-09, 6444/ 31.12.2008	मे. सर्बा पूर्ता, कोलकता	71.25	129.98	एल.एस	9 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात 15.02.2010	129.98	नौवॉ एवं अन्तिम 230/ 30.03.12	13.00	5.93	7.07
3	डिस्ट्रीब्यूशन जोन 1 से 5	32 डी.एल/ 2009-10, 2203/ 11.06.2009	मे. बलराम दास, **अम्बिकापुर**	153.27	320.15	(+)108.88 प्रतिशत	12माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात 11.02.2010	345.96	नौवॉ एवं अन्तिम 02/ 06.06.11	34.60	0.00	34.60
4	डिस्ट्रीब्यूशन जोन 6 से (अ)	29 डी.एल/ 2009-10, 2186/ 11.06.2009	मे. सर्बा पूर्ता, कोलकता	82.57	178.35	(+) 116 प्रतिशत	12माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात 11.02.2010	177.10	षष्टम एवं अन्तिम 57/ 18.10.11	17.71	0.00	17.71
5	डिस्ट्रीब्यूशन जोन 6 से (ब)	33 डी.एल/ 2009-10, 2205/ 11.06.2009	मे. राजेन्द्र कुमार पोद्दार	140.19	303.67	(+) 116.40 प्रतिशत	12माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात 11.02.2010	299.47	षष्टम एवं अन्तिम 256/ 31.03.12	29.95	0.00	29.95
6	डिस्ट्रीब्यूशन एवं राइजिंग मेन जोन 7	13 डी.एल/ 2008-09, 2794/ 16.04.2008	मे. सर्बा पूर्ता, कोलकता	207.25	360.62	(+) 74.00 प्रतिशत	9 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात 15.05.2009	296.08	आठवॉ एवं अन्तिम 80/ 24.11.10	29.61	0.00	29.61

7	डिस्ट्रीब्यूशन जोन 8	14 डी.एल/ 2008-09, 2796/ 16.04.2008	मे. राजेन्द्र कुमार पोद्दार	125.46	219.30	(+) 74.80 प्रतिशत	9 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात 15.04.2009	165.88	पंचम एवं अन्तिम 26/ 26.05.11	16.59	2.31	14.28
8	डिस्ट्रीब्यूशन जोन 9	15 डी.एल/ 2008-09, 2798/ 16.04.2009	मे. सर्बा पूर्ता, कोलकता	131.77	229.54	(+) 74.20 प्रतिशत	9 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात 15.05.2009	181.07	आठवॉ एवं अन्तिम 67/30.03.11	18.11	0.00	18.11
9	डिस्ट्रीब्यूशन 200-100 एम.एम. 14150 एम.एम	65 डी.एल/ 2010-11, 450/ 27.01.2011	मे. टेक्नो ड्रिलर्स, रायपुर	132.51	176.64	(+) 33.30 प्रतिशत	4 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात 26.05.2011	176.05	पंचम एवं अन्तिम 50/ 26.06.12	17.60	0.00	17.60
	योग			**1312.77**				**1971.93**				**179.94**
अम्बिकापुर : सीतापुर डब्लू.एस.एस.												
1	इन्टेक वेल एवं जैक वेल पम्प हाउस डब्लू.टी.पी. 1.40 एम.एल.डी एवं पम्प	30 डी.एल/ 2009-10, 2189/ 11.06.2009	मे. सर्बा पूर्ता, कोलकता	188.50	224.00	एल.एस	12 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात 11.02.2011	119.74	आठवाँ देयक 229/ 30.03.12	11.97	2.98	8.99
2	रॉव वाटर एवं क्लीयर वाटर	34 डी.एल/ 2009-10, 2591/ 04.07.2009	श्रीमती उर्मिला दीक्षित, अम्बिकापुर	66.04	134.72	(+) 103.8 प्रतिशत	12माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात 15.02.2011	130.63	सप्तम चलित देयक 55/ 30.03.11	13.06	0.20	12.86
3	डिस्ट्रीब्यूशन जोन 1	163 डी.एल/ 2009-10, 961/ 26.02.2009	श्रीमती उर्मिला दीक्षित, अम्बिकापुर	19.59	26.20	(+) 33.75 प्रतिशत	4 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात 26.10.2009	16.61	पंचम एवं अन्तिम 49/30.03.11	1.66	0.00	1.66
4	डिस्ट्रीब्यूशन जोन 2	164 डी.एल/ 2009-10, 963/ 26.02.2009	श्रीमती उर्मिला दीक्षित, अम्बिकापुर	19.04	25.49	(+) 33.89 प्रतिशत	4 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात 26.10.2009	17.00	पंचम एवं अन्तिम 50/ 30.03.11	1.70	0.00	1.70
5	डिस्ट्रीब्यूशन जोन 3	165 डी.एल/ 2009-10, 965/ 26.02.2009	श्रीमती उर्मिला दीक्षित, अम्बिकापुर	15.27	20.31	(+) 32.98 प्रतिशत	4 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात 26.10.2009	13.93	पंचम एवं अन्तिम 51/ 30.03.11	1.39	0.00	1.39
6	डिस्ट्रीब्यूशन जोन 4	166 डी.एल/ 2009-10, 967/ 26.02.2009	श्रीमती उर्मिला दीक्षित, अम्बिकापुर	13.47	18.32	(+) 35.98 प्रतिशत	4 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात 26.10.2009	12.93	पंचम एवं अन्तिम 52/ 30.03.11	1.29	0.00	1.29
	योग											**27.90**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
बिलासपुर : मुंगेली आवर्धन डब्लू. एस. एस												
1	पम्पिंग मेन एवं डिस्ट्रीब्यूशन जोन I	45 डी.एल/ 2009-10, 1653/ 19.05.2009	मे. सुनील कुमार जजोदिया, बिलासपुर	42.61	91.61	(+) 115 प्रतिशत	06 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात 18.11.2009	98.12	पंचम एवं अन्तिम 72डी.एल./ 29.02.2012	9.81	0.00	9.81
2	पम्पिंग मेन एवं डिस्ट्रीब्यूशन जोन II	27 डी.एल/ 2010-11, 2326/ 08.10.2010	में नागेन्द्र कुमार पाण्डेय, बिलासपुर	122.77	210.55	(+) 71.50 प्रतिशत	11 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात 07.09.2010	101.67	तृतिय चलित देयक 50/ 23.11.2011	10.17	0.00	10.17
3	पम्पिंग मेन एवं डिस्ट्रीब्यूशन जोन III	47 डी.एल/ 2009-10, 1657/ 19.05.2009	में नागेन्द्र कुमार पाण्डेय, बिलासपुर	59.86	128.40	(+) 115 प्रतिशत	07 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात 18.12.2009	140.12	तृतिय चलित देयक 202/ 26.11.2010	14.01	0.00	14.01
	योग											**33.99**
दंतेवाडा : दंतेवाडा डब्लू.एस.एस												
1	रॉ वाटर पम्पिंग मेन	43 डी.एल/ 2008-09 , 70/ 13.01.2009	मे. बी.आर. सिंह भदौरिया	6.36	17.17	(+) 170 प्रतिशत	6 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात 12.07.2009	18.99	तृतिय एवं अंतिम 44/ 31.07.10	1.90	0.93	0.97
2	इन्टेक वेल कम पम्प हाउस 1.04 एम.एल.डी डब्लू.टी.पी., ओ .एच.अ 250 कि.लो.तथा रॉ वाटर एवं क्लीयर वाटर पम्प	74 डी.एल/ 2007-08 , 4034/ 04.12.2007	मे. बी.आर. सिंह भदौरिया	106.90	175.30	एल एस	12 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात 03.04.2009	166.69	अठारहवाँ चलित देयक 21/ 14.07.10	16.67	10.69	5.98
3	क्लीयर वाटर पम्पींग मेन	42 डी.एल/ 2008-09, 68/ 13.01.2009	मे. बी.आर. सिंह भदौरिया	15.39	41.55	(+) 170 प्रतिशत	6 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात 12.07.2009	46.82	पंचम एवं अंतिम 43/ 31.07.10	4.68	2.27	2.41
4	डिस्ट्रीब्यूशन	38 डी.एल/ 2010-11, 01/ 01.01.2011	श्री रूपेश कुमार झा	99.14	137.14	(+) 38.33 प्रतिशत	6 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात 30.06.2011	127.59	चतुर्थ चलित देयक 27/ 30.12.2011	12.76	0.00	12.76
	योग											**22.12**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
दंतेवाडा : बडे बछेली डब्लू एस. एस.												
1	डिस्ट्रीब्यूशन	51डी.एल/ 2009-10, 331/ 18.02.2010	मे. टेक्नो ड्रिलर्स, रायपुर	76.27	141.09	(+) 85 प्रतिशत	6 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात 17.08.2010	185.57	पंचम चलित देयक 39/ 28.02.2012	18.56	0.00	18.56
	योग											**18.56**
धमतरी : धमतरी डब्लु.एस.एस												
1	वाटर ट्रीटमेंट प्लांट	47 डी.एल/ 2007-08, 2999/ 27.12.2007	मे. लक्ष्मी सिविल इंजीनियरिंग	162.30	230.00	एल एस	16 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात 27.04.2009	193.66	षष्टम चलित देयक 17/डी.आई 27.12.2011	19.37	3.87	15.50
2	आर.सी.सी. सम्पवेल एवं पम्प हाउस	53 डी.एल/ 2010-11, 583/ 11.03.2011	मे. सुनील कुमार गुप्ता	35.55	30.11	(-) 15.30 प्रतिशत	12 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात 10.03.12	22.87	प्रथम चलित देयक 18/ 31.12.2011	2.29	0.00	2.29
3	रा वाटर एवं क्लीयर वाटर मेन	44 डी.एल/ 2007-08, 2551/3.11.2007	मे. गोकुल कृष्णा कंस्ट्रेक्शन	319.16	405.35	(+) 27 प्रतिशत	12 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात 03.11.2008	373.18	चॉदहवा चलित देयक 7/डी.आई 16.9.2009	37.32	0.00	37.32
4	ड्रिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जोन I/II	14 डी.एल/ 2009-10, 1675/5.6.2009	श्री बंसल वोरवेल्स	61.87	131.01	(+) 111.75 प्रतिशत	12 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात 05.06.2010	93.76	चतुर्थ चलित देयक 32/डी.आई 15.11.2010	9.38	0.00	9.38
5	जोन III में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क	230 डी.एल/ 2008-09, 784/24.2.2009	मे. लक्ष्मी सिविल इंजीनियरिंग	127.84	273.45	(+) 114.5 प्रतिशत	12 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात 24.02.2010	243.68	तृतिय चलित देयक 23/ डी.एल., 11.2.2010	24.37	0.00	24.37
6	IV में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क	231 डी.एल/ 2008-09, 786/25.2.2009	मे. लक्ष्मी सिविल इंजीनियरिंग	98.61	209.55	(+) 112.5 प्रतिशत	12 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात 24.02.2010	156.90	तृतिय चलित देयक 36/ डी.एल., 15.11.2010	15.69	0.00	15.69
7	जोन V में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क	229 डी.एल/ 2008-09, 781/24.2.2009	मे. लक्ष्मी सिविल इंजीनियरिंग	77.49	155.50	(+) 114.5 प्रतिशत	12 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात 24.02.2010	97.36	चतुर्थ चलित देयक 35 डी.एल. / 15.11.10	9.74	0.00	9.74
8	जोन VI में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क	233 डी.एल/ 2008-09, 789/25.2.2009	मे. लक्ष्मी सिविल इंजीनियरिंग	127.81	272.87	(+)113.5 प्रतिशत	12 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात 24.02.2010	266.92	चतुर्थ चलित देयक 85डी.एल./ 31.03.2011	26.69	0.00	26.69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	जोन VII में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क	232 डी.एल/ 2008-09, 787/25.2.2009	मे. लक्ष्मी सिविल इंजीनियरिंग	100.01	214.02	(+) 114 प्रतिशत	12 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात 24.02.2010	189.16	चतुर्थ चलित देयक 37/ डी.आई 15.11.2010	18.92	0.00	18.92
	योग											**159.88**
जांजगीर चांपा : चांपा डब्लू.एस.एस												
1	इन्टेक वेल एवं डब्लू टी.पी.	13 डी.एल/ 2009-10, 2281/ 26.05.2009	मे. एनवायरन इंजीनियरिंग नई दिल्ली	131.00	240.00	एल एस	12 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात 25.05.2010	177.86	45/ई जे 31.03.2012	17.79	5.60	12.19
2	रॉ वाटर एवं क्लीयर वाटर पम्पिंग मेन	31 डी.एल/ 2009-10, 2758/ 18.06.2009	मे. एनवायरन इंजीनियरिंग नई दिल्ली	105.82	217.99	(+) 106 प्रतिशत	11 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात 17.05.2010	142.94	05/डी.एल. 29.02.2012	14.29	0.00	14.29
	योग											**26.48**
कवर्धा : कवर्धा डब्लू.एस.एस												
1	कैनल इंटेक, डब्लू.टी.पी, रॉ एवं क्लीयर वाटर ग्रेविटी मेन	28 डी.एल/ 2007-08, 2620/ 14.09.2007	मे. मनीश पाईप लि., रायपुर	690.00	769.00	एल एस	12 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात 13.02.2009	749.56	ग्यारहवॉ चलित देयक 02/ डी.आई 7.12.2009	74.96	31.11	43.85
2	आर.सी.सी. ओ .एच.टी. एंव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क	29 डी.एल/ 2007-08, 2653/ 21.09.2007	मे. लक्ष्मी सिविल इंजीनियरिंग	529.00	694.00	एल एस	12 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात. 20.02.2009	693.46	आठवॉ एवं अन्तिम 02/ डी.आई 4.11.2009	69.35	30.24	39.11
	योग											**82.95**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कवर्धा: सकरी नदी में प्रदूषण रोकथाम हेतु सलेज , कंबेंस ट्रीटमेंट एव डिस्पोसल योजना												
1	सलेज कन्वेन्स, ट्रीटमेंट एवं डिस्पोसल योजना	03 डी.एल/ 2009-10, 1830/ 22.05.2009	मे. लक्ष्मी सिविल इंजीनियरिंग	346.50	532.00	एल एस	12 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात 21.01.2011	173.37	द्वितीय चलित देयक 08/डी.आई 22.03.2012	17.34	8.67	8.67
	योग											**8.67**
कोरिया : मनेन्द्रगढ़ डब्लू.एस.एस.												
1	रा वाटर पम्पिंग मेन	07 डी.एल/ 2008-09, 1666/ 08.04.2008	मे. महामाया कन्स., रायपुर	24.43	40.79	(+) 66.95 प्रतिशत	6 माह वर्षा ऋतु छोड़कर	32.50	उपलब्ध नहीं	3.25	0.00	3.25
	रा वाटर पम्पिंग मेन शेष कार्य	29 डी.एल/ 2011-12, 1184/ 10.05.2011	मे. भारतेश परमार, रायपुर	11.20	16.69	49.99 प्रतिशत	3 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात 09.08.2011	33.50	द्वितीय चलित देयक 55/ 28.02.12	3.35	0.00	3.35
2	डब्लू टी पी एवं क्लीयर वाटर पम्प	43 डी.एल/ 2008-09, 4499/ 31.12.2008	मे. सर्वा पूर्ती कन्स., कोलकता	84.70	130.00	एल एस	12 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात. 30.04.2010	107.77	बारहवॉ चलित देयक 21/ 23.02.12	10.78	1.34	9.44
3	क्लीयर वाटर पम्पिंग मेन	06 डी.एल/ /2008-09, 1656/ 07.04.2008	मे. श्रीमती उर्मिला दीक्षित, अम्बिकापुर	52.58	87.81	(+) 66.99 प्रतिशत	6 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात 06.02.2009	100.07	षष्ठ चलित देयक 139/ 31.03.12	10.01	0.00	10.01
4	ड्रिस्ट्रीब्यूशन जोन II अ	09 डी.एल/ 2008-09, 1671 दिनांक 08.04.2008	मे. एम.पी.गुप्ता बैकन्उपुर	83.33	72.54	(+) 74.10 प्रतिशत	8 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात 07.06.2009	28.48	तृतिय चलित देयक 17/ 16.08.10	2.85	0.00	2.85
5	ड्रिस्ट्रीब्यूशन जोन II ब	05 डी.एल/ 2008-09, 1654/ 07.04.2008	मे. राजेन्द्र कुमार पोद्दार		72.53	(+) 74.10 प्रतिशत	8 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात 06.06.2009	71.81	द्वितीय चलित देयक 132/ 26.09.09	7.18	0.00	7.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	ड्रिस्ट्रीब्यूशन जोन III	08 डी.एल/ 2008-09, 1669/ 08.04.2008	मे. राजेन्द्र कुमार पोद्दार	99.54	173.95	(+) 74.74 प्रतिशत	8 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात 07.06.2009	139.01	तृतिय चलित देयक 132/ 26.09.09	13.90	0.00	13.90
योग												**49.97**
महासमुंद : महासमुंद डब्लु एस.एस												
1	इन्टेकवल जैकटेल एवं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट	34 डी.एल/ 2007-08, 2581/23.11.2007	मे. मनीष पाईपस्	210.00	269.00	एल एस	16 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात 23.03.2009	244.73	नवंम चलित देयक 155/ 31.03.2012	24.47	9.79	14.68
2	रा वाटर एवं क्लीयर वाटर पम्पस एवं सब स्टेशन	01 डी.एल/ 2008-09, 793/17.04.2008	मे. एशियाटिक ट्रेडर्स	87.25	99.89	एल एस	12 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात 17.04.2009	78.62	पंचम चलित देयक 156/ 31.3.2012	7.86	0.00	7.86
3	रा वाटर एवं क्लीपर वाटर पम्पिंग मे	18 डी.एल/ 2007-08, 1555/11.07.2007	मे. बंसल बोरवेलस, रायपुर	487.00	662.07	(+) 35.95 प्रतिशत	12 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात 11.07.2008, 10.10.2008 (पुनरीक्षित)	532.14	दशम् चलित देयक 42/ 27.08.2011	53.21	0.00	53.21
4	जोन 1 में ड्रिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क	17 डी.एल/ 2009-10, 2722/3.9.2009	मे. लक्ष्मी सिविल इंजिनियरिग	35.69	67.20	(+) 88.30 प्रतिशत	8 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात, 03.05.2010	56.56	द्वितीय चलित देयक 5/ 02.11.10	5.66	0.00	5.66
5	जोन 2 में ड्रिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क	75 डी.एल/ 2008-09, 911/2.3.2009	मे. लक्ष्मी सिविल इंजिनियरिग	130.11	268.42	(+) 106.30 प्रतिशत	11 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात 02.02.2010	154.37	चतुर्थ चलित देयक 06/ 02.11.2010	15.44	0.00	15.44
6	जोन 3 में ड्रिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क	76 डी.एल/ 2008-09 915/2.3.2009	मे. लक्ष्मी सिविल इंजिनियरिग	122.76	253.25	(+) 106.30 प्रतिशत	11 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात 02.02.2010	269.18	चतुर्थ चलित देयक 4/ 03.11.2010	26.92	0.00	26.92
7	जोन 4 में ड्रिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क	77 डी.एल/ 2008-09, 918/2.3.2009	मे. लक्ष्मी सिविल इंजिनियरिग	137.32	283.08	(+) 106.30 प्रतिशत	11 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात 02.02.2010	232.16	चतुर्थ चलित देयक	23.22	0.00	23.22
		योग										**146.99**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
रायपुर: बिरगांव डब्लू.एस.एस												
1	इन्टेक वेल एवं वाटर ट्रीटमेन्ट प्लांट	140 डी.एल/ 2007-08, 5470/7.12.2007	मे. एस.के. बनर्जी, नागपुर	262.49	370.00	एल एस	12 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात 23.03.2009	348.81	दशम चलित देयक 59/ 16.06.11	34.88	7.89	26.99
2	रा वाटर एवं क्लीपर वाटर पम्पस	23 डी.एल/ 2009-10, 2844/08.07.2009	मे. लक्ष्मी सिविल इंजिनियरिग	93.41	155.00	एल एस	12 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात 07.07.2010	132.53	द्वितीय चलित देयक 219/ 31.3.2011	13.25	6.63	6.62
3	रा वाटर एवं क्लीपर वाटर मेन्स	113 डी.एल/ 2007-08, 4889/ 16.10.2007	मे. लक्ष्मी सिविल इंजिनियरिग	369.57	499.66	(+) 35.20 प्रतिशत	12 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात 16.10.2008	513.55	द्वितीय चलित देयक, 76/12.08.11	51.36	25.68	25.68
4	डिस्ट्रीब्युशन जोन 7-सरोरा	170 डी.एल/ 2008-09, 5366/ 24.09.2008	मे. टेक्नो ड्रिलर्स, रायपुर	53.59	115.64	(+) 117 प्रतिशत	15 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात 15.01.2010	115.99	पंचम एवं अन्तिम 104/ 27.03.2010	11.60	7.44	4.16
5	डिस्ट्रीब्युशन जोन 4-उरकुरा	333 डी.एल/ 2008-09, 991/ 28.02.2009	मे. लक्ष्मी सिविल इंजिनियरिग	76.46	173.56	(+) 127 प्रतिशत	15 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात 27.06.2010	170.46	पंचम एवं अन्तिम 77/ 12.08.11	17.05	7.47	9.58
6	डिस्ट्रीब्युशन जोन 2-वीरगांव सिटी	334 डी.एल/ 2008-09, 993/ 28.02.2009	मे. लक्ष्मी सिविल इंजिनियरिग	169.82	385.49	(+) 127 प्रतिशत	18 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात 27.09.2010	394.14	तृतीय चलित देयक 105/ 29.08.11	39.41	19.70	19.71
7	डिस्ट्रीब्युशन जोन -1 बीरगांव	335 डी.एल/ 2008-09, 995/ 28.02.2009	श्री भारतेश परमार, रायपुर	29.94	67.07	(+) 124 प्रतिशत	15 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात 27.09.2010	55.79	तृतीय चलित देयक 161/ 27.03.10	5.58	2.79	2.79
8	डिस्ट्रीब्युशन जोन 3-उरला	336 डी.एल/ 2008-09, 996/ 28.02.2009	श्री भारतेश परमार, रायपुर	70.94	158.91	(+) 124 प्रतिशत	15 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात 27.09.2010	143.61	षष्ठम एवं अन्तिम 118/ 30.08.11	14.36	7.02	7.34
9	डिस्ट्रीब्युशन जोन 6-रावणभाटा	337 डी.एल/ 2008-09, 997/ 28.02.2009	श्री भारतेश परमार, रायपुर	83.42	188.53	(+) 126 प्रतिशत	15 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात 27.09.2010	154.98	सप्तम एवं अन्तिम 75/ 03.10.11	15.50	7.43	8.07
10	डिस्ट्रीब्युशन जोन 5-अछोती	263 डी.एल/ 2008-09, 5429/ 19.12.2008	मे. टेक्नो ड्रिलर्स, रायपुर	52.12	122.48	(+) 135 प्रतिशत	12 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात 18.04.2009	111.45	पंचम एवं अन्तिम 57/ 5.12.11	11.15	5.45	5.70
		योग										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
रायपुरः कसडोल डब्लू एस.एस												
1	इन्टेकवेल एवं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट	63 डी.एल/ 2009-10, 3938/16.11.2009	मे. सर्ना पूर्ता कन्स. प्रा.लि., कोलकता	75.00	143.00	एल एस	12 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात 15.11.2009	118.84	सप्तम एवं अन्तिम 38/ 10.01.12	11.88	3.23	8.65
2	रा वाटर एवं क्लीयर वाटर पम्पिंग मेन	04 डी.एल/ 2009-10, 1652/ 20.05.2009	मे. तिरूमति कन्सट्रक्शन, रायपुर	75.91	158.65	(+) 109 प्रतिशत	09 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात 19.02.2010	156.85	चतुर्थ एवं अन्तिम 8डी.एल./ 4.12.09	15.69	7.16	8.53
3	डिस्ट्रीब्यूशन जोन 1	42 डी.एल/ 2009-10, 3618/ 12.10.2009	मे. तिरूमति कन्सट्रक्शन, रायपुर	43.25	89.96	(+) 107.80 प्रतिशत	09 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात 11.06.2010	73.77	तृतीय चलित देयक 11/ 7.02.2012	7.38	3.69	3.69
4	डिस्ट्रीब्यूशन जोन 2	41 डी.एल/ 2009-10, 3620/ 12.09.2009	मे. तिरूमति कन्सट्रक्शन, रायपुर	117.46	229.05	(+) 94.80 प्रतिशत	09 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात 11.05.2010	183.29	षष्ठम चलित देयक 335/ 25.10.11	18.33	9.16	9.17
		योग										**30.04**
		महायोग										**904.12**

परिशिष्ट-3.2.8

(संदर्भ कंडिका 3.2.8.2(स); पृष्ठ क्रं. 172)

स्फितिपूर्ण प्राक्कलन बनाने के कारण ₹ 1.72 करोड़ के अधिक लागत को दशाने वाला विवरण पत्रक

(₹लाख में)

स.क्र.	जिला	योजना का नाम	कार्य का नाम	डी.पी.आर. के अनुसार प्राक्कलन	डी पी आर के अनुसार जोड़ा गया मूल्य सूची परिवर्तन	डी.पी.आर. के अनुसार मूल्य सूची में परिवर्तन के साथ	पी.ए.सी. की राशि	निविदा लागत	निविदा प्रतिशत से अधिक/कम	अनुबंध क्रं.	अतिरिक्त लागत
1	महासमुन्द	महारामुंद आवर्धन डब्लू एस एस	इंटेकवेल, जैकवेल एवं 25 मीटर लम्बा आर.सी.सी. फुटब्रिज डब्ल्यू.टी.पी.	175.28	34.50	209.78	210.00	269.00	28.10	34 डीएल/ 2007-08	34.72
2	कवर्धा	कवर्धा आवर्धन डब्लू एस एस	कैनाल इंटेक रा वाटर ग्रेविटी मेंस क्लीयर वाटर मेंस	649.60	30.20	679.80	690.00	769.00	11.45	28 डीएल/ 2007-08	40.40
3			ओ एचटी (550) कि ली एवं डिस्ट्रीव्यूशन सिस्टम	479.57	49.43	529.00	529.00	694.00	31.19	29 डीएल / 2007-08	49.43
4		राकरी नदी में प्रदूषण रोकथाम हेतु सलेज, कन्वेंस, ट्रीटमेंट एवं डिसपोजल योजना	सकरी नदी में प्रदूषण रोकथाम हेतु सलेज, कन्वेंस, ट्रीटमेंट एवं डिसापोजल योजना	305.93	117.88	423.81	346.50	532.00	53.54	03 डीएल / 2009-10	40.57
5	दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा आवर्धन डब्लू एस एस	इंटेकवेल, रा एण्ड क्लीयर वाटर पंपस, डब्ल्यू.टी.पी.ओ .एच. टी (250 कि ली)	99.87	7.03	106.90	106.90	175.30	63.99	74डीएल / 2007-08	7.03
	योग			**1710.25**			**1882.40**				**172.15**

परिशिष्ट-3.2.9

(संदर्भ कंडिका 3.2.8.2 (द); पृष्ठ क्रं. 173)

अनुबंध की शर्तो के अनुसार ब्रेकअप शेडयूल तैयार नही किये जाने को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(₹लाख में)

स. क्र.	कार्य का नाम	अनुबंध क्रं. एवं कार्यादेश क्रं./दिनांक	ठेकेदार का नाम	पी.ए.सी.	अनुबंध लागत	एल एस/+/-/%	पूर्ण करने हेतु समयावधि	अद्यतन भुगतान की राशि	चलित देयक क्रं./प्रमाणक क्रं.	अद्यतन स्थिति	कटौती नही की गयी राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
अम्बिकापुरः अम्बिकापुर डब्लू.एस.एस											
1	ग्रेविटी मेन 6000 में एंव कलेक्टींग वेल	15डीएल/2011-12, 2408/ 31.05.2011	मे. बलराम दास, अम्बिकापुर	268.50	392.01	एल एस	12 माह वर्षा ऋतु छोड़कर	200.34	चतुर्थ चल देयक 114/ 30.06.12	अपूर्ण	20.03
2	डब्लू टी.पी. 5.50एम.एल.डी एण्ड कलेक्टींग वेल	124डीएल / 2008-09, 6444/ 31.12.2008	मे. सार्बा पूर्ता कोलकाता	71.25	129.98	एस एस	9 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 15.02.2010	129.98	नवम चल देयक 230/ 30.03.12	पूर्ण	13.00
3	रा वाटर पम्पस -2 :एंव क्लीयर वाटर पम्पस-5	45डी.एल./2010-11, 292/ 19.01.2011	मे. माना इलेक्ट्रिक एण्ड इंजीनियरिंग सर्विसेस	35.19	33.50	एल एस	6 माह वर्षा ऋतु सहित अर्थात् 18.7.2011	33.50	तृतीय चलित देयक 29.03.2012	पूर्ण	3.35
4	ओ .एच.टी. 540 कि ली	23 डी.एल./ 2008-09, 2871/ 22.04.2008	मे. सार्वा पूर्ता, कोलकाता	32.40	37.50	एल एस	6 माह वर्षा ऋतु छोड़कर 22.02.2009	37.50	षष्ठम चलित देयक 133/29.03.12	पूर्ण	3.75
5	ओ एच टी 510 कि ली 80के एल सम्पवेल	04डी.एल./ 2008-09, 2764/ 16.04.2008	श्री अशोक सिंह, अम्बिकापुर	33.00	39.10	एल एस	6माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 15.02.2009	39.10	तृतीय एवं अंतिम चलित देयक 210/ 29.03.12	पूर्ण	3.91
6	ओ एच टी 400 कि ली	02डी.एल./ 2008-09, 2756/ 16.04.2008	मे. दिनेश कुमार सिंह	26.00	32.10	एल एस	6 माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 15.02.2009	32.10	नवम चलित देयक 169/ 15.03.10	अपूर्ण	3.21
7	ओ एच टी 350 कि ली	95डी.एल./ 2008-09, 5702/ 10.10.2008	मे. मंजु सिंह, अम्बिकापुर	24.50	28.10	एल एस	6माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 15.04.2009	28.10	चतुर्थ एवं अंतिम चलित देयक, 54/24.12.10	पूर्ण	2.81
8	ओ एच टी 300 कि ली	126डी.एल./ 2008-09, 232/ 21.01.2009	मे. दिनेश कुमार सिंह	21.00	24.15	एल एस	6माह वर्षा ऋतु छोड़कर अर्थात् 21.11.2009	24.15	षष्ठम एवं अंतिम चलित देयक, 35/ 15.12.10	अपूर्ण	2.42
	योग										**52.48**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
अम्बिकापुरः सीतापुर डब्लू एस एस											
1	इंटेक वेलएवं जैक वेल, पम्पहाउस, डब्लू टी पी 1.40 एम एल डी एवं पम्पस्	30डी.एल./ 2009-10, 2189/ 11.06.2009	मे. सर्वपूर्ती, कोलकाता	188.50	224.00	एल एस	12माह वर्षा ऋतु छोड़कर 11.02.2011	119.74	अष्ठम चलित देयक, 229/ 30.03.12	अपूर्ण	11.97
2	ओ एच टी 280 कि ली	21डी.एल./ 2009-10, 2041/ 04.06.2009	मे. निर्माण इन्जीनियरिंग, छिंदवाडा	19.80	26.50	एल एस	6माह वर्षा ऋतु छोड़कर 15.04.2010	23.85	सप्तम चलित देयक, 19/ 12.08.11	अपूर्ण	2.39
3	ओ एच टी 120 कि ली	06डी.एल./ 2010-11, 1267/ 23.04.2010	मे. विजेंद्र कुमार प्रसाद,	12.00	13.64	एल एस	6माह वर्षा ऋतु छोड़कर 23.02.2011	13.64	षष्ठम एवं अंतिम चलित देयक, 218/ 29.03.12	पूर्ण	1.36
4	ओ एच टी 80 कि ली	13डी.एल./ 2009-10, 1898/ 27.05.2009	मे. प्रकाश कुमार अग्रवाल	6.40	10.85	एल एस	6 माह वर्षा ऋतु छोड़कर	10.80	तृतीय चलित देयक, 103/ 30.03.11	पूर्ण	1.08
	योग										**16.80**
दन्तेवाडाःदन्तेवाडा डब्लू एस एस											
1	इंटेकवेल एवं पम्प हाउस, 1.04 एमएलडी, डब्लुटीपी, ओएचटी, 250 कि.ली एवं रॉ वाटर एवं क्लीयर पम्पस्	74 डी.एल./ 2007-08, 4034/ 04.12.2007	मे. बी आर सिंह भदौरिया	106.90	175.30	एल एस	12 माह वर्षा ऋतु छोड़कर 03.04.2009	166.69	अठारहवां चलित देयक,. 21/ 14.07.10	अपूर्ण	16.67
	योग										**16.67**
दन्तेवाडाःबड़े बछेली डब्लू एस एस											
1	ओ एच टी 200 कि ली	26डी.एल./ 2010-11, 1748/ 25.09.2010	श्री आर के कपूर, जगदलपुर	20.00	16.50	एल एस	6 माह वर्षा ऋतु छोड़कर 24.03.2011	16.50	तृतीय एवं अंतिम चलित देयक 21/ 31.01.2012	पूर्ण	1.65
2	ओ एच टी 200 कि ली	18डी.एल./2009-10, 1911/ 29.10.2009	रूपेश कुमार झा	20.00	16.99	एल एस	6माह वर्षा ऋतु छोड़कर 28.04.2010	16.99	पंचम एवं अंतिम चलित देयक 09 /05.08.10	पूर्ण	1.70
	योग										**3.35**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
धमतरी:धमतरी डब्लू एस एस											
1	वाटर ट्रीटमेंट प्लांट	47डी.एल./2007-08, 2999/ 27.12.2007	मे. लक्ष्मी सिविल इंजीनियरिंग	162.30	230.00	एल एस	16माह वर्षा ऋतु छोड़कर 27.04.2009	193.66	षष्ठम चलित देयक 17/डी आई 27.12.2011	अपूर्ण	19.37
2	महिमा सागर में ओएचटी	46 डी/2007-08, 2781/3.12.2007	मे. सोल इंजिनियरिंग	49.50	49.98	एल एस	16माह वर्षा ऋतु छोड़कर 03.04.2009	49.98	षष्ठम अंतिम चलित देयक 127/ 20.10.2009	अपूर्ण	5.00
3	इतवारी बाजार में ओएचटी	49डी.एल./ 2007-08, 205/4.1.2008	श्री एन के पांडे	52.25	54.90	एल एस	16माह वर्षा ऋतु छोड़कर 04.05.2010	37.72	-	अपूर्ण	3.77
4	बधना वार्ड में ओएचटी	222डी.एल./ 2008-09, 643/ 20.2.2009	मेंसर्स सोल इंजीनियरिंग	45.00	44.08	एल एस	16माह वर्षा ऋतु छोड़कर 20.06.2010	44.08	षष्ठम एवं अंतिम चलित देयक 15/ 23.12.2011	पूर्ण	4.41
5	गायत्री मंदिर में ओएचटी	62डी.एल./ 2007-08, 696/11.2.2008	श्री सुनील जजेदिया	55.00	56.95	एल एस	16माह वर्षा ऋतु छोड़कर 11.06.2009	19.43	6/ डी एल 12.8.2009	अपूर्ण	1.94
	योग										**34.49**
जांजगीर चांपाः चांपा डब्लु एस एस											
1	इंटेकवेल एवं डब्लुटीपी	13डी.एल./2009-10, 2281/ 26.05.2009	मे. एनवायरेन इन्जीनियर्स लिमिटेड	131.00	240.00	एल एस	12माह वर्षा ऋतु छोड़कर 25.05.2010	177.86	45/ ई जे 31.03.2012	अपूर्ण	17.79
	योग										**17.79**
कवर्धाः कवर्धा डब्लु एस एस											
1	कैनाल इन्टेक, डब्लुटीपी, रॉ एवं क्लीयर वाटर ग्रेविटी मेन	28डी.एल./2007-08, 2620/ 14.09.2007	मे. मनीष पाइप्स्, रायपुर लिमिटेड	690.00	769.00	एल एस	12माह वर्षा ऋतु को छोड़कर 13.02.2009	749.56	ग्यारहवां एवं अंतिम चलित देयक 7.12.2009	अपूर्ण	74.96
2	आर सी सी, ओ एच टी, एवं डिस्ट्रीब्युशन नेटवर्क	29डी.एल./ 2007-08, 2653/ 21.09.2007	मे. लक्ष्मी सिविल इन्जीनियर्स प्रायवेट लिमिटेड	529.00	694.00	एल एस	12माह वर्षा ऋतु छोड़कर 20.02.2009	693.46	अष्ठम एवं अंतिक चलित देयक 4.11.2009	पूर्ण	69.35
	योग										**144.30**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
कवर्धाःसकरी नदी में प्रदुषण रोकथाम हेतु सलेज कन्वेंस ट्रीटमेंट एवं डिस्पोजल योजना											
1	सलेज कंवेंस,ट्रीटमेंट एवं डिरपोसल योजना	03डी.एल./ 2009-10, 1830/ 22.05.2009	मे. लक्ष्मी इंजीनियरिंग प्रायवेट लिमिटेड, नागपुर	346.50	532.00	एल एस	12माह वर्षा ऋतु छोड़कर 21.01.2011	173.37	द्वितीय चलित देय 08/डी आइ 22.03.2012	अपूर्ण	17.34
	योग										**17.34**
कोरियाःमनेन्द्रगढ़ डब्लु एस एस											
1	डब्लु टी पी एवं क्लीयर वाटर पंप	43डी.एल./2008-09, 4499/ 31.12.2008	मे. सर्वापूर्ती कन्शट्रक्शन कंपनी, कोलकाता	84.70	130.00	एल एस	12 माह वर्षा ऋतु छोड़कर 30.04.2010	107.77	बारहवां एवं अंतिम चलित देयक 21/ 23.02.12	अपूर्ण	10.78
2	ओ एच टी 770 कि ली	42डी.एल./2008-09, 4497/ 31.12.2008	मे. सर्वापूर्ती कन्शट्रक्शन कंपनी, कोलकाता	42.35	41.60	एल एस	8माह वर्षा ऋतु छोड़कर 30.12.2009	37.44	पंचम एवं अंतिम चलित देयक 31/ 28.02.11	अपूर्ण	3.74
	योग										**14.52**
महासमुंदः महासमुंद डब्लु एस एस											
1	इंटेक वेल, जैक वेल एवं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट	34डी.एल./ 2007-08, 2581/23.11.2007	मे. मनीष पाईपस्	210.00	269.00	एल एस	16माह वर्षा ऋतु सहित 23.03.2009	244.73	नवम अंतिम चलित देयक 155/ 31.03.2012	अपूर्ण	-
2	रॉ वाटर एवं क्लीयर वाटर पम्पस् एवं सब स्टेशन	01डी.एल./ 2008-09, 793/17.04.2008	मे. एशियाटिक टेडर्स	87.25	99.89	एल एस	12, माह वर्षा ऋतु सहित 17.04.2009	78.62	पंचम एवं अंतिम चलित देयक 156/ 31.3.2012	अपूर्ण	7.86
3	मोहरी भाटा में ओएचटी	19डी.एल./ 2007-08, 1689/3.8.2007	मे. अतुल जादवानी	27.50	30.40	एल एस	12 माह वर्षा ऋतु सहित 02.08.2008	30.40	तृतीय एंव अंतिम चलित देयक 28.05 2008	पूर्ण	3.04
4	मोहरी भाटा में ओएचटी	22डी.एल./ 2007-08, 1884/27.08.2007	अतुल श्रीवास्तव	26.50	29.50	एल एस	12 माह वर्षा ऋतु सहित 26.08.2008	29.50	षष्ठम एवं अंतिक चलित देयक 61/ 07.12.2009	पूर्ण	2.95
		योग									**13.85**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
रायपुरः बीरगांव डब्लु एसएस											
1	इंटेक वेल एवं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट	140डी.एल./ 2007-08, 5470/7.12.2007	मे. एस.के. बनर्जी, नागपुर	262.49	370.00	एल एस	12माह वर्षा ऋतु सहित 23.03.2009	348.81	दशम चलित देयक 59/ 16.06.11	अपूर्ण	34.88
2	रॉ वाटर एवं क्लीयर वाटर पम्पस्	23डी.एल./2009-10, 2844/08.07.2009	मे. लक्ष्मी सिविल इंजीनियरिंग प्रायवेट लिमिटेड	93.41	155.00	एल एस	12माह वर्षा ऋतु सहित 07.07.2010	132.53	द्वितीय चलित देयक 219/ 31.3.2011	अपूर्ण	13.25
3	**बीरगांव** मे ओएचटी	1डी.एल. 2007-08, 5685/27.12.2007	मे. दुबे गोयल एवं कम्पनी, रायपुर	75.00	91.49	एल एस	10माह वर्षा ऋतु छोड़कर 27.10.2008	82.34	तृतीय एवं अंतिम चलित देयक 4/ 24.10.2011	अपूर्ण	-
4	उरला में ओएचटी	145डी.एल./ 2007-08, 5578/17.12.2007	मे. एस के कन्सट्रक्शन	42.50	46.58	एल एस	08माह वर्षा ऋतु छोड़कर 16.08.2008	46.58	चतुर्थ चलित देयक 75/ 10.8.2011	पूर्ण	4.66
5	उरकुरा में ओएचटी	149डी.एल./ 2007-08, 5621/20.12.2007	मे. महेश्वर बिल्डर्स	27.00	29.10	एल एस	08माह वर्षा ऋतु छोड़कर 19.08.2008	29.10	तृतीय चलित देयक 94/ 31.7.2009	पूर्ण	2.91
6	अखोली में ओएचटी	137डी.एल./2007-08, 5393/3.12.2007	मे. पूजी कन्शट्रक्शन	30.00	31.80	एल एस	08माह वर्षा ऋतु छोड़कर 02.08.2008	28.62	पंचम एवं अंतिम चलित देयक 93/ 18.05.2009	अपूर्ण	2.86
7	रावणभाटा मे ओएचटी	150डी.एल./ 2007-08	मे. डीडी रिंघल, भिलाई	33.00		एल एस	08माह वर्षा ऋतु छोड़कर 24.12.2008	35.11	चतुर्थ चलित देयक 236/ 31.7.2009	पूर्ण	2.29
		योग									**60.85**
रायपुरः कसडोल डब्लु एस एस											
1	इंटेक वेल एवं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट	63डी.एल./2009-10, 3938/16.11.2009	मे. सर्वा पूर्ता कन्शट्रक्शन प्रायवेट लिमिटेड, कोलकाता	75.00	143.00	एल एस	12माह वर्षा ऋतु सहित 15.11.2009	118.84	सप्तम चलित देयक 38/ 10.01.12	अपूर्ण	-
2	ओएचटी	36डी.एल./ 2009-10, 3364/01.09.2009	मे. एस के कन्शट्रक्शन, जबलपुर	32.24	35.79	एल एस	06 माह वर्षा ऋतु छोडकर 01.03.2010	35.79	तृतीय चलित देयक 18/08.02.2011	पूर्ण	2.51
		योग									**2.51**
		महायोग									**394.96**

परिशिष्ट-3.2.10

(संदर्भ कंडिका 3.2.8.3 (अ); पृष्ठ क्रं. 175)

पी.डब्लू. एस.एस में ओ.एच.टी. के सम्मिलित करने से अतिरिक्त लागत दर्शाने वाला पत्रक

(₹ लाख में)

स.क्र.	योजना का नाम	जनसंख्या (2001 की जनगणना के अनुसार)	तकनीकी स्वीकृति की राशि	स्वीकृत का क्रं./दिनांक	ओ.एच.टी का लागत	स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
अम्बिकापुर						
1	श्री कोट पी.डब्लू.एस.एस	1361	22.81	28/08-09-2008	6.82	अपूर्ण
2	बस्केपी पी.डब्लू.एस.एस	1715	24.28	27/08-09-2008	9.50	अपूर्ण
3	शाहपुर पी.डब्लू.एस.एस	1177	22.58	29/08-09-2008	6.82	अपूर्ण
4	पचीरा पी.डब्लू.एस.एस	1504	23.71	21/30-07-2008	5.40	अपूर्ण
5	दवाना पी.डब्लू.एस.एस	1727	24.66	11-02-2008	5.60	अपूर्ण
6	कुनकुरी पी.डब्लू.एस.एस	1793	24.99	04/28/05/2008	7.20	अपूर्ण
7	पशुपतिपुर पी.डब्लू.एस.एस	1537	18.68	-	4.40	अपूर्ण
8	खरी पी.डब्लू.एस.एस	1387	24.81	16/30-07-2008	5.40	अपूर्ण
9	खद्दोवा पी.डब्लू.एस.एस	1135	18.10	-	5.92	अपूर्ण
10	करमपुर पी.डब्लू.एस.एस	1887	24.95	46/11-02-2008	6.40	अपूर्ण
11	प्रतापगढ़ पी.डब्लू.एस.एस	1748	24.90	--	6.80	अपूर्ण
12	रामचन्द्रपुर पी.डब्लू.एस.एस	1192	24.73	--	4.25	अपूर्ण
13	कमलपुर पी.डब्लू.एस.एस	1452	22.87	319/15-12-2008	4.79	अपूर्ण
14	नरसिंहपुर पी.डब्लू.एस.एस	1258	21.74	06/04-05-2007	4.50	अपूर्ण
15	सरगुजा पी.डब्लू.एस.एस	1493	41.83	--	10.40	अपूर्ण
बिलासपुर						
1	किरना पी.डब्लू.एस.एस	901	20.07	1166/14-05-2010	7.00	अपूर्ण
2	पसीद पी.डब्लू.एस.एस	688	23.72	--	5.00	अपूर्ण
3	मुरकुटा पी.डब्लू.एस.एस	755	18.00	--	5.00	अपूर्ण
4	इतवा पी.डब्लू.एस.एस	836	-	--	4.00	अपूर्ण
5	जलसो पी.डब्लू.एस.एस	842			4.50	अपूर्ण
दंतेवाडा						
1	कसोली पी.डब्लू.एस.एस	1898	---	---	8.10	अपूर्ण
2	करली पी.डब्लू.एस.एस	1490	----	----	7.20	अपूर्ण
3	हिरानार पी.डब्लू.एस.एस	1568	---		6.00	अपूर्ण
4	केरलापाल पी.डब्लू.एस.एस	1517	---		6.00	अपूर्ण
धमतरी						
1	डोमा पी.डब्लू.एस.एस	1820	18.00	663/26-07-2010	9.90	अपूर्ण
2	खरेंगा पी.डब्लू.एस.एस	1825	18.00	664/26-07-2010	11.00	अपूर्ण
3	बोदरा पी.डब्लू.एस.एस	1734	18.00	07/20-06-2011	10.78	अपूर्ण
4	सिलौटी पी.डब्लू.एस.एस	1661	17.45	1592/25-11-2010	11.00	अपूर्ण
जांजगीर चांपा						
1	बूदेना पी.डब्लू.एस.एस	1685	24.99	60/27-08-08	5.60	अपूर्ण
2	गाउद पी.डब्लू.एस.एस	1890	24.97	11/25-05-2008	4.90	अपूर्ण
3	दहिदा पी.डब्लू.एस.एस	1176	19.65	--	4.00	अपूर्ण
4	कोटगढ़ पी.डब्लू.एस.एस	1754	24.99	79/23-09-2008	8.10	अपूर्ण
5	झरना पी.डब्लू.एस.एस	1439	24.97	54/27-08-08	5.60	अपूर्ण
6	संकर पी.डब्लू.एस.एस	1677	24.99	14/24-05-2008	5.25	अपूर्ण
7	कदरी पी.डब्लू.एस.एस	1364	24.17	--	5.60	अपूर्ण

1	2	3	4	5	6	7
8	रागजा पी.डब्लू.एस.एस	1745	22.94	--	7.20	अपूर्ण
9	थूधी पी.डब्लू.एस.एस		22.21	37/4-07-2008	6.30	अपूर्ण
10	बालपुर पी.डब्लू.एस.एस	1559	24.95	--	6.40	अपूर्ण
11	लखाली पी.डब्लू.एस.एस	1705	24.88	24/03-06-2008	10.00	अपूर्ण
12	कलमी पी.डब्लू.एस.एस	1777	24.96		8.40	अपूर्ण
13	मुक्ता पी.डब्लू.एस.एस	1690	24.63	49/22-08-2008	9.00	अपूर्ण
14	अमलीडिह पी.डब्लू.एस.एस	1025	15.60	39/04-07-2008	6.00	अपूर्ण
15	नगझर पी.डब्लू.एस.एस	1414	23.49	--	8.10	अपूर्ण
कवर्धा						
1	भालपहाड़ी पी.डब्लू.एस.एस	1317	24.95	739/23-04-2010	9.75	अपूर्ण
2	मनिकचौरी पी.डब्लू.एस.एस	1744	22.04	927/28-09-2010	7.80	अपूर्ण
3	बिरेन्द्रनगर पी.डब्लू.एस.एस	1990	24.70	11/30-06-2010	9.60	अपूर्ण
4	बैहरसारी पी.डब्लू.एस.एस	1342	27.42	14/02-05-2011	12.82	अपूर्ण
कोरिया						
1	मदीसराय पी.डब्लू.एस.एस	1423	21.95	--	6.00	अपूर्ण
2	उधनपुर पी.डब्लू.एस.एस	1290	24.28	92/22-12-2008	6.00	अपूर्ण
महासमुन्द्र						
1	घोघोरा पी.डब्लू.एस.एस	1115	40.00	क्र-92/11/34/2/19-10-2011	9.00	अपूर्ण
रायपुर						
1	सकरी पी.डब्लू.एस.एस	1931	18.00	1337/29-08-2011	9.00	अपूर्ण
2	भद्रपाली पी.डब्लू.एस.एस	1359	16.27	914/31-08-2010	7.50	अपूर्ण
3	माहतारा पी.डब्लू.एस.एस	1899	16.00	1329/29-08-2011	9.00	अपूर्ण
4	दतन पी.डब्लू.एस.एस	1735	18.00	1192/9.8.11	9.00	अपूर्ण
5	गिधपुरी पी.डब्लू.एस.एस	1950	17.91	1194/9-08-2011	9.00	अपूर्ण
6	कोदवा पी.डब्लू.एस.एस	1628	17.91	1191/9-08-2011	9.00	अपूर्ण
7	बिन्नौरी पी.डब्लू.एस.एस	1588	17.97	08-09-2011	8.50	अपूर्ण
8	पन्द्रीपाली पी.डब्लू.एस.एस	1471	17.98	29-08-2011	9.50	अपूर्ण
9	गोविबंध पी.डब्लू.एस.एस	1802	17.71	1355/19-09-11	9.00	अपूर्ण
10	झुमका पी.डब्लू.एस.एस	1867	17.90	1330/29-08-2011	9.00	अपूर्ण
11	धोबनी पी.डब्लू.एस.एस	1467	17.98	1331/29-08-2011	9.00	अपूर्ण
12	गटाडीह पी.डब्लू.एस.एस	1915	17.95	1367//26-09-2011	9.00	अपूर्ण
13	धरासिव पी.डब्लू.एस.एस	1821	18.00	1357/19-09-2011	9.00	अपूर्ण
14	बाया पी.डब्लू.एस.एस	1931	18.00	1327/29-08-2011	9.00	अपूर्ण
15	छेछर पी.डब्लू.एस.एस	1936	18.00	1328/29-08-2011	9.00	अपूर्ण
16	थारगांव पी.डब्लू.एस.एस	1831	17.85	1334/29-08-2011	9.00	अपूर्ण
17	नगंदा पी.डब्लू.एस.एस	1694	17.90	1333/29-08-2011	9.00	अपूर्ण
18	लफण्डी पी.डब्लू.एस.एस	1803	26.00	1180/8-8-2011	9.00	अपूर्ण
19	मोपर पी.डब्लू.एस.एस	1578	18.00	1360/19-09-2011	9.00	अपूर्ण
20	बिन्द्रानवागढ़ पी.डब्लू.एस.एस	1875	25.85	1059/11-07-2011	9.00	अपूर्ण
21	इन्द्रगांव पी.डब्लू.एस.एस	1746	24.32	1065/11-07-2011	9.00	अपूर्ण
22	मुदगेलमाल पी.डब्लू.एस.एस	1890	25.85	-	9.00	अपूर्ण
	महायोग				**1102.52**	

परिशिष्ट-3.2.11

(संदर्भ कंडिका 3.2.8.3 (ब); पृष्ठ क्रं. 176)

अकार्यरत पी.डब्लू.एस.एस/ स्थल जल योजनाओं का विवरण

जिला	डब्लू.एस.एस/स्थल जल योजनाओं की संख्या		विकासखण्ड का नाम
	कुल	अकार्यरत	
अम्बिकापुर	143	45	उदयपुर (4),सीतापुर (1), मैनपार्ट (1), रामचन्द्रपुर (3),रायपुर (1), बिलासपुर (4),कुरासी (9), शंकरगढ़ (10), वाड्रफनगर (4), प्रतापपुर (3), सूरजपुर (2), रामानुजनगर (1), ओदेगी (2)
बिलासपुर	261	15	**विकासखण्ड** वार जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गई
दंतेवाड़ा	26	1	कटेकल्याण (1)
धमतरी	283	47	धमतरी (2), कुरूद(13), नगरी (11), मगरलोद (21)
जांजगीर चांपा	375	50	नवागढ़ (5), बमनीडीह, (2), अकलतरा (3), पामगढ़ (1), शक्ति (3), जैजपुर (9), ढबरा (7),मालखोरौदा (20)
कबीरधाम	220	19	लौहरा (8), बोडला (5), पण्डरीया (5), कवर्धा (1)
कोरिया	89	9	बैकण्ठपुर (6), भरतपुर (2), मनेन्द्रगढ़ (1)
महासमुन्द्र	118	9	बागबध्य (3), बसना (3), सराईपरी (2), पिथॉरा (1)
रायपुर	523	54	धरसीवा (3), आरंग (3), अमनपुर (8),तिल्दा (6), बलौदा बाजार (4), पलारी (5), कसडोल (9), बिलाईगढ़ (3), किंगेश्वार, (4), छुरा, (2), देवभोग (4), सिगमा (1), गरीयाबंद (1), भाटापारा (1).
योग	**1792**	**229**	

परिशिष्ट-3.2.12

(संदर्भ कंडिका 3.2.8.4 (स); पृष्ठ क्रं.179)

प्रयोगशालाओं हेतु रीएजेन्टस नहीं क्रय किये जाने का विवरण

जिला	रीएजेन्टस जबसे क्रय नहीं गये	वर्षो की संख्या
अम्बिकापुर	2007-08 से 2009-10	3
बिलासपुर	2009-10	3
दंतेवाड़ा	2007-08 से 2011-12	5
जांजगीर चांपा	2007-08 से 2009-10	3
कवर्धा	2007-08 से 2010-11	4
कोरिया	2007-08	5
महासमुन्द्र	2007-08	5
रायपुर	2007-08 से 2008-09	2

परिशिष्ट-4.1

(संदर्भ कंडिका 4.1.1; पृष्ठ क्र.187)

जी एस बी में अधिक मोटाई के निष्पादन पर अतिरिक्त लागत दर्शाने वाला विवरण पत्रक

सरल क्र.	पैकेज क्र.	सड़कों की संख्या	निविदा की राशि (₹ लाख में)	संविदा की राशि (₹ लाख में)	ठेकेदार का नाम	अनुबंध क्रमांक	कार्यादेश क्रमांक/दिनांक	अद्यतन भुगतान का विवरण			डी पी आर/बी ओ क्यू से अधिक जी एस बी की अतिरिक्त निष्पादन का विवरण							
								चल देयक क्रमांक	भुगतान का दिनांक	राशि (₹ लाख में)	अद्यतन स्थिति	प्राक्कलन में रोड की बी टी भाग के लिए जी एस बी की मोटाई (मि मी)	निष्पादित जी एस बी की मोटाई (मि मी)	निष्पादित जी एस बी की आधिक्य मोटाई (मि मी)	निर्मित बी टी सड़क की लम्बाई (कि मी)	अतिरिक्त निष्पादित जी एस बी की मात्रा (घ मी) (कालम 16 X 1000 X कालम 15/ 1000 X 4.05)	दर (₹ प्रति घ मी)	अतिरिक्त लागत की राशि (₹ में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	सी जी-13/27	10	621.18	588.17	मे सुनील कुमार अग्रवाल, रायगढ़	1ली एल/06-07	477/14.4.07	8 वां एव अंतिम	08.04.11	567.14	भुगतान की गई अंतिम देयक	115	210	95	17.83	6860.0925	280	1920825.90
2	सी जी 13/28	13	896.41	829.84	मे सुनील कुमार अग्रवाल, रायगढ़	2ली एल/06 07	479/14.4.07	9 वां एव अंतिम	08.04.11	784.00	भुगतान की गई अंतिम देयक	115	210	95	26.41	10161.2475	425	4318530.19
3	सी जी 13/29	5	491.08	455.78	मे मोहन पाद्दर, रायपुर	5ली एल/06 07	485/14.4.07	8 वां एव अंतिम	08.04.11	462.78	भुगतान की गई अंतिम देयक	115	210	95	12.3	4732.425	300	1419727.50
4	सी जी-13/31	5	617.84	575.09	मे सुनील कुमार अग्रवाल, रायगढ़	3ली एल/06-07	481/14.4.07	8 वां एव अंतिम	08.04.11	560.71	भुगतान की गई अंतिम देयक	115	210	95	16.22	6240.645	415	2589867.68
5	सी जी-13/32	7	663.22	596.01	मे सुनील कुमार अग्रवाल, रायगढ़	6ली एल/06-07	510/18.4.07	8 वां एव अंतिम	08.04.11	590.89	भुगतान की गई अंतिम देयक	115	210	95	16.2	6232.95	350	2181532.50
6	सी जी-13/33	9	657.5	612.16	मे सुनील कुमार अग्रवाल, रायगढ़	4ली एल/06-07	483/14.4.07	8 वां एव अंतिम	08.04.11	594.89	भुगतान की गई अंतिम देयक	115	210	95	18.35	7060.1625	400	2824065.00
7	सी जी-13/40	5	609	493.27	मे एम एल पटेल, सम्बलपुर, ओडिशा	7ली एल/06-07	854/5.6.07	8 वां	22.5.08	467.83	₹ 471.31 लाख की अंतिम देयक लंबित	115	200	85	15.01	5167.1925	250	1291798.13
											योग							**16546346.90**

परिशिष्ट-4.2

(संदर्भ कंडिका 4.1.1; पृष्ठ क्र.188)

सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमोदन के बिना मिट्टी कार्य एवं सीमेंट कंक्रीट का निष्पादन दर्शाने वाला विवरण पत्रक

स. क्र.	पैकेज क्र.	सड़कों की संख्या	निविदा की राशि (₹ लाख में)	संविदा की राशि (₹ लाख में)	ठेकेदार का नाम	अनुबंध क्रमांक	कार्यादेश क्रमांक/दिनांक	अद्यतन भुगतान का विवरण				डी पी आर/वी ओ क्यू से अधिक अतिरिक्त निष्पादन का विवरण							
								चल देयक क्रमांक	व्हाऊचर क्रमांक/दिनांक	राशि (₹ लाख में)	अद्यतन स्थिति	मद संख्या	मद का नाम	डी पी आर/वी ओ क्यू में मात्रा (घ मी)	निष्पादित मात्रा (घ मी)	वृद्धि की प्रतिशतता	डी पी आर/बी ओ क्यू से 10 प्रतिशत से अधिक निष्पादन (घ मी)	दर (₹ प्रति घ मी)	राशि (₹ में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	सी जे-13/27	10	621.18	588.17	मे सुनील कुमार अग्रवाल, रायगढ़	1 डी ए/06-07	477/14.4.07	8 वीं एवं अंतिम	08.04.11	567.14	भुगतान की गई अंतिम देयक	3.4	बारो पिटस से प्राप्त सामग्री से इंबैंकमेंट का निर्माण	56767.20	72944.74	28.50	10500.82	165	1732634.81
												6.4	सीमेंट कांक्रीट पेवमेंट का निर्माण	1710.00	2681.43	56.81	800.43	3650	2921569.50
2	सी जे-13/28	13	896.41	829.84	मे सुनील कुमार अग्रवाल, रायगढ़	2 डी ए/06-07	479/14.4.07	9 वीं एवं अंतिम	08.04.11	784.00	भुगतान की गई अंतिम देयक	3.4	बारो पिटस से प्राप्त सामग्री से इंबैंकमेंट का निर्माण	87048.50	104059.53	19.54	8306.18	150	1245927.00
												6.4	सीमेंट कांक्रीट पेवमेंट का निर्माण	2231.25	3914.43	75.44	1460.06	3490	5095609.40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	सी जी 13/31	5	617.84	575.09	मे सुनील कुमार अग्रवाल, रायगढ़	3 डी एल/06-07	481/14.4.07	8 वां एवं अंतिम	08.04.11	560.71	भुगतान की गई अंतिम देयक	3.4	बोरो पिट्स से प्राप्त सामग्री से इंबैंकमेंट का निर्माण	47297.90	70946.70	50.00	18919.01	160	3027041.60
4	सी जी 13/32	5	663.22	596.01	मे सुनील कुमार अग्रवाल, रायगढ़	6 डी एल/06-07	510/18.4.07	8 वां एवं अंतिम	08.04.11	590.89	भुगतान की गई अंतिम देयक	3.4	बोरो पिट्स से प्राप्त सामग्री से इंबैंकमेंट का निर्माण	42631.90	60281.20	41.40	13386.11	90	1204749.90
5	सी जी-13/33	9	657.5	612.16	मे सुनील कुमार अग्रवाल, रायगढ़	4 डी एल/06-07	483/14.4.07	8 वां एवं अंतिम	08.04.11	594.69	भुगतान की गई अंतिम देयक	3.4	बोरो पिट्स से प्राप्त सामग्री से इंबैंकमेंट का निर्माण	25454.50	66130.10	159.80	38130.15	165	6291474.75
6	सी जी-13/40	5	609	493.27	मे एम एल पटेल, सम्बलपुर, ओड़िशा	7 डी एल/06-07	854/5.6.07	8 वां	22.5.08	467.83	₹ 471.31 लाख की संचित अंतिम देयक	3.3	बोरो पिट्स से प्राप्त सामग्री से इंबैंकमेंट का निर्माण	47061.80	98948.90	110.25	47180.92	61	2878036.12
												6.4	सीमेंट कांक्रीट फुटपाथ का निर्माण	2557.50	5344.55	108.98	2531.30	3300	8353290.00
योग																			**32750333.08**

परिशिष्ट 4.3

(संदर्भ कंडिका 4.1.2; पृष्ठ क्र. 190)

कार्यों जिनमें जी एस बी, हार्ड शोल्डर, बी.टी. आदि अन्य कार्यों की पूर्णता पश्चात् मिट्टी कार्यों की पुनः माप की गयी का विवरण-पत्रक

सं क्र	एजेंसी	पैकेज क्र.	सड़क का नाम	लम्बाई	कार्य का विवरण	जी.एस.बी., डब्ल्यू.बी.एम., हार्ड शोल्डर, सी.सी. पेवमेंट, बी.टी. कार्य निष्पादन के पूर्व कार्य का लिया गया माप	माप का दिनांक	भुगतान का दिनांक	जी.एस.बी, डब्ल्यू.बी.एम, हार्ड शोल्डर, सी.सी पेवमेंट बी.टी कार्य के निष्पादन के बाद लिया गया माप	माप का दिनांक	भुगतान का दिनांक (अंतिम)	अंतर	दर प्रति घन. मी. (₹ में)	राशि (कालम 13 X कालम 14) (₹ में)	पूर्व निष्पादित मिट्टी कार्यों का किया गया भुगतान (कालम 7 X कालम 14) (₹ में)	मिट्टी कार्यों के निष्पादन के पश्चात् किया गया भुगतान (कालम 10 X कालम 14) (₹ में)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
1	पी आई यू अंबिकापुर	सी जी-16/16	बतौली अंबिकापुर (बिरगंवा से कालीपुर)	7.8 कि मी	सड़क कटिंग से प्राप्त सामग्री से एम्बेकमेंट निर्माण ...	6499.3	10.3.06	24.3.06	13890	10.04.07	23.08.07	7390.7	60	443442	389958	833400
					सब ग्रेड एवं अर्थन शोल्डर का निर्माण		28.03.06								0	0
					जी.एस.बी.		25.03.06								0	0
					डब्ल्यू.बी.एम		22.11.06								0	0
					हार्ड शोल्डर		02.11.06								0	0
					सी.सी. पेवमेंट		01.11.06								0	0
					बी.टी. कार्य		16.12.06								0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	पी.आई.यू. अंबिकापुर	सी.जी.-16/16	बिष्णुपुर विरिमकेला सड़क	12.60 कि.मी.	राइक कटिंग से प्राप्त सामग्री से एम्बेकमेंट की निर्माण..	0	0		4757	--		4757	60	285420	0	285420
					बोरो पिट्स से प्राप्त अनुमोदित सामग्री से एम्बेकमेंट का निर्माण ..	26923.76	26.02.06	09.06.06	33430.48	--	23.8.07	6506.72	60	390403	1615425.6	2005828.8
					सब ग्रेड एवं अर्थन शाल्डर का निर्माण		01.03.06								0	0
					जी.एस.बी.		04.11.06								0	0
					डब्ल्यू.बी.एम		16.12.06								0	0
					हार्ड शाल्डर		06.11.06								0	0
					सी.सी. पेवमेंट		04.01.07								0	0
					बी.टी. कार्य		20.01.07								0	0
3	पी.आई.यू. अंबिकापुर	सी.जी.-16/31	बतौली से देवरी डूमरपारा	4.14 कि.मी.	सड़क कटिंग से प्राप्त सामग्री से एम्बेकमेंट की निर्माण ..	8684.58	20.02.08		14342.275	--	17.8.10	5657.695	86	486562	746873.88	1233435.65
					सब ग्रेड एवं अर्थन शाल्डर का निर्माण		20.02.08								0	0
					जी.एस.बी.		20.02.08								0	0
					डब्ल्यू.बी.एम		20.02.08								0	0
					हार्ड शाल्डर		20.02.08								0	0
					सी.सी. पेवमेंट										0	0
					बी.टी. कार्य		02.05.08								0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	पी आई यू, अंबिकापुर	सी जी-16/14	पत्राणडी से साल्ही बड़कापारा	10.96 कि मी	सड़क कटिंग से प्राप्त सामग्री से एम्बाकमेंट की निर्माण ...	11317.87	15.11.05	31.3.06	23949.56	7.3.06	29.01.08	12631.69	115	1452644	1301555.05	2754199.4
					सब ग्रेड एवं अर्थन शोल्डर का निर्माण	24465.82	8.12.05	31.3.06	32143.27	7.3.06	29.01.08	7677.45	80	614196	1957265.6	25714661.6
					जी.एस.बी.		8.12.05								0	0
					डब्ल्यू.बी.एम		15.02.06								0	0
					हार्ड शोल्डर		20.02.06								0	0
					सी.सी. पेवमेंट										0	0
					बी.टी. कार्य		23.02.06								0	0
5	पी आई यू, अंबिकापुर	सी जी-16/14	भुवनेश्वरपुर से माटनेश्वरपुर	2.5 कि मी	सड़क कटिंग से प्राप्त सामग्री से एम्बाकमेंट की निर्माण ..	7240.22	02.03.06	31.3.06	9042.72	06.03.07	29.01.08	1802.5	80	144200	579217.6	723417.6
					सब ग्रेड एवं अर्थन शोल्डर का निर्माण	7400.46	02.03.06	31.3.06	9604.67	06.03.07	29.01.08	2204.21	115	253484	851052.9	1104537.05
					जी.एस.बी.		10.10.05								0	0
					डब्ल्यू.बी.एम		23.02.06								0	0
					हार्ड शोल्डर		06.03.06								0	0
					सी.सी. पेवमेंट										0	0
					बी.टी. कार्य		मार्च 06								0	0
6	पी आई यू, अंबिकापुर	सी जी-16/14	कुंजनगर से मामरेई	13 कि मी	सड़क कटिंग से प्राप्त सामग्री से एम्बाकमेंट की निर्माण ...	20099.67	माप पुस्तिका में दिनांक अंकित नहीं	31.3.06	41748.32	---	29.01.08	21648.65	115	2489595	2311462.05	4801056.8
					सब ग्रेड एवं अर्थेन शोल्डर का निर्माण										0	0
					जी एस बी.		29.03.06								0	0
					डब्ल्यू.बी.एम		29.03.06								0	0
					हार्ड शोल्डर		29.03.06								0	0
					सी.सी. पेवमेंट										0	0
					बी.टी. कार्य		29.03.06								0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	पी.आई.यू. अंबिकापुर	सी.जी.-16/48	भटगाँव से झुमरिया खारपारा	3.7 कि.मी.	बारो पिट्स से प्राप्त सामग्री से एम्बेकमेन्ट की निर्माण ..	4100	13.02.08	17.5.08	8622.4	13.05.08	14.07.08	4522.4	77	348225	315700	663924.8
					सब ग्रेड एवं अर्थेन शोल्डर का निर्माण		माप पुस्तिका में दिनांक अंकित नहीं								0	0
					जी.एस.बी.		माप पुस्तिका में दिनांक अंकित नहीं								0	0
					डब्ल्यू.बी.एम		03.03.08								0	0
					हार्ड शोल्डर		10.03.08								0	0
					सी.सी. पेवमेन्ट										0	0
					बी.टी. कार्य		14.03.08								0	0
8	पी.आई.यू. अंबिकापुर	सी.जी.-16/41	भटगाँव झुमरिया सड़क से बारपारा ५६।०५।४	3.85 कि.मी.	बारो पिट्स से प्राप्त सामग्री से एम्बेकमेन्ट की निर्माण ..	2642.78	माप पुस्तिका में दिनांक अंकित नहीं	17.5.08	11522.23	20.05.08	14.07.08	8879.45	77	683718	203494.06	887211.71
					सब ग्रेड एवं अर्थेन शोल्डर का निर्माण		माप पुस्तिका में दिनांक अंकित नहीं								0	0
					जी.एस.बी.		माप पुस्तिका में दिनांक अंकित नहीं								0	0
					डब्ल्यू.बी.एम		02.01.08								0	0
					हार्ड शोल्डर		02.01.08								0	0
					सी.सी. पेवमेन्ट		02.01.08								0	0
					बी.टी. कार्य		17.03.08								0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	पी आई यू, अंबिकापुर	सी जी-16/48	भटगाँव डूमरिया सड़क से घरमपुर नवांपारा	6.8 कि मी	बारे पिट्स से प्राप्त सामग्री से एम्बेकमेंट की निर्माण ...	11590.3	23.12.07	17.5.08	21395.35	29.05.08	14.07.08	9805.05	77	754989	892453.1	1647441.95
					रब ग्रड एवं अर्थेन शाल्डर का निर्माण		माप पुस्तिका मे दिनांक अंकित नहीं								0	0
					जी.एस.बी.		2.4.08								0	0
					डब्ल्यू.बी.एम		16.04.08								0	0
					हार्ड शाल्डर		26.04.08								0	0
					सी.सी. पेवमेंट										0	0
					बी.टी. कार्य		4.5.08								0	0
10	पी आई यू, जगदलपुर	सी जी-01/15	बाजागांस धलेभाटेर से छपरागुडा	2.8 कि मी	बारे पिट्स से प्राप्त सामग्री से एम्बेकमेंट की निर्माण ...	2483.8	माप पुस्तिक मे दिनांक अंकित नही	06.02.06	5002.175	--	06.05.08	2518.375	75	188878	186285	375163.125
					रब ग्रड एवं अर्थेन शाल्डर का निर्माण		28.03.05								0	0
					जी.एस.बी.		माप पुस्तिका मे दिनांक अंकित नहीं								0	0
					डब्ल्यू.बी.एम		23.01.06								0	0
					हार्ड शाल्डर		माप पुस्तिक मे दिनांक अंकित नहीं								0	0
					सी.सी. पेवमेंट		18.12.05								0	0
					बी.टी. कार्य		माप पुस्तिका मे दिनांक अंकित नहीं								0	0
11	पी आई यू, जगदलपुर	सी जी-01/75	रा.रा.43 (रोड 210 कि मी) से गुडलापारा	7.5 कि मी	बारे पिट्स से प्राप्त सामग्री से एम्बेकमेंट की निर्माण ...	20341.53	माप पुस्तिका मे दिनांक अंकित नहीं	29.5.08	38903.152	--	28.03.10	18561.622	110	2041778	2237568.3	4279346.72
					रब ग्रड एवं अर्थेन शाल्डर का निर्माण		माप पुस्तिका मे दिनांक अंकित नहीं								0	0
					जी.एस.बी.		माप पुस्तिका मे दिनांक अंकित नहीं								0	0
					डब्ल्यू.बी.एम		माप पुस्तिका मे दिनांक अंकित नहीं								0	0
					हार्ड शाल्डर		माप पुस्तिका मे दिनांक अंकित नहीं								0	0
					सी.सी. पेवमेंट										0	0
					बी.टी. कार्य		माप पुस्तिका मे दिनांक अंकित नहीं								0	0
					योग	**153790.09**			**268353.602**			**114563.51**		**10577534**	**13588311.14**	**24165845.21**

परिशिष्ट-4.4

(संदर्भ कंडिका 4.2.3; पृष्ठ क्र. 196)

सीमेंट कांक्रीट (सी सी), कोहेसिव नॉन स्वेलिंग (सी एन एस) में अतिरिक्त लागत को दर्शाने वाला विवरण पत्रक।

| स. क्र. | आर डी मील नं | लम्बाई मील में | आर डी कि मी में (1 मील = 1.524 कि मी) | जल प्रवाह (क्युमेक) | एफ एस एल (मीटर) | सी सी लाईनिंग में फ्री बार्ड की आवश्यक ऊँचाई (मी में) | सी सी लाईनिंग में निष्पादित फ्री बोर्ड (मी में) | आवश्यक एकल आयाम (मी में) (कालम 6 + कालम 7) | आवश्यक द्वि आयाम (मी में) (कालम 9X1.5) | निष्पादित एकल आयाम (मी में) (कालम 8 + कालम 8) | निष्पादित द्वि आयाम (मी में) (कालम 11X1.5) | आवश्यक ढलान (मी में) (कालम (9 x 9) + (10 x 10)) का वर्गमूल | निष्पादित ढलान (मी में) (कालम (11 x 11) + (12x 12)) का वर्गमूल | ढलान में अंतर (मी में) (कालम 14-13) | सी सी की अतिरिक्त मात्रा (घ मी में) (कालम (15x 2 x 4 x 1000 x 0.1) | सी सी का दर (₹ प्रति घ मी) | सी सी लाईनिंग में अतिरिक्त लागत (₹ लाख में) (कालम 16 x17) | सी एन एस की अतिरिक्त मात्रा (घ मी में) (कालम 15x 2 x कालम 4 x 1000 x 0.75) | सी एन एस की दर (₹ प्रति घ मी) | अतिरिक्त लागत (₹लाख में) (कालम 19X 20) | अतिरिक्त लागत (₹ लाख में) (कालम 18+21) |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | 0 से 9 | 9.00 | 13.72 | 93.15 | 2.92 | 0.50 | 0.60 | 3.42 | 5.13 | 3.52 | 5.28 | 5.17 | 5.35 | 0.18 | 494.54 | 2130.50 | 10.54 | 3709 | 80.30 | 2.98 | 13.52 |
| 2 | 9 से 12.50 | 3.50 | 5.33 | 77.69 | 2.62 | 0.50 | 0.60 | 3.12 | 4.68 | 3.22 | 4.83 | 5.62 | 5.80 | 0.18 | 192.32 | 2130.50 | 4.10 | 1442 | 80.30 | 1.16 | 5.26 |
| 3 | 12.5 से 19 | 6.50 | 9.91 | 73.74 | 2.62 | 0.50 | 0.60 | 3.12 | 4.68 | 3.22 | 4.83 | 5.62 | 5.80 | 0.18 | 357.17 | 2130.50 | 7.61 | 2679 | 80.30 | 2.15 | 9.76 |
| 4 | 19 से 23 | 4.00 | 6.10 | 62.45 | 2.62 | 0.50 | 0.60 | 3.12 | 4.68 | 3.22 | 4.83 | 5.62 | 5.80 | 0.18 | 219.79 | 2130.50 | 4.68 | 1648 | 80.30 | 1.32 | 6.00 |
| 5 | 23 से 29 | 6.00 | 9.14 | 62.45 | 2.62 | 0.50 | 0.60 | 3.12 | 4.68 | 3.22 | 4.83 | 5.62 | 5.80 | 0.18 | 329.69 | 2175.70 | 7.17 | 2473 | 117.87 | 2.91 | 10.08 |
| 6 | 29 से 36 | 7.00 | 10.67 | 51.60 | 2.50 | 0.50 | 0.60 | 3.00 | 4.50 | 3.10 | 4.65 | 5.41 | 5.59 | 0.18 | 384.64 | 2175.70 | 8.37 | 2885 | 117.87 | 3.40 | 11.77 |
| 7 | 36 से 38.5 | 2.50 | 3.81 | 45.66 | 2.50 | 0.45 | 0.60 | 2.95 | 4.43 | 3.10 | 4.65 | 5.32 | 5.59 | 0.27 | 206.06 | 2175.70 | 4.48 | 1545 | 117.87 | 1.82 | 6.30 |
| 8 | 38.5 से 43.50 | 5.00 | 7.62 | 33.64 | 2.10 | 0.45 | 0.60 | 2.55 | 3.83 | 2.70 | 4.05 | 4.90 | 4.87 | 0.27 | 412.11 | 2175.70 | 8.97 | 3091 | 117.87 | 3.64 | 12.61 |
| 9 | 43.50 से 46 | 2.50 | 3.81 | 28.30 | 2.00 | 0.45 | 0.60 | 2.45 | 3.68 | 2.60 | 3.90 | 4.42 | 4.69 | 0.27 | 206.06 | 2175.70 | 4.48 | 1545 | 117.87 | 1.82 | 6.30 |
| 10 | 46 से 49 | 3.00 | 4.57 | 28.30 | 2.00 | 0.45 | 0.60 | 2.45 | 3.68 | 2.60 | 3.90 | 4.42 | 4.69 | 0.27 | 247.27 | 1800 | 4.45 | 1855 | 150 | 2.78 | 7.23 |
| 11 | 49 से 55 | 6.00 | 9.14 | 28.30 | 1.90 | 0.45 | 0.60 | 2.35 | 3.53 | 2.50 | 3.75 | 4.24 | 4.51 | 0.27 | 494.54 | 1800 | 8.90 | 3709 | 150 | 5.56 | 14.46 |
| 12 | 55 से 66 | 11.00 | 16.76 | 19.81 | 1.70 | 0.40 | 0.60 | 2.10 | 3.15 | 2.30 | 3.45 | 3.79 | 4.15 | 0.36 | 1206.87 | 1800 | 21.76 | 9067 | 150 | 13.60 | 35.36 |
| 13 | 66 से 68.8 | 2.80 | 4.27 | 15.56 | 1.60 | 0.40 | 0.60 | 2.00 | 3.00 | 2.20 | 3.30 | 3.61 | 3.97 | 0.36 | 307.71 | 1800 | 5.54 | 2308 | 150 | 3.46 | 9.00 |
| | **योग** | **68.80** | **104.85** | | | | | | | | | | | | **5060.77** | | **101.05** | **37956** | | **46.60** | **147.65** |

परिशिष्ट-4.5

(संदर्भ कंडिका 4.2.4; पृष्ठ क्र. 198)

कि.मी.20 से 27 तक शेष मिट्टी कार्य के कार्य के लिए तुलनात्मक विवरण पत्रक

मद सरल क्रं	मद	प्राक्कलित मात्रा	इकाई	एस ओ आर दर (₹ प्रति घनमीटर)	निष्पादित मात्रा	मेसर्स विजय कुमार मिश्रा एण्ड कंपनी का दर		दर श्री वी के अग्रवाल		दर श्री एस आर कंस्ट्रक्शन प्रा लि		मेसर्स बालाजी		श्री सुनील कुमार		मेसर्स बीकॉन	
						दर (₹ प्रति घ.मी.)	राशि	दर (₹ प्रति घन.मी.)	राशि (₹)	दर (₹ प्रति घन मी	राशि (₹)	दर (₹ प्रति घन.मी.)	राशि (₹)	दर (₹ प्रति घन.मी.)	राशि (₹)	दर (₹ प्रति घन मी)	राशि (₹)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	समस्त प्रकार के मिट्टी की खुदाई का कार्य	77553.9	घ मी	58.08	152627.61	45.2	6898768	124	18925824	35	5341966.4	46.2	7051395.6	50	7631380.5	57.6	8791350.3
2	नहर हेतु हार्डरोक के अलावा अन्य समस्त प्रकार के पत्थरों की खुदाई	65474.1	घ मी	115.71	87040.57	52.4	4560926	124	10793031	80	6963245.6	81.95	7132974.7	272	23675035	12.6	1096711.2
3	नहर आधार तल एवं पार्श्व ढलान में हार्डराक की खुदाई	135408	घ मी	197.05	26013.91	170.3	4430169	124	3225724.8	220	5723060.2	154	4006142.1	10	260139.1	171	4448378.6
4	डोवेल का निर्माण 30 मी चौड़ा	7000	आर एम	10	6917	9.2	63636.4	10	69170	100	691700	7.7	53260.9	10	69170	9	62253
5	हार्ड मुरूम का संग्रहण	4725	घ मी	100.6	4724.32	90.2	426133.7	70	330702.4	100	472432	94.9	448337.97	100	472432	54	255113.28
							16379639		33344460		19192414		18692123		32108171		14653822
निविदा के मूल्यांकन की वास्तविक स्थिति यदि प्राक्कलन सही बनाया गया होता							L-2		L-6		L-4		L-3		L-5		L-1
निविदा स्वीकार करते समय निविदा का मूल्यांकन							L-4		L-5		L-6		L-3		L-1		L-2
उपरोक्त मद में वास्तविक भुगतान की गई राशि									₹ 28041976								
L-1 निविदाकार को भुगतान की जाने योग्य राशि यदि प्राक्कलन सही बनाया गया होता									₹ 14653822								
अतिरिक्त लागत									₹ 13388154								

परिशिष्ट-4.6

(संदर्भ कंडिका 4.2.7; पृष्ठ क्र. 203)

ठेकेदार को उच्च दरो पर भुगतान करने के कारण ₹35.25 लाख के अधिक भुगतान का विवरण पत्रक

सं क्र	अनुबंध क्र	पैकेज क्रं	ठेकेदार का नाम	बिल की मात्रा मे डब्ल्यू एम.एम. का दर (₹ में)	गैर अनुसुची मद	निष्पादित मात्रा (₹ प्रति घन.मी.)	भुगतान किया दर (₹ में)	एस ओ आर मे दर (₹ में)	स्वीकार्य योग्य दर (डब्ल्यु. एम.एम. मे प्रतिशत दर जोड़कर) (₹ में)	अधिक दर (₹ में)	अधिक भुगतान (₹ में)
1	2डी एल/2006-07	सी जी 05-37	मे कुलकर्णी & साहू एसोसिएट	885 (एस.ओ.आर से 21.4 प्रतिशत अधिक)	डब्ल्यू वी एम ग्रेड-II	5321.264	854	538	653 (एस.ओ. आर से 21.4% अधिक)	201	1069574
					डब्ल्यू बी एम ग्रेड-III	4978.127	870	605	734 (एस.आ.आर से 21.4% अधिक)	136	677025
2	3 डी एल/2006-07	सी जी 05-39	मे कुलकर्णी & साहू एसोसिएट	900 (एस.ओ.आर से 23.46 प्रतिशत अधिक)	डब्ल्यू बी एम ग्रेड- II	5768.605	854	538	664 (एस.ओ.आर से 23.46% अधिक)	190	1096035
					डब्ल्यू बी एम ग्रेड-III	5546.731	870	605	747 (एस.ओ.आर से 23.46% अधिक)	123	682248
अधिक भुगतान											**3524882**

परिशिष्ट 4.7

(संदर्भ कंडिका 4.3.2; पृष्ठ क्रं. 207)

आर्बिट्रेशन अवार्ड के विरूद्ध भुगतान की गई क्षतिपूर्ति का विवरण पत्रक

क्र. सं.	अनुबंध क्र.	प्रकरण क्र.	डिक्री राशि	01.06.2003 से 15.09.2005 (दो वर्ष 3 माह 15 दिन) @ 7 प्रतिशत	16.09.2005 से20.08.2009 (3 वर्ष 11 माह 5 दिन) @ 18 प्रतिशत	कुल ब्याज (5+6)	न्यायालय व्यय	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	12 डी.एल./2001-02	69/2002	1,25,93,558	20,19,717	89,09,363	1,09,29,080	25,000	2,35,47,638
2	13 डी.एल./2001-02	70/2002	1,59,65,972	25,60,575	1,12,95,191	1,38,55,766	25,000	2,98,46,738
3	14 डी.एल./2001-02	71/2002	1,48,87,563	23,87,623	1,05,32,266	1,29,19,889	25,000	2,78,32,452
	महायोग		**4,34,47,093**	**69,67,915**	**3,07,36,820**	**3,77,04,735**	**75,000**	**8,12,26,828**

टीपः ब्याज की गणना 21.08.2009 तक की गयी

परिशिष्ट-4.8

(संदर्भ कंडिका 4.3.4; पृष्ठ क्र. 210)

पेपर के समायोजन का विवरण पत्रक

मुद्रक का नामः द प्रिंटिंग वर्ल्ड, कटक

पृष्ठ का प्रकारः**60** जी.एस.एम शीट एवं रील

(मात्रा मीट्रिक टन में)

वर्ष	पूर्व वर्ष का शेष	भंडार से जारी पेपर	प्रदायकर्ता द्वारा जारी/अन्य मुद्रकों से हस्तांतरित	कुल आबंटन (कॉलम 2+3+4)	पुस्तक मुद्रण में उपयोग किये गये पेपर की मात्रा	अन्य मुद्रकों को जारी/ वसूली	कुल समायोजन (कॉलम 6+7)	शेष (कॉलम 5+8)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
2006-07	0	145.7136	0	145.7136	143.883	0	143.883	1.8306
2007-08	1.8306	0	0	1.8306	0	0	0	1.8306
2008-09	1.8306	0	0	1.8306	0	0	0	1.8306
2009-10	1.8306	0	0	1.8306	0	0	0	1.8306
2010-11	1.8306	0	0	1.8306	0	0	0	1.8306
योग		***145.7136***		***145.7136***			***143.883***	***1.8306***

पृष्ठ का प्रकारः70 जी.एस.एम शीट एवं रील

(मात्रा मीट्रिक टन में)

वर्ष	पूर्व वर्ष का शेष	भंडार से जारी पेपर	प्रदायकर्ता द्वारा जारी/अन्य मुद्रकों से हस्तांतरित	कुल आबंटन (कॉलम 2+3+4)	पुस्तक मुद्रण में उपयोग किये गये पेपर की मात्रा	अन्य मुद्रकों को जारी/ वसूली	कुल समायोजन (कॉलम 6+7)	शेष(कॉलम 5+8)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
2006-07	0	325.295	585.892	911.187	887.911	0	887.911	23.276
2007-08	23.276	1196.042	0	1219.318	1187.004	9.328	1196.332	22.986
2008-09	22.986	905.1565	0	928.1425	827.196	74.234	901.43	26.7125
2009-10	26.7125	487.219	0	513.9315	460.101	30.779	490.88	23.0515
2010-11	23.0515	351.215	0	374.2665	349.255	1.96	351.215	23.0515
योग		*3264.9275*	*585.892*	*3850.8195*			*3827.768*	*23.0515*

मुद्रक का नामः केशरी इंटरप्राइजेज

पृष्ठ का प्रकारः70 जी.एस.एम शीट

(मात्रा मीट्रिक टन में)

वर्ष	पूर्व वर्ष का शेष	भंडार से जारी पेपर	प्रदायकर्ता द्वारा जारी/अन्य मुद्रकों से हस्तांतरित	कुल आबंटन (कॉलम 2+3+4)	पुस्तक मुद्रण में उपयोग किये गये पेपर की मात्रा	अन्य मुद्रकों को जारी/ वसूली	कुल समायोजन (कॉलम 6+7)	शेष (कॉलम 5+8)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
2008-09	0	22.932	0.000	22.932	0.000	0.000	0	22.932
2009-10	22.932	0.000	0.000	22.932	0.000	0.000	0	22.932
2010-11	22.932	0.000	0.000	22.932	0.000	0.000	0	22.932
2011-12	22.932	0.000	0.000	22.932	0.000	0.000	0	22.932
योग		*22.932*		*22.932*			*0*	*22.932*

पृष्ठ का प्रकारः70 जी.एस.एम रील

(मात्रा मीट्रिक टन में)

वर्ष	पूर्व वर्ष का शेष	भंडार से जारी पेपर	प्रदायकर्ता द्वारा जारी/अन्य मुद्रकों से हस्तांतरित	कुल आबंटन (कॉलम 2+3+4)	पुस्तक मुद्रण में उपयोग किये गये पेपर की मात्रा	अन्य मुद्रकों को जारी/ वसूली	कुल समायोजन (कॉलम 6+7)	शेष (कॉलम 5+8)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
2008-09	0	353.304	74.234	427.5375	425.038	0.000	425.038	2.4995
2009-10	2.4995	230.560	30.779	263.8385	228.207	0.000	228.207	35.6315
2010-11	35.6315	108.731	1.960	146.3225	110.232	0.000	110.232	36.0905
2011-12	36.0905	91.111	0.000	127.2015	92.589	30.864	123.453	3.7485
योग		*783.706*	*106.973*	*890.679*			*886.930*	*3.7485*

परिशिष्ट 4.9

(संदर्भ कंडिका 4.4.1; पृष्ठ क्र. 212)

सरपंचों से वसूली हेतु लंबित अवशेष दावों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

स.क्र.	जनपद पंचायत का नाम	स्वीकृति वर्ष	वसूली योग्य अवशेष दावों की राशि (₹ में)	सरपंच एवं ग्राम पंचायत का नाम	कार्य का नाम	योजना का नाम	दिसंबर 2012 तक की गई वसूली (राशि ₹ में)	वसूली हेतु शेष राशि (₹ में)	आर.आर.सी जारी करने हेतु राजस्व प्राधिकारियों को जारी पत्र	आर.आर.सी.जारी करने की तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	बलौदाबाजार	2008-09	90000	गोविंददास मानिकपुरी, धनधानी	आंगनवाडी शौचालय	आई.सी.डी.एस.	42329	47671		
2	बलौदाबाजार	2008-09	60000	दिलहारन पटेल, अमलकुंडा	सी.सी.रोड	छ.ग.ग्रामीण निधि	10000	50000	3656/17-2-2010	
3	बलौदाबाजार	2008-09	120000	गोविंददास मानिकपुरी, धनधानी	पंचायत कमरा एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली	ग्राम उत्कर्ष योजना	0	120000	22-02-2010	
4	बलौदाबाजार	2008-09	165000	दाउराम डहरिया, दाबाडीह	आंगनवाडी शौचालय	ग्राम उत्कर्ष योजना	138981	26019	17-02-2010	
5	बलौदाबाजार	2008-09	24000	दिलहारन पटेल, अमलकुंडा	प्राथमिक शाला किचन शेड सह भंडार	किचन शेड	0	24000	17-02-2010	068/15-12-2010
6	पाटन	2008-09	119000	पूर्व सरपंच चित्रलेखा साहु एवं सचिव	सी.सी.सड़क	-	0	119000		
7	पाटन	2008-09	70000	पूर्व सरपंच चित्रलेखा साहु एवं सचिव	सी.सी.सड़क	ग्राम उत्कर्ष योजना	0	70000		
8	पाटन	2008-09	60000	पूर्व सरपंच चित्रलेखा साहु एवं सचिव	सी.सी.सड़क	ग्राम उत्कर्ष योजना	0	60000		
9	पाटन	2008-09	200000	पूर्व सरपंच चित्रलेखा साहु एवं सचिव	सी.सी.सड़क	ग्राम उत्कर्ष योजना	0	200000		
10	पाटन	2008-09	90000	पूर्व सरपंच चित्रलेखा साहु एवं सचिव	सी.सी.सड़क	ग्राम उत्कर्ष योजना	0	90000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	पलारी	2008-09	360000	श्रीमति मालतीबाई, बिजराडीह	सी.सी.रोड	अ.जा. विकास	161949	198051	1837/7-12-09	
12	पलारी	2008-09	80000	श्रीमति केशरी पूर्व सरपंच, देवसुंदर	आंगनवाडी भवन	आंगनवाड़ी भवन	15000	65000		
13	पलारी	2008-09	160000	श्रीमति केशरी, देवसुंदर	सामुदायिक हॉल	ग्राम उत्कर्ष योजना	86291	73709		1822/7-12-2009
14	पलारी	2008-09	100000	श्री कुंदन साव, सोनारदेवरी	आंगनवाडी भवन	आंगनवाड़ी भवन	0	100000		1718/11-11-2010
15	पलारी	2008-09	150000	श्री शालिकराम दीवान, देवगांव	सी.सी.रोड	अ.जा.विकास	51620	98380		1817/7-12-2009
16	पलारी	2008-09	360000	श्री शालिकराम दीवान,देवगांव	सी.सी.रोड	अ.जा.विकास	262006	97994		1812/7-12-2009
17	पलारी	2008-09	200000	श्री शालिकराम दीवान,देवगांव	मंगल भवन जुनवानी	सघन बस्ती विकास	0	200000		2208/25-2-2010
18	अभानपुर	2008-09	517000	सरजु वर्मा, तिला	प्राथमिक शाला रखरखाव		322400	194600		
19	चुईखदान	2009-10	579670	बरातु सिंह, कोपरे		निर्माण कार्य	0	579670		
20	बलौदाबाजार	2009-10	120000	केवरबाई चंद्राकर, मुड़ियाडीह	सामुदायिक भवन	सांसद निधि क्षेत्र विकास	62475	57525		
21	बलौदाबाजार	2009-10	80000	योगेंद्रपाल, चनगोरी	कांजी हाउस	12वें वित्त आयोग के तहत	43917	36083	3656/17-2-2010	
22	बलौदाबाजार	2009-10	320000	भोजराम मांझी, अमलीडीह	पंचायत भवन एवं उचित मूल्य दुकान	ग्राम उत्कर्ष योजना	271586	48414	30.9.2009, 24-2-24.2.10	8-11.10
23	बलौदाबाजार	2009-10	320000	सुखमतिया बाई, चनगोरी	पंचायत भवन एवं उचित मूल्य दुकान	छ.ग. ग्रामीण निधि	132941	187059	10-03-2010	
24	बलौदाबाजार	2009-10	24000	गोविंददास मानिकपुरी, धनधानी	किचिन शेड निर्माण	आइ.सी.डी.एस.	0	24000	22-02-2010	1076/15-12-2010
25	बलौदाबाजार	2009-10	24000	रमेश कुमार साहु, धाराशिव	यू.पी.एस.किचिन शेड	किचिन शेड	4500	19500		
26	पाटन	2009-10	446872	सुरेश कुमार नायक, बठेना	तुलसी नाला जल ग्रहण समीति	वाटरशेड	0	446872		
27	पाटन	2009-10	11500	राम वरदे, अमरीखुर्द	-	12 वे वित्त आयोग के तहत	0	11500		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	पाटन	2009-10	30000	राम वरदे, अमरीखुर्द	-	मूलभूत योजना	0	30000		
29	छुईखदान	2009-10	192000	जामबाई, नचनिया	-	12 वें वित्त आयोग के तहत	0	192000		
30	छुईखदान	2009-10	83700	मंगलू, साराइनपटेरा	-	खाद्य गोदाम, किचिन शेड	0	83700		
31	छुईखदान	2009-10	234200	पंचू, सल्हेवरा	बस्तर सामुदायिक हॉल, 80000 कुम्हार समान सामुदायिक हॉल		0	234200		
32	छुईखदान	2009-10	212769	ओंकार, रामपुर	प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला-191040,अटल चौक-20000, सामुदायिक हॉल-800		0	212769		
33	छुईखदान	2009-10	161500	निर्मला, गोलारडीह	प्राथमिक शाला-60000, सामुदायिक भवन-60000		0	161500		
34	छुईखदान	2009-10	120000	फुलबासन बाई, चोभार	पंडाल पंडरीपानी-40000, जिलामंच- 40000, बरझोला - 40000		0	120000		
35	छुईखदान	2009-10	201747	खेमप्रसाद तिवारी, ठाकुरटोला	12 वें वित्त आयोग के तहत		0	201747		
36	छुईखदान	2009-10	118000	रूकमनी, ठाकुरटोला	आंगनवाड़ी एवं गोदाम		0	118000		
37	छुईखदान	2009-10	214500	इंदलराम, खौदा	अतिरिक्त भवन, खोडा - 40000,किचिनशेड मुंडाटोला - 30000, मुख्यद्वार- 11000, अटल चौक-15000		0	214500		
38	छुईखदान	2009-10	48584	टीकम वैष्णव, देवपुरा	-	12 वें वित्त आयोग के तहत	0	48584		
39	छुईखदान	2009-10	36784	अनामिका, मनपुर	वाणिज्यिक कॉम्पलेक्स		0	36784		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	छुईखदान	2009-10	23985	पीलूराम, वंकर	निर्माण कार्य		0	23985		
41	छुईखदान	2009-10	43627	भरत जंघेल, खैरनवापारा	निर्माण कार्य		0	43627		
42	छुईखदान	2009-10	50159	कुशलराम, भरदागौंड	-	12 वें वित्त आयोग के तहत	0	50159		
43	छुईखदान	2009-10	121783	उनी सिंह, खैरबाना	आदिवासी शाला भवन-50000, सांस्कृतिक पंडाल-2937, 12 वें वित्त आयोग-46376, सी.सी.सड़क -19944,अन्य 2526		0	121783		
44	छुईखदान	2009-10	289727	रोहिणी वर्मा, भोरमपुर	अतिरिक्त कमरा-175000, पुलिया निर्माण-114727		0	289727		
45	छुईखदान	2009-10	144572	प्रहलाद, देवराचा	-	12 वें वित्त आयोग के तहत	0	144572		
46	छुईखदान	2009-10	22770	गौतम बाई, गर्री	निर्माण कार्य		0	22770		
47	छुईखदान	2009-10	153006	मनबोधाराम, बकरकट्टा	बाजार चबूतरा-48036, अतिरिक्त कमरा, बकरकत्ज 10000, नलजल-2500, बाजार-201, कांजी हाउस-545, सामुदायिक पंडाल-1724		0	153006		
48	छुईखदान	2009-10	135626	फिरनबाई, कुम्हारवाडा	आदिवासी भवन-85000, सांस्कृतिक पंडाल-5660, आयोग-30600,83125		0	135626		
49	छुईखदान	2009-10	85791	अमरीका, गतपर	-	12 वें वित्त आयोग के तहत	0	85791		
50	छुईखदान	2009-10	27264	हरी राम, खुदमुदी	किचिन शेड-3718, अतिरिक्त कमरा-375, पंडाल-478, अन्य-5696, एन.आर.ई.जी.एस.-17463		0	27264		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	छुईखदान	2009-10	32241	द्रोणकुमारी, बैकाटोरी	किचिन शेड		0	32241		
52	छुईखदान	2009-10	412650	अहिल्याबाई, लांझियाटोला	मंगल भवन-1045060, अतिरिक्त कमरा-196800, सं.स्व.अ.(टी.एस.सी.)-18808, 12वें वित्त आयोग-7481, रा.रो.गा.यो.-105060		0	412650		
53	छुईखदान	2009-10	501843	अमुतलाल, अमाघातकाडा	निर्माण कार्य		0	501843		
54	धमदा	2009-10	100030	अर्जुन सिंह लोधी, पगबंधी	-	12 वे वित्त आयोग के तहत	0	100030	505/9.11.10 और 1048/16-12-2010	
55	पलारी	2009-10	20000	श्री धनुष निर्मलाकर, चेरकापुर	महालक्ष्मी चौक पर रंगमंच	विधायक निधि	0	20000		525/19-5-2011
56	राजनांदगांव	2009-10	73000	श्री मोहित साहु	मुढ़पार माल में निर्माण कार्य		0	73000		
57	राजनांदगांव	2009-10	10903	श्रीमति हिरियाबाई,	मगरलोटा में निर्माण कार्य		0	10903		13/121/10-11
58	राजनांदगांव	2009-10	110107	श्रीमति पूर्णिमा साहू	तुमदिलेवा में निर्माण कार्य		0	110107		13/2-1-2012
59	राजनांदगांव	2009-10	150000	यद्दास निर्मलाकर,	खुटेरी में निर्माण कार्य		0	150000	4410/22-10-10	4410/22-10-10
60	राजनांदगांव	2009-10	110107	श्रीमति पूर्णिमा साहु	तुमदिलेवा में निर्माण कार्य		0	110107		13/2-1-2012
61	राजनांदगांव	2009-10	36192	श्री धनराम नेताम	भयसत्तरा में निर्माण कार्य		0	36192		15/2.1.2012
62	राजनांदगांव	2009-10	16277	श्री इंदर राम	औरदा में निर्माण कार्य		0	16277		17/2-1-2012
63	राजनांदगांव	2009-10	163539	श्री बूरामन साहु	सलोनी में निर्माण कार्य		0	163539		1193/19-4-10
64	राजनांदगांव	2009-10	53972	श्री कुंज लाल वर्मा	महरूमखुर्द में निर्माण कार्य		0	53972		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	राजनांदगांव	2009-10	134000	श्री मनोज वैष्णव	पदुमतरा में निर्माण कार्य		0	134000		
66	राजनांदगांव	2009-10	13838	श्री दयाराम पाल	सहसपुर दल्ली में निर्माण कार्य		0	13838		
67	राजनांदगांव	2009-10	80000	श्री धामेंद्रसाहु	अंजोरा में निर्माण कार्य		0	80000		
68	राजनांदगांव	2009-10	35593	श्री मोतिम बंजारे	इंदावानी में निर्माण कार्य		0	35593		
69	राजनांदगांव	2009-10	156194	श्रीमति अहिल्या बाई	कुम्हालोरी में निर्माण कार्य		0	156194		
70	राजनांदगांव	2009-10	20000	श्रीमति पुष्पा वर्मा	इंदामारा में निर्माण कार्य		0	20000		
71	राजनांदगांव	2010-11	271585	श्री मधुकर बंजारे	सोमानी में निर्माण कार्य		0	271585		
	योग		**10105207**				**1605995**	**8499212**		